(केवल कार्यालय उपयोग हेतु)

सत्यमेव जयते

नगरपालिका चुनाव के संबंध में महत्वपूर्ण निर्देशों का संकलन

राज्य निर्वाचन आयोग
राजस्थान, जयपुर

2014

आमुख

भारत के संविधान के 74 वें संशोधन के अनुसरण में नगरपालिकाओं के निर्वाचन संबंधी कानून में कई महत्त्वपूर्ण परिवर्तन हुए और संविधान के अनुच्छेद 243 य क के अन्तर्गत राज्य निर्वाचन आयोग का गठन माह जुलाई, 1994 में हुआ। नगरपालिकाओं के चुनावों का संचालन राज्य निर्वाचन आयोग के अधीक्षण, निर्देशन व नियंत्रण के अधीन है। नगरपालिका संस्थाओं के चुनाव की प्रक्रिया राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 एवं राजस्थान नगरपालिका (निर्वाचन) नियम, 1994 में वर्णित है। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन के संचालन के हेतु विभिन्न निर्वाचनों के समय निर्देश/आदेश जारी किये जाते रहे हैं, जिनमें कुछ आदेश/निर्देश स्थायी प्रकृति के हैं, जो नगरपालिका के आगामी निर्वाचनों में भी यथोचित परिवर्तनों के साथ लागू रहेंगे।

माह नवम्बर, 2014 में होने वाले 46 नगरपालिकाओं के आम चुनाव से पूर्व राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना दिनांक 11.07.2014 के द्वारा अध्यक्षीय पद के चुनाव प्रत्यक्ष रीति के स्थान पर अप्रत्यक्ष रीति से कराए जाने तथा नगरपालिका निर्वाचनों में मतदाताओं को नोटा (उपरोक्त में से कोई नहीं) का विकल्प उपलब्ध कराने हेतु निर्णय लिए जाने पर राजस्थान नगरपालिका (निर्वाचन) नियम, 1994 में संशोधन जारी किए हैं। इसके अतिरिक्त मतदाता सूची में नाम जोड़ने, शुद्धि एवं आक्षेप हेतु राजस्थान निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण आदेश, 1974 के अन्तर्गत निर्धारित प्ररूप 3, 4, 5 एवं 6 को भी राज्य निर्वाचन आयोग के प्रस्तावानुसार संशोधित किया गया है। इस क्रम में राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा भी चुनाव प्रक्रिया के संबंध में कई महत्त्वपूर्ण आदेश/निर्देश जारी किये गये हैं।

वर्ष 2009 एवं 2010 के नगरपालिका आम चुनावों हेतु महत्त्वपूर्ण निर्देशों का संकलन खण्ड–1 एवं 2 जारी किए गए थे। इन पुस्तिकाओं में संकलित पूर्व में जारी स्थाई प्रकृति के आदेश/निर्देश एवं इसके उपरान्त कानून में हुये संशोधनों के संदर्भ में और अन्य विविध बिन्दुओं पर आयोग द्वारा महत्त्वपूर्ण निर्देश जारी किये गये हैं। इन सभी आदेशों/निर्देशों का संकलन चुनाव से जुड़े अधिकारियों के उपयोग के लिए इस पुस्तिका में किया गया है।

शुभकामनाओं सहित।

दिनांक : 10.10.2014.

(हस्ताक्षर) 10/10/2014
(रामलुभाया)
राज्य निर्वाचन आयुक्त,
राजस्थान जयपुर

नगरपालिका चुनाव, 2014
महत्वपूर्ण निर्देशों का संकलन
विषय – सूची

क्र. सं.	पत्रांक / दिनांक	विषय वस्तु	पृष्ठ संख्या
1	2	3	4

भाग1– निर्वाचक नामावलियों बाबत्

1.	प.1(3)(1)नपा / रानिआ / 94 / 262 दिनांक 22.8.94	जिला निर्वाचन अधिकारियों की नियुक्ति।	1
2.	प.1(2)(1)नपा–पंचा / / सां.आ. / रानिआ / 14 / 3464 दि.26.9.94	जिला नगरपालिका निर्वाचन अधिकारी की नियुक्ति।	2
3.	प.4(1)(6)नपा / रानिआ / 94 / 299 दिनांक 14.10.94	मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को प्रारूप प्रकाशन के समय एवं अंतिम प्रकाशन के समय मतदाता सूचियों के सैट निशुल्क दिलाये जाने बाबत्।	3
4.	प.1(3)(1)नपा / रानिआ / 94 / I / 2345 दिनांक 26.05.2014	निर्वाचक एवं सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों की नियुक्ति ।	4–8
5.	प.1(3)(1)नपा / रानिआ / 94 / I / 3091 दिनांक 05.08.2014	निर्वाचक एवं सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों की नियुक्ति में संशोधन।	9
6.	प.1(3)(1)नपा / रानिआ / 94 / I / 4118 दिनांक 19.09.2014	निर्वाचक एवं सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों की नियुक्ति में संशोधन ।	10
7.	प.3(1)(1)नपा / रानिआ / 14 / / 2672 दिनांक 24.06.2014	नगरपालिकाओं की निर्वाचक नामावलियों की नये सिरे से तैयारी हेतु निर्देश।	11–33
8.	प.3(1)(1)नपा / रानिआ / 14 / / 3993 दिनांक 15.09.2014	नगरपालिकाओं की निर्वाचक नामावलियों की तैयारी हेतु निर्देश।	34
9.	प.3(1)(1)नपा / रानिआ / 05 / 1393 दिनांक 15.6.06	फरार व्यक्तियों के नाम निर्वाचक नामावली से विलोपित किए जाने बाबत्।	35–38
10.	प.1(4)(1)नपा / रानिआ / 14 / 3705–06 दिनांक 02.09.2014	मतदाता सूचियों की कार्यकारी प्रतियों तैयार कराने बाबत् निर्देश।	39–40
11.	प.6(4)(1)पंचा / रानिआ / 94 / 2904 दिनांक 06.12.95	नगरपालिका निर्वाचक नामावलियों के किसी भाग या प्रविष्टि का निरीक्षण प्रमाणित प्रतिलिपि देने संबंधित निर्देश।	41
12.	F.4(1)(6)/M/SEC/Accts/94/431 Dt. 24.10.94	Sale price for copies of electoral rolls.	42

क्र. सं.	पत्रांक / दिनांक	विषय वस्तु	पृष्ठ संख्या
1	2	3	4

भाग 2 –मतदान केन्द्रों की स्थापना बाबत्

13.	प.4(3)(1)नपा / रानिआ / 94 / 8 दिनांक 27.8.94	मतदान केन्द्रों की स्थापना के लिये जिला निर्वाचन अधिकारियों को नामित किया जाना।	43
14.	प.4(3)(1)नपा / रानिआ / 09 / 2579 दिनांक 16.06.2014	मतदान केन्द्रों की स्थापना के संबंध में दिशा–निर्देश।	44–47
15.	प.4(3)(1)नपा / रानिआ / 09 / 2844दिनांक 15.07.2014	सहायक मतदान केन्द्रों की स्थापना के संबंध में दिशा–निर्देश।	48

भाग 3 –स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनावों के लिये उपायों के संबंध में

16.	वर्ष 20014	आर्दश आचरण संहिता।	49–53
17.	प.4(10)(1)नपा / रानिआ / 14 / 3230–32–33 दि. 8.08.2014	नगरपालिका एवं पंचायतीराज संस्थाओं के निर्वाचन के दौरान कानून एवं व्यवस्था की स्थिति के संबंध में।	54–57
18	एफ.1(2)(1)नपा–पंचा / सां.आं / रानिआ / 14 / 3982दि.25.7.2000	वाहनों, लाउडस्पीकरों, पोस्टरों, बैनरों आदि पर निर्बधन बाबत् आदेश।	58–60
19.	प.1(4)(1)नपा / रानिआ / 14 / 3817 दिनांक 08.09.2014	राजस्थान संपत्ति विरूपण रोकथाम अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत पोस्टरों, बैनरों आदि के निर्बधंन बाबत्।	61
20.	प.4(2)(1)पंचु / रानिआ / 94 / 6246 दिनांक 12.8.05	नपा आम चुनाव, 05 – मतदान दिवस पर अभ्यर्थियों द्वारा बूथ स्थापित करने के संबंध में।	62
21.	प.1(5)(25)संस्था / रानिआ / 14 / 3542 दिनांक 26.08.2014	नगरपालिका / पंचायतीराज संस्थाओं के आम चुनाव, 2014–15 हेतु नियुक्त पर्यवेक्षकों को देय सुविधा हेतु।	63–64
22.	प.4(2)(1)नपा / रानिआ / 09 / 5617 दिनांक 22.11.2009	Counting agents prohibition against entry of Ministers/MP/MLA or the person which security cover into conuting center.	65
23.	एफ.4(4)(1)नपा / रानिआ / 04 / 4321 दिनांक 28.10.2009	स्थानीय निकाय के चुनाव के दौरान विडियोंग्राफी कराना।	66–67
24.	प.4(1)(3)नपा / रानिआ / 14 / 3129 दिनांक 05.08.2014	निर्वाचन से जुड़े अधिकारियों को गृह जिलों में / लम्बे समय तक पदस्थापन का निषेध।	68–69
25.	प.4(1)(3)नपा / रानिआ / 14 / 3669 दिनांक 01.09.2014	Regarding authorization letter to press personnel	70

क्र. सं.	पत्रांक / दिनांक	विषय वस्तु	पृष्ठ संख्या
1	2	3	4
26.	प.4(6)(1)नपा / रानिआ / 13 / 4261 दिनांक 26.09.2014	न्गरपालिका एवं पंचायतीराज संस्थाओं के निर्वाचन के दौरान पेड न्यूज पर निगरानी रखने हेतु।	71–73
27.	प.4(2)(3)नपा / रानिआ / 05 / 6364 दिनांक 16.08.2005	Appointment o sitting ministers election agent and count agents.	74
28.	प.1(4)(1)नपा / रानिआ / 14 / 3875 दिनांक 10.09.2014	जिलों में स्थानीय स्तर पर समाचार पत्रों में निर्वाचन के संबंधित समाचारों पर निगरानी हेतु।	75

भाग 4 –रिटर्निंग अधिकारियों व मतदान दलों की नियुक्ति बाबत्

29.	एफ.4(3)(1)नपा / रानिआ / 09 / 2877 दिनांक 18.07.2014	मतदान दलों के गठन बाबत् निर्देश।	76–77
30.	एफ.4(1)(2)नपा / रानिआ / 14 / 2951 दिनांक 25.07.2014	निर्वाचन अधिकारियों एवं सहायक निर्वाचन अधिकारियों की नियुक्ति बाबत् निर्देश।	78

भाग 5 –मतपत्र बाबत्

31.	प.4(2)(1)पंचा एवं नपा / रानिआ / 94 / 241 दि.29.9.94	सां आ. 3 / 94 – मतपत्रों को अधिप्रमाणित करने के संबंध में।	79
32.	एफ.1(2)(1)नपा–पंचा / सां.आ. / रानिआ / 14 / 3142 दिनांक 1.8.95	सा.आ. 86 / 14 – राजस्थान नगरपालिका (निर्वाचन) नियम, 1994 के नियम 34 (1) के अन्तर्गत मतपत्र और उसके प्रतिपर्ण का प्ररूप विहित करने बाबत्।	80–81
33.	एफ.1(2)(1)नपा–पंचा / सां.आ. / रानिआ / 14 / 3152 दिनांक 5.8.95	सा.आ. 87 / 14 – राजस्थान नगरपालिका (निर्वाचन) नियम, 1994 के नियम 32क केअनुसार नियम 34क के अनुसरण में ईवीएम मतपत्र का प्ररूप विहित किए जाने हेतु।	82–83
34.	एफ.1(2)(1)नपा–पंचा / सां.आ. / रानिआ / 14 / 3656 दि. 01.09.2014	सा.आ. 92 / 14 – आदेश कमांक 3152 / 05.08.2014 (सां. आं. संख्या 87 / 14) में संशोधन के संबंध में।	84
35.	एफ.1(2)(1)नपा–पंचा / सां.आ. / रानिआ / 14 / 3507 दि. 25.08.2014	सा.आ. 89 / 14 – डाक मतपत्र का प्ररूप विहित करने के संबंध में।	85
36.	एफ. 4(2)(1) पंचा एवं नपा / रानिआ / 94 / 3059 दिनांक 28.10.99	सा.आ. 26 / 99– निविदत्त मतपत्र का प्ररूप विहित करने के संबंध में।	86
37.	प.1(4)(1)नपा / रानिआ / 14 / 3707 दिनांक 02.09.2014	अध्यक्षीय / उपाध्यक्षीय पदों के निर्वाचन हेतु मतपत्रों का प्ररूप विहित करने के संबंध में।	87

क्र. सं.	पत्रांक / दिनांक	विषय वस्तु	पृष्ठ संख्या
1	2	3	4
38.	प.1(2)(1)नपा–पंचा / सां.आ. / रानिआ / 14 / 4030 दिनांक 16.09.2014	सा.आ. 96 / 14–मतपत्र हेतु नोटा (उपरोक्त में से कोई नहीं) का चिन्ह विहित करने के संबंध में।	88
39.	एफ.1(2)(2)नपा / रानिआ / 94 / 3243 दिनांक 16.11.99	कृत्रिम (डमी) मतपत्रों के संबंध में आदेश	89
40.	एफ.1(2)(2)नपा / रानिआ / 94 / 3245 दिनांक 16.11.99	मुद्रण के पश्चात् मुद्रणालयों में अधिशेष और रद्दी मतपत्रों के निष्पादन के संबंध में।	90
41.	एफ.1(2)(2)नपा / रानिआ / 94 / 3494 दिनांक 25.08.2014	निजी मुद्रणालयों में मुद्रण के पश्चात् अधिशेष और रद्दी मतपत्रों के निष्पादन के संबंध में।	91

भाग 6 –मतदान प्रक्रिया संबंधी निर्देश

42.	प.1(4)(5)पंचा / रानिआ / 94 / 262 दिनांक 1.10.94	निवारक निरोध में रखे गये व्यक्तियों को मताधिकार की सुविधा देने के लिये प्रक्रिया का निर्धारण।	92–98
43.	प.4(2)(1)नपा / रानिआ / 94 / 6243 दिनांक 12.8.05	नपा आम चनावों में पत्रकारों को प्रथम मतदान बूथ एवं मतगणना केन्द्र पर फोटोग्राफी / विडियोग्राफी का निषेध।	99
44.	प.1(4)(9)पंचा / रानिआ / 94 / 295 दिनांक 14.10.94	मतदाता द्वारा मतपत्र के प्रतिपर्ण पर हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान लगाने से इन्कार करने पर मतपत्र व उसके प्रतिपर्ण के निस्तारण की प्रक्रिया संबंधी आदेश।	100
45.	प.4(2)(1)नपा / रानिआ / 03 / 5192 दिनांक 15.11.2009	मतदाता सहायता केन्द्र (Voter Assistance Booth) की स्थापना के संबंध मे।	101
46.	प.4(2)(1)नपा / रानिआ / 94 / 858 दिनांक 4.10.99	पीठासीन अधिकारियों की डायरी	102
47.	प.4(2)(1)नपा / रानिआ / 03 / 3131 दिनांक 10.9.09	मतदान हेतु मतदाता की पहचान के संबंध में – फोटो दस्तावेजों की अनिवार्यता।	103–104
48.	प.4(2)(1)नपा / रानिआ / 03 / 4796 दिनांक 9.11.09	मतदान हेतु मतदाता की पहचान के संबंध में – फोटो दस्तावेजों की अनिवार्यता।	105
49.	प.1(2)(1)नपा–पंचा / सा.आ / रानिआ / 14 / 494 दिनांक 11.2.14	मतदान हेतु मतदाता की पहचान के संबंध में – फोटो दस्तावेजों की अनिवार्यता।	106

क्र. सं.	पत्रांक / दिनांक	विषय वस्तु	पृष्ठ संख्या
1	2	3	4

भाग 7 –लोक नोटिस जारी करने, नामांकन पत्रों की प्राप्ति, जांच व वापसी के संबंध में।

50.	प.1(4)(1)नपा / रानिआ / 4 / 4024 दिनांक 16.09.2014	दो से अधिक संतान होने / दोष सिद्वी एवं विचाराधीन आपराधिक प्रकरणों में आधार पर निरर्हता।	107–111
51.	प.4(1)(10)नपा / रानिआ / 04–05 / 3359 दिनांक 25.9.09	दो से अधिक संतान होने पर निरर्हता	112
52.	प.4(1)(10)नपा / रानिआ / 94 / 7900 दिनांक 24.7.2000	दोष सिद्धि एवं विचाराधीन मुकदमों के संबंध में सूचना।	113–115
53.	प.7(1)(8)पंचा / रानिआ / 94 / 766 दिनांक 15.10.97	अभ्यर्थियों द्वारा निरर्हता बाबत् सूचना की घोषणा प्रस्तुत नहीं करने पर अपेक्षित कार्यवाही बाबत्।	116
54.	प.1(1)(1)नपा / रानिआ / 94 / 134 दिनांक 18.2.99	स्थानीय निकाय चुनावों में आरक्षित अध्यक्षीय पद के लिये चुनाव लड़ने हेतु सदस्यों की पात्रता।	117
55.	प.4(1)(10)नपा / रानिआ / 94 / 502 दिनांक 2.6.99	अभ्यर्थियों से निरर्हता बाबत् घोषणा 2 प्रतियों में प्राप्त करना।	118
56.	एफ.4(2)(1)पंचा / रानिआ / 03 / 502 दिनांक 29.03.2011	नगरपालिकाओं / पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचनों में अभ्यर्थियों द्वारा गलत घोषणा पत्र प्रस्तुत किये जाने पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 191 व 193 के अन्तर्गत कार्यवाही।	119–120

भाग 8 –चुनाव प्रतीकों के आवंटन बाबत्

57.	एफ.4(1)(1)नपा / रानिआ / 14 / 4270 दिनांक 26.09.2014	राजस्थान नगरपालिका (निर्वाचन) नियम, 1994 के नियम 20 के अधीन निर्वाचन प्रतीकों का एवं उनके आवंटन के बारे में निर्बन्धन विनिर्दिष्ट करने संबंधी अधिसूचना।	121–127

भाग 9 – इलेक्ट्रोनिक वोटिंग मशीनों से मतदान बाबत्

58.	प.1(2)(1)नपा–पंचा / सा.आ. / रानिआ / 14 / 3913 दिनांक 12.09.14	सां.आ. 94 / 14–आगामी नगरपालिका के समस्त निर्वाचन EVM से कराने की अधिसूचना	128
59.	एफ.4(2)(1)पंचा / नपा / रानिआ / 94 / 3060 दिनांक 28.10.99	सां.आ. 25 / 99–इलेक्ट्रोनिक वोटिंग मशीन के डिजाईन के संबंध में।	129
60.	एफ.4(2)(1)पंचा / नपा / रानिआ / 94 / 3149 दिनांक 6.11.99	सां.आ. 29 / 99–मतदान के पश्चात् पीठासीन अधिकारियों द्वारा वोटिंग मशीन को सील बंद करने एवं सुरक्षित करने बाबत् निर्देश।	130

क्र. सं.	पत्रांक / दिनांक	विषय वस्तु	पृष्ठ संख्या
1	2	3	4
61.	एफ.4(2)(1)पंचा / नपा / रानिआ / 94 / 3156 दिनांक 9.11.99	सां.आ. 34 / 99–इलेक्ट्रोनिक वोटिंग मशीन से मतदान में निर्वाचन स्टॉफ द्वारा डाक मतपत्र की प्रक्रिया के संबंध में निर्देश।	131
62.	प.1(2)(1)नपा–पंचा / सा.आ. / रानिआ / 14 / 4196 दिनांक 24.09.14	सां.आ. 34 / 99 में संशोधन	132
63.	प.3(56)स्टोर / रानिआ / EVM / 4572 दिनांक 09.10.14	EVM के उपयोग एवं प्रथम स्तरीय जांच के संबंध में दिशा निर्देश	133–153
64.	प.1(4)(1)नपा / रानिआ / 14 / 4422 दिनांक 30.09.14	EVM उपयोग के संबंध में निर्देश	154–160
65.	एफ.4(1)(6)नपा / रानिआ / 09 / 4545–46 दिनांक 08.10.14	इलेक्ट्रोनिक वांटिंग मशीन से मतदान में मतपत्रों एवं निविदत्त मतपत्रों के मुद्रण के लिये दिशा निर्देश।	161–171
66.	एफ.4(1)(6)नपा / रानिआ / 09 / 4550–51 दिनांक 08.10.14	इलेक्ट्रोनिक वांटिंग मशीन से मतदान में मतपत्रों एवं डाक मतपत्रों के मुद्रण हेतु दिशा निर्देश।	172–181

भाग 10 – बूथ कैप्चरिंग आदि के मामलों में प्रतिवेदन बाबत्

67.	एफ.4(1)(13)नपा / रानिआ / 94 / 3283 दिनांक 18.11.99	मतदान स्थगन / नये सिरे से मतदान के मामलों में रिटर्निंग ऑफिसर की रिर्पोट के लिये संशोधित प्ररूप।	182–187

भाग 11 – मतगणना व परिणामों की घोषणा के संबंध में

68.	प.4(1)(1)नपा / रानिआ / 94 / 362 दिनांक 27.10.94 (सां.आ.7 / 94)	मतगणना केन्द्र में प्रवेश के लिये गणन अभिकर्ता के लिये निर्देश।	188
69.	प.1(4)(1)नपा / रानिआ / 14 / 3803–4 दिनांक 08.09.14	EVM से मतगणना प्रक्रिया के संबंध में दिशा निर्देश	189–203
70.	प.1(2)(1)नपा–पंचा / सा.आ. / रानिआ / 14 / 3305 दिनांक 19.08.14	नियम 45A के विलोपन के कारण प्रारूप 14–ग के प्रथम भाग के बिन्दु संख्या 3 के सम्मुख निल अंकित करने हेतु	204
71.	प.4(1)(2)नपा / रानिआ / 94 / 1063 दिनांक 13.12.94	निर्वाचित घोषित अभ्यर्थियों की निक्षेप राशि लौटाने बाबत्।	205

भाग 12 – अध्यक्षीय / उपाध्यक्षीय पदों का चुनाव

72.	प.7(1)(8)पंचा / रानिआ / 05 / 6242 दिनांक 12.8.05	नपा आम चुनाव 05 – अभ्यर्थी द्वारा नाम निर्देशन पत्रों के साथ प्रस्तुत घोषण पत्र / शपथ पत्र के संबंध में।	206
73.	प.4(1)(2)नपा / रानिआ / 04 / 683 दिनांक 17.11.94	निर्वाचित सदस्यों की शपथ के संबंध में।	207

क्र.सं.	पत्रांक / दिनांक	विषय वस्तु	पृष्ठ संख्या
1	2	3	4
74.	प.1(4)(1)नपा / रानिआ / 14 / 3175 दिनांक 02.09.14	अध्यक्षीय / उपाध्यक्षीय पदो के परिणाम के संबंध में	208–209
75.	एफ.4(2)(1)पंचा / नपा / रानिआ / 94 / 3157 दिनांक 9.11.99	सां.आ. 35 / 99 डाक मतपत्रों की गणना के संबंध में।	210–211
76.	प.1(2)(1)नपा–पंचा / सा.आ. / रानिआ / 14 / 3727 दिनांक 03.09.14	आदेश क्रमांक 3157 दि. 9.11.99 (सां.आ. 35 / 99) में संशोधन के संबंध में	212–213
77.	प.1(4)(1)नपा / रानिआ / 14 / 4612 दिनांक 11.10.14	अध्यक्षीय / उपाध्यक्षीय पदो के निर्वाचन हेतु दिशा निर्देश	214–224

भाग 13 – विविध

78.	प.1(2)(1)नपा–पंचा / सा.आ. / रानिआ / 14 / 3585 दिनांक 28.08.14	अध्यक्षीय पदो के प्रत्यक्ष निर्वाचन हेतु जारी सां.आ. / अधिसूचनाओं को प्रत्याहरित करने के संबंध में	225
79.	F.4(1)(6)M/SEC/94/513 Dt. 7.11.94	Rate of sale price of lists of polling stations and printed forms.	226
80.	सां.आ. / 20 / 95 / 1442 (क्रमांक: एफ.1(2)(2)नपा / रानिआ / 94 / 1442 दिनांक 8.5.95	राजस्थान नगरपालिका (निर्वाचन) नियम, 1994 के नियम 75 के अधीन निर्वाचन संबंधी कागज पत्रों के निपटारे के संबंध में।	227–229
81.	Order No.F.4(2)(1)P&M/SEC/ 94/ 2332 Dt. 28.8.95	Divisional Commissioners are 7uthorized for general supervision on the conduct of elections and treating them and the officers/officials detailed for their assistance on election duty to enter into polling stations and counting centres.	230
82.	एफ.4(2)(1)पंचु / नपा / 94 / 566 दिनांक 21.5.99	नगरपालिका वार्डों के आरक्षण की प्रक्रिया में आने वाली कठिनाईयों के निवारण हेतु निदेशक, सीनीय निकाय को अधिकृत करने बाबत् सांबिधिक आदेश।	231
83.	एफ.4(2)(1)पंचा / नपा / रानिआ / 94 / 3148 दिनांक 6.11.99	सा.आ. 28 / 99–निर्वाचन संबंधी कागज पत्रों के निरीक्षण एवं प्रतिलिपि जारी करने के संबंध।	232
84.	एफ.4(2)(1)पंचा / नपा / रानिआ / 94 / 3150 दिनांक 6.11.99	सा.आ. 30 / 99–चुनाव परिणाम के बाद कागज पत्रों का निपटारा करने बाबत्।	233–235
85.	प.4(2)(1)पंचा / नपा / रानिआ / 94 / 3153 दिनांक 9.11.99	सा.आ. 31 / 99–चुनाव के बाद रिटर्निंग अधिकारियों द्वारा रिकार्ड की अभिरक्षा के संबंध में निर्देश।	236

क्र.सं.	पत्रांक / दिनांक	विषय वस्तु	पृष्ठ संख्या
1	2	3	4
86.	प.4(2)(1)पंचा / नपा / रानिआ / 94 / 3154 दिनांक 9.11.99	सा.आ. 32 / 99—निर्वाचन अधिकारी की अभिरक्षा में चुनाव संबंधी रिकार्ड निरीक्षण व प्रतिलिपि लेने के संबंध में।	237
87.	एफ.7(6)(5)पंचायत निर्वाचन/ सचिवालय / 2003 / 374 दिनांक 7.2.2004	अभ्यर्थियों के नामनिर्देशन पत्र के साथ स्वघोषणा पत्र।	238—246
88.	प.4(1)(7)नपा / रानिआ / 09 / 975 दिनांक 20.03.14	स्वघोषणा पत्र में कॉलम रिक्त छोड़ने पर नाम निर्देशन पत्र को अस्वीकार करने के संबंध में	247
89.	प.4(2)(1)नपा / रानिआ / 03 / 7127 दिनांक 04.01.10	मुद्रित फार्मों के विक्रय दर के संबंध में	248

भाग 13 — लेखा संबंधी आदेश / निर्देश

90.	प.1(32)रानिआ / लेखा / बजट / 2014—15 / 3451 दि. 22.08.14	EVM की प्रथम स्तरीय जांच हेतु दरों का निर्धारण	249
91.	प.1(21)SEC/Acctt/2014 / 3261 दिनांक 12.8.14	Honarium/ Remuneration to officers for preparation & revision of electoral rolls 2014-15	250
92.	प.1(23)(2)SEC/Acctt/2014 / 2655 दिनांक 24.6.14	Procedure for settlement of hire & detention charges at the motor vehicle.	251—253
93.	प.1(20)(2)SEC/Acctt/OR/2014—15 / 3747 दिनांक 03.9.14	एक मुश्त भुगतान हेतु	254—256
94.	प.1(27)SEC/Acctt/14—15 / 3697 दिनांक 2.9.14	Regarding payment of Honarium to officers deputed in M/P elections, 2009	257
95.	प.1(29)(2)रानिआ / लेखा / बजट / 14—15 / 4514 दिनांक 24.9.14	विडियोग्राफी / टैन्ट, बैरिकेटिंग की की व्यय सीमा निर्धारण हेतु	258—259
96.	प.1(22)रानिआ / लेखा / 14—15 / 4460 दिनांक 2.10.14	Special Procedural for Payment of T.A. Claims at flate rates of the staff engaged in Election Duty	260—266

राज्य निर्वाचन आयोग

क्रमांकः एफ.1(3)(1)नपा/रानिआ/94/262 जयपुर,दिनांकः—22.8.94

आदेश

राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 1959 (1959 का अधिनियम संख्या 38) की धारा 19 ख द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान, राज्य सरकार के परामर्श से राज्य के सभी जिला कलेक्टर्स को संबंधित जिला क्षेत्रों के लिये जिला निर्वाचन अधिकारी के रूप में एतद् द्वारा पदाभिहित/नाम निर्दिष्ट करता है।

ह.
(बी. बी. महान्ति)
सचिव,
राज्य निर्वाचन आयोग,
राजस्थान, जयपुर

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(द्वितीय तल, विकास खण्ड सचिवालय, जयपुर–302005

क्रमांकः प.1(2)(1)नपा–पंचा/सां.आ./रानिआ/14/3464 दिनांक : 22.08.2014

आदेश

आयोग के आदेश क्रमांक प. 1(3)(1)नपा/रानिआ/94/262 जयपुर दिनांक 22.08.1994 के द्वारा राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 1959 की धारा 19 ख (राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 की धारा 17(1)) के अन्तर्गत राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा राज्य सरकार के परामर्श से सभी जिला कलक्टर्स को संबंधित जिला क्षेत्रों के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी के रूप में पदाभिहित/नाम निर्दिष्ट किया हुआ है।

राजस्थान नगरपालिका (निर्वाचन) नियम, 1994 के नियम 8 के अनुसार जिला नगरपालिका निर्वाचन अधिकारी, राज्य निर्वाचन आयोग के अधीक्षण, निर्देशन एवं नियत्रंण में अपने जिले हेतु नगरपालिका निर्वाचन के लिए समग्र प्रभारी होगा। अतः आयोग यह निर्देश प्रदान करता है कि उक्त आदेश क्रमांक 262/22.08.1994 द्वारा पदाभिहित/नाम निर्दिष्ट जिला निर्वाचन अधिकारी ही उनके जिले में नगरपालिका निर्वाचनों के लिए जिला नगरपालिका निर्वाचन अधिकारी होंगे।

आज्ञा से,
–ह0–
(सत्य प्रकाश बसवाला)
मुख्य निर्वाचन अधिकारी एवं सचिव
राज्य निर्वाचन आयोग
राज., जयपुर

राज्य निर्वाचन आयोग

क्रमांकः एफ. 4(1)(6)नपा / रानिआ / 94 / 299 जयपुर,दिनांकः14.10.94

प्रेषकः—

मुख्य निर्वाचक अधिकारी एवं सचिव,
राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान, जयपुर

प्रेषितः—

अध्यक्ष / सचिव,
समस्त मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल, राजस्थान

विषयः— मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को पंचायत एवं नगरपालिका मतदाता सूचियों के दो—दो सेट निःशुल्क दिलाये जाने के संबंध में।

प्रसंगः— राज्य निर्वाचन आयोग का पत्र क्रमांकः एफ. 4(1)(1)पंचा / रानिआ / 94 / 206 जयपुर, दिनांकः 26.9.94

प्रासंगिक पत्र के द्वारा राज्य निर्वाचन आयोग ने यह अवगत कराया था कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा प्रसारित चुनाव प्रतीक ;आवंटन व आरक्षणद्ध आदेश 1968 के प्रावधानों के अधीन मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को पंचायत एवं नगरपालिका मतदाता सूचियों के 2—2 सेट निःशुल्क मतदाता सूचियों के अंतिम प्रकाशन के पश्चात् दिलवाये जायेंगे।

चूँकि राजनीतिक दल निर्वाचक नामावलियों के प्रारूप प्रकाशन के पश्चात् छूटे हुये नामों, गलत नामों के अंकन व अशुद्व प्रविष्टियों के संबंध में सहयोग कर सकते है, अतः ऐसी स्थिति में मतदाता सूचियों के प्रारूप प्रकाशन के तुरन्त बाद ही राजनीतिक दलों को मतदाता सूचियों का एक सेट मिलना उपयोगी रहेगा। ऐसी स्थिति में आयोग द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को दिये जाने वाले 2—2 निःशुल्क सेटों में से एक सेट तो मतदाता सूचियों के प्रारूप प्रकाशन के समय तथा दूसरा सेट मतदाता सूचियों के अंतिम प्रकाशन के पश्चात् संबंधित निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी द्वारा ऐसे मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्राधिकृत प्रतिनिधि को निःशुल्क दिये जायें।

आज्ञा से,
ह.
सचिव,
राज्य निर्वाचन आयोग,
राजस्थान, जयपुर

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(द्वितीय तल, विकास खण्ड, सचिवालय, जयपुर–302005)

क्रमांकःएफ.1(3)(1)न.पा. / रानिआ / 94 / I / 2345 दिनांकः 26.05.2014

आदेश

राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 (2009 का अधिनियम संख्या – 18) की धारा 13 की उप धारा (1) एवं (3) के उपबन्धों के अनुसरण में पूर्व में जारी समस्त आदेशों को अतिक्रमित करते हुए राज्य निर्वाचन आयोग निम्नांकित सारणी के स्तम्भ–2 में विनिर्दिष्ट राजस्थान राज्य के जिले में स्थित सारणी के स्तम्भ–3 में विनिर्दिष्ट नगरपालिका क्षेत्र के लिए स्तम्भ–4 में विनिर्दिष्ट अधिकारियों को निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी एवं सारणी के स्तम्भ–5 में विनिर्दिष्ट अधिकारियों को सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी के रूप में पदाभिहित करता है :–

सारणी

क्र. सं.	जिले का नाम	नगरपालिका / परिषद / निगम का नाम	निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी	सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी
1	2	3	4	5
1.	अजमेर	अजमेर	1. अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, (सिटी) अजमेर (विधानसभा क्षेत्र अजमेर दक्षिण में सम्मिलित वार्ड हेतु) 2. सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (मुख्या) अजमेर (विधानसभा क्षेत्र अजमेर उत्तर में सम्मिलित वार्ड हेतु)	1. तहसीलदार, अजमेर 2. सहायक भू–प्रबंध अधिकारी, अजमेर
		ब्यावर	उप खण्ड मजिस्ट्रेट, ब्यावर	तहसीलदार, ब्यावर
		किशनगढ़	उप खण्ड मजिस्ट्रेट, किशनगढ़	तहसीलदार, किशनगढ़
		विजयनगर	उप खण्ड मजिस्ट्रेट, मसूदा	तहसीलदार, विजयनगर
		सरवाड़	उप खण्ड मजिस्ट्रेट, सरवाड	तहसीलदार, सरवाड़
		केकड़ी	उप खण्ड मजिस्ट्रेट, केकड़ी	तहसीलदार, केकड़ी
		पुष्कर	उप खण्ड मजिस्ट्रेट, पुष्कर	तहसीलदार, पुष्कर
2.	अलवर	अलवर	उप खण्ड अधिकारी अलवर	तहसीलदार, अलवर
		बहरोड़	उप खण्ड अधिकारी, बहरोड़	तहसीलदार, बहरोड़
		तिजारा	उप खण्ड अधिकारी, तिजारा	तहसीलदार, तिजारा
		भिवाडी	उप खण्ड अधिकारी, तिजारा	तहसीलदार, तिजारा
		खैरथल	उप खण्ड अधिकारी, किशनगढ़ बास	तहसीलदार, किशनगढ़ बास
		राजगढ़	उप खण्ड अधिकारी, राजगढ़	तहसीलदार, राजगढ़
		खेड़ली	उप खण्ड अधिकारी, कठूमर	तहसीलदार, कठूमर
3.	बांसवाड़ा	बांसवाड़ा	उप खण्ड मजिस्ट्रेट, बांसवाड़ा	तहसीलदार, बांसवाड़ा
		कुशलगढ़	उप खण्ड मजिस्ट्रेट, कुशलगढ़	तहसीलदार, कुशलगढ़
4.	बारां	बारां	उप खण्ड अधिकारी (एस.डी.एम.), बांरा	तहसीलदार, बांरा
		अन्ता	उप खण्ड अधिकारी (एस.डी.एम.), अन्ता	तहसीलदार, अन्ता
		छबड़ा	उप खण्ड अधिकारी (एस.डी.एम.), छबड़ा	तहसीलदार, छबड़ा
		मांगरोल	उप खण्ड अधिकारी (एस.डी.एम.), मांगरोल	तहसीलदार, मांगरोल
5.	बाड़मेर	बाड़मेर	उप खण्ड मजिस्ट्रेट, बाड़मेर	तहसीलदार, बाड़मेर
		बालोतरा	उप खण्ड मजिस्ट्रेट, बालोतरा	तहसीलदार, पचपदरा
6.	भरतपुर	भरतपुर	उप खण्ड अधिकारी एवं उप खण्ड मजिस्ट्रेट, भरतपुर	तहसीलदार, भरतपुर
		कामां	उप खण्ड अधिकारी एवं उप खण्ड मजिस्ट्रेट, कामां	तहसीलदार, कामां
		नगर	उप खण्ड अधिकारी एवं उप खण्ड मजिस्ट्रेट, नगर	तहसीलदार, नगर
		ड़ीग	उप खण्ड अधिकारी एवं उप खण्ड मजिस्ट्रेट, डीग	तहसीलदार, डीग
		कुम्हेर	उप खण्ड अधिकारी एवं उप खण्ड मजिस्ट्रेट, कुम्हेर	तहसीलदार, कुम्हेर
		नदबई	उप खण्ड अधिकारी एवं उप खण्ड मजिस्ट्रेट, नदबई	तहसीलदार, नदबई
		वैर	उप खण्ड अधिकारी एवं उप खण्ड मजिस्ट्रेट, वैर	तहसीलदार, वैर
		भुसावर	उप खण्ड अधिकारी एवं उप खण्ड मजिस्ट्रेट, भुसावर	तहसीलदार, भुसावर
		बयाना	उप खण्ड अधिकारी एवं उप खण्ड मजिस्ट्रेट, बयाना	तहसीलदार, बयाना
7.	भीलवाड़ा	भीलवाड़ा	उप खण्ड मजिस्ट्रेट, भीलवाड़ा	तहसीलदार, भीलवाड़ा
		आसीन्द	उप खण्ड मजिस्ट्रेट, आसीन्द	तहसीलदार, आसीन्द
		गंगापुर	उप खण्ड मजिस्ट्रेट, गंगापुर	तहसीलदार, सहाडा मु. गंगापुर
		शाहपुरा	उप खण्ड मजिस्ट्रेट, शाहपुरा	तहसीलदार, शाहपुरा
		गुलाबपुरा	उप खण्ड मजिस्ट्रेट, गुलाबपुरा	तहसीलदार, हुरड़ा
		जहाजपुर	उप खण्ड मजिस्ट्रेट, जहाजपुर	तहसीलदार, जहाजपुर
		माण्ड़लगढ़	उप खण्ड मजिस्ट्रेट, माण्ड़लगढ़	तहसीलदार, माण्ड़लगढ़

क्र. सं.	जिले का नाम	नगरपालिका / परिषद / निगम का नाम	निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी	सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी
1	2	3	4	5
8.	बीकानेर	बीकानेर	अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (शहर), बीकानेर (बीकानेर पश्चिम विधानसभा क्षेत्र के 30 वार्ड हेतु)	तहसीलदार (राजस्व), बीकानेर
			उपखण्ड मजिस्ट्रेट, बीकानेर (बीकानेर पूर्व विधानसभा क्षेत्र के 30 वार्ड हेतु)	तहसीलदार, भूअनि बीकानेर
		नोखा	उप खण्ड मजिस्ट्रेट, नोखा	तहसीलदार, नोखा
		देशनोक	उप खण्ड मजिस्ट्रेट, बीकानेर	तहसीलदार, भूअनि, बीकानेर
		डूँगरगढ़	उप खण्ड मजिस्ट्रेट, डूँगरगढ़	तहसीलदार, डूँगरगढ़
9.	बून्दी	बून्दी	उप खण्ड अधिकारी, बून्दी	तहसीलदार, बून्दी
		नैनवां	उप खण्ड अधिकारी, नैनवां	तहसीलदार, नैनवां
		केशोरायपाटन	उप खण्ड अधिकारी, केशोरायपाटन	तहसीलदार, केशोरायपाटन
		कापरेन	उप खण्ड अधिकारी, तालेडा	तहसीलदार, तालेडा
		लाखेरी	उप खण्ड अधिकारी, लाखेरी	तहसीलदार, हिण्ड़ोली
		इन्द्रगढ़	उप खण्ड अधिकारी, हिण्ड़ोली	तहसीलदार, इन्द्रगढ़
10.	चित्तौड़गढ़	चित्तौड़गढ़	उप खण्ड़ मजिस्ट्रेट, चित्तौड़गढ़	तहसीलदार, चित्तौड़गढ़
		रावतभाटा	उप खण्ड़ मजिस्ट्रेट, रावतभाटा	तहसीलदार, रावतभाटा
		कपासन	उप खण्ड़ मजिस्ट्रेट, कपासन	तहसीलदार, कपासन
		बेगूं	उप खण्ड़ मजिस्ट्रेट, बेगूं	तहसीलदार, बेगूं
		बड़ीसादड़ी	उप खण्ड़ मजिस्ट्रेट, बड़ीसादड़ी	तहसीलदार, बड़ीसादड़ी
		निम्बाहेड़ा	उप खण्ड़ मजिस्ट्रेट, निम्बाहेड़ा	तहसीलदार, निम्बाहेड़ा
11.	चुरू	राजगढ़	उप खण्ड़ मजिस्ट्रेट, राजगढ़	तहसीलदार, राजगढ़
		तारानगर	उप खण्ड़ मजिस्ट्रेट, तारानगर	तहसीलदार, तारानगर
		सरदारशहर	उप खण्ड़ मजिस्ट्रेट, सरदारशहर	तहसीलदार, सरदारशहर
		चुरू	उप खण्ड़ मजिस्ट्रेट, चुरू	तहसीलदार, चुरू
		रतननगर	उप खण्ड़ मजिस्ट्रेट, चुरू	तहसीलदार, चुरू
		रतनगढ़	उप खण्ड़ मजिस्ट्रेट, रतनगढ़	तहसीलदार, रतनगढ़
		राजलदेसर	उप खण्ड़ मजिस्ट्रेट, रतनगढ़	तहसीलदार, रतनगढ़
		सुजानगढ़	उप खण्ड़ मजिस्ट्रेट, सुजानगढ़	तहसीलदार, सुजानगढ़
		छापर	उप खण्ड़ मजिस्ट्रेट, सुजानगढ़	तहसीलदार, सुजानगढ़
		बीदासर	उप खण्ड़ मजिस्ट्रेट, बीदासर	तहसीलदार, बीदासर
12.	दौसा	दौसा	उप खण्ड अधिकारी, दौसा	तहसीलदार, दौसा
		लालसोट	उप खण्ड अधिकारी, लालसोट	तहसीलदार, लालसोट
		बांदीकुई	उप खण्ड अधिकारी, बांदीकुई	तहसीलदार, बसवा
13.	धौलपुर	धौलपुर	उप खण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, धौलपुर	तहसीलदार एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट, धौलपुर
		बाड़ी	उप खण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, बाड़ी	तहसीलदार एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट, बाड़ी
		राजाखेड़ा	उप खण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, राजाखेड़ा	तहसीलदार एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट, राजाखेड़ा
14.	डूँगरपुर	डूँगरपुर	उप खण्ड अधिकारी एवं उप खण्ड मजिस्ट्रेट, डूँगरपुर	तहसीलदार, डूँगरपुर
		सागवाड़ा	उप खण्ड अधिकारी एवं उप खण्ड मजिस्ट्रेट, सागवाड़ा	तहसीलदार, सागवाड़ा
15.	श्रीगंगानगर	सादुलशहर	उप खण्ड अधिकारी एवं उप खण्ड़ मजिस्ट्रेट, सादुलशहर	तहसीलदार, सादुलशहर
		गंगानगर	उप खण्ड अधिकारी एवं उप खण्ड़ मजिस्ट्रेट, गंगानगर	तहसीलदार, गंगानगर
		करणपुर	उप खण्ड अधिकारी एवं उप खण्ड़ मजिस्ट्रेट, करणपुर	तहसीलदार, करणपुर
		केसरीसिंहपुर	उप खण्ड अधिकारी एवं उप खण्ड़ मजिस्ट्रेट, करणपुर	तहसीलदार, करणपुर
		पदमपुर	उप खण्ड अधिकारी एवं उप खण्ड़ मजिस्ट्रेट, पदमपुर	तहसीलदार, पदमपुर
		गजसिंहपुर	उप खण्ड अधिकारी एवं उप खण्ड़ मजिस्ट्रेट, पदमपुर	तहसीलदार, पदमपुर
		रायसिंहनगर	उप खण्ड़ अधिकारी एवं उप खण्ड़ मजिस्ट्रेट, रायसिंहनगर	तहसीलदार, रायसिंहनगर
		विजयनगर	उप खण्ड अधिकारी एवं उप खण्ड़ मजिस्ट्रेट, विजयनगर	तहसीलदार, विजयनगर
		अनूपगढ़	उप खण्ड अधिकारी एवं उप खण्ड़ मजिस्ट्रेट, अनूपगढ़	तहसीलदार, अनूपगढ़
		सूरतगढ़	उप खण्ड अधिकारी एवं उप खण्ड़ मजिस्ट्रेट, सूरतगढ़	तहसीलदार, सूरतगढ़

क्र. सं.	जिले का नाम	नगरपालिका / परिषद / निगम का नाम	निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी	सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी
1	2	3	4	5
16.	हनुमानगढ़	हनुमानगढ़	उप खण्ड़ मजिस्ट्रेट, हनुमानगढ़	1. तहसीलदार, हनुमानगढ़ 2. उप पंजीयक, हनुमानगढ
		पीलीबंगा	उप खण्ड़ मजिस्ट्रेट, पीलीबंगा	तहसीलदार, पीलीबंगा
		संगरिया	उप खण्ड़ मजिस्ट्रेट, संगरिया	तहसीलदार, संगरिया
		रावतसर	उप खण्ड़ मजिस्ट्रेट, रावतसर	तहसीलदार, रावतसर
		नोहर	उप खण्ड़ मजिस्ट्रेट, नोहर	तहसीलदार, नोहर
		भादरा	उप खण्ड़ मजिस्ट्रेट, भादरा	तहसीलदार, भादरा
17.	जयपुर	जयपुर **विधानसभा क्षेत्र** विद्याधरनगर (वार्ड सं. 1 से 10)	सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट, आमेर मुख्यालय, जयपुर	उप पंजीयक (तृतीय), जयपुर
		झोटवाड़ा (वार्ड सं. 11 से 14)	सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट, (फास्ट ट्रेक) आमेर मुख्यालय, जयपुर	उप पंजीयक (चतुर्थ), जयपुर
		सिविल लाईन्स (वार्ड सं. 15 से 23)	सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट, जयपुर शहर–द्वितीय	उप पंजीयक (द्वितीय), जयपुर
		सांगानेर (वार्ड सं. 24 से 32)	उप खण्ड अधिकारी एवं उप खण्ड मजिस्ट्रेट, सांगानेर	उप पंजीयक (प्रथम), सांगानेर
		बगरू (वार्ड सं. 33 से 36)	उप खण्ड अधिकारी एवं उप खण्ड मजिस्ट्रेट, जयपुर शहर (दक्षिण)	तहसीलदार, सांगानेर
		मालवीय नगर (वार्ड सं. 37 से 46)	उप खण्ड अधिकारी एवं उप खण्ड मजिस्ट्रेट, जयपुर शहर (पूर्व)	उप पंजीयक (पंचम), जयपुर
		आदर्श नगर (वार्ड सं. 47 से 55)	उप खण्ड अधिकारी एवं उप खण्ड मजिस्ट्रेट, जयपुर शहर (उत्तर)	तहसीलदार, जयपुर
		किशनपोल (वार्ड सं. 56 से 66)	उप खण्ड अधिकारी एवं उप खण्ड मजिस्ट्रेट, जयपुर	उप पंजीयक (प्रथम), जयपुर
		हवामहल (वार्ड सं. 67 से 76)	सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट, जयपुर शहर	तहसीलदार (कृषि भूमि रूपान्तरण) जयपुर
		आमेर (वार्ड सं. 77)	उप खण्ड अधिकारी एवं उप खण्ड मजिस्ट्रेट, आमेर	तहसीलदार, आमेर
		कोटपूतली	उप खण्ड मजिस्ट्रेट, कोटपूतली	तहसीलदार, कोटपूतली
		विराटनगर	उप खण्ड मजिस्ट्रेट, विराटनगर	तहसीलदार, विराटनगर
		शाहपुरा	उप खण्ड मजिस्ट्रेट, शाहपुरा	तहसीलदार, शाहपुरा
		चौंमू	उप खण्ड मजिस्ट्रेट, चौंमू	तहसीलदार, चौमू
		सांभर	उप खण्ड मजिस्ट्रेट, सांभर	तहसीलदार, फुलेरा, मु0 सांभर
		फुलेरा	उप खण्ड मजिस्ट्रेट, दूदू	तहसीलदार, मौजमाबाद
		जोबनेर	सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट, आमेर	नायब तहसीलदार, सांभर
		किशनगढ़ रेनवाल	सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट, सांभर	तहसीलदार, किशनगढ रेनवाल
		बगरू	उप खण्ड मजिस्ट्रेट, द्वितीय, जयपुर	तहसीलदार, सांगानेर
		चाकसू	उप खण्ड मजिस्ट्रेट, चाकसू	तहसीलदार, चाकसू
		बस्सी	उप खण्ड मजिस्ट्रेट, बस्सी	तहसीलदार, बस्सी
18.	जैसलमेर	जैसलमेर	उप खण्ड़ मजिस्ट्रेट , जैसलमेऱ	तहसीलदार, जैसलमेऱ
		पोकरण	उप खण्ड़ मजिस्ट्रेट, पोकरण	तहसीलदार, पोकरण
19.	जालोर	जालोर	उप खण्ड़ अधिकारी, जालोर	तहसीलदार, जालोर
		भीनमाल	उप खण्ड़ अधिकारी, भीनमाल	तहसीलदार, भीनमाल
		सांचोर	उप खण्ड़ अधिकारी, सांचोर	तहसीलदार, सांचोर
20.	झालावाड़	झालावाड़	उप खण्ड़ मजिस्ट्रेट, झालावाड़	तहसीलदार, झालरापाटन
		झालरापाटन	उप खण्ड़ मजिस्ट्रेट, झालावाड़	तहसीलदार, झालरापाटन
		पिड़ावा	उप खण्ड़ मजिस्ट्रेट, पिड़ावा	तहसीलदार, पिड़ावा
		अकलेरा	उप खण्ड़ मजिस्ट्रेट, अकलेरा	तहसीलदार, अकलेरा
		भवानीमंडी	उप खण्ड़ मजिस्ट्रेट, भवानीमंडी	तहसीलदार, पचपहाड
21.	झुन्झुनू	झुन्झुनू	उप खण्ड़ मजिस्ट्रेट, झुन्झुनू	तहसीलदार, झुन्झुनू
		बगड़	उप खण्ड़ मजिस्ट्रेट, झुन्झुनू	तहसीलदार, झुन्झुनू
		मण्डावा	उप खण्ड़ मजिस्ट्रेट, झुन्झुनू	तहसीलदार, झुन्झुनू
		बिसाऊ	उप खण्ड़ मजिस्ट्रेट, मलसीसर	तहसीलदार, मलसीसर
		चिड़ावा	उप खण्ड़ मजिस्ट्रेट, चिड़ावा	तहसीलदार, चिड़ावा
		पिलानी	उप खण्ड़ मजिस्ट्रेट, सूरजगढ	तहसीलदार, सूरजगढ
		विद्याविहार	उप खण्ड़ मजिस्ट्रेट, सूरजगढ	तहसीलदार, सूरजगढ
		सूरजगढ़	उप खण्ड़ मजिस्ट्रेट, सूरजगढ	तहसीलदार, सूरजगढ
		खेतड़ी	उप खण्ड़ मजिस्ट्रेट, खेतड़ी	तहसीलदार, खेतड़ी
		उदयपुरवाटी	उप खण्ड़ मजिस्ट्रेट, उदयपुरवाटी	तहसीलदार, उदयपुरवाटी

क्र. सं.	जिले का नाम	नगरपालिका / परिषद / निगम का नाम	निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी	सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी
1	2	3	4	5
		नवलगढ़	उप खण्ड मजिस्ट्रेट, नवलगढ़	तहसीलदार, नवलगढ़
		मुकुन्दगढ़	उप खण्ड मजिस्ट्रेट, नवलगढ़	तहसीलदार, नवलगढ़
22.	जोधपुर	विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र सूरसागर, जोधपुर	उप खण्ड मजिस्ट्रेट, जोधपुर	1. तहसीलदार, जोधपुर (वार्ड सं. 1 से 6) 2. तहसीलदार (पश्चिम) जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर (वार्ड सं. 7 से 12) 3. तहसीलदार (दक्षिण) जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर (वार्ड सं. 13 से 17) 4. उप पंजीयक चतुर्थ, जोधपुर (वार्ड सं. 18 से 22 एवं 65)
		विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र, जोधपुर	अति. कलक्टर एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट–शहर, जोधपुर	1. उप पंजीयक तृतीय, जोधपुर (वार्ड सं. 23 से 27) 2. तहसीलदार (उत्तर) जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर (वार्ड सं. 28 से 32) 3. तहसीलदार (पूर्व) जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर (वार्ड सं. 33 से 37) 4. तहसीलदार भू–अभिलेख, जोधपुर (वार्ड सं. 38 से 41 एवं 47,48)
		विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र, सरदारपुरा	अति. कलक्टर एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट–द्वितीय, जोधपुर	1. उप पंजीयक (प्रथम), जोधपुर (वार्ड सं. 42 से 46) 2. उप पंजीयक (द्वितीय), जोधपुर (वार्ड सं. 49 से 53) 3. सहायक भू–प्रबंध अधिकारी, जोधपुर (वार्ड सं. 54 से 58) 4. सहायक वन बंदोबस्त अधिकारी, जोधपुर (वार्ड सं. 59 से 64)
		फलौदी	उप खण्ड मजिस्ट्रेट, फलौदी	तहसीलदार, फलौदी
		बिलाड़ा	उप खण्ड मजिस्ट्रेट, बिलाड़ा	तहसीलदार, बिलाड़ा
		पीपाड़शहर	उप खण्ड मजिस्ट्रेट, पीपाड़शहर	तहसीलदार, पीपाडशहर
		भोपालगढ **(नवगठित)**	उप खण्ड मजिस्ट्रेट, भोपालगढ	तहसीलदार, भोपालगढ
23.	करौली	करौली	उप खण्ड अधिकारी, करौली	तहसीलदार, करौली
		हिण्डौन	उप खण्ड अधिकारी, हिण्डौन	तहसीलदार, हिण्डौन
		टोडाभीम	उप खण्ड अधिकारी, टोडाभीम	तहसीलदार, टोडाभीम
24.	कोटा	कोटा	अतिरिक्त जिला कलॅक्टर (नगर), कोटा	1. तहसीलदार, नगर विकास न्यास, कोटा 2. तहसीलदार (भू–अभिलेख), कोटा
			सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (मुख्यालय) कोटा	1. उप पंजीयक प्रथम, कोटा 2. नायब तहसीलदार, लाडपुरा
			उप खण्ड मजिस्ट्रेट, कोटा	1. तहसीलदार, लाडपुरा 2. प्रधानाध्यापक, पटवार प्रशिक्षण शाला, कोटा
		कैथून	उप खण्ड मजिस्ट्रेट, कोटा	तहसीलदार, लाड़पुरा
		सांगोद	उप खण्ड मजिस्ट्रेट, सांगोद	तहसीलदार, सांगोद
		रामगंजमण्डी	उप खण्ड मजिस्ट्रेट, रामगंजमण्डी	तहसीलदार, रामगंजमण्डी
		ईटावा **(नवगठित)**	उप खण्ड मजिस्ट्रेट, ईटावा	तहसीलदार, पीपलदा
25.	नागौर	नागौर	उप खण्ड अधिकारी, नागौर	तहसीलदार, नागौर
		लाडनूं	उप खण्ड अधिकारी, लाड़नूं	तहसीलदार, लाड़नू
		ड़ीडवाना	उप खण्ड अधिकारी, ड़ीडवाना	तहसीलदार, ड़ीडवाना
		नावां	उप खण्ड अधिकारी, नावां	तहसीलदार, नावां
		कुचामन	उप खण्ड अधिकारी, कुचामन	तहसीलदार, कुचामन
		मकराना	उप खण्ड अधिकारी, मकराना	तहसीलदार, मकराना
		परबतसर	उप खण्ड अधिकारी, परबतसर	तहसीलदार, परबतसर
		मेड़ता	उप खण्ड अधिकारी, मेड़ता	तहसीलदार, मेड़ता
		कुचेरा	उप खण्ड अधिकारी, खींवसर	तहसीलदार, खींवसर
		मूण्ड़वा	सहायक कलक्टर (मुख्यालय), नागौर	तहसीलदार, मूण्डवा
		डेगाना **(नवगठित)**	उप खण्ड अधिकारी, डेगाना	तहसीलदार, डेगाना
26.	पाली	पाली	उप खण्ड मजिस्ट्रेट, पाली	तहसीलदार, पाली
		जैतारण	उप खण्ड मजिस्ट्रेट, जैतारण	तहसीलदार, जैतारण

क. सं.	जिले का नाम	नगर पालिका/परिषद/निगम का नाम	निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी	सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी
	1	2	3	3
		सोजत सिटी	उप खण्ड़ मजिस्ट्रेट, सोजत	तहसीलदार, सोजत
		सादड़ी	उप खण्ड़ मजिस्ट्रेट, देसूरी	तहसीलदार, देसूरी
		बाली	उप खण्ड़ मजिस्ट्रेट, बाली	तहसीलदार, बाली
		खुडाला फालना स्टेशन	उप खण्ड़ मजिस्ट्रेट, बाली	तहसीलदार, बाली
		रानी खुर्द	उप खण्ड़ मजिस्ट्रेट, रानी	तहसीलदार, रानी
		सुमेरपुर	उप खण्ड़ मजिस्ट्रेट, सुमेरपुर	तहसीलदार, सुमेरपुर
		तख्तगढ़	उप खण्ड़ मजिस्ट्रेट, सुमेरपुर	तहसीलदार, सुमेरपुर
27.	प्रतापगढ़	प्रतापगढ़	उप खण्ड मजिस्ट्रेट, प्रतापगढ़	तहसीलदार, प्रतापगढ़
		छोटीसादड़ी	उप खण्ड मजिस्ट्रेट, छोटी सादड़ी	तहसीलदार, छोटीसादड़ी
28.	राजसमन्द	राजसमन्द	उप खण्ड़ अधिकारी, राजसमन्द	तहसीलदार, राजसमन्द
		नाथद्वारा	उप खण्ड़ अधिकारी, नाथद्वारा	तहसीलदार, नाथद्वारा
		आमेट	उप खण्ड़ अधिकारी, आमेट	तहसीलदार, आमेट
		देवगढ़	उप खण्ड़ अधिकारी, देवगढ	तहसीलदार, देवगढ़
29	सवाईमाधोपुर	सवाई माधोपुर	उप जिला कलेक्टर, सवाई माधोपुर	तहसीलदार, सवाई माधोपुर
		गंगापुरसिटी	उप जिला कलेक्टर, गंगापुरसिटी	तहसीलदार, गंगापुरसिटी
30.	सीकर	रामगढ़ शेखावाटी	उप खण्ड़ अधिकारी, रामगढ शेखावटी	तहसीलदार, रामगढ़ शेखावाटी
		फतेहपुर	उप खण्ड़ अधिकारी, फतेहपुर	तहसीलदार, फतेहपुर
		लक्ष्मणगढ़	उप खण्ड़ अधिकारी, लक्ष्मणगढ़	तहसीलदार, लक्ष्मणगढ़
		सीकर	उप खण्ड़ अधिकारी, सीकर	तहसीलदार, सीकर
		लोसल	उप खण्ड़ अधिकारी, दांतारामगढ़	तहसीलदार, दांतारामगढ़
		रींगस	उप खण्ड़ अधिकारी, खण्डेला	तहसीलदार, खण्डेला
		खण्ड़ेला	उप खण्ड़ अधिकारी, खण्डेला	तहसीलदार, खण्डेला
		नीमकाथाना	उप खण्ड़ अधिकारी, नीमकाथाना	तहसीलदार, नीमकाथाना
		श्रीमाधोपुर	उप खण्ड़ अधिकारी, श्रीमाधोपुर	तहसीलदार, श्रीमाधोपुर
31.	सिरोही	सिरोही	उप खण्ड़ अधिकारी, सिरोही	1. तहसीलदार, सिरोही 2. नायब तहसीलदार, सिरोही
		शिवगंज	उप खण्ड़ अधिकारी, शिवगंज	1. तहसीलदार, शिवगंज 2. नायब तहसीलदार, शिवगंज
		पिण्ड़वाड़ा	उपखण्ड अधिकारी, पिण्डवाड़ा	1. तहसीलदार पिण्ड़वाडा 2. नायब तहसीलदार, पिण्डवाडा
		आबू पर्वत	उप खण्ड़ अधिकारी, आबू पर्वत	1. तहसीलदार, आबूरोड़ 2. नायब तहसीलदार, आबूरोड
		आबू रोड़	उप खण्ड़ अधिकारी, रेवदर	1. तहसीलदार, आबूरोड़ 2. नायब तहसीलदार, आबूरोड
32.	टोंक	टोंक	उप खण्ड़ अधिकारी, टोंक	तहसीलदार, टोंक
		निवाई	उप खण्ड़ अधिकारी, निवाई	तहसीलदार, निवाई
		मालपुरा	उप खण्ड़ अधिकारी, मालपुरा	तहसीलदार, मालपुरा
		टोड़ारायसिंह	उप खण्ड़ अधिकारी, टोड़ारायसिंह	तहसीलदार, टोड़ारायसिंह
		देवली	उप खण्ड़ अधिकारी, देवली	तहसीलदार, देवली
		उनियारा	उप खण्ड़ अधिकारी, उनियारा	तहसीलदार, उनियारा, मु0 अलीगढ़
33.	उदयपुर	सलूम्बर	उप खण्ड अधिकारी, सलूम्बर	तहसीलदार, सलूम्बर
		भीण्डर	उप खण्ड अधिकारी, वल्लभनगर	तहसीलदार, वल्लभनगर
		कानोड़	उप खण्ड अधिकारी, वल्लभनगर	तहसीलदार, वल्लभनगर
		फतेहनगर–सनवाड़	उप खण्ड अधिकारी,, मावली	तहसीलदार, मावली
		उदयपुर	1. अतिरिक्त जिला कलक्टर (शहर) उदयपुर	1. तहसीलदार, देवस्थान 2. तहसीलदार, नगर विकास प्रन्यास 3. तहसीलदार, सा. नि. वि.,उदयपुर
			2. उपखण्ड अधिकारी, गिर्वा	1. तहसीलदार, गिर्वा 2. तहसीलदार, बडगांव 3. तहसीलदार, आर.एस.एम.एम

आज्ञा से,
–ह0–
(अशोक कुमार जैन)
सचिव
राज्य निर्वाचन आयोग
राजस्थान, जयपुर

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(द्वितीय तल, विकास खण्ड, सचिवालय, जयपुर–302005)

क्रमांकःएफ.1(3)(1)नपा/रानिआ/94/वो.I/3091 दिनांकः 05.08.2014

ओदश

राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 की धारा 13 के उपबन्धों के अनुसरण में आयोग के पूर्व आदेश कमांक 2345 दिनांक 26.05.2014 में संशोधन करते हुये जिला निर्वाचन अधिकारी (कलक्टर) उदयपुर के प्रस्तावानुसार राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निम्नांकित सारणी के स्तंभ–2 में अंकित जिले के सम्मुख स्तंभ–3 में अंकित नगरपालिका हेतु स्तंभ–4 में अंकित वर्तमान सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी के स्थान पर स्तंभ–5 में अंकित अधिकारियों को निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी के रूप में पदाभिहित किया जाता है :–

क्र. सं.	जिले का नाम	नगरपालिका का नाम	वर्तमान सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी	नवनियुक्त सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी
1	2	3	4	5
1.	उदयपुर	नगर निगम उदयपुर	तहसीलदार, न.वि.प्र., उदयपुर	तहसीलदार, भूप्रबंध प्रथम, उदयपुर (सहा. भूप्रबंध अधिकारी प्रथम)
			तहसीलदार, देवस्थान, उदयपुर	तहसीलदार, भूप्रबंध द्वितीय, उदयपुर (सहा. भूप्रबंध अधिकारी द्वितीय)
			तहसीलदार, RSMM, उदयपुर	तहसीलदार, वन विभाग, उदयपुर (वन बंदोवस्त अधिकारी)

आज्ञा से,

–ह0–
(सत्य प्रकाश बसवाला)
मुख्य निर्वाचन अधिकारी
एवं सचिव

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(द्वितीय तल, विकास खण्ड, सचिवालय, जयपुर–302005)

क्रमांकःएफ.1(3)(1)नपा/रानिआ/94/वो.I/4118 दिनांक : 19.09.2014

ओदश

राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 की धारा 13 के उपबन्धों के अनुसरण में आयोग के पूर्व आदेश क्रमांक 2345 दिनांक 26.05.2014 में संशोधन करते हुये जिला निर्वाचन अधिकारी (कलक्टर) जयपुर के प्रस्तावानुसार नगर निगम जयपुर हेतु राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निम्नांकित सारणी के स्तंभ–1 में अंकित वार्डो हेतु स्तंभ–3 में अंकित अधिकारियों को निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी एवं स्तंभ–5 में अंकित अधिकारियों को सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी के रूप में पदाभिहित किया जाता है :–

वार्ड सख्या	वर्तमान में नियुक्त निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी	संशोधन के पश्चात् नियुक्ति निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी	वर्तमान में नियुक्त सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी	संशोधन के पश्चात् नियुक्ति सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी
1	2	3	4	5
विद्याधरनगर (वार्ड सं. 1 से 14)	सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट, आमेर मुख्यालय, जयपुर	सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट, आमेर मुख्यालय, जयपुर	उप पंजीयक (तृतीय), जयपुर	उप पंजीयक (तृतीय), जयपुर
झोटवाड़ा (वार्ड सं. 15 से 21)	सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट, (फास्ट ट्रेक) आमेर मुख्यालय, जयपुर	सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट, (फास्ट ट्रेक) आमेर मुख्यालय, जयपुर	उप पंजीयक (चतुर्थ), जयपुर	उप पंजीयक (चतुर्थ), जयपुर
सिविल लाईन्स (वार्ड सं. 22 से 31)	सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट, जयपुर शहर–द्वितीय	सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट, जयपुर शहर–द्वितीय	उप पंजीयक (द्वितीय), जयपुर	उप पंजीयक (द्वितीय), जयपुर
सांगानेर (वार्ड सं. 32 से 44)	उप खण्ड अधिकारी एवं उप खण्ड मजिस्ट्रेट, सांगानेर	उप खण्ड अधिकारी एवं उप खण्ड मजिस्ट्रेट, सांगानेर	उप पंजीयक (प्रथम), सांगानेर	उप पंजीयक (प्रथम), सांगानेर
बगरू (वार्ड सं. 45 से 51)	उप खण्ड अधिकारी एवं उप खण्ड मजिस्ट्रेट, जयपुर शहर (दक्षिण)	उप खण्ड अधिकारी एवं उप खण्ड मजिस्ट्रेट, जयपुर शहर (दक्षिण)	तहसीलदार, सांगानेर	तहसीलदार, सांगानेर
मालवीय नगर (वार्ड सं. 52 से 60)	उप खण्ड अधिकारी एवं उप खण्ड मजिस्ट्रेट, जयपुर शहर (पूर्व)	उप खण्ड अधिकारी एवं उप खण्ड मजिस्ट्रेट, जयपुर शहर (पूर्व)	उप पंजीयक (पंचम), जयपुर	उप पंजीयक (पंचम), जयपुर
आदर्श नगर (वार्ड सं. 61 से 70)	उप खण्ड अधिकारी एवं उप खण्ड मजिस्ट्रेट, जयपुर शहर (उत्तर)	उप खण्ड अधिकारी एवं उप खण्ड मजिस्ट्रेट, जयपुर शहर (उत्तर)	तहसीलदार, जयपुर	तहसीलदार, जयपुर
किशनपोल (वार्ड सं. 71 से 79)	उप खण्ड अधिकारी एवं उप खण्ड मजिस्ट्रेट, जयपुर	उप खण्ड अधिकारी एवं उप खण्ड मजिस्ट्रेट, जयपुर	उप पंजीयक (प्रथम), जयपुर	तहसीलदार जोन प्रथम, जेडीए जयपुर
हवामहल (वार्ड सं. 80 से 90)	सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट, जयपुर शहर	सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट, जयपुर शहर	तहसीलदार (कृषि भूमि रूपान्तरण) जयपुर	तहसीलदार (कृषि भूमि रूपान्तरण) जयपुर
आमेर (वार्ड सं. 91)	उप खण्ड अधिकारी एवं उप खण्ड मजिस्ट्रेट, आमेर	उप खण्ड अधिकारी एवं उप खण्ड मजिस्ट्रेट, आमेर	तहसीलदार, आमेर	तहसीलदार, आमेर

आज्ञा से,
–ह0–

(सत्य प्रकाश बसवाला)
मुख्य निर्वाचन अधिकारी एवं सचिव

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(द्वितीय तल, विकास खण्ड, सचिवालय, जयपुर–302005)
email- secraj@rajasthan.gov.in & secrajasthan@gmail.com, Ph./FAX 0141-2227280, 2227072

क्रमांकः एफ.3(1)(1)नपा / रानिआ / 2014 / 2672 दिनांकः 24.06.2014

जिला निर्वाचन अधिकारी, (नगरपालिका) (कलेक्टर),
अजमेर, अलवर, बांसवाड़ा, बाड़मेर, बीकानेर, बारां, भरतपुर, बूंदी, चित्तौड़गढ़,
चूरू, दौसा, हनुमानगढ़, जैसलमेर, जालौर, जयपुर, झुंझुनूं, जोधपुर, कोटा,
नागौर, पाली, राजसमंद, सीकर, श्रीगंगानगर, सिरोही, टोंक एवं उदयपुर।

विषयः—नगरपालिका आम चुनाव, 2014 — निर्वाचक नामावलियों की तैयारी हेतु कार्यक्रम एवं दिशा—निर्देश।

महोदय,

राज्य की 46 एवं 8 नवगठित नगरपालिकाओं **(परिशिष्ट–1)** के आम चुनाव माह नवम्बर, 2014 में होने हैं। आम चुनावों से पूर्व मतदाता सूचियों का पुनरीक्षण राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 की धारा 13 से 15 तथा राजस्थान नगरपालिका निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण आदेश, 1974 के अनुसार करवाया जाना हैं। नगरपालिका वार्डो की निर्वाचक नामावलियों को जिला निर्वाचन अधिकारी के नियंत्रणाधीन रहते हुये तैयार करने, प्रकाशित करने तथा उनके संबंध में प्राप्त दावों और आक्षेपों का निस्तारण कर मतदाता सूचियो को अंतिम रूप से तैयार करने का दायित्व उक्त अधिनियम की धारा 13(1) के अंतर्गत राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नियुक्त निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी के रूप में पदाभिहित किए गए अधिकारियों का है। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा प्रत्येक नगरपालिक बोर्ड / परिषद / निगम के लिये निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारियों तथा उनकी सहायतार्थ सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारियों को अपने आदेश संख्या एफ. 3(1)(1) / नपा / रानिआ / 14 / 2345 दिनांक 26.05.2014 **(परिशिष्ट–2)** के द्वारा नियुक्त किया जा चुका है।

राजस्थान नगरपालिका निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण आदेश, 1974 के खण्ड 16 के उपखण्ड (1) के अन्तर्गत आयोग ने यह निर्णय लिया हैं कि आगामी चुनावों हेतु मतदाता सूचियों का संक्षिप्त पुनरीक्षण करवाया जाएगा किन्तु प्रारूप प्रकाशन वर्तमान नगरपालिका मतदाता सूचियों के स्थान पर विधानसभा की अद्यतन मतदाता सूची, 2014 के डेटाबेस के आधार पर नगरपालिका की वार्ड / भागवार फोटोयुक्त मतदाता सूची तैयार करवाकर, उनसे करवाया जाए।

A- विधान सभा की मतदाता सूची के डेटाबेस के आधार पर नगरपालिका की वार्ड / भागवार फोटोयुक्त मतदाता सूची तैयार करने की प्रक्रिया :—

1. आयोग स्तर पर एक स्टेट लेवल एजेन्सी (SLA) नियुक्त की जा रही हैं, जो इस उद्देश्य के लिए एक Software का निर्माण करेगी उवं उसका रख–रखाव व अनुरक्षण करेगी। SLA उक्त सॉफ्टवेयर के द्वारा विधानसभा की मतदाता सूचियों के डेटाबेस को नगरपालिका के वार्ड / भाग के रूप में विभाजित करेगा। इस विभाजन की प्रक्रिया के लिए निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के स्तर से कुछ सूचनाओं की आवश्यकता होगी। उक्त सूचनाएं निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी प्रगणकों के माध्यम से तैयार करवाएगें। इन सूचनाओं के संकलन के लिए प्रपत्र–ए **(परिशिष्ट–3)** तैयार किया गया हैं, जो संलग्न हैं। निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा प्रपत्र–ए की आवश्यकतानुसार फोटो प्रति करा काम में ली जा सकती हैं।

2. निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के स्तर पर इन सूचनाओं के संकलन एवं मतदाता सूची संबंधी आगामी समस्त तैयारी हेतु प्रगणकों की नियुक्ति की जाएगी। जहां तक संभव हो निर्वाचन विभाग द्वारा नियुक्त BLO को प्रगणक के रूप में नियुक्त किया जाए। प्रगणकों की नियुक्ति में यह ध्यान रखा जाए कि संबंधित कर्मचारी किसी राजनीतिक दल एवं राजनैतिक गतिविधियों में लिप्त / संलग्न नहीं हो। प्रगणकों को नियुक्त करने के बाद उनके प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाए। इस प्रशिक्षण में

प्रगणकों को संलग्न प्रपत्र में सूचना संकलित करने का का तरीका भली–भांति समझाया जाए। प्रशिक्षण के तुरन्त बाद ही सूचना संकलन का वास्तविक कार्य शुरू कर दिया जाना चाहिए। इस कार्य में प्रशिक्षण दिवस सहित एक–दो दिन के समय की ही आवश्यकता होगी। यह समस्त कार्य निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के मुख्यालय पर ही प्रगणकों को एक ही स्थान पर एकत्रित कर करवाया जाए ताकि यदि किसी विधानसभा की निर्वाचक नामावली के भाग में एक से अधिक वार्डो के मतदाता सम्मिलित हो तो प्रगणक उनके बारे में एक दूसरें को जानकारी देकर उन्हें नगरपालिका के लिए अलग–अलग भागों में विभाजित कर लें यह ध्यान रखा जाए कि नगरपालिका वार्ड के किसी भाग में दो वार्डो के मतदाता सम्मिलित नहीं रहें। उपर अंकित प्रपत्र में सूचना संकलित करने की प्रक्रिया में प्रगणकों को विधानसभा की मतदाता सूची, वार्डो का सीमाकंन (परिसीमन) के आदेश की प्रति वार्ड का नक्शा तथा यदि वार्डो को भागों में विभक्त करने की आवश्यकता हैं तो प्रत्येक भाग का नजरी नक्शा तथा नगरपालिका की वर्तमान मतदाता सूची की आवश्यकता होगी जो निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा प्रगणकों को उपलब्ध करवाएं जाएगें।

3. यहां यह भी उल्लेखनीय हैं कि यदि परिसीमन आदेश में जो सीमाएं अंकित हैं और उससे यह पता नही चले कि कौन–कौन सी बस्ती/कॉलोनी/मौहल्ला उस वार्ड में हैं तथा वार्ड के नक्शे में भी यह पूरी तरह अंकित नहीं हो तो ऐसी स्थिति में नगरपालिका की वर्तमान मतदाता सूची के आधार पर यह पता लगाया जा सकता हैं कि वार्ड में कौन–कौन सी बस्ती/कॉलोनी/मौहल्ला हैं। इन सूचियों में कहीं–कहीं इनका नाम अंकित होने से छूटा हुआ हो सकता हैं। इस स्थिति में नगरपालिका की वर्तमान वोटर लिस्ट में मकान संख्या की नई श्रृखंला शुरू हो रही हो तो उनके वोटर्स के नामों का विधानसभा की मतदाता सूची के संबंधित भाग के वोटर्स के नामों की एकरूपता के आधार पर बस्ती/कॉलोनी/मौहल्ला का नाम पता लगाया जा सकता हैं। वार्ड में कौन–कौन सी बस्ती/कॉलोनी/मौहल्ला हैं यह पता लगाया जाना इसलिए आवश्यक हैं कि विधानसभा की मतदाता सूची के भाग, अनुभागों में विभाजित हैं जिनमें किसी ना किसी बस्ती/कॉलोनी/मौहल्ला के पूर्ण अथवा आंशिक भाग के मतदाता सम्मिलित हैं। इससे यदि वार्ड में कौन–कौन सी बस्ती/कॉलोनी/मौहल्ला हैं, इसकी जानकारी हैं तो यह पता लगाने में आसानी होगी कि विधान सभा के किस भाग के मतदाता किस वार्ड से संबंधित हैं।

4. निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी/सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी एवं प्रगणक सर्वप्रथम विधानसभा की मतदाता सूची के कौन–कौन से भाग किस वार्ड में सम्मिलित हैं, ये पता लगाएगें। यदि इस कार्य में किसी तरह की कठिनाई महसूस हो तो नगरपालिका कार्यालय के कर्मचारियों की सहायता ली जाए। निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के लिए उचित रहेगा कि प्रगणकों के प्रशिक्षण के दिन नगरपालिका के कर्मचारियों को भी उक्त प्रशिक्षण मे बुला लिया जाए।

5. संलग्न प्रारूप में सूचनाओं को अंकित करने का तरीकाः–
   - प्रपत्र में उपर नगरपालिका का नाम एवं जिले का नाम लिखा जाएगा।
   - कॉलम नं. 1 क्रं. सं. के लिए हैं।
   - कॉलम नं. 2 में नगरपालिका से संबंधित विधानसभा का नाम एवं उसका नम्बर लिखा जाएगा यथा 055–सांगानेर।
   - कॉलम नं. 3 में जिस नगरपालिका वार्ड से संबंधित यह प्रपत्र हैं, उससे संबंधित विधानसभा के भाग का नम्बर अंकित किया जाएगा।
   - कॉलम नम्बर 4 में कॉलम संख्या 3 में अंकित भाग के मतदाताओं की क्रम संख्या (कहां से–कहां तक) अंकित की जाए एवं कुल मतदाताओं की संख्या Total के अन्तर्गत प्रदर्शित की जाएगी।
   - कॉलम नं. 5 में नगरपालिका का वह वार्ड नम्बर भरा जाएगा जो कॉलम नम्बर 4 में अंकित विधानसभा के भाग से संबंधित हैं।
   - कॉलम संख्या 6 (दोनों कॉलम) काफी महत्वपूर्ण हैं। इसे भरने से पूर्व सावधानी बरती जाए। इसमें कॉलम संख्या 4 में अंकित मतदाता जो नगरपालिका के वार्ड से संबंधित हैं, की क्रम संख्या (कहां से–कहां तक) तथा कुल मतदाताओं की संख्या अंकित की जाएगी।

- कॉलम नं. 7 कॉलम संख्या 6 में दर्शाए मतदाताओं के लिए नगरपालिका का मतदान केन्द्र कौनसा होगा, उसका नाम एवं नम्बर अंकित किया जाएगा। चूंकि नगरपालिका में वार्डो को भागों में विभाजित किया जाएगा तथा प्रत्येक भाग के लिए पृथक मतदान केन्द्र होगा। अतः मतदान केन्द्र का नम्बर एवं भाग संख्या दोना समरूप होंगीं।
- कॉलम संख्या 8 मे कॉलम संख्या 7 में अंकित पोलिंग स्टेशन/भाग से संबंधित मतदाताओं की क्रम संख्या (कहां से–कहां तक) तथा कुल मतदाताओं की संख्या अंकित की जाएगी। यहां यह हो सकता हैं कि कॉलम संख्या 7 में अंकित क्रम संख्या में से कुछ मतदाता कॉलम सं. 8 में शामिल नहीं हो। यह तभी होगा जब विधान सभा के जिस भाग पर विचार किया जा रहा हैं उसके मतदाता एक से अधिक वार्डो में सम्मिलित हों। इस स्थिति में जिस मतदाता की क्रम संख्या पर वार्ड समाप्त हो जाएगा, उतने मतदाता तक ही कॉलम संख्या 7 में अंकित मतदान केन्द्र के भाग में समायोजित किए जाएगें। शेष मतदाता जो किसी दूसरे वार्ड के होगें उनके लिए उस वार्ड में अलग मतदान केन्द्र/भाग बनाया जाएगा अथवा उस वार्ड से संबंधित किसी अन्य मतदान केन्द्र/भाग में समायोजित किया जाएगा।

6. यहां यह भी उल्लेखनीय हैं कि आयोग ने आगामी नगरपालिका निर्वाचन के संबंध में यह निर्णय लिया हैं कि प्रत्येक भाग में सामान्यतः 1400 मतदाता रखे जाए चूंकि विधानसभा की मतदाता सूचियों के प्रत्येक भाग में भी भारत निर्वाचन आयोग ने यही मापदण्ड निर्धारित किए हुए हैं। इसलिए विधानसभा की मतदाता सूची के अधिकांश भाग नगरपालिका के वार्डो के भागों के समरूप ही होगें।

7. नगरनिगम/नगरपरिषद अथवा बडी नगरपालिकाओं में जहां वार्ड भागों में विभाजित किए जायेगें, वहां विधानसभी की मतदाता सूची के वे भाग जो पूरे–पूरे उसी वार्ड में सम्मिलित हैं, को यथावत नगरपालिका के वार्ड के भाग के रूप में मान लिया जाएगा तथा उसका वही मतदान केन्द्र निर्धारित कर दिया जाएगा जो विधानसभा/लोकसभा चुनाव के दौरान निर्धारित किया गया था। अधिकांश मामलों में यही संभावना रहेगी। सिर्फ विधानसभा के वे भाग जिनके नगरपालिका के दो या अधिक वार्डो के मतदाता हैं, वहां विधानसभा के भाग के मतदाताओं की क्रम संख्या को वार्ड की सीमा तक विभाजित किया जाएगा तथा नगरपालिका के लिए उक्त विधानसभा के भाग से दो या अधिक, जैसी भी स्थिति हो, नगरपालिका के भाग सृजित कर दिए जाएगें। अथवा यदि इस प्रकार सृजित हो रहे किसी भाग में मतदाताओं की संख्या कम हैं तो नगरपालिका का नवीन भाग नहीं बनाया जाकर उसी वार्ड के किसी निकटस्थ भाग में उन्हें सम्मिलित कर लिया जाएगा।

8. इस प्रकार प्रगणक की सहायता से निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी संलग्न प्रपत्र में सूचनाएं संकलित करा उन्हें कम्प्यूटर में फीड करवाएगें तथा एक्सल शीट में आयोग की वेबसाईट पर अपलोड करेगें। इसके लिए आयोग द्वारा प्रत्येक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी को Username & Password जारी किया जाएगा।

9. आयोग द्वारा उक्त समस्त कार्य की समय सीमा 15 जुलाई निर्धारित की जाती हैं। आयोग को इस प्रकार प्राप्त सूचनाओं के आधार पर SLA द्वारा विधानसभा की मतदाता सूचियां के डेटाबेस के आधार पर नगरपालिकाओं की वार्डवार/भागवार फोटोयुक्त मतदाता सूची तैयार की जाएगी, जो Softcopy में निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी को प्रूफ रीडिंग एवं उनके द्वारा प्रस्तुत संकलित सूचना के अनुसार तैयारी की गई हैं अथवा नहीं, की जांच के लिए भेजी जाएगीं। निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी इसका सत्यापन करवाकर आयोग की वेबसाईट पर संशोधनों की सूचना के साथ अपलोड करेंगें। इस प्रकार प्राप्त संशोधनों को समाहित करते हुए नगरपालिका की वार्डवार/भागवार मतदाता सूची तैयार की जाएगी, जिसको आयोग की वेबसाईट पर अपलोड किया जायेगा। उक्त सूचियों का आवश्यकतानुसार लेजर प्रिंटर से प्रिंट (Hardcopy) लेकर निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी मतदाता सूचियों का प्रारूप प्रकाशन करवाएगें।

10. निर्वाचनों को सफलतापूर्वक सम्पन्न करने के लिए मतदाता सूचियों का शुद्व एवं अद्यतन होना आवश्यक हैं, अर्थात् प्रत्येक योग्य मतदाता का नाम मतदाता सूची में सही विवरण के साथ अंकित हो। इसका दायित्व प्रगणक से शुरू होकर जिला निर्वाचन अधिकारी तक का हैं। इस हेतु मतदाता सूची के तैयारी के हर स्तर पर पूर्ण सावचेती एवं पर्यवेक्षण की आवश्यकता होगी। राज्य निर्वाचन

आयोग के यह निर्देश हैं कि जिला निर्वाचन अधिकारी/उप जिला निर्वाचन अधिकारी/ निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी/सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी के स्तर से मतदाता सूचियों का निकटता एवं गहनता से पर्यवेक्षण किया जाए।

11. निर्वाचनों के समय मतदाता सूची में नाम नहीं होने, यहां तक की कहीं–कहीं महत्वपूर्ण व्यक्तियों के नाम तथा एक बडे क्षेत्र यथा मौहल्ला, गली के मतदाताओं के नाम गायब हो जाने की शिकायत मिलती हैं। मतदाता सूची के प्रारूप प्रकाशन के बाद बहुतायात में मतदाताओं द्वारा नाम जुडवानें के लिए आवेदन पत्र प्रस्तुत किए जाते हैं, जबकि मतदाता सूचियों का पुनरीक्षण कुछ समय पूर्व हुई विधानसभा व लोकसभा चुनावों हेतु किया गया होता हैं। इसके लिए मतदाता सूची तैयार करने की सम्पूर्ण प्रकिया से विभिन्न स्तर पर अपने दायित्वों का सजगता से निर्वहन करने एवं उचित पर्यवेक्षण किया जाना चाहिए।

B. मतदाता सूचियों के प्रारूप प्रकाशन एवं इसके बाद की तिथियां निम्नानुसार रहेगीः–

क. सं.	कार्य विवरण	अवधि
1.	निर्वाचक नामावलियों का प्रारूप प्रकाशन	13.09.2014 (शनिवार) को
2.	निर्वाचक नामावलियों का वार्ड़ों/मतदान केन्द्रों पर पठन	14 व 15.09.2014
3.	दावों एवं आक्षेपों को प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि	22.09.2014 (सोमवार) को
4.	विशेष अभियान की तिथियॉ	13, 14 एवं 21 सितम्बर, 2014
5.	दावों एवं आक्षेपों के निस्तारण की अवधि	30.09.2014 तक
6.	पूरक सूचियों की तैयारी	10.10.2014 तक
7.	निर्वाचक नामावलियों का अंतिम प्रकाशन	14.10.2014 को

C. सामान्य निर्देश :–

1. नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा–13(5) के प्रावधानों के अनुसार उस व्यक्ति का नाम निर्वाचक नामावली में सम्मिलित किया जा सकता है जिसकी आयु अर्हता की तिथि को 18 वर्ष पूर्ण हो चुकी हो तथा जो संबंधित वार्ड का मामूली तौर पर निवासी हो। मामूली तौर पर निवासी के संबंध में स्पष्टीकरण धारा–13(5) में दिये हुये हैं। निर्वाचक नामावलियों को दिनांक 01.01.2014 को अर्हता तिथि के आधार पर तैयार किया जाना है, इसलिए जिस व्यक्ति की आयु 01.01.2014 को 18 वर्ष पूर्ण नहीं हुई हो, वह व्यक्ति निर्वाचक नामावली में नाम सम्मिलित कराने का पात्र नहीं है।

2. राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 13(6) के प्रावधानों के अनुसार किसी भी व्यक्ति का नाम नगरपालिका में किसी एक से अधिक वार्ड की निर्वाचक नामावली में शामिल नहीं किया जा सकता तथा धारा 13(7) के अनुसार किसी व्यक्ति का नाम वार्ड की निर्वाचक नामावली में एक से अधिक बार सम्मिलित नहीं हो सकता है। यह सम्भव है कि नगरपालिका क्षेत्र से **संबंधित विधानसभा** निर्वाचक नामावली में किसी व्यक्ति का नाम त्रुटिवश एक से अधिक बार सम्मिलित हो गया हो ऐसे व्यक्ति का नाम उसी एक स्थान पर रहने दिया जावे, जहां के लिए वह पात्र है तथा शेष स्थानों से उसका नाम काट दिया जाए। किसी ऐसे व्यक्ति का नाम निर्वाचक नामावलियों में सम्मिलित नहीं किया जाए, जो भारतीय नागरिक नहीं है।

3. निर्वाचक नामावली वार्डवार तैयार की जायेगी। निर्वाचक नामावली के प्रारूप में आयोग द्वारा परिवर्तन किया गया हैं। प्रत्येक भाग की मतदाता सूची के उपर एक कवर पेज होगी जिसमें वार्ड/भाग से संबंधित विवरण होगा। इसके साथ भाग का नजरी नक्शा होगा तथा मतदाता सूची उसी प्रारूप में तैयार की जाएगी जैसा कि विधानसभा की मतदाता सूची का प्रारूप निर्धारित हैं। सिर्फ शीर्षक में परिवर्तन किया जाएगा शीर्षक में नगरपालिका का नाम एवं मतदाता सूची का वर्ष, विधानसभा क्षेत्र संख्या, नगरपालिका का वार्ड संख्या तथा भाग संख्या, मतदान केन्द्र का नाम व क्रमांक अंकित किया

जाएगा। इसके अतिरिक्त जहां से भी नई कॉलोनी/बस्ती/मौहल्ला शुरू होगा उक्त विवरण के नीचे उसका नाम अंकित किया जाएगा। निर्वाचक नामावली में प्रत्येक पृष्ठ पर दोनो तरफ 30–30 मतदाताओं के नाम अंकित होगें। इस तरह एक पृष्ठ पर कुल 60 नाम अंकित किए जाएगें। निर्वाचक नामावली का प्रारूप संलग्न **परिशिष्ट–4** में बताया गया है।

4. नगरपालिका निर्वाचक नामावली को सुविधाजनक भागों में विभक्त किया जायेगा। एक भाग में सामान्यतः 1400 मतदाताओं के नाम सम्मिलित किये जाएगें। प्रत्येक वार्ड में एक से अधिक भाग हो सकते हैं किन्तु एक भाग में एक से अधिक वार्ड के मतदाता किसी भी स्थिति में नहीं होंगे। प्रत्येक भाग के लिए पृथक मतदान केन्द्र होगा। इसका आशय यह है कि नगरपालिका निर्वाचक नामावलियों का भाग तथा मतदान केन्द्र का क्षेत्र समरूप (Coterminous) होंगे। प्रत्येक भाग का क्रमांक–1 से प्रारम्भ होगा। नगरपालिका के ऐसे वार्ड, जिनमें 1400 से कम मतदाता हैं, में एक ही मतदान केन्द्र पर्याप्त रहेगा। अतः ऐसे वार्डों को भागों में विभाजित करने की आवश्यकता नहीं है।

5. माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय के अनुसार यदि किन्नर (ट्रांस जेण्डर) एवं लिंग रूपान्तरक (सेक्स चेंजर) मतदाता अपने आप को स्त्री अथवा पुरूष के रूप में प्रकट नहीं करना चाहे तो वे अपना लिंग 'अन्य' के रूप में वर्णित कर सकते हैं। उक्त प्रकार के मतदाताओं द्वारा चाहे जाने पर उनके लिंग के कॉलम में 'अन्य' अंकित किया जाए। आयोग द्वारा इस हेतु संबंधित सभी प्रपत्रों में यथा स्थान आवश्यक संशोधन कर दिया गया हैं।

6. चूंकि नगरपालिका प्रारूप मतदाता सूचियों में मतदान केन्द्र के विवरण का भी अंकन किया जाता है, अतः मतदान केन्द्र भी प्रारूप मतदाता सूचियों के तैयार होने से पूर्व ही निर्धारित कर लिये जाये। मतदान केन्द्रों की स्थापना के संबंध में आयोग ने परिपत्र संख्या एफ 4(3)(1)नपा/रानिआ/09/2579 दिनांक 16.06.2014 से मापदण्ड निर्धारित कर सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को प्रेषित कर दिए गए हैं। जहां तक संभव हो, मतदान केन्द्र वे ही रखे जावे जो लोकसभा/विधानसभा चुनावों में रखे गए थे, ताकि मतदाता के लिए मतदान केन्द्र की पहचान आसान हो सके। मतदान केन्द्रों की संख्या निर्धारित प्रपत्र में दिनांक 10.09.2014 तक आयोग को भी प्रेषित की जावे।

7. राजस्थान नगरपालिका निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण आदेश, 1974 के खण्ड–8 के अनुसार मुद्रित सूचियों से निर्वाचक नामावलियों के प्रारूप प्रकाशन की सूचना निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी व नगरपालिका कार्यालयों के सूचना पट्टों पर तथा वार्ड में सहज दृश्य कम से कम दो स्थानों पर किया जायेगा। प्रकाशित होने वाला नोटिस उपरोक्त आदेश, 1974 में प्ररूप–2 में विहित किया हुआ है। वार्डो की निर्वाचक नामावलियां निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी और नगरपालिका के कार्यालयों में निरीक्षण हेतु भी उपलब्ध रखी जावेगी।

8. दिनांक 13 से 22 सितम्बर तक दावे व आपत्तियॉ प्रस्तुत करने की अवधि निर्धारित है। ये दावे व आपत्तियॉ प्ररूप 3, 4, 5 या 6 में निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को उक्त अवधि में प्रस्तुत करने के प्रावधान है। मतदान केन्द्रों के लिये पदाभिहीत अधिकारियों की नियुक्ति भी निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा की जाएगी जो निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी की ओर से मतदान केन्द्रों पर उक्त अवधि में दावे और आपत्तियॉ प्राप्त कर सकेगें। प्रगणको को भी पदाभिहीत अधिकारी के रूप में नियुक्त किया जा सकता है।

9. तैयार प्रारूप मतदाता सूची की प्रति सभी पदाभिहित अधिकारियों को उपलब्ध करवाकर दिनांक 14 व 15 सितम्बर, 2014 को नगरनिगम/परिषद/बोर्ड के वार्ड/ मतदान केन्द्रों पर वार्ड सभायें आयोजित कर संबंधित भागों की निर्वाचक नामावलियों का पठन किया जायेगा तथा मतदाता सूची निरीक्षण के लिए निःशुल्क उपलब्ध रहेगी, ताकि मतदाता इन निर्वाचक नामावलियों का अवलोकन कर या सुनकर नामावली की किसी प्रविष्टी के विवरण के संबंध में यदि कोई दावा/आपत्ति है तो मतदान केन्द्रों पर विशेष अभियान तिथियों में अथवा दिनांक 14 से 22 सितम्बर, 2014 के बीच अन्य तिथियों को आवेदन पत्र भरकर निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को प्रस्तुत करने के लिए पदाभिहित अधिकारियों को दे सकें। अतः यह सुनिश्चित करलें कि अभियान तिथियों को पदाभिहित अधिकारियों के पास पर्याप्त मात्रा में संबंधित आवेदन पत्र (प्ररूप 3, 4, 5 एवं 6) उपलब्ध हैं। पठन–पाठन के उक्त

कार्यक्रम में नगरपालिकाओं के संबंधित अधिकारी व कर्मचारी भी आवश्यक रूप से उपस्थित रहेंगे व क्षेत्र के लोगो को कार्यक्रम की जानकारी भी देगें।

10. उपरोक्त आदेश के खण्ड–9 के अनुसार दावें व आपत्तियां प्रस्तुत करने का समय 10 दिन निश्चित है और इन्हें निर्धारित प्ररूप–3, 4, 5 और 6 में प्रस्तुत किया जा सकता हैं। दावें व आपत्तियां डाक द्वारा भी भेजी जा सकती हैं। प्राप्त दावें व आपत्तियों की संक्षिप्त जांच की जाकर उनका निस्तारण किया जायेगा। प्ररूप 3, 4, 5 और 6 का वितरण निःशुल्क किया जाए। इस संबंध में आयोग द्वारा परिपत्र सं. प.4(1)(6)नपा/रानिआ/94/300 दिनांक 14.10.94 जारी किया हुआ है।

11. मतदान केन्द्रों पर दावे व आपत्तियॉ प्रस्तुत करने के लिए विशेष अभियान तिथियॉ दिनांक 13, 14 व 21 सितम्बर, 2014 निर्धारित की गई है। इन दिनों पदाभिहीत अधिकारी पूरे दिवस को प्रातः 9 बजे से सांय 6 बजे तक अपने–अपने मतदान केन्द्रों पर उपस्थित रहकर दावे आपत्तियों के आवेदन पत्र प्राप्त करेंगे। शेष दिनों में आधा दिवस पूर्वान्ह या अपरान्ह में उपस्थित रहेंगे।

12. मतदाता सूचियों को अद्यतन करने के प्रयोजन से आयोग द्वारा यह भी निर्णय लिया गया है कि ये दावे/आपत्तियॉ निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को प्रस्तुत करने हेतु मतदान केन्द्रों में निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा नियुक्त पदाभिहीत अधिकारियों को भी दिनांक 14 से 22 सितम्बर, 2014 तक की अवधि के मध्य प्रस्तुत किये जा सकते हैं। पदाभिहीत अधिकारी भी उसी दिन प्राप्त दावों व आपत्तियों की सूची मतदान केन्द्र पर प्रकाशित करेगा साथ ही मूल दावे व आपत्तियों को अपनी टिप्पणी सहित प्ररूप 8, 9, 10 **(परिशिष्ट क्रमशः 5, 6 एवं 7)** में सूची के साथ निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को प्रेषित करेगा। पदाभिहीत अधिकारी के माध्यम से प्राप्त दावों व आपत्तियों व अन्य प्रकार से प्राप्त दावों व आपत्तियों की सूची निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी प्रतिदिन अपने कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित करेगा तथा निर्वाचको का रजिस्ट्रीकरण आदेश 1974 के खण्ड–12 के अनुसार कार्यवाही करेगा।

13. दावें व आपत्तियां सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी द्वारा भी प्राप्त की जा सकती है। ऐसे दावों व आपत्तियों को सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी द्वारा निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी के पास उसी दिन भेज दिया जावेगा।

14. दावों व आपत्तियों के निस्तारण की प्रक्रिया उक्त आदेश, 1974 के खण्ड–12 में बतायी गयी है। इसके अलावा खण्ड–13 व खण्ड–14 में निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी को स्वविवेक से भी कार्य करने की प्रक्रिया बतायी गयी है। दावों व आपत्तियों के निस्तारण एवं स्वविवेक से नाम जोडे या हटाये जाने की प्रक्रिया के पश्चात् निर्वाचक नामावलियों की पूरक सूची भागवार तैयार की जायेगी और इसे आयोग की वेबसाईट पर इस हेतु उपलब्ध लिंक पर अपलोड करेंगें। इस प्रकार आयोग की वेबसाईट पर उपलब्ध निर्वाचक नामावली पूरक सूची सहित, से लेजर प्रिंट लेकर आवश्यकतानुसार फोटो प्रतियां कररकर निर्वाचक नामावली का अंतिम प्रकाशन उक्त आदेश, 1974 के खण्ड 15 के अनुसार किया जावेगा। अंतिम प्रकाशन के नोटिस का प्ररूप–7 आदेश में विहित है।

15. निर्वाचक नामावलियों के अंतिम प्रकाशन के पश्चात् संबंधित रिकार्ड अर्थात प्रारूप निर्वाचक नामावलियां, दावों/आपत्तियों के प्रार्थना पत्र तथा उन पर दिया गया निर्णय और अंतिम रूप से तैयार की गई निर्वाचक नामावलियों की प्रमाणित प्रति संबंधित निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी द्वारा खण्ड–19 के प्रावधानों के अनुसार उसके कार्यालय में सुरक्षित रखी जायेगी।

16. मतदाताओं के वार्ड/भागवार आंकडे प्रगणकों द्वारा तैयार कर निर्धारित प्रपत्र में निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी को प्रस्तुत किये जायेगे। इन आंकडों को निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी के कार्यालय में एक पत्रावली खोलकर उसमें पत्रित किया जावेगा तथा परिशिष्ट–8 पर बताये गये प्रपत्र (मतदाताओं की संख्या दावें/आपत्तियों के विवरण) में एक रजिस्टर वार्डवार संधारित किया जायेगा जिसमें नगरपालिका निर्वाचक नामावलियों से संबंधित आंकडे यथा मतदाताओं की कुल संख्या, स्त्री, पुरुष मतदाताओं की संख्या अंकित की जाकर मय गोश्वारे के संकलित किये जायेंगे। निर्वाचक नामावलियों के प्रारूप प्रकाशन एवं अंतिम प्रकाशन के पश्चात उक्त रजिस्टर में संकलित आकडों के आधार पर परिशिष्ट–9 में सूचना तैयार कर जिला निर्वाचन अधिकारी तथा राज्य निर्वाचन आयोग को आयोग की

वेबसाईट पर अपलोड भेजी जाएगी। इन आकडों से यह पता चलेगा कि हाल में हुई लोकसभा चुनाव की मतदाता सूची के तुलना में मतदाताओं में कितनी वृद्धि व कमी हुई हैं। असाधारण (Unusal) परिवर्तन की जांच जिला निर्वाचन अधिकारी व निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी स्वयं भी करें ताकि मतदाता सूची में कोई गलती ना रहें। यह सुनिश्चित किया जाए कि मतदाता सूची में पात्र व्यक्ति का नाम जुडने से रह नही जाए व अपात्र का नाम नहीं रहें।

17. आयोग के परिपत्र सं0 4(1)(6) नपा/रानिआ/94/299, दिनांक 14.10.94 के अनुसार निर्वाचक नामावलियों कें प्रारूप प्रकाशन के समय तथा अंतिम प्रकाशन के समय नामावलियों का एक–एक सैट मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के अधिकृत प्रतिनिधियों को निःशुल्क वितरण किया जाए।

18. कार्यक्रम का विस्तृत प्रचार प्रसार हेतु मतदान केन्द्रों पर विशेष अभियान की तिथियों व कार्यक्रम को समाचार पत्रों में विज्ञापनों के माध्यम से तथा इस आशय की सूचना हेतु पम्फलेट वितरित करवाकर प्रचारित किया जाए। इसके अतिरिक्त विद्यालयों के प्रार्थना सभाओं में विद्यार्थियों को कार्यक्रम की तिथियों सहित पूर्ण जानकारी देने हेतु शाला प्रधानों को निर्देशित किया जाए, ताकि विद्यार्थी अपने परिवारजनों को अवगत करा सकें। जिला निर्वाचन अधिकारी/निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी अपने–अपने स्तर पर राजनैतिक दलों/स्वयं सेवी संस्थाओं की बैठक आयोजित कर उन्हें मतदाता सूचियों के गहन पुनरीक्षण के कार्य से जोडे ताकि सभी योग्य मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में जोडे जा सके।

19. मतदाता सूची तैयारी, प्रारूप प्रकाशन व अंतिम प्रकाशन में कम्प्यूटर स्टेशनरी व आवश्यक सामग्री क्रय हेतु प्रारम्भिक बजट का आवंटन यथा समय कर दिया जाएगा। मतदाता सूची की प्रारंभिक तैयारी में लगे प्रगणको व अन्य स्टॉफ को उचित पारिश्रमिक भुगतान के आदेश भी आयोग द्वारा यथा शीघ्र जारी कर दिए जाएगें।

निर्वाचक नामावली तैयार किए जाने हेतु राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 तथा राजस्थान नगरपालिका (निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण) आदेश, 1974 में उपलब्ध विधिक प्रावधानों एवं आयोग द्वारा जारी दिशा–निर्देशों की पालना सुनिश्चित की जाए।

आयोग की समस्त अधिकारियों व कर्मचारियों से अपेक्षा हैं कि वे अपने कार्य को उपरोक्त दिशा–निर्देशों के अनुसार समय पर सम्पन्न करेंगें। लेकिन यदि फिर भी नाम छूटने या गलत नाम जुडने की व्यापक शिकायतें प्राप्त होती हैं तो आयोग राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 की धारा 20 के अन्तर्गत संबंधित दोषी अधिकारियों व कर्मचारियों के विरूद्व कार्यवाही करेगा। इस धारा के प्रावधान को जिला निर्वाचन अधिकारी समस्त संबंधित अधिकारियों व कर्मचारियों के ध्यान में लाए।

संलग्नः उपरोक्तानुसार

–ह0–
(अशोक कुमार जैन)
मुख्य निर्वाचन अधिकारी एवं सचिव,
राज्य निर्वाचन आयोग,
राजस्थान, जयपुर

46 एवं 8 नवगठित नगरपालिकाओं की सूची

क्रम. सं.	नाम जिला	नाम नगरपालिका	
1.	अजमेर	1.	ब्यावर नगरपरिषद
		2.	पुष्कर
2.	अलवर	3.	अलवर नगरपरिषद
		4.	भिवाड़ी नगरपरिषद
		5.	किशनगढबांस **(नवगठित)**
3.	बांसवाड़ा	6.	बांसवाड़ा नगरपरिषद
		7.	गढीपरतापुर **(नवगठित)**
4.	बाड़मेर	8.	बाड़मेर नगरपरिषद
		9.	बालोतरा नगरपरिषद
5.	बीकानेर	10.	बीकानेर नगरनिगम
6.	बारां	11.	छबडा
		12.	मांगरोल
7.	भरतपुर	13.	भरतपुर नगरनिगम
8.	बूंदी	14.	हिण्डौली **(नवगठित)**
9.	चित्तौड़गढ़	15.	चित्तौड़गढ़ नगरपरिषद
		16.	निम्बाहेडा
		17.	रावतभाटा
10.	चूरू	18.	चूरू नगरपरिषद
		19.	राजगढ़
11.	दौसा	20.	महुवा **(नवगठित)**
12.	हनुमानगढ़	21.	हनुमानगढ नगरपरिषद
13.	जैसलमेर	22.	जैसलमेर नगरपरिषद
14.	जालौर	23.	जालौर नगरपरिषद
		24.	भीनमाल
15.	जयपुर	25.	जयपुर नगर निगम
		26.	बस्सी **(नवगठित)**
16.	झुंझुनूं	27.	झुंझुनूं नगरपरिषद
		28.	पिलानी
		29.	बिसाऊ
17.	जोधपुर	30.	जोधपुर नगरनिगम
		31.	फलौदी
		32.	भोपालगढ **(नवगठित)**
18.	कोटा	33.	कोटा नगर निगम
		34.	सांगोद
		35.	कैथून
		36.	ईटावा **(नवगठित)**
19.	नागौर	37.	डीडवाना
		38.	मकराना नगरपरिषद
		39.	डेगाना **(नवगठित)**
20.	पाली	40.	पाली नगरपरिषद
		41.	सुमेरपुर
21.	राजसमंद	42.	नाथद्वारा
		43.	आमेट
22.	सीकर	44.	सीकर नगरपरिषद
		45.	नीमकाथाना
23.	श्रीगंगानगर	46.	गंगानगर नगरपरिषद
		47.	सूरतगढ़
24.	सिरोही	48.	सिरोही नगरपरिषद
		49.	माउन्ट आबू
		50.	शिवगंज
		51.	पिण्डवाड़ा
25.	टोंक	52.	टोंक नगरपरिषद
26.	उदयपुर	53.	उदयपुर नगरनिगम
		54.	कानोड़

नोटः– स्वायत्त शासन विभाग के आदेश क्रमांक 1789 दिनांक 12.7.14 के द्वारा नवगठित 7 नगरपालिकाओं को Kept on Hold में रखा गया है तथा आदेश क्रमांक 1901 दिनांक 12.7.14 के द्वारा डेगाना नगरपालिका के गठन के आदेश प्रत्याहरित किये जाने से इनमें चुनाव नहीं होने है।

परिशिष्ट–2

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(द्वितीय तल, विकास खण्ड, सचिवालय, जयपुर–302005)

क्रमांकःएफ.1(3)(1)न.पा. / रानिआ / 94 / I / 2345 दिनांकः 26.05.2014

आदेश

राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 (2009 का अधिनियम संख्या – 18) की धारा 13 की उप धारा (1) एवं (3) के उपबन्धों के अनुसरण में पूर्व में जारी समस्त आदेशों को अतिक्रमित करते हुए राज्य निर्वाचन आयोग निम्नांकित सारणी के स्तम्भ–2 में विनिर्दिष्ट राजस्थान राज्य के जिले में स्थित सारणी के स्तम्भ–3 में विनिर्दिष्ट नगरपालिका क्षेत्र के लिए स्तम्भ–4 में विनिर्दिष्ट अधिकारियों को निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी एवं सारणी के स्तम्भ–5 में विनिर्दिष्ट अधिकारियों को सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी के रूप में पदाभिहित करता है :–

सारणी

क. सं.	जिले का नाम	नगरपालिका / परिषद / निगम का नाम	निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी	सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी
1	2	3	4	5
1.	अजमेर	अजमेर	3. अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, (सिटी) अजमेर (विधानसभा क्षेत्र अजमेर दक्षिण में सम्मिलित वार्ड हेतु) 4. सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (मुख्या) अजमेर (विधानसभा क्षेत्र अजमेर उत्तर में सम्मिलित वार्ड हेतु)	3. तहसीलदार, अजमेर 4. सहायक भू–प्रबंध अधिकारी, अजमेर
		ब्यावर	उप खण्ड़ मजिस्ट्रेट, ब्यावर	तहसीलदार, ब्यावर
		किशनगढ़	उप खण्ड़ मजिस्ट्रेट, किशनगढ़	तहसीलदार, किशनगढ़
		विजयनगर	उप खण्ड़ मजिस्ट्रेट, मसूदा	तहसीलदार, विजयनगर
		सरवाड़	उप खण्ड़ मजिस्ट्रेट, सरवाड	तहसीलदार, सरवाड़
		केकड़ी	उप खण्ड़ मजिस्ट्रेट, केकड़ी	तहसीलदार, केकड़ी
		पुष्कर	उप खण्ड़ मजिस्ट्रेट, पुष्कर	तहसीलदार, पुष्कर
2.	अलवर	अलवर	उप खण्ड़ अधिकारी अलवर	तहसीलदार, अलवर
		बहरोड़	उप खण्ड़ अधिकारी, बहरोड़	तहसीलदार, बहरोड़
		तिजारा	उप खण्ड़ अधिकारी, तिजारा	तहसीलदार, तिजारा
		भिवाडी	उप खण्ड़ अधिकारी, तिजारा	तहसीलदार, तिजारा
		खैरथल	उप खण्ड़ अधिकारी, किशनगढ़ बास	तहसीलदार, किशनगढ़ बास
		राजगढ़	उप खण्ड़ अधिकारी, राजगढ़	तहसीलदार, राजगढ़
		खेड़ली	उप खण्ड़ अधिकारी, कठूमर	तहसीलदार, कठूमर
3.	बांसवाड़ा	बांसवाड़ा	उप खण्ड़ मजिस्ट्रेट, बांसवाड़ा	तहसीलदार, बांसवाड़ा
		कुशलगढ़	उप खण्ड़ मजिस्ट्रेट, कुशलगढ़	तहसीलदार, कुशलगढ़
4.	बारां	बारां	उप खण्ड अधिकारी (एस.डी.एम.), बांरा	तहसीलदार, बांरा
		अन्ता	उप खण्ड अधिकारी (एस.डी.एम.), अन्ता	तहसीलदार, अन्ता
		छबड़ा	उप खण्ड अधिकारी (एस.डी.एम.), छबड़ा	तहसीलदार, छबड़ा
		मांगरोल	उप खण्ड अधिकारी (एस.डी.एम.), मांगरोल	तहसीलदार, मांगरोल
5.	बाड़मेर	बाड़मेर	उप खण्ड़ मजिस्ट्रेट, बाड़मेर	तहसीलदार, बाड़मेर
		बालोतरा	उप खण्ड़ मजिस्ट्रेट, बालोतरा	तहसीलदार, पचपदरा
6.	भरतपुर	भरतपुर	उप खण्ड़ अधिकारी एवं उप खण्ड़ मजिस्ट्रेट, भरतपुर	तहसीलदार, भरतपुर
		कामां	उप खण्ड़ अधिकारी एवं उप खण्ड़ मजिस्ट्रेट, कामां	तहसीलदार, कामां
		नगर	उप खण्ड़ अधिकारी एवं उप खण्ड़ मजिस्ट्रेट, नगर	तहसीलदार, नगर
		ड़ीग	उप खण्ड़ अधिकारी एवं उप खण्ड़ मजिस्ट्रेट, डीग	तहसीलदार, डीग
		कुम्हेर	उप खण्ड़ अधिकारी एवं उप खण्ड़ मजिस्ट्रेट, कुम्हेर	तहसीलदार, कुम्हेर
		नदबई	उप खण्ड़ अधिकारी एवं उप खण्ड़ मजिस्ट्रेट, नदबई	तहसीलदार, नदबई
		वैर	उप खण्ड़ अधिकारी एवं उप खण्ड़ मजिस्ट्रेट, वैर	तहसीलदार, वैर
		भुसावर	उप खण्ड़ अधिकारी एवं उप खण्ड़ मजिस्ट्रेट, भुसावर	तहसीलदार, भुसावर
		बयाना	उप खण्ड़ अधिकारी एवं उप खण्ड़ मजिस्ट्रेट, बयाना	तहसीलदार, बयाना
7.	भीलवाड़ा	भीलवाड़ा	उप खण्ड़ मजिस्ट्रेट, भीलवाड़ा	तहसीलदार, भीलवाड़ा
		आसीन्द	उप खण्ड़ मजिस्ट्रेट, आसीन्द	तहसीलदार, आसीन्द
		गंगापुर	उप खण्ड़ मजिस्ट्रेट, गंगापुर	तहसीलदार, सहाडा मु. गंगापुर
		शाहपुरा	उप खण्ड़ मजिस्ट्रेट, शाहपुरा	तहसीलदार, शाहपुरा
		गुलाबपुरा	उप खण्ड़ मजिस्ट्रेट, गुलाबपुरा	तहसीलदार, हुरड़ा
		जहाजपुर	उप खण्ड़ मजिस्ट्रेट, जहाजपुर	तहसीलदार, जहाजपुर
		माण्ड़लगढ़	उप खण्ड़ मजिस्ट्रेट, माण्ड़लगढ़	तहसीलदार, माण्ड़लगढ़

क्र. सं.	जिले का नाम	नगरपालिका/परिषद/ निगम का नाम	निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी	सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी
1	2	3	4	5
8.	बीकानेर	बीकानेर	अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (शहर), बीकानेर (बीकानेर पश्चिम विधानसभा क्षेत्र के 30 वार्ड हेतु)	तहसीलदार (राजस्व), बीकानेर
			उपखण्ड मजिस्ट्रेट, बीकानेर (बीकानेर पूर्व विधानसभा क्षेत्र के 30 वार्ड हेतु)	तहसीलदार, भूअनि बीकानेर
		नोखा	उप खण्ड मजिस्ट्रेट, नोखा	तहसीलदार, नोखा
		देशनोक	उप खण्ड मजिस्ट्रेट, बीकानेर	तहसीलदार, भूअनि, बीकानेर
		डूँगरगढ़	उप खण्ड मजिस्ट्रेट, डूँगरगढ़	तहसीलदार, डूँगरगढ़
9.	बून्दी	बून्दी	उप खण्ड अधिकारी, बून्दी	तहसीलदार, बून्दी
		नैनवां	उप खण्ड अधिकारी, नैनवां	तहसीलदार, नैनवां
		केशोरायपाटन	उप खण्ड अधिकारी, केशोरायपाटन	तहसीलदार, केशोरायपाटन
		कापरेन	उप खण्ड अधिकारी, तालेडा	तहसीलदार, तालेडा
		लाखेरी	उप खण्ड अधिकारी, लाखेरी	तहसीलदार, हिण्ड़ोली
		इन्द्रगढ़	उप खण्ड अधिकारी, हिण्ड़ोली	तहसीलदार, इन्द्रगढ़
10.	चित्तौड़गढ़	चित्तौड़गढ़	उप खण्ड़ मजिस्ट्रेट, चित्तौड़गढ़	तहसीलदार, चित्तौड़गढ़
		रावतभाटा	उप खण्ड़ मजिस्ट्रेट, रावतभाटा	तहसीलदार, रावतभाटा
		कपासन	उप खण्ड़ मजिस्ट्रेट, कपासन	तहसीलदार, कपासन
		बेगूं	उप खण्ड़ मजिस्ट्रेट, बेगूं	तहसीलदार, बेगूं
		बड़ीसादड़ी	उप खण्ड़ मजिस्ट्रेट, बड़ीसादड़ी	तहसीलदार, बड़ीसादड़ी
		निम्बाहेड़ा	उप खण्ड़ मजिस्ट्रेट, निम्बाहेड़ा	तहसीलदार, निम्बाहेड़ा
11.	चुरू	राजगढ़	उप खण्ड़ मजिस्ट्रेट, राजगढ़	तहसीलदार, राजगढ़
		तारानगर	उप खण्ड़ मजिस्ट्रेट, तारानगर	तहसीलदार, तारानगर
		सरदारशहर	उप खण्ड़ मजिस्ट्रेट, सरदारशहर	तहसीलदार, सरदारशहर
		चुरू	उप खण्ड़ मजिस्ट्रेट, चुरू	तहसीलदार, चुरू
		रतननगर	उप खण्ड़ मजिस्ट्रेट, चुरू	तहसीलदार, चुरू
		रतनगढ़	उप खण्ड़ मजिस्ट्रेट, रतनगढ़	तहसीलदार, रतनगढ़
		राजलदेसर	उप खण्ड़ मजिस्ट्रेट, रतनगढ़	तहसीलदार, रतनगढ़
		सुजानगढ़	उप खण्ड़ मजिस्ट्रेट, सुजानगढ़	तहसीलदार, सुजानगढ़
		छापर	उप खण्ड़ मजिस्ट्रेट, सुजानगढ़	तहसीलदार, सुजानगढ़
		बीदासर	उप खण्ड़ मजिस्ट्रेट, बीदासर	तहसीलदार, बीदासर
12.	दौसा	दौसा	उप खण्ड अधिकारी, दौसा	तहसीलदार, दौसा
		लालसोट	उप खण्ड अधिकारी, लालसोट	तहसीलदार, लालसोट
		बांदीकुई	उप खण्ड अधिकारी, बांदीकुई	तहसीलदार, बसवा
13.	धौलपुर	धौलपुर	उप खण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, धौलपुर	तहसीलदार एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट, धौलपुर
		बाड़ी	उप खण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, बाड़ी	तहसीलदार एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट, बाड़ी
		राजाखेड़ा	उप खण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, राजाखेड़ा	तहसीलदार एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट, राजाखेड़ा
14.	डूँगरपुर	डूँगरपुर	उप खण्ड अधिकारी एवं उप खण्ड मजिस्ट्रेट, डूँगरपुर	तहसीलदार, डूँगरपुर
		सागवाड़ा	उप खण्ड अधिकारी एवं उप खण्ड मजिस्ट्रेट, सागवाड़ा	तहसीलदार, सागवाड़ा
15.	श्रीगंगानगर	सादुलशहर	उप खण्ड अधिकारी एवं उप खण्ड़ मजिस्ट्रेट, सादुलशहर	तहसीलदार, सादुलशहर
		गंगानगर	उप खण्ड अधिकारी एवं उप खण्ड़ मजिस्ट्रेट, गंगानगर	तहसीलदार, गंगानगर
		करणपुर	उप खण्ड अधिकारी एवं उप खण्ड़ मजिस्ट्रेट, करणपुर	तहसीलदार, करणपुर
		केसरीसिंहपुर	उप खण्ड अधिकारी एवं उप खण्ड़ मजिस्ट्रेट, करणपुर	तहसीलदार, करणपुर
		पदमपुर	उप खण्ड अधिकारी एवं उप खण्ड़ मजिस्ट्रेट, पदमपुर	तहसीलदार, पदमपुर
		गजसिंहपुर	उप खण्ड अधिकारी एवं उप खण्ड़ मजिस्ट्रेट, पदमपुर	तहसीलदार, पदमपुर
		रायसिंहनगर	उप खण्ड़ अधिकारी एवं उप खण्ड़ मजिस्ट्रेट, रायसिंहनगर	तहसीलदार, रायसिंहनगर
		विजयनगर	उप खण्ड अधिकारी एवं उप खण्ड़ मजिस्ट्रेट, विजयनगर	तहसीलदार, विजयनगर
		अनूपगढ़	उप खण्ड अधिकारी एवं उप खण्ड़ मजिस्ट्रेट, अनूपगढ़	तहसीलदार, अनूपगढ़
		सूरतगढ़	उप खण्ड अधिकारी एवं उप खण्ड़ मजिस्ट्रेट, सूरतगढ़	तहसीलदार, सूरतगढ़

क्र. सं.	जिले का नाम	नगरपालिका / परिषद / निगम का नाम	निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी	सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी
1	2	3	4	5
16.	हनुमानगढ़	हनुमानगढ़	उप खण्ड़ मजिस्ट्रेट, हनुमानगढ़	1. तहसीलदार, हनुमानगढ़ 2. उप पंजीयक, हनुमानगढ
		पीलीबंगा	उप खण्ड़ मजिस्ट्रेट, पीलीबंगा	तहसीलदार, पीलीबंगा
		संगरिया	उप खण्ड़ मजिस्ट्रेट, संगरिया	तहसीलदार, संगरिया
		रावतसर	उप खण्ड़ मजिस्ट्रेट, रावतसर	तहसीलदार, रावतसर
		नोहर	उप खण्ड़ मजिस्ट्रेट, नोहर	तहसीलदार, नोहर
		भादरा	उप खण्ड़ मजिस्ट्रेट, भादरा	तहसीलदार, भादरा
17.	जयपुर	जयपुर **विधानसभा क्षेत्र** विद्याधरनगर (वार्ड सं. 1 से 10)	सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट, आमेर मुख्यालय, जयपुर	उप पंजीयक (तृतीय), जयपुर
		झोटवाड़ा (वार्ड सं. 11 से 14)	सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट, (फास्ट ट्रेक) आमेर मुख्यालय, जयपुर	उप पंजीयक (चतुर्थ), जयपुर
		सिविल लाईन्स (वार्ड सं. 15 से 23)	सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट, जयपुर शहर–द्वितीय	उप पंजीयक (द्वितीय), जयपुर
		सांगानेर (वार्ड सं. 24 से 32)	उप खण्ड अधिकारी एवं उप खण्ड मजिस्ट्रेट, सांगानेर	उप पंजीयक (प्रथम), सांगानेर
		बगरू (वार्ड सं. 33 से 36)	उप खण्ड अधिकारी एवं उप खण्ड मजिस्ट्रेट, जयपुर शहर (दक्षिण)	तहसीलदार, सांगानेर
		मालवीय नगर (वार्ड सं. 37 से 46)	उप खण्ड अधिकारी एवं उप खण्ड मजिस्ट्रेट, जयपुर शहर (पूर्व)	उप पंजीयक (पंचम), जयपुर
		आदर्श नगर (वार्ड सं. 47 से 55)	उप खण्ड अधिकारी एवं उप खण्ड मजिस्ट्रेट, जयपुर शहर (उत्तर)	तहसीलदार, जयपुर
		किशनपोल (वार्ड सं. 56 से 66)	उप खण्ड अधिकारी एवं उप खण्ड मजिस्ट्रेट, जयपुर	उप पंजीयक (प्रथम), जयपुर
		हवामहल (वार्ड सं. 67 से 76)	सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट, जयपुर शहर	तहसीलदार (कृषि भूमि रूपान्तरण) जयपुर
		आमेर (वार्ड सं. 77)	उप खण्ड अधिकारी एवं उप खण्ड मजिस्ट्रेट, आमेर	तहसीलदार, आमेर
		कोटपूतली	उप खण्ड मजिस्ट्रेट, कोटपूतली	तहसीलदार, कोटपूतली
		विराटनगर	उप खण्ड मजिस्ट्रेट, विराटनगर	तहसीलदार, विराटनगर
		शाहपुरा	उप खण्ड मजिस्ट्रेट, शाहपुरा	तहसीलदार, शाहपुरा
		चौंमू	उप खण्ड मजिस्ट्रेट, चौंमू	तहसीलदार, चौमू
		सांभर	उप खण्ड मजिस्ट्रेट, सांभर	तहसीलदार, फुलेरा, मु0 सांभर
		फुलेरा	उप खण्ड मजिस्ट्रेट, दूदू	तहसीलदार, मौजमाबाद
		जोबनेर	सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट, आमेर	नायब तहसीलदार, सांभर
		किशनगढ़ रेनवाल	सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट, सांभर	तहसीलदार, किशनगढ रेनवाल
		बगरू	उप खण्ड मजिस्ट्रेट, द्वितीय, जयपुर	तहसीलदार, सांगानेर
		चाकसू	उप खण्ड मजिस्ट्रेट, चाकसू	तहसीलदार, चाकसू
		बस्सी	उप खण्ड मजिस्ट्रेट, बस्सी	तहसीलदार, बस्सी
18.	जैसलमेर	जैसलमेर	उप खण्ड़ मजिस्ट्रेट , जैसलमेऱ	तहसीलदार, जैसलमेऱ
		पोकरण	उप खण्ड़ मजिस्ट्रेट, पोकरण	तहसीलदार, पोकरण
19.	जालोर	जालोर	उप खण्ड़ अधिकारी, जालोर	तहसीलदार, जालोर
		भीनमाल	उप खण्ड़ अधिकारी, भीनमाल	तहसीलदार, भीनमाल
		सांचोर	उप खण्ड़ अधिकारी, सांचोर	तहसीलदार, सांचोर
20.	झालावाड़	झालावाड़	उप खण्ड़ मजिस्ट्रेट, झालावाड़	तहसीलदार, झालरापाटन
		झालरापाटन	उप खण्ड़ मजिस्ट्रेट, झालावाड़	तहसीलदार, झालरापाटन
		पिड़ावा	उप खण्ड़ मजिस्ट्रेट, पिड़ावा	तहसीलदार, पिड़ावा
		अकलेरा	उप खण्ड़ मजिस्ट्रेट, अकलेरा	तहसीलदार, अकलेरा
		भवानीमंडी	उप खण्ड़ मजिस्ट्रेट, भवानीमंडी	तहसीलदार, पचपहाड
21.	झुन्झुनू	झुन्झुनू	उप खण्ड़ मजिस्ट्रेट, झुन्झुनू	तहसीलदार, झुन्झुनू
		बगड़	उप खण्ड़ मजिस्ट्रेट, झुन्झुनू	तहसीलदार, झुन्झुनू
		मण्ड़ावा	उप खण्ड़ मजिस्ट्रेट, झुन्झुनू	तहसीलदार, झुन्झुनू
		बिसाऊ	उप खण्ड़ मजिस्ट्रेट, मलसीसर	तहसीलदार, मलसीसर
		चिड़ावा	उप खण्ड़ मजिस्ट्रेट, चिड़ावा	तहसीलदार, चिड़ावा
		पिलानी	उप खण्ड़ मजिस्ट्रेट, सूरजगढ	तहसीलदार, सूरजगढ
		विद्याविहार	उप खण्ड़ मजिस्ट्रेट, सूरजगढ	तहसीलदार, सूरजगढ
		सूरजगढ़	उप खण्ड़ मजिस्ट्रेट, सूरजगढ	तहसीलदार, सूरजगढ
		खेतड़ी	उप खण्ड़ मजिस्ट्रेट, खेतड़ी	तहसीलदार, खेतड़ी
		उदयपुरवाटी	उप खण्ड़ मजिस्ट्रेट, उदयपुरवाटी	तहसीलदार, उदयपुरवाटी

क्र. सं.	जिले का नाम	नगरपालिका / परिषद / निगम का नाम	निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी	सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी
1	2	3	4	5
		नवलगढ़	उप खण्ड़ मजिस्ट्रेट, नवलगढ़	तहसीलदार, नवलगढ़
		मुकुन्दगढ़	उप खण्ड़ मजिस्ट्रेट, नवलगढ़	तहसीलदार, नवलगढ़
22.	जोधपुर	विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र सूरसागर, जोधपुर	उप खण्ड मजिस्ट्रेट, जोधपुर	5. तहसीलदार, जोधपुर (वार्ड सं. 1 से 6) 6. तहसीलदार (पश्चिम) जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर (वार्ड सं. 7 से 12) 7. तहसीलदार (दक्षिण) जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर (वार्ड सं. 13 से 17) 8. उप पंजीयक चतुर्थ, जोधपुर (वार्ड सं. 18 से 22 एवं 65)
		विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र, जोधपुर	अति. कलक्टर एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट–शहर, जोधपुर	5. उप पंजीयक तृतीय, जोधपुर (वार्ड सं. 23 से 27) 6. तहसीलदार (उत्तर) जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर (वार्ड सं. 28 से 32) 7. तहसीलदार (पूर्व) जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर (वार्ड सं. 33 से 37) 8. तहसीलदार भू–अभिलेख, जोधपुर (वार्ड सं. 38 से 41 एवं 47,48)
		विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र, सरदारपुरा	अति. कलक्टर एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट–द्वितीय, जोधपुर	5. उप पंजीयक (प्रथम), जोधपुर (वार्ड सं. 42 से 46) 6. उप पंजीयक (द्वितीय), जोधपुर (वार्ड सं. 49 से 53) 7. सहायक भू–प्रबंध अधिकारी, जोधपुर (वार्ड सं. 54 से 58) 8. सहायक वन बंदोबस्त अधिकारी, जोधपुर (वार्ड सं. 59 से 64)
		फलौदी	उप खण्ड़ मजिस्ट्रेट, फलौदी	तहसीलदार, फलौदी
		बिलाड़ा	उप खण्ड़ मजिस्ट्रेट, बिलाड़ा	तहसीलदार, बिलाड़ा
		पीपाड़शहर	उप खण्ड़ मजिस्ट्रेट, पीपाड़शहर	तहसीलदार, पीपाडशहर
		भोपालगढ **(नवगठित)**	उप खण्ड़ मजिस्ट्रेट, भोपालगढ	तहसीलदार, भोपालगढ
23.	करौली	करौली	उप खण्ड़ अधिकारी, करौली	तहसीलदार, करौली
		हिण्डौन	उप खण्ड़ अधिकारी, हिण्डौन	तहसीलदार, हिण्डौन
		टोडाभीम	उप खण्ड़ अधिकारी, टोडाभीम	तहसीलदार, टोडाभीम
24.	कोटा	कोटा	अतिरिक्त जिला कलॅक्टर (नगर), कोटा	3. तहसीलदार, नगर विकास न्यास, कोटा 4. तहसीलदार (भू–अभिलेख), कोटा
			सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (मुख्यालय) कोटा	3. उप पंजीयक प्रथम, कोटा 4. नायब तहसीलदार, लाडपुरा
			उप खण्ड मजिस्ट्रेट, कोटा	3. तहसीलदार, लाडपुरा 4. प्रधानाध्यापक, पटवार प्रशिक्षण शाला, कोटा
		कैथून	उप खण्ड़ मजिस्ट्रेट, कोटा	तहसीलदार, लाड़पुरा
		सांगोद	उप खण्ड मजिस्ट्रेट, सांगोद	तहसीलदार, सांगोद
		रामगंजमण्ड़ी	उप खण्ड मजिस्ट्रेट, रामगंजमण्डी	तहसीलदार, रामगंजमण्डी
		ईटावा **(नवगठित)**	उप खण्ड़ मजिस्ट्रेट, ईटावा	तहसीलदार, पीपलदा
25.	नागौर	नागौर	उप खण्ड़ अधिकारी, नागौर	तहसीलदार, नागौर
		लाडनूं	उप खण्ड़ अधिकारी, लाड़नूं	तहसीलदार, लाड़नू
		ड़ीडवाना	उप खण्ड़ अधिकारी, ड़ीडवाना	तहसीलदार, ड़ीडवाना
		नावां	उप खण्ड़ अधिकारी, नावां	तहसीलदार, नावां
		कुचामन	उप खण्ड़ अधिकारी, कुचामन	तहसीलदार, कुचामन
		मकराना	उप खण्ड़ अधिकारी, मकराना	तहसीलदार, मकराना
		परबतसर	उप खण्ड़ अधिकारी, परबतसर	तहसीलदार, परबतसर
		मेड़ता	उप खण्ड़ अधिकारी, मेड़ता	तहसीलदार, मेड़ता
		कुचेरा	उप खण्ड अधिकारी, खींवसर	तहसीलदार, खींवसर
		मूण्ड़वा	सहायक कलक्टर (मुख्यालय), नागौर	तहसीलदार, मूण्डवा
		डेगाना **(नवगठित)**	उप खण्ड़ अधिकारी, डेगाना	तहसीलदार, डेगाना
26.	पाली	पाली	उप खण्ड़ मजिस्ट्रेट, पाली	तहसीलदार, पाली
		जैतारण	उप खण्ड़ मजिस्ट्रेट, जैतारण	तहसीलदार, जैतारण

क. सं.	जिले का नाम	नगर पालिका / परिषद / निगम का नाम	निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी	सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी
	1	2	3	3
		सोजत सिटी	उप खण्ड़ मजिस्ट्रेट, सोजत	तहसीलदार, सोजत
		सादड़ी	उप खण्ड़ मजिस्ट्रेट, देसूरी	तहसीलदार, देसूरी
		बाली	उप खण्ड़ मजिस्ट्रेट, बाली	तहसीलदार, बाली
		खुडाला फालना स्टेशन	उप खण्ड़ मजिस्ट्रेट, बाली	तहसीलदार, बाली
		रानी खुर्द	उप खण्ड़ मजिस्ट्रेट, रानी	तहसीलदार, रानी
		सुमेरपुर	उप खण्ड़ मजिस्ट्रेट, सुमेरपुर	तहसीलदार, सुमेरपुर
		तख्तगढ़	उप खण्ड़ मजिस्ट्रेट, सुमेरपुर	तहसीलदार, सुमेरपुर
27.	प्रतापगढ़	प्रतापगढ़	उप खण्ड मजिस्ट्रेट, प्रतापगढ़	तहसीलदार, प्रतापगढ़
		छोटीसादड़ी	उप खण्ड मजिस्ट्रेट, छोटी सादड़ी	तहसीलदार, छोटीसादड़ी
28.	राजसमन्द	राजसमन्द	उप खण्ड़ अधिकारी, राजसमन्द	तहसीलदार, राजसमन्द
		नाथद्वारा	उप खण्ड़ अधिकारी, नाथद्वारा	तहसीलदार, नाथद्वारा
		आमेट	उप खण्ड़ अधिकारी, आमेट	तहसीलदार, आमेट
		देवगढ़	उप खण्ड़ अधिकारी, देवगढ	तहसीलदार, देवगढ़
29	सवाईमाधोपुर	सवाई माधोपुर	उप जिला कलॅक्टर, सवाई माधोपुर	तहसीलदार, सवाई माधोपुर
		गंगापुरसिटी	उप जिला कलॅक्टर, गंगापुरसिटी	तहसीलदार, गंगापुरसिटी
30.	सीकर	रामगढ़ शेखावाटी	उप खण्ड़ अधिकारी, रामगढ शेखावटी	तहसीलदार, रामगढ़ शेखावाटी
		फतेहपुर	उप खण्ड़ अधिकारी, फतेहपुर	तहसीलदार, फतेहपुर
		लक्ष्मणगढ़	उप खण्ड़ अधिकारी, लक्ष्मणगढ़	तहसीलदार, लक्ष्मणगढ़
		सीकर	उप खण्ड़ अधिकारी, सीकर	तहसीलदार, सीकर
		लोसल	उप खण्ड़ अधिकारी, दांतारामगढ़	तहसीलदार, दांतारामगढ़
		रींगस	उप खण्ड़ अधिकारी, खण्डेला	तहसीलदार, खण्डेला
		खण्ड़ेला	उप खण्ड़ अधिकारी, खण्डेला	तहसीलदार, खण्डेला
		नीमकाथाना	उप खण्ड़ अधिकारी, नीमकाथाना	तहसीलदार, नीमकाथाना
		श्रीमाधोपुर	उप खण्ड़ अधिकारी, श्रीमाधोपुर	तहसीलदार, श्रीमाधोपुर
31.	सिरोही	सिरोही	उप खण्ड़ अधिकारी, सिरोही	1. तहसीलदार, सिरोही 2. नायब तहसीलदार, सिरोही
		शिवगंज	उप खण्ड़ अधिकारी, शिवगंज	1. तहसीलदार, शिवगंज 2. नायब तहसीलदार, शिवगंज
		पिण्ड़वाड़ा	उपखण्ड अधिकारी, पिण्डवाड़ा	1. तहसीलदार पिण्ड़वाडा 2. नायब तहसीलदार, पिण्डवाडा
		आबू पर्वत	उप खण्ड़ अधिकारी, आबू पर्वत	1. तहसीलदार, आबूरोड़ 2. नायब तहसीलदार, आबूरोड
		आबू रोड़	उप खण्ड़ अधिकारी, रेवदर	1. तहसीलदार, आबूरोड़ 2. नायब तहसीलदार, आबूरोड
32.	टोंक	टोंक	उप खण्ड़ अधिकारी, टोंक	तहसीलदार, टोंक
		निवाई	उप खण्ड़ अधिकारी, निवाई	तहसीलदार, निवाई
		मालपुरा	उप खण्ड़ अधिकारी, मालपुरा	तहसीलदार, मालपुरा
		टोड़ारायसिंह	उप खण्ड़ अधिकारी, टोड़ारायसिंह	तहसीलदार, टोड़ारायसिंह
		देवली	उप खण्ड़ अधिकारी, देवली	तहसीलदार, देवली
		उनियारा	उप खण्ड़ अधिकारी, उनियारा	तहसीलदार, उनियारा, मु0 अलीगढ़
33.	उदयपुर	सलूम्बर	उप खण्ड अधिकारी, सलूम्बर	तहसीलदार, सलूम्बर
		भीण्डर	उप खण्ड अधिकारी, वल्लभनगर	तहसीलदार, वल्लभनगर
		कानोड़	उप खण्ड अधिकारी, वल्लभनगर	तहसीलदार, वल्लभनगर
		फतेहनगर–सनवाड़	उप खण्ड अधिकारी,, मावली	तहसीलदार, मावली
		उदयपुर	1. अतिरिक्त जिला कलक्टर (शहर) उदयपुर	1. तहसीलदार, देवस्थान 2. तहसीलदार, नगर विकास प्रन्यास 3. तहसीलदार, सा. नि. वि.,उदयपुर
			2. उपखण्ड अधिकारी, गिर्वा	1. तहसीलदार, गिर्वा 2. तहसीलदार, बडगांव 3. तहसीलदार, आर.एस.एम.एम

आज्ञा से,
–ह0–
(अशोक कुमार जैन)
सचिव
राज्य निर्वाचन आयोग
राजस्थान, जयपुर

परिशिष्ट–3

Format-A
Voter list Control Chart for ULB's

Name of Municipality ………………………….. District …………………………….

Sr. No.	Name of Assembly Constituency	AC Voter List Part No.	Sr. No. & Total No. Of. Voters			Municipal Ward No.	Sr. No. & Total No. Of. Voters			Name & Number of the Polling Booth		Sr. No. & Total No. Of. Voters		
1	2	3	4			5	6			7		8		
			Serial No.				Serial No.			Name	Number	Serial No.		
			From	To	Total		From	To	Total			From	To	Total

परिशिष्ट–4

निर्वाचक नामावली, 2014

नगरनिगम / नगरपरिषद / नगरपालिका का नाम :	
विधान सभा क्षेत्र का नाम व संख्या :	
नगरपालिका के वार्ड संख्या एवं आरक्षण की स्थिति :	भाग सं :
1. पुनरीक्षण का विवरण : पुनरीक्षण का वर्ष : पुनरीक्षण का प्रकार : अर्हता तिथि : अंतिम प्रकाशन की तिथि :	
2. वार्ड / भाग का विवरण :	मुख्य गांव : पटवार सर्किल : कानूनगों सर्किल : तहसील : जिला :
3. मतदान केन्द्र का विवरण :	
मतदान केन्द्र की संख्या व नाम :	
मतदान केन्द्र के भवन का नाम व पता :	
4. मतदाताओं का विवरण :	

आरंभिक कम संख्या	अंतिम कम संख्या	मतदाताओं की संख्या			
		पुरूष	स्त्री	अन्य	योग

पृ. सं. 1 / 1

निर्वाचक नामावली, 2014

नगरनिगम / नगरपरिषद / नगरपालिका का नाम ....
विधान सभा क्षेत्र का नाम व संख्या :
नगरपालिका वार्ड संख्या : भाग सं :

(नजरी नक्शा अंकित किया जाना हैं)

पृ. सं. 1 / 2

परिशिष्ट–4.2

निर्वाचक नामावली, 2014

नगरनिगम / नगरपरिषद / नगरपालिका का नाम ....

विधान सभा क्षेत्र का नाम व संख्या :

नगरपालिका वार्ड संख्या : भाग सं :

कॉलोनी / बस्ती / मौहल्ले का नाम :

1.	2.	3.
4.	5.	6.
7.	8.	9.
10.	11.	12.
13.	14.	15.
16.	17.	18.
19.	20.	21.
22.	23.	24.
25.	26.	27.
28.	29.	30.

पृ. सं. 1 / 3

निर्वाचक नामावली, 2014

नगरनिगम / नगरपरिषद / नगरपालिका का नाम ....

विधान सभा क्षेत्र का नाम व संख्या :

नगरपालिका वार्ड संख्या : भाग सं :

कॉलोनी / बस्ती / मौहल्ले का नाम :

31.	32.	33.
34.	35.	36.
37.	38.	39.
40.	41.	42.
43.	44.	45.
46.	47.	48.
49.	50.	51.
52.	53.	54.
55.	56.	57.
58.	59.	60.

पृ. सं. 1 / 4

प्ररूप 8

स्थान का नाम (जहाँ आवेदन प्राप्त किए गए हैं)	नाम सम्मिलित करने के लिए प्ररूप 3 या 4 में प्राप्त आवेदनों की सूची
	नगरपालिका का नाम :–
1. वार्ड संख्या 2. भाग संख्या	3. आवेदनों की प्राप्ति की अवधि (इस सूची में सम्मिलित) तारीख .... से तारीख .... तक
4. सुनवाई का स्थान* :	

आवेदन की कम संख्या$	प्राप्ति की तारीख	दावेदार का नाम	पिता / माता / पति का नाम और (संबंध)#	निवास स्थान	सुनवाई की तारीख*	सुनवाई का समय*
1	2	3	4	5	6	7

* निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण आफिसर द्वारा नियत सुनवाई का स्थान, समय और तारीख।

$ प्रत्येक स्थान के लिए कमशः कम संख्या देनी होगी।

\# संबंध पि–पिता, मा–माता, और प–पति के रूप में कोष्ठकों में अर्थात (पि), (मा), (प) दें।

मतदान केन्द्र पर प्रदर्शन की तारीख	निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण ऑफिसर के कार्यालय में प्रदर्शन की तारीख

प्ररूप 9

<table>
<tr><td colspan="3">स्थान का नाम
(जहाँ आवेदन प्राप्त किए गए हैं)</td><td colspan="6">नामों को सम्मिलित करने के विरूद्ध आपत्ति करने के लिए प्ररूप 5 में प्राप्त आवेदनों की सूची</td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td colspan="6">नगरपालिका का नाम :–</td></tr>
<tr><td colspan="4">1. वार्ड संख्या
2. भाग संख्या</td><td colspan="5">3. आवेदनों की प्राप्ति की अवधि (इस सूची में सम्मिलित)
तारीख .... से तारीख .... तक</td></tr>
<tr><td colspan="9">4. सुनवाई का स्थान* :</td></tr>
</table>

आवेदन की क्रम संख्या$	प्राप्ति की तारीख	आक्षेपकर्ता का नाम (पूरा नाम)	आक्षेपित व्यक्ति का ब्योरा			आक्षेप के लिए संक्षेप में कारण	सुनवाई की तारीख*	सुनवाई का समय*
			भाग संख्यांक	क्रम संख्यांक	पूरा नाम			
1	2	3	4	5	6	7	8	9

* निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण आफिसर द्वारा नियत सुनवाई का स्थान, समय और तारीख।

$ प्रत्येक पुनरीक्षण हेतु प्रत्येक अभिहित स्थान के लिए क्रमशः क्रम संख्या देनी होगी।

मतदान केन्द्र पर प्रदर्शन की तारीख	निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण ऑफिसर के कार्यालय में प्रदर्शन की तारीख

<u>परिशिष्ट–7</u>

प्ररूप 10

अभिहित स्थान की पहचान (जहाँ आवेदन प्राप्त किए गए हैं)	निर्वाचक नामावली में प्रविष्टि की विशिष्टियों पर आक्षेप के लिए प्ररूप 6 में प्राप्त आवेदनों की सूची
	नगरपालिका का नाम :–
1. वार्ड संख्या 2. भाग संख्या	3. आवेदनों की प्राप्ति की अवधि (इस सूची में सम्मिलित) तारीख .... से तारीख .... तक
4. सुनवाई का स्थान* :	

आवेदन की क्रम संख्या[$]	प्राप्ति की तारीख	आक्षेप करने वाले निर्वाचन का नाम (पूरा नाम)	आक्षेपित प्रविष्टि की विशिष्टियां		आक्षेप की प्रकृति	सुनवाई की तारीख*	सुनवाई का समय*
			भाग संख्यांक	क्रम संख्यांक			
1	2	3	4	5	6	7	8

* निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण ऑफिसर द्वारा नियत सुनवाई का स्थान, समय और तारीख।

$ प्रत्येक पुनरीक्षण हेतु प्रत्येक अभिहित स्थान के लिए क्रमशः क्रम संख्या देनी होगी।

मतदान केन्द्र पर प्रदर्शन की तारीख	निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण ऑफिसर के कार्यालय में प्रदर्शन की तारीख

नगरपालिका चुनाव 2014
मतदाताओं की संख्या दावे/आपत्तियों का विवरण

जिले का नामः .... नगरपालिका का नामः ....

वार्ड संख्या	विधान सभा की अद्यतन सूची (2014) के अनुसार मतदाताओं की संख्या (न. पा. वार्ड सं संबंधित)				प्रारूप प्रकाशन के समय मतदाताओं की संख्या				दावें/आपत्ति का विवरण									ERO द्वारा स्वविवेक से		अन्तिम प्रकाशन के समय मतदाताओं की संख्या			
									प्राप्त			निस्तारण											
												दावें		नाम हटाने संबंधी आपत्ति		शुद्धि संबंधी आपत्ति							
	कुल	पुरूष	स्त्री	अन्य	कुल	पुरूष	स्त्री	अन्य	दावे	नाम हटाने हेतु प्रस्तुत आपत्तियां	प्रविष्टि में शुद्धि हेतु प्रस्तुत आपत्तियां	स्वीकार	अस्वीकार	स्वीकार	अस्वीकार	स्वीकार	अस्वीकार	जोडे गये नाम	हटाये गये नाम	कुल	पुरूष	स्त्री	अन्य
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24

नोट :– आदेश के बिन्दु संख्या–16 के अनुसार प्रगणक द्वारा इस प्ररूप में रजिस्टर संधारित किया जाएगा।

परिशिष्ट–9

नगरपालिका चुनाव 2014
मतदाता सूची के प्रारूप प्रकाशन एवं अंतिम प्रकाशन का विवरण

जिले का नाम : .... नगरपालिका का नाम : ....

ERO का नाम व पदनाम	वार्ड संख्या	विधान सभा की अद्यतन सूची (2014) के अनुसार मतदाताओं की संख्या (न.पा. वार्ड से संबंधित)				प्रारूप प्रकाशन के समय मतदाताओं की संख्या				अन्तिम प्रकाशन के समय मतदाताओं की संख्या			
		कुल	पुरूष	स्त्री	अन्य	कुल	पुरूष	स्त्री	अन्य	कुल	पुरूष	स्त्री	अन्य
1	2	3	4	5	6	7	10	11	12	13	14	15	16

नोट :– आदेश के बिन्दु संख्या–16 के अनुसार प्रारूप प्रकाशन एवं अंतिम प्रकाशन के पश्चात् सूचना राज्य निर्वाचन आयोग को प्रेषित की जाए।

(8)

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(द्वितीय तल, विकास खण्ड, सचिवालय, जयपुर–302005)
email- secraj@rajasthan.gov.in & secrajasthan@gmail.com, Ph./FAX 0141-2227280, 2227072

क्रमांकः एफ.3(1)(1)नपा/रानिआ/2014/3993 दिनांकः 15.09.2014

जिला निर्वाचन अधिकारी (कलक्टर),
(नगरपालिका) अजमेर, अलवर, बांसवाड़ा, बाड़मेर, बीकानेर, बारां, भरतपुर, चित्तौड़गढ़, चूरू, हनुमानगढ़, जैसलमेर, जालौर, जयपुर, झुंझुनूं, जोधपुर, कोटा, नागौर, पाली, राजसमंद, सीकर, श्रीगंगानगर, सिरोही, टोंक एवं उदयपुर।

विषय : नगरपालिका आम चुनाव, 2014 – मतदाता सूचियों की तैयारी के संबंध में।

महोदय,

नगरपालिका आम चुनाव, 2014 की निर्वाचक नामावली तैयार करने हेतु आयोग द्वारा अपने पत्रांक 2672 दिनांक 24.06.2014 से जारी कार्यक्रम एवं दिशा–निर्देशों के अनुसार नगरपालिका की मतदाता सूचियां विधान सभी की मतदाता सूची के डेटाबेस के आधार पर फोटोयुक्त तैयार कर प्रारूप प्रकाशन दिनांक 13.09.2014 को किया जाना है। प्रारूप प्रकाशन के पश्चात् मतदाता सूची में नाम जुड़वाने, शुद्ध करवाने अथवा नामों पर आक्षेप के संबंध में आवेदन पत्र प्राप्त होते हैं। आयोग का मानना है कि, स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनावों हेतु मतदाता सूची का सही होना अति आवश्यक है। मतदाता सूची में संशोधन की प्रक्रिया के दौरान यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि, पात्र व्यक्ति का नाम छूटे नहीं और अपात्र का नाम जुड़े नहीं। आपको विदित होगा कि मतदाता सूचियों में त्रुटि के समाचार प्रमुखता से मीडिया में छपते रहे हैं। आयोग का यह विश्वास है कि, यदि संबंधित निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी निर्धारित प्रक्रिया अनुसार मतदाता सूची के संशोधन की कार्यवाही करें तो त्रुटि रहने के आसार नगण्य हैं। इसलिए आयोग आपसे व निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी से यह अपेक्षा करता है कि, यह कार्य पूर्ण सर्तकता, लगन व मेहनत से सम्पन्न किया जाए।

आपको विदित है कि, नगरपालिका चुनाव, 2014 के लिए जिस मतदाता सूची का प्रारूप प्रकाशन किया जा चुका है। वह विधानसभा की दिनांक 01.01.2014 के आधार पर अद्यतन सूची व बाद में लोकसभा चुनाव के दौरान मार्च, 2014 तक संशोधित सूची के आधार पर तैयार करवाई गई है। इस प्रकार 01.01.2014 को जो मतदाता 18 वर्ष की आयु प्राप्त करे चुके हैं, उनका नाम पूर्व में ही विधान सभा की मतदाता सूची में होने से नगरपालिका की मतदाता सूची में स्वतः सम्मिलित हो गए हैं। ऐसी स्थिति में प्रारूप प्रकाशन के पश्चात् बहुत अधिक नाम जुड़ने या कटने की संभावना नगरपालिका की मतदाता सूची में नहीं रहती हैं। इसलिए जिन वार्डो में नाम जुड़वाने/हटवाने के अधिक प्रार्थना पत्र प्राप्त होते हैं, इनकी मौके पर गहन जांच के पश्चात् ही निर्णय लिया जाना चाहिए।

नगरपालिका चुनाव, 2014 की मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन होते ही आयोग मतदाता सूची में नाम जुड़वाने/हटवाने की वार्डवार गहन समीक्षा करेगा। इस हेतु दिनांक आयोग का पत्रांक 2672/24.06.14 के निर्देशों में परिशिष्ट 9 में सूचना प्रत्येक मतदाता पंजीयक अधिकारी द्वारा आयोग को भिजवाई जानी है। यह सूचना अंतिम प्रकाशन के साथ ही आयोग की वेबसाईट पर अपलोड की जानी है। इसके विश्लेषण हेतु सॉफ्टवेयर भी तैयार किया गया है और आप भी अपने स्तर पर यह विश्लेषण कर सकते हैं। **प्रत्येक नगरपालिका में यदि अंतिम प्रकाशन के पश्चात् 2% से अधिक मतदाताओं की संख्या में वृद्धि/कमी होती है तो ऐसे प्रत्येक मामले की आयोग स्तर पर समीक्षा की जाएगी और यदि इसमें किसी भी स्तर पर नियमों का उल्लंघ्न पाया गया तो आयोग संबंधित मतदात पंजीयक अधिकारी के विरूद्ध राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 की धारा 20 के अन्तर्गत कार्यवाही करेगा।**

कृपया इस हेतु आपके अधीन समस्त मतदाता पंजीयक अधिकारियों को सूचित करना सुनिश्चित करें और आप स्वयं द्वारा भी इस प्रक्रिया की प्रभावी निगरानी करें।

भवदीय,
–ह0–
(सत्यप्रकाश बसवाला)
मुख्य निर्वाचन अधिकारी
एवं सचिव,

(9)

राज्य निर्वाचन आयोग

क्रमांकः एफ.3(1)(1)नपा/रानिआ/05/1393 जयपुर, दिनांक 15.5.06

प्रेषकः–

मुख्य निर्वाचन अधिकारी एवं सचिव
राज्य निर्वाचन आयोग,राज0,जयपुर

प्रेषितः–

1. समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी,
(कलेक्टर) राजस्थान।

2. पुलिस महानिदेशक,
राजस्थान।

विषयः– **फरार व्यक्तियों के नाम निर्वाचक नामावलियों में से विलोपित किये जाने बाबत्।**

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत जैसा कि आपको विदित है भारत निर्वाचन आयोग द्वारा आपने 5 अगस्त, 2005 के आदेश के द्वारा यह निर्देश प्रसारित किये गये हैं कि निर्वाचक नामावलियों से ऐसे निर्वाचक जिनके विरूद्ध सक्षम न्यायालय द्वारा जारी गैरजमानती वारंट छः माह से अधिक अवधि से लम्बित है तथा उक्त गैरजमानती वारंटों का संबंधित अधिकृत ऐजेन्सियों के द्वारा न्यायालय के स्पष्ट आदेश के बावजूद उनकी तामील नहीं करवाई गई है तथा लम्बे समय से लम्बित चले आ रहे हैं, को पृथक कर दिया जावे। भारत निर्वाचन आयोग के उक्त आदेश की पालना में आप सभी के स्तर पर विधानसभा की मतदाता सूचियों में से गैरजमानती वारंट शुदा मतदाताओं के नाम मतदाता सूचियों से पृथक किये जा रहे हैं।

राज्य निर्वाचन आयोग के ध्यान में लाया गया है कि पंचायती राज संस्थाओं एवं नगरपालिकाओं की मतदाता सूचियों में गैरजमानती वारंटधारी मतदाताओं के नाम दर्ज हैं। अतः राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान, भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 य क और राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 1959 की धारा 17 और राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 18 के साथ पठित संविधान के अनुच्छेद 243ट के अधीन प्रदत् शक्तियों का प्रयोग करते हुये इसके द्वारा निम्नलिखित निर्देश देता है–

1. राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 19 एवं राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 1959 की धारा 24 के तहत पंचायती राज संस्थाओं एवं नगरपालिकाओं में चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थी के लिए यह आवश्यक है कि उसका नाम उस निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में दर्ज हो। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम की धारा 18 एवं राजस्थान नगरपालिका अधिनियम की धारा 17 के तहत मतदाता सूची में नाम दर्ज होने के लिए यह आवश्यक शर्त है किवह उस निर्वाचन क्षेत्र का सामान्यतः निवासी हो।

2. यदि कोई व्यक्ति जिसके विरूद्व गैरजमानती वारन्ट लम्बित है तथा वह अपने सामान्यतः निवास स्थान पर लम्बे समय तकम अनुपस्थित रहता है, पुलिस ऑथरटीज को तलाश करने पर नहीं मिलता है तो यह माना जायेगा कि वह उस स्थान पर सामान्यतः नहीं रहता है तथा यह माना जायेगा कि लम्बे समय तक अपने सामान्यतः निवास स्थान पर निवास नहीं करने के कारण उसने मतदाता सूची में नाम दर्ज रखे जाने की योग्यता खो दी है।

3. राजस्थानी पंचायती राज (निर्वाचन) नियम, 1994 के नियम 20 (द) एवं राजस्थान नगरपालिका निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण आदेश, 1974 के आदेश 17(ए) के प्रावधानों के अन्तर्गत यदि किसी व्यक्ति का सामान्यतः निवासी होना नहीं पाया जाता है तो सम्बन्धित निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी स्वयं की जानकारी में आने पर या अन्य प्रकार से जानकारी में आने पर सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देते हुए उसका मतदाता सूची में से हटा सकता है।

उपरोक्त कानूनी स्थिति को ध्यान में रखते हुए राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा यह निर्णय लिया गया हैं कि जिन व्यक्तियों के विरूद्व 31 दिसम्बर 2005 को समाप्त छः माह से अधिक अवधि के गैरजमानती वारन्ट तामील होने से लम्बित है अर्थात वह व्यक्ति पिछलें छः माह से अपने सामान्यतः निवास स्थान पर नहीं रह रहे है, के नाम सम्बन्धित निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी राजस्थान पंचायती राज (निर्वाचन) नियम, 1994 के नियम 20 (द) एवं राजस्थान नगरपालिका निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण आदेश, 1974 के आदेश 17(ए) के प्रावधानों के अन्तर्गत निर्धारित प्रक्रिया के माध्यम से 31 जुलाई, 2006 से पूर्व हटा दें।

ऐसे मतदाताओं के नाम पृथक किये जाने के लिए पुलिस महानिदेशक, राजस्थान को निर्देश दिये जाते है कि गैरजमानती वारन्ट शुदा व्यक्तियों की पूर्ण सूची, जिसमें उस व्यक्ति की सम्पूर्ण जानकारी, पता तथा छः माह से लम्बित वारन्ट की सूचना हो, सम्बन्धित जिला निर्वाचन अधिकारियों को 15 जून, 2006 तक अनिवार्य रूप से उपलब्ध करवा दी जावे। समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि पुलिस महानिदेशक से प्राप्त उक्त सूची को सम्बन्धित निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को भेजकर 31 जुलाई, 2006 से पूर्व उनके नाम मतदाता सूची से पृथक करवायेंगे।

निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी ऐसे व्यक्तियों को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देंगे। इस हेतु नोटिस का प्रारूप संलग्न कर भेजा जा रहा है। यह नोटिस निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा सम्बन्धित व्यक्ति को रजिस्टर्ड डाक द्वारा या विशेष वाहक द्वारा नियमों में निर्धारित प्रक्रिया के माध्यम से व्यक्तिशः तामील करवाया जायेगा। यह समस्त प्रक्रिया 31 जुलाई, 2006 तक पूरी की जावेगी तथा पाक्षिक रूप से राज्य निर्वाचन आयोग को प्रगति से अवगत करवाया जावेगा। उक्त आदेश की प्रति जिला निर्वाचन अधिकारी अपने अधीनस्थ सम्बन्धित निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को उपलब्ध करवायेंगे।

ह.
(डॉ.आर. वेंकटश्वरन)
सचिव,
राज्य निर्वाचन आयोग,
राजस्थान, जयपुर।

नाम हटाने के लिए राजस्थान नगरपालिका निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण आदेश, 1974 के आदेश 17(ए) के अधीन नोटिस

प्रेषक : निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण ऑफिसर (...)
पद एवं कार्यालय का पूर्ण पता
नगरपालिका / नगरपरिषद / नगरनिगम निर्वाचन क्षेत्र ....

प्रेषितिः

....
....
....।

नोटिस

महोदय / महोदया,

यतः अभिलेख के अनुसार, राजस्थान राज्य के .... नगरपालिका / नगरपरिषद / नगरनिगम निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावली के भाग संख्या .... के कम सं. ....पर आपका नाम एक निर्वाचक के रूप में रजिस्ट्रीकृत है : और

2. यतः अद्योहस्ताक्षरकर्ता को यह रिपोट्ट मिली है कि आप पिछलें छः माह से अधिक समय से निर्वाचक नामावली में दिये गये अपने मामूली तौर पर निवास करने के स्थान से अनुपस्थित पाये गये है। इसलिए यह उपधारणा की जाती है कि आपने निर्वाचन क्षेत्र में ऊपर उल्लिखित पते पर मामूली तौर पर निवास करना बंद कर दिया है।

3. आपको सूचित किया जाता है कि निर्वाचन नामावली से आपका नाम राजस्थान नगरपालिका निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण आदेश 1974 के आदेश 17(ए) के अधीन हटाने का प्रस्ताव अद्योहस्ताक्षरकर्ता द्वारा इस आधार पर किया जाता है कि आपने निर्वाचन क्षेत्र में मामूली तौर पर निवास करना बंद कर दिया है। यदि आपके संबंध में प्रस्तावित कार्यवाही के विरूद्व आपको कुछ कहना है तो आप अद्योहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में दिनांक ....को ....बजे अद्योहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष वैयक्तिक रूप से उपस्थित हो।

4. यह और सूचित किया जाता है कि उपर्युक्त तारीख और समय पर अद्योहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष उपस्थित होने में विफल रहने की दशा में यह उपधारणा की जायेगी कि आपको इस मामलें में कुछ नहीं कहना है और आपका मामला, आपको और सूचित किये बिना, उक्त आदेश 17(ए) के अधीन विनिश्चित कर दिया जायेगा।

स्थानः ....
दिनांक : ....

निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण ऑफिसर (...)
पद एवं कार्यालय का पूर्ण पता
नगरपालिका / नगरपरिषद / नगरनिगम निर्वाचन क्षेत्र ....

नाम हटाने के लिए राजस्थान पंचायती राज (निर्वाचन) नियम 1994 के नियम 20(द) के अधीन नोटिस

प्रेषक : निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण ऑफिसर (..)
पद एवं कार्यालय का पूर्ण पता
जिला परिषद / पंचायत समिति / पंचायत निर्वाचन क्षेत्र ....

प्रेषितिः

....
....
.... ।

नोटिस

महोदय / महोदया,

यतः अभिलेख के अनुसार, राजस्थान राज्य के .... जिला परिषद / पंचायत समिति / पंचायत निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावली के भाग संख्या ....के कम सं. ....पर आपका नाम एक निर्वाचक के रूप में रजिस्ट्रीकृत है : और

2. यतः अद्योहस्ताक्षरकर्ता को यह रिपोट्र मिली है कि आप पिछलें छः माह से अधिक समय से निर्वाचक नामावली में दिये गये अपने मामूली तौर पर निवास करने के स्थान से अनुपस्थित पाये गये है। इसलिए यह उपधारणा की जाती है कि आपने निर्वाचन क्षेत्र में ऊपर उल्लिखित पते पर मामूली तौर पर निवास करना बंद कर दिया है।

3. आपको सूचित किया जाता है कि निर्वाचन नामावली से आपका नाम राजस्थान पंचायती राज (निर्वाचन) नियम, 1994 के नियम 20(द) के अधीन हटाने का प्रस्ताव अद्योहस्ताक्षरकर्ता द्वारा इस आधार पर किया जाता है कि आपने निर्वाचन क्षेत्र में मामूली तौर पर निवास करना बंद कर दिया है। यदि आपके संबंध में प्रस्तावित कार्यवाही के विरूद्व आपको कुछ कहना है तो आप अद्योहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में दिनांक ....को ....बजे अद्योहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष वैयक्तिक रूप से उपस्थित हो।

4. यह और सूचित किया जाता है कि उपर्युक्त तारीख और समय पर अद्योहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष उपस्थित होने में विफल रहने की दशा में यह उपधारणा की जायेगी कि आपको इस मामलें में कुछ नहीं कहना है और आपका मामला, आपको और सूचित किये बिना, उक्त आदेश 20(द) के अधीन विनिश्चित कर दिया जायेगा।

स्थानः ....
दिनांक : ....

निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण ऑफिसर (..)
पद एवं कार्यालय का पूर्ण पता

जिला परिषद / पंचायत समिति / पंचायत निर्वाचन क्षेत्र ....

(10)

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(द्वितीय तल, विकास खण्ड, सचिवालय, जयपुर–302005)
email- secraj@rajasthan.gov.in & secrajasthan@gmail.com, FAX 0141-2227280, 2227072

क्रमांक एफ. 1(4)(1)नपा/रानिआ/14/3705–06 दिनांकः 02.09.2014

1. समस्त जिला नगरपालिका निर्वाचन अधिकारी,
   (कलक्टर) राजस्थान।
2. समस्त निर्वाचक राजिस्ट्रीकरण अधिकारी
   मार्फत जिला निर्वाचन अधिकारी।

विषयः– नगरपालिका आम चुनावों हेतु मतदाता सूचियों की कार्यकारी प्रतियॉ तैयार करने बाबत।

महोदय,

नगरपालिका आम चुनावों हेतु निर्वाचक नामावलियों के अन्तिम प्रकाशन हो जाने के बाद प्रत्येक मतदान केन्द्र से संबंधित निर्वाचक नामावलियों के सुसंगत भागों से पांच कार्यकारी प्रतियां (Working copies) तैयार की जाएगीं। निर्वाचक नामावली की तैयार की गई पांच कार्यकारी प्रतियों को निम्नानुसार उपयोग में लिया जाएगा :–

1. 3 प्रतियां मतदान दल के लिये जारी की जाएगी, जिनका उपयोग निम्नलिखित के द्वारा किया जाएगा :–
   (i) एक प्रति पीठासीन अधिकारी हेतु।
   (ii) मतदाता सूची की चिन्हित प्रति प्रथम मतदान अधिकारी को मतदाता की पहचान हेतु।
   (iii) एक प्रति द्वितीय मतदान अधिकारी हेतु।
2. एक प्रति रिटर्निंग अधिकारी हेतु।
3. एक प्रति रिटर्निंग अधिकारी के कार्यालय उपयोग हेतु।

प्रत्येक मतदान केन्द्र की कार्यकारी प्रति तैयार करने के लिये आपको निम्नांकित कार्य करने हैं :–

1. यह सुनिश्चित कर लें कि जिन मतदाताओं के लिये मतदान केन्द्र स्थापित किया गया है, उनके क्षेत्र से संबंधित निर्वाचक नामावलियों के सुसंगत भाग उनकी प्रत्येक अनुपूरक सूची (यदि कोई हो) सहित समस्त प्रकार से पूर्ण हो।
2. अनुपूरक सूचियों के अनुसार समस्त प्रतियों में हटाये जाने वाले नाम काट दिये जायें, परन्तु मतदाताओं की क्रम संख्या में कोई परिवर्तन नहीं किया जाये यानि, मुद्रित क्रम संख्या को शुद्ध नहीं किया जाये और उनके स्थान पर नये संख्यांक प्रतिस्थापित नहीं किये जायें।
3. अनुपूरक शुद्धि की सूचियों के अनुसार निर्वाचक नामावली में शुद्धियां कर दी जायें।
4. राजस्थान नगरपालिका (निर्वाचन) नियम, 1994 के नियम 10(6) के अधीन नाम निर्देशन पत्र भरने की अंतिम तिथि तक राजस्थान नगरपालिका निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण आदेश, 1974 के खण्ड 17, 17–ए, 17–बी एवं 18 के प्रावधानों के अनुसार कोई नाम सम्मिलित करने या प्रविष्टि को संशोधित करने, अंतरित करने या हटा दिए जाने बाबत् यदि कोई आदेश निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी या अपीलीय अधिकारी द्वारा दिया जाता है तो, उसके अनुरूप अंकन समस्त कार्यकारी प्रतियों में होना सुनिश्चित किया जावे, लेकिन नियम 10(6) के अधीन नाम निर्देशन पत्र भरने की अंतिम तिथि के बाद तथा निर्वाचन की समाप्ति तक कोई परिवर्तन नहीं किया जावे।
5. नामावली की प्रत्येक कार्यकारी प्रति के समस्त पृष्ठ, मूल प्रति के अनुसार क्रम संख्या–1 के अनुक्रम में संख्यांकित हों।
6. पुरूष, महिला और अन्य तथा कुल मतदाताओं की संख्या की गणना कर अंकन कराया जावे।

7. प्रत्येक मतदान केन्द्र की निर्वाचक नामावली के साथ निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा निम्नांकित प्रमाण पत्र (जिस पर निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर, नाम, और पदनाम की सील अंकित होगी) संलग्न किया जाएगाः–

    ''प्रमाणित किया जाता है कि उक्त मतदान केन्द्र की कार्यकारी मतदाता सूची मेरी देखरेख में सही–सही तैयार की गई है, जिसमें पूरक सूची में दर्शित विलोपन होने वाले नामों को स्याही से काट दिया गया है। क्रम संख्या नहीं बदली गई है तथा शुद्ध होने वाली प्रविष्टियों को शुद्ध कर दिया गया है।''

8. प्रत्येक मतदान केन्द्र की निर्वाचक नामावली के प्रत्येक पृष्ठ पर निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर और सील अंकित होनी चाहिये तथा इस प्रकार हस्ताक्षरित निर्वाचक नामावली ही प्रमाणित प्रति मानी जायेगी।

आज्ञा से,
–ह0–
(सत्यप्रकाश बसवाला)
मुख्य निर्वाचन अधिकारी एवं सचिव,
राज्य निर्वाचन आयोग,
राजस्थान, जयपुर।

(11)

राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग

क्रमांकः एफ. 6(4)(1)पं/रानिआ/94/2904 जयपुर, दिनांकः 6.12.95

—:: आदेश ::—

राज्य निर्वाचन आयोग अपने पूर्व आदेश क्रमांकः एफ. 6(4)(1)पं./रानिआ/94/1481 दिनांक 31.10.94 को अतिक्रमण करते हुये आदेश प्रदान करता है कि राजस्थान नगरपालिका निर्वाचकों का रजिस्ट्रीकरण आदेश 1974 के खण्ड 15 के अन्तर्गत निर्वाचक नामावली का अन्तिम प्रकाशन होने के पश्चात उसकी, किसी भाग या प्रविष्टि का निरीक्षण/प्रमाणित प्रतिलिपि या प्रतिलिपियॉ निम्नानुसार शुल्क का भुगतान करने पर किया जा सकता है/प्राप्त की जा सकती है।

(1) खण्ड 15 के उप खण्ड (1) के पैरा (ख) में प्रकाशित एक वार्ड की निर्वाचक नामावली का निरीक्षण :—

(अ) प्रथम घण्टा या उसका भाग। रूपये 10/—
(ब) प्रत्येक अतिरिक्त घण्टे या उसके भाग के रूपये 4/—

(2) वार्ड के प्रत्येक भाग में प्रविष्टियों की प्रमाणित प्रतिलिपि :—

(अ) प्रत्येक भाग की 5 निर्वाचकों की प्रविष्टियों तक प्रति, प्रतिलिपि **रूपये 3/—**
(ब) प्रत्येक भाग की 5 प्रविष्टियों से अधिक किन्तु 20 प्रविष्टियों से कम की प्रति प्रतिलिपि :— **रूपये 5/—**
(स) प्रत्येक भाग की 20 या 20 से अधिक प्रविष्टियों की प्रतिलिपि :— रूपये 10/— प्रथम 100 प्रविष्टियों तक और उसके अग्रेतर प्रत्येक 100 प्रविष्टियों तक रू. 10.00 की दर से अतिरिक्त भुगतान पर।

निर्वाचक नामावली के उदधृत अंशों की प्रमाणित प्रतिलिपि देने बाबत प्रत्येक भाग को एक अलग स्वतंत्र दस्तावेज माना जावेगा।

जैसे यदि कोई व्यक्ति भाग संख्या 2 की प्रविष्टि संख्या 5, भाग संख्या 4 की प्रविष्टि संख्या 15, भाग संख्या 11 की प्रविष्टि संख्या 306, की प्रमाणित प्रतिलिपि एक ही प्रार्थना पत्र के द्वारा लेने के लिये आवेदन करता है तो उसके यह तीन स्वतंत्र प्रार्थना—पत्र माने जावेंगे और उससे 9/— रूपये उपरोक्त शुल्क के लिये जावेंगे।

(3) शुल्क नकद देय होगा। प्रार्थना पत्र साधारण पेपर पर उपरोक्त प्रयोजनार्थ स्वीकार्य होगा।

(4) यह शुल्क सम्बन्धित नगरपालिका के प्राप्ति शीर्षक में जमा होगा।

(5) यह आदेश तुरन्त प्रभावशील होंगे।

ये दरें वित्त (व्यय—1) विभाग की आई.डी.सं. 2854/94 दिनांक 28/29.10.95 और आई.डी.संख्या. 3263 दिनांक 27.11.95 द्वारा दी गयी सहमति के अनुसार है।

ह.
सचिव,
राज्य निर्वाचन आयोग।

(12)

RAJASTHAN STATE ELECTION COMMISSION

NO.F. 4(1)(6) M./SEC/94/431 Jaipur, Dated: 24.10.94

ORDER

Subject : Sale of **Municipality/Panchayat** Voter's list.

The sanction for the fixation of sale price of Voters list of Municipality/Panchayat for the purpose of Municipal/Panchayat Election is given at the following rates:-

(1)	Rate of Voters list of Municipality/ Panchayat per page irrespective of any number of entries.	Rs. 2.00
(2)	Rate of Voters list of Municipality/ Panchayat per both the pages (Printed on both sides) irrespective of any number of entries.	Rs. 4.00

The above rates are inclusive of paper Cost.

The receipt of sale proceeds may please be credited to the concerned Municipality/Panchayat head.

This issues with the concurrence of the finance Department Exp.I vide their I.D.No 2747/94 Dated 20.10.10.94.

sd/-
Chief Electoral Officer & Secy.
State Election ommission,
Rajasthan, Jaipur.

(13)

राज्य निर्वाचन आयोग
राजस्थान, जयपुर।

क्रमांकः एफ.4(3)(1)नपा/रानिआ/94/8 जयपुर,दिनांकः 27.8.94

—:: आदेश ::—

राजस्थान नगरपालिकां (निर्वाचन) नियम 1994 के नियम 2(i) के द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये एवं नियम 27(1) के प्रावधानों के अनुसार नगरपालिका चुनावों के लिये मतदान केन्द्र स्थापित करने हेतु समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी (न.पा.) को उनके अधिकारिता क्षेत्र में नामित किया जाता है।

आज्ञा से,
ह.
(बी. बी. महान्ति)
मुख्य निर्वाचक अधिकारी एवं
सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग
राज0,जयपुर।

(14)

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(द्वितीय तल, विकास खण्ड, सचिवालय, जयपुर–302005)
email- secraj@rajasthan.gov.in & secrajasthan@gmail.com, FAX 0141-2227280, 2227072

क्रमाकः एफ4(3)(1)न.पा. / रा.नि.आ. / 09 / 2579 दिनांक : 16.06.2014

समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी (न.पा.)
(कलेक्टर) राजस्थान।

विषय :– नगरपालिकाओं के निर्वाचन के लिए मतदान केन्द्रों की स्थापना के संबंध में।

महोदय,

राजस्थान नगरपालिका (निर्वाचन) नियम, 1994 के नियम 27 के अनुसार ''राज्य निर्वाचन आयोग के सामान्य या विशिष्ट निर्देशों के अध्यधीन रहते हुए'' मतदान केन्द्र के चयन के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी सक्षम हैं। इसके अतिरिक्त इन्हीं नियमों के नियम 2(k) के प्रावधानों के अन्तर्गत राज्य निर्वाचन आयोग ने भी अपने आदेश संख्या एफ 4(3)(1)न.पा. / रा.नि.आ. / 94 / 8 दिनांक 27.08.1994 के द्वारा समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी (नगरपालिका) को उनके अधिकारिता क्षेत्र में नगरपालिका चुनावों के लिए मतदान केन्द्र स्थापित करने के लिए नामित किया हुआ हैं।

इस क्रम में आयोग मतदान केन्द्र स्थापित करने के संबंध में पूर्व में जारी समस्त आदेशो को अतिक्रमित करते हुए यह निर्देश जारी करता हैं कि :–

1. जिला निर्वाचन अधिकारी नियम–27 के अन्तर्गत प्रत्येक वार्ड के लिए आवश्यक मतदान केन्द्रो का चयन करेगें। मतदान केन्द्र का चयन करते समय यह ध्यान रखा जाए कि मतदान केन्द्र यथा सम्भव उसी वार्ड में स्थापित हों।
2. निर्वाचक नामावली के प्रत्येक भाग के लिये पृथक–पृथक मतदान केन्द्र स्थापित किया जाएगें अर्थात मतदाता सूची का भाग तथा मतदान केन्द्र का क्षेत्र समरूप (Coterminus) होगें।
3. यदि आवश्यकता होने पर एक भवन में एक से अधिक मतदान केन्द्र स्थापित किये जाते हैं तो ऐसी स्थिति में मतदान केन्द्र का पूर्ण विवरण यथा भवन का दाहिना भाग / बॉया भाग / कमरा नं. आदि पूर्ण पहचान अंकित की जाए।
4. मतदान केन्द्र यथा सम्भव सरकारी, अर्द्ध–सरकारी व सार्वजनिक भवनों में स्थापित किए जाए। परिस्थितिवश निजी भवन में कोई मतदान केन्द्र स्थापित करना भी पडे तो ऐसे व्यक्ति या संस्था के मकान में मतदान केन्द्र स्थापित नहीं करे जो किसी राजनीतिक दल अथवा चुनाव लडने वाले उम्मीदवार से संबद्ध हो। यहां यह भी ध्यान रखा जाए कि मतदान केन्द्र पक्के भवनों में ही स्थापित किए जाए यथा संभव अस्थायी ढांचे को टाला जाए।
5. किसी धार्मिक स्थल, पूजा स्थल, अस्पताल, पुलिस थाना, धार्मिक महत्व के भवन पर मतदान केन्द्र स्थापित नहीं किए जाए।
6. जहां तक संभव हो मतदान केन्द्र एक स्थायी जगह पर ही स्थापित होने चाहिए जो ऐसे स्थान हो, जिसके बारे में मतदाताओं को जानकारी हो कि उस स्थान पर मत डाले जाते हैं। विधान सभा एवं लोक सभा निर्वाचनों के लिए जो मतदान केन्द्र निर्धारित किए गए थे यथा संभव उन्हीं स्थानों पर नगरपालिका निर्वाचन के लिए मतदान केन्द्र स्थापित किए जाने चाहिए।
7. मतदान केन्द्रों की स्थापना करते समय यह भी ध्यान रखा जाए कि मतदाता को मत डालने के लिये सामान्यतः दो किलोमीटर से अधिक नहीं चलना पडे।
8. मतदान केन्द्र पर अधिक भीड–भाड से बचने के लिए यथा संभव एक भवन में चार से अधिक मतदान केन्द्र स्थापित नहीं किए जाए।
9. सामान्यतः एक मतदान केन्द्र में 1400 से अधिक मतदाता नहीं होने चाहिए। मतदाता सूची का भाग तथा मतदान केन्द्र की संख्या समरूप होनी चाहिए। मतदाता सूचियों का प्रारूप प्रकाशन मुद्रित प्रतियों से होने के कारण मतदान केन्द्र की संख्या एवं नाम भी मतदाता सूचियों के साथ ही मुद्रित होगें। यह संभव है कि मतदाता सूचियों

के प्रारूप प्रकाशन के पश्चात भी आप द्वारा चयनित मतदान केन्द्रों में कोई परिवर्तन हो जाये तो ऐसी स्थिति में आप मतदाता सूचियों के संबंधित भाग की मुद्रित प्रतियों में मतदान केन्द्र की संख्या एवं नाम में शुद्धि हेतु रबड की मोहर का प्रयोग कर सकते हैं।

10. निर्वाचक नामावलियों की तैयारी के संबंध में यद्यपि यह निर्देश पृथक से दिये जा चुके हैं फिर भी इस बात का ध्यान रखें कि एक मतदान केन्द्र में केवल एक ही वार्ड के मतदाता मत डाल सकते हैं। एक वार्ड में कई मतदान केन्द्र हो सकते हैं लेकिन एक मतदान केन्द्र में एक से अधिक वार्ड का क्षेत्र नहीं हो सकता, क्योकि नगरपालिका चुनावों में वार्ड ही निर्वाचन क्षेत्र है। इससे स्पष्ट हैं कि किसी मतदान केन्द्र में उससे संबंधित भाग के निर्वाचक ही मत डाल सकते हैं।

11. मतदान केन्द्र के भवन का चयन करते समय इस बात का भी ध्यान रखा जाए कि वहां मतदाताओं के प्रवेश एवं निकासी के लिये पर्याप्त स्थान हों। जहां तक संभव हो मतदान केन्द्र के रूप में ऐसे भवनों का चयन किया जाना चाहिए जिसमें कमरों में प्रवेश एवं निकास के लिए पृथक–पृथक दरवाजें हो।

12. मतदान केन्द्रों की नगरपालिकावार सूची संलग्न प्रपत्र–1 में एवं मतदान केन्द्रों का विवरण संलग्न प्रपत्र–2 में जिला निर्वाचन अधिकारी अपने कार्यालय में संधारित करेगें तथा उक्त प्रपत्रों की प्रति राज्य निर्वाचन आयोग को भी प्रेषित की जाए।

13. राजस्थान नगरपालिका (निर्वाचन) नियम 1994 के नियम 27 में प्रावधान है कि चयनित मतदान केन्द्रों एवं उनमें समाविष्ट निर्वाचन क्षेत्रों की एक सूची जिला नगरपालिका निर्वाचन अधिकारी द्वारा प्रकाशित की जायेगी, चूँकि नियमों में यह विनिर्दिष्ट नहीं है कि सूची का प्रकाशन कब किया जावेगा, अतः आयोग निर्देश देता है कि उपरोक्त सूची का प्रकाशन अभ्यर्थिता वापिस लेने के अगले दिन जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा किया जायेगा। प्रकाशित सूची की एक प्रति आपके कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर, एक प्रति रिटर्निंग ऑफिसर के कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर तथा प्रत्येक संबंधित वार्ड के कम से कम दो प्रमुख सहजदृष्य स्थानों पर प्रदर्शित की जायेगी।

14. मतदान केन्द्रो की सूची के प्रकाशन के तुरन्त पश्चात् चुनाव लडने वाले प्रत्येक उम्मीदवार को सूची की दो प्रतियां उपलब्ध कराई जायेंगी।

15. मतदाता सूची तैयार करने हेतु जारी निर्देशों में यह स्पष्ट कर दिया गया हैं कि निर्वाचक नामावली वार्डवार तैयार की जाएगी, जिसे आवश्यकतानुसार सुविधाजनक भागों में विभिक्त किया जा सकेगा। इस प्रकार विभक्त प्रत्येक भाग एवं उस हेतु स्थापित मतदान केन्द्र का क्रमांक–1 से प्रारम्भ होगा।

16. चयनित मतदान केन्द्र भवनों का भौतिक सत्यापन निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी/सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के स्तर से करवाया जाए तथा यह देखा जाए कि मतदान केन्द्र भवन की ईमारत जर्जर अवस्था में तो नहीं हैं, उक्त भवन में निशक्तजन हेतु स्थाई रैम्प हैं अथवा अस्थाई रैम्प की व्यवस्था करनी होगी। मतदान केन्द्र मतदान हेतु पूर्ण सुरक्षित हैं अथवा नहीं यथा चारदीवारी बनी हुई हैं। इस हेतु आयोग द्वारा प्रफोर्मा प्रपत्र–3 तैयार कर पत्र के साथ सूचना आयोग को प्रेषित करने हेतु प्रेषित किया जा रहा हैं।

आज्ञा से,
–ह0–
(अशोक कुमार जैन)
सचिव
राज्य निर्वाचन आयोग,
राजस्थान, जयपुर।

प्रपत्र – 1

मतदान केन्द्रों की सूची

नगरपालिका/परिषद/निगम का नाम : ....

क्र. सं.	मतदान केन्द्र का विवरण (स्थान, भवन आदि)	वार्ड संख्यांक	मतदाता सूची का भाग संख्यांक	मतदाताओं की संख्या	विशेष विवरण
1.	2.	3.	4.	5.	6.

जिला निर्वाचन अधिकारी (नगरपालिका)
(कलक्टर) ....

प्रपत्र – 2

नगरपालिका के मतदान केन्द्रों का विवरण

जिला ....

क्र.सं.	नगरपालिका / परिषद / निगम का नाम	वार्डो की संख्या	मतदान केन्द्रों की संख्या	विशेष विवरण
1.	2.	3.	4.	5.

जिला निर्वाचन अधिकारी (नगरपालिका)
(कलक्टर) ....

प्रपत्र–3

मतदान केन्द्रों के भौतिक सत्यापन की रिपोर्ट

जिले का नाम .... नगरपालिका का नाम ....

विधानसभा क्षेत्र का नाम .... विधानसभा क्षेत्र की संख्या ....

क्र. सं.	मतदान केन्द्र का स्थान	भवन का नाम एवं पता	भवन की विशिष्टियां (सरकारी / अर्द्धसरकारी / प्राईवेट)	मतदान केन्द्र में मतदाताओं की संख्या	मतदान केन्द्र धार्मिक स्थल, पुलिस स्टेशन या अस्पताल में स्थापित तो नहीं हैं उल्लेख करें	मतदान केन्द्र की भौतिक स्थिति यथा भवन की स्थिति	मतदान केन्द्र का क्षेत्रफल	क्या भवन में एक से अधिक मतदान केन्द्र हैं। यदि हां तो संख्या लिखे	मतदान केन्द्र तक पहुंचने हेतु रोड की स्थिति (मतदान केन्द्र तक चलकर पहुंचने हेतु कितनी दूरी तय करनी होगी)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

क्या मतदान केन्द्र में निम्न सुविधाए उपलब्ध हैं							क्या भवन के चारो ओर चार दीवारी हैं	क्या विद्युत कनेक्शन उपलब्ध हैं	क्या सिलिंग फैन लगा हुआ एवं चालू स्थिति में हैं	खिडकिया / दरवाजें टूटे हुए हैं या ठीक स्थिति में हैं	क्या स्थाई रैम्प हैं अथवा नहीं	टिप्पणी
पेयजल	शौचालय / मुत्रालय	शेड	प्रकाश	फर्नीचर	प्रवेश एवं निकास हेतु पृथक दरवाजें	स्त्री / पुरूष मतदाता हेतु पृथक–पृथक लाईन हेतु स्थान उपलब्ध हैं या नहीं						
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23

(15)

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(द्वितीय तल, विकास खण्ड, सचिवालय, जयपुर–302005)
email- secraj@rajasthan.gov.in & secrajasthan@gmail.com, FAX 0141-2227280, 2227072

क्रमांकः एफ4(3)(1)न.पा./रा.नि.आ./09/2844 दिनांक : 15.07.2014

समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी (न.पा.)
(कलेक्टर) राजस्थान।

विषय :– नगरपालिका निर्वाचन के लिए सहायक मतदान केन्द्रों की स्थापना के संबंध में।

महोदय,

नगरपालिका निर्वाचन हेतु मतदान केन्द्रों के स्थापना के लिए आयोग द्वारा पत्र क्रमांक 2579 दिनांक 16.06.2014 के द्वारा निर्देश जारी किए हुए हैं। आदेश के बिन्दु संख्या 9 के अनुसार एक मतदान केन्द्र पर सामान्यतः 1400 मतदाता होगें। मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन के पश्चात् मतदान केन्द्रवार स्थिति स्पष्ट हो जाएगी कि मतदान केन्द्र विशेष में लगभग मतदाताओं की संख्या कितनी हैं। मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन के पश्चात् किसी मतदान केन्द्र पर मतदाताओं की संख्या 1400 से अधिक हो तो वहां पर सहायक मतदान केन्द्र स्थापित किए जा सकते हैं। सहायक मतदान केन्द्र स्थापित करते समय आयोग द्वारा मतदान केन्द्रों की स्थापना हेतु जारी उक्त पत्र में अंकित निर्देशों के अतिरिक्त निम्न बिन्दुओं को भी ध्यान में रखा जाए :–

1. ऐसे मतदान केन्द्र जहां मतदाताओं की संख्या 1400 से अधिक हो गई हैं, उनके साथ आवश्यकतानुसार सहायक मतदान केन्द्र स्थापित किए जा सकते हैं। इन मतदान केन्द्रों के साथ सहायक मतदान केन्द्र स्थापित करने के विषय में यह सुनिश्चित कर लिया जाए कि मूल मतदान केन्द्र के साथ सहायक मतदान केन्द्र उसी भवन में स्थापित हो। सहायक मतदान केन्द्र में सम्मिलित होने वाले क्षेत्र/परिक्षेत्र को संयुक्त रूप से सम्मिलित किया जाए और यह प्रयास किया जाए कि मतदान केन्द्र विशेष की मतदाता सूची के अनुसार आधे–आधे मतदाता जिसमें कि पूरा क्षेत्र/परिक्षेत्र सम्मिलित हैं, विभाजित कर सहायक मतदान केन्द्र स्थापित किया जाए।

2. राज्य निर्वाचन आयोग के मूल मतदान केन्द्र के साथ सहायक मतदान केन्द्र स्थापित करने के विषय में यह निर्देश हैं कि संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारी ऐसे मतदान केन्द्रों जहां कि मतदाताओं की संख्या 1400 से अधिक हो गई हैं, वहां पर उपलब्ध संसाधन यथा मतदान केन्द्र हेतु भवन की उपलब्धता, चुनाव के दौरान नियुक्त किए जाने वाले कार्मिक एवं उपलब्ध पुलिस बल की समीक्षा कर सहायक मतदान केन्द्र स्थापित कर सकते हैं। अतः संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारी इस विषय में उपलब्ध संसाधनों के आधार पर जिले में स्थापित किए जाने वाले सहायक मतदान केन्द्रों के विषय में परीक्षण कर ले तथा आवश्यक हो वही पर सहायक मतदान केन्द्र स्थापित करें।

आज्ञा से,
–ह0–
(अशोक कुमार जैन)
सचिव
राज्य निर्वाचन आयोग,
राजस्थान, जयपुर।

(16)

राजनैतिक दलों और अभ्यर्थियों के मार्गदर्शन के लिये आदर्श आचरण संहिता

राज्य निर्वाचन आयोग

राजस्थान, जयपुर

2014

द्वितीय तल, विकास खण्ड, शासन सचिवालय, जयपुर

राजनैतिक दलों और अभ्यर्थियों के मार्गदर्शन के लिये आदर्श आचरण संहिता

(I) सामान्य आचरण –

1. किसी भी दल या उम्मीदवार को ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहिये जिससे किसी धर्म, सम्प्रदाय व जाति के लोगों की भावना को ठेस पहुॅचे या उनमें विद्वेष व तनाव पैदा हो।

2. **जब अन्य राजनैतिक दलों की आलोचना की जाये, तब उनकी नीतियों और कार्यक्रम, पूर्ववत और कार्य तक ही सीमित होनी चाहिये। यह भी आवश्यक है कि व्यक्तिगत जीवन के ऐसे सभी पहलुओं की आलोचना नहीं की जानी चाहिये, जिनका संबंध अन्य दलों के नेताओं या कार्यकत्ताओं के सार्वजनिक क्रियाकलाप से न हो। दलों या उनके कार्यकत्ताओं के बारे में कोई ऐसी आलोचना नहीं की जानी चाहिये, जो ऐसे आरोपों पर जिनकी सत्यता स्थापित न हुई हो या तोड़–मरोड़कर कही गई बातों पर आधारित हो।**

3. मत प्राप्त करने के लिये धार्मिक, साम्प्रदायिक या जातीय भावनाओं का सहारा नहीं लिया जाना चाहिये तथा निर्वाचन प्रचार के लिये किसी पूजा–स्थल जैसे कि मन्दिर, मस्जिद, गुरूद्वारा, गिरजाघर आदि का उपयोग नहीं किया जाना चाहिये।

4. किसी भी दल और उम्मीदवार को ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहिये जो निर्वाचन विधि के अधीन भ्रष्ट आचरण और अपराध माना गया है, जैसे कि मतदान की समाप्ति के लिये नियत समय पर पूरी होने वाली 48 घन्टे की अवधि के दौरान सार्वजनिक सभा करना, किसी चुनाव सभा में गडबडी करना या विघ्न डालना, मतदान केन्द्र व मतदान केन्द्र की 100 मीटर की परिधि के अन्दर मत संयाचना करना, मतदाताओं को मतदान केन्द्र तक लाने या ले जाने के लिये वाहनों का उपयोग करना, मतदान केन्द्र में या उसके आस–पास विच्छृंखल आचरण करना, मतदान की कार्यवाही में बाधा डालना, मतदाताओं को रिश्वत देना, मतदाताओं का प्रतिरूपण करना आदि।

5. दलों या उम्मीदवारों को चाहिये कि वे अन्य व्यक्ति के विचारों या कार्यों का विरोध करने के लिये उनके निवास पर प्रदर्शन आयोजित करने या धरना देने जैसे तरीकों का सहारा नहीं लेवें तथा इस बात का प्रयास करें कि प्रत्येक व्यक्ति के शंन्तिपूर्ण और विघन रहित घरेलू जिन्दगी के अधिकार, का वे आदर करें, चाहे वे उसके राजनीतिक विचारों या क्रिया कलापों के कितने ही विरूद्ध क्यों न हों।

6. किसी दल या उम्मीदवार को किसी व्यक्ति की भूमि, भवन, अहाते, दीवार आदि का चुनाव प्रतीक लगाने, ध्वज लगाने, पोस्टर चिपकाने, नारे लिखने, बैनर लगाने आदि के लिये बिना अनुमति के उपयोग नहीं करना चाहिये और न ही ऐसा करने की अनुमति अपने अनुयायियों को देनी चाहिये।

7. मतदान के दिन और इससे एक दिन पूर्व की अवधि में किसी दल या किसी उम्मीदवार और उनके कार्यकर्ताओं द्वारा न तो शराब खरीदी जाये और न ही उसे किसी को पेश किया जाये और न ही वितरित की जाये। प्रत्येक दल व उम्मीदवार को अपने कार्यकर्ताओं को ऐसा करने से रोकना चाहिये।

9. किसी भी ऐसे व्यक्ति को अपना निर्वाचन अभिकर्ता या मतदान अभिकर्ता या गणन–अभिकर्ता नियुक्त नहीं करना चाहिये जो केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकारी के अधीनस्थ कर्मचारी है और न ही उन्हें अपने चुनाव प्रचार संबंधी कोई कार्य में शामिल करना चाहिये।

(II) सभाएं –

1. दलों और उम्मीदवारों को चाहिये कि वे और उनके समर्थक अन्य दलों या उम्मीदवारों द्वारा आयोजित सभाओं व जुलूसों में बाधाएं उत्पन्न नहीं करें, और न ही अन्य दलों अथवा उम्मीदवारों द्वारा आयोजित सार्वजनिक सभाओं में मौखिक रूप से या लिखित रूप से प्रश्न पूछकर या अपने अथवा अपने दल के पर्चे वितरित कर कोई विघन पैदा करना चाहिये। दलों व अभ्यर्थियों द्वारा उन स्थानों से होकर अपना जुलूस नहीं ले जाना चाहिये जहॉ पर दूसरे दल अथवा अभ्यर्थी द्वारा सभा की जा रही है। किसी दूसरे दल अथवा अभ्यर्थी के द्वारा लगाये गये पोस्टर भी नहीं हटाने चाहिये।

2. दल या अभ्यर्थी को चुनाव प्रचार के लिये सभा करने से पूर्व यह सुनिशिचित कर लेना चाहिये कि जहॉं पर उनके द्वारा सभा करने का प्रस्ताव है वहॉं कोई निर्बन्धात्मक या प्रतिबन्धात्मक आदेश लागू तो नहीं हैं और यदि ऐसे आदेश लागू हों तो उनका कडाई के साथ पालन करना चाहिये। यदि ऐसे आदेशों से कोई छूट अपेक्षित है तो उसके लिये यथासंभव संबंधित सक्षम अधिकारी को आवेदन करना चाहिये और छूट प्राप्त कर लेनी चाहिये।

3. दल या अभ्यर्थी को किसी प्रस्तावित सभा के स्थान और समय के बारे में स्थानीय पुलिस अधिकारियों को उपयुक्त समय पर सूचना देनी चाहिये, **ताकि वे यातायात नियन्त्रित करने और शांति तथा व्यवस्था बनाये रखने के लिए आवश्यक इंतजाम कर सकें**, और यदि अपेक्षित हो तो संबंधित सक्षम अधिकारी से उसकी अनुमति भी लेनी चाहिये।

4. दल या अभ्यर्थी को चाहिये कि वे अपने किसी प्रस्तावित सभा के संबंध में लाऊड–स्पीकरों के प्रयोग या अन्य किसी सुविधा के लिये अनुमति प्राप्त करना चाहे तो संबंधित सक्षम अधिकारी के पास काफी पहले ही आवेदन करें और ऐसी अनुमति प्राप्त करें। लाऊड–स्पीकरों के उपयोग की अनुमति यदि अपेक्षित है तो बिना अनुमति लाऊड–स्पीकरों का प्रयोग नहीं करना चाहिये और सक्षम अधिकारी से अनुमति लेने के पश्चात् भी लाऊड–स्पीकरों को ऊॅंची आवाज में कदापि नहीं बजायें।

5. किसी दल या अभ्यर्थी के द्वारा सभा आयोजित करने पर यदि ऐसी सभा में कोई विघ्न डाले या अन्यथा अव्यवस्था फैलाने का प्रयास करे तो सभा के आयोजकों को चाहिये कि विघ्न डालने वाले और अव्यवस्था फैलाने का प्रयास करने वाले व्यक्तियों से निपटने के लिये ड्यूटी पर तैनात पुलिस की सहायता प्राप्त करें। आयोजकों को स्वयं ऐसे व्यक्तियों के विरूद्ध कोई कार्यवाही नहीं करनी चाहिये।

(III) जुलूस –

1. दल या अभ्यर्थी को चाहिये कि वे पहले ही यह तय कर लें कि जुलूस किस समय और किस स्थान से शुरू होकर किस समय और किस स्थान पर समाप्त होगा तथा किस मार्ग से होकर जायेगा। कार्यक्रम में बाद में सामान्यतः कोई फेर बदल नहीं करना चाहिये।

2. जुलूस के आयोजकों को चाहिये कि वे जूलूस के कार्यक्रम के बारे में स्थानीय पुलिस को पर्याप्त समय पूर्व सूचित कर दें, ताकि आवश्यक इंतजाम हो सके।

3. जुलूस का आयोजन करने से पूर्व यह आवश्यक रूप से पता कर लेना चाहिये कि जुलूस के निकालने के संबंध में कोई निर्बन्धात्मक आदेश तो लागू नहीं है और जब तक सक्षम अधिकारी द्वारा ऐसे प्रतिबन्धात्मक आदेशों से विशेष रूप से छूट न दे दी जावे तब तक उन निर्बन्धनों का पालन करना चाहिये। जुलूस के आयोजन के समय यातायात में रूकावट न हो और यातायात का जमाव नहीं हो। जुलूस को सडक के एक ओर रखना चाहिये जिससे यातायात में रूकावट न हो और यातायात का जमाव नहीं हो। जूलूस को सडक के एक ओर रखना चाहिये तथा पुलिस के निर्देश व सलाह का पालन करना चाहिये।

4. **यदि दो या दो से अधिक राजनैतिक दलों या अभ्यर्थियों ने लगभग उसी समय पर उसी रास्ते से या उसके भाग से जुलूस निकालने का प्रस्ताव किया है तो, आयोजकों को चाहिये कि वे समय से काफी पूर्व आपस में सम्पर्क स्थापित करें और ऐसी योजना बनाएं, जिससे कि जुलूसों में टकराव न हो या यातायात को बाधा न पहुॅंचे। स्थानीय पुलिस की सहायता संतोषजनक इंतजाम करने के लिये सदा उपलब्ध होगी। इस प्रयोजना के लिये दलों को यथाशीघ्र पुलिस से सम्पर्क स्थापित करना होगा।**

5. दल या अभ्यर्थी को उनके द्वारा आयोजित जुलूसों में किसी व्यक्ति को कोई ऐसी वस्तु लेकर चलने की अनुमति नहीं देनी चाहिये जिसका कि उत्तेजना के क्षणों में दुरूपयोग हो सके।

6. किसी दल या अभ्यर्थी को अन्य दल के सदस्यों या उनके नेताओं या अन्य अभ्यर्थी के पुतले लेकर चलने, उनको किसी सार्वजनिक स्थान पर जलाने का कार्य नहीं करना चाहिये और न ही ऐसे प्रदर्शनों का समर्थन करना चाहिये।

(IV) मतदान दिवस –

सभी राजनैतिक दलों और अभ्यर्थियों को चाहिये कि वे –

1. यह सुनिश्चित करने के लिये कि मतदान निष्पक्ष, शान्तिपूर्वक और सुव्यवस्थित ढंग से हो और मतदाताओं को पूरी स्वतंत्रता हो कि वे बिना किसी परेशानी या बाधा के अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकें, निर्वाचन कर्तव्य पर लगे हुये अधिकारियों के साथ सहयोग करें।
2. अपने प्राधिकृत कार्यकर्ताओं तो उपयुक्त बिल्ले या पहचान पत्र दें।
3. ऐसी व्यवस्था सुनिशिचित करें कि मतदाताओं को उनके द्वारा दी गई पहचान पर्चियॅा सादे सफेद कागज पर होंगी और उन पर कोई प्रतीक, अभ्यर्थी का नाम या दल का नाम नहीं होगा।
4. मतदान के दिन और उसके पूर्व 24 घंटों के दौरान किसी को शराब पेश या वितरित न करें।
5. मतदान केन्द्रों के निकट लगाये गये कैम्पों के नजदीक अनावश्यक भीड इकट्ठी न होने दें जिससे दलों और अभ्यर्थियों के कार्यकर्ताओं और शुभचिन्तकों में आपस में मुकाबला और तनाव न होने पावे।
6. यह सुनिशिचित करें कि अभ्यर्थियों के कैम्प साधारण हों उन पर टैंट नहीं लगाये जायें, उन पर कोई पोस्टर, झंडे, प्रतीक या कोई अन्य प्रचार सामग्री प्रदर्शित न की जाये। कैम्पों में खाद्य पदार्थ पेश न किये जायें और भीड न लगाई जाए।
7. मतदान के दिन वाहन चलाने पर लगाये जाने वाले निर्बन्धनों का पालन करने में प्राधिकारियों के साथ सहयोग करें और वाहनों के लिये परमिट प्राप्त कर लें और उन्हें उन वाहनों पर ऐसे लगा दें जिससे साफ–साफ दिखाई देते रहें।
8. मतदान केन्द्र से 100 मीटर की परिधि में अपना कैम्प किसी भी स्थिति में नहीं लगावें।
9. मतदान केन्द्र व इसकी 100 मीटर परिधि में किसी मतदाता से मत संयांचना नहीं करें और न ही अपने कार्यकर्ताओं को करने दें।
10. वाहन का परमिट सक्षम अधिकारी से प्राप्त कर लेने के बाद भी ऐसे वाहन में स्वयं अभ्यर्थी व उसके परिवारजन अथवा निर्वाचन एजेंट व उसके परिवार के सदस्यों के अलावा अन्य किसी मतदाता को नहीं बिठायें।
11. अपने कार्यकर्ताओं को किसी भी वाहन से अन्य ऐसे मतदाताओं को जो उनके स्वयं के परिवारजन नहीं हैं, मतदान केन्द्रों तक लाने व वहॅा से ले जाने का कार्य करने से पूर्णतः रोकें।
12. मतदाताओं का प्रतिरूपण अर्थात गलत नाम से मत डालने का प्रयास नहीं करें।

(V) मतदान केन्द्र –

मतदाताओं के सिवाय कोई भी व्यक्ति राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा दिये गये विधिमान्य पास के बिना मतदान केन्द्रों में प्रवेश नहीं करेगा।

(VI) पर्यवेक्षक –

राज्य निर्वाचन आयोग पर्यवेक्षक नियुक्त कर रहा है। यदि निर्वाचनों के संचालन के संबंध में अभ्यर्थियों या उनके अभिकर्ताओं को कोई विशिष्ट शिकायत या समस्या हो तो वे उसकी सूचना पर्यवेक्षक को दे सकते हैं।

(VII) सत्ताधारी दल –

सत्ताधारी दल को, चाहे वह केन्द्र में हो या राज्य में हो, यह सुनिशिचित करना चाहिये कि यह शिकायत करने का कोई मौका न दिया जाये कि उस दल ने अपने निर्वाचन अभियान के प्रयोजनों के लिये अपने सरकारी पद का प्रयोग किया है, और विशेष रूप से –

(1) (क) मंत्रियों को अपने शासकीय दौरों को निर्वाचन में निर्वाचन से संबंधित प्रचार कार्य के साथ नहीं जोडना चाहिये और निर्वाचन के दौरान प्रचार करते हुये शासकीय मशीनरी अथवा कार्मिकों का प्रयोग नहीं करना चाहिये।

(ख) सरकारी विमानों, गाडियों सहित सरकारी वाहनों, मशीनरी और कार्मिकों का सत्ताधारी दल के हित को बढावा देने के लिये प्रयोग नहीं किया जायेगा।

(2) सत्ताधारी दल को चाहिये कि वह सार्वजनिक स्थान जैसे मैदान इत्यादि पर निर्वाचन सभाएं आयोजित सभाएं आयोजित करने और निर्वाचन के संबंध में हवाई उडानों के लिये हैलिपैड के इस्तेमाल करने के लिये अपना एकाधिकार न जमाएं । ऐसे स्थानों का प्रयोग दूसरे दलों और अभ्यर्थियों को भी उन्हीं शर्तों पर करने दिया जाए जिन शर्तों पर सत्ताधारी दल उनका प्रयोग करता है।

(3) सत्ताधारी दल या उसके अभ्यर्थियों का विश्राम गृहों, डाक बंगलों या अन्य सरकारी आवासों पर एकाधिकार नहीं होगा और ऐसे आवासों का प्रयोग निष्पक्ष तरीके से करने के लिये अन्य दलों और अभ्यर्थियों को भी अनुमति दी जायेगी लेकिन कोई भी दल या अभ्यर्थी ऐसे आवासों का व इनके साथ संलग्न परिसरों का प्रचार कार्यालय के रूप में या निर्वाचन प्रोपेगंडा के लिये कोई सार्वजनिक सभा करने की दृष्टि से प्रयोग नहीं करेगा या प्रयोग करने की अनुमति नहीं दी जायेगी।

(4) निर्वाचन अवधि के दौरान, राजनैतिक समाचारों तथा प्रचार की पक्षपातपूर्ण **व्ख्याति** के लिये सरकारी खर्चे से समाचार पत्रों में या अन्य माध्यमों से ऐसे विज्ञापनों का जारी किया जाना, तथा सरकारी जन–माध्यमों का दुरूपयोग कर्तव्यन्ष्ठि होकर बिल्कुल बन्द रहना चाहिये जिनमें सत्ताधारी दल के हितों को अग्रसर करने की दृष्टि से उनकी उपलब्धियॅा दिखाई गई हों।

(5) मंत्रियों और अन्य प्राधिकारियों को उस समय से जब से राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन कार्यक्रम घोषित किये जाते हैं, वैवेकिक निधि में से अनुदानों/अदायगियों की स्वीकृति नहीं देनी चाहिये।

(6) मन्त्री और अन्य प्राधिकारी, उस समय से जब से राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन–कार्यक्रम, घोषित किये जाते हैं :–

   (क) किसी भी रूप में कोई भी वित्तीय मंजूरी या वचन देने की घोषणा नहीं करेंगे, अथवा
   (ख) किसी प्रकार की परियोजनाओं अथवा स्कीमों के लिये आधार शिलाएं आदि नहीं रखेंगे, या
   (ग) सडकों के निर्माण का कोई वचन नहीं देंगे, पीने के पानी की सुविधायें नहीं देंगे, आदि या
   (घ) शासन, सार्वजनिक उपक्रमों आदि में कोई भी तदर्थ नियुक्ति न की जाये जिससे सत्ताधारी दल के हित में मतदाता प्रभावित हो।

(7) केन्द्रीय या राज्य सरकार के मन्त्री, अभ्यर्थी या मतदाता अथवा प्राधिकृत अभिकर्ता की अपनी हैसियत को छोडकर किसी भी मतदान केन्द्र या गणना स्थल में प्रवेश न करें।

(8) मन्त्रियों और अन्य प्राधिकारियों को उस समय से जब से **राज्य** निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन कार्यक्रम घोषित किया जाता है, निर्वाचन संबंधी कार्यो से जुडे हुये अधिकारियों एवं कर्मचारियों के स्थानान्तरण नहीं करने चाहिये।

टिप्पणी – **राज्य निर्वाचन** आयोग कोई भी निर्वाचन की तारीख की घोषणा करेगा जो ऐसे निर्वाचनों के बारे में जारी होने वाली अधिसूचना की तारीख से सामान्यतः तीन सप्ताह से अधिक नहीं होगी।

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(द्वितीय तल, विकास खण्ड, सचिवालय, जयपुर–302005)
email- secraj@rajasthan.gov.in & secrajasthan@gmail.com, FAX 0141-2227280, 2227072

क्रमाकः एफ4(10)(1)न.पा./रा.नि.आ./14/3230–32–33 दिनांक : 08.08.2014

1. समस्त संभागीय आयुक्त, राजस्थान।
2. समस्त महानिरीक्षक, पुलिस रेंज, राजस्थान।
3. समस्त जिला मजिस्ट्रेट व जिला निर्वाचन अधिकारी, राजस्थान।
4. समस्त जिला पुलिस अधीक्षक, राजस्थान।

विषयः–नगरपालिका एवं पंचायतीराज संस्थाओं के निर्वाचन के दौरान कानून एवं व्यवस्था की स्थिति के संबंध में।

महोदय,

स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण चुनाव सुनिश्चित करने हेतु यह आवश्यक है कि प्रत्येक मतदाता अपने मत का उपयोग स्वतंत्र व निर्भीक होकर कर सके। इस हेतु राज्य की कानून एवं व्यवस्था मशीनरी को चुनाव संबंधित अपराधों की रोकथाम व नियन्त्रण हेतु प्रभावी कदम उठाने की महत्ती आवश्यकता है।

भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 K व 243 ZA द्वारा राज्य निर्वाचन आयोग में निहित शक्तियों के अन्तर्गत आयोग ने समय–समय पर नगरपालिकाओं व पंचायतीराज संस्थाओं की चुनाव प्रक्रिया के दौरान कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने हेतु दिशा–निर्देश जारी किए हुए हैं। इन समस्त निर्देशों को संकलित करते हुए पूर्व में जारी समस्त निर्देशों को अतिक्रमित करते हुए निम्न निर्देश जारी किए जाते हैः–

1. नगरपालिका एवं पंचायतीराज संस्थाओं के निर्वाचनों में कानून व्यवस्था की स्थिति को नियंत्रित करने की दृष्टि से आयोग जिला निर्वाचन अधिकारियों एवं जिला पुलिस अधीक्षकों से यह अपेक्षा करता है कि आवश्यक कानूनी प्रावधानों के अनुसार प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित करते हुए विशेष तौर पर निम्नांकित बिन्दुओं पर कार्यवाही सुनिश्चित की जाए :

1.1 स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव का वातावरण तैयार करने के उद्देश्य से मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों एवं क्षेत्रीय विधायकों/सांसदों के साथ मीटिंग कर चुनाव के दौरान आचार संहिता के पालन व कानून व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग प्रदान करने का आग्रह किया जावे।

1.2 प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में संवेदनशील क्षेत्रों व मतदान केन्द्रों की पहचान जिला मजिस्ट्रेट, रिटर्निंग अधिकारी एवं जिले के पुलिस अधीक्षक के परामर्श से तैयार करें। संवेदनशील क्षेत्रों व मतदान केन्द्रों की पहचान हेतु वही प्रक्रिया अपनाई जाए जो विधानसभा व लोकसभा चुनाव में अपनाई गई थी। साथ ही भय व प्रताड़ना से ग्रस्त क्षेत्र, परिवार और मतदाताओं की पहचान की जाए ताकि जिला प्रशासन द्वारा ऐसे मतदाताओं को निर्भीक होकर मतदान करने हेतु आवश्यक सुरक्षा उपलब्ध कराई जा सके। ऐसे संवेदनशील क्षेत्रों में पूर्व में घटी घटनाओं व लिप्त व्यक्तियों का गहन विश्लेषण कर ऐसी रणनीति तैयार कर अमल में लाई जावें कि इन क्षेत्रों में चुनाव शांतिपूर्वक सम्पन्न हों।

1.3 निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान नवीन शस्त्र अनुज्ञापत्र जारी नहीं किए जाएं।

1.4 चुनाव कार्यक्रम के घोषित होते ही आग्नेय शस्त्रों एवं धारदार हथियारों को धारण कर आने जाने को प्रतिबंधित किया जाए।

1.5 चुनाव घोषणा होते ही असामाजिक तत्वों पर निगरानी रखी जाकर उनकी गतिविधियों संबंधी नियमित सूचना की व्यवस्था की जावे। हिस्ट्री शीटर व आदतन अपराधियों पर विशेष ध्यान दिया जावे व राजस्थान पुलिस द्वारा नियमानुसार उनकी गतिविधियां नियन्त्रित की जावे और जहां भी आवश्यक समझा जाए बिना विलम्ब कानूनी कार्यवाही की जावे ताकि चुनाव शांतिपूर्ण हों।

1.6 मतदान दिवस पर ट्रकों, लारियों तथा अन्य यातायात के साधनों को चुनाव क्षेत्र में नियंत्रित किया जाए।

1.7 उन क्षेत्रों में, जहां असामाजिक तत्वों द्वारा अवैद्य शस्त्र तथा गोला बारूद बनाने, बेचने या उपयोग में लेने की संभावनाएं हों, अभियान चलाया जाए व तत्संबंधी प्रभावी कानूनी कार्यवाही सुनिश्चित की जावे।

1.8 राज्य के कई क्षेत्रों में अनुसूचित जातियों व अन्य कमजोर वर्गो को स्वतंत्र व निर्भीक होकर मतदान नहीं करने दिए जाने की घटनाएं पूर्व के कई चुनावों में सामने आई हैं तथा यह भी देखा गया है कि कई व्यक्तियों के विरूद्व अनुसूचित जाति अत्याचार अधिनियम के अन्तर्गत एक से अधिक

मुकदमें दर्ज हैं। ऐसे क्षेत्रों व व्यक्तियों को विशेष रूप से चिन्हित कर प्रभावी निरोधात्मक कार्यवाही की जावे ताकि चुनाव हेतु भयमुक्त वातावरण तैयार हो सके।

1.9 मतदान समाप्ति से 48 घण्टों से पूर्व से तथा मतगणना दिवस को शराब के उपयोग एवं बिक्री को प्रतिबंधित किया जाए।

1.10 मतदान दिवस के चार दिन पूर्व से ही समस्त वाहनों की गहन जांच के लिए अभियान चलाया जाए ताकि असामाजिक तत्वों द्वारा चुनाव क्षेत्रों में हथियार, गोला–बारूद, मादक पदार्थो की तस्करी व अवैद्य धन के परिवहन का प्रभावी ढ़ंग से रोका जा सके।

1.11 चुनाव रैली में तीन से अधिक वाहनों को निकलने की अनुमति नहीं दी जाए तथा यदि अधिक वाहनों के साथ कोई चुनाव रैली निकाली जाती है तो उसे रोका जाए।

1.12 निर्वाचन के दौरान चुनाव कर्तव्यों हेतु नियुक्त किए गए कार्मिकों के साथ यदि दुर्व्यवहार किया जाता है अथवा उन्हें धमकी दी जाती हैं, जिससे चुनाव प्रक्रिया बाधित होने के साथ निर्वाचन कर्तव्यों हेतु नियुक्त कार्मिकों के आत्मविश्वास में कमी आती है। **आयोग ऐसी घटनाओं को गम्भीरता से लेता है।** अतः निर्वाचन के दौरान ड्यूटी पर तैनात कार्मिकों को पूर्ण सुरक्षा प्रदान की जावे। यदि कोई अप्रिय घटना होती है तो जिला निर्वाचन अधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक द्वारा तुरन्त प्रभावी कार्यवाही कर आयोग को अवगत करायेंगे।

1.13 निम्नलिखित अनुज्ञा पत्र धारी व्यक्तियों के शस्त्र चुनाव कार्य संपन्न होने तक जमा कर लिए जाएं एवं चुनाव कार्य समाप्ति के पश्चात् कानून सम्मत होने पर लौटा दिए जावें:–

i) जो जमानत पर छूटे हुए हों,

ii) जिनकी पृष्ठभूमि आपराधिक रही हो, एवं

iii) जो किसी निर्वाचन के दौरान या अन्य किसी समय दंगा–फसाद में सम्मिलित रहे हों।

iv) जिनके विरूद्व कमजोर तबके के लोग डराने–धमकाने की शिकायत करें।

1.14 मतदान दिवस के दिन मतदान केन्द्र के आसपास निषिद्ध क्षेत्र के भीतर चुनाव प्रचार की रोकथाम एवं मतगणना के समय मतगणना केन्द्र पर कानून एवं व्यवस्था की स्थिति बनाए रखने के लिए आयोग के पूर्व निर्देश हैं कि मतदान केन्द्र के 100 मीटर के दायरे में चुनाव ड्यूटी पर तैनात कर्मचारियों को छोडकर किसी भी अन्य व्यक्ति को मोबाईल/कोर्डलैस फोन, वायरलैस सैट, इलेक्ट्रोनिक गजेट्स इत्यादि को लाने व उपयोग की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसी तरह किसी भी व्यक्ति के मतगणना स्थल पर प्रवेश को नियंत्रित करने वाली सीमा या सुरक्षा बलों द्वारा घेराबंदी क्षेत्र के भीतर इस तरह के उपकरणों को लाने व उपयोग की अनुमति नहीं दी जाएगी। यदि किसी भी व्यक्ति द्वारा इन निर्देशों का उल्लंघन करते हुए उसे इस तरह के साधनों के साथ पाया जाता है तो सुरक्षा प्रभारी अधिकारियों द्वारा उन साधनों को जब्त कर लिया जाएगा। मतगणना समाप्ति तथा चुनाव परिणामों की घोषणा हो जाने के पश्चात् ऐसे जब्त साधन संबंधित व्यक्ति को लौटा दिए जाएंगे।

2. यह निर्देश सामान्य (indicative) हैं, Comprehensive नहीं। अतः कानून व्यवस्था से संबंधित अधिकारी वे समस्त कदम उठाऐंगे जिससे चुनाव स्वतंत्र, निष्पक्ष व शांतिपूर्ण हों।

3. इन निर्देशों की प्रभावी पालना सुनिश्चित करने का पूर्ण उत्तरदायित्व संबंधित संभागीय आयुक्त व महानिरीक्षक पुलिस का होगा। वे अपने–अपने संभाग में जिला मजिस्ट्रेट व पुलिस अधीक्षक की नियमित मीटिंग कर इन निर्देशों की पालना की समीक्षा करेंगे व जिला प्रशासन को उचित दिशा–निर्देश प्रदान करेंगे। इन समीक्षा बैठकों में उपरोक्त समस्त बिन्दुओं की बिन्दुवार समीक्षा की जावेगी। बैठक के कार्यवाही विवरण की एक प्रति आयोग को भी अवलोकनार्थ प्रस्तुत की जावे। यह अपेक्षा की जाती है कि निर्वाचन प्रक्रिया प्रारम्भ होने से समाप्त होने तक प्रत्येक जिले की दो समीक्षा बैठके हो जाएं।

4. आयोग के स्तर पर कानून व्यवस्था की निरंतर समीक्षा की जावेगी। इस हेतु जिला निर्वाचन अधिकारी प्रत्येक सप्ताह संलग्न प्रपत्र LOR-I में जिला पुलिस अधीक्षक से सूचना प्राप्त कर अपनी समीक्षा टिप्पणी सहित माह की 7, 14, 21 व 28 तारीख को आयोग की वेबसाईट पर अपलोड करेंगे। समीक्षा टिप्पणी में विशेष तौर पर वे अंकित करेंगे कि जिला पुलिस की कार्यवाही से वे संतुष्ट हैं और चुनाव शांतिपूर्वक व स्वतंत्र एवं निष्पक्ष कराने हेतु किसी प्रकार की कठिनाई की संभावना नहीं है। यह सूचना चुनाव घोषणा होने की तिथि से चुनाव की समाप्ति तक भेजी जाऐंगी। जिला निर्वाचन अधिकारी सुनिश्चित करेंगे कि यह सूचना निर्धारित तिथि को सांय 6.00 बजे तक अपलोड की जानी हैं।

संलग्न : फॉर्म LOR I

आज्ञा से,
–ह0–
(सत्य प्रकाश बसवाला)
मुख्य निर्वाचन अधिकारी एवं सचिव

Form LOR-I

Weekly Law & Order Report for Districts for Electoral Events
MUNICIPAL/PANCHAYAT ELECTIONS, ……………. (Year)

To

1) District Election Officer **2) District Magistrate**

1) Start Date of these reports ………………………………………. (DD/MM/YY)

2) Report for ……………….. ………………………………………. (DD/MM/YY)

Name of Police District :

Name of Range (of IG) :

Sr. No.	Item				Reporting Week	Cumulative from Start Date upto and Including Reporting Day
1	No.of Unlicensed arms/explosive seized					
	(a) Arms	(I) Fire arms				
		(II) Weapons (other than fire arms)				
	(b)	(1) Cartidges				
		(2) Explosives(in Kgs)				
		(3) Others, if any				
2	No.of illicit arms manufacturing centres raided and seizures made					
3	Licensed Arms (Para 1.13 of the instructions)	Deposited				
		Impounded				
		Cancelled				
4	No.of persons bound down under preventive sections of CrPC					
5	Execution of non-bailable warrants		a) Executed	1 Witness		
				2 Criminals		
			b) Pending			
6	No. of incidents of violence related to poll campaign, political rivalry etc.					
	(a) No. of incidence					
	(b) Total killed					
	(c) Total injured					

	(d) Damage to property (in Rs. Lakhs)		
	(e) No. of cases Registered		
	(f) No. of Accused Persons arrested		
7	(a) No.of incidents occured under Atrocities Act 1989 during election		
	(b) No. of FIR's Registered		
	(c) No. of Accused Persons arrested		
	(d) No. of Persons against whom action taken as per para 1.7 of the instructions		
8	Information regarding Vulnerable and sensitive areas		
	(a) No. of Villages/mohalla identified as Vulnerables		
	(b) No. of persons identified as probable source of trouble		
	(c) Of which preventive action taken against		
		Name & Signature of SP	

Comments by District Magistrate

Name & Signature of DM

(18)

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(द्वितीय तल, विकास खण्ड, सचिवालय, जयपुर–302005)
email- secraj@rajasthan.gov.in & secrajasthan@gmail.com, Ph./FAX 0141-2227280, 2227072

क्रमांकः प.1(2)(1)नपा–पंचा / सां.आ. / रानिआ / 14 / 3982 दिनांक : 15.09.2014

<u>अधिसूचना</u>

सां. आ. 95 / 2014 राज्य में नगरपालिकाओं का निर्वाचन कराया जाना है और भारत के संविधान के अनुच्छेद 243–य क के अंतर्गत नगरपालिका संस्थाओं के निर्वाचन के संचालन पर नियंत्रण, अधीक्षण व निर्देशन की शक्तियां राज्य निर्वाचन आयोग में निहित हैं।

राजस्थान नगरपाकि अधिनियम, 1959 की धारा 32–क की उप–धारा (1) के उपबंधों के अनुसार निर्वाचन की अधिसूचना जारी होने की तारीख से निर्वाचन की समाप्ति तक कोई अभ्यर्थी या उसका अधिकृत निर्वाचन अभिकर्ता राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा इस प्रयोजन से लगाये गये प्रतिबंधों के उल्लंघन में किसी वाहन या लाऊडस्पीकर का उपयोग करता है या कट आउटों, होर्डिंग्स, पोस्टरों और बैनरों को प्रदर्शित करता है तो, वह शास्ति जो रूपये 2,000 / – तक हो सकेगी, से दण्डनीय होगा।

अतः नगरपालिकाओं में सदस्यों के लिए निर्वाचनों के शुद्ध एवं सुचारू संचालन के लिए उक्त धारा 32–क और संविधान के अनुच्छेद 243–य क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य निर्वाचन आयोग निर्वाचन की अधिसूचना जारी होने की तारीख से निर्वाचन की समाप्ति तक की अवधि के दौरान अभ्यर्थी या उसके अधिकृत निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा वाहनों या लाऊडस्पीकरों के उपयोग या कट आउटों, होर्डिंग्स, पोस्टरों और बैनरों के प्रदर्शन व इनसे संबंधित अन्य गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए आयोग द्वारा पूर्व में जारी अधिसूचना क्रमांक 7923 दिनांक 25.07.2000 (सां. आ. सं. 42 / 2000) एवं अधिसूचना क्रमांक 2800 दिनांक 09.07.2014 (सां. आ. सं. 84 / 2014) को अतिक्रमित करते हुए निम्न आदेश जारी करता हैः–

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार, लागू होना और प्रारम्भः– (i) इस आदेश का नाम राजस्थान नगरपालिका (वाहनों एवं लाउडस्पीकरों के उपयोग तथा पोस्टरों, बैनरों आदि के प्रदर्शन पर प्रतिबंध) आदेश, 2014 है,

(ii) इसका विस्तार सम्पूर्ण राजस्थान राज्य पर है तथा यह नगरपालिकाओं में सदस्यों के निर्वाचन के संबंध में लागू होगा, और

(iii) यह तुरन्त प्रभाव से लागू होगा।

2.परिभाषाऐंः– (1) आदेश में जब तक कि विषय या संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,–

(i) ''निर्वाचन'' से नगरपालिका के किसी वार्ड के सदस्यों के लिए ''साधारण निर्वाचन'' और ''उप निर्वाचन'' अभिप्रेत है;
(ii) ''प्ररूप क'' से इस आदेश से संलग्न ''प्ररूप क'' अभिप्रेत है;
(iii) ''पैरा'' से इस आदेश का ''पैरा'' अभिप्रेत है;
(iv) ''उप पैरा'' से उस पैरा का ''उप पैरा'' अभिप्रेत है जिसमें यह शब्द आता है; और
(v) ''नियम'' से राजस्थान नगरपालिका (निर्वाचन) नियम, 1994 के नियम अभिप्रेत है;

(2) जो शब्द और पद इस आदेश में प्रयुक्त किये गये हैं किन्तु परिभाषित नहीं किये गये हैं और राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 अथवा राजस्थान नगरपालिका (निर्वाचन) नियम, 1994 में परिभाषित हैं, उनका वही अर्थ होगा जो उक्त अधिनियम और नियम में क्रमशः बताये गये हैं।

(3) **कतिपय प्रकार के वाहनों के उपयोग पर पूर्णतः प्रतिबंध होना–** अभ्यर्थी या उसके निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा निर्वाचन की अधिसूचना की तिथि से निर्वाचन समाप्ति तक किसी भी दिन निम्नांकित वाहनों का उपयोग पूर्णतः निषिद्ध रहेगाः–

(i) बस (ii) ट्रक (iii) मिनी बस और (iv) मेटाडोर

(4) **कतिपय प्रकार के वाहनों के उपयोग को नियंत्रित करना–** उक्त वर्णित वाहनों से भिन्न अन्य किसी वाहन का उपयोग नहीं किया जायेगा;

परन्तु यह कि–

(i) नगर निगम के किसी सदस्य के चुनाव में अधिकतम दो वाहनों का उपयोग किया जा सकेगा;
(ii) नगर परिषद् या नगरपालिका मण्डल के किसी सदस्य चुनाव में अधिकतम एक वाहन का उपयोग किया जा सकेगा;

(iii) उक्त परन्तुक (i) या (ii) के अंतर्गत वाहन का उपयोग काने से पूर्व अभ्यर्थी या उसके निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा वाहन संख्या एवं उसका प्रकार तथा वाहन चालक के नाम व पते की लिखित सूचना संबंधित रिटर्निंग अधिकारी को कम से कम 24 घंटे पूर्व देनी होगी;

(iv) किसी भी निर्वाचन में उक्त परन्तुक (i) अथवा (ii), जैसी भी स्थिति हो, में बताये गये वाहनों सहित तीन से अधिक मोटर वाईकिलों या स्कूटरों की रैली या काफिला नहीं निकाला जायेगा, और मतदान समाप्ति के लिए निर्धारित समय के 48 घण्टे पूर्व की अवधि में ऐसी रैली या काफिला निकाला जाना निषिद्ध रहेगा;

(v) उपरोक्त परन्तुक (i) एवं (ii) के अन्तर्गत मतदान दिवस को वाहन के उपयोग के लिए लिखित अनुमति संबंधित रिटर्निंग अधिकारी से लेनी होगी, जिसके लिए परमिट रिटर्निंग अधिकारी द्वारा जारी किया जायेगा और यदि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 133 सपठित धारा 123(5) के उपबंधों का उल्लंघन किया जाता है तो ऐसी अनुमति रिटर्निंग अधिकारी द्वारा बिना किसी नोटिस के निरस्त कर दी जायेगी।

स्पष्टीकरणः— इस पैरा के प्रयोजन के लिए वाहन से अभिप्रेत जीप, कार, तिपहिया टैम्पों, तांगा तथा ऊंटगाड़ी है।

(5) **लाऊड स्पीकरों के उपयोग पर प्रतिबंधः—** लाऊड स्पीकरों का उपयोग निषिद्ध रहेगा; परन्तु प्रातः 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक क्षेत्राधिकार रखने वाले जिला मजिस्ट्रेट या उपखण्ड मजिस्ट्रेट या किसी कानून में अन्य सक्षम अधिकारी द्वारा लिखित अनुमति के उपरान्त, मतदान समाप्ति के लिए निर्धारित समय से पूर्व की 48 घंटे की अवधि के सिवाय, उपयोग किया जा सकेगा;

परन्तु यह और कि ऐसी अनुमति प्राप्त करेन के लिए अभ्यर्थी या उसके निर्वाचन अभिकर्ता यदि कोई हो, को लिखित रूप में अवगत कराना होगा कि वह किस प्रकार और किसी स्थान पर उसका उपयोग करेगा।

(6) **कट—आऊटों, होर्डिंग्स, पोस्टर एवं बैनरों के प्रदर्शन का निषेध :—** किसी भी निर्वाचन में सार्वजनिक या निजी स्थान पर किसी अभ्यर्थी या राजनैतिक दल के नेता की तस्वीर अथवा चुनाव चिन्ह अथवा नारे दर्शाते हुये कट आऊट, होर्डिंग्स, पोस्टर या बैनर प्रदर्शित नहीं किये जायेंगेः—

परन्तु यह कि—

(i) नगर निगम के किसी सदस्य के चुनाव में अधिकतम 80000 रूपये, नगर परिषद् के किसी सदस्य के चुनाव में अधिकतम 60000 रूपये, तथा नगरपालिका मंडल के किसी सदस्य के चुनाव में अधिकतम 40000 रूपये के पोस्टर एवं बैनर मुद्रित या तैयार कराये जा सकेंगे और उन्हे प्रदर्शित किया जा सकेगा जिसका लेखा—जोखा संलग्न प्ररूप—क में परिणामों की घोषणा के तीन दिन के भीतर जिला नगरपालिका निर्वाचन अधिकारी या उसके द्वारा मनोनीत अधिकारी को प्रस्तुत करना होगा और उक्त अधिकारी प्ररूप—क में लेखा—जोखा प्राप्त होने पर उसे अपने कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर तीन दिन तक प्रदर्शित करेगा। इसके आगामी तीन दिवस में कोई भी इच्छुक व्यक्ति उक्त प्ररूप 'क' के संबंध में आपत्ति या कोई तथ्य प्रस्तुत कर सकेगा;

(ii) पोस्टरों का मुद्रण कराते समय लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 127—क के उपबंधों और उसके आदेशों की पालना करनी होगी;

(iii) पोस्टरों एवं बैनरों के प्रदर्शन के लिए यदि वे सार्वजनिक स्थल पर लगाये जाते है तो संबंधित स्थानीय प्राधिकारी या किसी कानून में इस निमित्त सक्षम अधिकारी की लिखित अनुमति लेनी होगी, साथ ही पोस्टरों एवं बैनरों आदि के प्रदर्शन पर राजस्थान संपत्ति विरूपण रोकथाम अधिनियम, 2006 के प्रावधान भी लागू होंगे;

(iv) किसी भी मतदान बूथ के भवन के 200 मीटर परिधि क्षेत्र में ऐसे पोस्टर या बैनर नहीं लगाये जायेंगे;

(v) मतदान के दिन अभ्यर्थियों द्वारा लगाये जाने वाले निर्वाचन बूथों पर एक बैनर लगाया जा सकता है जिसका आकार 2x5 फीट से अधिक नहीं होगा।

(7) प्रतिबंधों के उल्लंघन पर न्यायालय में शिकायत प्रस्तुत करनाः— (i) क्षेत्राधिकार रखने वाला उपखण्ड अधिकारी संक्षिप्त जांच के पश्चात् इस बात से संतुष्ट हो कि, निर्वाचन में किसी अभ्यर्थी या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने इस आदेश के किसी उपबंध का उल्लंघन किया है तो वह क्षेत्राधिकार के सक्षम न्यायालय में परिवाद प्रस्तुत कर सकेगा, और ऐसे परिवाद तथा की गयी जांच की प्रति राज्य निर्वाचन आयोग और जिला नगरपालिका निर्वाचन अधिकारी को भी तीन दिन के भीतर भेजेगा।

(पप) न्यायालय द्वारा उप पैरा (1) में प्रस्तुत शिकायत के निस्तारण पर निर्णय की प्रति 15 दिन के भीतर संबंधित उपखंड अधिकारी द्वारा राज्य निर्वाचन आयोग तथा जिला नगरपालिका निर्वाचन अधिकारी को भेजी जायेगी।

—ह0—

(सत्यप्रकाश बसवाला)
मुख्य निर्वाचन अधिकारी
एवं सचिव

प्ररूप – क

.... नगर निगम/नगरपालिका/नगरपालिका मण्डल*

वार्ड संख्या .... के सदस्य पद के लिए निर्वाचन

निर्वाचन में अभ्यर्थी के द्वारा मुद्रित या तैयार कराये गये पोस्टरों, बैनरों के विवरण संबंधी घोषणा

1.	अभ्यर्थी का नाम	
2.	अभ्यर्थी के पिता का नाम	
3.	अभ्यर्थी का पता	

4. अभ्यर्थी और उसके निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा तैयार कराये गये बैनरों का विवरणः–

(क)	तैयार कराये गये बैनरों का प्रकार व उनकी संख्या (अलग–अलग विवरण देवें)	
(ख)	तैयार कराये गये बैनरों पर व्यय की गई राशि	
(ग)	बैनर तैयार करने वाले व्यक्ति या फर्म का नाम व पता।	

5. अभ्यर्थी और उसके निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा मुद्रित कराये गये पोस्टरों का विवरणः–

(क)	पोस्टरों का आकार व संख्या	
(ख)	मुद्रक का नाम व पता जहां से मुद्रित कराया गया	
(ग)	मुद्रण पर किया गया व्यय	

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर
नाम :
पूरा पता :

मैं सत्य निष्ठा से प्रमाणित करता हूँ कि मेरे द्वारा दिया गया उपरोक्त विवरण मेरी जानकारी के अनुसार पूर्णतः सत्य है और सही है

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

* जो लागू न हो उसे काट दीजिए।

(19)

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(द्वितीय तल, विकास खण्ड, सचिवालय, जयपुर–302005)
email- secraj@rajasthan.gov.in & secrajasthan@gmail.com, FAX 0141-2227280, 2227072

क्रमांक एफ. 1(4)(1)नपा/रानिआ/14/3817–18 दिनांकः 08.09.2014

1. समस्त जिला नगरपालिका निर्वाचन अधिकारी,
   (कलक्टर) राजस्थान।
2. समस्त रिटर्निंग अधिकारी
   मार्फत जिला निर्वाचन अधिकारी।

विषयः– नगरपालिका आम चुनाव – राजस्थान संपत्ति विरूपण रोकथाम अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत पोस्टर बैनरों आदि के निर्बंधन बाबत्।

महोदय,

राज्य निर्वाचन आयोग की अधिसूचना क्रमांक 7923 दिनांक 25.07.2000 (सां. आ. 42/2000) के पैरा 6 के परन्तुक (iii) के अनुसार पोस्टरों, बैनरों आदि के प्रर्दशन के लिए, यदि वे सार्वजनिक स्थल पर लगाए जाते हैं तो, संबंधित स्थानीय प्राधिकारी या कानून में इस निमित्त सक्षम अधिकारी की लिखित अनुमती लेनी होगी।

इसी क्रम में लेख हैं कि, चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों या उनके द्वारा अधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा चुनाव प्रचार के लिए सार्वजनिक स्थान पर पोस्टरों, बैनरों आदि के लगाने के संबंध में राजस्थान संपत्ति विरूपण रोकथाम अधिनियम, 2006 के प्रतिबंध भी लागू होंगे। अभ्यर्थियों या उनके प्रतिनिधियों द्वारा उक्त अधिनियम के प्रावधानों के विपरीत पोस्टर, बैनर आदि प्रदर्शित किए जाते हैं तो यह कृत्य उक्त अधिनियम के अधीन शास्ती योग्य होगा तथा सक्षम अधिकारी द्वारा इस संबंध में कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

अभ्यर्थियों या उनके प्रतिनिधियों द्वारा चुनाव प्रचार हेतु सार्वजनिक स्थानों पर पोस्टर, बैनर आदि लगाए जाते हैं तो संबंधित नगरपालिका क्षेत्र हेतु विज्ञापन के संबंध में बनी हुई उपविधियों के अन्तर्गत सक्षम अधिकारी की लिखित अनुमति प्राप्त करनी होगी, किन्तु यदि किसी नगरपालिका क्षेत्र हेतु उपविधियां बनी हुई नहीं हैं तो नगरपालिका द्वारा विज्ञापन हेतु बनाए गए होर्डिंग्स या यूनिपोल पर नगरपालिका के सक्षम अधिकारी की लिखित अनुमति तथा निर्धारित शुल्क के भुगतान के उपरान्त अभ्यर्थियों या उनके प्रतिनिधियों द्वारा सार्वजनिक स्थान पर पोस्टरों, बैनरों आदि लगाए जा सकते हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी/रिटर्निंग अधिकारी यह भी सुनिश्चित करेंगे कि, ऐसे विज्ञापन स्थलों का किसी राजनैतिक दल या अभ्यर्थी द्वारा एकाधिकार नहीं कर लिया जाए और सभी को समान अवसर उपलब्ध हो।

भवदीय,
–ह0–
(सत्यप्रकाश बसवाला)
मुख्य निर्वाचन अधिकारी एवं सचिव,
राज्य निर्वाचन आयोग,
राजस्थान, जयपुर

(20)

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान, जयपुर

(द्वितीय तल, विकास खण्ड, सचिवालय, जयपुर–302005)

क्रमांक एफ.4(2)(1)पंचा / रानिआ / 94 / 6246 जयपुर दिनांकः 12.8.05

समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी,
(नगरपालिका) (कलेक्टर) (बाडमेर एवं भरतपुर को छोड़कर)।

विषयः नगरपालिकाओं के लिए आम चुनाव–2005–मतदान दिवस को अभ्यर्थियों द्वारा मतदान बूथ स्थापित करने के संबंध में।

महोदय,

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अपनी अधिसूचना क्रमांक एफ.4 (2) (1) पं.चु. / नपा / 94 / 7923 दिनांक 25.7.2000 के पैरा 6 के परन्तुक (iv) के अनुसार यह उपबन्धित किया गया है कि किसी भी मतदान बूथ के भवन के 200 मीटर परिधी क्षेत्र में किसी भी निर्वाचन में सार्वजनिक या निजी स्थान पर किसी अभ्यर्थी या राजनैतिक दल के नेता की तस्वीर अथवा चुनाव चिन्ह अथवा नारे दर्शाते हुये पोस्टर या बैनर नहीं लगाये जायेंगे तथा उक्त पैरा के खण्ड (v) में यह उपबन्धित है कि मतदान के दिन अभ्यर्थियों द्वारा लगाये जाने वाले निर्वाचन बूथों पर एक बैनर लगाया जा सकता है जिसका आकार 2 x 5 फिट से अधिक नहीं होगा।

अतः मतदान दिवस को मतदान केन्द्र के भवन के 200 मीटर परिधी क्षेत्र में आयोग द्वारा प्रतिबन्धित किये गये पोस्टर या बैनर नहीं लगाये जा सके, इस प्रयोजनार्थ राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा यह निर्देश दिये जाते हैं कि कोई भी अभ्यर्थी मतदान के दिन मतदान केन्द्र के भवन के 200 मीटर परिधि क्षेत्र में अपना निर्वाचन बूथ स्थापित नहीं करेगा।

अभ्यर्थियों द्वारा स्थापित किये जाने वाले ऐसे निर्वाचन बूथों के संबंध में निम्नांकित प्रतिबन्ध भी लागू रहेंगे :–

(1) अभ्यर्थी के द्वारा अधिकतम एक मेज एवं दो कुर्सियाँ लगाई जा सकेंगी और ऐसे बूथ पर छाया के लिए 'छाता' या 'त्रिपाल' लगाया जा सकता है लेकिन साईडों में 'कनात' या 'टेन्ट' लगाने की अनुमति नहीं होगी।

(2) ऐसे निर्वाचन बूथ का उपयोग अभ्यार्थी द्वारा केवल मतदाता पहचान पर्ची का वितरण करने के लिए ही किया जायेगा। मतदाता पहचान पर्चियों पर किसी राजनैतिक दल या अभ्यर्थी का नाम या चुनाव चिन्ह अंकित नहीं होगा। मतदाता पहचान पर्चियों पर मतदाता का नाम, मतदाता सूची का क्रमांक, वार्ड सं. एवं मतदान केन्द्र का नाम ही अंकित हो सकेगा। अन्य किसी भी प्रकार का लेख उस पर अंकित नहीं होगा।

(3) ऐसे निर्वाचन बूथों पर भीड़ इकट्ठी नहीं होने दी जायेगी और ऐसे किसी व्यक्ति को वहाँ खड़ा होने की अनुमति नहीं दी जायेगी जिसने कि अपना मत दे दिया हो।

(4) ऐसे निर्वाचन बूथों पर किसी मतदाता को अपनी इच्छा से मत देने से रोकने के लिये उपयोग में नहीं लिया जायेगा और ना ही अन्य अभ्यर्थियों के बूथों से आने वाले मतदाताओं के आने जाने में बाधा पहुँचायी जायेगी।

उपरोक्त निर्देशों की पालना नहीं करने पर अभ्यर्थी के निर्वाचन बूथ को हटाया जायेगा एवं आयोग की उपरोक्त अधिसूचना के प्रावधानों सहित अन्य सुसंगत कानूनी प्रावधानों के अन्तर्गत कार्यवाही की जावेगी।

कृपया सभी संबंधित को पालना हेतु निर्देशित करें।

–ह0–
सचिव,
राज्य निर्वाचन आयोग,
राजस्थान, जयपुर।

(21)

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(द्वितीय तल, विकास खण्ड, सचिवालय, जयपुर)
email- secraj@rajasthan.gov.in & secrajasthan@gmail.com, FAX 0141-2227280, 2227072

क्रमांकः— प. 1(5)(25)/संस्था/रानिआ/2014/3542 दिनांकः—26.08.2014

प्रेषक,

मुख्य निर्वाचन अधिकारी एवं सचिव
राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान, जयपुर।

प्रेषिति,

समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी,
(कलक्टर) राजस्थान।

विषयः— आगामी नगर पालिका/पंचायती राज संस्थाओं के आम चुनाव 2014—15 हेतु नियुक्त पर्यवेक्षकों को देय सुविधा बाबत्।

महोदय,

विषयान्तर्गत माह नवम्बर 2014 में राज्य के संबंधित जिलों में होने वाले नगर पालिका एवं माह जनवरी/फरवरी 2015 में पंचायती राज संस्थाओं के आम चुनाव हेतु आयोग द्वारा आपके जिले में चुनावों के पर्यवेक्षण हेतु तत्समय पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की जावेगी। वर्ष 2009—10 में सम्पन्न हुये नगर पालिका/पंचायती राज संस्थाओं के आम चुनाव में नियुक्त पर्यवेक्षकों को दी जाने वाली सुविधा के लिये आयोग के पत्र क्रमांक एफ 1 (5) (6) संस्था/रानिआ/2004/3017 दिनांक 08.09.2009 द्वारा निर्देश दिये गये थे। आगामी आम चुनावों में भी दिनांक 08.09.2009 के अनुरूप ही सुविधा देय होगी। सुलभ संदर्भ हेतु उक्त पत्र की छाया प्रति संलग्न कर लेख है कि नियुक्त किये जाने वाले पर्यवेक्षकों का तत्समय उसी अनुरूप सुविधा की व्यवस्था करने का कष्ट करें।

सलग्नः— एक

—ह0—
(सत्य प्रकाश बसवाला)
मुख्य निर्वाचन अधिकारी एवं सचिव
राज्य निर्वाचन आयोग,
राजस्थान, जयपुर।

STATE ELECTION COMMISSION, RAJASTHAN

(2nd Floor, Vikas Khand, Secretariat, Jaipur – 302005)

No.F.1(5)(6)Estt/SEC/04/3017 Dated. 8-9-2009

The District Election Officers,
(COLLECTORS)

Subject:- **"Observers appointed by the State Election Commission" – Extension of courtesies & facilities.**

The State Election Commission by virtue of its plenary power under Article 243K and 243ZA of the Constitution of India deputes Observers for elections of various Local Bodies and Panchayati Raj Institutions that are conducted by the State Election Commission, in order to ensure free and fair elections as well as to manage the conduct of elections in a smooth, efficient and effective manner. The State Election Commission appoints and deploy Observers to assist the State Election Commission in discharging of its constitutional responsibilities for the superintendentce, direction and control of the process of election. The Observers are the eyes and ears of the State Election Commission. They serve as reliable and independent sources of feed back information from the field and their seniority and length of experience in administration is able to provide necessary guidance to the electoral machinery in the field.

It is, therefore, enjoined upon the district administration & all concerned in the election related activities to treat them with due regard and with proper courtesies.

Following minimum courtesies are to be extended to the Observers :-

1. Arrangements should be made to receive and see them off as per their program.
2. As all the Observer will be from the State Cadre, therefore, they are allowed to use their own vehicles. However, the Observer should be given reliable and dependable transport, to enable him to reach the concerned Municipality/PRI by the DEO wherever required.
3. Arrangements for lodging in Circuit House, transport and security of the Observer shall be arranged by the DEO. These arrangements will also cover the PSO, driver, Secretarial assistance liasion officer etc. The expenditure for boarding and lodging will be borne out of daily allowance of the concerned Observer. TA/DA will be drawn by the Observer from their department/office.
4. Fool proof arrangements of their security from the point of arrival to the departure back to their respective place of origin, especially during the stay and tours in the Local Bodies/PRIs allotted to them.
5. **Information folder -** The DEO/RO shall provide each Observer with a folder containing:-
   - (i) A Map of Municipality/Panchayat Samiti.
   - (ii) List of Polling Stations & Contesting Candidates along with Sensitive/Hyper sensitive polling stations, and vulnerable area.
   - (iii) Number of voters for each Municipality/PRI (ward wise).
   - (iv) List of Telephone numbers of Polling Stations, Police Stations, Civil and Police Officers, RO/AROs, Dy. DEO, DEO, SP and other officers connected with election related duties.
   - (v) A book-let containing the election plan for the district and such other documents as are essentials.
   - (vi) Detailed plan for Counting of Votes.
6. The Observers are not to be provided with Guard of Honour.
7. The DEO shall provide the Observers telephone and fax facilities at Circuit House or any other place of their stay. Where more than one Observer is being housed in the same premises only one fax machine, telephone line with STD facility will be sufficient.
8. Specific facilities will also be provided for the Observers in the counting centres. They will be provided a separate table at each counting centre with a STD telephone and fax facility. STD telephone and fax will be jointly used by RO and Observer.
9. Place of stay, the telephone numbers and dates of visits of the Observers should be duly publicized by the DEO, so that representatives of political parties, candidates etc., may meet them with election related complaints or information.
10. The stationery required by the Observers for discharging their duties will be provided by DEO.

-Sd-
Secretary
State Election Commission,
Rajasthan, Jaipur

(22)

STATE ELECTION COMMISSION, RAJASTHAN

2nd Floor, Development Block, Secretariat, Jaipur- 302005

No. F.4(2)(1)/NP/SEC/09/5617 Dated: 22.11.09

To,

1. All The District Election Officers (Municipalities) (Collector)
2. All Returning Officers (Municipalities)

Subject:- Municipal General Election, 2009- Counting agents- Prohibition against entry of Minister/MP/MLA, or the person with security cover into Counting Centres.

Sir,

A tendency has been observed on the part of some candidates to appoint a sitting Minister/M.P/M.L.A as their Counting Agents. These persons generally have security cover provided to them by the State/Security Agencies. On several occasions in the past, requests had been received by the Returning Officers from the above category of persons that they are willing to relinquish the security cover provided to them in order to enable them to act as Election/Counting agents. The aspect that a recipient of such security cannot be allowed to deliberately jeopardize his own security which has been provided to him by the State/Security agencies on the basis of threat perception to him should be kept in view by all the Returning Officers at the time of approving of the appointments of Counting Agents.

It has also been observed that if an MP, MLA or a sitting Minister act as an agent of a candidate that would not be desirable from the point of view maintaining the level playing field during an election apart from their security being compromised.

The State Election Commission, keeping in view all the relevant factors in this regard, directs under its plenary powers conferred upon it by Article 243 ZA of constitution of India that henceforth no sitting Minister either of Union Government or of a State Government, sitting Member of Parliament, sitting Member of Legislative Assembly or any other person having security cover provided by the State (both Union and State Govts.) will be allowed to act as Counting Agent of any candidate during an election. The Returning Officers are further directed not to allow any change in the existing Election Agents, so as to enable any person of the prohibited category to enter the Counting premises.

This may be brought to the notice of all concerned candidates for compliance. This is being issued in continuation to the earlier directions in this regard.

Yours faith fully

sd.

(R.K.Jain)

Secretary,

State Election Commission,

Rajasthan, Jaipur

(23)

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

द्वितीय तल, विकास खण्ड, सचिवालय, जयपुरः 302005

क्रमांकः– प 4(4)(1) नपा/रानिआ/04/4321 दिनांकः–28.10.2009

जिला नगरपालिका निर्वाचन अधिकारी,
(कलेक्टर) समस्त

विषयः–स्थानीय निकायों के चुनावें के दौरान विडियोग्राफी करवाना।

राज्य में 46 नगरपालिकाओं के चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही आदर्श आचार संहिता के प्रावधान दिनांक 23.10.2009 को लागू हो गये है। इसी प्रकार अभ्यर्थियों व उनके निर्वाचन अभिकर्ताओं द्वारा वाहनों, लाउडस्पीकरों, पोस्टरों, बैनरों पर प्रतिबन्ध भी आयोग ने अपनी अधिसूचना दिनांक 25.7.2009 एवं दिनांक 23.10.2009 द्वारा लागू किये हैं। अतः इन चुनावों में आदर्श आचरण संहिता के प्रावधानों एवं उक्त प्रतिबंधों की पालना सुनिश्चित करने के साथ–साथ नामनिर्देशन पत्र दाखिल करने, प्रचार करने, मतदान दिवस की गतिविधियों, मतपेटियों के परिवहन, संग्रहण, एवं अन्य चुनाव सामग्री के संग्रहण, वोटिग मशीनों की तैयारी व सुरक्षित अभिरक्षा, मतगणना एवं परिणामों की घोषणा आदि समस्त महत्वपूर्ण घटनाओं की व्यापक, स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं सारगर्भित जानकारी संकलित करने के लिए विडियोग्राफी आवश्यक है, जिसके लिए निम्न निर्देश जारी किये जाते हैः–

1.प्रत्येक रिटर्निंग अधिकारी अपने क्षेत्राधिकार में उपरोक्त ऐसी समस्त महत्वपूर्ण घटनाओं सभाओं एवं गतिविधियों की विडियोग्राफी करवाएगा।

2.रिटर्निंग अधिकारी विडियोग्राफी का कार्यक्रम बनाते समय, मतदाताओं की संख्या, भौगोलिक स्थिति, बूथ कैपचरिंग/झगडा/दंगा इत्यादि का पूर्व इतिहास, कानून व्यवस्था की स्थिति, अभ्यर्थियों का आचरण व चुनाव प्रक्रिया से सम्बन्धित अपराध इत्यादि का ध्यान रखेगें।

3.अपने उपरोक्त मूल्यांकन के आधार पर रिटर्निंग अधिकारी विडियोग्राफी के लिए वांछित दलों की संख्या का निर्धारण करेगें। इस हेतु य|पि कोई संख्या निर्धारित नहीं की जा रही है लेकिन अपेक्षा की जाती है कि अनावश्यक भार/खर्च नहीं बढाया जाए।

4.इस हेतु किसी विडियोग्राफर की सेवाएं किराए पर लेते समय यह देख लिया जाए कि वह तकनीकी, वित्तीय मापदण्डों की कसौटी पर खरा उतरता है या नहीं, साथ ही यह भी जॉच लिया जाए कि वह किसी राजनैतिक दल से सम्बद्ध या उसका समर्थक नहीं हो, न ही उसका कोई अभिन्न मित्र या रिश्तेदार चुनाव लड रहा हो और न ही उसकी सेवाएं किसी राजनैतिक दल द्वारा अधिग्रहित की गई हो।

5.ऐसा विडियोग्राफर किसी भी सूरत में राजनैतिक दलों/ कार्यकर्ताओं का आतिथ्य स्वीकार नहीं करेगा।

6.विडियोग्राफर चुनाव से सम्बन्धित अधिकारी के निर्देशन में कार्य करेगा।

7.जब जब एवं जहां–जहां आवश्यकता हो विडियोग्राफर आबजर्वक के साथ भी उनके निर्देशन में कार्य करेगा।

8.विडियोग्राफर को यह स्पष्ट रूप से बता दिया जाना चाहिए कि उसे केवल संवेदनशील एवं महत्वपूर्ण घटनाओं, जिनका चुनाव पर असर पड सकता हो, की ही विडियोग्राफी करनी है न की कैसेट/सीडी को भरना मात्र है। इस हेतु निम्न दिशा–निर्देश दिए जाते है।

मुख्यतः निम्नांकित घटनाओं की विडियोग्राफी की जानी है :–

क. चुनाव सभाएं जिन्हें मंत्री/राष्ट्रीय/राज्य स्तरीय नेताओं द्वारा सम्बोधित किया जाए।

ख. दंगा/उपद्रव/पत्थरबाजी/आगजनी इत्यादि की घटनाएं

ग. हिंसक घटना/सम्पत्ति को नुकसान/लूटपाट/हथियारो का दिखाना इत्यादि

घ. बूथ कैपचरिंग

च. मतदाताओं को धमकाना/डराना

छ. मतदाताओं को कम्बल / साड़ीया इत्यादि बांट कर लुभाना

ज. मतदान केन्द्र के सौ मीटर के अन्दर मत याचना

झ. बडे–बडे 'कट आउट' / होर्डिंग, बैनर इत्यादि लगाकर खर्च का भद्धा प्रदर्शन

9.जिस अधिकारी के निर्देशन में विडियोग्राफी की जा रही है, वह इसकी गोपनियता व सुरक्षा का ध्यान रखेगा। तथा यह भी सुनिश्चित करेगा कि रिकार्डिग के साथ छेडछाड न हो और न ही इस तक अनाधिकृत व्यक्तियों की पंहुच हो।

10. रिटर्निंग अधिकारी ऐसी समस्त रिकार्डिग का तुरन्त अवलोकन कर यह सुनिश्चित करेगा कि ऐसी सभाओं / गतिविधियों के आयोजकों / नेताओं / वक्ताओं / संभागीयों द्वारा किसी भी प्रकार से चुनाव नियमों या आदर्श आचार संहिता या आयोग द्वारा अपनी दिनांक 29.7.2000 एवं 23.10.2009 की अधिसूचना के द्वारा लगाये गये प्रतिबन्धों का उल्लंघन तो नहीं किया गया है।

11. ऐसे समस्त प्रकरणों में जिनमें रिटर्निंग अधिकारी स्वयं सक्षम है, तुरन्त कार्यवाही करेगा।

12. ऐसी कैसेट / सीडी जिन पर उपरोक्त आदेशानुसार रिकार्डिग की गई है, के अवलोकन एवं उनकी प्रतियां प्राप्त करने के लिए चुनाव लडने वाले अभ्यर्थियों एवं राजनैतिक दलों द्वारा आवेदन प्राप्त होते रहते है। अतः आयोग इस विषय में समान मापदण्ड अपनाते हुए निम्न प्रक्रिया का निर्धारण करता है।

13. ऐसे समस्त कैसेट / सीडी जो इन आदेशों की पालना में तैयार किए जाएगे, चुनाव के अभिलेख का अंश माने जाएगे और इन्हें पूर्ण सावधानी एवं सुरक्षा के साथ तब तक संग्रहित रखा जाएगा जब तक कि इन्हें आयोग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया, जैसी कि अन्य अभिलेखों के बारे में निर्धारित है के अनुसार नष्ट नहीं किया जाता है। ऐसे समस्त अभिलेख, अन्य चुनाव सम्बन्धी अभिलेखों की भॉति ही सम्बन्धित जिला चुनाव अधिकारी की अभिरक्षा में रखे जाएंगें। ऐसे समस्त कैसेट / सीडी की रिकार्डिग की दिनांक व स्थान तथा की गई घटना का संक्षिप्त विवरण दर्शित करते हुये रिकार्ड में रखा जायेगा।

14. **निरीक्षणः–** कैसेट / सीडी के निरीक्षण लिखित प्रार्थना–पत्र पर किया जा सकेगा। ऐसे आवेदक को कैसेट / सीडी का अवलोकन 25 / –प्रति घंटा या उसके हिस्से के लिए, के शुल्क पर कराया जाएगा लेकिन अति आवश्यक निरीक्षण के लिए यही शुल्क 50 / –रूप्ये होगा। साधारण निरीक्षण आवेदन की दिनांक के पश्चातवर्ती दिवस या बाद के किसी दिन करवाया जाएगा परन्तु ''अत्यावश्यक निरीक्षण'' की स्थिति में उसी दिन निरीक्षण करवाया जाएगा।

15. **सत्यापित प्रतिलिपिः–** (क) आवेदक को कैसेट / सीडी की प्रमाणित प्रति 25 / –रूपये के आवेदन शुल्क एवं स्थानीय स्तर पर निर्धारित व्यय, लेकर दी जा सकेगी। ऐसे प्रत्येक आवेदक को निरीक्षण करने एवं प्रति प्राप्त करने के अपने अधिकार को साबित करना होगा एवं यह भी स्पष्ट रूप से दर्शाना होगा कि आवेदक का उस कैसेट / सीडी में किस प्रकार से समुचित हित निहित है।

(ख) सरकारी उपयोग हेतु निरीक्षण या प्रति प्राप्त करने के लिए किसी प्रकार का शुल्क देय नहीं होगा। कैसेट / सीडी की रिकार्डिग से किसी प्रकार की छेड–छाड या नुकसान नहीं हो, इस के लिए प्रभावी सर्तकता रखी जाएगी एवं कैसेट / सीडी का एकाधिक व्यक्तियों द्वारा सामुहिक निरीक्षण भी वर्जित रहेगा।

16. किसी कैसेट / सीडी की विषय वस्तु के बारे में किसी प्रकार की प्रमाणिकता या सत्यापन नहीं दिया जाएगा बल्कि ''जैसी है, जहां है'' के आधार पर उपलब्ध करवायी जाऐगी।

17. समस्त रिटर्निंग अधिकारियों के भी ध्यान में उपरोक्त निर्देश लाये जावें।

भवदीय,
–ह0–
(आर.के.जैन)
सचिव,
राज्य निर्वाचन आयोग, जयपुर

(24)

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(द्वितीय तल, विकास खण्ड, सचिवालय, जयपुर–302005)
email- secraj@rajasthan.gov.in & secrajasthan@gmail.com, Ph./FAX 0141-2227280, 2227072

क्रमांकः एफ 4(1)(3)नपा / रानिआ / 2014 / 3129 दिनांकः– 05.08.2014

आदेश

राज्य में माह नवम्बर 2014 में 46 नगरपालिकाओं (सूची संलग्न) चुनाव सम्पन्न कराये जायेंगे। इसके बाद माह जनवरी एवं फरवरी 2015 में पूरे राज्य में पंचायती राज संस्थाओं के आम चुनाव भी संपन्न कराये जायेंगे।

संविधान के अनुच्छेद 243 K एवं 243 ZA के अनुसार राज्य में पंचायती राज संस्थाओं एवं नगर पालिकाओं की मतदाता सूचियों की तैयारी तथा इनके चुनावों के संचालन पर पर्यवेक्षण, नियंत्रण, निर्देशन की शक्तियां राज्य निर्वाचन आयोग में निहित हैं। राज्य निर्वाचन आयोग का प्रयोजन स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव का है। इन निर्वाचनों के संचालन में सरकारी मशीनरी विशेषकर जिला निर्वाचन अधिकारी, अपर जिला कलक्टर, उपखण्ड अधिकारी, सहायक कलक्टर, तहसीलदार की महत्त्वपूर्ण भूमिका होती है। स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव के लिए राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देश पर असामाजिक तत्वों के विरूद्ध निरोधात्मक कार्यवाही एवं अवैध गतिविधियों की रोकथाम की कार्यवाही में कानून–व्यवस्था से जुड़ी सरकारी मशीनरी द्वारा संपादित की जाती है ताकि निर्वाचनों के दौरान मतदाता किसी दबाव में नहीं आये, भयभीत नहीं हो और निर्भीक होकर निर्बाध रूप से निर्वाचनों में भाग ले सकें। इस प्रकार की कार्यवाही में पुलिस अधिकारीगण विशेषकर रेंज पुलिस महानिरीक्षक, जिला पुलिस अधीक्षक, अतिरिक्त जिला पुलिस अधीक्षक, उप पुलिस अधीक्षक (वृताधिकारी) तथा थानाधिकारी की भूमिका भी महत्त्वपूर्ण है।

निर्वाचनों के दौरान उपरोक्त वर्णित अधिकारियों की अपने क्षेत्र में भूमिका निष्पक्ष एवं असंदिग्ध प्रतीत होना आवश्यक है। अतः समग्र परिस्थितियों का आंकलन कर विचार करते हुए राज्य निर्वाचन आयोग संविधान के अनुच्छेद 243 K एवं 243 ZA में प्रदत्त शक्तियों एवं इस निमित्त सशक्त करने वाली समस्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नांकित आदेश जारी करता है–

1. जिन नगर पालिकाओं के आम चुनाव माह नवम्बर, 2014 में होने है, उस नगरपालिका क्षेत्र में निर्वाचन का कार्यक्रम घोषित होने के दिन से निर्वाचन समाप्ति तक,
   (a) रेंज पुलिस महानिरीक्षक, जिला निर्वाचन अधिकारी, जिला पुलिस अधीक्षक, अतिरिक्त जिला कलक्टर, अतिरिक्त जिला पुलिस अधीक्षक, उपखण्ड अधिकारी, सहायक कलक्टर तथा उपपुलिस अधीक्षक (वृत्ताधिकारी) अपने गृह जिले में पदस्थापित नहीं रहे,
   (b) उपरोक्त खण्ड (a) में वर्णित अधिकारी दिनांक 01.11.14 को कट ऑफ डेट मानते हुए गत चार वर्षों में तीन वर्ष से अधिक की अवधि में उसी जिले में पदस्थापित नहीं रहे,
   (c) थानाधिकारी उस नगरपालिका क्षेत्र में पदस्थापित नहीं रहे जो उसका गृह नगरपालिका क्षेत्र है, तथा
   (d) दिनांक 01.11.14 को कट ऑफ डेट मानते हुए कोई थानाधिकारी उसी नगर पालिका क्षेत्र मे, जहां चुनाव होना है, गत चार वर्षों में तीन वर्ष से अधिक पदस्थापित नहीं रहे।

2. माह जनवरी–फरवरी, 2015 में पूरे राज्य में पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव कराये जाने है। अतः निर्वाचनों का कार्यक्रम घोषित होने के दिन से निर्वाचन समाप्त होने तक,–
   (a) राज्य में किसी भी जिले में कोई प्रशासनिक अधिकारी यथा जिला कलक्टर, अतिरिक्त जिला कलक्टर, उपखण्ड अधिकारी, सहायक कलेक्टर एवं तहसीलदार अपने गृह जिले में इन पदों पर पदस्थापित नहीं रहे,

(b) उपरोक्त खण्ड (a) में वर्णित अधिकारी दिनांक 01.01.2015 को कट ऑफ डेट मानते हुए गत चार वर्षों में तीन वर्ष से अधिक की अवधि में उसी जिले में इन पदों पर नहीं रहे,
(c) राज्य के किसी भी जिले में निर्वाचन से जुडे पुलिस अधिकारीगण यथा रेंज पुलिस महानिरीक्षक, जिला पुलिस अधीक्षक, अतिरिक्त जिला पुलिस अधीक्षक एवं उप पुलिस अधीक्षक (वृताधिकारी) अपने गृह जिले में पदस्थापित नहीं रहें,
(d) उपरोक्त खण्ड (c) में वर्णित कोई अधिकारी दिनांक 01.01.2015 को कट ऑफ डेट मानते हुए गत चार वर्षों में तीन वर्ष से अधिक की अवधि में उसी जिले में इन पदों पर नहीं रहे,
(e) कोई भी थानाधिकारी अपने गृह–पंचायत समिति क्षेत्र में पदस्थापित नहीं रहे, तथा
(f) कोई भी थानाधिकारी दिनांक 01.01.2015 को कट ऑफ डेट मानते हुए जहां वह पदस्थापित है उसी पंचायत समिति क्षेत्र में गत चार वर्षों में तीन वर्ष से अधिक पदस्थापित नहीं रहे।

उपरोक्त मापदण्ड के विपरीत यदि कोई अधिकारी पदस्थापित है तो उसे वर्तमान पद से स्थानान्तरित करने की कार्यवाही की जावे। स्थानान्तरित करने की कार्यवाही नगरपालिका निर्वाचन संबंधी उपरवर्णित पैरा 1 के मामलों में दिनांक 15.10.14 तक तथा पंचायतीराज सस्थाओं संबंधी उपरवर्णित पैरा 2 के मामलों में दिनांक 15.12.14 तक संपन्न कर ली जायें। यदि किसी मामले में राज्य सरकार उपरोक्त मापदण्ड में शिथिलता चाहे तो ऐसे मामलों को राज्य निर्वाचन आयोग को पूर्ण विवरण के साथ भेजा जाये।

आज्ञा से,
–ह0–
(सत्य प्रकाश बसवाला)
मुख्य निर्वाचन अधिकारी एवं सचिव

(25)

STATE ELECTION COMMISSION, RAJASTHAN

2nd Floor, Vikas Khand, Secretariat, Jaipur – 302005

email- secraj@rajasthan.gov.in & secrajasthan@gmail.com, Ph./FAX 0141-2227280, 2227072

No. F 4(1)(3)NP/SEC/14/3669 Dated : 01-09-2014

From : CHIEF ELECTROL OFFICER & SECY.
STATE ELECTION COMMISSION, RAJ.

To: DISTRICT MUNICIPAL ELECTION OFFICERS
(COLLECTORS) . Ajmer, Alwar, Banswara, Barmer, Bikaner, Baran, Bharatpur, chittorgarh, Churu, Hanumangarh, Jaisalmer, Jalore, Jaipur, Jhunjhunu, Jodhpur, Kota, Nagour, Pali, Rajsamand, Sikar, Sriganganagar, Sirohi, Tonk And Udaipur.

INFORM : DIRECTOR, PUBLIC RELATION, RAJASTHAN, JAIPUR

Sub : **Regarding authorisation letters to press personnel for ensuing Municipal General Election, 2014**.

Kindly refer to subject cited above that State Election Commission Authorises all District Election Officers in their respective districts to issue authorisation letter to press personnel. The list of these personnel shall be submitted by PRO of the District to the District Election Officers who will take decision for the press personnel with regard to issue such passes, as per local circumstances and exigency.

-Sd-
(Satyaprakash Baswala)
Chief Electoral officer
& Secretary
State Election Commission
Rajasthan

(26)

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(द्वितीय तल, विकास खण्ड, सचिवालय, जयपुर–302005)
email- secraj@rajasthan.gov.in & secrajasthan@gmail.com, FAX 0141-2227280, 2227072

क्रमांकः एफ. 4(6)(1) नपा / रानिआ / 2013 / 4261 दिनांक : 26.09.2014

समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी
(नगरपालिका / पंचायत), (कलक्टर) राजस्थान।

विषय :– नगरपालिका एवं पंचायतीराज संस्थाओं के निर्वाचन के दौरान पेड न्यूज।

महोदय,

राजनैतिक दलों एवं अभ्यर्थियों द्वारा निर्वाचन के दौरान राजनैतिक लाभ पाने की मंशा मीडिया के साथ मिलकर पेड न्यूज का सहारा लिया जाता है। पेड न्यूज से आशय ऐसे समाचारों से हैं जो प्रिंट एवं इलेक्ट्रोनिक मीडिया या अन्य किसी रीति के द्वारा विज्ञापन के रूप में नहीं आकर एक सामान्य समाचार की तरह प्रकाशित या प्रसारित की जाती हैं। ये समाचार किसी विशेष राजनैतिक दल या अभ्यर्थी के पक्ष में होते हैं। इस प्रकार के समाचारों से मतदाता का झुकाव उस राजनैतिक दल या अभ्यर्थी के पक्ष में हो सकता है। ऐसे समाचारों के लिए राजनैतिक दल या अभ्यर्थी द्वारा मीडिया को नकद भुगतान किए जाने की संभावना से भी इंकार नहीं किया जा सकता है।

पेड न्यूज के प्रकरण आयोग के ध्यान में आने पर आयोग द्वारा पेड न्यूज को स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव में बाधक मानते हुए नगरपालिका अधिनियमद्व 2009 की धारा 23 के अन्तर्गत निष्पक्ष एवं स्वतंत्र चुनाव कराने हेतु अभ्यर्थियों के लिए कटआउटों, होर्डिंग्स, पोस्टरों एवं बैनरों के लिए निर्धारित चुनाव व्यय की सीमा के प्रावधानों के उल्लघंन की श्रेणी में रखा जाने का निर्णय लिया गया है। आयोग द्वारा अधिसूचना क्रमांक 3982 दिनांक 15.09.2014 के द्वारा नगर निकाय एवं अधिसूचना क्रमांक 6933 दिनांक 30.12.2009 एवं क्रमांक 3550 दिनांक 26.08.2014 के द्वारा पंचायतीराज संस्थाओं के चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थी अथवा उसके अधिकृत प्रतिनिधियों के द्वारा वाहनों या लाउडस्पीकरों के उपयोग तथा कटआउटों, होर्डिंग्स, पोस्टरों एवं बैनरों को प्रदर्शित करने या इनसे संबंधित गतिविधियों को नियंत्रित करने हेतु अधिकतम व्यय सीमा निर्धारित की गई है।

अतः आयोग द्वारा इस संबंध में यह निर्देश प्रदान किए जाते हैं कि, जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा पेड न्यूज पर समग्र व प्रभावी निगरानी रखी जाए। इस हेतु जिला स्तर पर एक प्रकोष्ठ का गठन कर प्रकोष्ठ को पाबंद किया जाए कि, आयोग द्वारा चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के पश्चात् निर्वाचन हेतु लोक सूचना जारी होने की तिथि से मतदान की तिथि तक मीडिया में प्रकाशित / प्रसारित होने वाले सभी समाचारों पर गहन निगरानी रखी जाए। यदि कोई संभावित पेड न्यूज का मामला पाया जाए तो उसकी जांच हेतु गठित मीडिया मॉनिटेंरिंग कमेटी (MMC) के समक्ष रखा जाए। कमेटी द्वारा जांच के पश्चात् पेड न्यूज का मामला पाए जाने पर मीडिया की प्रचलित विज्ञापन दर के आधार पर व्यय का आंकलन कर संबंधित अभ्यर्थी के चुनाव व्यय हिसाब में जोड़ दिया जाए।

1. **जिला स्तरीय मीडिया मॉनिटेंरिंग कमेटी (MMC) का गठनः–** जिला स्तर पर पेड न्यूज पर निगरानी रखने एवं जांच हेतु एक मीडिया मॉनिटेंरिंग कमेटी (MMC) का गठन किया जाएगा, जिसके अध्यक्ष एवं सदस्य निम्नानुसार होंगेः–

1. जिला नगरपालिका निर्वाचन अधिकारी(कलक्टर)	अध्यक्ष
2. जिला स्तर पर पदस्थापित राजस्थान प्रशासनिक सेवा का वरिष्ठ अधिकारी (जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा मनोनीत)	सदस्य
3. जिला जन सम्पर्क अधिकारी	सदस्य सचिव

2. **जिला स्तर पर मीडिया प्रकोष्ठ का गठनः–** प्रत्येक जिले में एक मीडिया प्रकोष्ठ का गठन किया जायेगा, जिसका नोडल अधिकारी जिला जनसम्पर्क अधिकारी या जनसम्पर्क सेवा का जिले में पदस्थापित वरिष्ठतम अधिकारी होगा। मीडिया प्रकोष्ठ के द्वारा निम्न कार्य सम्पादित किये जायेंगेः–

   1. जिले के समस्त समाचार पत्र पत्रिकाएं मंगवाना एवं उनकी कटिंग नोडल अधिकारी को प्रस्तुत करवाना। नोडल अधिकारी द्वारा जिला निर्वाचन अधिकारी को प्रेषित करना।

2. आवश्यक मात्रा में टेलिविजन सेट, केबल, कम्प्यूटर, रेडियो, इंटरनेट आदि की व्यवस्था करना एवं प्रिंट/इलेक्ट्रोनिक मीडिया में प्रसारित होने वाले विज्ञापन, संदिग्ध पेड न्यूज एवं आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के मामलों की कटिंग/सीडी नोडल अधिकारी के पास भेजना।
3. समाचार पत्रों/संदिग्ध पेड न्यूज की लागत जिला निर्वाचन अधिकारी के माध्यम से रिटर्निंग अधिकारी के पास भिजवाना।
4. **3. पेड न्यूज** :–पेड न्यूज निर्धारण के लिये निम्न प्रक्रिया अपनायी जायेगी :–

i) संदिग्ध पेड न्यूज के प्रकरण प्रत्येक जिले में मीडिया प्रकोष्ठ द्वारा चिन्हित किये जायेंगे। प्रारम्भिक तौर पर उनका परीक्षण प्रत्येक जिले में गठित जिला स्तरीय मीडिया मॉनिटेरिंग कमेटी (MMC) में किया जाएगा। यदि जिला स्तरीय MMC द्वारा प्रकरणों को संदिग्ध पेड न्यूज माना जाता है तब, वह प्रकरण संबंधित नगरपालिका क्षेत्र के रिटर्निंग अधिकारी के पास अभ्यर्थी को नोटिस जारी करने के लिए प्रेषित कर दिया जाएगा।
ii) रिटर्निंग अधिकारी द्वारा अभ्यर्थी को नोटिस जारी किया जाएगा। नोटिस की तामील के 48 घण्टे के अन्दर अभ्यर्थी जवाब प्रस्तुत कर सकेंगे। निर्धारित समय में यदि अभ्यर्थी जवाब प्रस्तुत नहीं करते हैं तो रिटर्निंग अधिकारी द्वारा नोटिस की प्रति के साथ प्रकरण जिला स्तरीय MMC में विचारार्थ जिला निर्वाचन अधिकारी को प्रेषित कर दिया जाएगा।
iii) अभ्यर्थी ने यदि अपने जवाब में पेड न्यूज होना मान लिया है तो, पेड न्यूज की लागत डी.ए.वी.पी./डी.पी.आर की दर के आधार पर ज्ञात कर अभ्यर्थी के निर्वाचन व्यय खातों में जोड़ दी जायेगी। अभ्यर्थी द्वारा अपने जवाब में पेड न्यूज होना स्वीकार नहीं किया है तो, प्रकरण पुनः जिला स्तरीय MMC में प्रस्तुत किया जायेगा और जिला स्तरीय MMC द्वारा निर्णय लिया जायेगा।
iv) जिला स्तरीय MMC के निर्णय की प्रति अभ्यर्थी को दी जावेगी।
v) जिला स्तरीय MMC द्वारा कन्फर्म पेड न्यूज की स्थिति में पेड न्यूज की लागत अभ्यर्थी के निर्वाचन व्यय खाते में जोड़ी जायेगी। लागत का निर्धारण डीएवीपी की दरों के आधार पर किया जायेगा। यदि डीएवीपी की दरें उपलब्ध नहीं है तो, डीपीआर की दरों के आधार पर लागत ज्ञात की जायेगी। इसके अतिरिक्त यह भी ध्यान रखा जायेगा कि, पेड न्यूज से संबंधित समाचार कौन से पृष्ठ पर प्रकाशित हुआ है। जिस पृष्ठ पर समाचार प्रकाशित हुआ हो उसके अनुरूप पेड न्यूज की लागत बढ़ा दी जायेगी। इसी प्रकार इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी पेड न्यूज के प्रसारण के समय (प्राईम टाईम/साधारण टाईम) को ध्यान में रखते हुए पेड न्यूज की लागत ज्ञात की जायेगी।
vi) जिला स्तरीय MMC के निर्णय की प्रति अभ्यर्थी/राजनैतिक दल को दी जायेगी।
vii) जिला स्तरीय MMC के निर्णय के विरूद्ध मुख्य निर्वाचन अधिकारी की अध्यक्षता में गठित राज्य स्तरीय MMC के समक्ष 48 घण्टों के अन्दर अपील की जा सकेगी। यदि अपील में जिला स्तरीय MMC के निर्णय को निरस्त कर दिया जाता है, ऐसी स्थिति में अभ्यर्थी के खाते में जोड़ी गयी राशि कम कर दी जायेगी।
viii) पेड न्यूज हेतु एक रजिस्टर संधारित किया जायेगा, जिसका प्रारूप परिशिष्ट–1 पर संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है।
ix) कन्फर्म्ड पेड न्यूज के प्रकरणों में समाचार पत्र की कटिंग, उसका अंग्रेजी अनुवाद, जिला स्तरीय MMC के निर्णय की प्रति, समाचार पत्र का नाम व पता एवं यदि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में समाचार प्रसारित हुआ हो तो सीडी भी भिजवाई जावे।

5. **राज्य स्तरीय मीडिया मॉनिटेंरिग कमेटी (MMC) का गठनः**– जिला स्तर से प्राप्त पेड न्यूज के मामलों की जांच हेतु राज्य स्तर पर एक मीडिया मॉनिटेंरिग कमेटी (MMC) का गठन निम्नानुसार किया जाता है, जिसके अध्यक्ष एवं सदस्य निम्नानुसार होगें:–

1. मुख्य निर्वाचन अधिकारी	अध्यक्ष
2. मुख्य लेखाधिकारी	सदस्य
3. जन सम्पर्क अधिकारी	सदस्य सचिव

अतः जिला स्तरीय MMC के सदस्यों, मीडिया प्रकोष्ठ के अधिकारी/कर्मचारियों का प्रशिक्षण यथासमय कराया जाना सुनिश्चित करें।

–ह0–
(सत्य प्रकाश बसवाला)
मुख्य निर्वाचन अधिकारी एवं सचिव

परिशिष्ट–1

क्र. सं.	तिथि	प्राप्ति का स्त्रोत	चिन्हित संदिग्ध पेड न्यूज का शीर्षक	समाचार पत्र / चैनल का नाम	प्रकाशन / प्रसारण की तिथि	जिला MMC में प्रारंभिक निर्णय की तिथि	जिला MMC द्वारा निर्णयः संदिग्ध पेड न्यूज है / नहीं	संदिग्ध पेड न्यूज को R.O के पास भेजन की तिथि व क्रमांक	R.O द्वारा नोटिस का क्रमांक व तिथि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

तामील की तिथि व समय	क्या अभ्यर्थी / दल ने कोई जवाब दिया हैं? हाँ / नहीं	यदि हां तो तिथि व समय	अभ्यर्थी द्वारा जवाब में संदिग्ध पेड न्यूज स्वीकार कर ली गई है क्या? हाँ / नहीं	अभ्यर्थी का जवाब MMC को प्राप्त होने की तिथि	MMC द्वारा निर्णयः कन्फर्म पेड न्यूज हाँ / नहीं	कन्फर्म पेड न्यूज निर्णय की तिथि	पेड न्यूज की लागत	क्या राज्य स्तर पर कोई अपील की गई है ? हाँ / नहीं	अपील में निर्णय स्वीकार / अस्वीकार	अपील के निर्णय व तिथि
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21

(27)

STATE ELECTION COMMISSION RAJASTHAN, JAIPUR

No: F4(1)(3)/NP/SEC/05/6364 Jaipur dated 06-08-05

To,

All District Election Officers (Municipality)
(Collectors) Except Bharatpur & Barmer

Sub: Appointment of sitting Ministers as Election Agents and counting Agents.

Sir,

It has come to the notice of the State Election Commission that sometimes in the elections a candidate appoints a sitting Minister as his Election Agent or Counting Agent to facilitate his electoral activities. There have been objections raised from several quarters where this has occured.

The Commission has examined the issue at length and feels that there is some substance in charge that these actions are resorted to in order to over-awe the polling and counting staff who are officials in the Government.

More importantly, that security personnel are not allowed to enter the counting hall or the polling booths. Minister of a Government whose security needs have been assessed, and thereafter such security has been extended to and funded for him by the State will be entering into these premises without the security cover that he is required to have by virtue of the office he holds. Deliberately jeopardizing one's own security is a choice that cannot be allowed to be exercised by the recipient of such security.

As the personal security allowed to the Minister is a serious business, the State Election Commission feels that it should not be jeopardizing and, therefore, a Minister should not be allowed to function as an Election Agent, Polling Agent or a Counting Agent of any candidate. This may please be brought to the notice of the Returning Officers of all Municipalities.

All earlier instructions issued by the State Election Commission in this regard stand modified accordingly,

It is further clarified that under rule 78 & 79 of the Rajasthan Municipalities (Election) Rules, 1994 the only elected members of Municipality may attend the meeting for election of a Chairperson and Dy. Chairperson. Therefore, it is to be ensured that no person other than the elected members may be allowed to enter at the meeting place.You are required to take action accordingly.

Sd/-
SECRETARY
STATE ELECTION COMMISSION
RAJASTHAN,JAIPUR

(28)

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(द्वितीय तल, विकास खण्ड, सचिवालय, जयपुर–302005)
email- secraj@rajasthan.gov.in & secrajasthan@gmail.com, FAX 0141-2227280, 2227072

क्रमाकः एफ 1(4)(1)नपा/रानिआ/14/3875 दिनांक : 10.09.2014

आदेश

भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 K एवं 243 ZA के अनुसार राज्य में पंचायतीराज संस्थाओं एवं नगरपालिकाओं की मतदाता सूची की तैयारी तथा इनके चुनावों के संचालन पर पर्यवेक्षण, नियत्रंण, निर्देशन की शक्तियां राज्य निर्वाचन आयोग में निहित हैं। इन संवैधानिक दायित्वों के निर्वहन के क्रम में राज्य निर्वाचन आयोग का प्रयोजन स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण चुनाव सम्पन्न कराना है। इस क्रम में राज्य निर्वाचन आयोग यह निर्देश प्रदान करता है कि, मतदाता सूची के प्रारूप प्रकाशन के पश्चात् से लेकर चुनाव प्रक्रिया समाप्ति तक प्रतिदिन जिलों में स्थानीय स्तर पर समाचार पत्रों में नगरपालिका एवं पंचायतीराज संस्थाओं के चुनाव से संबंधित समाचारों का संकलन हेतु जिला जन सम्पर्क अधिकारी के प्रभार में एक प्रकोष्ठ का गठन किया जाएगा। इस प्रकोष्ठ द्वारा संबंधित समाचारों का संकलन कर इन्हें जिला निर्वाचन अधिकारी के माध्यम से आयोग की वेबसाईट पर अपलोड किया जाएगा।

आयोग स्तर पर जन सम्पर्क अधिकारी द्वारा प्रतिदिन जिलों से इस प्रकार प्राप्त समाचारों का विश्लेषण कर, ऐसे समाचार, जो निर्वाचनों के सफल संचालन तथा स्वंतत्र एवं निष्पक्ष चुनाव के उद्देश्य पर विपरीत प्रभाव डालने वाली घटनाओं एवं तथ्यों से संबंधित हों या पेड न्यूज की परिभाषा में आते हैं, को मुख्य निर्वाचन अधिकारी के माध्यम से आयोग के ध्यान में लाया जाएगा।

इस संबंध में पूर्व में जारी समस्त आदेशों को अतिक्रमित करते हुए यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

आज्ञा से,
–ह0–
(सत्य प्रकाश बसवाला)
मुख्य निर्वाचन अधिकारी एवं सचिव

(29)

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(द्वितीय तल, विकास खण्ड, सचिवालय, जयपुर–302005)
email- secraj@rajasthan.gov.in & secrajasthan@gmail.com, FAX 0141-2227280, 2227072

क्रमाकः एफ4(3)(1)न.पा. / रा.नि.आ. / 09 / 2877 दिनांक : 18.07.2014

समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी (न.पा.)
(कलेक्टर) राजस्थान।

विषय :– नगरपालिका निर्वाचन हेतु मतदान दलों के गठन के संबंध में।

महोदय,

राजस्थान नगरपालिका (निर्वाचन) नियम, 1994 के नियम 9 के प्रावधानों के अनुसार जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा निर्वाचन अधिकारी एवं सहायक निर्वाचन अधिकारियों की नियुक्ति की जाती हैं। नियम 28 के अन्तर्गत निर्वाचन अधिकारी प्रत्येक मतदान केन्द्र के लिए एक पीठासीन अधिकारी एवं पीठासीन अधिकारी की सहायतार्थ एक या एक से अधिक मतदान अधिकारी की नियुक्ति करने में सक्षम हैं।

अतः नगरपालिका के निर्वाचनों हेतु मतदान दलों के गठन के संबंध में राज्य निर्वाचन आयोग इस संबंध में पूर्व में जारी सभी आदेश / निर्देशों को निरस्त करते हुए यह निर्देश जारी करता हैं कि :–

1. ऐसे मतदान केन्द्र जहां मतदाता की संख्या 1400 तक हैं, वहां एक पीठसीन अधिकारी एवं तीन मतदान अधिकारी होगें। ऐसे मतदान केन्द्र जहां मतदाता की संख्या 1400 से अधिक हैं, वहां एक अतिरिक्त मतदान अधिकारी लगाया जा सकता हैं।

2. पीठासीन अधिकारी सामान्यतः राजपत्रित अधिकारी या उसके समकक्ष होगें। राजस्थान नगरपालिका (निर्वाचन) नियम, 1994 के नियम 28(3) के अनुसार यदि पीठासीन अधिकारी द्वारा बीमारी या अन्य किन्ही कारणों से जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता हों, से स्वयं को मतदान केन्द्र से अनुपस्थित रखता हैं तो उसके कर्तव्य का निवर्हन उस मतदान अधिकारी द्वारा किया जाएगा जो कि निर्वाचन अधिकारी द्वारा इस हेतु नियुक्त किया गया हो।

3. मतदान दल में कार्मिकों की नियुक्ति उनके मूल पद / वेतनमान / स्तर के अनुरूप ही की जाए। चुनाव ड्यूटी लगाते समय कार्मिकों की वरिष्ठता का ध्यान रखा जाए एवं यह सुनिश्चित किया जाए कि किसी कनिष्ठ अधिकारी के अधिनस्थ किसी वरिष्ठ कार्मिक नहीं लगाया जाए। उदाहरणार्थ यदि निम्न केडर का कोई कार्मिक, चाहे वह उच्चतर वेतनमान में वेतन प्राप्त कर रहा हो, को इससे उपर के केडर के कार्मिक, जो कि उससे निम्न वेतन प्राप्त कर रहा हो, को पीठासीन अधिकारी के पद पर नहीं लगाया जाना चाहिए अर्थात पीठासीन अधिकारी, मतदान अधिकारी से उच्चतम पद / वेतनमान / स्तर का होना चाहिए। इसी तरह मतदान अधिकारियों के नियुक्ति में भी पद / वेतनमान / स्तर का ध्यान रखा जाए।

4. मतदान दलों के गठन से पूर्व सभी शासकीय एवं अर्द्व–शासकीय विभागों / कार्यालयों / संस्थानों में कार्यरत अधिकारियों / कर्मचारियों की अद्यतन सूचियॉ तैयार की जाए। किसी उम्मीदवार या राजनैतिक दलों से मिलिभगत या उनके पक्ष में होने के आरोप से बचने एवं उम्मीदवारों, राजनैतिक दलों तथा जनता के मन में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव हेतु विश्वास पैदा करने के लिए आवश्यक हैं कि विभिन्न शासकीय एवं अर्द्व–शासकीय विभागों / कार्यालयों / संस्थानों के अधिकारियों / कर्मचारियों को एक मतदान दल में जहां तक संभव हो, समुचित रूप से मिलाया (Mix-up) जाए।

5. नगरपालिका बोर्ड क्षेत्र के चुनाव के लिए मतदान कार्मिक संबंधित नगरपालिका बोर्ड क्षेत्र का निवासी नहीं होने चाहिए तथा ना ही वह उस नगरपालिका क्षेत्र में कार्यरत होना चाहिए अर्थात्

मतदान कार्मिक आवश्यक रूप से नगरपालिका बोर्ड से बाहर का निवासी तथा कार्मिक होना चाहिए। नगरपरिषद/नगरनिगम के चुनाव के लिए मतदान कार्मिक संबंधित वार्ड का निवासी तथा उस वार्ड में कार्यरत नहीं होना चाहिए। इस प्रतिबंध के साथ मतदान दल के आधे कार्मिक नगरपरिषद/नगरनिगम क्षेत्र के बाहर के भी होने चाहिए। अर्थात् मतदान दल में ग्रामीण क्षेत्र में कार्यरत कार्मिकों तथा संबंधित वार्ड से बाहर के कार्मिकों का अनुपात बराबर होना चाहिए। रिटर्निंग अधिकारी द्वारा इस आशय का प्रमाण पत्र भी आयोग को भिजवाया जाएगा।

6. किसी भी मतदान केन्द्र पर आपातकाल से निपटने एवं पुर्नमतदान हेतु पीठासीन अधिकारियों, मतदान अधिकारियों एवं ऐसे सभी अधिकारियों जिनको जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा मतदान दिवस के लिए चुनाव ड्यूटी पर नियुक्त किया हो, के लिए आरक्षित कार्मिकों की सूची तैयार रखी जाए। ऐसे आरक्षित दलों की संख्या 10% रखी जाए।

7. मतदान दलों को प्रशिक्षण का आयोजन यथासंभव संबंधित नगरपालिका मुख्यालय पर किया जाए। मतदान दलों को दो बार प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रथम प्रशिक्षण केवल पीठासीन अधिकारी एवं प्रथम मतदान अधिकारी को दिया जाएगा। द्वितीय प्रशिक्षण मतदान दलों के सभी सदस्यों को मतदान केन्द्र हेतु रवानगी के दिन दिया जाएगा। मतदान दलों को प्रशिक्षण यथासंभव अवकाश के दिन या अध्यापन समय से भिन्न समय (Non teaching hours) में दिया जाए ताकि शैक्षणिक संस्थाओं में कार्यरत कार्मिकों के प्रशिक्षण में भाग लेने पर शिक्षण कार्य प्रभावित ना हो।

8. निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान आयोग द्वारा आवश्यकतानुसार दिन–प्रतिदिन विभिन्न निर्देश जारी किए जा सकते हैं। अतः ऐसा संभव हैं कि मतदान दलों का प्रशिक्षण समाप्त होने के पश्चात् आयोग द्वारा ऐसे निर्देश जारी किए जाए जिनसे मतदान दलों को भिज्ञ कराना आवश्यक हो। इस हेतु जिला निर्वाचन अधिकारियों को चाहिए कि वे उन निर्देशों को एक सूचना पत्रक पर तैयार कर EVM एवं अन्य चुनाव सामग्री के वितरण के समय प्रत्येक मतदान दल को उपलब्ध कराएं।

9. मतदान दलों को उनके गन्तव्य मतदान केन्द्रों की जानकारी मतदान दिवस से तीन दिन से पूर्व नहीं दी जाए।

10. निम्नलिखित की ड्यूटी मतदान दल में नहीं लगाई जाएः–

   1. केन्द्र सरकार एवं उसके अधीनस्थ संस्थाओं के कार्मिक।
   2. नगरपालिका/नगरपरिषद/नगरनिगम का स्टॉफ।
   3. ऐसे कार्मिक जो किसी राजनैतिक दल या उम्मीदवार से संबद्ध हों।
   4. अत्यावश्यक सेवाओं से संबंधित कार्मिक।
   5. शारीरिक रूप से विकलांग कार्मिक।
   6. यथा संभव महिला कार्मिकों को मतदान दलों में नहीं लगाया जाए। पर्दानशीन महिला मतदाताओं की पहचान हेतु पीठासीन अधिकारी स्थानीय महिला कार्मिक का सहयोग ले सकते हैं।

आज्ञा से,
–ह0–
(अशोक कुमार जैन)
मुख्य निर्वाचन अधिकारी
एवं सचिव

(30)

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(द्वितीय तल, विकास खण्ड, सचिवालय, जयपुर–302005)
email- secraj@rajasthan.gov.in & secrajasthan@gmail.com, FAX 0141-2227280, 2227072

क्रमांकः एफ. 4(1)(2) नपा/रानिआ/2014/2951 दिनांक : 25.07.2014

समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी (नगरपालिका),
(कलक्टर), राजस्थान।

विषय : नगरपालिका निर्वाचन हेतु निर्वाचन अधिकारी एवं सहायक निर्वाचन अधिकारी की नियुक्ति के संबंध में।

महोदय,

राजस्थान नगरपालिका (निर्वाचन) नियम, 1994 के नियम 9 के अनुसार जिला निर्वाचन अधिकारी (नगरपालिका) एक नगरपालिका के लिए एक रिटर्निंग अधिकारी एवं आवश्यकतानुसार सहायक रिटर्निंग अधिकारियों की नियुक्ति कर सकते हैं।

निर्वाचन अधिकारी एवं सहायक निर्वाचन अधिकारियों की नियुक्ति हेतु आयोग द्वारा पूर्व में समय–समय पर जारी किए गए समस्त आदेशों को अतिक्रमित करते हुए निम्न प्रकार दिशा–निर्देश पुनः जारी किए जाते हैंः–

1. एक अधिकारी को एक से अधिक नगरपालिका हेतु रिटर्निंग अधिकारी एवं एक अधिकारी को एक से अधिक नगरपालिका हेतु सहायक रिटर्निंग अधिकारी नियुक्त नहीं किया जाए।
2. नगरपालिका बोर्ड के मामले में रिटर्निंग अधिकारी राजस्थान प्रशासनिक सेवा का अधिकारी होगा। नगरपरिषद एवं नगरनिगम के मामलें में रिटर्निंग अधिकारी वरिष्ठ वेतन श्रृखंला या इससे उच्च स्तर का प्रशासनिक सेवा का अधिकारी होगा।
3. रिटर्निंग अधिकारी एवं सहायक रिटर्निंग अधिकारी की नियुक्ति आदेश उनके कार्यालय पते, टेलिफोन/मोबाईल नम्बर तथा ई–मेल के पते के साथ जारी कर प्रति आयोग एवं मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों को प्रेषित की जाए।

आज्ञा से
–ह0–
(सत्य प्रकाश बसवाला)
मुख्य निर्वाचन अधिकारी
एवं सचिव

(31)

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

क्रमांकः एफ 4(2)(1)पंचा एवं नपा/रानिआ/94/241 दिनांकः 29.09.94

आदेश

सां. आ. 3/94 – राजस्थान नगरपालिका (निर्वाचन) नियम, 1994 के नियम 35 के उप नियम (1) के अनुसरण में राज्य निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा यह निर्दिष्ट करता है कि मतपत्र और उससे सम्बद्व प्रतिपर्ण के पृष्ठ भाग पर राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 1959 की धारा 14 के अधीन राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक नगरपालिका के लिए प्रसारित परिसीमन आदेश में दिए हुए उस वार्ड की, जिसके अन्दर उस मतदान केन्द्र का निर्वाचन क्षेत्र स्थित हैं, क्रम संख्यांक और उस मतदान केन्द्र की क्रम संख्यांक जैसा कि जिला नगरपालिका निर्वाचन अधिकारी द्वारा उपरोक्त नियमों के नियम 27 के अधीन उस वार्ड के लिए चयनित मतदान केन्द्रों की प्रकाशित सूची में दी गई है, को सुभेदक चिन्ह के रूप में रबर की मोहर से स्टांपित किया जाएगा यानी एक वर्गाकार आयतन के अन्दर एक भिन्न के रूप में उपर उस नगरपालिका का वार्ड संख्यांक और नीचे उस मतदान केन्द्र का क्रम संख्यांक अंकित रहेगा।

आज्ञा से,

(बी.बी. महान्ति)
सचिव,
राज्य निर्वाचन आयोग
राजस्थान, जयपुर।

(32)

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(द्वितीय तल, विकास खण्ड, सचिवालय, जयपुर–302005)
email- secraj@rajasthan.gov.in & secrajasthan@gmail.com, Ph./FAX 0141-2227280, 2227072

क्रमांकः प.1(2)(1)नपा–पंचा / सां.आ. / रानिआ / 14 / 3142 दिनांक : 05.08.2014

आदेश

सां. आ. 86 / 2014. राजस्थान नगरपालिका (निर्वाचन) नियम, 1994 के नियम 34 के उपनियम (1) में यह प्रावधान है कि प्रत्येक मतपत्र से एक प्रतिपर्ण सम्बद्व होगा और यह मतपत्र एवं प्रतिपर्ण ऐसे प्रारूप में होगा जैसा कि राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा विहित किया जाए। उक्त नियम में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आयोग द्वारा आदेश क्रमांक 1942 दिनांक 01.08.1995 (सांविधिक आदेश संख्या 21 / 95) द्वारा मतपत्र एवं उसके सम्बद्व प्रतिपर्ण का प्ररूप विहित किया हुआ है।

राज्य सरकार के स्वायत्त शासन विभाग की अधिसूचना संख्या एफ 8(जी.ए)( )Rules / DLB / 14 दिनांक 11 जुलाई 2014 के द्वारा राजस्थान नगरपालिका (निर्वाचन) नियम, 1994 के नियम 34 के उप नियम (2), (5), एवं (6) में मतदाताओं को 'नोटा (उपरोक्त में से कोई नहीं)' का विकल्प उपलब्ध कराने हेतु संशोधन किये गये हैं। इन संशोधनों के प्रभाव में आने से पूर्व विहित प्ररूप में संशोधन किया जाना आवश्यक है। अतः आयोग द्वारा अपने आदेश क्रमांक 1942 दिनांक 01.08.1995 (सांविधिक आदेश संख्या 21 / 95) को अतिक्रमित करते हुए मतपत्र एवं उससे सम्बद्व प्रतिपर्ण का प्ररूप निम्नांकित रूप से विहित करता है :–

1. प्रत्येक मतप़त्र से एक प्रतिपर्ण सम्बद्ध होगा। प्रतिपर्ण मतपत्र के शीर्ष भाग पर होगा और उसकी चौड़ाई (Width) 15 एम्स (15 ems) से अधिक नहीं होगी। प्रतिपर्ण पर निम्नलिखित विवरण होगा :–
   - (क) प्रतिपर्ण के शीर्ष भाग पर बीच में सिलाई करने की जगह,
   - (ख) प्रतिपर्ण के शीर्ष भाग पर एक एम (1मड) मोटाई का एक काला किनारा,
   - (ग) उपर्युक्त मद (ख) के ठीक नीचे निर्वाचन के विवरण मुद्रित किये जायेंगे, जिसमें वार्ड संख्यांक एवं नगरपालिका का नाम, साधारण निर्वाचन या उप–निर्वाचन और वर्ष का उल्लेख होगा,
   - (घ) बांई ओर 'मतदाता सूची की भाग संख्या' और ' मतदाता की क्रम संख्या' एक दूसरे के नीचे सुविधानुसार,
   - (ड.) बांई ओर अग्रभाग पर मतपत्र की क्रम संख्या,
   - (च) दाहिनी ओर शब्द 'हस्ताक्षर / अंगूठे की छाप' के ठीक उपर मतदाता के हस्ताक्षर या अंगूठे की छाप के लिए जगह, और
   - (छ) छेददार पटटी के साथ 1 एम चौड़ाई में कई रेखायें 1 नीचे एक पृथक सीधी रेखा जो मतपत्र को प्रतिपर्ण से अलग करती है।
2. मतपत्र पर छेददार पटटी की पृथक रेखा के नीचे 1 एम चौड़ाई में कई रेखायें होंगी।
3. मतपत्र के अग्रभाग पर केवल वार्ड संख्यांक, नगरपालिका का नाम, निर्वाचन का नाम, वर्ष, निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों के नाम और उनको आवंटित प्रतीक तथा **'नोटा (उपरोक्त में से कोई नहीं) एवं उसके लिए निर्धारित प्रतीक'** दिये जायेंगे। वार्ड संख्यांक नगरपालिका का नाम, निर्वाचन का नाम, यथास्थिति, सांकेतिक शब्दों में जैसे 'साधा0 नि0' या 'उप नि0' और निर्वाचन का वर्ष का विवरण उपर प्रथम अभ्यर्थी के नाम के स्थान के नीचे गहरे रंग वाले भाग (Shaded area) में मुद्रित किया जायेगा।

4. मतपत्र की क्रम संख्या बांई ओर अग्रभाग पर मुद्रित की जायेगी, जिसे प्रथम अभ्यर्थी के लिये निश्चित स्थान में अथवा प्रथम अभ्यर्थी के नाम के स्थान के नीचे गहरे रंग वाले भाग में अंकित किया जायेगा।

5. मतपत्र की चौड़ाई (Width) 4 इंच होगी।

6. अभ्यर्थी का नाम पैनल में बांई ओर तथा उसका प्रतीक दाहिनी ओर होगा। इसी प्रकार अंतिम अभ्यर्थी के नीचे नोटा (उपरोक्त में से कोई नहीं) का विकल्प बांई ओर तथा उसके लिए निर्धारित प्रतीक दांई ओर होगा।

7. प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये आवंटित जगह की चौड़ाई 6 $^1/_2$ एम्स होगी और किन्हीं भी दो अभ्यर्थियों के लिये आवंटित स्थान के बीच में गहरे रंग वाले भाग की चौड़ाई 3 एम्स होगी तथा नोटा (उपरोक्त में से कोई नहीं) के विकल्प के लिए भी आंवटित जगह की चौड़ाई 6 $^1/_2$ एम्स होगी। अंतिम अभ्यर्थी तथा नोटा (उपरोक्त में से कोई नहीं) के विकल्प के लिए आवंटित स्थान के बीच गहरे रंग वाले भाग की चौड़ाई 3 एम्स होगी। सबसे नीचे 1 एम चौड़ा गहरे काले रंग का किनारा होगा।

8. प्रत्येक प्रतीक का आकार 9 एम्स X 5 $^1/_2$ एम्स से अधिक नहीं होगा।

9. अभ्यर्थियों के नाम उसी रीति से दर्शित किये जायेंगे और उसी क्रम में व्यवस्थित किये जायेंगे, जिसमें वे निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची में आये हैं।

10. मतपत्र पर विशिष्टियॉ हिन्दी में देवनागरी लिपि में होंगी ।

11. जहॅा किसी निर्वाचन में निर्वाचन लडने वाले अभ्यर्थियों की संख्या नोटा (उपरोक्त में से कोई नहीं) के विकल्प सहित 9 से अधिक हो जायें वहां मतपत्रों को निम्न प्रकार से मुद्रित करना आवश्यक है:—

ऐसी स्थिति में मतपत्र को स्तम्भों में मुद्रित किया जायेगा और उसके प्रतिपर्ण की चौड़ाई उपयुक्त बिन्दु—5 में यथाविनिर्दिष्ट एक स्तम्भ के मतपत्र की चौड़ाई की स्तम्भों की संख्यानुसार गुणा करके होगी। बीच में उपर से नीचे तक कम से कम 2.5 एम्स चौड़ा गहरे रंग का भाग होगा। निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों के नाम हिन्दी में शुद्ध वर्णानुक्रम में एक दूसरे के नीचे यथास्थिति प्रथम स्तम्भ, दूसरे, तीसरे, आदि स्तम्भों में अंकित किये जायेंगे। अंतिम अभ्यर्थी के बाद नोटा (उपरोक्त में से काई नहीं) के विकल्प सहित जहां निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी विषम संख्या में हो वहां मतपत्र के दाहिने अन्तिम स्तम्भ पर अन्तिम पैनल पूर्णतया रंगदार (Shaded) होगा।

आज्ञा से,
—ह0—
(सत्य प्रकाश बसवाला)
मुख्य निर्वाचन अधिकारी
एवं सचिव

(33)

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(द्वितीय तल, विकास खण्ड, सचिवालय, जयपुर–302005)
email- secraj@rajasthan.gov.in & secrajasthan@gmail.com, Ph./FAX 0141-2227280, 2227072

क्रमांकः प.1(2)(1)नपा–पंचा / सां.आ. / रानिआ / 14 / 3152 दिनांक : 05.08.2014

आदेश

सां. आ. 87 / 2014. राजस्थान नगरपालिका (निर्वाचन) नियम, 1994 अध्याय–3क के उपबन्धों के अनुसार मतों को इलेक्ट्रोनिक मतदान मशीनों द्वारा निर्धारित रीति से डाले और रिकार्ड किये जाने के प्रावधान विहित किए हुए हैं और उक्त नियमों के नियम 32–क के उपनियम (क) के अनुसार निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों के नामों और उनके चिन्हों को अन्तर्विष्ट करने वाला मतपत्र रिटर्निंग अधिकारी द्वारा मतपत्र यूनिट में लगाया जायेगा और चूंकि उक्त नियमों के नियम 34–क के उपबन्धों के अनुसार प्रत्येक मतपत्र ऐसे प्ररूप में होगा जो राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा विहित किया जाये। उक्त नियम में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आयोग द्वारा आदेश क्रमांक 3058 दिनांक 28.10.1999 (सांविधिक आदेश संख्या 26 / 99) द्वारा ऐसे मतपत्र हेतु प्ररूप विहित किया हुआ है।

राज्य सरकार के स्वायत्त शासन विभाग की अधिसूचना संख्या एफ 8(जी.ए)( )Rules / DLB / 14 दिनांक 11 जुलाई 2014 के द्वारा राजस्थान नगरपालिका (निर्वाचन) नियम, 1994 के नियम 34 ए के उप नियम (2), (5), एवं (6) में 'नोटा (उपरोक्त में से कोई नहीं)' का विकल्प जोड़ने के लिए संशोधन किए गए हैं। इन संशोधनों के प्रभाव में आने से पूर्व विहित प्ररूप में संशोधन किया जाना आवश्यक हैं। अतः राजस्थान नगरपालिका (निर्वाचन) नियम, 1994 के नियम 34–क (1) के उपबन्धों के अनुसरण में आयोग द्वारा अपने आदेश क्रमांक 3058 दिनांक 28.10.1999 (सांविधिक आदेश संख्या 26 / 99) को अतिक्रमित करते हुए मतदान यूनिट मे प्रदर्शित किये जाने वाले मतपत्र का प्ररूप निम्न प्रकार विहित करता है :–

1. मतपत्र की कुल लम्बाई 460 मिलीमीटर होगी और उसकी चौड़ाई 138 मिलीमीटर होगी।
2. मतपत्र के ऊपर 7.50 मिलीमीटर ऊंचाई में और 138 मिलीमीटर चौड़ाई में खाली जगह होगी।
3. उक्त मद संख्या–2 में वर्णित मतपत्र के ऊपर खाली जगह के ठीक नीचे एक मिलीमीटर की आर–पार मोटी लाईन होगी।
4. उक्त मद संख्या–3 में वर्णित लाईन के नीचे प्रत्येक चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थी का नाम तथा उसे आवंटित प्रतीक प्रत्येक अभ्यर्थी के लिए पृथक् पैनल में मुद्रित होगा। इसी प्रकार अंतिम अभ्यर्थी के नाम के नीचे नोटा (उपरोक्त में से कोई नहीं) हेतु विकल्प एवं इस हेतु निर्धारित प्रतीक भी पृथक् पैनल में मुद्रित होगा।
5. प्रत्येक निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी एवं नोटा (उपरोक्त में से कोई नहीं) हेतु विकल्प का पैनल 27.5 एम.एम. ऊंचाई में और 138 एम.एम. चौड़ाई के आकार में होगा।
6. अभ्यर्थियों के पैनल एक दूसरे से एक एम.एम. मोटी लाईन से पृथक किये जायेंगे तथा अंतिम अभ्यर्थी एवं नोटा (उपरोक्त में से कोई नहीं) हेतु विकल्प का पैनल भी एक दूसरे से 1 एमएम मोटी लाईन से पृथक् किया जाएगा।
7. मतपत्र का क्रम संख्यांक, निर्वाचन की विशिष्टयॉं तथा शीट नम्बर मतपत्र के बांयीं और एक आड़े कॉलम (Vertical Coulmn) में मुद्रित किये जायेंगे और ऐसे आडे कॉलम को अभ्यर्थियों के नाम व नोटा (उपरोक्त में से कोई नहीं) हेतु विकल्प तथा चिन्हों वाले पैनल से एक मोटी लाईन से पृथक् किया जायेगा।
8. चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों के नाम मतपत्र में उसी क्रम में आयेंगे जिस क्रम में वे चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची में वर्णित हैं। चुनाव लडने वाले अभ्यर्थियों के अंतिम अभ्यर्थी के पश्चात् नोटा (उपरोक्त में से कोई नहीं) हेतु विकल्प उपलब्ध होगा।
9. जहां चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों की संख्या नोटा (उपरोक्त में से कोई नहीं) हेतु विकल्प सहित 16 या इससे कम है वहां अभ्यर्थियों के नाम मतपत्र की एक शीट पर व्यवस्थित किये जायेंगे। यदि निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की संख्या नोटा (उपरोक्त में से कोई नहीं) हेतु विकल्प सहित 16

से कम है तो नोटा (उपरोक्त में से कोई नहीं) हेतु विकल्प के पैनल से नीचे का स्थान खाली रखा जायेगा। यदि अभ्यर्थियों की संख्या नोटा (उपरोक्त में से कोई नहीं) हेतु विकल्प सहित 32 से कम है तो द्वितीय शीट में अंतिम अभ्यर्थी के नीचे अंकित नोटा (उपरोक्त में से कोई नहीं) के विकल्प के पैनल के नीचे का स्थान खाली रखा जायेगा। इसी प्रकार मतपत्र की तृतीय व चतुर्थ शीटों में भी ऐसे मामलों में किया जायेगा।

10. यदि निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की संख्या नोटा (उपरोक्त में से कोई नहीं) हेतु विकल्प सहित 16 से अधिक है और 32 या इससे कम हैं तो मतपत्र दो शीटों में मुद्रित होगा। यदि निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की संख्या नोटा (उपरोक्त में से कोई नहीं) हेतु विकल्प सहित 32 से अधिक और 48 या इससे कम है तो मतपत्र तीन शीटों में मुद्रित होगा और जहाँ निर्वाचन लड़ने वाले अभ्सर्थियों की संख्या नोटा (उपरोक्त में से कोई नहीं) हेतु विकल्प सहित 48 से अधिक और 64 या इससे कम है तो मतपत्र चार शीटों में मुद्रित होगा। ऐसे प्रकरण में जहां मतपत्र एक से अधिक शीटों में मुद्रित होता है वहां क्रम संख्या 1 से 16 तक के अभ्यर्थियों के नाम प्रथम शीट में मुद्रित होंगे। क्रम संख्या 17 से 32 तक के अभ्यर्थियों के नाम द्वितीय शीट में मुद्रित होंगे, क्रम संख्या 33 से 48 तक के अभ्यर्थियों के नाम तृतीय शीट मुद्रित होंगे और 49 से 64 तक के नाम चतुर्थ शीट में मुद्रित होंगे। अभ्यर्थियों की उक्त गणना में नोटा (उपरोक्त में से कोई नहीं) के विकल्प को भी सम्मिलित किया जाएगा।
11. यदि मतपत्र की एक से अधिक शीट होती है वहां मद संख्या 7 में वर्णित आड़े कॉलम, जिसमें कि मतपत्र का क्रम संख्यांक और निर्वाचन की विशिष्टयॉ अंकित करने के लिये स्थान छोड़ा गया है, में ही शीट की क्रम संख्यांक दर्शित करते हुए शब्द व अंक मोटे अक्षरों में यथा शीट नम्बर–1, शीट नम्बर–2 आदि मुद्रित किया जायेगा।
12. निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों के नाम एवं नोटा (उपरोक्त में से कोई नहीं) हेतु विकल्प हिन्दी में देवनागरी लिपि में लिखे जायेंगे। निर्वाचन की विशिष्टयॉ हिन्दी में देवनागिरी लिपि में रखे जायेंगे।
13. अभ्यर्थियों के लिये निर्दिष्ट पैनल में बांई ओर अभ्यर्थियों का नाम मुद्रित होगा तथा पैनल में दांईं ओर उसे आवंटित निर्वाचन प्रतीक मुद्रित होगा। इसी प्रकार अंतिम अभ्यर्थी के नीचे नोटा (उपरोक्त में से कोई नहीं) का विकल्प बांई ओर तथा उसके लिए निर्धारित प्रतीक दांई ओर होगा।
14. मतपत्र सफेद कागज पर मुद्रित होगा।

आज्ञा से,
–ह0–
(सत्य प्रकाश बसवाला)
मुख्य निर्वाचन अधिकारी
एवं सचिव

(34)

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(द्वितीय तल, विकास खण्ड, सचिवालय, जयपुर–302005)
email- secraj@rajasthan.gov.in & secrajasthan@gmail.com, Ph./FAX 0141-2227280, 2227072

क्रमांकः प.1(2)(1)नपा–पंचा / सां.आ. / रानिआ / 14 / 3656 दिनांक : 01.09.2014

आदेश

सां. आ. 92 / 2014. आयोग के आदेश क्रमांक 3152 दिनांक 05.08.2014 (सां. आ. सं. 87 / 2014) के पैरा संख्या एक एवं दो में प्रयुक्त हुए ''आदेश क्रमांक 3058 दिनांक 28.10.1999 (सांविधिक आदेश संख्या 26 / 99)'' के स्थान पर ''आदेश क्रमांक 4247 दिनांक 27.10.2009 (सांविधिक आदेश संख्या 53 / 2009)'' पढा जाए।

आज्ञा से,
–ह0–
(सत्य प्रकाश बसवाला)
मुख्य निर्वाचन अधिकारी
एवं सचिव

(35)

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(द्वितीय तल, विकास खण्ड, सचिवालय, जयपुर–302005)
email- secraj@rajasthan.gov.in & secrajasthan@gmail.com, Ph./FAX 0141-2227280, 2227072

क्रमांकः प.1(2)(1)नपा–पंचा/सां.आ./रानिआ/14/3507 दिनांक : 25.08.2014

आदेश

सां.आ. संख्या – 89/14 नगरपालिकाओं के ऐसे निर्वाचनों, जहां मत, मतदान मशीनों द्वारा डाले जायेंगे और रिकार्ड किए जायेंगे, के संबंध में राजस्थान नगरपालिका (निर्वाचन) नियम, 1994 के नियम 46–क के उप नियम (4) के द्वितीय परन्तुक के उपबन्धों के अनुसार यह प्रावधान है कि, प्रत्येक डाक मतपत्र के साथ प्रतिपर्ण संलग्न होगा और डाक मतपत्र और प्रतिपर्ण ऐसी डिजाईन में होगा जैसा राज्य निर्वाचन आयोग निर्देश दे।

अतः आयोग द्वारा आदेश क्रमांक प. 4(2)(1)नपा/रानिआ/94/3155 दिनांक 09.11.1999 (सां.आ. संख्या 33/99) को अतिक्रमित करते हुए उक्त नियम 46–क के उप नियम (4) के द्वितीय परन्तुक के उपबन्धों के अनुसरण में राज्य निर्वाचन आयोग यह निर्देश देता है कि, ऐसे निर्वाचन, जहां मत, मतदान मशीन द्वारा दिए जायेंगे और रिकार्ड किए जायेंगे, में डाक मतपत्र तथा प्रतिपर्ण ऐसे डिजाईन में होगा जो नियम 34 के उप नियम (1) के उपबन्धों के अन्तर्गत राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा साधारण मतपत्रों व उनके संलग्न प्रतिपर्ण के लिये परिपत्र सं. एफ. 1(2)(1)नपा–पंचा/सां.आ./रानिआ/14/3142 दिनांक 5.8.2014 से प्रसारित सां.आ. 86/14 द्वारा विहित किया हुआ है, सिवाय इस बात के कि मतपत्र और उसके प्रतिपर्ण के पृष्ठ भाग पर शब्द ''डाक मतपत्र'' मुद्रांकित किया जायेगा।

आज्ञा से,
–ह0–
(सत्यप्रकाश बसवाला)
मुख्य निर्वाचन अधिकारी एवं सचिव,
राज्य निर्वाचन आयोग,
राजस्थान, जयपुर

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

क्रमांकः एफ.4(2)(1)पं / नपा / रानिआ / 94 / 3059 जयपुर, दिनांक : 28.10.99

आदेश

सां.आ. संख्या–26 / 99 जिन निर्वाचनों में मत इलेक्ट्रोनिक मतदान मशीनों से डाले और रिकार्ड किये जायेंगे उनके संबंध में राजस्थान नगरपालिका (निर्वाचन) नियम, 1994 के नियम 44–क के उपबन्धों के अनुसार निविदत्त मतपत्र ऐसी डिजाईन का होगा जो राज्य निर्वाचन आयोग विनिर्दिष्ट करे। अतः राज्य निर्वाचन आयोग उक्त नियम 44–क के उपबन्धों के अनुसरण में एतत्द्वारा यह विनिर्दिष्ट करता है कि निविदत्त मतपत्र उसी मतपत्र की डिजाईन में होगा जो इलेक्ट्रोनिक मतदान मशीन के मतदान यूनिट में प्रदर्शित करने के लिए विहित किया हुआ है तथा उसकी पीठ पर ''निविदत्त मतपत्र'' स्टाम्पित किया जायेगा।

आज्ञा से,
–ह0–
(आर.के. पारीक)
उप सचिव,
राज्य निर्वाचन आयोग,
राजस्थान, जयपुर

(37)

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(द्वितीय तल, विकास खण्ड, सचिवालय, जयपुर–302005)
email- secraj@rajasthan.gov.in & secrajasthan@gmail.com, FAX 0141-2227280, 2227072

क्रमांक एफ. 1(4)(1)नपा / रानिआ / 14 / 3707 दिनांकः 02.09.2014

आदेश

राज्य सरकार के स्वायत्त शासन विभाग, राज., जयपुर द्वारा अधिसूचना संख्या एफ 8(जी.ए)( ) Rules / DLB / 14 दिनांक 11 जुलाई, 2014 के द्वारा राजस्थान नगरपालिका (निर्वाचन) नियम, 1994 में संशोधन कर राजस्थान नगरपालिका (निर्वाचन) (संशोधन) नियम, 2014 जारी किए गए हैं। राजस्थान नगरपालिका (निर्वाचन) (संशोधन) नियम, 2014 के द्वारा अध्याय IV को प्रतिस्थापित करते हुए अध्यक्षीय / उपाध्यक्षीय पदों का निर्वाचन प्रकिया विहित की गई हैं।

राजस्थान नगरपालिका (निर्वाचन) (संशोधन) नियम, 2014 में नियम 86(4) में यह तो बताया गया है कि, अध्यक्षीय / उपाध्यक्षीय पदों के निर्वाचन हेतु मतपत्र का प्रारूप अनुसूची–IV के अनुसार होगा, परन्तु मतपत्र के साईज एवं अभ्यर्थियों के पैनल हेतु स्थान के बारे में कुछ स्पष्ट नहीं किया गया है। अतः राजस्थान नगरपालिका (निर्वाचन) (संशोधन) नियम, 2014 के नियम 97 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य निर्वाचन आयोग अध्यक्षीय / उपाध्यक्षीय पदों के निर्वाचन हेतु मतपत्र का प्रारूप के संबंध में निम्नांकित दिशा–निर्देश जारी करता हैः–

1. मतपत्र की चौड़ाई 3'' या 4'' जैसा भी सुविधाजनक हो, के बीच होगी।
2. मतपत्र में निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों में अंतिम अभ्यर्थी के नाम के बाद में 'नोटा' (उपरोक्त में से कोई नहीं) हेतु विकल्प उपलब्ध रहेगा।
3. निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों के नाम एवं नोटा हेतु विकल्प मतपत्र में बांई ओर एक पैनल में प्रदर्शित होंगे।
4. निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों एवं नोटा हेतु विकल्प के लिए आवंटित स्थान (पैनल) की चौड़ाई समानरूप से इतनी रखी जाए कि, ऐरो क्रॉस मार्क रबर सील की छाप सुविधाजनक रूप से लगाई जा सके।

आज्ञा से,
–ह0–
(सत्यप्रकाश बसवाला)
मुख्य निर्वाचन अधिकारी एवं सचिव,
राज्य निर्वाचन आयोग,
राजस्थान, जयपुर।

(38)

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(द्वितीय तल, विकास खण्ड, सचिवालय, जयपुर–302005)

email- secraj@rajasthan.gov.in & secrajasthan@gmail.com, Ph./FAX 0141-2227280, 2227072

क्रमांकः प.1(2)(1)नपा–पंचा / सां.आ. / रानिआ / 14 / 4030 दिनांक : 16.09.2014

आदेश

सां. आ. 96 / 2014. राज्य सरकार के स्वायत्त शासन विभाग की अधिसूचना संख्या एफ 8(जी.ए)( ) Rules / DLB / 14 दिनांक 11 जुलाई 2014 के द्वारा राजस्थान नगरपालिका (निर्वाचन) नियम, 1994 के नियम 34, 34–ए के उप नियम (2), (5), एवं (6) में 'नोटा' (उपरोक्त में से कोई नहीं)' का विकल्प जोड़ने के लिए संशोधन किए गए हैं। इन संशोधनों के अनुसार अब नगरपालिका निर्वाचनों में ऐसे मतदाता जो चुनाव लड़ने वाले किसी भी अभ्यर्थी के पक्ष में अपना मत नहीं देना चाहते, उनके लिए मतपत्र में 'नोटा' (उपरोक्त में से कोई नहीं) का विकल्प उपलब्ध होगा। इन नियमों में 'नोटा' (उपरोक्त में से कोई नहीं) के विकल्प हेतु कोई चिन्ह विहित नहीं किया गया है। अतः राजस्थान नगरपालिका (निर्वाचन) नियम, 1994 के नियम 97 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए राज्य निर्वाचन आयोग मतपत्र में 'नोटा' (उपरोक्त में से कोई नहीं) के विकल्प को प्रदर्शित करने के लिए निम्नांकित निर्देश प्रदान करता है :–

1. मतपत्र पर चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची में अंतिम अभ्यर्थी के पश्चात् नोटा के विकल्प के लिए पैनल में अभ्यर्थी के नाम के स्थान पर ''उपरोक्त में से कोई नहीं'' अंकित किया जाएगा।
2. मतपत्र में 'नोटा' (उपरोक्त में से कोई नहीं) के विकल्प के सामने चुनाव चिन्ह के स्थान पर NOTA चिन्ह गोलाकार किनारों के साथ आयताकार रूप में अंकित किया जाएगा।
3. 'नोटा' (उपरोक्त में से कोई नहीं) के विकल्प के निर्धारित उक्त चिन्ह के बैकग्राउण्ड में काला रंग होगा, जिस पर सफेद रंग से अंग्रेजी के कैपिटल लैटर में NOTA अंकित होगा।

आज्ञा से,
–ह0–
(सत्य प्रकाश बसवाला)
मुख्य निर्वाचन अधिकारी
एवं सचिव

(39)

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

क्रमांकः एफ.1(2)(2)नपा/रानिआ/94/3243 जयपुर, दिनांक : 16.11.99

आदेश

राज्य में नगरपालिकाओं एवं पंचायत राज संस्थाओं के चुनाव के संबंध में राज्य निर्वाचन आयोग निम्नांकित आदेश जारी करता है :–

1. उक्त निर्वाचनों में किसी अभ्यर्थी द्वारा ऐसे कृत्रिम (डमी) मतपत्र मुद्रित कराये जा सकते हैं जिसमें उसका अपना नाम आदि का प्रयोग करते हुए वह जगह उपदर्शित की है जहां वह निर्वाचन में प्रयोग में लाये जाने वाले मतपत्र दिखाई दे परन्तु उसमें वार्ड या निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले किसी अन्य अभ्यर्थी के नाम और प्रतीक नहीं होने चाहिए। कृत्रिम मतपत्र का आकार या रंग असली मतपत्र के सदृश्य नहीं होना चाहिये।

2. राजनैतिक दल या अभ्यर्थी मतदाताओं को ऐसी अशासकीय पर्चियां जारी कर सकते हैं जिनमें निम्न सूचना दी गई हो :–

   (क) नगरपालिका या यथास्थिति, पंचायती राज संस्था का नाम।
   (ख) वार्ड या, यथास्थिति, निर्वाचन क्षेत्र का क्रमांक।
   (ग) निर्वाचन नामावली की भाग संख्या (नगरपालिका निर्वाचन की स्थिति में)
   (घ) निर्वाचन नामावली में मतदाता का नाम और क्रम संख्या।
   (ङ.) मतदान केन्द्र की क्रम संख्या और नाम।

पहचान पर्चियां सफेद कागज पर होनी चाहिए और उनमें अभ्यर्थी का नाम या उसके दल का नाम या उसके निर्वाचन प्रतीक नहीं दिये जायेंगे ऐसी पर्चियों में किसी दल या किसी अभ्यर्थी को वोट देने से संबंधित कोई नारा या प्रबोधन भी नहीं होगा। मतदान केन्द्र के 100 मीटर की परिधि के भीतर किसी ऐसी पर्ची का संचरण (Circulation) जिसमें ऐसा कोई नारा या प्रबोधन अंकित हो, निषिद्ध रहेगा।

आज्ञा से,
–ह0–
सचिव,
राज्य निर्वाचन आयोग,
राजस्थान, जयपुर

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

क्रमांकः एफ.1(2)(2)नपा/रानिआ/94/3245 जयपुर, दिनांक : 16.11.99

आदेश

नगरपालिका चुनावों के लिये मतपत्रों का मुद्रण राजकीय मुद्रणालयों में कराया जायेगा। राजकीय मुद्रणालय में मतपत्रों के मुद्रण के पश्चात् शेष अधिशेष और रद्दी मतपत्रों के निस्तारण के बाबत् निम्नलिखित निर्देश राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी किये जाते हैं :–

जैसे ही किसी नगरपालिका के वार्डों में मतदान समाप्त हो जाये और यह सुनिश्चित् कर लिया जाये कि नगरपालिका के किसी वार्ड में किसी मतदान केन्द्र पर मतदान के स्थगन या नये सिरे से मतदान करने की कोई आवश्यकता नहीं है, मुद्रणालयों पर अधिशेष मतपत्रों को छोटे–छोटे टुकड़ों में किया जाकर फर्श की बुहारन और अन्य रद्दी मतपत्रों के साथ जलाकर नष्ट किये जाने का कार्य स्वयं अधीक्षक, केन्द्रीय मुद्रणालय की उपस्थिति में किया जाये।

अधिशेष और रद्दी मतपत्र को जलाकर नष्ट किये जाने वाले और अपनी उपस्थिति में नष्ट किये जाने वाले अधिशेष और रद्दी मतपत्रों की संख्या/परिमाप के बारे में प्रमाण–पत्र अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय द्वारा सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग को भेजा जायेगा।

परिणाम की घोषणा होन के बाद यथाशीघ्र और किसी भी दशा में उसके 10 दिन के भीतर अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय द्वारा यह प्रमाणित करते हुए कि निर्वाचन के लिये मुद्रित कराये गये समस्त अधिशेष और रद्दी मतपत्र ऊपर बताई गई रीति से नष्ट कर दिया गया है, एक रिर्पोट आयोग को भेजी जायेगी।

आज्ञा से,
–ह0–
उप सचिव,
राज्य निर्वाचन आयोग,
राजस्थान, जयपुर

(41)

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(द्वितीय तल, विकास खण्ड, सचिवालय, जयपुर–302005)
email- secraj@rajasthan.gov.in & secrajasthan@gmail.com, FAX 0141-2227280, 2227072

क्रमांकः– प 1(2)(2) नपा/रानिआ/94/3494 दिनांकः–25.08.2014

आदेश

नगरपालिका चुनावों के लिये मतपत्रों का मुद्रण का कार्य अब राजकीय मुद्रणालयों के अतिरिक्त निजी मुद्रणालयों से भी कराए जा सकने के आदेश आयोग द्वारा जारी किए हैं। राजकीय मुद्रणालय से मतपत्रों के मुद्रण के पश्चात् शेष अधिशेष और रद्दी मतपत्रों के निस्तरण की विधि आयोग द्वारा आदेश क्रमांक 3245/16.11.99 के द्वारा निर्धारित की हुई है। निजी मुद्रणालय में मतपत्रों के मुद्रण के पश्चात् शेष अधिशेष और रद्दी मतपत्रों के निस्तारण के बाबत् आयोग द्वारा निम्नलिखित निर्देश जारी किये जाते हैं :–

जैसे ही किसी नगरपालिका के वार्डों में मतदान समाप्त हो जाये और यह सुनिश्चित् कर लिया जाये कि, नगरपालिका के किसी वार्ड में किसी मतदान केन्द्र पर मतदान के स्थगन या नये सिरे से मतदान करने की कोई आवश्यकता नहीं है। संबंधित मुद्रणालयों पर अधिशेष मतपत्रों के छोटे–छोटे टुकड़ें किए जाकर फर्श की बुहारन और अन्य रद्दी मतपत्रों के टुकड़ों को एकत्रित कर साथ जलाकर नष्ट किया जाएगा। यह कार्य रिटर्निंग अधिकारी या उसके द्वारा अधिकृत अधिकारी, जो कि राजपत्रित अधिकारी के स्तर का होगा एवं मुद्रणालय के प्रबंधक की उपस्थिति में किया जाएगा।

अपनी उपस्थिति में अधिशेष और रद्दी मतपत्र को जलाकर नष्ट किये जाने वाले मतपत्रों की संख्या/परिमाप के बारे में प्रमाण–पत्र रिटर्निंग अधिकारी द्वारा सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग को भेजा जायेगा।

परिणाम की घोषणा होने के बाद यथाशीघ्र और किसी भी दशा में उसके 10 दिन के भीतर रिटर्निंग अधिकारी द्वारा यह प्रमाणित करते हुए कि, निर्वाचन के लिये मुद्रित कराये गये समस्त अधिशेष और रद्दी मतपत्र ऊपर बताई गई रीति से नष्ट कर दिए गए हैं, एक रिपोर्ट आयोग को भेजी जायेगी।

आज्ञा से,
–ह0–
(सत्यप्रकाश बसवाला)
मुख्य निर्वाचन अधिकारी एवं सचिव,
राज्य निर्वाचन आयोग,
राजस्थान, जयपुर

(42)

राज्य निर्वाचन आयोग

क्रमांकः एफ.4(1)(5)नपा/रानिआ/94/262 जयपुर, दिनांकः 01.10.94

–:: आदेश ::–

राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 1959की धारा 27 की उप–धारा (5) के परन्तुक के उपबन्धों के अनुसार उस समय प्रवृत किसी भी विधि के अधीन निवारक–निरोध में रखे गए किसी भी व्यक्ति को मताधिकार प्राप्त है, परन्तु राजस्थान नगरपालिका (निर्वाचन) नियम, 1994 के अन्तर्गत ऐसे व्यक्तियों के द्वारा मतदान के लिये कोई प्रक्रिया विहित नहीं की गई है। राज्य में होने जा रहे 44 नगरपालिकाओं के चुनाव में निवारक निरोध में रखे गये व्यक्तियों को मताधिकार की सुविधा प्रदत्त कराने के लिए तथा तत्संसक्त विषयों के लिये उपबन्ध करना आवश्यक और समीचीन है,

अतः राजस्थान नगरपालिका (निर्वाचन) नियम, 1994 के नियम 97 के अन्तर्गत कठिनाईयों के निराकरण हेतु राज्य निर्वाचन आयोग को प्रदत्त अधिकारों के अनुसरण में आयोग निवारक निरोध के अध्यधीन व्यक्तियों के लिये मत अभिलिखित करने की रीति निम्न प्रकार निर्धारित करता है :–

(1) कोई भी निर्वाचक, जो तत्समय प्रवृत किसी विधि के अधीन निवारक निरोध के अध्यधीन है, नियम 11 के अधीन लोक नोटिस के जारी होने की तारीख से 7 दिन के अन्दर किसी भी समय डाक मतपत्र द्वारा मत देने के अपने आशय की एक लिखित सूचना, रिटर्निंग अधिकारी को दे सकेगा,

(2) ऐसी प्रत्येक सूचना में, निर्वाचक का नाम, उसका पता तथा निर्वाचक की क्रम संख्या और उसके निरोध में रहने के स्थान की विशिष्टियॉ विनिर्दिष्ट की जायेगी,

(3) यदि रिटर्निंग अधिकारी का समाधान हो जाये कि वह व्यक्ति जिसने उपखंण्ड (1) के अधीन सूचना दी है,निवारक निरोध के अध्यधीन है तथा वह निर्वाचन में मत देने का हकदार है तो वह ऐसे व्यक्ति का मत डाक–पत्र द्वारा प्राप्त करने का प्रबन्ध करेगा,

(4) रिटर्निंग अधिकारी, पूर्ववर्ती उप–खण्ड के अधीन मत देने के हकदार ऐसे प्रत्येक मतदाता को, यथा साध्य शीघ्रता से डाक मतपत्र भेजने या उसे ऐसे मतदाता को स्वयं को परिदत्त करवाने हेतु कार्यवाही करेगा,

(5) निवारक निरोध में निरूद्ध मतदाता के लिये डाक मतपत्र और उसका प्रतिपर्ण उसी रूपांकन (क्मेपहद) का होगा जैसा मतदान केन्द्र पर प्रयुक्त होने वाले साधारण मतपत्र का होता है, सिवाय इस बात के कि मतपत्र और उसके प्रतिपर्ण के पृष्ठ भाग पर शब्द 'डाक मतपत्र' मुद्रांकित किया जायेगा। यानि डाक मतपत्र के प्रयोजन के लिए संम्बन्धित वार्ड के लिये मुद्रित हुये कुल मतपत्रों में से अपेक्षित संख्या के अतिरिक्त मुद्रित अन्तिम क्रम संख्या वाले मतपत्रों को काम में लिया जावेगा और उनके व प्रतिपर्ण के पृष्ट भाग पर रबड मुद्रा से 'डाक मतपत्र' मुद्रांकित कर दिया जावेगा,

(6) डाक मतपत्र भेजने के पहले उसे मतपत्र के प्रतिपर्ण पर मतदाता सूची की चिन्हित प्रति में प्रविष्ट उस मतदाता की क्रम संख्या तथा मतदाता सूची की भाग संख्या अभिलिखित कर देनी चाहिये। मतदाता सूची की चिन्हित प्रति में सम्बन्धित मतदाता के नाम के सामने शब्द 'डाक मतपत्र' यह उपदर्शित करने के लिये लिख दें कि उस मतदाता को मतपत्र जारी कर दिया गया है किन्तु उसमें उस मतदाता को जारी किए गए मतपत्र की क्रम संख्या अभिलिखित न की जावे। रिटर्निंग अधिकारी को जारी किये गये डाक मतपत्रों के प्रतिपर्णो को एक अलग पैकेट में मुहरबन्द कर उस पैकेट पर उसमें रखी गयी वस्तु का संक्षिप्त विवरण और मुहरबन्द करने का दिनांक अंकित कर अन्य मुहरबन्द निर्वाचन अभिलेख के साथ रखवा देना चाहिये,

(7) रिटर्निंग अधिकारी निर्वाचक को मतपत्र के साथ–साथ निम्नलिखित भी भेजेगा :–

(क) निर्वाचक द्वारा घोषणा का प्ररूप – परिशिष्ट–1 के अनुसार

(ख) छोटा लिफाफा– 'क' परिशिष्ट–2 की स्लिप के अनुसार

(ग) बडा लिफाफा – 'ख' जिस पर रिटर्निंग अधिकारी का पता लिखा हो– परिशिष्ट–3 की स्लिप के अनुसार

(घ) निर्वाचकों के मार्ग दर्शन के लिये अनुदेश– परिशिष्ट–4 के अनुसार

(8) प्रत्येक अधिकारी , जिसकी देखरेख में या जिसकी मार्फत कोई डाक मतपत्र भेजा जाये, यह सुनिश्चित करेगा कि वह प्रेषिती को अविलम्ब परिदत्त कर दिया गया है,

(9) डाक मतपत्र द्वारा मत देने के हकदार ऐसे समस्त निर्वाचकों को मतपत्र जारी कर दिये जाने के पश्चात् रिटर्निंग अधिकारी मतपत्रों के जारी करने के सम्बन्ध में उपयोग में लाई गई निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति को एक पैकेट में सील कर देगा, जिस पर उसकी विषय वस्तु का संक्षिप्त विवरण, वार्ड का नम्बर और वह तारीख जिस दिन वह इसे सील करें, अभिलिखित करेंगा,

(10) कोई निर्वाचक, जिसे डाक मतपत्र प्राप्त हो गया है और जो मत देना चाहता है, 'निर्वाचकों के मार्गदर्शन के लिये अनुदेश' में विहित अनुदेशों के अनुसार मतपत्र पर अपना मत अभिलिखित करेगा और तत्पश्चात् उसे 'छोटा लिफाफा–क' में सुरक्षित रखकर बन्द कर देगा व इस छोटे लिफाफे के साथ 'निर्वाचक द्वारा घोषणा', जिस पर उसके हस्ताक्षर किसी राजपत्रित अधिकारी या जैल के भारसाधक अधिकारी द्वारा अनुप्रमाणित हो, को बडे लिफाफा 'ख' में बन्द करके रिटर्निंग अधिकारी को भेजेगा,

(11) मतगणना में वे ही डाक मतपत्र शामिल किये जावेगे जो मतगणना प्रारम्भ करने के लिये निश्चित समय तक रिटर्निंग अधिकारी को प्राप्त हो जावेगे।

(12) राजस्थान नगरपालिका (निर्वाचन) नियम, 1994 के नियम 63 लगायत 65 के अन्तर्गत मतगणना का कार्य पूर्ण हो जाने के बाद रिटर्निंग अधिकारी निवारक निरोध में निरूद्ध मतदाताओं से प्राप्त हुए डाक मतपत्रों की संवीक्षा करेगा और उन्हें नामंजूर करेगा :–

(क) यदि इस आदेश के खण्ड (10) में उल्लिखित 'निर्वाचक द्वारा घोषणा' बडा लिफाफा 'ख' में छोटा लिफाफा 'क' के साथ प्राप्त न हो, या

(ख) यदि 'निर्वाचक द्वारा घोषणा' सम्यक रूप से हस्ताक्षरित या अनुप्रमाणित न हो अथवा अन्यथा सारवान रूप से त्रुटिपूर्ण हो, या

(ग) यदि डाक मतपत्र का लिफाफा निश्चित समय की समाप्ति के बाद प्राप्त हुआ हो, या

(घ) उपरोक्त नियमों के नियम 64 में निर्दिष्ट एक या अधिक कारणों से मतपत्र नामंजूर किया जायेगा परन्तु उपरोक्त डाक मतपत्र इस कारण नामंजूर नहीं किया जावेगा कि उस पर मत अभिलिखित करने वाले चिन्ह् निर्धारित उपकरण से अन्यथा लगाया गया है, किसी भी अभ्यर्थी के खाने मे, जिसे मतदाता अपना मत अभिलिखित करना चाहता है। बालपेन या स्याही से क्रास (ग) के चिन्ह् का अंकन पर्याप्त होगा,

(13) रिटर्निंग अधिकारी डाक मतपत्र द्वारा दिये गये प्रत्येक अभ्यर्थी के पक्ष में विधिमान्य मतों की इस प्रकार गणना करके उनके द्वारा प्राप्त किये गये कुल विधिमान्य मतों में जोड देगा।

आज्ञा से,

ह.
(बी. बी. महान्तिं)
सचिव,
राज्य निर्वाचन आयोग,
राजस्थान, जयपुर।

परिशिष्ट – 1

निर्वाचक द्वारा घोषणा

.... के वार्ड सं. .... के लिये निर्वाचन
(इस भाग का उपयोग केवल तभी किया जाये जबकि निर्वाचक स्वयं घोषणा पर हस्ताक्षर करें)

मैं, इसके द्वारा घोषणा करता हूँ कि मैं वहीं निर्वाचक हूँ जिसे उपर्युक्त निर्वाचन के लिये क्रम संख्या .... वाला डाक मतपत्र जारी किया गया है।

निर्वाचक के हस्ताक्षर
पता

तारीख

हस्ताक्षर का अनुप्रमाणन

उपर्युक्त पर श्री .... (निर्वाचक) द्वारा, जिन्हें मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ/जिनकी पहचान श्री .... (पहचान कर्ता) ने की है, जिन्हें मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ मेरे समाधान पर्यन्त मेरी उपस्थिति में हस्ताक्षर किये गये हैं।

पहचानकर्ता, यदि कोई हो, के हस्ताक्षर

पता

अनुप्रमाणित करने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर
पदनाम
पता

तारीख

(इस भाग का उपयोग केवल तभी किया जाये जबकि निर्वाचक स्वयं हस्ताक्षर न कर सकता हो)

मैं इसके द्वारा घोषणा करता हूँ कि मैं वहीं निर्वाचक हूँ जिसे उपर्युक्त निर्वाचन में क्रम संख्या .... वाला मतपत्र जारी किया गया हैं।

निर्वाचक की ओर से अनुप्रमाणित करने वाले
अधिकारी के हस्ताक्षर
निर्वाचक का पता

प्रमाण–पत्र

मैं, इसके द्वारा प्रमाणित करता हूँ कि :–

(1) उपरोक्त निर्वाचक को मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ/की पहचान श्री .... /(पहचानकर्ता) ने मेरे समाधान पर्यन्त की है जिन्हें मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ।

(2) मेरा समाधान हो गया है कि निर्वाचक निरक्षर है, (अशक्तता ....) से पीडित है और वह अपना मत स्वयं अभिलिखित करने या अपनी घोषणा पर हस्ताक्षर करने में असमर्थ है,

(3) उसके द्वारा मुझे मतपत्र पर निशान लगााने तथा उसकी ओर से घोषणा पर हस्ताक्षर करने के लिये निवेदन किया गया था, तथा

(4) उसकी ओर से तथा उसकी उपस्थिति में तथा उसकी इच्छानुसार मत पर चिन्ह लगाया और घोषणा पर हस्ताक्षर किये,

पहचानकर्ता, यदि कोई हो, के हस्ताक्षर

अनुप्रमाणक अधिकारी के हस्ताक्षर
पदनाम

पताः

तारीखः

परिशिष्ट–2

छोटा लिफाफा – क

(मतगणना से पूर्व नहीं खेला जाना है)

.... नगरपालिका के वार्ड सं0 .... के लिये निर्वाचन

डाक मतपत्र

मतपत्र की कम संख्या ....

यहॉ निर्वाचन से संबंधित उपयुक्त विशिष्टियॉ अन्तः स्थापित की जानी है।

परिशिष्ट–3

बडा लिफाफा – ख

मतगणना से पूर्व नहीं खोला जाना है

निर्वाचन तुरन्त

डाक मतपत्र

सेवामें,
रिटर्निग आफिसर
....
....

(.......................... नगरपालिका के वार्ड संत्र .... के लिये निर्वाचन)

परिशिष्ट–4

.... नगरपालिका के वार्ड सं. .... के लिये निर्वाचन

निर्वाचकों के मार्गदर्शन के लिये अनुदेश

इसके साथ भेजे गये मतपत्रों पर जिन व्यक्तियों के नाम छपे हैं वे उक्त निर्वाचन में उम्मीदवार हैं। यदि आप मत देना चाहते हैं तो आपको अपना मत नीचे भाग 1 में दिये गये निर्देशों के अनुसार अभिलिखित करना चाहिये तथा इसके बाद भाग–2 में विस्तृत रूप से दिये गये अनुदेशों का अनुसरण करना चाहिये।

भाग–1 निर्वाचकों के लिये निर्देश

(क) निर्वाचित किये जाने वाले सदस्यों की संख्या एक है।

(ख) आपको केवल एक मत देना है।

(ग) आपको एक से अधिक उम्मीदवारों को मत नहीं देना चाहिये। यदि आप ऐसा करेंगे तो आपका मत–पत्र अस्वीकृत कर दिया जायेगा।

(घ) अपना मत, उस उम्मीदवार के नाम के सामने जिसे आप मत देना चाहते हैं (ग) का स्पष्ट चिन्ह लगाकर अभिलिखित करें।

(ड.) चिन्ह इस प्रकार लगाया जाय जिससे स्पष्ट रूप से तथा निःसन्देह यह पता चल जाये कि आपने किस उम्मीदवार को मत दिया है। यदि आपने चिन्ह इस प्रकार लगाया है जिससे यह बात संदिग्ध हो जाय कि आपने किस उम्मीदवार को मत दिया है, तो वह मत अविधिमान्य हो जायेगा।

(च) आपका मत गुप्त है। आपको मत–पत्र पर अपने हस्ताक्षर नहीं करने चाहिये या इस पर अन्य ऐसा कोई भी चिन्ह नहीं लगाना चाहिये जो आपकी पहचान को प्रकट करें। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपका मत–पत्र अस्वीकृत कर दिया जायेगा।

भाग–प्प निर्वाचकों के लिये अनुदेश

(क) मत–पत्र पर, अपना मत अभिलिखित करने के पश्चात्, इस मत–पत्र को इसके साथ साथ भेजे गये एक छोटे लिफाफे में जिस पर ''**क**' अंकित है, रख दीजिये। लिफाफे को बन्द कर दें तथा इस पर मुहर लगाकर या अन्यथा सुरक्षित कर लें।

(ख) इसके पश्चात्, आपको इसके साथ भेजे प्ररूप में एक घोषणा पर भी किसी ऐसे अधिकारी की उपस्थिति में हस्ताक्षर करने हैं जो आपके हस्ताक्षर अनुप्रमाणित करने के लिये सक्षम हैं। ऐसा अधिकारी, राजपत्रित होना चाहिये या उस जेल का भार–साधक अधिकारी होना चाहिये जहां कि आप निरूद्ध हैं। इस घोषणा को ऐसे किसी भी अधिकारी के पास ले जायें तथा आपकी पहचान के बारे में उसका समाधान हो जाने के पश्चात उसके समक्ष इस पर हस्ताक्षर करें। वह अधिकारी आपके हस्ताक्षर अनुप्रमाणित करेगा तथा आपको घोषणा वापिस कर देगा। आपको अपना मत–पत्र अनुप्रमाणित करने वाले अधिकारी को नहीं दिखाना चाहिये और न ही उससे यह कहें कि आपने किस प्रकार का मत दिया है।

(ग) यदि आप स्वयं निरक्षरता, अन्धता या अंगशैथिल्य के कारण ऊपर उपदर्शित रीति से मत–पत्र पर चिन्ह लगाने या घोषणा पर हस्ताक्षर करने में असमर्थ हैं तो आप मद (ख) में उल्लिखित किसी भी अधिकारी से अपनी ओर से मतपत्र पर चिन्ह लगवाने तथा घोषणा पर हस्ताक्षर करवाने के हकदार हैं। आपके निवेदन पर ऐसा अधिकारी मतपत्र पर आपके समक्ष तथा आपकी इच्छानुसार चिन्ह लगायेगा। वह इस संबंध में आवश्यक प्रमाण–पत्र भी पूर्ण करेगा।

(घ) मद (ख) या मद (ग) के अनुसार आपकी घोषणा पर हस्ताक्षर हो जाने के पश्चात् तथा आपके हस्ताक्षर अनुप्रमाणित हो जाने के पश्चात् प्ररूप में की गई घोषणा तथा छोटे लिफाफे को, जिस पर 'क' अंकित है, तथा जिसमें मतपत्र रखे गये हैं, एक बडे लिफाफे में, जिस पर 'ख' अंकित है, रख दीजिये। बडे लिफाफे को बन्द करने के पश्चात् इसे रजिस्ट्रीकृत डाक या किसी संदेशवाहक द्वारा, रिटर्निंग ऑफिसर के पास भेज दीजिये।

(ड.) आपको यह सुनिश्चित कर लेना चाहिये कि यह लिफाफा रिटर्निंग ऑफिसर के पास .... (तारीख) को .... बजे से पूर्व पहुॅच जाये

(च) कृपया नोट करें कि –

(1) यदि आप अपनी घोषणा को उपदर्शित रीति से अनुप्रमाणित या प्रमाणित करवाने में असफल रहते हैं तो आपका मत–पत्र अस्वीकृत कर दिया जायेगा, और

(2) यदि आपका लिफाफा रिटर्निंग ऑफिसर के पास .... (तारीख) को .... बजे के पश्चात् पहुॅचता है तो आपके मत की गणना नहीं की जायेगी।

(43)

चुनाव अति आवश्यक

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(द्वितीय तल, विकास खण्ड, सचिवालय, जयपुर–302005)

क्रमांक–प.4(2)(1)रानिआ / नपा / 94 / 6243 दिनांक : 12.8.05

प्रेषक,

मुख्य निर्वाचन अधिकारी एवं सचिव,
राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान, जयपुर।

प्रेषिति,

समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी,
(नगरपालिका) (कलेक्टर) (बाडमेर एवं भरतपुर को छोड़कर)।

विषयः– नगरपालिकों के आम चुनाव–पत्रकारों को प्रवेश–मतदान बूथ एवं मतगणना केन्द पर फोटोग्राफी / विडियोग्राफी का निषेध।

महोदय,

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अपने आदेश क्रमांक–प.4(2)(1)PN/SEC/94/2311 दिनांक 24.08.1995 के द्वारा मतदान केन्द्रों एवं मतगणना केन्द्रों पर पत्रकारों को प्रवेश देने के लिये अधिसूचना जारी करने हेतु जिला संपर्क अधिकारी की अनुशंसा के आधार पर एवं स्वयं की सन्तुष्टि पर जिला निर्वाचन अधिकारियों को अधिकृत किया गया था।

आयोग के उक्त आदेश के क्रम में अब यह निर्देश दिये जाते हैं कि अधिकार पत्र धारी पत्रकार जब मतदान बूथ के अन्दर जाये तो किसी प्रकार की फोटोग्राफी अथवा विडियोग्राफी नहीं करेंगे और न ही मोबाईल फोन ले जा सकेंगे। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 131 के अंतर्गत पीठासीन अधिकारी के रूप में कार्यरत मतदान अधिकारी को यह अधिकार है कि वह उक्त निर्देशों की पालना नहीं करने वाले किसी मीडियाकर्मी को मतदान केन्द्र के भवन में प्रवेश नहीं करने दें और भवन से बाहर जाने के लिये निर्देशित कर दे, भले ही ऐसे मीडियाकर्मी के पास प्रवेश हेतु अधिकार पत्र जारी किया हुआ हो।

नगरपालिका सदस्यों के मतगणना के समय मतगणना कक्ष के भीतर अधिकार पत्रधारी कोई भी पत्रकार / कैमराटीम को विडियोग्राफी अथवा फोटोग्राफी करने की अनुमति नहीं दी जाये और न ही उन्हें मोबाईल फोन ले जाने की अनुमति दी जाये। मतगणना हेतु बनाये गये मतगणना केन्द्र पर पत्रकारों के लिये एक पृथक कक्ष आरक्षित कर उन्हें वहॉ सभी जानकारी उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जाये और जब अधिकार पत्र धारी कोई पत्रकार वास्तविक मतगणना का अवलोकन मतगणना कक्ष में जाकर करना चाहे तो उसे बिना किसी कैमरे या मोबाईल फोन के मतगणना कक्ष में प्रवेश करने दिया जाये लेकिन कोई जिम्मेदार अधिकारी ऐसे समय मतगणना कक्ष में उनके साथ रहें ताकि मतों की गोपनीयता एवं मतगणना की व्यवस्था पर किसी प्रकार का व्यवधान नहीं हो।

मतगणना कक्ष में रिटर्निंग अधिकारी / सहायक रिटर्निंग अधिकारी को भी यह अधिकार है कि वह मतों की गोपनीयता बनाये रखने हेतु और मतगणना की सुचारू व्यवस्था हेतु ऐसे किसी भी मीडियाकर्मी को मतगणना कक्ष में प्रवेश होने से रोक देवें जो उपरोक्त शर्तों की पालना नहीं करता हो भले ही उसके पास प्रवेश हेतु अधिकार पत्र जारी किया हुआ हो।

कृपया उपरोक्त निर्देशों की पालना सुनिश्चित करने हेतु सभी संबंधित को अवगत कराया जाये और अधिस्वीकृत पत्रकारों को मतदान केन्द्र / मतगणना केन्द्र में प्रवेश के लिये अधिकार पत्र जारी करते समय उक्त शर्तों का उल्लेख भी किया जाये।

भवदीय,
–ह0–
सचिव,
राज्य निर्वाचन आयोग,
राजस्थान, जयपुर।

(44)

राज्य निर्वाचन आयोग

क्रमांकः एफ 4(1)(9)नपा/रानिआ/94/295 जयपुर, दिनांकः 14.10.94

आदेश

यतः राजस्थान नगरपालिका (निर्वाचन) नियम, 1994 के नियम 35 के उप नियम (2) के खण्ड (क), (ख) और परन्तुक के उपबन्धों के अनुसार किसी मतदाता को मतपत्र जारी किये जाने के समय, मतदान अधिकारी इसके प्रतिपर्ण पर, मतदाता सूची की चिन्हित प्रति में यथाप्रविष्ट मतदाता का, क्रम संख्यांक अभिलिखित करेगा, और उस प्रतिपर्ण पर उस मतदाता के हस्ताक्षर या अंगूठे की छाप अभिप्राप्त करेगा, परन्तु किसी मतदाता को कोई भी मतपत्र तब तक नहीं दिया जायेगा जब तक कि वह उस मतपत्र के प्रतिपर्ण पर अपने हस्ताक्षर या अंगूठे की छाप न लगा दें,

यतः मतदान केन्द्र पर मतदान की प्रक्रियानुसार मतदाता के मतदान केन्द्र में प्रवेश करने पर प्रथम मतदान अधिकारी निर्वाचक नामावली में मतदाता का नाम देखेगा और नामावली में संबंधित प्रविष्टि में दिये गये विवरणों की जॉच करने के बाद ऊँची आवाज में उस मतदाता का नाम, पिता/पति का नाम और नामावली की भाग संख्या व मतदाता क्रम संख्यांक सुनाऐगा। जैसे ही प्रथम मतदान अधिकारी मतदाता का क्रम संख्यांक बोलता है उसी समय तृतीय मतदान अधिकारी मतपत्र के प्रतिपर्ण पर निर्वाचक नामावली का भाग संख्यांक व मतदाता का क्रम संख्यांक लिख देता है और इस प्रतिपर्ण पर मतदाता के हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान कराता है, और

यतः उपर्युक्त रीति से मतपत्र के प्रतिपर्ण पर निर्वाचक नामावली का भाग संख्यांक एवं मतदाता क्रम संख्यांक अभिलिखित हो जाने के उपरान्त संबंधित मतदाता उस प्रतिपर्ण पर हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान लगाने से यदि इन्कार करदें तो उपरोक्त परन्तुक के अनुसार उसे मतपत्र नहीं दिया जाएगा, परन्तु उपरोक्त नियमों में इस प्रकार अभिलिखित प्रतिपर्ण और उसके सम्बद्ध मतपत्र का निस्तारण करने की कोई प्रक्रिया नहीं दी गई है,

अतः उपरोक्त कठिनाई का निराकरण करने हेतु उपरोक्त नियमों के नियम 97 के अनुसरण में राज्य निर्वाचन आयोग एतदद्वारा निर्देश देता है कि मतपत्र, जिसके प्रतिपर्ण पर मतदान अधिकारी ने हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान लगाने से इन्कार करने वाले मतदाता की निर्वाचक नामावली में क्रम संख्या पहले ही अभिलिखित कर दी है, को रद्द कर दिया जावे और मतपत्र तथा प्रतिपर्ण के पृष्ठ भाग पर शब्द ''रद्द किया गया : मतदान प्रक्रिया का उल्लंघन – हस्ताक्षर करने से इन्कार'' पीठासीन अधिकारी द्वारा पृष्ठांकित किये जाकर अपने हस्ताक्षर किये जावें और ऐसे रद्द किये गये मतपत्रों को नियम 37 के उप–नियम (7) में उल्लिखित आवरण (लिफाफा), जिस पर 'मतपत्र – मतदान प्रक्रिया का उल्लंघन किया गया' लिखा होगा, में उसमें रखे अन्य रद्द मतपत्रों (यदि कोई हो) के साथ रखा जावेगा और मतपत्र लेखा (प्ररूप–17) के मद संख्या 4(क) में लेखांकित किया जायेगा।

आज्ञा से,
ह.
(बी.बी.महान्ति)
सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग,
राजस्थान, जयपुर।

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

द्वितीय तल, विकास खण्ड, सचिवालय, जयपुरः 302005

क्रमांकः– प 4(2)(1) नपा / रानिआ / 03 / 5192 दिनांकः–15.11.2009

जिला नगरपालिका निर्वाचन अधिकारी,
(कलेक्टर) श्रीगंगानगर, हनुमानगढ, बीकानेर,चूरू, झुंझुनू
सीकर, जयपुर, अलवर, भरतपुर, टोंक, अजमेर, कोटा,
उदयपुर, पाली, एवं जोधपुर ।

विषयः– नगरपालिका निर्वाचन–2009–मतदाता सहायता केन्द्र (Voter Assistence Booth) की स्थापना के संबंध में।

महोदय,

नगर निगम / नगर परिषद् / नगरपालिका चुनाव होने जा रहे है। विशेषकर नगर निगम एवं नगर परिषद् क्षेत्रों में मतदान भवन घनी आबादी में स्थित होते हैं। जिससे इस बात की पूरी संभावना रहती है कि एक ही मतदान भवन पर एक से अधिक मतदान केन्द्रों की स्थापना की गई हो। परिसीमन के कारण वार्डो में परिवर्तन हुआ है और मतदान केन्द्र भी परिवर्तित हो सकते हैं। ऐसे में इन मतदान भवनो पर मतदाताओं की भीड–भाड होने एवं असमंजस के कारण मतदाताओं कों अपने संबंधित मतदान केन्द्र तक पहुॅचने में कठिनाई का सामना करना पड सकता है, एवं मतदाता अपने मताधिकार से वंचित रह सकते है। मतदाता के पास मतदान केन्द्र की जानकारी पूरी न होने से मतदान केन्द्र में मतदान दल से भी पूछताछ करने की स्थिति मे मतदान प्रक्रिया में व्यवधान आ सकता है।

अतः मतदाताओं को अपने संबंधित सही मतदान केन्द्र तक जानें के लिए मार्गदर्शन करने हेतु प्रत्येक मतदान भवन पर ''मतदाता सहायता केन्द्र'' (Voter Assistence Booth) स्थापित किये जावे। इन केन्द्रो पर बूथ लेवल अधिकारी (BLO) स्तर के कार्मिकों को नियुक्त किया जाये। प्रत्येक मतदाता सहायता केन्द्र पर उपस्थित कार्मिकों के पास मतदाता सूची रहेगी जिससे वे मतदाताओं को उस भवन के सही मतदाता केन्द्र पर जाने और उनके मतदाता क्रमांक बताने में सहायता करेंगें। जिन मतदान भवनों पर पांच तक मतदान केन्द्र है वहां दो सहायक तथा जिन भवनों में पांच से अधिक मतदान केन्द्र है वहां स्थानीय स्तर पर निर्णय लेकर सहायक लगाये जावें।

मतदाता सहायता केन्द्र पर पदस्थापित कार्मिकों के मोबाईल फोन नम्बर भी संकलित कर लिये जाये ताकि मतदान के दिन मतदान केन्द्र पर गतिविधियों की जानकारी उनके माध्यम से ली जा सके। प्रत्येक मतदाता सहायता केन्द्र पर टेबल, कुर्सी एवं आवश्यकतानुसार छाया की व्यवस्था भी की जावे।

उपरोक्तानुसार व्यवस्था नगर निगमों एवम् नगर परिषद चुनावों में की जावे।

–ह0–
(आर.के. जैन)
सचिव
राज्य निर्वाचन आयोग
राजस्थान, जयपुर।

(46)
राज्य निर्वाचन आयोग

क्रमांकः—प.4(2)(1)नपा / रानिआ / 94 / 858 जयपुर, दिनांक 4.10.99

प्रेषक,
मुख्य निर्वाचन अधिकारी एवं सचिव,
राज्य निर्वाचन आयोग, राज. जयपुर।

प्रेंषित,
समस्त नगरपालिका जिला निर्वाचन अधिकारी,

विषयः— नगरपालिका चुनाव — पीठासीन अधिकारियों की डायरी।

महोदय,

नगरपालिका चुनावों के संबंध में राज्य निर्वाचन आयोग ने मतदान केन्द्र पर नियुक्त पीठासीन अधिकारियों द्वार पूर्ति करने के लिए डायरी का प्रारूप निर्धारित किया है। पीठासीन अधिकारी उक्त डायरी में मतदान के दौरान घटनाओं के संबंध में वर्णन करेगे। मतदान पश्चात् डायरी को सील बन्द मतपेटी के साथ स्ट्रांग रूप में किसी स्थिति में नहीं रखा जावे बल्कि रिटर्निंग अधिकारी या किसी सहायक रिटर्निंग अधिकारी की अभिरक्षा में रखी जायेगी। सभी पीठासीन अधिकारियों की डायरी का अध्ययन रिटर्निंग अधिकारी या जहां अति आवश्यक हो उसके द्वारा मनोनीत सहायक रिटर्निंग अधिकारी द्वारा किया जायेगा।

राजस्थान नगरपालिका (निर्वाचन) नियम 1994 के नियम 53 और 55 के अन्तर्गत यदि किसी मतदान के स्थगन या नये सिरे से मतदान हेतु रिपोर्ट राज्य निर्वाचन आयोग को भेजी जावे तो उससे पूर्व पीठासीन अधिकारी की उक्त डायरी का अध्ययन आवश्यक रूप से किया जावे।

प्रशिक्षण के दौरान पीठासीन अधिकारी की डायरी को समुचित रूप से भरने के लिए पीठासीन अधिकारियों को विस्तार से समझाया जावे। कृपया उक्त निर्देशों से संबंधित रिटर्निंग अधिकारी एवं सहायक रिटर्निंग अधिकारियों को भी अवगत करावे।

आज्ञा से

ह.
उप सचिव
राज्य निर्वाचन आयोग,
राजस्थान, जयपुर।

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(द्वितीय तल, विकास खण्ड सचिवालय, जयपुर–302005)

क्रमांकः प.4(2)(1)/नपा/रानिआ/03/3131 दिंनाकः10.09.09

आदेश

यतः राजस्थान पंचायती राज (निर्वाचन) नियम, 1994 के नियम 37 में यह उपबंधित है कि किसी निर्वाचक को मतपत्र परिदत्त करने से ठीक पूर्व मतदान अधिकारी मतदाता सूची में उस निर्वाचक से सम्बन्धित प्रविष्टियों के संदर्भ में से निर्वाचक की पहचान के बारे मे स्वयं का समाधान करेगा, और

यतः राजस्थान नगरपालिका (निर्वाचन) नियम, 1994 के नियम 40 में यह उपबंधित है कि किसी मतदाता को कोई मतपत्र दिये जाने के पूर्व किसी भी समय पीठासीन अधिकारी या मतदान अधिकारी, यदि उसके पास मतदाता की पहचान या ऐसे मतदान केन्द्र पर मत देने के उसके अधिकार के बारे में सन्देह करने का कारण हो तो स्वप्रेरणा से, और यदि किसी अभ्यर्थी या मतदान अभिकर्ता द्वारा ऐसी अपेक्षा की जाये तो, मतदाता से ऐसे प्रश्न पूछकर जो वह आवश्यक समझे, अपना यह समाधान कर सकेगा कि ऐसा व्यक्ति वही मतदाता है, जिससे ऐसी प्रविष्टि सम्बंन्धित है, और

यतः भारत के निर्वाचन आयोग के आदेश संख्या 3/4/आई.डी./2009/एस0डी0आर0 दिनांक 6 अप्रैल, 2009 के द्वारा यह स्पष्ट किया गया है कि भारत निर्वाचन आयोग ने एक समयबद्ध कार्यक्रम के अनुसार सभी निर्वाचकों को निर्वाचक फोटो पहचान पत्र जारी करने के लिए दिनांक 28 अगस्त, 1993 को एक आदेश जारी किया था और राज्य के निर्वाचन तंत्र ने सभी सम्भव प्रयत्नो द्वारा छूटे हुए निर्वाचको को ध्यान में रखते हुए पहचान पत्र जारी करने के लिए क्षेत्रो में अनेक चक्रों को दोहराते हुए प्रर्याप्त सख्या में निर्वाचकों को निर्वाचक फोटो पहचान पत्र जारी किये है, और

यतः भारत निर्वाचन आयोग द्वारा तैयार कराई गई निर्वाचक नामावली में दर्ज निर्वाचक वहीं पात्रता रखता है जो राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा तैयार कराई जाने वाली निर्वाचक नामावली में दर्ज निर्वाचक रखता है,

अतः अव राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान, भारत के संविधान के अनुंच्छेद 243 K एवं अनुच्छेद 243 ZA के साथ पठित राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 17 की उपधारा (2) और राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 1959 की धारा 12 क के उपबंधो के अधीन प्रदत शक्तियों एवं इस निमित्त इसे सशक्त करने वाली समस्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अपने पूर्व आदेश सख्या एफ7(6)(5)पंचु/ रानिआ /03/924 दिनांक 10 मई 2004 एवं आदेश संख्या एफ7(6)(5)पंचु/ रानिआ /03/4057 दिनांक 18 नवम्बर 2004 के अतिक्रमण में यह निर्देश देता है कि राज्य की किसी भी नगरपालिका अथवा पंचायती राज संस्था में चुनाव हेतु मतदान के उद्देश्य से मतदाता को अपनी पहचान स्थापित करने हेतु भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी निर्वाचक फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत करना होगा। यदि कोई निर्वाचक अपना निर्वाचक फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत करने में असमर्थ रहता है तो उसे अपनी पहचान स्थापित करने के लिए निम्नांकित वैकल्पिक फोटोयुक्त दस्तावेजो में से कोई एक दस्तावेज प्रस्तुत करना होगा :–

1. निर्वाचन कार्यक्रम घोषित होने की तिथि से पूर्व सक्षम अधिकारी द्वारा जारी फोटोयुक्त राशन कार्ड।
2. निर्वाचन कार्यक्रम घोषित होने की तिथि से पूर्व सक्षम अधिकारी द्वारा जारी गरीबी रेखा से नीचे के फोटोयुक्त फेमिली कार्ड।
3. निर्वाचन कार्यक्रम घोषित होने की तिथि से पूर्व जारी फोटो युक्त एन.आर.ई.जी.ए. (नरेगा) पारिवारिक नौकरी प्रमाणपत्र कार्ड।
4. फोटोयुक्त स्वास्थ्य बीमा योजना स्मार्ट कार्ड (श्रम योजना मंत्रालय द्वारा निर्वाचन कार्यक्रम घोषित होने की तिथि से पूर्व जारी)।
5. स्वतंत्रता सेनानी फोटो युक्त पहचान–पत्र।

6. फोटो युक्त पेंशन दस्तावेज जैसे कि भूतपूर्व सैनिक पेंशन बुक/पेंशन अदायगी आदेश/भूतपूर्व सैनिक विधवा/आश्रित प्रमाण–पत्र /वृद्धावस्था पेंशन आदेश/विधवा पेंशन ओदश (निर्वाचन कार्यक्रम घोषित होने की तिथि से पूर्व जारी)।
7. निर्वाचन कार्यक्रम घोषित होने की तिथि से पूर्व सक्षम अधिकारी द्वारा जारी फोटोयुक्त जाति प्रमाण पत्र।
8. निर्वाचन कार्यक्रम घोषित होने की तिथि से पूर्व सक्षम अधिकारी द्वारा जारी फोटोयुक्त मूल निवास प्रमाण पत्र।
9. निर्वाचन कार्यक्रम घोषित होने की तिथि से पूर्व सक्षम अधिकारी द्वारा जारी फोटोयुक्त छात्र पहचान पत्र।
10. सक्षम प्राधिकारियों द्वारा निर्वाचन कार्यक्रम घोषित होने की तिथि से पूर्व जारी फोटो युक्त शारीरिक विक्लांगता प्रमाण–पत्र।
11. ड्राइविगं लाइसेन्स।
12. फोटोयुक्त संपत्ति दस्तावेज जैसे पट्टे, रजिस्टर्ड डीड आदि।
13. सार्वजनिक क्षेत्र के बैंको/डाकघर द्वारा जारी फोटो युक्त पासबुक और किसान पासबुक (निर्वाचन कार्यक्रम घोषित होने की तिथि से पूर्व खोला गया खाता)
14. राज्य/केन्द्र सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, स्थानीय निकाय या पब्लिक लिमिटेड कम्पनियों द्वारा उनके कर्मचारियों को जारी किए जाने वाले फोटोयुक्त सेवा पहचान–पत्र।
15. आयकर पहचान–पत्र (पी.ए.एन.)।
16. पासपोर्ट।
17. निर्वाचन कार्यक्रम घोषित होने की तिथि से पूर्व जारी फोटो युक्त शस्त्र लाइसेंस।

निर्वाचन कार्यक्रम घोषित होने की तिथि नगरपालिका के संदर्भ में वह तिथि है जिस दिन राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नगरपालिका के चुनाव का कार्यक्रम घोषित किया जाये और पंचायती राज संस्थाओं के संदर्भ में वह तिथि है जिस दिन पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव कार्यक्रम राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा घोषित किया जाये।

परिवार के मुखिया को जारी उपर्युक्त दर्शाए गए निर्वाचन फोटो पहचान पत्र सहित पहचान के वैकल्पिक दस्तावेजों के आधार पर केवल परिवार के मुखिया को अपने अन्य पारिवारिक सदस्यों की पहचान करने की अनुमति दी जाएगी बशर्ते सभी सदस्य उसके साथ आएं तथा परिवार के मुखिया द्वारा उनकी पहचान स्थापित हो सके।

आदेश से,
ह.
(आर.के.जैन)
सचिव

(48)

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(द्वितीय तल, विकास खण्ड सचिवालय, जयपुर–302005)

क्रमांकः प.4(2)(1)/नपा/रानिआ/03 /4796 दिंनाक : 09.11.2009

आदेश

आयोग के आदेश सं. प.4(2)(1)/नपा/रानिआ/03 /3131 दिनांक 10.09.09 के द्वारा मतदाता पहचान के संबंध में 17 दस्तावेंजों की सूची जारी की गई थी, के अनुक्रम में क्रम सं. 18 पर जैसलमेर जिले की जैसलमेर तहसील के मतदाताओं के लिए भारत सरकार के पायलट प्रोजेक्ट के तहत बहुदेशीय राष्ट्रीय पहचान पत्र (Multipurpose National Identy Card) को भी वैकल्पिक दस्तावेज के रूप में सम्मिलित किया जाता है।

आदेश से,
–ह0–
(आर.के.जैन)
सचिव

(49)

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(द्वितीय तल, विकास खण्ड सचिवालय, जयपुर–302005

क्रमांकः प.1(2)(1)नपा–पंचा / सां.आ. / रानिआ / 14 / 494 दिनांक : 11.02.2014

आदेश

आयोग के आदेश क्रमांक प.4(2)(1)नपा / रानिआ / 03 / 3131 दिनांक 10.09.2009 के द्वारा मतदाता पहचान के संबंध में 17 दस्तावेजों एवं आदेश क्रमांक प.4(2)(1)नपा / रानिआ / 03 / 4796 दिनांक 09.11.2009 के द्वारा 18वें दस्तावेज की सूची जारी की गई थी। इसी अनुक्रम में उक्त दस्तावेजों की सूची में क्रम संख्या 19 पर भारत सरकार द्वारा जारी आधार कार्ड (Aadhar Card) को वैकल्पिक दस्तावेज के रूप में सम्मिलित किया जाता हैं।

आज्ञा से,
-Sd-
(अशोक कुमार जैन)
सचिव
राज्य निर्वाचन आयोग
राज., जयपुर

(50)

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(द्वितीय तल, विकास खण्ड, सचिवालय, जयपुर–302005)
email- secraj@rajasthan.gov.in & secrajasthan@gmail.com, FAX 0141-2227280, 2227072

क्रमांक एफ. 1(4)(1)नपा/रानिआ/14/4024 दिनांकः 16.09.2014

समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी,
(नगरपालिका) (कलेक्टर) राजस्थान।

विषयः– नगरपालिका निर्वाचनों हेतु सामान्य निरर्हतायें – दो से अधिक संतान होने/दोषसिद्धि एवं विचाराधीन आपराधिक प्रकरणों के आधार पर निरर्हता।

महोदय,

राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 की धारा 24 के खण्ड (xvii) के प्रावधानों के अनुसार दो से अधिक संतानों वाला व्यक्ति भी सदस्य का चुनाव लड़ने के लिए निरर्हित होगा लेकिन यदि, उसके दो से अधिक संतान 27.11.95 से पूर्व हैं और बाद में उसमें कोई वृद्धि नहीं हुई है तो वह निरर्हित नहीं होगा।

इसके अतिरक्त राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 की धारा 24 के अन्तर्गत अपराधों के लिए दोषसिद्ध व्यक्तियों, पांच वर्ष या इससे अधिक दण्डनीय अपराधों के लिए विचाराधीन मुकदमों, जिनमें न्यायालय द्वारा आरोप विचरित कर दिये गये हों और न्यायालय ने जिसके विरूद्ध संज्ञान ले लिया हो, ऐसे व्यक्ति को सदस्य चुने जाने के लिए निरर्हित माना गया है। इसी प्रकार दण्ड प्रक्रिया संहिता 1898 की धारा 118/110 के अधीन संस्थित कार्यवाही के अन्तर्गत प्रतिभूति देने का आदेश यदि किसी व्यक्ति के विरूद्ध जारी किया गया है तो, उस प्रतिभूति की कालावधि के लिए भी वह व्यक्ति निरर्हित माना गया है।

अभ्यर्थी की पात्रता परीक्षण हेतु रिटर्निंग अधिकारी को दो से अधिक संतान होने के संबंध में प्रस्तुत किये जाने वाले घोषणा पत्र एवं मीमो का प्रारूप आयोग ने अपने पत्रांक प 4(1)(10) नपा/रानिआ/04–05/3369 दिनांक 25.09.09 के द्वारा एवं दोषसिद्धि एवं विचाराधीन आपराधिक प्रकरणों के संबंध में आदेश क्रमांक प 4(1)(10) नपा/रानिआ/94/7900 दिनांक 24.07.2000 के द्वारा निर्धारित किया है, जो कि इस पत्र के साथ संलग्न कर प्रेषित किए जा रहे है।

किसी अभ्यर्थी द्वारा नाम निर्देशन पत्र के साथ निर्धारित घोषणा पत्र संलग्न नहीं करता है तो, रिटर्निंग अधिकारी अपेक्षित घोषणा पत्र प्रस्तुत करने की अपेक्षा करते हुए एक मीमो तत्काल अभ्यर्थी को देगा। अभ्यर्थी का घोषणा पत्र नाम निर्देशन पत्र की संवीक्षा प्रारम्भ करने से पूर्व रिटर्निंग अधिकारी को प्राप्त हो जाना आवश्यक रहेगा। यदि नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा से पूर्व उक्त वर्णित कोई घोषणा पत्र अभ्यर्थी द्वारा रिटर्निंग अधिकारी को प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो, अभ्यर्थी का नाम निर्देशन पत्र अवैद्य माना जायेगा और रिटर्निंग अधिकारी द्वारा अस्वीकार किया जा सकेगा।

कृपया संबंधित रिटर्निंग अधिकारियों को भी तुरन्त अवगत करावें।

संलग्न : उपरोक्तानुसार।

–ह0–
(सत्यप्रकाश बसवाला)
मुख्य निर्वाचन अधिकारी
एवं सचिव

नगरपालिका चुनाव में अभ्यर्थी द्वारा रिटर्निंग अधिकारी को प्रस्तुत करने के लिए संतानों की सूचना बाबत् घोषणा पत्र का प्रारूप

मैं .... पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री .... निवासी .... जिसने नगर पालिका .... के वार्ड संख्या .... से सदस्य के निर्वाचन के लिए नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत किया है सत्य निष्ठा से घोषणा करता हूँ कि :–

(क) दिनांक 27.11.95 को मेरे .... सन्तान थी जो जीवित है तथा जिनके नाम निम्न प्रकार हैः– (यदि कोई संतान गोद में दी गई है, तो उसे भी वर्णित करे)

नाम	जन्म तिथि
(1)	
(2)	
(3)	
(4)	
(5)	
....	
....	

(ख) दिनांक 28.11.95 को और इसके बाद मेरे निम्नलिखित पुत्र/पुत्री ने जन्म लिया है जो जीवित है तथा जिनके नाम निम्न प्रकार हैः– (यदि कोई संतान गोद में दी गई है, तो उसे भी वर्णित करे)

नाम	जन्म तिथि
(1)	
(2)	
....	
....	

दिनांक   हस्ताक्षर अभ्यर्थी

मैं सत्यापित करता हूँ कि मेरी जानकारी के अनुसार उपरोक्त तथ्य सही है।

साक्षी के हस्ताक्षर (नाम व पता सहित)   हस्ताक्षर अभ्यर्थी

दिनाकः
स्थान

नगरपालिका चुनाव में अभ्यर्थी द्वारा रिटर्निंग अधिकारी को प्रस्तुत करने के लिए दोषसिद्धि एवं विचाराधीन आपराधिक मुकदमों की सूचना बाबत् घोषणा पत्र का प्रारूप

नगरपालिका बोर्ड/नगर परिषद्/निगम ....के सदस्य पद के चुनाव

अभ्यर्थी का नाम :

पिता/पति का नाम :

भाग–I

1.	क्या अभ्यर्थी को कभी किसी भी न्यायालय से दोषसिद्ध घोषित किया गया है? यदि हॉ, तो निम्न विवरण देवें:– (क) न्यायालय का नाम जिसके द्वारा दोषसिद्ध घोषित किया गया है? (ख) दोषसिद्ध घोषित करने की तारीख (ग) किस अपराध में दोषसिद्ध घोषित किया गया है (संबंधित धारा व अधिनियम बतावें) (घ) सजा, जो सुनाई गई (ङ) कारावास से मुक्ति की तारीख	: हॉ/नही : : : : :
2.	क्या दोषसिद्ध के आदेश के विरूद्ध कोई अपील या पुनरावलोकन का प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया है? यदि हॉ तो विवरण देवें:– (क) जिस अदालत में प्रस्तुत किया गया है, उस अदालत का नाम (ख) अदालत में अपील संख्या/प्रार्थना पत्र संख्या (ग) क्या उपरोक्त अपील या पुनरावलोकन प्रार्थना पत्र विचाराधीन है अथवा उसका निस्तारण हो चुका है (घ) यदि अपील/पुनरावलोकन प्रार्थना पत्र का निस्तारण हो चुका है तो निस्तारण की तारीख तथा आदेश की प्रकृति बतावें (ङ) अपील अथवा पुनरावलोकन के प्रार्थना पत्र के विचाराधीन रहते हुए क्या जमानत स्वीकार की गई है, यदि की गई है तो उसकी अवधि बतावें।	: हॉ/नही : : : निस्तारित/विचाराधीन : :
3.	क्या अभ्यर्थी के विरूद्ध दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1898 की धारा 118 के अधीन कोई आदेश संहिता की धारा 110 के अधीन संस्थित कार्यवाही के पारित किया गया है? यदि हॉ, तो निम्न विवरण देवें:– (क) न्यायालय का नाम (ख) आदेश पारित हाने की तारीख (ग) किस अवधि तक प्रतिभूति देने का आदेश दिया गया है (घ) क्या ऐसा आदेश बाद में उलट दिया गया है और उलट दिया गया है तो किस अदालत द्वारा व कब? विवरण दें।	: हॉ/नही : : : :

	भाग–II	
1.	क्या अभ्यर्थी के विरूद्ध किसी न्यायालय में ऐसा आपराधिक मामला विचाराधीन है जिसमें न्यायालय द्वारा आरोप निर्धारित किये गये है और उसके विरूद्ध संज्ञान लिया गया है? यदि हॉ, तो निम्न विवरण देवें:–	: हॉ/नही
	(क) न्यायालय का नाम	:
	(ख) किस अपराध में न्यायालय द्वारा संज्ञान लिया गया है और आरोप निर्धारित किये गये है (संबंधित धारा व अधिनियम बतावें)	:
	(ग) न्यायालय द्वारा ऐसे आदेश की तारीख	:

स्थानः–
तारीखः–

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

सत्यापन

मैं सत्यनिष्ठा से घोषणा करता हूँ कि उपरोक्त भाग–I के मद संख्या 1 से 3 एवं भाग–II तथा इनके उप मदों में मेरे द्वारा जो उपरोक्त कथन किये गये है, वे सत्य है और इनमें कोई तथ्य छिपाया नहीं गया है, उपरोक्त प्रस्तुत की गई सूचना को मैं सत्यापित करता हूँ।

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

नाम ....

स्थान :–

पिता/पति का नाम ....

तारीख :–

पता : ....

....

साक्षी के हस्ताक्षर

पता : ....

....

कार्यालय रिटर्निंग अधिकारी नगरपालिका चुनाव
(   ) नगरपालिका ....

मीमो नम्बर .... दिनांक

प्रेषक,

रिटर्निंग अधिकारी,
.... नगरपालिका मण्डल / परिषद् / निगम

प्रेषिति,

....
(अभ्यर्थी का नाम)

विषयः– .... नगरपालिका मंडल / परिषद् / निगम के सदस्य पद हेतु वार्ड संख्या .... के लिए चुनाव।

आपने .... नगरपालिका मंडल / परिषद् / निगम के वार्ड संख्या .... से चुनाव में खड़ा हाने के लिए नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत किया है। नाम निर्देशन पत्र के साथ राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 की धारा 24 के प्रावधानों के अन्तर्गत पात्रता के परीक्षण हेतु घोषणा प्रस्तुत नहीं की है।

इन तथ्यों की संतुष्टि के लिए कि उक्त अधिनियम, 2009 की धारा 24 के प्रावधानों के अन्तर्गत कहीं आप दो से अधिक संतानों के आधार पर अथवा दोषसिद्धि / लंबित आपराधिक प्रकरणों के आधार पर किसी निरर्हता से प्रभावित तो नहीं है, अतः कृपया आप संलग्न प्रपत्र में अधोहस्ताक्षरकर्ता को घोषणा पत्र प्रस्तुत करे। यह घोषणा पत्र नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा प्रारम्भ होने से पूर्व अर्थात दिनांक .... को .... बजे से पूर्व आवश्यक रूप से अधोहस्ताक्षरकर्ता को प्रस्तुत कर देवें अन्यथा नामनिर्देशन पत्र संवीक्षा में अस्वीकार कर दिया जायेगा। यह भी ध्यान रहे कि आप द्वारा की गई घोषणा यदि असत्य है या सत्य नहीं है या जिसमें कोई तथ्य छिपाया गया है तो कानूनी कार्यवाही की जायेगी।

रिटर्निंग अधिकारी
नगरपालिका चुनाव

(51)

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

द्वितीय तल, विकास खण्ड, सचिवालय, जयपुरः 302005

क्रमांकः– प 4(1)(10) नपा/रानिआ/04–05/3359 दिनांकः– 25.9.09

समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी,
(कलेक्टर)

विषयः– नगरपालिका चुनाव – सदस्यों के लिए सामान्य निर्हरतायें– दो से अधिक संतान होने पर निर्हरता।

महोदय,

राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 1959 की धारा 26 के खण्ड (xv) और परन्तुक (ङ) के उपबंधों के अनुसार दो से अधिक संतान रखने वाला व्यक्ति सदस्य के रूप में चुने जाने एवं बने रहने के लिए निर्हरित माना गया था परन्तु कोई ऐसा व्यक्ति जिसके दो से अधिक संताने है उसे तब तक निर्हरित नहीं माना गया था जब तक कि राजस्थान नगरपालिका अधिनियम (द्वितीय संशोधन), 1992 के प्रारम्भ की तिथि 28.11.92 को विद्यमान रही उसकी संतानों की संख्या के योग (28.11.92 से तीन वर्ष की अवधि के भीतर हुई एक संतान को छोड़कर) में 0और वृद्धि नहीं हो जाती।

उक्त प्रावधानों के दृष्टिगत नगरपालिका सदस्य चुनाव हेतु किसी व्यक्ति की निर्हरता का विनिश्चय करने के लिए रिटर्निंग अधिकारियों को नाम निर्देशन पत्र प्राप्त करते समय अभ्यर्थियों से संतानों के विवरण हेतु एक घोषणा के रूप में अंडरटेकिंग लेने के लिए राज्य निर्वाचन आयोग के पूर्व पत्रांक प. 4(1)(10) नपा/रानिआ/94/683 दिनांक 27.9.97 एवं इसके पश्चातवर्ती पत्रों द्वारा निर्देश दिये गये थे और इस संबंध में समस्त मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों को भी आयोग के पत्र क्रमांक एफ 7(1)(8) पंचा/रानिआ/94/721 दिनांक 4.10.97 के द्वारा अवगत कराया गया था। उपरोक्त पत्र दिनांक 27.9.97 के द्वारा अभ्यर्थियों से प्राप्त की जाने वाली उक्त घोषणा/अंडरटेकिंग का प्रारूप भी राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित किया गया था।

राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 1959 के स्थान पर अब नया अधिनियम राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 दिनांक 15.9.09 से प्रभाव में आ चुका है, जिसमें नगरपालिका के सदस्य के लिए निर्वाचन हेतु और सदस्य के रूप उसके बने रहने हेतु निर्हरता संबंधी प्रावधान कुछ भिन्न है। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 की धारा 24 के खण्ड (xvii) और परन्तुक (ङ) के अनुसार अब ऐसा व्यक्ति जिसके दो से अधिक संतान है वह निर्हरित होगा लेकिन दिनांक 27.11.95 को विद्यमान रही उसकी संतानों की संख्या में यदि कोई वृद्धि नहीं होती है तो दो से अधिक संतान रखने वाले व्यक्ति को निर्हरित नहीं माना जायेगा। इस संबंध में उक्त धारा 24 में यह स्पष्टीकरण भी दिया गया है उक्त खण्ड (xvii) के प्रयोजनार्थ एक ही प्रसव से पैदा होने वाली संतानों की कोई भी संख्या को एक इकाई माना जायेगा तथा गोद में दी गई किसी संतान को संतानों की संख्या की गिनती में से घटाया नहीं जायेगा।

उक्त नवीन प्रावधानों के दृष्टिगत संतानों के संबंध में अभ्यर्थियों से सूचना प्राप्त करने के लिए राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा पूर्व निर्धारित घोषणा/अंडरटेकिंग के प्रारूप में संशोधन आवश्यक हो गया है। अतः पूर्व निर्धारित प्रारूप के स्थान पर अभ्यर्थियों की घोषणा/अंडरटेकिंग हेतु संलग्न परिशिष्ट –1 के अनुसार नया प्रारूप प्रतिस्थापित किया जाता है जिसमें दिनांक 27.11.95 को विद्यमान रही संतानों का विवरण तथा इसके बाद पैदा हुई संतानों का विवरण पृथक–पृथक खण्ड में प्राप्त किया जायेगा।

इसी क्रम में राज्य निर्वाचन आयोग अपने पूर्व प्रसारित निर्देशों को दोहराते हुए यह निर्देश भी देता है कि संलग्न परिशिष्ट–1 में दिनांक 27.11.95 को विद्यमान रही संतानों व इसके बाद हुई संतानों का विवरण रिटर्निंग अधिकारी को नाम निर्देशन पत्र प्राप्त करते ही अभ्यर्थियों से अंडरटेकिंग या घोषणा के रूप में लेना होगा। यदि कोई अभ्यर्थी नामनिर्देशन पत्र प्रस्तुत करते समय उक्त घोषणा/अंडरटेकिंग निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत नहीं करता है तो तत्समय ही रिटर्निंग अधिकारी द्वारा संबंधित अभ्यर्थी या नामनिर्देशन पत्र प्रस्तुत करने वाले प्रस्तावक को एक लिखित मीमों इस आशय का देना होगा कि वह उक्त घोषणा/अंडरटेकिंग नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा के निर्धारित समय से पूर्व तक प्रस्तुत कर देवे। इस संबंध में लिखित मीमों का प्रारूप परिशिष्ट–2 पर संलग्न है।

जैसा कि राज्य निर्वाचन आयोग ने अपने पूर्व प्रसारित निर्देशों मे भी स्पष्ट किया है कि उक्त घोषणा/अंडरटेकिंग यदि कोई अभ्यर्थी नामनिर्देशन पत्रों की संवीक्षा के लिए निर्धारित समय तक प्रस्तुत नहीं करता है तो उसका नामांकन पत्र वैद्य नहीं माना जायेगा और रिटर्निंग अधिकारी द्वारा अस्वीकार किया जा सकेगा।

कृपया संबंधित समस्त रिटर्निंग अधिकारियों को पालनार्थ अवगत कराने का श्रम करे।

संलग्न –उपरोक्तानुसार–2 –ह0–

(आर. के. जैन)

सचिव,

(52)

राज्य निर्वाचन आयोग

क्रमांकःएफ.4(1)(10)नपा / रानिआ / 94 / 7900 जयपुर दिनांक 24.7.2000

प्रेषक,

मुख्य निर्वाचन अधिकारी एवं सचिव,
राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान, जयपुर।

प्रेषिति,

समस्त जिला नगर पालिका निर्वाचन अधिकारी,
(कलक्टर), राजस्थान।

विषयः— नगर पालिकाओं के सदस्य के रूप में निर्वाचन के लिए निरर्हता—दोषसिद्धि एवं विचाराधीन मुकदमों के संबंध में सूचना अभ्यर्थियों से प्राप्त किये जाने बाबत।

महोदय,

राजस्थान नगर पालिका अधिनियम, 1959 की धारा 26 में नगर पालिका सदस्य के निर्वाचन के लिए निरर्हतायें बताई गई है जिनमें कुछ अपराधों के लिए दोषसिद्ध व्यक्तियों को निर्वाचन के प्रयोजनार्थ निरर्हित माना गया है। उक्त धारा 26 में राज्य सरकार ने दिनांक 22.7.2000 की अधिसूचना से अध्यादेश संख्या 6 / 2000 जारी कर कुछ संशोधन किये है जिनके अनुसार कुछ निरर्हतायें और भी शामिल की गई है।

उक्त अधिनियम की धारा 26 के खण्ड (1) तथा परन्तुक (क) में भी उक्त अध्यादेश से संशोधन किया गया है जिसके अनुसार कोई भी व्यक्ति जिसे छः माह से अधिक की अवधि तक के लिए किसी अपराध के लिए न्यायालय द्वारा दण्डित किया गया हो तो वह कारावास से मुक्त होने की दिनांक से छः साल की अवधि के लिए निरर्हित माना जायेगा। संशोधन से पूर्व खण्ड (1) व परन्तुक (क) के प्रावधानों के अनुसार केवल नैतिक अक्षमता से संबंधित अपराधों के लिए 6 माह से अधिक की अवधि के लिए दण्डित व्यक्ति को तीन वर्ष तक निरर्हित माने जाने का प्रावधान था।

अपराधों के लिए दोषसिद्ध व्यक्तियों के संबंध में धारा 26 में नये खण्ड (i—क) तथा (i—ग) भी उक्त अध्यादेश से जोड़े गये है जिसमें नगर पालिका अधिनियम की धारा 203 में किसी अपराध में दोषसिद्ध व्यक्ति को तथा खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 में किसी अपराध में, दोषसिद्ध व्यक्ति को निर्वाचन के लिए सदैव के लिए निरर्हित माना गया है।

उक्त अधिनियम, 1959 की धारा 26 खण्ड (ii) के प्रावधानों के अनुसार यदि ऐसा व्यक्ति जिसके विरूद्ध दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1898 की धारा 118 के अधीन कोई आदेश संहिता की धारा 110 के अधीन संस्थित कार्यवाही में पारित किया गया हो तथा जिसे बाद में उलट नही दिया गया हो तो वह व्यक्ति उस कालावधि, जिसके लिए प्रतिभूति देने का आदेश दिया गया है, के समाप्त होने तक निर्वाचन के प्रयोजनार्थ निरर्हित माना जायेगा।

उक्त धारा 26 के खण्ड (vii) के प्रावधानों के अनुसार नगर पालिका सदस्य के रूप में निर्वाचन के लिए वह व्यक्ति भी निरर्हित होगा जो राजस्थान राज्य के विधान मण्डल के निर्वाचन के प्रयोजन के लिए तत्समय प्रवृत्त किसी भी विधि द्वारा या उसके अधीन निरर्हित है सिवाय उसके जिसने 21 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो। इस प्रकार प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 8 के प्रावधान भी नगर पालिका के सदस्य के रूप में निर्वाचन के लिए निरर्हता के प्रयोजनार्थ लागू होते है।

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 8 की उप धारा (1) में वर्णित अपराधों में दोषसिद्ध व्यक्ति दोषसिद्ध की तारीख से 6 साल तक निरर्हित माना गया है तथा उपधारा (2) में बताये गये अपरोधों में यदि 6 माह या इससे अधिक की सजा सुनाई गई है उनमें दोषसिद्धि की तारीख से कारावास मुक्ति के 6 साल की समाप्ति तक दोषसिद्ध व्यक्ति को निरर्हित माना गया है। इसके अतिरिक्त अन्य अपराधों (जो उक्त धारा 8 की उपधारा (1) व (2) में वर्णित नही है) में दोषसिद्ध व्यक्ति दोषसिद्धि की तारीख से 2 वर्ष या इससे अधिक की की सजा सुनाई गई हो तो ऐसा दोषसिद्ध व्यक्ति दोषसिद्धि की तारीख से उसके कारावास से मुक्ति के बाद 6 साल पूरे होने ते उक्त धारा 8 की उप धारा (4) के उपबंधों के अनुसार दोषसिद्धि की तारीख को यदि काई व्यक्ति संसद अथवा राज्य विधान मणडल का सदस्य है तो उसके मामले में दोषसिद्धि की तारीख के 3 महिने से पहते निरर्हता नही मानी जायेगी और यदि इस अवधि में संसद सदस्य अथवा विधान मण्डल के सदस्य ने अपील पुनरावलोकन का प्रार्थना पत्र दा दोषसिद्धि या सजा के विरूद्ध प्रस्तुत कर दिया है तो न्यायालय के द्वारा उसके निस्तारण तक निरर्हता नही मानी जायेगी।

उक्त अध्यादेश से धारा 26 में नया खण्ड (i-ख) जोड़कर यह महत्त्वपूर्ण संशोधन भी किया गया है कि किसी व्यक्ति के विरूद्ध सक्षम न्यायालय में किसी भी अपराध, जो 5 वर्ष या इससे अधिक अवधि की सजा से दण्डनीय है, के लिए प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन हो और उसमें न्यायालय द्वारा संज्ञान ले लिया गया है तथा आरोप निर्धारित कर दिये गये हो, तो वह व्यक्ति सदस्य के निर्वाचन के प्रयोजनार्थ अपात्र माना जायेगा। इस प्रकार किसी व्यक्ति के विरूद्ध किसी कानून में पांच वर्ष या अधिक की अवधि के लिए दण्डनीय किसी अपराध के संबंध में आपराधिक न्यायालय में मुकदमा चल रहा है तथा न्यायालय ने उस व्यक्ति के विरूद्ध संज्ञान ले लिया हो और आरोप विरचित कर दिये हों, तो भी वह व्यक्ति सदस्य के निर्वाचन के प्रयोजनार्थ अपात्र माना जायेगा भले ही उस मुकदमें का अंतिम निस्तारण नही हुआ हो।

राज्य निर्वाचन आयोग ने अपने निर्देश क्रमांकः एफ.4(1)(10)नपा/रानिआ/94/694 दिनांक 30.9.97 से राजस्थान नगर पालिका अधिनियम, 1959 की धारा 26 तथा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1959 की धारा 8 के प्रावधानों तथा माननीय उच्चतम न्यायालय एवं माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णयों की रोशनी में यह स्पष्ट किया था कि जो व्यक्ति वर्तमान में संसद अथवा विधान मण्डल का सदस्य नही है तथा नगर पालिका अधिनियम की धारा 26 एवं लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 8 में वर्णित अपराधों में बताई गई अवधि के लिए न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध हो जाने के बाद यदि वह व्यक्ति जमानत पर छूटा हो, या दोषसिद्ध/सजा के आदेश के विरूद्ध उसने अपील या पुरावलोकन हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर रखा हो तो भी उसे चुनाव लड़ने के लिए अपात्र माना जायेगा। राज्य निर्वाचन आयोग ने उक्त परिपत्र में माननीय उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश द्वारा दिनांक 5.9.80 को पारित पुरूषोत्तम कौशिक बनाम विद्याचरण शुक्ल (एआईआर 1980 एमपी/188–204), माननीय उच्च न्यायालय बम्बई द्वारा फरवरी, 1990 में निर्णित भानू भाई रावल के प्रकरण, माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा सचिन्द्र नाथ त्रिपाठीबनाम दूधनाथ (84 इलेक्शन लॉ रिपोर्ट 45) में पारित निर्णय, माननीय उच्च न्यायालय, हिमाचल प्रदेश द्वारा विक्रम आनन्द बनाम राकेश सिंह आदि की चनुाव याचिका में दिनांक 13.9.94 को पारित निर्णय तथा माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिनांक 19.1.95 को रमा नारंगा बनाम रमेश नारंग सिविल अपील संख्या 5620/1994 में पारित आदेश का हवाला देकर उपरोक्त स्थिति को स्पष्ट किया था।

चुनाव में कोई अभ्यर्थी कानूनी प्रावधानों के अन्तर्गत पात्र है या नही इसके लिए अभ्यर्थियों से जानकारी रिटर्निंग अधिकारी को प्राप्त होना आवश्यक है इस प्रयोजनार्थ आयोग ने ऊपर वर्णित परिपत्र से यह निर्देश जारी किये थे कि राजस्थान नगर पालिका अधिनियम, 1959 की धारा 26 तथा इसके सपठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 8 के प्रावधानों के संबंध में नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत करते समय अभ्यर्थी से घोषणा पत्र प्रस्तुत करने की भी अपेक्षा रिटर्निंग अधिकारी द्वारा की जायेगी और जिसके लिए आयोग ने अभ्यर्थी को दिये जाने वाले मीमों तथा अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले घोषणा पत्र का प्रारूप भी विहित किया था।

अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले घोषणा पत्र के ऊपर वर्णित प्रारूप में अपराधी के लिए दोषसिद्धि का विवरण ही प्रस्तुत किया जा सकता है। अब चूंकि दिनांक 22.7.2000 को अध्यादेश संख्या 6/2000 से धारा 26 (i-ख) में यह प्रावधान भी कर दिया गया है कि पांच वर्ष या इससे अधिक अवधि से

दण्डनीय अपराधों के संबंध में विचाराधीन मुकदमों में न्यायालय द्वारा आरोपित व्यक्ति तथा जिसके विरूद्ध न्यायालय ने संज्ञान ले लिया है, को भी अपात्र माना जायेगा। अतः रिटर्निंग अधिकारी को अभ्यर्थी की पात्रता धारा 26 (i-ख) के उपबंधों की दृष्टि से भी परखना आवश्यक हो गया है। जिसके लिए भी अभ्यर्थी से विवरण प्राप्त करना रिटर्निंग अधिकारी के लिए आवश्यक है। उक्त धारा 26 (i-ख) के प्रयोजनार्थ अभ्यर्थी से जानकारी के लिए आयोग द्वारा विहित ऊपर वर्णित प्रारूप पर्याप्त नहीं हैं, ऐसी स्थिति में अब राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अपने निर्देश क्रमांक एफ.4(1)(10)नपा/रानिआ/94/694 दिनांक 30.9.97 से विहित किये गये प्रारूप के स्थान पर अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले घोषणा पत्र का नया प्रारूप निर्धारित किया जाता है जो संलग्न प्रारूप में होगा।

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अपने ऊपर वर्णित निर्देश दिनांक 30.9.97 के क्रम में यह पुनः निर्दिष्ट किया जाता है कि नगर पालिका सदस्य के निर्वाचन में प्रत्येक अभ्यर्थी से नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत करते समय एक घोषणा पत्र प्रस्तुत करने की अपेक्षा की जायेगी ताकि ऊपर वर्णित प्रावधानों के संबंध में अपात्रता की जांच रिटर्निंग अधिकारी द्वारा की जायेगी। यदि कोई अभ्यर्थी नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत करते समय घोषणा पत्र संलग्न नही करे तो रिटर्निंग अधिकारी घोषणा पत्र प्रस्तुत करने की अपेक्षा करते हुए लिखित मीमो तत्काल अभ्यर्थी को देगा ताकि अभ्यर्थी का घोषणा पत्र नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा प्रारम्भ करने से पूर्व रिटर्निंग अधिकारी को प्राप्त हो जाये। संशोधित घोषणा पत्र का प्रारूप भी संलग्न है।

अतः संबंधित सभी रिटर्निंग अधिकारियों को उपरोक्तानुसार निर्देशों से अवगत कराया जावे और तद्नुसार कार्यवाही हेतु निर्दिष्ट किया जावे।

संलग्न–उपरोक्तानुसार

आज्ञा से,

सचिव

(53)

राज्य निर्वाचन आयोग राजस्थान

क्रमांकः एफ.7(1)(8)पंचा/रानिआ/94/766 जयपुर, दिनांकः 15.10.97

प्रेषक,

मुख्य निर्वाचन अधिकारी एवं सचिव,
राज्य निर्वाचन आयोग,राज0,जयपुर।

प्रेषिति,

समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी,
(कलेक्टर्स)

विषयः— **पंचायती राज संस्थाओं एवं नगरपालिका में सदस्य के रूप में निर्वाचन के लिए निरर्हता—निरर्हता सम्बन्धी सूचना अभ्यार्थियों से प्राप्त किये जाने बाबत।**

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत राज्य निर्वाचन आयोग के पत्रा क्रमांक एफ.7(1)(18)पंचा/ रानिआ/94/678 दिनांक 27.9.97, पत्रा क्रमांक एफ.4(1)(3)पंचा/रानिआ/94/679 दिनांक 27.9.97, पत्रा क्रमांक एफ. 4(1)(10)नपा/रानिआ/94/683 दिनांक 27.9.97, पत्रा क्रमांक एफ.4(1)(10)नपा/रानिआ/94/694 दिनांक 30.9.97 एवं पत्रा क्रमांक एफ.7(1)(8)पंचा/रानिआ/ 94/721 दिनांक 4.10.97 के क्रम में लेख है कि इनके द्वारा यह निर्दिष्ट किया गया है कि आप रिटर्निंग अधिकारियों को निर्देशित कर दें कि वे नाम निर्देशन पत्रा के साथ प्रत्येक अभ्यर्थी से आयोग द्वारा निर्धारित प्रपत्रा में दो घोषणा पत्रा—एक उसके अपराधिक रिकार्ड (यदि कोई हो) बाबत सूचना देने के लिए और दूसरा उसकी संतानों की संख्या के बारे में सूचना देने के लिए प्राप्त करें और यदि कोई अभ्यर्थी नामनिर्देशन पत्रा के साथ उक्त घोषणा पत्रा प्रस्तुत न करे तो उसे तुरन्त एक लिखित ज्ञापन (मीमो) दे देगा जिसमें उससे अपेक्षा की जावेगी कि वह ये दोनों घोषणा—पत्रा नामनिर्देशन पत्राों की संवीक्षा के लिए निर्धारित समय से पूर्व प्रस्तुत कर दे ताकि उसके उपरोक्त दोनों आधारों पर विधिवतः पात्राता होने की जांच सम्भव हो सके।

कुछ जिला निर्वाचन अधिकारियों ने मार्गदर्शन चाहा है कि यदि रिटर्निंग आफिसर को लिखित ज्ञापन के बावजूद भी अभ्यर्थी द्वारा संवीक्षा से पूर्व उक्त घोषणा पत्रा प्रस्तुत नहीं किये जावें तो क्या रिटर्निंग अधिकारी ऐसे नाम—निर्देशन पत्राों को अस्वीकृत कर सकता है।

भारत के संविधान के अनुच्छेद 243—K एवं 243 ZA के तहत राज्य निर्वाचन आयोग को निर्वाचनों पर नियंत्राण, निर्देशन व अधीक्षण करने की शक्तियां प्रदत्त हैं। निर्वाचन में कोई अभ्यर्थी कानूनी प्रावधानों के तहत पात्राता रखता है अथवा नहीं इसकों भली—भांति जांचने हेतु आयोग ने अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुये अभ्यर्थी से स्पष्ट घोषणाऐं प्राप्त करने का तरीका उक्त घोषणा—पत्राों के प्ररूपों में बताया है। उक्त घोषणा पत्रा वस्तुतः नामनिर्देशन पत्राों के ही पूरक है। यदि कोई अभ्यर्थी जानबूझकर उक्त घोषणा पत्रा प्रस्तुत नहीं करता है तो नामनिर्देशन—पत्रा सम्यक रूप से भरा हुआ नहीं माना जा सकता और उसकी पात्राता संदिग्ध हो जाती है। अतः संवीक्षा के लिए निश्चित समय से पूर्व यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा उक्त घोषणा पत्रा प्रस्तुत नहीं किये जाते तो उसके नामनिर्देशन पत्रा सम्यक रूप से विधितः पात्राता की सूचना के अभाव में अस्वीकृत किये जा सकते हैं।

भवदीय

ह.
(एस.एस.राजवी)
मुख्य निर्वाचन अधिकारी एवं सचिव,
राज्य निर्वाचन आयोग, राज., जयपुर।

(54)

राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग

क्रमांकः प.1(1)(1)नपा/रानिआ/94/134 जयपुर, दिनांकः 18.2.99

प्रेषक,

मुख्य निर्वाचक अधिकारी एवं सचिव,
राज्य निर्वाचन आयोग,राज0,जयपुर।

प्रेषिति,

समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी,
(कलेक्टर), राजस्थान।

विषयः– स्थानीय निकाय चुनावों में आरक्षित अध्यक्षीय पद के लिये चुनाव लड़ने हेतु सदस्यों की पात्राता।

महोदय,

राज्य निर्वाचन आयोग ने, इस प्रश्न पर कि नगरपालिकाओं में पिछडे वर्ग के लिए आरक्षित अध्यक्ष/मेयर पद के लिए चुनाव लड़ने हेतु क्या वहीं सदस्य पात्रा है जो पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षित वार्ड से निर्वाचित हुआ है, या वह सदस्य भी पात्रा है जो पिछडे वर्ग का तो है लेकिन अनारक्षित (सामान्य) वार्ड से निर्वाचित हुआ हो, राज्य के महाधिवक्ता से राय चाही थी। महाधिवक्ता ने इस प्रश्न पर अपनी राय देते हुए बताया है कि ऐसे मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय में कासम भाई बनाम चन्दू भाई के प्रकरण, (ए. आई.आर., 1998, एस.सी., पृष्ठ 815) में यह निर्णय दिया है कि किसी नगरपालिका में निर्वाचित सदस्य जो अन्य पिछडे वर्ग का है लेकिन अनारक्षित वार्ड से निर्वाचित हुआ है वह भी अन्य पिछडा वर्ग के लिए आरक्षित अध्यक्ष पद के लिए चुनाव लडने के लिए पात्रा है। महाधिवक्ता द्वारा दी गई राय के अदृत अंश निम्न प्रकार हैः

" .... the question whether a candidate though belonging to Other Backward Class but elected from general community can be elected as Chairman/Mayor of the Municipal Council. The decision rendered by the Hon'ble Supreme Court in Civil Appeal No. 14608/96 reported in AIR 1997 SC page 347 has since been over-ruled/reversed by the Hon'ble Supreme Court in its later decision in the case of Kasambhai Vs. chandubhai, reported in AIR 1998 SC page 815, wherein their Lordships of the Hon'ble Supreme Court have categorically held that councillor of a Municipal Council who belonged to Other Backward Class but had been elected to the Municipality from an un-reserved seat could stand for election for the post of president of the Municipality which was reserved for a Backward Class.

In view of changed approach of the Hon'ble Supreme Court, there is now no impediment in an OBC Councillor elected from general seat in being elected as Mayor/Chairman of the Muncipal Council."

अतः आपकी एवं निर्वाचन अधिकारियों की जानकारी के लिए प्रेषित है।

भवदीय
ह.
(आर.के.पारीक)
उपसचिव,
राज्य निर्वाचन आयोग,
राजस्थान, जयपुर।

(55)

राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग

क्रमांकः प.4(1)(10)नपा/रानिआ/94/502 जयपुर, दिनांकः 2.6.99

प्रेषक,

मुख्य निर्वाचक अधिकारी एवं सचिव,
राज्य निर्वाचन आयोग,राज0,जयपुर।

प्रेषिति,

समस्त जिला नगरपालिका निर्वाचन अधिकारी,
(कलेक्टर), राजस्थान।

विषयः– नगरपालिका सदस्यों के रूप में निर्वाचन के लिए सामान्य निरर्हता के संबंध में।

महोदय,

नगरपालिका सदस्यों के निर्वाचन के समय अभ्यर्थियों से संतान संबंधी घोषणा/अण्डरटेकिंग ली जाती है। निर्वाचन के उपरान्त निर्वाचित सदस्यों के संतान होने पर इनकी निरर्हता का प्रश्न उत्पन्न होता है जिसकी जांच प्रायः जिला कलेक्टर द्वारा कराई जाती है। चुनाव लड़ते समय अभ्यर्थियों द्वारा संतान संबंधी घोषणा/ अण्डरटेकिंग रिटर्निंग अधिकारी को प्रस्तुत की जाती है जिसमें इनकी संतानों का विवरण अंकित होता है। निर्वाचन के उपरान्त यदि निर्वाचित सदस्य की संतानों की संख्या में वृद्धि होती है तो निर्वाचन के उपरान्त होने वाली संतानों के तथ्य का पता लगाकर संतान संबंधी घोषणा/अण्डरटेकिंग की मदद से जांच अधिकारी को यह निष्कर्ष निकालने में सुविधा रहेगी कि क्या निर्वाचित सदस्य अधिक संतान होने के कारण अयोग्य है अथवा नहीं।

अतः राज्य निर्वाचन आयोग यह निर्देश देता है कि भविष्य में नगरपालिका सदस्यों के लिए होने वाले निर्वाचनों में अभ्यर्थियों से प्राप्त संतानों संबंधी घोषणा/ अण्डरटेकिंग की दो प्रतियां प्राप्त की जावें जिसमें से एक प्रति जिला कलेक्टर को निर्वाचन परिणाम की घोषणा के तुरन्त पश्चात भेजी जावे ताकि निर्वाचित सदस्यों की धारा 26(xiv) के अन्तर्गत प्रकरणों की जांच करने में जिला कलेक्टर/जांच अधिकारी को सुविधा रहे।

भवदीय,
ह.
(आर.के.पारीक)
उप सचिव,
राज्य निर्वाचन आयोग,

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(द्वितीय तल, विकास खण्ड, सचिवालय, जयपुर–302005)
email- secraj@rajasthan.gov.in & secrajasthan@gmail.com, FAX 0141-2227280, 2227072

क्रमांकः एफ. 4(2)(1)/पंचा/रानिआ/09/502 जयपुर, दिनांकः– 29.03.11

जिला निर्वाचन अधिकारी,
(कलेक्टर) समस्त।

विषयः– नगरपालिका एवं पंचायतीराज संस्थाओं के चुनावों में अभ्यर्थियों द्वारा गलत घोषणा पत्र/मिथ्या साक्ष्य प्रस्तुत किया जाना – भारतीय दण्ड संहिता की धारा 191 एवं 193 के अन्तर्गत कार्यवाही।

महोदय,

राज्य में पंचायती राज संस्थाओं के सभी प्रत्यक्ष चुनावों में अभ्यर्थियों द्वारा अपने नाम निर्देशन पत्रों एवं प्ररूप 4घ में उनकी संतानों, उनके विरूद्ध लंबित आपराधिक प्रकरणों, किन्ही अपराधों के लिए उनकी दोष सिद्धि के मामलों, उनके एवं उनके आश्रितों की अचल संपत्ति आदि की सूचना घोषणा के रूप में रिटर्निंग अधिकारी को प्रस्तुत करनी होती हैं। इसी प्रकार नगरपालिका चुनावों में भी नाम निर्देशन पत्र में की जाने वाली घोषणाओं के अतिरिक्त अभ्यर्थियों को उनकी संतानों के संबंध में, उनके विरूद्व लंबित आपराधिक प्रकरणों, किन्ही अपराधों के लिए उनकी दोषसिद्धि के मामलों आदि की सूचना राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित प्ररूपों में देना अनिवार्य है। इसके अलावा भी राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायती राज संस्थाओं व नगरपालिकाओं के प्रत्यक्ष चुनावों में अभ्यर्थियों के लिए संपत्ति का ब्यौरा, उनके विरूद्ध देयताओं, शैक्षणिक योग्यता, लंबित आपराधिक प्रकरणों की सूचना प्रस्तुत करने के लिए प्ररूप पृथक से भी निर्धारित किये है जिनमें भी अभ्यर्थियों द्वारा घोषणायें/कथन किये जाते हैं।

उक्त निर्वाचनों में अभ्यर्थियों द्वारा चुनाव लडने के आशय से रिटर्निंग अधिकारियों के समक्ष यदि असत्य घोषणा की गई है या तथ्यों को जानबूझ कर छिपाया गया है तो भारतीय दण्ड संहिता की धारा 191 के अन्तर्गत उसे मिथ्या साक्ष्य मानते हुए उक्त संहिता की धारा 191 व 193 के अन्तर्गत सक्षम न्यायालय में परिवाद दायर करने के लिए राज्य निर्वाचन आयोग ने अपने परिपत्र क्रमांकः एफ. 7(2)(4)/पंचा/रानिआ/99/7358 दिनांक 26.04.2000 के द्वारा सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को निर्देश जारी किये थे।

अभी हाल ही में संपन्न चुनावों में कई शिकायतें इस आश्य की प्राप्त हुई है कि किन्हीं अभ्यर्थियों ने सही तथ्यों को छुपाते हुए या गलत तथ्यों को प्रस्तुत करते हुए चुनाव में भाग लिया व निर्वाचित भी हो गये। ऐसी शिकायतों के प्रकरणों में कुछ जिला निर्वाचन अधिकारियों ने पंचायतीराज विभाग के पत्र संख्या एफ 3 ( ) जांच/ग्राविप/परिपत्र/स.आ./07/2916 दिनांक 23.08.2007 एवं पत्र सं. एफ 3 ( ) जांच/ग्राविप/परिपत्र/स.आ./07/3708 दिनांक 18.10.2007, जो कि माननीय उच्च न्यायालय की वृहदपीठ के निर्णय दिनांक 02.04.07 के अनुसरण में सभी संभागीय आयुक्तों एवं जिला परिषदों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों को भेजा गया है, का संदर्भ देते हुए यह अवगत कराया है कि चुनाव पूर्व की अयोग्यताओं के मामलों में जांच कार्यवाही नही की जा सकती और पंचायतीराज संस्थाओं के चुनावों के ऐसे मामलों में जांच भी नही की गई है।

माननीय उच्च न्यायालय के उक्त निर्णय दिनांक 02.04.07 द्वारा दी गई व्यवस्था के अनुसार चुनाव पूर्व की अयोग्यता की जांच राज्य सरकार द्वारा नहीं की जा सकती। चुनाव पूर्व की अयोग्यता संबंधी प्रकरण पंचायतीराज अधिनियम की धारा 43 एवं राजस्थान पंचायतीराज (निर्वाचन) नियम, 1994 के नियम 80 के तहत चुनाव याचिका के जरिये ही जिला अदालत के माध्यम से निर्णित हो सकते है। ऐसे प्रकरण राज्य सरकार तय नहीं कर सकती।

माननीय उच्च न्यायालय की वृहद पीठ द्वारा दिनांक 02.04.07 को पारित निर्णय पंचायतीराज अधिनियम 1994 की धारा 39 एवं इसके साथ पठित राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 23 के अन्तर्गत राज्य सरकार व इसके अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा निर्वाचित अभ्यर्थियों के विरूद्व चुनाव पूर्व की

अयोग्यताओं की जांच कर उसके आधार पर धारा 39 के तहत उन्हें हटाये जाने से संबंधित विषय पर हैं जबकि राज्य निर्वाचन आयोग के उक्त परिपत्र दिनांक 26.04.2000 का विषय इससे भिन्न हैं। उक्त परिपत्र दिनांक 26.04.2000 रिटनिंग अधिकारी के समक्ष दिए गए मिथ्या साक्ष्य के आपराधिक कृत्य और उसके लिए परिवाद दर्ज कराने संबंधी विषय पर हैं। इस संबंध में विधि विभाग की राय भी प्राप्त की गयी है। विधि विभाग द्वारा दी गई राय निम्न प्रकार है –

> ''माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय के पश्चात चुनाव पूर्व निर्योग्यता के आधार पर कार्यवाही नहीं की जा सकती है, किन्तु किसी व्यक्ति द्वारा धारा 191 का अपराध किया है, तो उसके संदर्भ में सक्षम अधिकारी द्वारा सक्षम न्यायालय में कार्यवाही की जा सकती है। किन्तु ऐसी कार्यवाही में उसकी निर्योग्यता के संदर्भ में जांच नहीं की जा सकती, किन्तु यदि कोई उम्मीदवार द्वारा कोई आपराधिक कृत्य किया है तो तथ्यों की जांच कर फौजदारी न्यायालय में कार्यवाही की जा सकती है।''

अतः रिटर्निग अधिकारियों के समक्ष असत्य तथ्यों को प्रस्तुत कर चुनाव लडने की शिकायतों के मामलों में कार्यवाही हेतु राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निम्नांकित निर्देश जारी किए जाते हैं कि :–

(i) अभ्यर्थी की चुनाव पूर्व की अयोग्यता की जांच नहीं की जाए अर्थात् यह जांच नहीं की जाए कि अभ्यर्थी चुनाव पूर्व किसी निर्योग्यता को धारित करता था अथवा नहीं क्योंकि यह बिन्दु चुनाव याचिका में ही शामिल हो सकता हैं।

(ii) रिटर्निंग अधिकारी और जिला निर्वाचन अधिकारी के लिए जांच का बिन्दु केवल यह हो सकता हैं कि अभ्यर्थी ने अपने नाम निर्देशन पत्रों एवं उसके संलग्न प्रस्तुत किये गए अन्य प्ररूपों/शपथपत्रों/घोषणा पत्रों में चुनाव लडने की मंशा से क्या कोई असत्य कथन किया है या तथ्यों को जान बूझ कर छुपाया है और क्या उसने रिटर्निंग अधिकारी को मिथ्या साक्ष्य प्रस्तुत करने का अपराध किया है। इन्ही बिन्दुओं पर जांच की जा सकती है किन्तु ऐसी कार्यवाही में उस अभ्यर्थी की चुनाव पूर्व की अपात्रता की जांच नही की जा सकेगी।

(iii) यदि अभ्यर्थी द्वारा मिथ्या साक्ष्य प्रस्ंतुत करने का आपराधिक कृत्य कारित करना पाया जाता है तो फौजदारी न्यायालय में कार्यवाही की जावें। रिटर्निंग अधिकारी जिनके समक्ष अभ्यर्थी ने मिथ्या साक्ष्य प्रस्तुत किया है उनके द्वारा अथवा जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा नामित किसी अन्य अधिकारी द्वारा ऐसी शिकायत के संबंध में तथ्यों की जांच से प्रथम दृष्टया मिथ्या साक्ष्य प्रस्तुत होना पाए जाने पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 191 व 193 के तहत सक्षम न्यायालय में परिवाद प्रस्तुत करने की व्यवस्था की जावे।

(iv) यहां यह भी स्पष्ट किया जाता हैं कि असत्य तथ्य वर्णित करते हुए चुनाव लडने की शिकायतों की जांच पंचायतीराज संस्थाओं के किसी अधिकारी से नहीं करवाई जावे बल्कि रिटर्निंग अधिकारी या जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा नामित अधिकारी द्वारा ही तथ्यों की जांच कर उपरोक्तानुसार कार्यवाही की जावे। रिटर्निंग अधिकारी के समक्ष मिथ्या साक्ष्य प्रस्तुत करने के प्रकरणों में जांच पश्चात कुछ जिला निर्वाचन अधिकारियों ने प्रकरण पंचायतीराज विभाग या स्वायत्त शासन विभाग को संदर्भित किए है जबकि ऐसे मामलों कों राज्य सरकार को संदर्भित करने की कोई आवश्यकता नही है। रिटर्निंग अधिकारी के समक्ष यदि कोई मिथ्या साक्ष्य प्रस्तुत हुआ तो उनमें उपरोक्तानुसार ही कार्यवाही की जा सकती है राज्य सरकार को संदर्भित करने की आवश्यकता नहीं है।

–sd–
सचिव,
राज्य निर्वाचन आयोग,
राजस्थान, जयपुर

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(द्वितीय तल, विकास खण्ड, सचिवालय, जयपुर–302005)
email- secraj@rajasthan.gov.in & secrajasthan@gmail.com, FAX 0141-2227280, 2227072

क्रमांकः एफ.4(1)(1)नपा/रानिआ/14/4270 दिनांक : 26.09.2014

अधिसूचना

राजस्थान राज्य में नगरपालिकाओं के लिए सभी निर्वाचनों में अधीक्षण, निर्देशन तथा नियन्त्रण भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 य क द्वारा राज्य निर्वाचन आयोग में निहित है,

और नगरपालिका वार्डो के निर्वाचनों के शुद्व एवं सुचारू संचालन के लिए निर्वाचन प्रतीको को और उनके आरक्षण, चयन, आवंटन एवं तत्संबंधी विषयों के लिए निर्बन्धन विनिर्दिष्ट करने की आवश्यकता है,

अतः राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान नगरपालिका (निर्वाचन) नियम, 1994 के नियम 20 के साथ पठित भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 य क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इस निमित उसे समर्थ बनाने वाली सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए अपनी पूर्व अधिसूचना क्रमांक संख्या 4(1)(2)नपा/रानिआ/07/2086 दिनांक 09.07.2009 जिसका राजस्थान राजपत्र विशेषांक के भाग 6(क) मे दिनांक 10.07.2009 को प्रकाशन हुआ, के अधिक्रमण में निम्न प्रकार विनिर्देश जारी करता हैः–

1. <u>संक्षिप्त नाम, विस्तार, लागू होना और प्रारम्भ</u> – (1) इस आदेश का नाम राजस्थान नगरपालिका निर्वाचन प्रतीक (सूची और आवंटन) आदेश, 2014 है,
   (2) इसका विस्तार सम्पूर्ण राजस्थान राज्य पर है तथा यह नगरपालिकाओं के वार्डो के निर्वाचन के संबंध में लागू होगा, और
   (3) यह राजस्थान के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होगा।

2. <u>परिभाषाए</u> – इस आदेश में जब तक कि विषय या संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, –
   (i) "सविरोध निर्वाचन" से वार्ड के लिए ऐसा निर्वाचन अभिप्रेत है जिसमें मतदान होता है;
   (ii) "निर्वाचन" से नगरपालिका के किसी वार्ड के लिए "साधारण निर्वाचन" और "उप निर्वाचन" अभिप्रेत है;
   (iii) "प्ररूप क" से इस आदेश के संलग्न प्ररूप "क" अभिप्रेत है;
   (iv) "प्ररूप ख" से इस आदेश के संलग्न प्ररूप "ख" अभिप्रेत है;
   (v) "खण्ड" से इस आदेश का खण्ड़ अभिप्रेत है;
   (vi) "दल" से मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल अभिप्रेत है;
   (vii) "मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल" से निर्वाचन प्रतीक (आरक्षण एवं आवंटन) आदेश, 1968 के अधीन राजस्थान में मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल अभिप्रेत है;
   (viii) "नियम" से राजस्थान नगरपालिका (निर्वाचन) नियम, 1994 के नियम अभिप्रेत है;
   (ix) "सारणी–1" से इस आदेश के संलग्न सारणी–1 अभिप्रेत है;
   (x) "सारणी–2" से इस आदेश के सलंग्न सारणी–2 से अभिप्रेत है;
   (xi) "वार्ड" से किसी नगरपालिका का वार्ड अभिप्रेत है; और
   (xii) जो शब्द ओर पद इस आदेश में प्रयुक्त किये गये है किन्तु परिभाषित नहीं किये गये है और राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 अथवा राजस्थान नगरपालिका (निर्वाचन) नियम, 1994 में परिभाषित है, उनके वही अर्थ होगे, जो उक्त अधिनियम और नियम में क्रमशः बताये गये है।

3. <u>निर्वाचन प्रतीको का आवंटन</u> – निर्वाचन लडने वाले अभ्यार्थियों को इस आदेश के उपबन्धों के अधीन प्रत्येक सविरोध निर्वाचन में एक प्रतीक आंवटित किया जायेगा तथा किसी वार्ड के निर्वाचन में भिन्न–भिन्न अभ्यर्थियों को भिन्न–भिन्न प्रतीक आवंटित किया जायेगा।

4. <u>निर्वाचन प्रतीकों का वर्गीकरण</u> –(1) इस आदेश के प्रयोजन के लिए प्रतीक, या तो आरक्षित है अथवा मुक्त।

(2) आरक्षित प्रतीक वह प्रतीक है जो सारणी–1 के स्तंभ 2 में वर्णित दल के लिए, उस दल के सम्मुख स्तंभ 3 में विनिर्दिष्ट किया गया है।

(3) मुक्त प्रतीक ऐसा प्रतीक है जो आरक्षित प्रतीक से भिन्न है और जिसे सारणी–2 के स्तंभ 2 में विनिर्दिष्ट किया गया है।

5. <u>दलों के अभ्यर्थियों द्वारा प्रतीकों का चयन तथा उनका आवंटन</u> – (1) सारणी–1 के स्तम्भ 3 में विनिर्दिष्ट आरक्षित प्रतीक उसके सम्मुख स्तम्भ 2 में वर्णित दल द्वारा किसी निर्वाचन में खड़े किये गये अभ्यर्थी को ही आवंटित किया जायेगा, अन्य अभ्यर्थी को नहीं।

(2) सारणी–1 के स्तम्भ 2 में वर्णित दल द्वारा किसी निर्वाचन में खड़े किये गये अभ्यर्थी को उस दल के सम्मुख स्तंभ 3 में विनिर्दिष्ट प्रतीक ही आवंटित किया जायेगा, कोई अन्य प्रतीक नहीं।

6. <u>कोई अभ्यर्थी किसी दल द्वारा खड़ा किया कब माना जायेगा</u> – कोई अभ्यर्थी किसी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल द्वारा खडा किया गया तभी माना जायेगा, जबकि :–

(क) उस अभ्यर्थी ने अपने नाम निर्देशन पत्र में उस आशय की घोषणा की हो,

(ख) संबंधित राजनीतिक दल की राज्य इकाई के अध्यक्ष अथवा उसके द्वारा नामित प्राधिकृत व्यक्ति के द्वारा प्ररूप 'ख' में इस आशय की लिखित सूचना नाम निर्देशन पत्रा प्रस्तुत करने के अन्तिम दिनांक को 3 बजे अपरान्ह तक रिटर्निंग अधिकारी को प्रदत्त कर दी गई हो,

(ग) यदि राजनीतिक दल की राज्य इकाई के अध्यक्ष द्वारा नियम 12 के उपनियम (2) के प्रावधानों के अन्तर्गत किसी अन्य व्यक्ति को प्राधिकृत किया है और इस प्रकार प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा रिटर्निंग अधिकारी को पत्र प्रेषित किया हो तो प्राधिकृत व्यक्ति के नमूने के हस्ताक्षर प्ररूप 'क' में रिटर्निंग अधिकारी को नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत करने की अन्तिम तारीख के अपरान्ह 3.00 बजे तक उपलब्ध करा दिये गये हों, और

(घ) प्ररूप 'क' और प्ररूप 'ख' पूर्वोक्त पदाधिकारी अथवा प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा केवल स्याही से हस्ताक्षरित किये गये हों।

स्पष्टीकरण–1 उपरोक्त खण्ड़ में किसी राजनीतिक दल की राज्य इकाई के अध्यक्ष से अभिप्रेत दल की राज्य इकाई के अध्यक्ष और जहां दल की राज्य इकाई का अध्यक्ष पद नहीं है, वहां सचिव से है।

स्पष्टीकरण–2 जहॉ किसी राजनीतिक दल की राज्य इकाई के अध्यक्ष द्वारा ही प्ररूप 'ख' में लिखित सूचना रिटर्निंग अधिकारी को निर्धारित समय तक प्रदत्त कर दी गई हो तो प्ररूप 'क' में राजनीतिक दल की राज्य इकाई के अध्यक्ष के नमूने के हस्ताक्षर रिटर्निंग अधिकारी को प्रस्तुत किया जाना आवश्यक नहीं होगा।

स्पष्टीकरण–3 प्ररूप 'क' और, यथास्थिति, प्ररूप 'ख' पर यदि दल के किसी पदाधिकारी या प्राधिकृत व्यक्ति के अनुकृति हस्ताक्षर या रबड़ स्टाम्पों के हस्ताक्षर है तो उन्हें नही माना जायेगा तथा फैक्स द्वारा प्रेषित कोई प्ररूप भी स्वीकार नहीं किया जायेगा।

7. <u>दल द्वारा खड़ा किया गया स्थानापन्न अभ्यर्थी</u> – (1) प्ररूप 'ख' के स्तम्भ 6 में वर्णित स्थानापन्न उम्मीदवार को उस दल द्वारा खड़ा किया गया तभी माना जायेगा जबकि उस दल के मुख्य अनुमोदित उम्मीदवार के नाम निर्देशन–पत्रा को नियम–13 के अन्तर्गत संवीक्षा में रद्द कर दिया गया हो या जिसने अपनी अभ्यर्थिता नियम–16 के अन्तर्गत वापस ले ली हों।

(2) ऐसी स्थिति में जहॉ दल के मुख्य अनुमोदित अभ्यर्थी का नाम निर्देशन पत्र स्वीकार कर लिया जाता है और वह अपनी अभ्यर्थिता वापिस नहीं लेता है, यदि प्ररूप 'ख' के स्तम्भ 6 में वर्णित स्थानापन्न उम्मीदवार का नामनिर्देशन–पत्र भी स्वीकार कर लिया जाता है तथा ऐसा स्थानापन्न उम्मीदवार भी अपनी अभ्यर्थिता वापिस नहीं लेता है तो ऐसे स्थानापन्न उम्मीदवार को दल द्वारा खड़ा किया गया नही माना जायेगा और उसे मुक्त प्रतीक अधोलिखित खण्ड़ 11 के अनुसार आवंटित किया जायेगा।

8. <u>दल द्वारा खड़े किये गये अभ्यर्थी को स्थानापन्न किया जाना</u> – यदि किसी दल द्वारा पूर्व में अनुमोदित अभ्यर्थी का मनोनयन निरस्त करते हुये अन्य अभ्यर्थी को अनुमोदित किया गया है तो अन्य अभ्यर्थी को ही दल का अनुमोदित अभ्यर्थी माना जायेगा।

परन्तु दल द्वारा पूर्व में अनुमोदित अभ्यर्थी का मनोनयन निरस्त करते हुये अन्य अभ्यर्थी का मनोनयन तभी माना जायेगा जबकि प्ररूप 'ख' में यह स्पष्ट उल्लेख हो कि पूर्व में अनुमोदित अभ्यर्थी का मनोनयन निरस्त कर दिया गया है और प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित प्ररूप 'ख' खण्ड़ 6 में बतायी गयी समयावधि के भीतर रिटर्निंग अधिकारी को प्राप्त हो गया हो।

परन्तु यह और कि यदि किसी एक ही वार्ड के निर्वाचन के लिये एक से अधिक प्ररूप 'ख' भिन्न भिन्न अभ्यर्थियों का मनोनयन वर्णित करते हुये रिटर्निंग अधिकारी को प्राप्त होते है और दल यह बताने में असफल रहता है कि पूर्ववर्ती प्ररूप 'ख' वापिस ले लिया गया है या ले लिये गये हैं, तो रिटर्निंग अधिकारी केवल ऐसे एक अभ्यर्थी को ही उक्त दल द्वारा खड़ा किया हुआ मानेगा जिसका नाम निर्देशन पत्रा सबसे पहले प्राप्त हुआ है और शेष अभ्यर्थी या अभ्यर्थियों के लिये यह माना जायेगा कि वे दल द्वारा खडे नहीं किये गये है।

9. <u>विनिर्दिष्ट प्रतीकों से भिन्न प्रतीको के चयन व आवंटन पर निषेध</u> – जो अभ्यर्थी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों द्वारा खडे नहीं किये गये हों, उन्हें संलग्न सारणी–2 के स्तम्भ 2 में विनिर्दिष्ट मुक्त प्रतीकों में से ही निर्वाचन प्रतीक आवंटित किये जायेंगे। अभ्यर्थियों को निर्वाचन प्रतीक आवंटित करते समय उनके द्वारा नामनिर्देशन–पत्रा में उल्लिखित रूचि को ध्यान में रखा जायेगा। कोई भी अभ्यर्थी उपरोक्तानुसार विनिर्दिष्ट निर्वाचन प्रतीकों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रतीक की मांग नहीं कर सकता है और यदि उसके द्वारा अपने नामनिर्देशन–पत्रा में किसी अन्य प्रतीक का उल्लेख किया गया हो तो उसे नजरअन्दाज किया जायेगा।

10. <u>प्रथम नाम निर्देशन–पत्रा में चुने गये प्रतीकों पर विचार किया जाना</u> – अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत प्रथम नामनिर्देशन–पत्र में दर्शाये गये प्रतीकों पर ही विचार किया जायेगा, भले ही वह नामनिर्देशन–पत्र संवीक्षा के दौरान खारिज क्यों न हो गया हो। अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत बाद के किसी नामनिर्देशन–पत्र में उल्लिखित प्रतीकों को विचार में नहीं लिया जायेगौ;

परन्तु किसी दल द्वारा खडे किये अभ्यर्थी के प्रकरण में ऐसे नामनिर्देशन पत्र, जिसमे अभ्यर्थी ने स्वयं को उस दल द्वारा खड़ा किया जाने की घोषणा की हो, में दर्शाये गये दल के आरक्षित प्रतीक पर विचार किया जायेगा, भले ही ऐसा नाम निर्देशन पत्र प्रथम नहीं हौ;

परन्तु यह और कि यदि किसी अभ्यर्थी ने अपने भिन्न–भिन्न नामनिर्देशन पत्राों में भिन्न–भिन्न दलों द्वारा स्वयं को खड़ा किया गया होने की घोषणा खण्ड़ 6(क) के अन्तर्गत की है तो ऐसे नाम निर्देशन पत्र, जिसमें दर्शाये गये दल ने खण्ड़ 6 के अन्तर्गत नोटिस द्वारा अभ्यर्थी का मनोनयन किया है, पर विचार किया जायेगा और यदि अभ्यर्थी का एक से अधिक दलों ने खण्ड़ 6 के अंतर्गत नोटिस द्वारा मनोनयन किया है तो ऐसे नामनिर्देशन पत्रों में पश्चात्वर्ती नामनिर्देशन पत्र में की गयी घोषणा पर ही विचार किया जायेगा तथा पूर्ववर्ती नामनिर्देशन पत्रों में की गयी घोषणाओं को नजर अन्दाज किया जायेगा।

11. <u>अन्य अभ्यर्थियों (निर्दलीय अभ्यर्थियों) को प्रतीको को आवंटन</u> – अभ्यर्थी को (जिसे किसी दल ने खड़ा नही किया है), प्रथम नामनिर्देशन पत्र में उसके अंकित प्राथमिकता क्रम के आधार पर सारणी–2 में से निम्नानुसार निर्वाचन प्रतीक आवंटित किया जायेगा :–

(क) यदि प्रथम रूचि में प्रतीक को एक ही अभ्यर्थी द्वारा चाहा गया है तो वह उसी उम्मीदवार को आवंटित कर दिया जायेगा,

(ख) यदि एक ही प्रतीक को एक से अधिक अभ्यर्थियों ने अपनी रूचि में प्रथम क्रम पर रखा हो तो मुक्त प्रतीक के आवंटन का निर्णय 'लाट' द्वारा किया जायेगा। जिस अभ्यर्थी के पक्ष में लाट निकले उसे ही वह प्रतीक आवंटित किया जायेगा। लाट निकालने की कार्यवाही उपस्थित अभ्यर्थियों और उनके निर्वाचन अभिकर्ताओं के समक्ष की जाएगी,

(ग) प्रथम रूचि पर अंकित प्रतीकों का आवंटन हो जाने पर, शेष बचे अभ्यर्थियों को उनकी पसन्द के 'दूसरी' रूचि के प्रतीकों का आवंटन उपरोक्त प्रक्रिया के अनुसार किया जायेगा।

(घ) तत्पश्चात् शेष रहे अभ्यर्थियों को उनकी पसन्द के तीसरे क्रम के निर्वाचन प्रतीकों का आवंटन उपरोक्तानुसार ही किया जायेगा, और

(ड.) पहले, दूसरे और तीसरे क्रम के सभी निर्वाचन प्रतीक आवंटित हो जाने के पश्चात् यदि कोई अभ्यर्थी ऐसा रह जाता है, जिसे अपनी रूचि का (तीन में से) कोई प्रतीक आवंटित न हुआ हो या जिसने कोई रूचि ही न दी हो तो उसे सारणी–2 के स्तम्भ 2 में विनिदिष्ट मुक्त निर्वाचन प्रतीकों में से क्रमशः सबसे ऊपर वाला वह प्रतीक आवंटित किया जायेगा जो किसी को आवंटित न किया गया हो। प्रतीकों का क्रमवार इस प्रकार का आवंटन, अभ्यर्थियों को हिन्दी वर्णक्रमानुसार चुनाव लडने वाले अभ्यर्थियों की सूची में, उनके नामों के अनुसार (एक के बाद एक) किया जायेगा।

12. **अनुदेश तथा निदेश निकालने की आयोग की शक्ति** – राज्य निर्वाचन आयोग,–

(क) इस आदेश के उपबन्धों मे से किसी का स्पष्टीकरण करने के लिए;

(ख) किसी ऐसी कठिनाई को दूर करने के लिए, जो किन्हीं ऐसे उपबंधों के कार्यान्वयन के संबंध में उत्पन्न हो; तथा

(ग) प्रतीकों के आरक्षण तथा आबंटन के किसी मामले के संबंध में जिसके लिए इस आदेश में कोई उपबन्ध नहीं है या उपबन्ध अपर्याप्त है, तथा जिसके लिए निर्वाचनों के निर्विध्न तथा व्यवस्थित संचालन के लिए आयोग की राय में उपबन्ध करना आवश्यक है, अनुदेश तथा निदेश निकाल सकेगा।

सारणी–1

(राष्ट्रीय दल)

क.सं.	मान्यता प्राप्त दल जिसके लिये आरक्षित है	आरक्षित प्रतीक
1.	2.	3.
1.	बहुजन समाज पार्टी	हाथी
2.	भारतीय जनता पार्टी	कमल
3.	कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इण्डिया	बाल और हंसिया
4.	कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इण्डिया (मार्क्ससिस्ट)	हथौडा, हंसिया और सितारा
5.	इंडियन नेशनल कांग्रेस	हाथ
6.	नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी	घडी

सारणी–2 – (मुक्त प्रतीकों की सूची)

क.सं.	मुक्त प्रतीक	क.सं.	मुक्त प्रतीक
1.	2.	1.	2.
1.	बल्ला	21.	डीजल पम्प
2.	अलमारी	22.	केतली
3.	गुब्बारा	23.	हारमोनियम
4.	ब्रुश	24.	स्टूल
5.	मोमबत्तियॉ	25.	मेज
6.	कैमरा	26.	टेबिल लैम्प
7.	कोट	27.	टेलीविजन
8.	गैस का चूल्हा	28.	सीटी
9.	बल्लेबाज	29.	पतंग
10.	कॉच का गिलास	30.	प्रैशर कुकर
11.	कप और प्लेट	31.	कैंची
12.	चारपाई	32.	गैस सिलेण्डर
13.	खिडकी	33.	नारियल
14.	लेटर बॉक्स	34.	सिलाई की मशीन
15.	अंगूठी	35.	डोली
16.	शटल	36.	ब्रीफकेस
17.	वायलिन	37.	प्रेस
18.	छड़ी	38.	टेलीफोन
19.	बाल्टी	39.	ऑटो रिक्शा
20.	बैटरी टार्च	40.	बोतल

प्ररूप – 'क'

राज्य में मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल द्वारा खडे किये गये उम्मीदवारों के नामों की सूचना के लिये प्राधिकृत व्यक्तियों के संबंध में संसूचना

(देखिए अधिसूचना संख्या एफ 4(1)(1)नपा/रानिआ/14/.............. दिनांक .... का खण्ड़ 6)

रिटर्निंग अधिकारी,
नगरपालिका ....

विषयः– नगरपालिकाओं के निर्वाचन हेतु चिन्हों का आवंटन उम्मीदवारों के नामों की सूचना देने के लिये व्यक्तियों का प्राधिकृत किया जाना।

महोदय,

अधिसूचना संख्या एफ 4(1)(1)/नपा/रानिआ/14/............. दिनांक .... के खण्ड़ (6) के अनुसरण में, मैं, इसके द्वारा संसूचित करता हूँ कि ऊपर उद्धृत निर्वाचन में दल द्वारा खडे किये जाने के लिये प्रस्तावित उम्मीदवारों के नामों की सूचना देने के लिये .... दल, जो निर्चाचन प्रतीक (आरक्षण एवं आवंटन) आदेश 1968 के अंतर्गत राजस्थान में मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल है, द्वारा निम्नलिखित व्यक्ति/व्यक्तियों को प्राधिकृत किया गया है :–

नोटिस भेजने के लिये प्राधिकृत व्यक्ति का नाम	दल में धारित पद का नाम	नगरपालिका का नाम जिसके संबंध में उसे प्राधिकृत किया गया है
1.	2.	3.
1. 2. 3.		

2. इस प्रकार प्राधिकृत ऊपर उल्लिखित व्यक्ति/व्यक्तियों के हस्ताक्षरों के नमूने नीचे दिये गये हैं :–

1. श्री .... के नमूना हस्ताक्षर

   (1) .... (2) .... (3) ....

2. श्री .... के नमूना हस्ताक्षर

   (1) .... (2) .... (3) ....

3. श्री .... के नमूना हस्ताक्षर

   (1) .... (2) .... (3) ....

भवदीय,

अध्यक्ष/सचिव,
दल का नाम
(दल की मोहर)

स्थानः ....
दिनांक ....

नोटः— 1. यह प्ररूप नाम निर्देशन—पत्रा प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख को 3.00 बजे अपरान्ह से पूर्व रिटर्निंग अधिकारी को आवश्यक रूप से प्रस्तुत हो जाना चाहिये।

2. प्ररूप उपर्युक्त पदाधिकारी या प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा स्याही से हस्ताक्षरित किया जाना चाहिये। किसी पदाधिकारी या प्राधिकृत व्यक्ति के अनुलिपि हस्ताक्षर अथवा रबड़ स्टाम्प आदि के माध्यम से किये गये हस्ताक्षर स्वीकार नहीं किये जायेगें ।

3. फैक्स से भेजा गया प्ररूप स्वीकार नहीं किया जायेगा।

——

प्ररूप–'ख'

राज्य में मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल द्वारा खडे किये गये उम्मीदवारों के नामों के बारे में सूचना

(देखिए अधिसूचना संख्या एफ4(1)(1)नपा/रानिआ/14/................. दिनांक .... का खण्ड़ 6)

प्रेषितः–

रिटर्निंग अधिकारी,
नगरपालिका ——————————

विषय :– **नगरपालिकाओं के निर्वाचन हेतु उम्मीदवार खडे करना ।**

महोदय,

अधिसूचना संख्या एफ 4(1)(2)नपा/रानिआ/07/2086 दिनांक 9.7.09 के खण्ड़ (6) के अनुसरण में तथा प्रतीक (आरक्षण एवं आवंटन) आदेश 1968 के अंतर्गत राजस्थान में मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल है, ने निम्नलिखित व्यक्तियों को आगामी निर्वाचन में अपने उम्मीदवारों के रूप में उनके सामने बताये गये वार्ड से खडा किया है । मैं .... (दल) की ओर से एत्‌दद्वारा सूचना देता हूँ कि वह व्यक्ति जिसका विवरण नीचे

(i) स्तम्भ 2 से 5 में दिये गये है उक्त नामित दल का अनुमोदित अभ्यर्थी है, और

(ii) वह व्यक्ति जिसका विवरण नीचे स्तम्भ 6 से 8 में वर्णित है, दल का स्थानापन्न अभ्यर्थी है, जो अनुमोदित अभ्यर्थी के नाम निर्देशन–पत्रा की संवीक्षा के उपरान्त खारिज किये जाने अथवा उसके निर्वाचन से हट जाने पर उसका स्थान लेगा। यदि स्थानापन्न अभ्यर्थी अभी भी निर्चाचन लड़ने वाला अभ्यर्थी है ।

नगरपालिका का नाम	वार्ड संख्या	अनुमोदित अभ्यर्थी का नाम	अनुमोदित अभ्यर्थी के पता/ माता/ पति का नाम	अनुमोदित अभ्यर्थी का डाक का पता	स्थानापन्न अभ्यर्थी का नाम (जो अनुमोदित अभ्यर्थी के नामनिर्देशन– पत्र की संवीक्षा के उपरान्त खारिज किये जाने अथवा उसके निर्वाचन से हट जाने के बाद उसका स्थान लेगा, यदि स्थानापन्न अभ्यर्थी भी निर्वाचन लड़ने वाला अभ्यर्थी है।	स्थानापन्न अभ्यर्थी के पिता/माता /पति का नाम	स्थानापन्न अभ्यर्थी के डाक का पता
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.

2. प्ररूप 'ख' में दल के अनुमोदित अभ्यर्थी के रूप में श्री/श्रीमती/सुश्री .... दल के स्थानापन्न अभ्यर्थी के रूप में श्री/श्रीमती/सुश्री .... के पक्ष में पहले दी गई सूचना एत्‌दद्वारा विखंड़ित की जाती है।

3. यह प्रमाणित किया जाता है कि प्रत्येक अभ्यर्थी जिसके नाम का ऊपर उल्लेख किया गया है, इस राजनैतिक दल का एक सदस्य उसका नाम, इस दल के सदस्यों की नामावली में विधिवत्‌ शामिल है।

भवदीय,

(दल के प्राधिकृत व्यक्ति का नाम और हस्ताक्षर)

स्थानः ....
दिनांकः ....

(दल की मोहर)

नोटः–
1. यह प्ररूप नाम निर्देशन–पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख को 3.00 बजे अपरान्ह से पूर्व रिटर्निंग अधिकारी को आवश्यक रूप से प्रस्तुत हो जाना चाहिये।
2. प्ररूप उपर्युक्त पदाधिकारी या प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा स्याही से हस्ताक्षरित किया जाना चाहिये। किसी पदाधिकारी या प्राधिकृत व्यक्ति के अनुलिपि हस्ताक्षर अथवा रबड़ स्टाम्प आदि के माध्यम से किये गये हस्ताक्षर स्वीकार नहीं किये जायेगें।
3. फैक्स से भेजा गया प्ररूप स्वीकार नहीं किया जायेगा।
4. यदि लागू न हो तो प्ररूप का पैरा 2 काट दें और यदि लागू हो तो उसे उचित रूप से भरा जाना चाहिये।

आज्ञा से,
–ह0–
(सत्यप्रकाश बसवाला)
मुख्य निर्वाचन अधिकारी एवं सचिव

(58)

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(द्वितीय तल, विकास खण्ड, सचिवालय, जयपुर–302005)
email- secraj@rajasthan.gov.in & secrajasthan@gmail.com, Ph./FAX 0141-2227280, 2227072

क्रमांकः प.1(2)(1)नपा–पंचा / सां.आ. / रानिआ / 14 / 3913 दिनांक : 12.09.2014

अधिसूचना

सां.आ. 94 / 2014 राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 26 की उपधारा (3) के साथ पठित राजस्थान नगरपालिका (निर्वाचन) नियम, 1994 के नियम 24–क के उप नियम (2) के उपबन्धों के अनुसार वोटिंग मशीनों द्वारा मतों का दिया जाना और अभिलिखित किया जाना किसी भी नगरपालिका के ऐसे वार्ड या वार्डों में अंगीकृत किया जा सकेगा जिन्हें राज्य निर्वाचन आयोग प्रत्येक मामले की परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए विनिर्दिष्ट करे। अतः राज्य निर्वाचन आयोग समस्त परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए उक्त धारा 26 की उपधारा (3) के साथ पठित नियम 24–क के उप नियम (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सभी नगरपालिका / नगरपरिषद / नगरनिगम के समस्त वार्डों को ऐसे वार्डों के रूप में विनिर्दिष्ट करता है जहां रिक्त पद के स्थान को भरने हेतु भविष्य में होने वाले आम / उप चुनाव में मत इलेक्ट्रोनिक वोटिंग मशीनों द्वारा निर्धारित रीति से दिये और अभिलिखित किये जायेंगे, जब तक आयोग द्वारा इस संबंध में अन्यथा कोई निर्देश प्रसारित नहीं किए जाएं।

आज्ञा से,

–ह0–
(सत्यप्रकाश बसवाला)
मुख्य निर्वाचन अधिकारी
एवं सचिव

(59)

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

क्रमांकः एफ.4(2)(1)पं/नपा/रानिआ/94/3060 जयपुर, दिनांक : 28.10.99

आदेश

सां.आ. संख्या–25/99 राजस्थान नगरपालिका (निर्वाचन) नियम, 1994 के नियम 31–क के अनुसार प्रत्येक इलेक्ट्रोनिक मशीन में एक नियंत्रण यूनिट और एक मतदान यूनिट होगी और वह ऐसे परिकल्प की होगी जैसा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अनुमोदित किया जाये। अतः राज्य निर्वाचन आयोग उक्त नियम 31–क के अनुसरण में एतद्द्वारा भारत इलेक्ट्रानिक्स लिमिटेड, बंगलौर द्वारा बनाई गई इलेक्ट्रोनिक मतदान मशीन के परिकल्प (डिजाईन) का इलेक्ट्रोनिक वोटिंग मशीन से मत डाले जाने और रिकार्ड किये जाने के प्रयोजनार्थ अनुमोदन करता है।

आज्ञा से,

(आर.के. पारीक)
उप सचिव,
राज्य निर्वाचन आयोग,
राजस्थान, जयपुर

(60)

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

क्रमांकः एफ.4(2)(1)पं / नपा / रानिआ / 94 / 3149 जयपुर, दिनांक : 6.11.99

आदेश

सां.आ. संख्या–29 / 99 राजस्थान नगरपालिका (निर्वाचन) नियम, 1994 के नियम 47–क के उप नियम (2) के उपबन्धों के अनुसार मतदान की समाप्ति के पश्चात् पीठासीन अधिकारी नियंत्रण यूनिट और मतदान यूनिट को ऐसी विधि से मुद्रा बन्द करेगा और पृथकतः सुरक्षित करेगा जैसा राज्य निर्वाचन आयोग निर्देश दे। अतः उक्त नियम के उपबन्धों के अनुसरण में राज्य निर्वाचन आयोग नियंत्रण यूनिट और मतदान यूनिट (यूनिटों) को मतदान की समाप्ति के पश्चात् मुद्राबंद करने और उन्हें पृथकतः सुरक्षित करने के लिये निम्नांकित निर्देश जारी करता है :–

1. मतदान यूनिट (यूनिटों) और नियंत्रण यूनिट को वियोजित (Disconnect) किया जावे और नियंत्रण यूनिट का पॉवर स्विच बंद (Off) कर दिया जावे।
2. मतदान यूनिट (यूनिटों) तथा नियंत्रण यूनिट को पुनः उन्हें अपने वहन बक्से (Carrying Boxes) में रख दिया जावे।
3. वहन बक्सों की दोनों ओर इस प्रयोजन के लिये बने छिद्रों में धागा डालकर उन वहन बक्सों को मुद्रा ब्रद कर दिया जावे और इस प्रकार मुद्रा बन्द करते समय निर्वाचन तथा मतदान केन्द्र की विशिष्टयां दर्शाने वाले एड्रेस टैग पर पीठासीन अधिकारी अपनी मुद्रा लगाकार इन्हें चपड़ी से मुद्रा बंद कर देवें।
4. नियंत्रण यूनिट पर एड्रेस टैग की विशिष्टयां निम्न प्रकार होंगी :–

   नगरपालिका का नाम, वार्ड संख्या, नियंत्रण यूनिट का पहचान नम्बर, मतदान केन्द्र का नाम व उसका संख्यांक और मतदान की तारीख।
5. मतदान यूनिट (यूनिटों) पर लगाये जाने वाले एड्रेस टैग की विशिष्टयों में नगरपालिका का नाम, वार्ड संख्या, मतदान यूनिट (यूनिटों) का पहचान नम्बर, मतदान केन्द्र का नाम व संख्यांक तथा मतदान की तारीख अंकित की जायेगी।
6. अभ्यर्थी या उनके मतदान अभिकर्ता, जो उपस्थित हों तथा अपनी मुद्रा लगाने के इच्छुक हों, उन्हें भी एड्रेस टैगों पर मुद्रा लगाने की अनुमति दी जावे।

आज्ञा से,

(आर.के. पारीक)
उप सचिव,
राज्य निर्वाचन आयोग,
राजस्थान, जयपुर

(61)

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

क्रमांकः एफ.4(2)(1)पं/नपा/रानिआ/94/3156 जयपुर, दिनांक : 9.11.99

आदेश

सां.आ. 34/99 नगरपालिका के ऐसे निर्वाचनों, जहाँ मत, मतदान मशीनों द्वारा डाले जायेंगे और रिकार्ड किए जायेंगे, के संबंध में राजस्थान नगरपालिका (निर्वाचन) नियम, 1994 के नियम 46–क के उप नियम (7) के उपबन्धों में यह प्रावधान है कि उक्त नियम 46–क के उप नियम (4) में निर्दिष्ट डाक मतपत्र के संबंध में, इस नियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुये, ऐसी प्रक्रिया अंगीकृत की जायेगी जो राज्य निर्वाचन आयोग विनिर्दिष्ट करे।

अतः राज्य निर्वाचन आयोग उक्त नियम 46–क के उप नियम (7) के उपबन्धों के अनुसरण में विनिर्दिष्ट करता है कि :–

1. नियम 46 के उप नियम (4) में वर्णित मतदाता डाक मतपत्र पर जिस अभ्यर्थी को अपना मत देना चाहता है, वह अभ्यर्थी के नाम के सामने आलपैन या स्याही से स्पष्ट रूप से ''X'' या ''√'' का चिन्ह लगाकर अपना मत रिकार्ड करेगा। चिन्ह इस प्रकार लगाया जायेगा ताकि स्पष्टतः और किसी शंका के बिना यह उपदर्शित हो जाये कि मत किस अभ्यर्थी के पक्ष में दिया गया है।
2. एक से अधिक अभ्यर्थी के पक्ष में मत रिकार्ड नहीं किया जायेगा।
3. मत रिकार्ड करने के लिये अपेक्षित चिन्ह से भिन्न अन्य कोई चिन्ह या संकेत या शब्द या लेख या हस्ताक्षर डाक मतपत्र पर अंकित नहीं किया जायेगा।
4. डाक मतपत्र पर अपना मत अभिलिखित करने के पश्चात् डाक मतपत्र को ''क'' चिन्हित छोटे लिफाफे (प्ररूप–16–ख) में मतदाता द्वारा रखा जायेगा और लिफाफा बंद कर दिया जायेगा और उसे मुद्रा लगाकर या अन्यथा सुरक्षित किया जायेगा।
5. ''क'' चिन्हित लिफाफे में डाक मतपत्र को सुरक्षित कर देने के पश्चात् प्ररूप 16–क में घोषणा पर मतदाता किसी राजपत्रित अधिकारी या उस मतदान केन्द्र के पीठासीन अधिकारी, जिसमें वह मतदाता निर्वाचन कर्त्तव्यरूढ़ है, की उपस्थिति में हस्ताक्षर करेगा और ऐसे अधिकारी से हस्ताक्षर का अनुप्रमाणन करायेगा। उक्त अनुप्रमाणन करने वाला अधिकारी मतदाता की पहचान के बारे में अपना समाधान होने पर मतदाता के हस्ताक्षर का अनुप्रमाणन करेगा।
6. ऊपर वर्णित अनुप्रमाणन अधिकारी को डाक मतपत्र न तो दिखाया जायेगा और न यह बताया जायेगा कि किस प्रकार मतदान किया गया है।
7. मतदाता के हस्ताक्षर का अनुप्रमाणन होने के पश्चात् प्ररूप 16–क में घोषणा और साथ में ''क'' चिन्हित प्ररूप 16–ख में छोटा लिफाफा जिसमें डाक मतपत्र सुरक्षित रखा गया है, को ''ख'' चिन्हित बड़े लिफाफे (प्ररूप 16–ग) में बंद कर दिया जायेगा। ''ख'' चिन्हित बड़े लिफाफे पर निर्दिष्ट स्थान पर मतदाता द्वारा अपने पूरे हस्ताक्षर किये जायेंगे।
8. ऊपर वर्णित रीति से ''ख'' चिन्हित बड़ा लिफाफा बन्द करने के पश्चात् इसे संबंधित निर्वाचन के रिर्टनिंग अधिकारी को या तो डाक द्वारा, या संदेशवाहक द्वारा या व्यक्तिशः इस प्रकार दे दिया जायेगा ताकि यह उक्त निर्वाचन में मतगणना प्रारम्भ होने के लिये नियत समय से पूर्व पहूँच जाये।
9. रिटर्निंग अधिकारी एक रजिस्टर संधारित करेगा जिसमें प्राप्त डाक मतपत्रों और उनके प्राप्त होने की दिनांक व समय का अंकन करेगा।

आज्ञा से,

(आर.के. पारीक)
उप सचिव,
राज्य निर्वाचन आयोग,
राजस्थान, जयपुर

(62)

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(द्वितीय तल, विकास खण्ड, सचिवालय, जयपुर–302005)
email- secraj@rajasthan.gov.in & secrajasthan@gmail.com, Ph./FAX 0141-2227280, 2227072

क्रमांकः प.1(2)(1)नपा–पंचा / सां.आ. / रानिआ / 14 / 4196 दिनांक : 24.09.2014

आदेश

सां. आ. 97 / 14 नगरपालिका के ऐसे निर्वाचनों, जहाँ मत, मतदान मशीनों द्वारा डाले जायेंगे और रिकार्ड किए जायेंगे, के संबंध में राजस्थान नगरपालिका (निर्वाचन) नियम, 1994 के नियम 46–क के उप नियम (7) के उपबन्धों में यह प्रावधान है कि, उक्त नियम 46–क के उप नियम (4) में निर्दिष्ट डाक मतपत्र के संबंध में, इस नियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुये, ऐसी प्रक्रिया अंगीकृत की जायेगी जो राज्य निर्वाचन आयोग विनिर्दिष्ट करे। इस क्रम में राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा उक्त नियम 46–क के उप नियम (7) के उपबन्धों के अनुसरण में आदेश संख्या 3156 दिनांक 09.11.1999 (सां. आ. 34 / 99) जारी किया हुआ है।

स्वायत्त शासन विभाग, राज., जयपुर की अधिसूचना संख्या एफ 8(जी.ए)( )Rules / DLB / 14 दिनांक 11 जुलाई, 2014 के द्वारा मतपत्र में मतदाताओं को **''नोटा'' (उपरोक्त में से कोई नहीं)** का विकल्प उपलब्ध कराने के कारण राजस्थान नगरपालिका (निर्वाचन) नियम, 1994 के नियम 34 में संशोधन किया गया है। अतः डाक मतपत्र में ''नोटा'' (उपरोक्त में से कोई नहीं) का विकल्प उपलब्ध होने से आयोग के उक्त आदेश क्रमांक 3156 दि. 09.11.99 (सां. आ. सं. 34 / 99) में निम्नलिखित आंशिक संशोधन किया जाता है :–

1. आदेश के बिन्दु संख्या–1 ''नियम 46 के उप नियम (4) में वर्णित मतदाता डाक मतपत्र पर जिस अभ्यर्थी को अपना मत देना चाहता है, वह अभ्यर्थी के नाम के सामने बालपैन या स्याही से स्पष्ट रूप से ''x'' या ''√'' का चिन्ह लगाकर अपना मत रिकार्ड करेगा। चिन्ह इस प्रकार लगाया जायेगा ताकि स्पष्टतः और किसी शंका के बिना यह उपदर्शित हो जाये कि, मत किस अभ्यर्थी के पक्ष में दिया गया है'' को ''नियम 46 के उप नियम (4) में वर्णित मतदाता डाक मतपत्र पर जिस अभ्यर्थी अथवा नोटा (उपरोक्त में से कोई नहीं) के विकल्प को अपना मत देना चाहता है, वह अभ्यर्थी के नाम अथवा नोटा (उपरोक्त में से कोई नहीं) के विकल्प के सामने बालपैन या स्याही से स्पष्ट रूप से ''x'' या ''√'' का चिन्ह लगाकर अपना मत रिकार्ड करेगा। चिन्ह इस प्रकार लगाया जायेगा ताकि स्पष्टतः और किसी शंका के बिना यह उपदर्शित हो जाये कि मत किस अभ्यर्थी के पक्ष में अथवा नोटा (उपरोक्त में से कोई नहीं) के विकल्प को दिया गया है'' से प्रतिस्थापित किया जाता है।

2. आदेश के बिन्दु संख्या–2 ''एक से अधिक अभ्यर्थी के पक्ष में मत रिकार्ड नहीं किया जायेगा'' को ''एक से अधिक अभ्यर्थी अथवा किसी अभ्यर्थी या नोटा (उपरोक्त में से कोई नहीं) के पक्ष में मत रिकार्ड नहीं किया जायेगा'' से प्रतिस्थापित किया जाता है।

–ह0–
(सत्यप्रकाश बसवाला)
मुख्य निर्वाचन अधिकारी एवं सचिव,
राज्य निर्वाचन आयोग,
राजस्थान, जयपुर।

(63)

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(द्वितीय तल, विकास खण्ड, सचिवालय, जयपुर–302005)

क्रमांकः एफ.3(56)स्टोर/रानिआ/ई.वी.एम./4572 दिनांकः 09.10.2014

प्रेषक,

मुख्य निर्वाचन अधिकारी एवं सचिव,
राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान, जयपुर।

प्रेषिति

जिला निर्वाचन अधिकारी,
अजमेर, अलवर, बीकानेर, भरतपुर, बारां,
बांसवाड़ा, बाड़मेर, चित्तौड़, चूरू, जयपुर,
जोधपुर, जैसलमेर, जालौर, झुन्झुनूं, हनुमानगढ़,
कोटा, नागौर, पाली, राजसमन्द, सीकर, श्रीगंगानगर,
सिरोही, टोंक, एवं उदयपुर।

विषय :–स्थानीय निकाय संस्थाओं के आम चुनाव नवम्बर 2014 हेतु।
सन्दर्भ :–राज्य निर्वाचन आयोग का पत्र क्रमांक 5124 दिनांक 04.11.2010 एवं क्रमांक 4422 दिनांक 30.09.2014

महोदय,

आपके जिले की स्थानीय निकाय संस्थाओं के आम चुनाव माह नवम्बर 2014 हेतु ई.वी. एम. की प्रथम स्तरीय जाँच (FLC) ई.वी.एम. की निर्माता कम्पनी भारत इलेक्ट्रोनिक्स लिमिटेड के इंजिनियर्स द्वारा दिनांक 27.10.2014 से 31.10.2014 के दौरान् की जायेगी।

प्रथम स्तरीय जाँच के संबंध में आयोग के सन्दर्भित पत्रों में दिये गये निर्देशो की पूर्ण रूप से पालना की जावे। सुलभ सन्दर्भ हेतु उक्त पत्रो की छाया प्रति संलग्न है।

–ह0–
(सत्यप्रकाश बसवाला)
सचिव
राज्य निर्वाचन आयोग
राजस्थान जयपुर।

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान, जयपुर

(द्वितीय तल, विकास खण्ड, सचिवालय, जयपुर)

क्रमांकः एफ.4(2)(1)नपा / रानिआ / 2003 / 5124 जयपुर, दिनांकः—4.11.2010

जिला नगरपालिका निर्वाचन अधिकारी,
(कलेक्टर), भरतपुर एवं भीलवाडा

विषयः— नगरपालिका चुनाव — इलेक्ट्रोनिक वोटिंग मशीनो के उपयोग के संबंध में।

संदर्भः— (1) राज्य निर्वाचन आयोग का पत्र क्रमांक 3359 दिनांक 25.09.09

(2) राज्य निर्वाचन आयोग का पत्र क्रमांक 4166 दिनांक 25.10.09

(3) राज्य निर्वाचन आयोग का पत्र क्रमांक 1795 दिनांक 17.07.10

(4) भारत निर्वाचन आयोग का पत्र क्रमांक 51 / 8 / 6 / 2010-EMS दिनांक 03.05.10

(5) भारत निर्वाचन आयोग का पत्र क्रमांक 51 / 8 / 16 / 2010-EMS दिनांक 04.08.10

(6) भारत निर्वाचन आयोग का पत्र क्रमांक 51 / 8 / 4 / 2010-EMS दिनांक 17.09.10

(7) भारत निर्वाचन आयोग का पत्र क्रमांक 51 / 8 / 7 / 2010-EMS दिनांक 23.09.10

महोदय,

राज्य में भरतपुर जिले की 08 नगर पालिकाओं के आमचुनाव माह दिसम्बर, 2010 में होने है तथा भीलवाडा नगरपरिषद् के सभापति का उपचुनाव भी होना है। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा उक्त चुनाव इलेक्ट्रोनिक वोटिंग मशीनो से कराये जायेगे। नगरपालिका चुनावों में इलेक्ट्रोनिक वोटिंग मशीनों के उपयोग संबंधी विभिन्न गतिविधियों व व्यवस्थाओं बाबत राज्य निर्वाचन आयोग ने प्रासंगिक पत्र दिनांक 25.09.09, 25.10.09 एवं दिनांक 19.7.10 के द्वारा निर्देश जारी किये थे जिसमें मशीनों की जांच, मतदान हेतु तैयारी, उनके रखरखाव आदि के संबंध में निर्देश भी शामिल थे। हालांकि उपलब्धता के अनुसार राज्य निर्वाचन आयोग की मशीनें भी स्थानीय निकाय के चुनावों में कहीं कहीं काम में ली गई है लेकिन स्थानीय निकाय चुनावों में अधिकांशतः भारत निर्वाचन आयोग से मशीने उधार लेकर उपयोग में लायी जाती रही है। अब भारत निर्वाचन आयोग ने अपने संदर्भित पत्र दिनांक 17.9.10 (**देखें परिशिष्ट—1**) के द्वारा उनकी मशीनों (ECI-EVMs) के उपयोग करने पर कुछ शर्ते लगाई है, जो निम्न प्रकार हैः—

(i) भारत निर्वाचन आयोग एवं राज्य निर्वाचन आयोग की मशीनें किसी भी स्तर पर मिलनी (MIX) नहीं होनी चाहिए एवं भारत निर्वाचन आयोग की वोटिंग मशीनें किसी Constituency चुनाव हेतु पृथक् से अकेले ही उपयोग में ली जानी चाहिए।

(ii) ईलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों की प्रथम स्तरीय जांच (First Level Checking) केवल भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लि0. बैंगलोर अथवा इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन ऑफ इण्डिया लि0, हैदराबाद के इंजिनियरों से ही करायी जावे। प्रथम स्तरीय जांच के लिए भारत निर्वाचन आयोग के प्रासंगिक पत्रांक 51 / 8 / 4 / 2010 / ई0एम0एस0 दिनांक 4.8.10 में दिये गये दिशा—निर्देशों की पालना सुनिश्चित की जावे। (**देखें परिशिष्ट—2**)

(iii) ई0वी0एम0 के भण्डारण एवं सुरक्षा हेतु भारत निर्वाचन आयोग के प्रासंगिक पत्रांक 51 / 8 / 6 / 2010 / ई0एम0एस0 दिनांक 3.5.10 में दिये गये दिशा—निर्देशों की पालना सुनिश्चित की जावे। (**देखें परिशिष्ट—3**)

(iv) इसके अतिरिक्त भारत निर्वाचन आयोग द्वारा समय—समय पर दिये गये दिशा—निर्देशों की पालना भी सुनिश्चित की जावे।

नगरपालिका चुनाव में वोटिंग मशीनों के उपयोग पर पारदर्शिता एवं विश्वसनीयता कायम रखने की दृष्टि से उक्त शर्ते राज्य निर्वाचन आयोग को भी मान्य है। राज्य निर्वाचन आयोग ने यह भी निर्णय लिया

है कि SEC-EVMs और ECI-EVMs की जांच की प्रक्रिया, उनके रख–रखाव एवं उन्हे मतदान हेतु तैयार करने की प्रक्रिया में एक रूपता भी रहे और कोई भ्रम की स्थिति नहीं बने। अतः राज्य निर्वाचन आयोग प्रासंगिक पत्र दिनांक 25.9.09 एवं दिनांक 19.7.10 से जारी अपने पूर्व निर्देशों के अतिक्रमण में मशीनों के विषय में की जाने वाली विभिन्न व्यवस्थाओं में निम्नांकित कार्यवाही करने के निर्देश जारी करता हैः–

1. मशीनों की उपलब्धता :– (i) उक्त चुनाव कराने के लिए भारत निर्वाचन आयोग ने वोटिंग मशीनें उपलब्ध कराये जाने की स्वीकृति अपने पत्रांक सं. 51/8/4/2010/EMS/दिनांक 19.10.2010 के द्वारा प्रदान कर दी है। इनके अतिरिक्त राज्य निर्वाचन आयोग के पास अपनी मशीनें भी है। राज्य निर्वाचन आयोग ने निर्णय किया है कि नगरपरिषद् भीलवाडा के सभापति के उपचुनाव में राज्य निर्वाचन आयोग की मशीनें उपयोग में ली जावे और भरतपुर जिले में 08 नगर पालिकाओं के आम चुनावों में भारत निर्वाचन आयोग की मशीनें उपयोग में ली जावे। अतः तदनुसार ही आप व्यवस्था करावें।

(ii) भरतपुर जिले में 600 कन्ट्रोल यूनिटों एवं 800 बैलेट यूनिटों की आवश्यकता रहेगी जिन्हे राज्य निर्वाचन आयोग के पत्रांक 5032 दिनांक 28.10.2010 के क्रम में निर्वाचन विभाग ने अपने पत्रांक 3287 दिनांक 2.11. 2010 के द्वारा जिला निर्वाचन अधिकारी भरतपुर को आवंटित भी कर दिया है।

(iii) भीलवाडा नगरपरिषद् उपचुनाव में राज्य निर्वाचन आयोग की मशीनें उपयोग में लेनी है जिसके लिए सिरोही जिले से 250 कन्ट्रोल यूनिट व 250 बैलेट यूनिट भीलवाडा को आयोग के पत्रांक 4708–10 दिनांक 11.10.2010 द्वारा आवंटित की जा चुकी है। इसके अलावा अलवर जिले से भी राज्य निर्वाचन आयोग की 177 कन्ट्रोल यूनिट व 177 बैलेट यूनिट भीलवाडा जिले को पत्रांक 5038 दिनांक 29.10.10 के द्वारा आवंटित की जा चुकी है। ये मशीनें भी दिनांक 10.11.2010 तक प्राप्त कर ली जायें ताकि BEL के इंजीनियरों से प्रथम स्तरीय जांच का कार्यक्रम निर्धारित किया जा सके।

2. मशीनों की आवश्यकता का आकलन :– भरतपुर जिले की नगरपालिकाओं के आम चुनाव में मतदान के उपयोग हेतु प्रति मतदान केन्द्र वोटिंग मशीन के दो सैट होंगे। अध्यक्षीय पद के चुनाव हेतु मशीन का पृथक सैट होगा और सदस्य चुनाव के लिए पृथक सैट होगा और सदस्य चुनाव के लिए पृथक सैट होगा। वोटिंग मशीन के एक सैट का तात्पर्य है एक नियंत्रण यूनिट एवं एक बैलेट यूनिट। इसके अतिरिक्त अध्यक्षीय पद चुनाव के लिए न्यूनतम 10% मशीनें आरक्षित रहे और वार्ड सदस्यों के चुनाव के लिए न्यूनतम 20% मशीनें आरक्षित रहे। इसके अलावा मतदान केन्द्रों की संख्या की 10 प्रतिशत मात्रा में मशीने प्रशिक्षण के उपयोग हेतु भी रखी जावे। जिस वार्ड या अध्यक्षीय पद के चुनाव में अभ्यर्थियों की संख्या 16 से अधिक हो जाती है तो तदनुसार बैलेट यूनिटों की संख्या बढानी होगी।

3. वोटिंग मशीनों का सुरक्षित भण्डारण :– (i) जैसा कि भारत निर्वाचन आयोग के प्रासंगिक पत्र दिनांक 03.05.10 में वोटिंग मशीनों के भण्डारण के संबंध में निर्देश दिये गये है उनकी पालना की जानी है। ECI-EVMs का भण्डारण एवं SEC-EVMs का भण्डारण एक साथ ना हो बल्कि अलग–अलग भण्डारण हो, यह सुनिश्चित करें। फिर भी वोटिंग मशीनों के भण्डारण आदि की जो प्रक्रिया प्रासंगिक पत्र दिनांक 03. 05.2010 (**परिशिष्ट–3**) में बताई गई है उसकी पालना ECI-EVMs और SEC-EVMs के लिए यानि दोनों प्रकार की वोटिंग मशीनों के लिए की जावे।

(ii) वोटिंग मशीनों के भण्डारण के लिए निम्नांकित निर्देशों की पालना की जावे :–

(a) जहां तक संभव हो वोटिंग मशीनें कोषालय में रखी जाये। जहां वोटिंग मशीनें रखी जाये उनका भण्डारण पृथक रखें और वहां पर वोटिंग मशीनों के अलावा अन्य कोई सामान नहीं हो।

(b) आम तौर पर इन वोटिंग मशीनों को जिला मुख्यालय पर ही रखा जावे और किन्ही परिस्थितियों में यदि जिला मुख्यालय पर इनका भण्डारण संभव नहीं हो पाता है तो वोटिंग मशीनों का भण्डारण तहसील मुख्यालय से नीचे किसी मुख्यालय पर नहीं होना चाहिये।

(c) इलेक्ट्रोनिक वोटिंग मशीनों के भण्डारण कक्ष/हॉल में एक से अधिक प्रवेश बिन्दु नहीं हो। यदि एक से अधिक दरवाज या खिडकियां है तो उन्हे कंक्रीट/पक्की चुनाई से बन्द कर सील कर दिया जावे।

(d) इलेक्ट्रोनिक वोटिंग मशीनों के भण्डारण कक्ष/हॉल के प्रवेश द्वार को डबल लॉक प्रणाली से सुरक्षित किया जावे, जिसमें जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा नामित दो पृथक अधिकारियों के द्वारा चाबियॉ संधारित की जावे। इन दोनों अधिकारियों में से एक अधिकारी उपखण्ड मजिस्ट्रेट स्तर से कम नहीं होगा।

(e) जिस कक्ष/हॉल में इलेक्ट्रोनिक वोटिंग मशीनों का भण्डारण किया जावे वह बाढ/पानी के रिसाव/दरार/लीकेज/टूटी खिडकियां आदि से पूर्ण रूप से मुक्त हो। भण्डारण कक्ष में किसी प्रकार की Dampness/Pests/Rodentes आदि नहीं होने चाहिये। अग्नि शमन के समुचित प्रबंध उपलब्ध रहने चाहिये। मशीनें पूर्ण रूप से सुरक्षित तरीके से रखी जावे।

(f) भण्डारण कक्ष पर पुलिस/सुरक्षा गार्ड को नियुक्त करते हुए पर्याप्त सुरक्षा इंतजाम भी रखा जावे।

(g) वोटिंग मशीनों के मास्टर स्टॉक रजिस्टर उसी प्रारूप में उसी प्रकार से संधारित किये जायेंगे जैसा कि भारत निर्वाचन आयोग के प्रासंगिक पत्र दिनांक 03.05.10 (परिशिष्ट–3) में निर्दिष्ट किया हुआ है।

4. इलेक्ट्रोनिक वोटिंग मशीनों का मास्टर स्टॉक रजिस्टर, ई0वी0एम0 के भण्डारण कक्ष की सुरक्षित अभिरक्षा, भण्डारण कक्ष में लॉग बुक का संधारण, भण्डारण कक्ष को खोलने–बन्द करने आदि की प्रक्रियाः– (i) ECI-EVMs भण्डारण पृथक रखा जावे और SEC-EVMs का भण्डारण पृथक रखा जावे। भारत निर्वाचन आयोग ने अपनी मशीनों के भण्डारण के तरीके, उनके भण्डारण कक्ष (Warehouse) को खोलने/बन्द करने की प्रक्रिया, मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों को इसकी सूचना देने और उनकी उपस्थिति रजिस्टर में दर्ज करने, लॉग बुक संधारित करने, भण्डारण कक्ष से मशीनों को लाने–लेजाने, भौतिक सत्यापन करने आदि के संबंध में प्रासंगिक पत्र दिनांक 03.05.2010 के द्वारा विस्तृत निर्देश जारी किये है उनकी पालना पूर्ण रूपेण करना सुनिश्चित किया जावे।

(ii) यद्यपि SEC-EVMs का भण्डारण पृथक से किया जायेगा फिर भी राज्य निर्वाचन आयोग ने यह निर्णय किया है कि SEC-EVMs के मामले में भी सुरक्षित भण्डारण, मास्टर स्टॉक रजिस्टर के संधारण, भण्डारण कक्ष को खोलने–बन्द करने, राजनैतिक दलों को सूचित करने और उनकी उपस्थिति रजिस्टर में दर्ज करने, लॉग बुक संधारित करने, भण्डारण कक्ष में से मशीनों को लाने–लेजाने, उनके भौतिक सत्यापन करने के लिए वही प्रक्रिया पूर्णरूपेण अपनाई जावे जैसा कि भारत निर्वाचन आयोग के प्रासंगिक पत्र दिनांक 03.05.2010 (**परिशिष्ट–3**) में वर्णित है और इस संबंध में संबंधित रजिस्टर/प्रपत्र भी यथानुरूप परिवर्तन के साथ संधारित/तैयार किये जावे तथा भौतिक सत्यापन रिपोर्ट भी त्रैमासिक रूप से तैयार कर राज्य निर्वाचन आयोग को प्रेषित की जावे।

5. नगरपालिका चुनाव में उपयोग में आने वाली मशीनों की गतिविधियों बाबत् रजिस्टर का संधारणः– (i) यह रजिस्टर ECI-EVMs के लिए व SEC-EVMs के लिए पृथक–पृथक तैयार किया जावे। इस रजिस्टर में प्रत्येक कन्ट्रोल यूनिट और बैलेट यूनिट का इन्द्राज किया जायेगा जिसमें उस कन्ट्रोल यूनिट और बैलेट यूनिट की चुनाव से संबंधित संभी गतिविधियों का तिथिवार अंकन किया जायेगा अर्थात नगरपालिका चुनाव के लिए मशीन प्राप्त होने से लेकर चुनाव बाद निर्वाचन याचिका के निस्तारण/मियाद समाप्त होने के पश्चात् मशीन को क्लीयर कर भण्डारण कक्ष में वापस जमा होने तक प्रत्येक गतिविधि का अंकन किया जायेगा। प्रत्येक मशीन के इन्द्राज के लिए मशीन का यूनीक नम्बर (Unique Machine Number), (यानि वह नंबर जो निर्माता फर्म के द्वारा मशीन पर अंकित किया गया है) दर्ज किया जावे। उसी रजिस्टर में बाद की कार्यवाहियों के इन्द्राज यथा प्रथम स्तरीय जांच तिथि, आवंटन का प्रकार यानि प्रशिक्षण हेतु आवंटन अथवा मतदान के उपयोग हेतु आवंटन, किस अधिकारी को एवं किस नगरपालिका के लिए आवंटन किया गया, मशीन खराब है अथवा चालू स्थिति में है, मतदान की तिथि, मतदान में उपयोग में आई है तो किस निर्वाचन में अथवा आरक्षित रही है; निर्वाचन के बाद क्लीयर करने की तिथि, यदि निर्वाचन याचिका से प्रभावित है तो विवरण आदि का अंकन इस रजिस्टर में किया जाये।

(ii) यह भी स्पष्ट किया जाता है कि उक्त रजिस्टर नगरपालिका चुनाव में उपयोग की जाने वाली मशीनों के विषय में है जो पूर्व के पैराओं में बताए गए EVMS के मास्टर स्टॉक रजिस्टर के अलावा है।

6. मशीनों की प्रथम स्तरीय जांच (First Level Checking) :– (i) जैसा कि उपर बताया जा चुका हैं ECI-EVM's के उपयोग के लिए भारत निर्वाचन आयोग की यह शर्त भी हैं कि मशीनों की प्रथम स्तरीय जांच (FLC) केवल मशीनों की निर्माता कम्पनी (BEL) के इंजीनियरों से और निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार ही करवाई जानी है। राज्य निर्वाचन आयोग के निर्णयानुसार SEC-EVMs के लिए भी यही प्रक्रिया अपनायी जानी हैं। अतः इस संबंध में सभी प्रकार की वोटिंग मशीनों चाहे वे ECI-EVM हो या SEC-EVM हो उनको चुनाव या उपचुनाव में उपयोग में लाने से पूर्व प्रथम स्तरीय जांच (FLC) निर्माता फर्म BEL के इंजीनियरों से ही भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया अपनाते हुए की जानी आवश्यक है। इस संबंध में विस्तृत प्रक्रिया एवं निर्धारित रजिस्टर एवं प्रपत्र भारत निर्वाचन आयोग के प्रासंगिक पत्र दिनांक 04.08.2010 (**परिशिष्ट–2**) में वर्णित है जिनकी पूर्णतः पालना की जानी है।

(ii) मतदान कर्मियों के प्रशिक्षण के लिए और मतदान के लिए केवल उन्हीं मशीनों को उपयोग में लिया जायेगा जिनकी प्रथम स्तरीय जांच (F.L.C.) यथा निर्दिष्ट प्रक्रिया से हो चुकी है। अतः मतदान कार्मिकों के प्रशिक्षण के पूर्व ही F.L.C. होना आवश्यक हैं।

(iii) मशीनों की F.L.C. जिला मुख्यालय पर ही कराई जावें। आगामी चुनाव/उपचुनाव के लिए F.L.C. करने की संभावित तिथियां **दिनांक 20 से 30 नवम्बर** के मध्य रहेंगी। F.L.C. के लिए BEL के इंजिनियर ही आयेगें जिसकी व्यवस्था के लिए फर्म को अग्रिम सूचना दी जा चुकी हैं। लगभग 50–60 मशीनें (बैलेट युनिट एवं कंट्रोल युनिट) की F.L.C. प्रतिदिन एक इंजिनियर द्वारा की जा सकती हैं। अतः कार्यक्रम निश्चित करते समय यह भी ध्यान रखें। जैसा कि प्रासंगिक पत्र दिनांक 04.08.2010 (**परिशिष्ट–2**) में वर्णित हैं F.L.C. के दौरान उपस्थित रहने के लिए राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त सभी राजनैतिक दलों के अधिकृत प्रतिनिधियों को भी बुलाया जायेगा। अतः BEL के इंजिनियर्स का कार्यक्रम निश्चित होने पर F.L.C. के कार्यक्रम व स्थान की सूचना आपके द्वारा मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों को लिखित में दी जानी हैं। यह सूचना F.L.C. प्रारम्भ होने के कम से कम 7 दिन पूर्व देनी चाहिए। BEL के इंजिनियर्स की संख्या जो आपके जिले में आयेगें एवं उनके आगमन का कार्यक्रम शीघ्र ही आपको अवगत कराया जायेगा। तब तक आप अन्य व्यवस्थाऐं पूर्ण करा लें।

(iv) F.L.C. के दौरान सभी राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के जिलाध्यक्षों द्वारा अधिकृत किए हुए प्रतिनिधि उपस्थित रह सकेगें और इन्हें ही आने की अनुमति दी जा सकेगी। इन अधिकृत प्रतिनिधियों के हस्ताक्षर एक पृथक रजिस्टर में लिए जायेगें। रजिस्टर की पेशानी प्रासंगिक पत्र दिनांक 04.08.2010 (परिशिष्ट–2) में बतायी हुई हैं।

(v) मशीनों की F.L.C. जिला मुख्यालय पर एक बडे हॉल में की जायेगी। हॉल का आकार इतना बडा हो कि जिन मशीनों की F.L.C. होनी हैं उन्हें उस हॉल में चैकिंग से पूर्व, चैकिंग के दौरान और चैकिंग के बाद आसानी से रखा जा सके, साथ ही F.L.C. के समय BEL के इंजिनियर्स, जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा मनोनीत अधिकारीगण तथा राजनैतिक दलों के प्रतिनिधिगण भी हॉल में उपस्थित रह सकें। उक्त हॉल/कक्ष जिस परिसर में हो उस परिसर में अन्य कक्ष/हॉल भी उपलब्ध हो ताकि मतदान के लिए भी मशीनों की तैयारी वहां हो सके। अतः ऐसे हॉल का चयन आप दिनांक 12.11.2010 तक कर लेवें।

(vi) F.L.C. के लिए हॉल का उपयोग करने से पूर्व उस हॉल को पूर्ण रूप से साफ सुथरा और Sanitised कर यह सुनिश्चित कर लिया जाए कि वह हॉल अन्य किसी प्रकार के इलेक्ट्रोनिक उपकरण या इलेक्ट्रोनिक उपकरण के किसी कम्पोंनेंट से पूर्णतया मुक्त हैं। हॉल के प्रत्येक प्रवेश बिन्दु पर पुलिस बल तैनात कर उसकी सुरक्षा व्यवस्था भी की जावें। प्रवेश द्वार पर **डोर फ्रेम मैटल डिटेक्टर** लगाया जावें। हॉल में प्रवेश करने वाले प्रत्येक व्यक्ति की Frisking प्रत्येक प्रवेश बिन्दु पर की जावे। केवल उसी व्यक्ति को हॉल में प्रवेश दिया जाए जो जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा जारी अनुमति प्रवेश प्रत्र प्रस्तुत करें या जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा अधिकृत अधिकारी का पहचान पत्र प्रस्तुत करे।

(vii) F.L.C. के समय उक्त हॉल में किसी भी व्यक्ति को किसी इलेक्ट्रोनिक उपकरण जैसे कि सैलफोन, कैमरा, स्पाईपेन इत्यादि को ले जाने की अनुमति नहीं होगी और इसी प्रकार किसी भी व्यक्ति को F.L.C. हॉल के बाहर कोई वस्तु ले जाने की अनुमति नहीं होगी।

(viii) जैसा कि पूर्व में बताया जा चुका हैं F.L.C. केवल BEL के अधिकृत इंजिनियरो द्वारा सम्पादित की जायेगी। इंजिनियर्स की दक्षता, उनकी योग्यता और Integrity के लिए निर्माता फर्म BEL पूर्णरूप से जिम्मेदार रहेगी। BEL के द्वारा F.L.C. के लिए नियुक्त किए जाने वाल इंजिनियरो की सूची उनके पहचान पत्र इत्यादि के विवरण के साथ BEL के द्वारा लिखित में आपको भी यथासमय प्रेषित की जायेगी। BEL के जो इंजिनियर्स आयेगें वे निर्माता फर्म BEL के द्वारा अधिकृत होगें और अपने साथ पहचान पत्र भी रखेगें। F.L.C. हॉल में केवल BEL के उन्हीं इंजिनियर्स/तकनीकी स्टॉफ को प्रवेश दिया जायेगा जो कि BEL के द्वारा अधिकृत हैं। हॉल में प्रवेश के समय वे अपने फोटो पहचान दस्तावेज के आधार पर अपनी समुचित पहचान स्थापित कर सकेगें। अन्य किसी इंजिनियर या तकनीकी स्टॉफ को हॉल में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी।

(ix) F.L.C. के दौरान क्या–क्या कार्य किए जाने हैं इसका विस्त्त ब्यौरा भारत निर्वाचन आयोग के प्रासंगिक पत्र दिनांक 04.08.2010 (परिशिष्ट–2) में वर्णित हैं जिसकी अक्षरशः पालना करनी है।

(x) F.L.C. के दौरान कंट्रोल यूनिटों/बैलेट यूनिटों पर से एड्रेस टैग, मतपत्र हटाना, उन पर लिखावट आदि साफ करना, डेटा क्लीयर करना, कन्ट्रोल यूनिट/बैलेट यूनिट के कैरिंग बक्सों, कनेक्टिंग केबल आदि को देखना कि कहीं से क्रेक तो नहीं है आदि कार्यों के साथ यह भी देखा जायेगा कि मशीनें पूर्णतः चालू है। सभी स्विचों को चेक किया जायेगा। BEL इंजीनियर चैक कर यह प्रमाणित करेंगे कि ई.वी. एम. के सभी कम्पोनेन्ट मौलिक (Original) है यह प्रमाण पत्र उक्त पत्र दिनांक 04.08.2010 के अनुसार निर्धारित प्रपत्र में होगा। यदि कोई मशीन खराब है तो उसे अलग रखा जायेगा। फील्ड में मशीन की मरम्मत नहीं होगी। फील्ड में मशीन के प्लास्टिक केबिनेट को खोलने की अनुमति बिल्कुल नहीं होगी। मशीनों का कोई Component फील्ड में नहीं बदला जाये, यह पूर्णतः निषिद्ध रहेगा। BEL के इंजीनियर कौन से उपकरण रखेंगे इसकी एक निर्धारित सूची है इसके अतिरिक्त अन्य कोई उपकरण हॉल में नहीं ले जाया जा सकेगा।

(xi) F.L.C. के दौरान प्रत्येक मशीन पर सभी 16 अभ्यर्थियों के लिए दिखावटी मतदान कर उनका डेटा क्लीयर किया जायेगा और 10 प्रतिशत मशीनों में दिखावटी मतदान में कम से कम 1000 वोट दिये जायेंगे। मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों के समक्ष दिखावटी मतदान (Mockpoll) किया जायेगा और उन्हें भी इसके लिए अवसर देवें। दिखावटी मतदान किए जाने के संबंध में राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों के हस्ताक्षर उक्त पत्र दिनांक 04.08.2010 में निर्धारित पेशानी के रजिस्टर में प्राप्त किए जावें।

(xii) दिखावटी मतदान (Mockpoll) के पश्चात् परिणामों का Print Out भी BEL के इंजिनियरों द्वारा लिए जाएगें जिसमें प्रत्येक वोट का क्रमानुसार प्रिंट होगा। कम से कम 10% मशीनों का Print Out लेकर राजनैतिक दलों के उपस्थित प्रतिनिधियों को दिखाया जायेगा, जिसमें इस तथ्य की पुष्टि की जायेगी कि वोट का प्रिंट उसी अभ्यर्थी के पक्ष में हैं जिसे कि वोट वस्तुतः दिया गया हैं। Print Out दिखाए जाने की प्रक्रिया पूर्ण कर पत्र दिनांक 04.08.2010 द्वारा निर्धारित पेशानी में पृथक रजिस्टर में राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों के हस्ताक्षर प्राप्त किए जावें।

(xiii) F.L.C. के दौरान किए जाने वाले कार्यो बाबत् प्रासंगिक पत्र दिनांक 04.08.2010 के पैरा–5 का अवलोकन करें और तद्नुसार सम्पूर्ण कार्यवाही की जाये।

(xiv) यह सुनिश्चित करने के लिए कि F.L.C. के बाद इलेक्ट्रोनिक वोटिंग मशीन की कंट्रोल युनिट को खोला नहीं गया हैं कंट्रोल युनिट को नासिक सिक्यूरिटी प्रेस द्वारा मुद्रित स्पेशल "Pink Paper Seal" से कंट्रोल कंट्रोल युनिट को सील किया जायेगा और यह सीलिंग की कार्यवाही राजनैतिक दलों के F.L.C. के समय उपस्थित प्रतिनिधियों के समक्ष की जायेगी। उक्त "Pink Paper Seal" कंट्रोल यूनिट के कंडिडेट सैट सैक्सन तथा रिजल्ट सैक्शन के मध्य वाले हिस्से में लगाई जाएगी। उक्त "Pink Paper Seal" लगाने के बाद BEL के इंजिनियर्स द्वारा सील के उपर अपने हस्ताक्षर किए जाएगें। राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों को भी उक्त सील पर अपने हस्ताक्षर करने हेतु कहा जायेगा और वे अपने हस्ताक्षर करने के साथ हस्ताक्षरों के नीचे संक्षिप्त में अपने दल का नाम भी सील पर अंकित करेंगें।

(xv) कंट्रोल युनिट पर F.L.C. के समय लगायी जाने वाली "Pink Paper Seal" का क्रमांक नोट करने के लिए राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों को अनुमति दी जायेगी। इसके अतिरिक्त एक रजिस्टर जिसकी

पेशानी उक्त पत्र दिनांक 04.08.2010 में बताई गई हैं, भी संधारित किया जायेगा जिसमें प्रत्येक कंट्रोल युनिट का यूनिक आई. डी. नम्बर दर्शाते हुए यह स्पष्ट अंकन किया जायेगा कि उस कंट्रोल युनिट पर कौनसे क्रमांक की "Pink Paper Seal" लगाई गई है। इस रजिस्टर में भी राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों के हस्ताक्षर लिए जाएगें। इस रजिस्टर की फोटो प्रतियां निशुल्क प्रत्येक मान्यता प्राप्त राजनैतिक दल के प्रतिनिधीं को F.L.C. समाप्त होते ही दी जाएगी। इसके अतिरिक्त अभ्यर्थिता वापस लेने की अंतिम तिथि के पश्चात् चुनाव लडने वाले अभ्यर्थियों को भी उक्त रजिस्टर की फोटोप्रति निशुल्क दी जायेगी और इनकी रसीद भी रजिस्टर पर प्राप्त की जायेगी। कंडिडेट सैंटिंग के समय और मतगणना के समय भी रजिस्टर की फोटोप्रतियां अभ्यर्थियों को एवं उनके प्रतिनिधियों को दिखाई जायेगी एंव उसकी फोटोप्रतियां उपलब्ध कराई जायेगी जिसकी प्राप्ति रसीद रजिस्टर में प्राप्त की जायेगी।

(xvi) उपरोक्त वर्णित विशेष "Pink Paper Seal" जो कि नासिक सिक्यूरिटी प्रैस से मुद्रित हैं उसकी आपूर्ति राज्य निर्वाचन आयोग ने नासिक सिक्यूरिटी प्रैस से प्राप्त कर ली हैं जो उक्त F.L.C. करने से पूर्व आप विशेष वाहक भेजकर राज्य निर्वाचन आयोग से प्राप्त कर लेवें।

(xvii) F.L.C. के बाद प्रत्येक चैक की हुई नियंत्रण यूनिट एवं बैलेट यूनिट के पीछे एक **पीले रंग** का आयताकार स्टीकर भी चिपकाया जायेगा जिसमें नगरपालिका चुनाव, 2010, जिले का नाम, चैकिंग की तिथि एवं मशीन के यूनीक नंबर दर्ज किये जावे और चैक करने वाले अधिकारी एवं इंजिनियर द्वारा उक्त चैकिंग के तुरन्त बाद स्टिकर में यथा स्थान पर अपने हस्ताक्षर मय तिथि किये जायेगें।

(xviii) उक्त पीले रंग के आयताकार स्टीकर राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा आवंटित कर दिये गये है। यदि आपके पास उपलब्ध ना हो तो कृपया इन्हे **विशेष वाहक भेजकर** राज्य निर्वाचन आयोग के कार्यालय से प्राप्त कर लेवें। स्टिकर का नमूना निम्न प्रकार हैः–

Name of Election-
Name of District-
Ballot Unit No.-
First Level Check. Date-
Date & Sign. of Cheking Official
Name of Municipality
Date & Sign. of DEO's representative-
Deployment Status - Ward No.
Polling Station No.-
Date & Sign. of RO/ARO

(पीले रंग में)

Name of Election-
Name of District-
Control Unit No.-
First Level Check. Date-
Date & Sign. of Cheking Official
Name of Municipality
Date & Sign. of DEO's representative-
Deployment Status - Ward No.
Polling Station No.-
Date & Sign. of RO/ARO

(पीले रंग में)

(xix) F.L.C. के बाद मशीनों का सुरक्षित भण्डारण उपर बताए गए पैराओं के अनुसार रखा जाना हैं और इनके भण्डारण कक्ष की सुरक्षा, डबल लॉक प्रणाली उसे खोलने/बंद करने के लिए प्रक्रिया वही रहेगी जो उपरोक्त पैरा 4 में वर्णित हैं।

7. प्रथम स्तरीय जांच का पर्यवेक्षण :– उपरोक्त प्रक्रिया के अनुसार की जाने वाली प्रथम स्तरीय जांच के दौरान उपस्थित रहने के लिए और F.L.C. को अधीक्षण के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी के द्वारा एक

अधिकारी को नाम निर्दिष्ट किया जाएगा, यह अधिकारी अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट के स्तर से कम नहीं होगा। F.L.C. की पूर्ण प्रक्रिया की विडियोग्राफी की जायेगी। उक्त वीडियो की सीडी जिला निर्वाचन अधिकारी की अभिरक्षा में रहेगी। इसके अतिरिक्त F.L.C. हॉल में सीसीटीवी कैमरा भी इस प्रकार लगाए जाएगें कि जिला निर्वाचन अधिकारी अपने कार्यालय में सीसीटीवी कैमरा के माध्यम से F.L.C. की प्रक्रिया देख सके।

8. प्रशिक्षण हेतु वोटिंग मशीनों की छंटनी :– (i) F.L.C. की हुई नियंत्रण यूनिटों एवं बैलेट यूनिटों में से सर्वप्रथम जिले में सभी नगरपालिकाओं के चुनाव में कर्मचारियों को प्रशिक्षण हेतु आवश्यक मात्रा में नियंत्रण यूनिट एवं बैलेट यूनिट की छंटनी कर उन्हे पृथक कर लिया जावे। जितने मतदान केन्द्र है, उनकी संख्या की 10 प्रतिशत मात्रा में मशीने प्रशिक्षण हेतु पर्याप्त है।

(ii) प्रशिक्षण हेतु छंटनी कर अलग की गई इन मशीनों का उपयोग मतदान में नहीं किया जावे। यह सुनिश्चित करने के लिए प्रशिक्षण के लिए अलग की हुई मशीनों के ऊपर एक गुलाबी रंग का गोल स्टीकर चिपकाया जावे। यह स्टीकर भी आप राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा आपको आवंटित किये गये हैं। यदि उपलब्ध ना हो तो विशेष वाहक भेजकर शीघ्र ही प्राप्त कर लें। स्टीकर का नमूना निम्न प्रकार है :–

(गुलाबी रंग में)

(गुलाबी रंग में)

(iii) प्रशिक्षण के लिए छंटनी कर पृथक की गई मशीनों के अग्र भाग पर गुलाबी रंग का स्टीकर लगाया जाना है उस पर मशीन का यूनीक नंबर अंकित किया जायेगा और प्रमाणन स्वरूप जिला निर्वाचन अधिकारी के मनोनीत अधिकारी द्वारा स्टीकर पर तिथि सहित हस्ताक्षरित किया जायेगा।

(iv) प्रशिक्षण हेतु पृथक की गई मशीनों की एक सूची मशीनों के यूनीक नंबर सहित तैयार कर जिला निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय एवं रिटर्निंग अधिकारियों के कार्यालयों पर प्रदर्शित भी की जायेगी, तथा राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों को वहीं मौके पर भी उपलब्ध करा दी जायेगी।

(v) उक्त प्रकार से प्रशिक्षण हेतु पृथक की गई मशीने प्रशिक्षण देने वाले अधिकारियों को उसी दिन सुपुर्द कर उनसे हस्ताक्षर प्राप्त कर लिए जावें।

(vi) **प्रशिक्षण हेतु मशीनों की छंटनी का कार्य भी F.L.C. के दौरान ही मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों के समक्ष उसी समय संपन्न कर लिया जाये। यदि प्रशिक्षण सत्र शीघ्र ही प्रारम्भ किये जाने है तो सम्पूर्ण मशीनों की F.L.C. होने का इंतजार नहीं करें और F.L.C. के प्रथम दिन ही प्रशिक्षण की मशीनों की छंटनी की जा सकती है।**

9. मतदान के उपयोग हेतु मशीनों का नगरपालिका वार आवंटन :– (i) F.L.C. पूरी होने के बाद और प्रशिक्षण हेतु मशीनों का आवंटन करने के बाद शेष बची हुई मशीनों के डेटाबेस से रेण्डम आधार पर जिले

में नगरपालिका वार मतदान हेतु मशीने आवंटित की जायेगी। यह आवंटन की कार्यवाही F.L.C. के अन्तिम दिन F.L.C. के दौरान ही मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों के समक्ष पूर्ण कर ली जावे। अतः F.L.C. के लिए जिले के मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों को सूचना भेजे जाते समय इस आशय का उल्लेख भी कर दिया जावे।

(ii) नाम निर्देशन पत्रों की अंतिम तिथि तक F.L.C. आवश्यक रूप से कर ली जावे और इसी दिन तक नगरपालिका वार मशीनों के आवंटन का कार्य भी संपन्न कर लिया जावे।

(iii) प्रत्येक नगरपालिका के लिए अध्यक्षीय पद व सदस्य चुनाव दोनों के लिए एक साथ आवंटित नियंत्रण यूनिटों एवं बैलेट यूनिटों की एक सूची यूनीक नंबर दर्शाते हुए तैयार की जायेगी जो जिला निर्वाचन अधिकारी के मनोनीत अधिकारी एवं रिटर्निंग अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित की जायेगी। इस सूची को जिला निर्वाचन अधिकारी एवं रिटर्निंग अधिकारी के कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित किया जायेगा, साथ ही मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों को इसकी एक प्रति सुपुर्द कर उनके हस्ताक्षर भी प्राप्त किये जायेंगें।

(iv) नगरपालिका हेतु मशीनों के आवंटन के बाद नियंत्रण यूनिट व बैलेट यूनिट के पीछे के भाग पर लगे पीले स्टिकर पर नगरपालिका का नाम अंकित कर जिला निर्वाचन अधिकारी के प्रतिनिधि द्वारा तिथि सहित हस्ताक्षर किये जाये।

(v) चूंकि मतदान हेतु मशीनों की तैयारी का कार्य भी BEL के इंजीनियरों के द्वारा कराया जायेगा और यह कार्य भी जिला मुख्यालय पर कराया जायेगा, अतः F.L.C. होने के बाद और मशीनों को मतदान दलों को सौंपे जाने तक मशीनें जिला मुख्यालय पर ही रखी जाये। रिटर्निंग अधिकारी द्वारा जिला मुख्यालय पर ही मशीनें मतदान हेतु तैयार की जायेगी और इस दौरान BEL के इंजीनियर भी उपस्थित रहेंगे, जिसके संबंध में की जाने वाली कार्यवाही का वर्णन आगे किया जा रहा है।

(vi) नगरपालिका वार मतदान हेतु आवश्यक मशीनों का उपरोक्तानुसार आवंटन करने के पश्चात मशीनें उसी हॉल में जहां F.L.C. की गई है में सुरक्षित रख दी जावे। मशीनों को इस प्रकार रखा जावे कि वे दूसरी नगरपालिका की मशीनों से मिक्स नही हो। यदि उस हॉल में स्थान अपर्याप्त है तो उसी परिसर में दूसरा हॉल भी F.L.C. की हुयी मशीनों के भण्डारण के उपयोग में लिया जा सकता है। जहॉ भी मशीनें F.L.C. के बाद रखी जावे उस हॉल/कक्ष को राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों के समक्ष समुचित रूप से सीलबन्द करने, उनके हस्ताक्षर लेने, लॉगबुक संधारण करने आदि की कार्यवाही वैसे ही की जाये जैसा कि बताया जा चुका है।

(vii) मशीनों की F.L.C. करने की अवधि के दौरान प्रत्येक दिवस को उस हॉल को बन्द करने और अगले दिवस पुनः खोलने की प्रक्रिया एवं डबल लॉक प्रणाली तथा लॉग बुक के संधारण की प्रक्रिया वही रहेगी जैसा कि भारत निर्वाचन आयोग के प्रासंगिक पत्र दिनांक 3.5.10 में बतायी गयी है। मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों को प्रत्येक दिवस के लिए सूचित भी कर दिया जावे।

(10) मतदान में उपयोग हेतु वोटिंग मशीनों की तैयारीः– (i) नगरपालिका (निर्वाचन) नियमों के अनुसार अभ्यर्थिता वापस लेने की अंतिम तिथि के अगले दिन चुनाव चिन्हो का आवंटन होता है जिसके बाद ही मतपत्रों का मुद्रण संभव हो पायेगा। चुनाव चिन्ह आवंटन की तिथि एवं मतदान की तिथि के मध्य अन्तराल भी कुछ ही दिनो का होता है ऐसी स्थिति में बैलेट यूनिट पर लगाये जाने वाले मतपत्रों का मुद्रण दो या तीन दिन के भीतर ही करा लेना आवश्यक है। इन मतपत्रों के मुद्रण के बाद ही वोटिंग मशीनों की तैयारी रिटर्निंग अधिकारी द्वारा किया जाना संभव है। अतः उपरोक्त स्थिति के दृष्टिगत मतदान के कम से कम तीन दिन पूर्व की तिथि वोटिंग मशीनों की तैयारी के लिए निश्चित करके रखी जावें।

(ii) रिटर्निंग अधिकारी द्वारा वोटिंग मशीनों की तैयारी करने की तिथि, समय, एवं स्थान के बारे में चुनाव लडने वाले अभ्यर्थियों को आवश्यक रूप से पूर्व में ही लिखित नोटिस के द्वारा अवगत करा दिया जावे और उन्हे स्वयं या अपने प्रतिनिधियों को उक्त समय, स्थान व तिथि पर उपस्थित होने के लिए लिखा जावे। उपस्थित अभ्यर्थियों या उनके प्रतिनिधियों के हस्ताक्षर एक निर्धारित रजिस्टर में लिए जाये जिसकी पेशानी प्रासंगिक पत्र दिनांक 23.9.2010 **(परिशिष्ट–4)** में बताई गई है।

(iii) EVMs को मतदान के लिए तैयार करने के लिए और इन्हें सीलबंद करने की प्रक्रिया पूर्व दिशा निर्देशों के अनुसार यथावत् रहेगी, लेकिन इसके साथ–साथ कुछ अतिरिक्त बिन्दुओं पर भी प्रक्रिया भारत निर्वाचन आयोग के प्रासंगिक पत्र दिनांक 23.9.2010 में बताई गई है उसकी भी अक्षरशः इन चुनावों में पालना की जाये।

(iv) जिस कक्ष/हॉल में वोटिंग मशीनें तैयार की जाये वह आकार में पर्याप्त होना चाहिये और इतना बडा हो कि उसमें जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा नामित अधिकारी, रिटर्निंग अधिकारी, BEL के इंजीनियर, अभ्यर्थी या उनके प्रतिनिधीगण उपस्थित रह सके एवं तैयार की जाने वाली मशीनें आसानी से रखी जा सके। मतदान के लिए मशीनें तैयार करने से पूर्व उस हॉल को पूर्ण रूप से साफ–सुथरा कर निरीक्षण किया जावे और यह सुनिश्चित किया जावे कि वह हॉल/कक्ष अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों या उनके components तो उसमे नही है। उनसे कक्ष/हॉल पूर्णतः मुक्त है।

(v) मशीनों की तैयारी के लिए हॉल का उपयोग करने से पूर्व उस हॉल को पूर्ण रूप से साफ सुथरा और Sanitised कर यह सुनिश्चित कर लिया जाए कि वह हॉल अन्य किसी प्रकार के इलेक्ट्रोनिक उपकरण या इलेक्ट्रोनिक उपकरण के किसी कम्पोंनेंट से पूर्णतया मुक्त हैं। हॉल के प्रत्येक प्रवेश बिन्दु पर पुलिस बल तैनात कर उसकी सुरक्षा व्यवस्था भी की जावें। प्रवेश द्वार पर **डोर फ्रेम मैटल डिटेक्टर** लगाया जावें। हॉल में प्रवेश करने वाले प्रत्येक व्यक्ति की Frisking प्रत्येक प्रवेश बिन्दु पर की जावे। केवल उसी व्यक्ति को हॉल में प्रवेश दिया जाए जो जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा जारी अनुमति प्रवेश प्रत्र प्रस्तुत करें या जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा अधिकृत अधिकारी का पहचान पत्र प्रस्तुत करे।

(vi) उक्त हॉल में किसी भी व्यक्ति को किसी इलेक्ट्रोनिक उपकरण जैसे कि सैलफोन, कैमरा, स्पाईपेन इत्यादि को ले जाने की अनुमति नहीं होगी और इसी प्रकार किसी भी व्यक्ति को FLC हॉल के बाहर कोई वस्तु ले जाने की अनुमति नहीं होगी।

(vii) जैसा कि पूर्व में बताया जा चुका हैं EVMs को मतदान के लिए तैयार करने हेतु BEL के केवल अधिकृत इंजिनियरो को संबद्व किया जाएगा। इंजिनियर्स की दक्षता, उनकी योग्यता और Integrity के लिए निर्माता फर्म BEL पूर्णरूप से जिम्मेदार रहेगी। BEL के द्वारा मशीनों की तैयारी के लिए नियुक्त किए जाने वाल इंजिनियरो की सूची उनके पहचान पत्र इत्यादि के विवरण के साथ BEL के द्वारा लिखित में आपको भी यथासमय प्रेषित की जायेगी। BEL के जो इंजिनियर्स आयेगें वे निर्माता फर्म BEL के द्वारा अधिकृत होगें और अपने साथ पहचान पत्र भी रखेगें। हॉल में केवल BEL के उन्हीं इंजिनियर्स/तकनीकी स्टॉफ को प्रवेश दिया जायेगा जो कि BEL के द्वारा अधिकृत हैं। हॉल में प्रवेश के समय वे अपने फोटो पहचान दस्तावेज के आधार पर अपनी समुचित पहचान स्थापित कर सकेगें। अन्य किसी इंजिनियर या तकनीकी स्टॉफ को हॉल में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी।

(viii) यह भी ध्यान रखें कि मशीनों की तैयारी के दौरान प्रत्येक EVM पर दिखावटी मतदान किया जाएगा जिसमें कम से कम 10% मशीनों पर 1000 वोट दिए जायेगें। चूंकि 1000 वोट देने के लिए कम से कम 4 घंटे का समय चाहिए, अतः ऐसी मशीन पर Mockpoll हेतु स्टॉफ की एक पृथक टीम भी आवश्यक होगी।

(ix) मशीनों की तैयारी के दौरान क्या–क्या कार्य अतिरिक्त किए जाने हैं इसका विस्त्त ब्यौरा भारत निर्वाचन आयोग के प्रासंगिक पत्र दिनांक 23.09.2010 (परिशिष्ट–4) में वर्णित हैं जिसकी अक्षरशः पालना करनी है।

(x) मशीनों की तैयारी के समय बैलेट यूनिट को इंजिनियर द्वारा पूरा खाला जाकर अभ्यर्थियों एवं उनके प्रतिनिधियों को दिखाया जाएगा तथा BEL इंजीनियर चैक कर यह प्रमाणित करेंगे कि बैलेट युनिट के सभी कम्पोनेन्ट मौलिक (Original) है यह प्रमाण पत्र निर्धारित प्रपत्र में होगा। यदि कोई बैलेट युनिट खराब है तो उसे अलग रखा जायेगा और उसे BEL की फैक्टरी को मरम्मत हेतु भेजा जाएगा। फील्ड में मशीन की मरम्मत नहीं होगी। फील्ड में मशीन के प्लास्टिक केबिनेट को खोलने की अनुमति बिल्कुल नहीं होगी। मशीनों का कोई Component फील्ड में नहीं बदला जाये, यह पूर्णतः निषिद्ध रहेगा। BEL के इंजीनियर कौनसे उपकरण रखेंगे इसकी एक निर्धारित सूची है इसके अतिरिक्त अन्य कोई उपकरण हॉल में नहीं ले जाया जा सकेगा।

(xi) सभी 16 अभ्यर्थियों को दिखावटी मतदान कर उनका डेटा क्लीयर किया जायेगा और 10 प्रतिशत मशीनों में दिखावटी मतदान में कम से कम 1000 वोट दिये जायेंगे। शेष मशीनों में अभ्यर्थियों की संतुष्टि के अनुसार Mockpoll से वोट Cast किए जाऐगें। Mockpoll में अभ्यर्थी स्वयं भी वोट Cast कर सकेगें।

(xii) मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों के समक्ष दिखावटी मतदान (Mockpoll) किए जाने के संबंध में राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों के हस्ताक्षर उक्त पत्र दिनांक 23.09.2010 (परिशिष्ट–4) में निर्धारित पेशानी के रजिस्टर में प्राप्त किए जावें।

(xiii) दिखावटी मतदान (Mockpoll) के पश्चात् परिणामों का Print Out दिखाए जाने की प्रक्रिया पूर्ण कर निर्धारित पेशानी में पृथक रजिस्टर में राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों के हस्ताक्षर प्राप्त किए जावें। दिखावटी मतदान के बाद 10% EVMs का Print Out लेना हैं। ये मशीनें अभ्यर्थियों द्वारा भी इस उद्देश्य से चयन की जा सकती हैं। इस संबंध में प्रासंगिक पत्र दिनांक 23.09.2010 के पैरा–4 का अवलोकन करें और तद्नुसार सम्पूर्ण कार्यवाही की जाये।

(xiv) यह ध्यान रखा जाए कि कंट्रोल युनिट पर Pink Paper Seal जो FLC के समय लगायी गयी थी वह सुरक्षित रहें, तैयारी की प्रक्रिया में कहीं क्षतिग्रस्त ना हो जाए।

(xv) मशीनों की तैयारी जिसमें बैलेट यूनिट में मतपत्र भी लगाया जाता हैं उसके संबंध में और बैलेट युनिट (BU) को धागे से सील करने के संबंध में पूर्व निर्देश यथावत हैं, उसके अतिरिक्त तैयारी के समय बैलेट यूनिट को नासिक सिक्यूरिटी प्रेस द्वारा मुद्रित स्पेशल "Pink Paper Seal" से सील किया जायेगा और यह सीलिंग की कार्यवाही अभ्यर्थियों या उनके प्रतिनिधियों के समक्ष की जायेगी। उक्त "Pink Paper Seal" बैलेट यूनिट के सबसे नीचले हिस्से पर लगायी जायेगी ताकि किसी अभ्यर्थी का नाम या चिन्ह ढक नहीं जाए। उक्त "Pink Paper Seal" लगाने के बाद BEL के इंजिनियर्स द्वारा सील पर अपने हस्ताक्षर किए जाएगें। अभ्यर्थियों या उनके प्रतिनिधियों को भी उक्त सील पर अपने हस्ताक्षर करने हेतु कहा जायेगा और वे अपने हस्ताक्षर करने के साथ हस्ताक्षरों के नीचे सक्षिप्त में अपना व अपने दल का नाम भी सील पर अंकित करेंगें।

(xvi) बैलेट युनिट पर तैयारी के समय लगायी जाने वाली "Pink Paper Seal" का कमांक नोट करने के लिए अभ्यर्थियों या उनके प्रतिनिधियों को अनुमति दी जायेगी। इसके अतिरिक्त एक रजिस्टर जिसकी पेशानी उक्त पत्र दिनांक 23.09.2010 में बताई गई हैं, भी संधारित किया जायेगा जिसमें प्रत्येक बैलेट युनिट का यूनिक आई. डी. नम्बर दर्शाते हुए यह स्पष्ट अंकन किया जायेगा कि उस बैलेट युनिट पर कौनसे क्रमांक की "Pink Paper Seal" लगाई गई है। इस रजिस्टर में भी अभ्यर्थियों या उनके प्रतिनिधियों के हस्ताक्षर लिए जाएगें। तैयारी पूर्ण होने पर इस रजिस्टर की फोटोप्रतियां चुनाव लडने वाले अभ्यर्थियों को निशुल्क दी जायेगी और इनकी रसीद भी रजिस्टर पर प्राप्त की जायेगी।

(xvii) उपरोक्त वर्णित विशेष "Pink Paper Seal" जो कि नासिक सिक्यूरिटी प्रैस से मुद्रित हैं उसकी आपूर्ति राज्य निर्वाचन आयोग ने नासिक सिक्यूरिटी प्रैस से प्राप्त कर ली हैं जो शीघ्र ही आप विशेष वाहक भेजकर राज्य निर्वाचन आयोग से प्राप्त कर लेवें।

(xviii) मशीनों की तैयारी का पर्यवेक्षण स्वयं R.O. द्वारा किया जाएगा। EVM की तैयारी की पूर्ण प्रक्रिया की वीडियोग्राफी भी कराई जाएगी।

(11) EVM मशीनों के दो सैट एवं पहचान हेतु पृथक रंग के पहचान स्टीकर/एड्रेस टैग/मतपत्र – (i) जहां आम चुनाव हैं वहां मतदान केन्द्र में दोनों चुनावों के लिए पृथक–पृथक EVM का सैट रखा जायेगा अर्थात वार्ड सदस्य के चुनाव के लिए पृथक कन्ट्रोल यूनिट व उससे संबंध बैलेट यूनिट होगी और इसी प्रकार अध्यक्ष पद के चुनाव लिए भी पृथक कन्ट्रोल यूनिट व उससे संबंध बैलेट यूनिट होगी।

(ii) मशीनों की तैयारी के समय और उन्हें सील बंद करते समय पहचान स्टीकर, एड्रैस टैग व मतपत्र लगाने की कार्यवाही की जाएगी। ये अलग–अलग चुनाव के लिए अलग रंग के हैं।

(iii) वार्ड सदस्य चुनाव की कन्ट्रोल यूनिट व उससे संबंध बैलेट यूनिट पर सफेद रंग के एड्रेस टैग होगें तथा अध्यक्ष पद चुनाव की कन्ट्रोल यूनिट व उससे संबंध बैलेट यूनिट पर गुलाबी रंग के एड्रेस टैग होगें।

(iv) वार्ड सदस्य चुनाव की कन्ट्रोल यूनिट पर सामने सफेद स्टीकर (साईज 3सेमी X 6सेमी) चिपकाया जायेगा और अध्यक्ष पद की कन्ट्रोल यूनिट पर सामने गुलाबी स्टीकर (3सेमी X 6सेमी) चिपकाया जायेगा। सफेद व गुलाबी स्टीकर, जैसी भी स्थिति हो कन्ट्रोल यूनिट के ''बैटरी/कंडीडेट सेट'' सेक्शन पर ऊपर की ओर चिपकाया जायेगा ताकि यह स्पष्ट रूप से नजर आये कि कन्ट्रोल यूनिट किस चुनाव के लिए है।

(v) उक्त स्टीकर को कन्ट्रोल यूनिट के बैटरी/कंडीडेट सेट सेक्शन के बाहरी कवर पर चिपकाने में यह सावधानी रखी जाये कि बैटरी/कंडीडेट सेट सेक्शन को खोलने में कोई व्यवधान उत्पन्न नहीं हों। 3सेमी X 6 सेमी के ये स्टीकर रिटर्निंग अधिकारी द्वारा मतदान के उपयोग हेतु अभ्यर्थियों/प्रतिनिधियों की उपस्थिति में मशीने तैयार करने की कार्यवाही के समय ये स्टीकर भी लगाये जायेंगे।

(vi) वार्ड सदस्य चुनाव की बैलेट यूनिट पर लगाये जाने वाले मतपत्र सफेद कागज पर होगें और अध्यक्ष के लिए बैलेट यूनिट पर लगाये जाने वाले मतपत्र गुलाबी कागज पर होंगे।

(vii) EVM मशीनों की मतदान के उपयोग हेतु तैयारी के समय, पीठासीन अधिकारी के द्वारा मतदान केन्द्र में इन्हे स्थापित करते समय, मतदान के समय, सीलिंग आदि कार्यवाही के समय में आपस में मिक्स होने की किसी प्रकार की संभावना नहीं हो, इसी प्रयोजन से इनके स्टीकर/एड्रेस टैग /मतपत्रों के रंग में भिन्नता रखी गई है।

(viii) जहां उपचुनाव हैं और केवल एक पद का ही चुनाव होना हैं तो पहचान स्टीकर लगाने की आवश्यकता नहीं है।

(12.) मशीनों की पृथक–पृथक तैयारीः– (i) आम चुनाव में चूंकि वार्ड सदस्य चुनाव के अभ्यर्थी अलग होंगें और अध्यक्ष चुनाव के अभ्यर्थी अलग होंगे और मशीनों की तैयारी के समय अभ्यर्थियों/उनके निर्वाचन अभिकर्ताओं को भी रिटर्निंग अधिकारी द्वारा मशीनों की तैयारी के समय आमंत्रित किया जायेगा इसलिए यह आवश्यक है कि वार्ड सदस्यों और अध्यक्ष के चुनाव की मशीनें अलग–अलग तैयार की जाये, एक साथ तैयार नहीं की जाए। या तो पृथक–पृथक स्थान पर तैयार कराये या बारी–बारी से तैयार करायें। दोनों चुनावों की मशीने अलग–अलग तैयार होने से उनके आपस में मिक्स होने की संभावना नहीं रहेगी।

(ii) जब रिटर्निंग अधिकारी/सहायक रिटर्निंग अधिकारी द्वारा मतदान के उपयोग हेतु मशीने तैयार की जावे तो सर्वप्रथम उपरोक्त पहचान स्टीकर (3सेमी X 6सेमी) प्रत्येक कन्ट्रोल यूनिट पर चिपकाया जावे और इस स्टीकर को चिपकाने के तुरन्त पश्चात कन्ट्रोल यूनिट में अभ्यर्थियों की संख्या को सैट करने, बैटरी सेक्शन को सील करने, एड्रेस टैग लगाने, बैलेट युनिट पर नासिक प्रैस द्वारा मुद्रित Pink Paper Seal इंजिनियरों से लगाने आदि की कार्यवाही की जाये। तैयार की गई कन्ट्रोल यूनिट उनके कैरिंग बक्सों में तत्काल रखी जाये और उसी रंग (सफेद या गुलाबी जैसी भी स्थिति हो), के स्टीकर भी कैरिंग बक्सों पर लगायें जाये ताकि कैरिंग बक्सों की पहचान भी सुनिश्चित हो सके। बैलेट यूनिट पर हालांकि स्टीकर (3सेमी X 6सेमी) नहीं लगेंगे क्योंकि उनमें लगे हुए मतपत्र के रंग से उनकी पहचान हो सकेगी लेकिन इनके कैरिंग बक्सों पर 3सेमी X 6सेमी के पहचान स्टीकर लगाये जायेगें यानि वार्ड सदस्य चुनाव के लिए सफेद स्टीकर और अध्यक्ष चुनाव के लिए गुलाबी स्टीकर कैरिंग बक्सों पर भी लगेंगे ताकि बैलेट यूनिट कैरिंग बक्सों मे बन्द होने पर आपस में मिक्स ना हों। मशीनों की तैयारी के बाद इनको स्ट्रॉग रूम में भी पृथक–पृथक चुनाव की मशीनें पृथक–पृथक सुरक्षित रखी जायें। हॉल को सील करने, सुरक्षित करने आदि की कार्यवाही आयोग के उपरोक्त दिशानिर्देशानुसार ही की जावे।

(iii) चूंकि नगरपालिका में कई वार्ड होते है व प्रत्येक वार्ड एक निर्वाचन क्षेत्र है, अतः प्रत्येक वार्ड की मशीनों की तैयारी किस–किस समय की जायेगी इसकी अग्रिम योजना भी रिटर्निंग अधिकारी द्वारा तैयार की जावे और तदनुसार ही निर्वाचन लडने वाले अभ्यर्थियों को उपस्थित रहने हेतु अवगत कराया जावे। BEL के इंजिनियर्स भी उपस्थित रहेगें, जो मशीनों की तैयारी के लिए मात्र एक दिन या दो दिन पूरे

जिलें के लिए उपलब्ध रहेगें। अतः मशीनों की तैयारी के लिए जिला मुख्यालय पर ही उपयुक्त भवन पहले से देख लें और अभ्यर्थियों को तद्नुसार सूचित करें।

(iv) मतदान के उपयोग हेतु मशीनों को तैयार करने से पूर्व रिटर्निंग अधिकारी नगरपालिका के लिए आवंटित मशीनों में प्रत्येक वार्ड के लिए मतदान केन्द्रों की संख्या को दृष्टिगत रखते हुए रेण्डम आधार पर वार्ड वार नियंत्रण यूनिट एवं बैलेट यूनिट का चयन करेगा। जैसे–जैसे वार्ड वार मशीने मतदान के उपयोग हेतु तैयार करने की आवश्यकता हो, वैसे–वैसे वार्ड वार मशीनों का चयन अभ्यर्थियों या उनके प्रतिनिधियों की उपस्थिति में किया जाये।

(v) मतदान के उपयोग हेतु किसी वार्ड के लिए नियंत्रण यूनिट व बैलेट यूनिट का चयन करने के तुरन्त उपरान्त उस वार्ड के लिए मशीने तैयार करने की प्रक्रिया की जाए।

(vi) बैलेट यूनिट में लगाये जाने वाले मतपत्र के पीछे रिटर्निंग अधिकारी अपने हस्ताक्षर कर सील भी लगायेगा। नियंत्रण यूनिट में नई बैटरी लगाने, कण्डीडेट सैट करने, कण्डीडेट सैट खण्ड को सील करने आदि की कार्यवाही स्टेप–बाई–स्टेप रिटर्निंग अधिकारी द्वारा उसी प्रक्रिया से की जाये जैसा कि BEL की अनुदेश निर्देशिका में बताया गया है। तैयार करतें ही बैलेट यूनिट एवं कंट्रोल यूनिट के कण्डीडेट खण्ड को रिटर्निंग अधिकारी सील करेगें और उपस्थित अभ्यर्थियों/प्रतिनिधियों से भी अपनी सील लगाने हेतु कहेगें। (देखें नियम–32क) विशेष Pink Paper Seal लगााने की प्रकिया जो वर्णित की गयी हैं वह इसके अतिरिक्त है।।

(vii) मतपत्र बैलेट यूनिट में लगाते समय ध्यान रखें कि मतपत्र में अभ्यर्थियों के पैनल की लाईनों का एलाइनमेंट बैलेट यूनिट में अभ्यर्थी के लिए रखे स्थान की सीध में हो।

(viii) एक वार्ड के लिए मशीनें तेयार करने के बाद उन्हे मतदान केन्द्रों के लिए आवंटित किया जाये तथा वार्ड नम्बर एवं मतदान केन्द्र संख्या मशीन के पीछे पीले स्टिकर पर अंकित कर रिटर्निंग अधिकारी द्वारा पीले स्टीकर पर यथा स्थान, तिथि सहित हस्ताक्षर किये जायें। अध्यक्षीय पद चुनाव की मशीनें तैयार करने के बाद उनके लिए भी इसी प्रकार की कार्यवाही की जाये।

(ix) वार्ड में मतदान के उपयोग हेतु तैयार की गई मशीनों की सूची उनके यूनीक नंबर व आवंटित मतदान केन्द्र दर्शाते हुए अभ्यर्थियों/प्रतिनिधियों को तत्समय ही देकर हस्ताक्षर प्राप्त कर लिये जाये। एक वार्ड के लिए उपरोक्त कार्यवाही करने के पश्चात अन्य वार्डों के लिए मशीनों की तैयारी एक–एक वार्ड वार की जाये। अध्यक्षीय पद चुनाव के लिए भी इसी प्रकार की सूची अभ्यर्थियों/प्रतिनिधियों को दी जाए।

(x) कुछ नगर पालिकाओं के एक वार्ड में एक या दो मतदान केन्द्र भी हो सकते है, इसी स्थिति में वार्ड के लिए मशीने आरक्षित रखने की व्यवस्था मशीनों की उपलब्धता व परिस्थितियों के अनुसार की जायें। अध्यक्षीय पदो ंके लिए 10% मशीनें तैयार कर आरक्षित रखी जा सकती है।

(13) तैयारशुदा वोटिंग मशीनों की सुरक्षित अभिरक्षाः– (i) उपरोक्त रीति से तैयार की गई वोटिंग मशीनें तथा आरक्षित वोटिंग मशीनें रिटर्निंग अधिकारी की सुरक्षित अभिरक्षा में डबल लॉक में रहेगी। सुरक्षित अभिरक्षा के कक्ष को सीलबन्द रखा जाये और उस कक्ष के दरवाजे पर अभ्यर्थी या उनके प्रतिनिधी भी चाहें तो सील लगा सकेंगे। जैसाकि ऊपर बताया गया है, अध्यक्षीय पद की मशीनें पृथक रखी जायेगी।

(ii) उक्त स्ट्रॅाग रूम को खोलने या बन्द करने और उसमें प्रवेश आदि के संबंध में लॉग बुक संधारित की जाये।

(iii) जब भी उक्त स्ट्रॅाग रूम को खोला जाये तो उसकी पूर्व सूचना अभ्यर्थियों को दी जाये।

(14) मतदान दलों को वोटिंग मशीनों का वितरणः–(i) जहां पर उक्त तैयारशुदा वोटिंग मशीन रखी गई है वहां से मतदान कार्मिकों को वोटिंग मशीन वितरण करने का स्थल यदि भिन्न है तो वोटिंग मशीनों के परिवहन का कार्यक्रम पर्यवेक्षक तथा अभ्यर्थियों को पूर्व में अवगत कराया जाये। वोटिंग मशीन के परिवहन में मशीनों की समुचित सुरक्षा की जाये। वितरण स्थल पर भी पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था रखी जाये।

(ii) पीठासीन अधिकारियों को जब मशीने वितरित की जाये तब पीठासीन अधिकारियों के प्राप्ति हस्ताक्षर प्राप्त किये जाये। कौनसी मशीन किस मतदान केन्द्र के लिए दी गई है इसका पर्याप्त रिकार्ड रखा

जाये। मतदान दलों को मशीनें देते समय सुनिश्चित किया जाए कि मशीनों पर लगी हुयी सभी सीलें सुरक्षित हैं।

(iii) पीठासीन अधिकारियों को यह भी बताया जाये कि उन्हे प्रदान की गई मशीन का नंबर वे चैक कर लें कि मशीन का नंबर मशीन के पीछे लगे स्टीकर और ऐड्रेस टैग के अंकन के अनुसार है। जहां चुनाव हैं वहां मशीनों के दो सैट होने से मशीनें आपसे मे मिक्स ना हो, इसके लिए उन्हे अलग–अलग रंग के पहचान स्टिकरों, ऐड्रेस टैग व मतपत्रों की जानकारी देकर पूर्ण सावधानी बरतने हेतु समझाया जाये।

(iv) जहां किसी मतदान केन्द्र पर मतदान से पूर्व या मतदान के दौरान कोई मशीन बदली जाये तो उसकी लिखित सूचना अभ्यर्थियों को भी उपलब्ध कराई जाये।

(15) वोटिंग मशीन से संबंधित रजिस्टर का संधारणः– (i) रिटर्निंग अधिकारी द्वारा भी अपने स्तर पर नगरपालिका के मतदान के उपयोग हेतु प्राप्त सभी मशीनों के विवरण के साथ एक रजिस्टर संधारित किया जायेगा जिसमें ये समस्त बातें भी होगी कि कौनसी नियंत्रण यूनिट/बैलेंट यूनिट कौनसे वार्ड के किस मतदान केन्द्र पर उपयोग में आयी है, किस चुनाव के काम आयी है या कौनसी नियंत्रण यूनिट/बैलेट यूनिट बदली गई है आदि।

(ii) मतदान के बाद प्राप्त होने वाली मशीनों का विवरण भी उक्त रजिस्टर में अंकित किया जायेगा।

(16) मतदान पश्चात वोटिंग मशीन की सुरक्षित अभिरक्षाः–(i) चूंकि मतगणना नगरपालिका मुख्यालय पर ही होनी है, अतः मतदान के पश्चात वोटिंग मशीन नगरपालिका मुख्यालय पर ही मतगणना स्थल पर सुरक्षित अभिरक्षा में रखी जायेगी। अध्यक्षीय पद की मशीनें पृथक कक्ष में रखी जाये।

(ii) वोटिंग मशीन के स्ट्रॉग रूम को रिटर्निंग अधिकारी द्वारा सीलबन्द रखा जायेगा। अभ्यर्थियों या उनके निर्वाचन अभिकर्ताओं को भी स्ट्रॉग रूम के दरवाजे/खिडकियों पर अपनी सील लगाने की अनुमति दी जायेगी तथा उन्हे यह अनुमति भी दी जायेगी कि वे एक पर्याप्त दूरी से स्ट्रॉग रूम की निगरानी रख सकते है।

(iii) स्ट्रॉग रूम की सुरक्षा के लिए उपयुक्त स्थानो पर CCTV कैमरे भी स्थापित किये जायेगें।

(iv) स्ट्रॉग रूम में अग्नि सुरक्षा के उपाय भी रखे जायेंगे।

(v) स्ट्रॉग रूम व मतगणना परिसर में दोहरे स्तर की सुरक्षा व्यवस्था रखी जायेगी।

(vi) मतगणना कक्ष में वार्डवार एवं मतदान केन्द्र वार आवंटित नियंत्रण यूनिट की सूची मतगणना के दौरान नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित की जायेगी।

(vii) जहां पर पुनर्मतदान होगा उस मतदान केन्द्र पर मूल रूप से मतदान में उपयोग में लाई गई मशीन को भी स्टॉग रूम में ही रखा जायेगा जिस पर साफ–साफ एक टैग "**गणना नहीं करनी है**" अंकित करते हुए उस नियंत्रण यूनिट पर लगाया जायेगा और उसे सीलबन्द ही रखा जायेगा। पुनर्मतदान होने पर नई मशीन पर साफ–साफ टैग "**पुर्नमतदान की वोटिंग मशीन–गणना की जानी है**" अंकित करते हुए लगाया जायेगा। उपरोक्त दोनों प्रकार के टैग रिटर्निंग अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर किये जायेगें।

(17) ई. वी. एम. संबंधी तैयारी आदि घटनाओं की विडियोग्राफीः– पारदर्शिता के लिए यह भी निर्देश दिए जाते है कि वोटिंग मशीन की विभिन्न स्तरों पर की गई गतिविधियों यथा वोटिंग मशीन की तैयारी, वोटिंग मशीन की सीलिंग, स्ट्रॉग रूम की सीलिंग, स्ट्रॉग रूम को खोलने आदि प्रक्रियाओं की विडियोंग्राफी भी की जाये। उक्त विडियोग्राफी का रिकार्ड समुचित रूप से संधारित रखा जावे, जो निर्वाचन रिकार्ड के रूप में संधारित होगा और अन्य रिकार्ड की भांति इसकी प्रमाणित नकल जारी की जा सकेगी।

(18) मतगणना के पश्चात मशीनों की सुरक्षित अभिरक्षाः– मतगणना व परिणाम की घोषणा के पश्चात् आरक्षित मशीनें जिलों के भण्डारण कक्ष (Werehouse) में बिना किसी विलंब के जमा करा दी जाए तथा जो मशीनें मतदान में उपयोग में आयी हैं वें जिला मुख्यालय पर कोषागार में रिटर्निंग अधिकारी की सुरक्षित अभिरक्षा में रखी जायेगी। नगर पालिका निर्वाचनों में निर्वाचन याचिका प्रस्तुत करने की मियाद 30 दिवस

निर्धारित है। निर्वाचन याचिका प्रस्तुत होने की स्थिति में निर्वाचन याचिका के निस्तारण के तीन माह की अवधि समाप्त होने तक और अपील हाने की स्थिति में अपील के निस्तारण तक मशीनें सीलबन्द सुरक्षित अभिरक्षा में रखी जायेंगी। जिन वार्डों में कोई निर्वाचन याचिका प्रस्तुत नहीं होती है अथवा निर्वाचन संबंधी कोई मामला न्यायालय में नहीं हो वहां परिणामों की घोषणा के 30 दिवस बाद मशीनों को क्लीयर किया जायेगा, अर्थात मशीनों की सील हटायी जायेगी, नियंत्रण यूनिट की सूचना हटायी जायेगी और बैलेट यूनिट में प्रदर्शित मतपत्र को भी हटाया जायेगा। इसके बाद इन मशीनों को रिटर्निंग अधिकारी द्वारा जिला निर्वाचन अधिकारी को वापस कर दिया जायेगा। इस विषय में राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा प्रसारित स्थाई आदेश सं. प. 4(2)(1)वो/नपा/रानिआ/94/3150 दिनांक 6.11.99 का अनुसरण किया जाये।

(19) उक्त कार्यवाही के बाद जो मशीनें निर्वाचन विभाग की है, उन्हे उसी समय निर्वाचन विभाग को लौटा दिया जाये।

कृपया उपरोक्तानुसार व्यवस्था सुनिश्चित करे। इससे सभी रिटर्निंग अधिकरियों व अन्य संबंधित अधिकारियों को अवगत करायें। उक्त व्यवस्था से चुनाव लडने वाले अभ्यर्थियों को भी रिटर्निंग अधिकारियों के माध्यम से अवगत कराया जाये। उपरोक्त व्यवस्था समस्त आगामी चुनाव जो वोटिंग मशीनों से कराये जायेगें, वहां भी लागू होगी।

संलग्न – उपरोक्तानुसार
(परिशिष्ट 1,2,3 एवं 4)

(बी. के. मीणा)
सचिव
राज्य निर्वाचन आयोग,
राजस्थान, जयपुर

By Speed Post/e-mail

ELECTION COMMISSION OF INDIA

Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi 110 001

K.N. Bhar
Secretary

No.51/8/16/4/2010-EMS Dated: 4th August, 2010

To,

1. Chairman-cum-Managing Director Bharat Electronics Limited, Nagavara, Outer Ring Road, Bangalore-560045, Karnataka.

2. The Chief Electoral Officer, Bihar, Patna.

3. Chairman-cum-Managing Director, Electronics Corporation of India Limited, Hyderabad-500015, Andhra Pradesh.

4. The Chief Electoral Officers of all States and Union Territories (except Bihar).

Sub: Protocol for First Level Checking (FLC) of EVMs.

Sir,

In consolidation of all instructions issued by the Commission on FLC, following instructions are hereby issued for the protocol to be followed in FLC: -

1. FLC when to be done.

FLC of EVMs shall be done before every bye-election and General Election. It will be done sufficiently in advance so that all checks are carried out without any undue haste in the presence of representatives of political parties. FLC of EVM shall be completed, in any case, before finalization of the list of contesting candidates in an election.

2- FLC to be done in the presence of representatives of political parties.

Depending on the number of EVMs to be checked in FLC, the DEO shall prepare a schedule for the FLC of EVM in consultation with the EVM manufacturers (ECIL & BEL) and the CEO. The schedule will be made in such a manner that sufficient time is available for FLC of EVMs by engineers of manufacturers. The schedule for FLC shall be communicated to every national and state level recognized political party in writing by the DEO at least one week before the beginning of the FLC in the district. On the day of the FLC, representatives of all national and state level recognized political parties authorized by the District President of the party shall be allowed to be present. A register shall be kept by the DEO in Annexure –A in which signatures of all political parties shall be taken every day as token of their presence.

3. Arrangements in the premises of FLC.

FLC shall be carried out in a large hall which can accommodate EVMs to be checked. The hall should be able to accommodate officers nominated by the DEO, engineers of BEL and ECIL and also representatives of political parties. Before the hall is used for FLC, it shall be fully sanitized

to ensure that the hall is free from any other electronic device or components of electronic devices. Every entry to the hall shall be guarded by police force. Every hall shall have a door frame, metal detector. Every person who enters the hall shall be frisked at every entry. Entry to this hall shall be on production of Identity Card of the authorized officials/passes issued by the District Election Officer. Nobody will be allowed to carry any electronic device inside the hall including cell phones, camera and spy pens etc.. Similarly, nobody will be allowed to carry anything out of the FLC hall.

4. Manpower in FLC.

FLC shall be carried out only by authorized engineers of BEL and ECIL. BEL and ECIL shall be fully responsible for the integrity, efficiency and competence of their engineers. List of engineers deputed by BEL and ECIL for carrying out FLC in a district alongwith their identity card numbers etc. shall be communicated in writing by BEL and ECIL to the DEO. No engineers, technicians or other technical staff except authorized engineers/technical staff of BEL and ECIL shall be allowed to enter the FLC hall. Authorized persons will be allowed to enter the FLC hall only after proper identification using photo identity documents.

5. Work to be done during FLC.

At the time of FLC, the following shall be done:-

a) Removal of address tags, Ballot Papers, cleaning of superscriptions on CU & BU, clearing of earlier poll data, dusting of CU & BU etc. These activities are carried-out in the secured place/protected place provided by the District Election Officers.

b) Visual Inspection of CU/BU: Physical verification of Carrying Cases, Control Unit, Ballot Unit, Connecting Cable, Connector, Latches etc. to ensure no breakages.

c) Full functionality checks: Checking of all switches in Control Unit & Ballot Unit, doors (flaps), sealing provisions, scratches on acrylic screen etc. Response of all switches, confirmation tests for efficacy of Control Unit, Ballot Unit etc. –**BEL and ECIL engineers shall carry out test prescribed by the manufacturers to confirm that all components of the EVM are original. BEL and ECIL engineers will certify in Annexure-B that all the components of the EVMs are original. If any EVM is found to be defective, it will be kept aside and then taken to the factory of BEL and ECIL for repairs**. No repair of the machine shall be carried out in the field. Opening of the plastic cabinet cover of the machines is not permitted in the field. Changing of components of the machines in the field is strictly prohibited. Detailed step-by-step instructions of checking of the machine shall be issued separately by BEL and ECIL for their respective machines. These instructions will include a list of equipment, which the engineers will be required to carry with them in FLC hall. Security personnel will not allow any other equipment to be carried into the FLC hall.

d) Conduct of Mock Poll: Casting of votes against all 16 candidate switches, observation of result & clearing of mock poll data will be done for each EVM. In **10% percent** of EVMs at least 1000 votes shall be polled during the mock poll. In rest of the machines number of votes polled during the mock poll should be to the satisfaction of the representatives of political parties. Representatives of political parties shall be allowed to do the mock poll themselves. Signatures of representatives of political parties shall be taken in a register in Annexure –C as a token of having done mock poll themselves.

e) Demonstration of printout of results.

A printout of the results of mock poll as well as a sequential print out of every vote polled during the mock poll shall be taken out for at least 10% of EVMs and shown to the representatives of political parties. Representatives of political parties shall be allowed to pick machines randomly for this purpose. Signatures of representatives of political parties shall be taken in a register in Annexure-D as a token of having seen the print out
and confirm that there is no discrepancies between the votes polled during the mock poll and results in the print out.

6. Sealing of plastic cabinet of Control Unit of EVMs with pink paper seal.

In order to ensure that the Control Unit of the EVM has not been opened after First Level Checking of the EVMs, the Control Unit shall be sealed with the 'Pink Paper Seal' supplied by the Nasik Security Press in the presence of the representatives of the Political Parties present at the time of FLC. The Pink Paper Seal shall be affixed on the portion between the Candidate Set Section and the Result Section of the Control Unit.

After fixing the Pink Paper Seal, the Engineer of the Manufacturer shall put his signature on the Pink Paper Seal; the representatives of the Political Parties shall also be allowed to put their signature on the said seal with party name in abbreviation below the signature. The representatives of the Political Parties present should be allowed to note down the serial number of the pink paper seal affixed on the Control Unit. A register in Annexure – E shall be maintained to note down the serial number of the pink paper seal used on the Control Unit by clearly mentioning the unique ID number of Control Unit and the Pink Paper Seal number. Signatures of representatives of political parties will also be obtained on this register. Photocopy of this register will be given free of cost to all National and State level recognized political parties as soon as FLC is over. Photocopy of this register will also be given to all contesting candidates as soon as last date of withdrawal of candidature is over. Photocopy of this register should also be available at the time of candidate setting and at the time of counting, and should be shown to candidates and their representative and acknowledgement taken on the register.

7. Supervision of FLC

The DEO shall nominate one officer not below the rank of Additional District Magistrate to supervise the entire process of FLC. This officer shall be present in the FLC hall for the entire duration of FLC. The process of FLC shall be continuously videographed. Video CD will be kept in the custody of DEO. CCTV cameras shall be put in the FLC hall in such a manner that the process of FLC can be seen on CCTV in the office of DEO.

8. Copy of the letter should be given to all National and State level political parties. Copy of this letter should also be given to all the contesting candidates after the last date of withdrawal of candidatures in any elections.

Yours faithfully,

(K.N. Bhar)

Annexure-A
(Register for First Level Checking of EVMs)

Name of State/UT:
Name of District:
Address of FLC hall:
Date:

S.No.	Name of National/State Party	Name of representative of political party with party affiliation	Identity document No. with date	Signature of representative	Remarks, if any.

Note: If the representative of a party is absent the proof of due service of notice to the party should be pasted in the register.

(Name and signature of engineers of BEL/ECIL with ID No.)
(Name, designation, signature of officers nominated by District Election Officer)

Annexure -B (Certification of EVMs by BEL/ECIL)

Name of State/UT:
Name of District:
Address of hall:
Date:

It is certified that tests prescribed by BEL/ECIL to ascertain that all components are original were carried out on the EVMs listed below on…….. (date). On the basis of these tests it is certified that all components of the EVMs listed below are original.

CU Identification No.	BU Identification No.

(Name & signature of BEL/ECIL engineers with ID No.)

Annexure-C
(Mock Poll certification during First Level Checking of EVMs)

Date:……………..

Name of State/UT:
Name of District:
Address of hall:

It is certified that I have done mock poll on………….. EVMs and I am fully satisfied with the functioning of EVMs.

S.No.	Name of National/State Party	Name of representative of political party with party affiliation	Identity document No. with date	Signature of representative	Remarks, if any.

Annexure-D
(Mock Poll certification during First Level Checking of EVMs)

Date:……………..

Name of State/UT:
Name of District:
Address of hall:

It is certified that a printout of the result of mock poll as well as a sequential print out of every vote polled during the mock poll has been taken out from ……… EVMs picked up by me. There are no discrepancies between the votes polled during the mock poll and result in the print out.

S.No.	Name of National/State Party	Name of representative of political party with party affiliation	Identity document No. with date	Signature of representative	Remarks, if any.

Annexure-E
(Register for Sealing of Control Unit of EVMs using Pink Paper Seal)

Name of State/UT:
Name of District:
Address of FLC hall:
Date:

It is certified that the sealing of the Control Units using Pink Paper Seals has been done in my presence. I have put my signature on the Pink Paper Seals after sealing of the Control Units and I am satisfied with the sealing of the Control Units.

S.No.	Name of National/State Party	Name of representative of political party with party affiliation	Identity document No. with date	Signature of representative

(Name, designation, signature of officers nominated by District Election Officer)

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(द्वितीय तल, विकास खण्ड, सचिवालय, जयपुर–302005)
email- secraj@rajasthan.gov.in & secrajasthan@gmail.com, FAX 0141-2227280, 2227072

क्रमांक एफ. 1(4)(1)नपा/रानिआ/14/4422 दिनांकः 30.09.2014

जिला नगरपालिका निर्वाचन अधिकारी, (कलेक्टर),
अजमेर, अलवर, बांसवाड़ा, बाड़मेर, बीकानेर, बारां, भरतपुर, चित्तौड़गढ़,
चूरू, हनुमानगढ़, जैसलमेर, जालौर, जयपुर, झुंझुनूं, जोधपुर, कोटा,
नागौर, पाली, राजसमंद, सीकर, श्रीगंगानगर, सिरोही, टोंक एवं उदयपुर।

विषय :– नगरपालिका आम चुनाव 2014 – इलेक्ट्रोनिक वोटिंग मशीनों के उपयोग के संबंध में।

महोदय,

राज्य में 46 नगरपालिकाओं का कार्यकाल माह नवम्बर 2014 में पूर्ण हो रहा है। कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व इन नगरपालिकाओं का निर्वाचन कराया जाना है। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा 46 नगरपालिकाओं के चुनाव इलेक्ट्रोनिक वोटिंग मशीनों से कराये जायेंगे। राजस्थान नगरपालिका (निर्वाचन) नियम, 1994 के नियम 32 क के अनुसार इलेक्ट्रोनिक वोटिंग मशीन की वह डिजाईन होगी जो राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अनुमोदित की जाये। इस संबंध में राज्य निर्वाचन आयोग ने अपने स्थाई आदेश क्रमांक एफ 4(2)(1) पं/नपा/रानिआ/94/3060 दिनांक 28.10.99 (सां. आ. 25/99) के द्वारा भारत इलेक्ट्रोनिक्स लिमिटेड़, बंगलौर (BEL) द्वारा बनाई गयी इलेक्ट्रोनिक वोटिंग मशीन का डिजाईन मत डाले जाने और रिकार्ड किये जाने के प्रयोजनार्थ अनुमोदित किया हुआ है। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 की धारा 26 की उपधारा (3) के अनुसरण में नगरपालिका के आगामी सभी निर्वाचनों में मतदान के लिए वोटिंग मशीनों के उपयोग में लाने हेतु आयोग द्वारा आदेश क्रमांक 3913 दिनांक 12.09.2014 (सां. आ. 94/14) जारी कर दिया गया है। वोटिंग मशीनों के विषय में की जाने वाली व्यवस्थायें आगे के पैराओं में वर्णित है। अतः निम्न बिन्दुओं के अनुसार कार्यवाही की जाना सुनिश्चित किया जावे।

(1) मशीनों की उपलब्धताः–(i) 46 नगरपालिकाओं के चुनाव कराने के लिए राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा क्रय की हुई वाटिंग मशीनों के साथ भारत निर्वाचन आयोग से भी मशीनें उधार ली जा रही है। भारत निर्वाचन आयोग ने वोटिंग मशीनें उपलब्ध कराये जाने की स्वीकृति प्रदान कर दी है। किस–किस जिले में कितनी–कितनी मशीनों की आवश्यकता रहेगी, इसकी अनुमानित संख्या जिलेवार आंकलित कर मुख्य निर्वाचन अधिकारी, निर्वाचन विभाग, राजस्थान, जयपुर को अवगत कराई जा चुकी है। पत्र की प्रति आपको भी प्रेषित की गई है। जिलों को इलेक्ट्रोनिक्स वोटिंग मशीन आवंटन हेतु आदेश क्रमांक 4287 दिनाक 26.09.2014 जारी किया गया है। निर्वाचन विभाग द्वारा भी मशीनों का आवंटन पृथक से किया जा रहा है।

(ii) चूंकि नगरपालिका चुनाव कराने के लिए समय अब अधिक शेष नहीं है, अतः उक्त आवंटित मात्रा में चालू हालत में मशीने आप दिनांक 10.10.09 तक आवश्यक रूप से प्राप्त कर लेवें ताकि इनकी चैकिंग आदि का कार्य भी समय पर सम्पादित किया जा सके।

(2) मशीनों की आवश्यकता का ऑकलनः– मशीनों की आवश्यकता का मापदण्ड यह रखा गया है कि, मतदान के उपयोग हेतु प्रति मतदान केन्द्र एक वोटिंग मशीन (नियंत्रण यूनिट एवं बैलेट यूनिट) तथा न्यूनतम 10 प्रतिशत आरक्षित मशीनें हों। मतदान केन्द्रों की संख्या की 10 प्रतिशत मात्रा में मशीनें प्रशिक्षण के उपयोग हेतु भी रखी जावें। इसके अतिरिक्त 5 प्रतिशत ईवीएम और आवंटित की गई हैं। इसके अलावा वार्ड में यदि अभ्यर्थियों की संख्या 16 से अधिक हो जाती हैं तो तदनुसार बैलेट यूनिटों की संख्या बढ़ानी होगी। इसके लिए भारत निर्वाचन आयोग की 1000 बैलेट यूनिट अलग से आवंटित करवाकर कुछ निश्चित स्थानों पर रखवाई गई हैं।

(3) रजिस्टर का संधारणः– उपलब्ध सभी वोटिंग मशीनों का इन्द्राज एक रजिस्टर में किया जावे। ये मशीने भले ही राज्य निर्वाचन आयोग की हैं या भारत निर्वाचन आयोग की हैं। मशीनों के इन्द्राज में मशीन का यूनीक नम्बर (Unique Machine Number), यानी वह नंबर जो निर्माता फर्म के द्वारा मशीन पर अंकित किया गया है, दर्ज किया जावे। रजिस्टर में बाद की कार्यवाहियों के इन्द्राज यथा चैकिंग तिथि, चैकिंग के बाद सुरक्षित स्टोर में रखने की तिथि, आवंटन का प्रकार यानि प्रशिक्षण हेतु आवंटन अथवा मतदान के उपयोग हेतु आवंटन, किस अधिकारी को एवं किस नगरपालिका के लिए आवंटन किया गया, यदि मशीन खराब है, आदि का अंकन इस रजिस्टर में किया जाये। इसके अतिरिक्त भारत निर्वाचन आयोग के सॉफ्टवेयर में भी इस हेतु इन्द्राज किया जाए।

(4) मशीनों की चैकिंगः– (i) उपरोक्त पत्र क्रमांक 4287 दिनाक 26.09.2014 से बताई गई मात्रा में मशीनें चैकिंग कर चालू हालत में ही यथानिर्दिष्ट स्थान से प्राप्त करनी हैं। आप अपने विज्ञ स्टॉफ जो कि, पिछले लोकसभा/विधानसभा चुनावों में इस कार्य में रहा है और जिन्होंने प्रशिक्षण का कार्य भी किया है, उसका उपयोग

इस चैकिंग कार्य में कर सकते हैं। निर्माता फर्म (BEL) के तकनीशियनों या इंजिनियरों की देखरेख में मशीन की प्रथम स्तरीय जॉच करवाई जाएगी।

(ii) मशीनों की चैकिंग के कार्य के लिए जिला स्तर पर एक वरिष्ठ अधिकारी को प्रभारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया जावे। **मशीनों की चैकिंग जिला मुख्यालय पर उक्त प्रभारी अधिकारी की निगरानी में ही कराई जावे। यह कार्य दिनांक 31.10.2014 तक पूर्ण कर लिया जावे।** प्रथम स्तरीय जांच हेतु भारत इलेक्ट्रोनिक्स लिमिटेड के तकनीशियनों या इंजिनियरों की उपलब्धता के अनुसार कार्यक्रम अलग से जारी किया जायेगा।

(iii) मशीनों की चैकिंग में यह विशेष ध्यान रखा जावे कि, मशीन के सभी प्रकार के स्विच चालू हालत में हों। सभी बटनों अर्थात बैलेट यूनिट के सभी 16 अभ्यर्थियों के बटन, ऑफ–ऑन स्विच, कंडीडेट सैट बटन, बैलेट बटन, क्लोज बटन, टोटल बटन, रिजल्ट बटन, डिस्पले पैनल, प्रत्येक बटन के साथ बीप की आवाज और जहां मशीन नये मॉडल की (राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा क्रय की हुई) है वहां रियल टाईम क्लॉक को चैक किया जावे।

(iv) चैकिंग के दौरान प्रत्येक मशीन से प्रत्येक अभ्यर्थी के लिए डमी वोट डालकर भी मशीन को चैक किया जावे कि, वह पूर्णतः चालू हालत में है या नहीं।

(v) प्रत्येक चैक की हुई नियंत्रण यूनिट एवं बैलेट यूनिट के पीछे एक **पीले रंग** का आयताकार स्टीकर चिपकाया जावे जिसमें नगरपालिका चुनाव, 2014, जिले का नाम, चैकिंग की तिथि एवं मशीन के यूनीक नंबर दर्ज किये जावें और प्रभारी अधिकारी (चैंकिग) भारत इलेक्ट्रोनिक्स लिमिटेड के तकनीशियनों या इंजिनियरों द्वारा उक्त स्टीकर पर चैकिंग के तुरन्त बाद स्टिकर में बताये गये स्थान पर अपने हस्ताक्षर मय तिथि के किये जावें।

(vi) चैकिंग के तुरन्त बाद नियंत्रण यूनिट/बैलेट यूनिट के पीछे लगाये जाने वाले पीले रंग के आयताकार स्टीकर (नमूना परिशिष्ट–1 पर देखें) राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा तैयार कराए जा रहे हैं। ये स्टीकर आपको अन्य निर्वाचन सामग्री के साथ आयोग के पत्रांक 4190 दिनांक 24.09.2014 में अंकित कार्यक्रमानुसार आवंटित किए जायेंगे। कृपया इन्हें निर्धारित तिथि पर **विशेष वाहक भेजकर** राज्य निर्वाचन आयोग के कार्यालय से प्राप्त कर लेवें।

(vii) अपेक्षित मात्रा में मशीनें प्राप्त कर मशीनों की चैकिंग का कार्य दिनांक 31.10.14 तक पूर्ण कर लिया जावे।

(5) चैकिंग के बाद मशीनों का भण्डारणः– (i) किसी भी राजनैतिक दल या चुनाव लड़ने वाले किसी अभ्यर्थी को यह संदेह नहीं रहना चाहिए कि, मशीनों में कोई गडबड़ी तो नहीं हैं। इस प्रयोजन से यह आवश्यक है कि, मशीनों की चैकिंग के बाद इन मशीनों को कोई भी अनाधिकृत व्यक्ति हाथ नहीं लगाये तथा ये सुरक्षित रहें। चैकिंग के बाद ये मशीनें बिल्कुल सुरक्षित रही हैं, यह विश्वास सभी राजनैतिक दलों एवं अभ्यर्थियों को होना चाहिए। इसलिए मशीनों की चैकिंग के बाद आगे आवंटन, वितरण आदि गतिविधियों में भी पारदर्शिता रहनी चाहिये और प्रत्येक गतिविधि की जानकारी मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों व अभ्यर्थियों को होनी चाहिए।

(ii) नियंत्रण यूनिटों एवं बैलेट यूनिटों की जैसे–जैसे चैकिंग होती जावे और उन पर भारत इलेक्ट्रोनिक्स लिमिटेड के तकनीशियनों या इंजिनियरों और प्रभारी अधिकारी द्वारा मशीन के पीछे वाले भाग पर पीले रंग का आयताकार स्टीकर चिपका कर उस पर चैकिंग के प्रमाणन स्वरूप अपने हस्ताक्षर दिये जायें। Checked व प्रमाण पत्र प्राप्त मशीनों को तुरन्त ही एक सुरक्षित अभिरक्षा वाले कक्ष में रखने की व्यवस्था की जानी होगी। चैक की हुई ऐसी मशीनों को जिस कक्ष में रखा जावे उसके डबल लॉक रखा जावे। डबल लॉक की एक चाबी जिला निर्वाचन अधिकारी के पास तथा दूसरी चाबी किसी अन्य अधिकारी जो जिला निर्वाचन अधिकारी नामित करे उसके पास रहे।

(iii) चैक की हुई उक्त मशीनों के कक्ष को सील भी किया जावे और इसको खोलने व वापस बन्द करने तथा प्रवेश करने वाले व्यक्तियों के नाम, पता व तिथि, समय व प्रयोजन दर्शाते हुए एक लॉग बुक भी संधारित की जावे।

(iv) उक्त चैकिंग कार्य जिले की सभी नगरपालिकाओं, जहां चुनाव होने हैं, के लिए जिला स्तर पर ही किया जावे और चैकिंग के बाद इनका भण्डारण भी जिला मुख्यालय पर किया जावे।

(6) प्रशिक्षण हेतु वोटिंग मशीनों की छंटनीः– (i) प्रत्येक चैक की हुई नियंत्रण यूनिट एवं बैलेट यूनिट के यूनिक नंबर का डेटा बेस जिला स्तर पर तैयार किया जावे। चैक की हुई ऐसी सभी नियंत्रण यूनिटों एवं बैलेट यूनिटों के डेटा बेस से रेन्डम आधार पर जिले में सभी नगर पालिकाओं के चुनाव में कर्मचारियों को प्रशिक्षण हेतु आवश्यक मात्रा में नियंत्रण यूनिट एवं बैलेट यूनिट की छंटनी कर उन्हे पृथक कर लिया जावे। मतदान केन्द्रों की संख्या की 10 प्रतिशत मात्रा में मशीनें प्रशिक्षण हेतु पर्याप्त हैं।

(ii) प्रशिक्षण हेतु छंटनी कर अलग की गई मशीनों का उपयोग मतदान में नहीं किया जावे। यह सुनिश्चित करने के लिए प्रशिक्षण के लिए अलग की हुई मशीनों के ऊपर एक गुलाबी रंग का गोल स्टीकर (नमूना परिशिष्ट–2 पर देखें) चिपकाया जावे। यह स्टीकर आपको राज्य निर्वाचन आयेाग द्वारा आंवटित किये जा रहे हैं।

(iii) प्रशिक्षण के लिए छंटनी कर पृथक की गई मशीनों को नगरपालिका वार (यदि जिले में एक से अधिक नगर पलिकाओं के चुनाव होने हैं) जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा आवंटित किया जावेगा और गुलाबी रंग के स्टीकर जो मशीन के अग्र भाग पर लगाया जाना है, उस पर मशीन का यूनिक नंबर अंकित किया जायेगा। प्रमाणन स्वरूप जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा मनोनीत अधिकारी द्वारा तिथि सहित हस्ताक्षरित किया जायेगा।

(iv) नगरपालिका वार प्रशिक्षण हेतु पृथक की गई मशीनों की एक सूची मशीनों के यूनिक नंबर सहित तैयार कर जिला निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय एवं रिटर्निंग अधिकारी के कार्यालय पर प्रदर्शित भी की जायेंगी।

(v) उक्त प्रकार से प्रशिक्षण हेतु पृथक की गई मशीने प्रशिक्षण देने वाले अधिकारियों को उसी दिन सुपुर्द कर उनसे हस्ताक्षर प्राप्त कर लिए जावें।

(vi) प्रशिक्षण हेतु मशीनों की छंटनी का कार्य 31.10.2014 तक संपन्न कर लिया जाये।

(7) मतदान के उपयोग हेतु मशीनों का रिटर्निंग अधिकारियों को आवंटनः– (i) प्रशिक्षण हेतु मशीनों को पृथक किये जाने एवं उन्हें प्रशिक्षण के प्रभारी अधिकारियों को दिये जाने के उपरान्त शेष मशीनें रिटर्निंग अधिकारियों को मतदान हेतु सौंपे जाने तक जिला निर्वाचन अधिकारी की कस्टडी में ही रहेंगी।

(ii) चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के उपरान्त और निर्वाचन की अधिसूचना प्रकाशित होने से तीन दिन पूर्व अर्थात **नामांकन प्रक्रिया प्रारम्भ होने से तीन दिन पूर्व** मतदान प्रक्रिया के उपयोग हेतु जिला मुख्यालय पर रखी हुई मशीनें (अर्थात प्रशिक्षण हेतु पृथक की गई मशीनों के बाद शेष बचीं सभी मशीनों) को नगरपालिका वार रिटर्निंग अधिकारियों को आवश्यकतानुसार वितरित की जायेंगी। जिस जिले में एक से अधिक नगरपालिकाएं हैं, वहां पर नगरपालिका वार नियंत्रण यूनिटों एवं बैलेट यूनिटों का आवंटन जिला निर्वाचन अधिकारियों द्वारा रेण्डम पद्धति के आधार पर किया जायेगा। जिस जिले में एक से अधिक नगरपालिकाओं के चुनाव हैं वहां नगरपालिका वार मशीनों के आवंटन के समय मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों को भी लिखित में आमंत्रित किया जाये ताकि वे भी कार्यवाही देख सकें और इस कार्यवाही का विवरण तैयार कर उपस्थित व्यक्तियों के हस्ताक्षर भी प्राप्त कर रिकार्ड में रखें जायें। यह उचित रहेगा कि जिस दिन प्रशिक्षण के लिए मशीनों की छंटनी की जाए, उसी दिन मतदान हेतु मशीने भी रिटर्निंग अधिकारी को आवंटित कर दी जाएं ताकि राजनैतिक दल एवं रिटर्निंग अधिकारी को बार–बार आने की आवश्यकता नहीं रहे।

(iii) नगरपालिका के लिए आवंटित नियंत्रण यूनिटों एवं बैलेट यूनिटों की एक सूची यूनीक नंबर दर्शाते हुए तैयार की जायेगी जो जिला निर्वाचन अधिकारी एवं रिटर्निंग अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित की जायेगी। इस सूची को जिला निर्वाचन अधिकारी एवं रिटर्निंग अधिकारी के कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित किया जायेगा, साथ ही मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों को इसकी एक प्रति सुपुर्द कर उनके हस्ताक्षर भी प्राप्त किये जायेंगें।

(iv) नगरपालिका हेतु मशीनों के आवंटन के बाद नियंत्रण यूनिट व बैलेट यूनिट के पीछे के भाग पर लगे पीले स्टिकर पर नगरपालिका का नाम अंकित कर जिला निर्वाचन अधिकारी के प्रतिनिधि द्वारा तिथि सहित हस्ताक्षर किये जायें।

(v) रिटर्निंग अधिकारी मतदान में उपयोग हेतु वोटिंग मशीनों को उपरोक्तानुसार आवंटन के तुरन्त बाद संबंधित नगरपालिका मुख्यालय पर लाकर अपनी सुरक्षित अभिरक्षा में रखेंगे। वोटिंग मशीनों का परिवहन करना पड़े तो परिवहन के दौरान मशीनों को समुचित पुलिस सुरक्षा भी प्रदान की जावे। नगरपालिका मुख्यालय पर इन मशीनों को जहां भण्डारण किया जावे उस भवन में समुचित सुरक्षा हेतु गार्ड व्यवस्था की जावे। भण्डारण कक्ष को सीलबन्द भी किया जावे। मशीनों के उक्त परिवहन के कार्यक्रम की एवं कक्ष को सीलबन्द करने के कार्यक्रम की लिखित सूचना मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों को भी दी जावें, ताकि वे भी कार्यवाही देख सकें।

(vi) नगर निगम या नगर परिषद् जहां हैं, वहां मतदान केन्द्रों की संख्या अधिक हैं। अतः नगर निगम या नगर परिषद् के मामलों में आवंटित मशीनों को कुछ वार्डों के समूह बनाकर, मशीनें अलग–अलग कक्षों में रखी जा सकती हैं। इसकी योजना इस प्रकार से बनायी जाये ताकि मतदान के उपयोग हेतु मशीनों की तैयारी भी पृथक से सहायक रिटर्निंग अधिकारी द्वारा कराई जा सके।

(vii) उक्त सीलबन्द सुरक्षित कक्ष में कोई भी अनाधिकृत व्यक्ति प्रवेश नहीं करे तथा जब इस सीलबन्द कक्ष को खोला जावे और बन्द किया जावे उसके संबंध में तथा प्रवेश करने वाले अधिकृत व्यक्ति के नाम, पद, तिथि, समय, प्रयोजन आदि की प्रविष्टियों हेतु लॅागबुक संधारित की जावे।

(viii) उक्त सीलबन्द कक्ष डबल लॉक में भी होंगे जिसकी एक चाबी रिटर्निंग अधिकारी के पास तथा दूसरी चाबी सहायक रिटर्निंग अधिकारी के पास रखी जावे।

(ix) नगरपालिका वार मशीनों के आवंटन, रिटर्निंग अधिकारियों को मशीनों की प्रदायगी तथा रिटर्निंग अधिकारियों द्वारा आवंटित मशीनों को प्राप्त कर अपनी सुरक्षित अभिरक्षा में रखने तक की कार्यवाही निर्वाचन की अधिसूचना जारी होने के तीन दिन पूर्व तक आवश्यक रूप से कर ली जावे क्योंकि इसके पश्चात रिटर्निंग अधिकारी नामांकन प्रक्रिया में व्यस्त हो जायेंगे।

(8) मतदान में उपयोग हेतु वोटिंग मशीनों का वार्ड वार चयन तथा वोटिंग मशीनों की तैयारीः–

(i) नगरपालिका (निर्वाचन) नियमों के अनुसार अभ्यर्थिता वापस लेने की अंतिम तिथि के अगले दिन चुनाव चिन्हों का आवंटन होता है। तत्पश्चात् ही मतपत्रों का मुद्रण संभव हो पाता है।। चुनाव चिन्ह आवंटन की तिथि एवं मतदान की तिथि के मध्य अन्तराल भी कुछ ही दिनो का होता है ऐसी स्थिति में बैलेट यूनिट पर लगाये जाने वाले मतपत्रों का मुद्रण दो या तीन दिन के भीतर ही करा लेना आवश्यक है। इन मतपत्रों के मुद्रण के बाद ही वोटिंग मशीनों की तैयारी रिटर्निंग अधिकारी द्वारा किया जाना संभव है। अतः उपरोक्त स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए मतदान के कम से कम तीन दिन पूर्व की तिथि वोटिंग मशीनों की तैयारी के लिए निश्चित करके रखी जावे।

(ii) रिटर्निंग अधिकारी द्वारा वोटिंग मशीनों की तैयारी करने की तिथि, समय, एवं स्थान के बारे में चुनाव लडने वाले अभ्यर्थियों को आवश्यक रूप से पूर्व में ही लिखित नोटिस के द्वारा अवगत करा दिया जावे और उन्हे स्वयं या अपने प्रतिनिधियों को उक्त समय, स्थान व तिथि पर उपस्थित होने के लिए लिखा जावे। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नियुक्त पर्यवेक्षक को भी उक्त कार्यक्रम से अवगत कराया जावे ताकि वे भी मशीनों की तैयारी की प्रक्रिया को देख सकें।

(iii) चूंकि नगरपालिका में कई वार्ड होते हैं व प्रत्येक वार्ड एक निर्वाचन क्षेत्र है, अतः प्रत्येक वार्ड की मशीनों की तैयारी किस–किस समय की जायेगी इसकी अग्रिम योजना भी रिटर्निंग अधिकारी द्वारा तैयार की जावे और तदनुसार ही निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों को उपस्थित रहने हेतु अवगत कराया जावे।

(iv) मतदान के उपयोग हेतु मशीनों को तैयार करने से पूर्व रिटर्निंग अधिकारी नगरपालिका के लिए आवंटित मशीनों में प्रत्येक वार्ड के लिए मतदान केन्द्रों की संख्या को दृष्टिगत रखते हुए रेण्डम पद्धति से वार्ड वार नियंत्रण यूनिट एवं बैलेट यूनिट का चयन करेगा। जैसे–जैसे वार्ड वार मशीने मतदान के उपयोग हेतु तैयार करने की आवश्यकता हो, वैसे–वैसे वार्ड वार मशीनों का चयन अभ्यर्थियों या उनके प्रतिनिधियों की उपस्थिति में किया जाये।

(v) मतदान के उपयोग हेतु किसी वार्ड के लिए नियंत्रण यूनिट व बैलेट यूनिट का चयन करने के तुरन्त उपरान्त उस वार्ड के लिए मशीनें तैयार करने की प्रक्रिया की जावे, इस हेतु सर्वप्रथम यह सुनिश्चित करें कि, मशीन चालू हालत में हैं या नहीं। इस प्रयोजन हेतु दिखावटी मतदान भी मशीनों पर अभ्यर्थियों की उपस्थिति में किया जावे।

(vi) उपरोक्त दिखावटी मतदान के तुरन्त बाद बैलेट यूनिट में मतपत्र को लगाने की प्रक्रिया प्रारम्भ की जाये। **बैलेट यूनिट में लगाये जाने वाले मतपत्र के पीछे रिटर्निंग अधिकारी अपने हस्ताक्षर कर सील भी लगायेगा।** इसके बाद नियंत्रण यूनिट में नई बैटरी लगाने, कण्डीडेट सैट करने, कण्डीडेट सैट खण्ड को सील करने आदि की कार्यवाही स्टेप–बाई–स्टेप रिटर्निंग अधिकारी द्वारा उसी प्रक्रिया से की जाये जैसा कि EVM की अनुदेश निर्देशिका में बताया गया है। मशीन तैयार करते ही बैलेट यूनिट एवं कंट्रोल यूनिट के कण्डीडेट सेक्शन को रिटर्निंग अधिकारी सील करेंगे और उपस्थित अभ्यर्थियों/प्रतिनिधियों से भी अपनी सील लगाने हेतु कहेंगे। (देखें नियम–32क)

(vii) मतपत्र बैलेट यूनिट में लगाते समय ध्यान रखें कि, मतपत्र में अभ्यर्थियों तथा नोटा (उपरोक्त में से कोई नहीं) के पैनल की लाईनों का एलाईनमेंट बैलेट यूनिट में अभ्यर्थी के लिए रखे स्थान की सीध में हो।

(viii) एक वार्ड के लिए मशीनें तैयार करने के बाद उन्हें मतदान केन्द्रों के लिए आवंटित किया जाये तथा वार्ड नम्बर एवं मतदान केन्द्र संख्या मशीन के पीछे पीले स्टिकर पर अंकित कर रिटर्निंग अधिकारी द्वारा पीले स्टीकर पर यथा स्थान, तिथि सहित हस्ताक्षर किये जायें।

(ix) जैसे ही एक वार्ड के लिए मशीनें उपरोक्त रीति से तैयार हो जायें उन्हें सुरक्षित अभिरक्षा में रख दिया जाये। वार्ड में मतदान के उपयोग हेतु तैयार की गई मशीनों की सूची उनके यूनिक नंबर व आवंटित मतदान केन्द्र दर्शाते हुए अभ्यर्थियों/प्रतिनिधियों को तत्समय ही देकर हस्ताक्षर प्राप्त कर लिये जायें। एक वार्ड के लिए उपरोक्त कार्यवाही करने के पश्चात् अन्य वार्डों के लिए मशीनों की तैयारी एक–एक वार्ड वार की जाए।

(x) नगर निगमों व नगर परिषदों जहां मतदान केन्द्रों की संख्या काफी अधिक हैं, वहां अलग–अलग वार्डों के समूह बनाकर अलग–अलग कक्षों में रखी गयी मशीनें उस समूह के वार्डों के लिए सहायक रिटर्निंग अधिकारी

द्वारा तैयार कराई जा सकती हैं। किसी वार्ड के लिए मशीनों का चयन भी उसी कक्ष में रखी हुयी मशीनों में से किया जाये। नगर निगमों में एक से अधिक सहायक रिटर्निंग अधिकारियों द्वारा उक्त कार्य किया जा सकता है ताकि मशीनों की तैयारी में अत्यधिक समय न लगे।

(xi) नगर निगमों व नगर परिषदों में एक वार्ड में अनेक मतदान केन्द्र होंगे। अतः इनके वार्डों के लिए आरक्षित मशीनें भी तैयार कर रखी जायें। लेकिन कुछ नगर पालिकाओं के एक वार्ड में एक या दो मतदान केन्द्र भी हो सकते है, इस स्थिति में वार्ड के लिए मशीने आरक्षित रखने की व्यवस्था मशीनों की उपलब्धता व परिस्थितियों के अनुसार की जाये।

(9) **तैयारशुदा वोटिंग मशीनों की सुरक्षित अभिरक्षाः–** (i) उपरोक्त रीति से तैयार की गई वोटिंग मशीनें तथा आरक्षित वोटिंग मशीनें रिटर्निंग अधिकारी की सुरक्षित अभिरक्षा में डबल लॉक में रहेंगी। सुरक्षित अभिरक्षा के कक्ष को सीलबन्द रखा जाये और उस कक्ष के दरवाजे पर अभ्यर्थी या उनके प्रतिनिधी भी चाहें तो सील लगा सकेंगे।

(ii) उक्त स्ट्रॉग रूम को खोलने या बन्द करने और उसमें प्रवेश आदि के संबंध में लॉग बुक संधारित की जाये।

(iii) जब भी उक्त स्ट्रॉग रूम को खोला जाये तो उसकी पूर्व सूचना अभ्यर्थियों को दी जावे।

(10) **मतदान दलों को वोटिंग मशीनों का वितरणः–**(i) जहां पर उक्त तैयारशुदा वोटिंग मशीन रखी गई हैं वहां से मतदान कार्मिकों को वोटिंग मशीन वितरण करने का स्थल यदि भिन्न है तो, वोटिंग मशीनों के परिवहन का कार्यक्रम पर्यवेक्षक तथा अभ्यर्थियों को पूर्व में अवगत कराया जावे। वोटिंग मशीन के परिवहन में मशीनों की समुचित सुरक्षा की जावे। वितरण स्थल पर भी पर्याप्त सुरक्षा रखी जावे।

(ii) पीठासीन अधिकारियों को जब मशीनें वितरित की जायें तब पीठासीन अधिकारियों के प्राप्ति हस्ताक्षर प्राप्त किये जायें। कौनसी मशीन किस मतदान केन्द्र के लिए दी गई है, का पर्याप्त रिकार्ड रखा जावे।

(iii) पीठासीन अधिकारियों को यह भी बताया जाये कि, उन्हें प्रदान की गई मशीन का नंबर वे चैक कर लें कि, मशीन का नंबर मशीन के पीछे लगे स्टीकर और ऐड्रेस टैग के अंकन के अनुसार है भिन्न नहीं हैं।

(iv) जहां किसी मतदान केन्द्र पर मतदान से पूर्व या मतदान के दौरान कोई मशीन बदली जाये तो उसकी लिखित सूचना अभ्यर्थियों को भी उपलब्ध कराई जावे।

(11) **वोटिंग मशीन से संबंधित रजिस्टर का संधारणः–** (i) रिटर्निंग अधिकारी द्वारा भी अपने स्तर पर नगरपालिका के मतदान के उपयोग हेतु प्राप्त सभी मशीनों के विवरण के साथ एक रजिस्टर संधारित किया जावेगा। रजिस्टर में समस्त सूचना होगी कि, कौनसी नियंत्रण यूनिट/बैलेट यूनिट कौनसे वार्ड के किस मतदान केन्द्र पर उपयोग में आयी है, या कौनसी नियंत्रण यूनिट/बैलेट यूनिट बदली गई है आदि।

(ii) मतदान के बाद प्राप्त होने वाली मशीनों का विवरण भी उक्त रजिस्टर में ही अंकित किया जायेगा।

(12) **मतदान पश्चात वोटिंग मशीन की सुरक्षित अभिरक्षाः–**(i) चूंकि मतगणना नगरपालिका मुख्यालय पर ही होनी है, अतः मतदान के पश्चात वोटिंग मशीन नगरपालिका मुख्यालय पर ही मतगणना स्थल पर सुरक्षित अभिरक्षा में रखी जायेंगी।

(ii) वोटिंग मशीन के स्ट्रॉग रूम को रिटर्निंग अधिकारी द्वारा सीलबन्द रखा जावेगा। अभ्यर्थियों या उनके निर्वाचन अभिकर्ताओं को भी स्ट्रॉग रूम के दरवाजे/खिड़कियों पर अपनी सील लगाने की अनुमति दी जावेगी तथा उन्हें यह अनुमति भी दी जायेगी कि, वे निर्धारित दूरी से स्ट्रॉग रूम की निगरानी रख सकते हैं।

(iii) स्ट्रॉग रूम की सुरक्षा के लिए उपयुक्त स्थानों पर CCTV कैमरे भी स्थापित किये जायेंगे।

(iv) स्ट्रॉग रूम में अग्नि सुरक्षा के उपाय भी रखे जायेंगे।

(v) स्ट्रॉग रूम व मतगणना परिसर में दोहरे स्तर की सुरक्षा व्यवस्था रखी जायेगी।

(vi) मतगणना कक्ष में वार्डवार एवं मतदान केन्द्र वार आवंटित नियंत्रण यूनिट की सूची मतगणना के दौरान नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित की जावेगी।

(vii) जहां पर पुनर्मतदान होगा उस मतदान केन्द्र पर मूल रूप से मतदान में उपयोग में लाई गई मशीन को भी स्टॉग रूम में ही रखा जायेगा जिस पर साफ–साफ एक टैग "**गणना नहीं करनी है**" अंकित करते हुए उस नियंत्रण यूनिट पर लगाया जायेगा और उसे सीलबन्द ही रखा जायेगा। पुनर्मतदान होने पर नई मशीन पर साफ–साफ टैग "**पुर्नमतदान की वोटिंग मशीन–गणना की जानी है**" अंकित करते हुए लगाया जायेगा। उपरोक्त दोनों प्रकार के टैग रिटर्निंग अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित किये जायेंगे।

(13) **ई. वी. एम. संबंधी तैयारी आदि घटनाओं की विडियोग्राफीः–** पारदर्शिता के लिए आवश्यक है कि, वोटिंग मशीन की विभिन्न स्तरों पर की गई गतिविधियों यथा वोटिंग मशीन की तैयारी, वोटिंग मशीन की सीलिंग, स्ट्रॉग

रूम की सीलिंग, स्ट्रॉग रूम को खोलने आदि प्रक्रियाओं की विडियोग्राफी भी की जावे। उक्त विडियोग्राफी का रिकार्ड समुचित रूप से संधारित रखा जावे, जो निर्वाचन रिकार्ड के रूप में संधारित होगा।

(14) **मतगणना के पश्चात मशीनों की सुरक्षित अभिरक्षाः–** मतगणना व परिणाम की घोषणा के पश्चात् मशीनें जिला मुख्यालय पर कोषागार में रिटर्निंग अधिकारी की सुरक्षित अभिरक्षा में रखी जायेंगी। नगर पालिका निर्वाचनों में निर्वाचन याचिका प्रस्तुत करने की मियाद 30 दिवस निर्धारित है। निर्वाचन याचिका प्रस्तुत होने की स्थिति में निर्वाचन याचिका के निस्तारण के तीन माह की अवधि समाप्त होने तक और अपील हाने की स्थिति में अपील के निस्तारण तक मशीनें सीलबन्द सुरक्षित अभिरक्षा में रखी जायेंगी। जिन वार्डों में कोई निर्वाचन याचिका प्रस्तुत नहीं होती है अथवा निर्वाचन संबंधी कोई मामला न्यायालय में नहीं हो वहां परिणामों की घोषणा के 30 दिवस बाद मशीनों को क्लीयर किया जायेगा, अर्थात मशीनों की सील हटायी जायेगी, नियंत्रण यूनिट की सूचना हटायी जायेगी और बैलेट यूनिट में प्रदर्शित मतपत्र को भी हटाया जायेगा। तत्पश्चात् इन मशीनों को रिटर्निंग अधिकारी द्वारा जिला निर्वाचन अधिकारी को वापस कर दिया जावेगा। इस विषय में राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा प्रसारित स्थाई आदेश सं. प. 4(2)(1)वो/नपा/रानिआ/94/3150 दिनांक 6.11.99 का अनुसरण किया जावे।

(15) उक्त कार्यवाही के बाद जो मशीनें निर्वाचन विभाग की हैं, उन्हें उसी समय निर्वाचन विभाग को लौटा दिया जावे।

कृपया उपरोक्तानुसार व्यवस्था सुनिश्चित करते हुए प्रक्रिया/निर्देशों से सभी रिटर्निंग अधिकरियों व अन्य संबंधित अधिकारियों को अवगत करायें। उक्त व्यवस्था वोटिंग मशीनों से कराए जाने वाले समस्त आगामी चुनावों हेतु भी लागू होगी।

–ह0–
(सत्यप्रकाश बसवाला)
मुख्य निर्वाचन अधिकारी एवं सचिव
राज्य निर्वाचन आयोग,
राजस्थान, जयपुर।

परिशिष्ट–1

(पीले रंग में)

Name of Election-
Name of District-
Ballot Unit No.-
First Level Check. Date-
Date & Sign. of Cheking Official
Name of Municipality
Date & Sign. of DEO's representative-
Deployment Status - Ward No.
- Polling Station No.-
Date & Sign. of RO/ARO

(पीले रंग में)

Name of Election-
Name of District-
Control Unit No.-
First Level Check. Date-
Date & Sign. of Cheking Official
Name of Municipality
Date & Sign. of DEO's representative-
Deployment Status - Ward No.
- Polling Station No.-
Date & Sign. of RO/ARO

परिशिष्ट–2

Municipal Elections
2014

Training

Ballot Unit No. ....

Sign. of DEO's Representative

Municipal Elections
2014

Training

Control Unit No. ....

Sign. of DEO's Representative

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(द्वितीय तल, विकास खण्ड, सचिवालय, जयपुर3 –302005)

क्रमांकः एफ 4(1)(6)/नपा/रानिआ/09/4545–46 दिनाक : 08.10.2014

1. समस्त जिला नगरपालिका निर्वाचन अधिकारी,
   (कलेक्टर), राजस्थान।

2. समस्त रिटर्निंग अधिकारी (नगरपालिका निर्वाचन)
   मार्फत संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारी

विषयः–नगरपालिका निर्वाचन हेतु इलेक्ट्रोनिक वोटिंग मशीन (EVM) पर प्रदर्शन हेतु मतपत्रों एवं निविदत्त (Tender) मतपत्रों के मुद्रण हेतु दिशा–निर्देश।

महोदय,

राज्य में नगरपालिका चुनावों में मतदान इलेक्ट्रोनिक वोटिंग मशीनों (EVM) से कराया जाता है। वोटिंग मशीन की मतदान यूनिट में प्रदर्शित करने हेतु मतपत्र का प्ररूप (डिजाईन) राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा राजस्थान नगरपालिका (निर्वाचन) नियम, 1994 के नियम 34–क के अन्तर्गत आदेश क्रमांक प. 1(2)(1)नपा–पंचा/रानिआ/14/3152 दिनांक 05.08.2014 (सांविधिक आदेश संख्या 87/2014) से विहित किया है। इसके अतिरिक्त नियम 44–क के अन्तर्गत निविदत्त मतपत्र का प्ररूप (डिजाईन) सांविधिक आदेश संख्या 27/99 दिनांक 28.10.99 के अनुसार निर्धारित किया हुआ है। जिसके अनुसार निविदत्त मतपत्र भी उसी डिजाईन में होगा जिसमें मतदान यूनिट में प्रदर्शित करने हेतु मतपत्र का डिजाईन है सिवाय इसके कि, इसको पीठ पर ''निविदत्त मतपत्र'' स्टांपित किया जावेगा।

वोटिंग मशीन की मतदान यूनिट में प्रदर्शित करने हेतु मतपत्रों एवं निविदत्त मतपत्रों का मुद्रण करवाते समय निम्नलिखित बिन्दुओं को भी ध्यान में रखा जाए:–

1. उक्त सां. आ. सं. 87/2014 दिनांक 5.08.2014 के मद सं. (vii) में वर्णित उर्ध्वाकार कॉलम (Vertical Column) में निर्वाचन की विशिष्टियां आदि सांकेतिक शब्दों में मुद्रित होंगी। उदाहरणार्थ – वार्ड सं. 21 जयपुर नगरनिगम के निर्वाचन हेतु ''**वार्ड–21/जयपुर/14/सा.नि.**'' अंकित होगा। ईवीएम मतदान यूनिट में प्रदर्शित करने हेतु मतपत्र का नमूना नोटा (उपरोक्त में से कोई नहीं) के विकल्प सहित अभ्यर्थियों की संख्या 16 से कम होने पर और 16 से अधिक होने पर क्रमशः परिशिष्ट–1 एवं 2 पर संलग्न हैं।

2. मतपत्रों के मुद्रण में विशेष रूप से यह सावधानी रखना आवश्यक है कि, मतपत्र के उपर खाली जगह के नीचे तथा दो उम्मीदवारों अथवा नोटा के विकल्प हेतु जैसी भी स्थिति हो, के मध्य विभाजन रेखा 1 एम. एम. मोटी हो जैसा कि ऊपर बताये गये सां. आ. सं. 87/2014 के मद सं. (vi) में बतायी गयी है। प्रत्येक उम्मीदवार एवं नोटा को आवंटित स्थान की ऊचाई 27.5 एम.एम. होनी चाहिए जैसा कि, सांविधिक आदेश सं. 87/2014 के उक्त निर्देशों में मद सं. (v) मे बताया गया है। उम्मीदवारों के पैनल में उम्मीदवारों की क्रम संख्या के बायीं साईड में ऊपर से नीचे मोटी विभाजन रेखा खीचते हुये निर्वाचन का विवरण दर्ज किया जावेगा। उक्त सां. आदेश संख्या 87/2014 के मद सं. (v) में अभ्यर्थी के पैनल की चौड़ाई 138 एम. एम. बतायी गयी है, लेकिन ऊपर से नीचे बांयी साईड में विभाजन रेखा खीचने पर यह चौड़ाई कुछ कम हो जावेगी।

3. इस बात का विशेष ध्यान रखा जावे कि, मतपत्रों पर अभ्यार्थियों के मध्य एवं अंतिम अभ्यर्थी और नोटा हेतु विकल्प के मध्य की जो विभाजित रेखा है, उसका अलाईनमेंट मतदान यूनिट की लाईन के एकदम उपर है, यानि मतदान यूनिट की लाईन की सीध में ही मतपत्र में दो अभ्यर्थियों के मध्य एवं अंतिम अभ्यर्थी और नोटा हेतु विकल्प के मध्य दर्शायी गयी विभाजन रेखा होनी चाहिए। सही एलाईनमेंट के लिये एक मतदान यूनिट मुद्रणालय में भी रखी जावेगी और मतपत्रों का प्ररूप अनुमोदन (Proof Reading) करने से पहले मतदान यूनिट से मतपत्रों में दर्शाये गये उक्त विभाजन रेखाओं का एलाईनमेंट चैक किया जावेगा।

4. मतपत्रों पर हैण्ड नंबरिंग मशीन से पांच अंकों में या हाईटाईप नंबरिग मशीन से छः अंकों में या सात अंकों में जैसा भी सुविधा जनक हो नम्बर लगाये जावेंगे तथा क्रम संख्या 10,000 या 1,00,000 या 10,00,000 जैसी भी स्थिति हो, से प्रारम्भ की जावेगी लेकिन एक मुद्रणालय में मुद्रित होने वाले सभी मतपत्रों पर नंबरिग एक ही प्रकार से लगायी जावेगी। नंबरिंग में पूरी सावधानी बरती जावेगी।

5. इन मतपत्रों के बंडलो को स्टिच करने की आवश्यकता नहीं है। मतपत्रों के 20–20 के बण्डल बनाये जावेंगे, ताकि निविदत्त मतों के लिये मतदान केन्द्र पर 20–20 का बण्डल पूरा ही आवंटित किया जा सके। इन बण्डलों पर मुद्रित पट्टी लगाई जावेगी जिस पर ''1. नगरपालिका का नाम, 2. वार्ड संख्या, 3. मतपत्रों की क्रम संख्या .... से ....'' तक विशिष्टियां अंकित की जावेंगी। 20–20 मतपत्रों के बण्डलों का वार्डवार एक पैकिट बनाया जावेगा। पैकिट के ऊपर भी उपर्युक्त विवरण दर्शाने वाली स्ट्रिप चिपकायी जावेगी।

6. मतपत्रों को उनकी साईज वोटिंग मशीनों के अनुरूप सही–सही काटने के लिए वोटिंग मशीनें मुद्रणालयों में सही स्थिति में रहनी चाहियें। कटिंग के समय आकार का विशेष ध्यान रखा जावे।

7. मुद्रित किये जाने वाले मतपत्रों की कुल आवश्यकता और इस प्रकार मुद्रण निम्नलिखित आधार पर होगाः–

   (i) प्रत्येक मतदान यूनिट पर प्रदर्शन के लिए एक मतपत्र की आवश्यकता होगी। इसलिए इस प्रयोजन के लिए आवश्यक मतपत्रों की संख्या प्रयुक्त की जाने वाली मतदान मशीनों जिनमें रिजर्व मशीनें सम्मिलित हैं, की संख्या के बराबर होगी।

   (ii) प्रत्येक मतदान केन्द्र को निविदत्त मतपत्रों के रूप में प्रयुक्त किये जाने के लिए 20 मतपत्र प्रदत्त किये जावें। निविदत्त मतपत्रों के रूप में प्रयोग करने के लिए मतदान केन्द्रों को प्रदाय किये जाने वाले मतपत्रों की कुल आवश्यकता तद्नुसार निश्चित की जावेगी। यह संबंधित वार्ड में मतदान केन्द्रों की संख्या पर निर्भर करेगी।

   (iii) उपर्युक्त पैरा (i) और (ii) के अनुसार निश्चित की गयी मतपत्रों की कुल आवश्यकता के अतिरिक्त उपर्युक्त संख्या के 10 प्रतिशत मतपत्र आकस्मिकताओं जैसे–मतदान यूनिट में मतपत्रों को लगाते समय फट जाना, त्रुटियुक्त मतपत्र आदि के लिये अतिरिक्त मतपत्र के रूप में मुद्रित किये जावें।

8. मतपत्र जब मुद्रणालय में मुद्रणाधीन हों तब आपको यह सुनिश्चित करने के लिए कि, निर्वाचन लड़ने वाले सभी अभ्यर्थियों के नाम व उनका क्रम और उनमें से प्रत्येक को आवंटित प्रतीक तथा निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों के अन्त में नोटा का विकल्प एवं इस हेतु निर्धारित प्रतीक सही रूप में मुद्रित किये गये हैं। मतपत्रों की जांच करते समय विशेष ध्यान रखा जावे।

9. मुद्रणालय से मुद्रित मतपत्रों के प्राप्त होने पर मतपत्रों की जांच की जानी चाहिए। मुद्रणालय द्वारा प्रदाय किये गये मतपत्रों की संख्या और आपके पास वास्तविक गणना करने पर पायी गयी संख्या में कोई मतपत्र किसी भी रीति से त्रुटियुक्त या गलत नंबरिंग का पाया जाता है या किसी मतपत्र की क्रम संख्या गायब है तो, रजिस्टर में स्पष्ट रूप से नोट किया जाना चाहिए और आपके कार्यालय के सूचना पट्ट पर प्रकाशित किया जाना चाहिए।

10. मुद्रित मतपत्रों को मुद्रणालय से ले जाने के दौरान मुद्रणालयों से कोषागार तक पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था की जावे कोई मतपत्र किसी अनाधिकृत व्यक्ति के हाथ में नहीं आवे तथा मतदान के प्रयोजन में काम आने तक इन्हें कोषागार में सुरक्षित रखा जावे।

11. मुद्रणालय में अन्य मुद्रण कार्यो के साथ मतपत्रों का मुद्रण का कार्य नहीं किया जावे। मुद्रणालय में भी सुरक्षा व्यवस्था की जावे।

12. मतपत्रों का मुद्रण निजी मुद्रणालयों में कराया जाएगा। इस हेतु आयोग द्वारा अपने पत्रांक 4409 दि. 30.09.14 से निर्देश जारी किए जा चुके हैं। मतपत्रों का मुद्रण कार्य चुनाव चिन्हों के आवंटन के दिन से प्रारम्भ होगा। मतपत्रों के मुद्रण का कार्य मतदान दिवस से कम से कम 3 दिवस पूर्व पूरा करा लिया जावे, ताकि मतदान दलों की रवानगी से कम से कम एक दिन पहले तक अभ्यर्थियों/उनके प्रतिनिधियों के समक्ष मशीनें तैयार की जा सकें। इस प्रकार मतपत्रों के मुद्रण के लिए वस्तुतः 3 या 4 दिन का अधिकतम समय उपलब्ध रहेगा। इसलिए आपको मतपत्रों के मुद्रण हेतु समस्त प्रकार की व्यवस्था, अग्रिम तैयार के रूप में रखनी है। आपके प्रतिनिधि संबंधित मुद्रणालय में प्रतीकों के आवंटन की तारीख को ही निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यार्थियो की सूची एवं उन्हें आवंटित किये गये प्रतीक तथा नोटा के विकल्प एवं इस हेतु निर्धारित प्रतीक के साथ पहुंच जाने चाहियें। यह ध्यान रखें कि, सभी वार्डों के मतपत्र सही रूप से मुद्रित हो गये हैं, उन पर क्रम संख्याक भी सही रूप से मुद्रित हो गई हैं, मशीनों में प्रदर्शित करने हेतु उनका आकार सही है आदि–आदि।

13. मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के लिए आरक्षित चुनाव प्रतीकों एवं मुक्त चुनाव प्रतीकों की सूची हेतु आयोग द्वारा अधिसूचना अपने पत्रांक 4270 दिनांक 26.09.2014 द्वारा जारी कर दी गई है। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार आपको यह सुनिश्चित करना है कि, मतपत्र में

उन्हीं चुनाव प्रतीकों को मुद्रित किया जाए जो अधिसूचना में वर्णित हैं, अन्य कोई चुनाव प्रतीक मुद्रित नहीं होना है। आयोग द्वारा निर्धारित प्रतीकों के अलावा अन्य चुनाव प्रतीक काम में नहीं लेने हैं। यदि कोई विशेष परिस्थिति हो तो उसके लिए आपको आयोग की अनुमति लेना अनिवार्य है। आरक्षित चुनाव प्रतीकों एवं मुक्त चुनाव प्रतीकों की सूची **परिशिष्ट–3 पर संलग्न** है।

14. मतपत्रों के लिए कागज की व्यवस्था राजकीय मुद्रणालय से ही की जावेगी। निर्वाचन हेतु मतपत्रों का कागज का रंग **सफेद** होगा।

15. निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची एवं नोटा हेतु विकल्प के लिए ''उपरोक्त में से कोई नहीं'' शब्दावली जो कि हिन्दी में देवनागरी लिपि में होगी तथा उन्हें आवंटित चुनाव प्रतीक की सूची सही रूप से चैक कर ली जावे। मतपत्र पर अभ्यर्थियों के नाम उसी रीति एवं क्रम से दर्शित किये जायेंगे जिस रीति व क्रम में वे निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची में आये हैं। निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की दो श्रेणियां होंगी और अभ्यर्थियों के नामों को सूचीबद्ध करने में अभ्यर्थियों को दो श्रेणियों में वर्गीकृत किया जावेगा अर्थात प्रथम श्रेणी में मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों द्वारा खड़े किये गये अभ्यर्थी और दूसरी श्रेणी में निर्दलीय अभ्यर्थी आयेंगे। प्रत्येक श्रेणी में अभ्यथियों के नाम हिन्दी वर्णमाला के क्रमानुसार आयेंगे। निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची में जो क्रम अभ्यर्थी का होगा वही क्रम मतपत्र में भी रहेगा। यहां यह भी स्पष्ट किया जाता है कि, उक्त दोनों श्रेणी का हैडिंग (शीर्षक) निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची में तो अंकित होगा लेकिन मतपत्र में अंकित नहीं होगा। मतपत्र में निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों में अंतिम अभ्यर्थी के पश्चात् नोटा (उपरोक्त में से कोई नहीं) का विकल्प तथा उसके लिए निर्धारित प्रतीक अंकित किया जावेगा। आप द्वारा अधिकृत किये गये प्रतिनिधि इस सूची को अपने साथ रखेंगे। सूची सुस्पष्ट और सुपठनीय होनी चाहिये। नगरपालिका का नाम एवं वार्ड संख्या का विवरण भी स्पष्ट एवं सही अंकित होना चाहिए।

16. मतपत्र के मुद्रण में कहीं अशुद्वि नहीं रहे इसके लिए आपको निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची को भी सही तरह से तैयार करना है। मतपत्रों के मुद्रण को प्रारम्भ करने से पूर्व उनके प्रूफ को चैक करना है, जिसके लिये आपको अधिकृत प्रतिनिधि के साथ पर्याप्त मात्रा में जानकार स्टॉफ लगाना है। निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची के आधार पर ही उसी क्रम में मतपत्र में अभ्यर्थियो का नाम मुद्रित होगा और उसी अनुरूप होगा। अतः निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों के नाम दोनों प्रकार की श्रेणियों में श्रेणीवार हिन्दी वर्णमाला के क्रमानुसार हों। श्री/श्रीमती/कुमारी आदि शब्द अंकित नहीं होंगे। आरक्षित वार्डों के लिए मुद्रित होने वाले मतपत्रों में वार्ड का वर्ग अजा/अजजा/अपिव या महिला आदि कहीं पर भी अंकित नहीं होगा। यह ध्यान रखा जाए कि, निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची में अंतिम अभ्यर्थी के पश्चात् नोटा हेतु विकल्प एवं इस हेतु निर्धारित प्रतीक चिन्ह भी अंकित किया जाए। तद्नुसार ही मतपत्रों का मुद्रण कराया जाए।

17. मुद्रित कराए जाने वाले मतपत्रों की वार्डवार संख्या से आप अविलम्ब संबंधित मुद्रणालय को अवगत करा दें तथा आवश्यकतानुसार कागज आपके जिले से संबंधित राजकीय मुद्रणालय से प्राप्त कर लें। नगरपालिकावार मुद्रित होने वाले मतपत्रों की अनुमानित संख्या प्रति मतदान केन्द्र हेतु 25 रखें। मुद्रित होने वाले मतपत्रों की वास्तविक मात्रा रिटर्निंग अधिकारी बतायेंगे।

18. **नगरपालिका का कोई भी स्टॉफ मतपत्रों के मुद्रण के कार्य में नहीं लगाया जाए।**

19. मतपत्रों को मतदान मशीनों की मतदान यूनिटों पर लगाए जाने और निविदत्त मतपत्रों के रूप में प्रयोग हेतु मतदान केन्द्रों को प्रदाय किए जाने के पश्चात् सुरक्षित रखे हुये कुछ मतपत्र आपके पास अवितरित रह सकते हैं। ऐसे अवितरित शेष रहे मतपत्रों को निर्वाचन पूरा होने के पश्चात् जिला नगरपालिका निर्वाचन अधिकारी ऐसे बक्से/सन्दूक में रखते हुए सुरक्षित अभिरक्षा में रखेंगे जिनका निस्तारण 6 माह पश्चात् किया जाएगा। शेष मतपत्रों के निस्तारण की प्रक्रिया राज्य निर्वाचन आयोग के सांविधिक आदेश 30/99 दिनांक 06.11.1999 में विनिर्दिष्ट की गई है।

उपरोक्तानुसार मतपत्रों के मुद्रण के संबंध में यथा समय वांछित व्यवस्था सम्पन्न कर ली जावें ताकि चुनाव कार्यक्रम में किसी प्रकार का कोई व्यवधान उत्पन्न नहीं हो।

संलग्न – परिशिष्ट 1 से 3।

आज्ञा से,
–ह0–
(सत्यप्रकाश बसवाला)
मुख्य निर्वाचन अधिकारी एवं सचिव

परिशिष्ट–1

मतपत्र की कम संख्या	1. मनोज कुमार	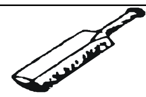
	2. मनोज कुमार	
	3. मनोज कुमार	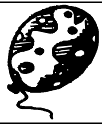
	4. मनोज कुमार	
	5. मनोज कुमार	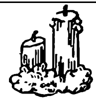
	6. मनोज कुमार	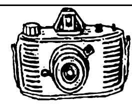
वार्ड 21 / जयपुर / 14–सा.नि.	7. मनोज कुमार	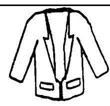
	8. मनोज कुमार	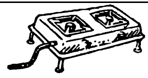
	9. मनोज कुमार	
	10. मनोज कुमार	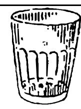
	11. मनोज कुमार	
वार्ड 21 / जयपुर / 14–सा.नि.	12. मनोज कुमार	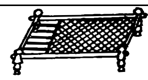
	13. मनोज कुमार	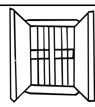
	14. मनोज कुमार	
	15. उपरोक्त में से कोई नहीं	NOTA

	1. मनोज कुमार	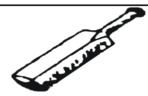
	2. मनोज कुमार	
मतपत्र की क्रम संख्या	3. मनोज कुमार	
	4. मनोज कुमार	
	5. मनोज कुमार	
	6. मनोज कुमार	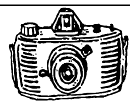
	7. मनोज कुमार	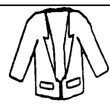
वार्ड 21 / जयपुर / 14–सा.नि.	8. मनोज कुमार	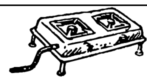
	9. मनोज कुमार	
	10. मनोज कुमार	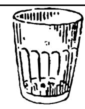
	11. मनोज कुमार	
	12. मनोज कुमार	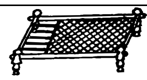
वार्ड 21 / जयपुर / 14–सा.नि.	*13. मनोज कुमार*	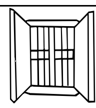
	14. मनोज कुमार	
	15. मनोज कुमार	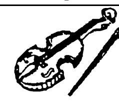
शीट नं. 1	*16. मनोज कुमार*	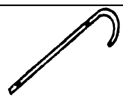

शीट नं. 2 वार्ड 21/जयपुर/14–सा.नि. वार्ड 21/जयपुर/14–सा.नि. मतपत्र की कम संख्या ....

17. मनोज कुमार	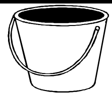
18. मनोज कुमार	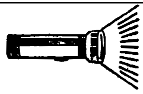
19. मनोज कुमार	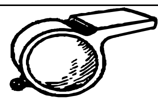
20. मनोज कुमार	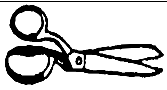
21. मनोज कुमार	
22. मनोज कुमार	
23. उपरोक्त में से कोई नहीं	NOTA

परिशिष्ट–3

Specimen of Symbols

Symbol reserved for recognised national political parties

(A) Reserved Symbols

Sr. No.	Name of National Party	Name of Reserved Symbol in Hindi and English	Facsimile of symbol
1.	बहुजन समाज पार्टी Bahujan Samaj Party	हाथी Elephant	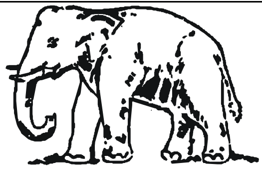
2.	भारतीय जनता पार्टी Bharatiya Janata Party	कमल Lotus	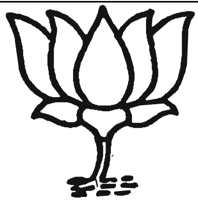
3.	कम्युनिस्ट पार्टी आफ इंडिया Communist Party of India	बाल और हँसिया Ears of Corn and Sickle	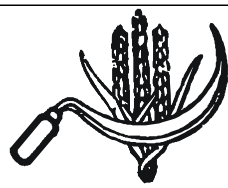
4.	कम्युनिस्ट पार्टी आफ इंडिया (मार्क्सिस्ट) Communist Party of India (Marxist)	हथौड़ा,हँसिया और सितारा Hammer, Sickle and Star	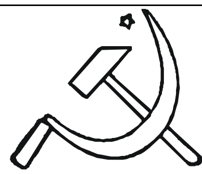
5.	इंडियन नेशनल काँग्रेस Indian National Congress	हाथ Hand	
6.	नेशनलिस्ट काँग्रेस पार्टी Nationalist Congress Party	घड़ी Clock	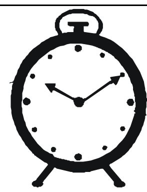

(B) Free Symbols

Sr. No.	Name of Free Symbol	Facsimile of symbol
1.	बल्ला Bat	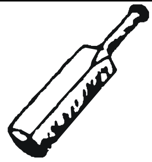
2.	अलमारी Almirah	
3.	गुब्बारा Balloon	
4.	ब्रुश Brush	
5.	मोमबत्तियाँ Candles	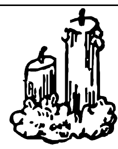
6.	कैमरा Camera	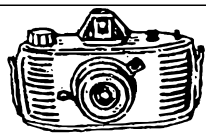
7.	कोट Coat	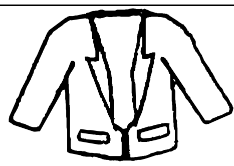
8.	गैस का चूल्हा Gas Stove	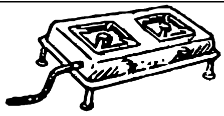
9.	बल्लेबाज Batsman	
10.	काँच का गिलास Glass Tumbler	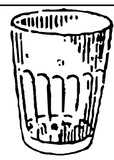

11.	कप और प्लेट Cup & Saucer	
12.	चारपाई Cot	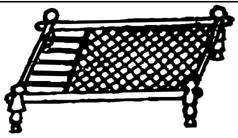
13.	खिड़की *Window*	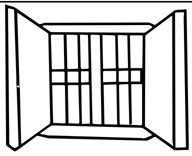
14.	लैटर बाक्स Letter Box	
15.	अंगूठी Ring	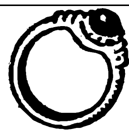
16.	शटल Shuttle	
17.	वायलिन Violin	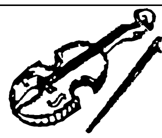
18.	छड़ी *Walking Stick*	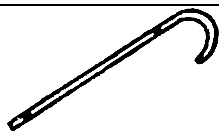
19.	बाल्टी Bucket	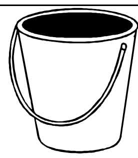
20.	बैटरी टॉर्च Battery Torch	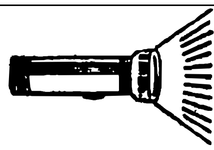
21.	डीजल पम्प Diesel Pump	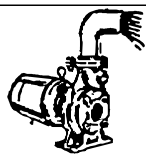
22.	केतली Kettle	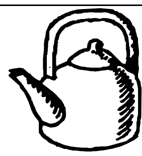

23.	हारमोनियम Harmonium	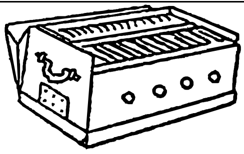
24.	स्टूल Stool	
25.	मेज *Table*	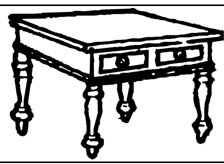
26.	टैबल लैम्प *Table Lamp*	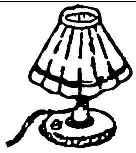
27.	टेलीविजन *Television*	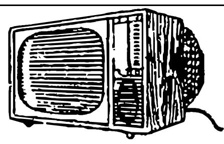
28.	सीटी *Whistle*	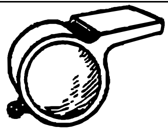
29.	पतंग Kite	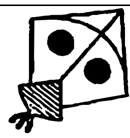
30.	प्रेशर कुकर *Pressure Cooker*	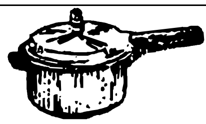
31.	कैंची *Scissors*	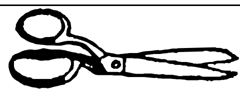
32.	गैस सिलेण्डर Gas Cylinder	
33.	नारियल Coconut	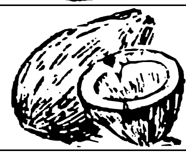
34.	सिलाई की मशीन *Sewing Machine*	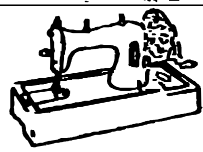
35.	डोली Dolli	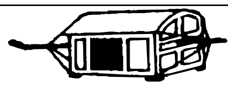

36.	ब्रीफकेस Brief Case	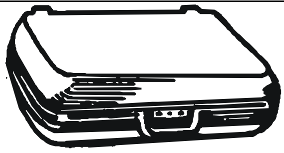
37.	प्रेस Iron	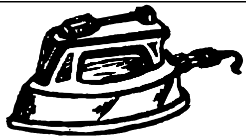
38.	टेलीफोन *Telephone*	
39.	ऑटो–रिक्शा Auto - Rickshaw	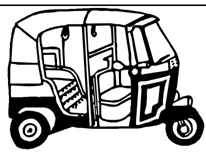
40.	बोतल Bottle	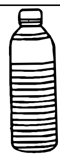

NOTA

SYMBOL

NONE OF THE ABOVE (NOTA)
उपर्युक्त में से कोई नहीं

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(द्वितीय तल, विकास खण्ड, सचिवालय, जयपुर3 –302005)

क्रमांकः एफ 4(1)(6)/नपा/रानिआ/09/4550–51 दिनाक : 08.10.2014

1. समस्त जिला नगरपालिका निर्वाचन अधिकारी,
(कलक्टर) राजस्थान।

2. समस्त रिटर्निंग अधिकारी (नगरपालिका निर्वाचन)
मार्फत संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारी

विषय :– नगरपालिका निर्वाचन हेतु इलेक्ट्रोनिक वोटिंग मशीन के उपयोग पर डाक मतपत्रों के मुद्रण हेतु दिशा–निर्देश।

महोदय,

नगरपालिका निर्वाचनों में इलेक्ट्रोनिक वोटिंग मशीन से निर्वाचन कराने पर निर्वाचन कर्तव्यरूढ मतदाताओं के लिए मतपत्र की व्यवस्था के संबंध में राजस्थान नगरपालिका (निर्वाचन) नियम, 1994 के नियम 46–क के प्रावधान लागू होते हैं। उक्त नियम 46–क के उप नियम (1) के अनुसार किसी वार्ड का मतदाता यदि उसी वार्ड के किसी मतदान केन्द्र पर निर्वाचन ड्यूटी पर नियुक्त हो जाता है, (हालांकि आयोग के निर्देशों के अधीन ऐसी सम्भावना नहीं है) तो उसे विहित प्रक्रिया से प्राप्त ई.डी.सी. (प्ररूप–16) के आधार पर वोटिंग मशीन से ही मत देने की अनुमति दे दी जावेगी।

(2) कोई व्यक्ति किसी नगरपालिका के किसी वार्ड में निर्वाचन ड्यूटी पर है, किन्तु जो भिन्न वार्ड या भिन्न नगरपालिका का मतदाता है और वह निर्वाचन ड्यूटी के फलस्वरूप उस मतदान केन्द्र, जहां पर वह मतदान करने का हकदार, है, मतदान नहीं कर सकता है। उसे नियम 46–क के उप नियम (4) में बतायी गयी प्रक्रिया के अनुसार डाक मतपत्र जारी किया जावेगा। उदाहरणार्थ यदि, नगर निगम अजमेर के वार्ड संख्या 2 का मतदाता वार्ड संख्या 22 में किसी मतदान केन्द्र में चुनाव ड्यूटी पर है, या नगर निगम अजमेर के किसी वार्ड का मतदाता केकड़ी या अन्य किसी नगरपालिका में किसी मतदान केन्द्र में चुनाव ड्यूटी पर है तो निर्धारित प्रक्रिया के अन्तर्गत उसे डाक मतपत्र जारी किया जावेगा।

(3) यहां आयोग के यह निर्देश भी उल्लेखनीय है कि, नगरपालिका मण्डलों में उस नगरपालिका क्षेत्र में रहने वाले या पदस्थापित कर्मियों को नगरपालिका चुनाव ड्यूटी पर नहीं लगाया जावे बल्कि आस–पास के क्षेत्रों के कार्मिकों को नियुक्त किया जावे। ऐसी परिस्थिति में नगर निगम/परिषदों में तो डाक मतपत्र की जरूरत हो सकती है, लेकिन नगरपालिका मण्डलों में व्यवहारिक रूप से डाक मतपत्रों को मुद्रित कराने की आवश्यकता ही नहीं रहेगी। हालांकि निवारक निरोध में बन्दी व्यक्तियों, यदि कोई हो, को डाक मतपत्र जारी किए जावेंगे।

(4) राजस्थान नगरपालिका अधिनयम, 2009 की धारा 25 की उप धारा (5) के परन्तुक के उपबंधों के अनुसार उस समय प्रवर्त किसी भी विधि के अधीन निवारक–निरोध में रखे गये व्यक्ति को भी मताधिकार प्राप्त है और ऐसे निवारक–निरोध में रखे गये व्यक्तियों को मतदान की सुविधा प्रदान कराने हेतु राज्य निर्वाचन आयोग ने अपने आदेश क्रमांक 262 दिनांक 01.10.1994 के द्वारा उन्हे डाक मतपत्र जारी करने एवं मत अभिलिखित करने की विधि विहित की है। अतः जो व्यक्ति निवारक–निरोध में निरूद्ध है, आवेदन करने पर उन्हें भी डाक मतपत्र जारी किये जावेंगे।

(5) उपरोक्त पैराओं में वर्णित बिन्दुओं के अनुसार डाक मतपत्रों की मुद्रित होने वाली मात्रा जिला स्तर पर ही यथा समय निर्धारित/अनुमानित कर ली जावे ताकि मुद्रण कार्य में किसी प्रकार का विलम्ब नहीं हो।

(6) **निर्वाचन हेतु डाक मतपत्र का डिजाईन एवं प्रविष्टियां:–** नियम 46–क के उपनियम (4) के परन्तुक के अनुसार प्रत्येक डाक मतपत्र से प्रतिपर्ण (Counter Foil) संबद्ध होगा तथा डाक मतपत्र और उसका प्रतिपर्ण ऐसे डिजाईन का होगा जो राज्य निर्वाचन आयोग विनिर्दिष्ट करे। राज्य निर्वाचन आयोग ने अपने सांविधिक आदेश संख्या 89/2014 दिनांक 25.08.2014 के द्वारा डाक मतपत्र और इसके प्रतिपर्ण का डिजाईन विनिर्दिष्ट किया है। निर्देशानुसार डाक मतपत्र और इसका प्रतिपर्ण उसी डिजाईन का होगा जिस डिजाईन में साधारण मतपत्र और उसका प्रतिपर्ण नियम 34 के उपनियम (1) के अन्तर्गत आयोग द्वारा विहित किया हुआ है। सिवाय इसके कि, डाक मतपत्र और इसके प्रतिपर्ण की पीठ पर ''डाक मतपत्र'' स्टांपित किया जावेगा। नियम 34 के उपनियम (1) में विहित साधारण मतपत्र और उसके प्रतिपर्ण की डिजाईन को वर्णित करते हुए आयोग द्वारा अपने आदेश क्रमांक 3142 दिनांक 05.08.2014 (सांविधिक आदेश 86/2014) जारी किया है। मतपत्र एवं उसके संबद्ध प्रतिपर्ण पर वार्ड का क्रम संख्यांक, नगरपालिका का नाम, निर्वाचन का वर्ष तथा निर्वाचन का स्वरूप सांकेतिक शब्दों में मुद्रित किया

जावेगा। उदाहरणस्वरूप झालरापाटन नगरपालिका के वार्ड संख्या–4 का वर्ष 2014 में साधारण निर्वाचन होने पर ''वार्ड 4 झालरापाटन/14 सा.नि.'' शब्द आयेंगे।

उपरोक्त सांकेतिक शब्द मतपत्र के प्रतिपर्ण में ऊपर की काली मोटी लाईन के एकदम नीचे तथा प्रतिपर्ण में अंकित की जाने वाली अन्य प्रविष्टियों से ऊपर मुद्रित होंगे। मतपत्र पर उपरोक्त शब्द प्रथम अभ्यर्थी के नीचे छायांकित क्षेत्र में मुद्रित किये जावेंगे। **परिशिष्ट 1 व 2** में नमूना देखें। आयोग के उपरोक्त आदेश दिनांक 05.08.14 में प्रतिपर्ण की चौड़ाई (Depth) 15 एम्स से अधिक नहीं रखे जाने के निर्देश दिये गये हैं, परन्तु इस संबंध में एकरूपता बनाये रखने और मुद्रण में सुविधा की दृष्टि से यह निर्णय लिया गया है कि, प्रतिपर्ण की चौड़ाई 12 एम्स रखी जावेगी।

(7) उपरोक्त पैरा 7 में वर्णित डिजाईन के मतपत्र पर प्रविष्टियां हिन्दी में देवनागरी लिपि में होंगी। मतपत्र पर अभ्यर्थियों के नाम उसी रीति एव क्रम से दर्शित किये जायेंगे जिसमें वे निर्वाचन लडने वाले अभ्यर्थियों की सूची में आये हैं। निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की दो श्रेणियां होंगी और अभ्यर्थियों के नामों को सूचीबद्ध करने में अभ्यर्थियों को दो श्रेणियों में वर्गीकृत किया जावेगा अर्थात प्रथम श्रेणी में मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों द्वारा खड़े किये गये अभ्यर्थी और दूसरी श्रेणी में निर्दलीय अभ्यर्थी आयेंगे। प्रत्येक श्रेणी में अभ्यथियों के नाम हिन्दी वर्णमाला के क्रमानुसार आयेंगे। निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची में जो क्रम अभ्यर्थी का होगा वही क्रम मतपत्र में भी रहेगा। यहां यह भी स्पष्ट किया जाता है कि, उक्त दोनों श्रेणी का हैडिंग (शीर्षक) निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची में तो अंकित होगा लेकिन मतपत्र में अंकित नहीं होगा। मतपत्र में निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों में अंतिम अभ्यर्थी के पश्चात् नोटा (उपरोक्त में से कोई नहीं) का विकल्प तथा उसके लिए निर्धारित प्रतीक अंकित किया जावेगा।

(8) मतपत्र क्रमशः संख्यांकित होंगे और क्रम संख्यायें मतपत्र व इसके प्रतिपर्ण पर सामने की ओर मुद्रित होंगी। चूंकि क्रम संख्यांक मतपत्र व उससे संबद्ध प्रतिपर्ण पर बॉई ओर दो अलग–अलग स्थानों पर मुद्रित होंगे, अतः प्रत्येक वार्ड के मतपत्रों के मुद्रण हेतु दो टाईप हाई नम्बरिंग मशीनों की जरूरत होगी। यह ध्यान रहे कि नम्बरिंग का इम्प्रेशन एक समान रहे। नम्बरिंग पांच डिजिट में होगी अर्थात 00001 से प्रारम्भ होकर अन्त तक जायेगी।

(9) अभ्यर्थियों को आंवटित किये गये चुनाव प्रतीक एवं नोटा (उपरोक्त में से कोई नहीं) के विकल्प के लिए निर्धारित प्रतीक को मतपत्र पर अभ्यर्थी के नाम के समपार्श्व में (सामने) दर्शित किया जावेगा। मतपत्र पर प्रत्येक अभ्यर्थी एवं नोटा (उपरोक्त में से कोई नहीं) के विकल्प को आवंटित स्थान समान आकार के होंगे तथा उपलब्ध करवाये गये स्थान को अलग करने वाली रेखा या छायांकित क्षेत्र (Shaded Area) मतपत्र पर समान होगा।

(10) जहां ऑफसेट प्रिटिंग की व्यवस्था नहीं है वहां मतपत्र व प्रतिपर्णों के मुद्रण के लिए निम्न प्रकार से स्लग्स (Slugs) की जरूरत पड़ेगी जो निम्न प्रकार से हैः–

- (i) अभ्यर्थियेां एवं नोटा के विकल्प के बीच का छायांकित क्षेत्र (Shaded Area) रखने के लिए 3 एम्स के स्लग्स (Slugs) लगाया जाएगा। मतपत्र के अंत में नोटा के विकल्प के स्थान के नीचे 3 एम्स का स्लग्स नहीं लगाया जावेगा।
- (ii) 1 एम (1 em) की मोटाई की काली लाईन जो कि प्रतिपर्ण के ऊपर (Top) तथा मतपत्र के नीचे (Bottom) मुद्रित की जावेगी, उसके लिए 1 एम (em) का स्लग।
- (iii) मतपत्र और प्रतिपर्ण के बीच खाली स्थान रखने के लिए 1 एम (em) साईज के रूल्स (Rules)
- (iv) मतपत्र को उसके प्रतिपर्ण से अलग करने के स्थान पर Perforted Rule Line को मुद्रित करने के लिए परफोरेटेड रूल्स (Perforated Rules) की आवश्यकता होगी।
- (v) मतपत्र के प्रतिपर्ण पर –
  - (a) ''निर्वाचक नामावली का भाग संख्या ....
  - (b) ''निर्वाचक की क्रम संख्या ....
  - (c) '' निर्वाचक के हस्ताक्षर/अंगूठा निशानी'' के अंकन वाले स्लग्स (Slugs)

उपरोक्त स्लग्स भी पर्याप्त मात्रा मे संबंधित प्रेस द्वारा एडवान्स में तैयार कराने के लिए व्यवस्था करनी होगी।

(11) मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के लिए आरक्षित चुनाव प्रतीकों एवं मुक्त चुनाव प्रतीकों की सूची हेतु अधिसूचना आयोग द्वारा अपने आदेश क्रमांक 4270 दिनांक 26.09.2014 के द्वारा जारी कर दी गई है। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार आपको यह सुनिश्चित करना है कि, मतपत्र में उन्हीं चुनाव प्रतीकों को मुद्रित किया जाए जो अधिसूचना में वर्णित हैं। अन्य कोई चुनाव प्रतीक मुद्रित नहीं होगा। आयोग द्वारा निर्धारित प्रतीकों के अलावा अन्य चुनाव प्रतीक काम में नहीं लेने हैं। यदि कोई विशेष परिस्थिति हो तो उसके

लिए आपको आयोग की अनुमति लेना अनिवार्य है। आरक्षित चुनाव प्रतीकों एवं मुक्त चुनाव प्रतीकों की सूची **परिशिष्ट–3 पर संलग्न** है।

(12) डाक मतपत्र निजी मुद्रणालयों से मुद्रित कराएं जाऐगे। इस संबंध में आयोग द्वारा अपने पत्रांक 4409/30.09.14 द्वारा निर्देश जारी किए जा चुके हैं। निजी मुद्रणालयों में ऑफसेट प्रिंटिंग से डाक मतपत्रों का मुद्रण किया जावेगा, जिसके लिए चुनाव प्रतीकों के नमूनों की सीडी आयोग द्वारा उपलब्ध करवाई जावेगी।

(13) मतपत्रों के लिए कागज की व्यवस्था राजकीय मुद्रणालय से ही की जावेगी। मतपत्रों हेतु प्रयुक्त किए जाने वाले 60 जीएसएम कागज का रंग **सफेद** होगा। इस संबंध में कागज की आपूर्ति राजकीय मुद्रणालय से लेने हेतु राजकीय मुद्रणालय को आप अपनी मांग से दिनांक 20.10.2014 तक अवगत करावें और दिनांक 05.11.2014 तक कागज प्राप्त कर लेवें।

(14) चूंकि वार्ड चुनाव के लिए डाक मतपत्र प्रत्येक वार्ड के लिए भिन्न–भिन्न होंगे जिनकी संख्या भी बहुत कम होंगी। अतः इनको स्टीचिंग किया जावे तो यह ध्यान रखा जावे कि, स्टीचिंग प्रतिपर्ण पर किया जावे लेकिन इससे प्रतिपर्ण की कोई प्रविष्टि कटे नहीं। डाक मतपत्र जारी करते समय प्रतिपर्ण को मैटल रूल की सहायता से हटाया जावेगा।

(15) डाक मतपत्रों का मुद्रण कार्य चुनाव चिन्हों के आवंटन के तुरन्त पश्चात प्रारम्भ कर, दो दिवस में पूर्ण कराया जावे। चूंकि डाक मतपत्रों के लिये आवेदन पत्रों का समय मतदान के कुछ ही दिन पूर्व का रहेगा और डाक मतपत्रों को मुद्रित कराने हेतु ऐसी स्थिति में समयाभाव रहेगा, इसलिए डाक मतपत्र प्राप्त करने वाले मतदाताओं की सही संख्या मुद्रण के समय तक ज्ञात करना संभव नहीं है। अतः अनुमान के अनुसार ही मुद्रण हेतु डाक मतपत्रों की संख्या निर्धारित की जावे। ऐसी संख्या का निर्धारण रिटर्निंग अधिकारी स्वंय करेंगे। नगरपालिका मण्डलों के लिये डाकमतपत्रों की संभवतः आवश्यकता ही नहीं रहेगी, फिर भी अंतिम निर्णय परिस्थितियों का आंकलन करते हुये रिटर्निंग अधिकारी तैयारी–व्यवस्था कर लेवे।

(16) निजी मुद्रणालयों पर मुद्रण कार्य के समय सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम रखे जावें।

(17) मतपत्रों के मुद्रण के पश्चात मुद्रण कार्य के लिए नियुक्त प्रभारी अधिकारी सही मतपत्रों को जांच कर अपनी अभिरक्षा में रखेगा। मुद्रण के समय खराब हुए मतपत्र और कागज के टुकड़े संबंधित मुद्रणालय पर ही प्रभारी अधिकारी के समक्ष निस्तारित किये जायेंगे। इस संबंध में आयोग द्वारा अपने आदेश क्रमांक 3494 दिनांक 25.08.2014 के द्वारा आवश्यक दिशा–निर्देश प्रदान किए जा चुके हैं।

(18) नगरपालिका का कोई भी स्टॉफ मतपत्रों के मुद्रण के कार्य में न लगाया जावे। बैलेट पेपर की पीठ पर या उसके प्रतिपर्ण की पीठ पर किसी प्रकार का मुद्रण नहीं होगा।

(19) निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची में अंतिम अभ्यर्थी के पश्चात् नोटा के विकल्प के स्थान के नीचे छायांकित क्षेत्र नहीं होगा लेकिन एक मोटी लाईन होगी। नोटा के विकल्प के नीचे स्थान 3 एम्स से ज्यादा नहीं छोड़ा जावेगा। नोटा के विकल्प के नीचे काली मोटी लाईन का होना अति आवश्यक है। कहीं कटिंग में वह कट नहीं जावे, इस बात को ध्यान में रखना है। यदि कोई बैलेट जिसकी अंतिम काली लाईन कट गई है या नम्बरिंग गलत मुद्रित हुई है या अन्य किसी प्रकार से त्रुटिपूर्ण पाया जाये तो उस मतपत्र को काम में नहीं लेना है, उसे रिटर्निंग अधिकारी द्वारा त्रुटिपूर्ण मान लिया जावेगा और उसे हटा दिया जावेगा।

(20) मतपत्र के मुद्रण में कहीं अशुद्धि नहीं रहे इसके लिए आपको निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची को भी सही तरह से तैयार करना है। मतपत्रों के मुद्रण को प्रारम्भ करने से पूर्व उनके प्रूफ को अच्छी तरह चैक करना है। इस हेतु आप अधिकृत प्रतिनिधि के साथ पर्याप्त मात्रा में जानकार स्टॉफ लगावें। चूंकि निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची के आधार पर ही उसी क्रम में मतपत्र में अभ्यर्थियों का नाम मुद्रित होगा और उसी अनुरूप होगा, अतः यह भी ध्यान रखें कि निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों के नाम दोनों प्रकार की श्रेणियों में श्रेणीवार हिन्दी वर्णमाला के अक्षरों के क्रम में रहें। आरक्षित वार्डों के लिए मुद्रित होने वाले मतपत्रों में वार्ड का वर्ग अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व. या महिला आदि कहीं पर भी अंकित नहीं होगा।

संलग्न – परिशिष्ट 1 से 3

भवदीय,
–ह0–
(सत्यप्रकाश बसवाला)
मुख्य निर्वाचन अधिकारी एवं सचिव,

वार्ड 4 / झालरापाटन / 14 सा.नि.
निर्वाचक नामावली भाग संख्या ....
निर्वाचक की क्रम संख्या ....
No. ....

हस्ताक्षर / अगूंठा निशानी

मनोज कुमार

No. ....

वार्ड 4 / झालरापाटन / 14 सा.नि.

मनोज कुमार

मनोज कुमार

मनोज कुमार

मनोज कुमार 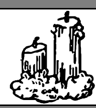

मनोज कुमार 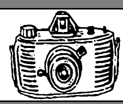

मनोज कुमार

मनोज कुमार 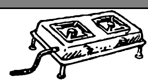

उपरोक्त में से कोई नहीं NOTA

वार्ड 4 / झालरापाटन / 14 सा.नि.
निर्वाचक नामावली भाग संख्या ....
निर्वाचक की क्रम संख्या ....
No. ....

हस्ताक्षर / अगूंठा निशानी

मनोज कुमार	मनोज कुमार
No. ……….. / वार्ड 4 / झालरापाटन / 14 सा.नि.	
मनोज कुमार	मनोज कुमार
मनोज कुमार	मनोज कुमार
मनोज कुमार	मनोज कुमार
मनोज कुमार	मनोज कुमार 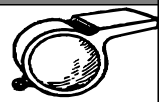
मनोज कुमार 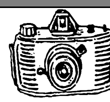	मनोज कुमार 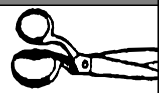
मनोज कुमार	मनोज कुमार
मनोज कुमार 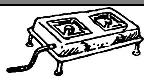	उपरोक्त में से कोई नहीं NOTA
मनोज कुमार 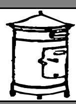	

Municipal General Election, 2014,
Specimen of Symbols

Symbol reserved for recognised national political parties

(A) Reserved Symbols

Sr. No.	Name of National Party	Name of Reserved Symbol in Hindi and English	Facsimile of symbol
1.	बहुजन समाज पार्टी Bahujan Samaj Party	हाथी Elephant	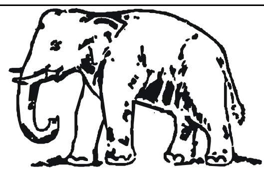
2.	भारतीय जनता पार्टी Bharatiya Janata Party	कमल Lotus	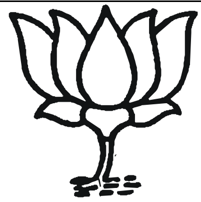
3.	कम्युनिस्ट पार्टी आफ इंडिया Communist Party of India	बाल और हँसिया Ears of Corn and Sickle	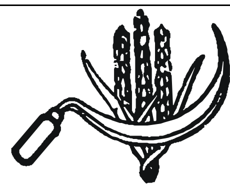
4.	कम्युनिस्ट पार्टी आफ इंडिया (मार्क्सिस्ट) Communist Party of India (Marxist)	हथौड़ा,हँसिया और सितारा Hammer, Sickle and Star	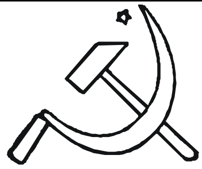
5.	इंडियन नेशनल काँग्रेस Indian National Congress	हाथ Hand	
6.	नेशनलिस्ट काँग्रेस पार्टी Nationalist Congress Party	घड़ी Clock	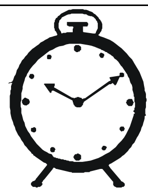

(B) Free Symbols

Sr. No.	Name of Free Symbol	Facsimile of symbol
1.	बल्ला Bat	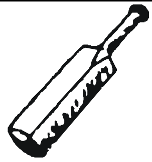
2.	अलमारी Almirah	
3.	गुब्बारा Balloon	
4.	ब्रुश Brush	
5.	मोमबत्तियाँ Candles	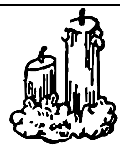
6.	कैमरा Camera	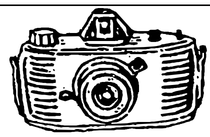
7.	कोट Coat	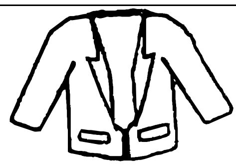
8.	गैस का चूल्हा Gas Stove	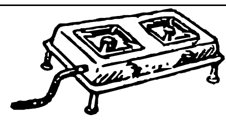
9.	बल्लेबाज Batsman	
10.	काँच का गिलास Glass Tumbler	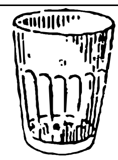

11.	कप और प्लेट Cup & Saucer	
12.	चारपाई Cot	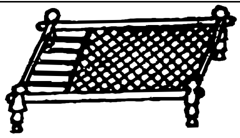
13.	खिड़की *Window*	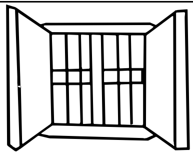
14.	लैटर बाक्स Letter Box	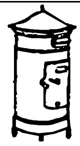
15.	अंगूठी <u>Ring</u>	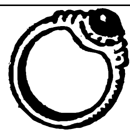
16.	शटल Shuttle	
17.	वायलिन <u>Violin</u>	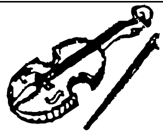
18.	छड़ी *Walking Stick*	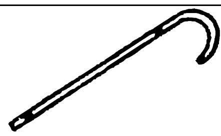
19.	बाल्टी Bucket	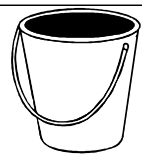
20.	बैटरी टॉर्च Battery Torch	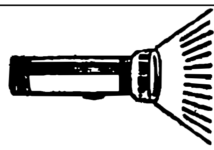
21.	डीजल पम्प Diesel Pump	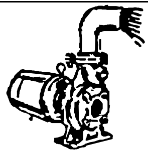
22.	केतली Kettle	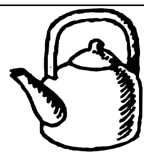

23.	हारमोनियम Harmonium	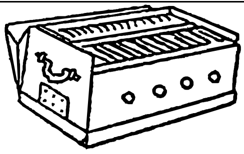
24.	स्टूल Stool	
25.	मेज *Table*	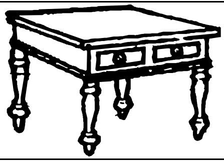
26.	टैबल लैम्प *Table Lamp*	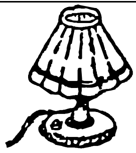
27.	टेलीविजन *Television*	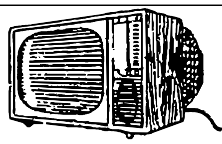
28.	सीटी *Whistle*	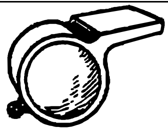
29.	पतंग Kite	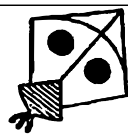
30.	प्रेशर कुकर *Pressure Cooker*	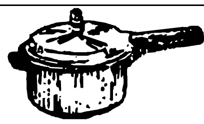
31.	कैंची *Scissors*	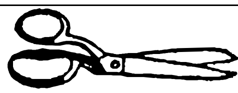
32.	गैस सिलेण्डर Gas Cylinder	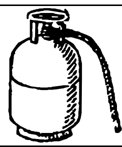
33.	नारियल Coconut	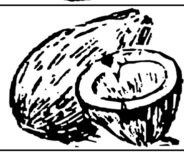
34.	सिलाई की मशीन *Sewing Machine*	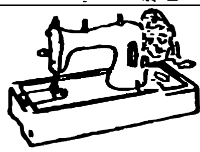
35.	डोली Dolli	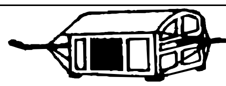

36.	ब्रीफकेस Brief Case	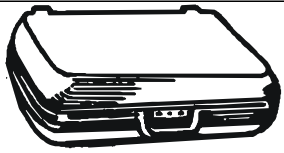
37.	प्रेस Iron	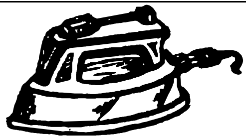
38.	टेलीफोन *Telephone*	
39.	ऑटो–रिक्शा Auto - Rickshaw	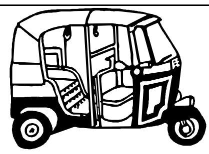
40.	बोतल Bottle	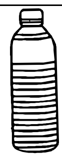

NOTA

SYMBOL

NONE OF THE ABOVE (NOTA)
उपर्युक्त में से कोई नहीं

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

क्रमांकः एफ.4(1)(13)न.पा. / रानिआ / 94 / 3283 दिनांकः 18.11.99

समस्त जिला नगरपालिका निर्वाचन अधिकारी (कलक्टर)
(जिला भीलवाड़ा, बूँदी, दौसा, धौलपुर, डूँगरपुर, झालावाड़, करौली और सवाई माधोपुर को छोड़कर)।

विषय :– नगरपालिका आम चुनाव, 1999– मतदान स्थगन / मतपेटियों या मतदान मशीनों को बाधा या नुकसान, बूथ का बलात् ग्रहण आदि से संबंधित स्थगित मतदान को पूरा करने / नये सिरे से मतदान के मामलों में रिटर्निंग अधिकारी की रिपोर्ट से संबंध में।

महोदय,

राज्य सरकार, स्वायत्त शासन विभाग की अधिसूचना क्रमांक : प.8(ग)( ) नियम / स्वायत्त / 95 / 7631, दिनांक 25.8.99 के द्वारा राजस्थान नगरपालिका (निर्वाचन) नियम, 1994 के नियम 55 को प्रतिस्थापित किया गया है और नियम 63 में सेशोधन किया गया है। अतः आयोग अपने पत्र क्रमांक : एफ.4 (1)(13)नपा / रानिआ / 94 / 2005, दिनांक 4.8.95 और पत्र क्रमांकः एफ.4(1)(13)नपा / रानिआ / 94 / 2006, दिनांक 4.8.95 (जो कि नगरपालिका चुनाव के संबंध में महत्वपूर्ण निर्देशों का संकलन की पुस्तिका के पृष्ठ संख्या–188 से 201 तक दिये हुए हैं) का अधिक्रमण करते हुए निम्न प्रकार निर्देशित करता है।

राजस्थान नगरपालिका (निर्वाचन) नियम, 1994 के नियम 53 के प्रावधानों के अन्तर्गत किसी मतदान केन्द्र पर मतदान स्थगित किये जाने के बाद रिटर्निंग अधिकारी को रिपोर्ट, निर्वाचन आयोग को भेजनी होगी। इसी प्रकार उक्त नियमों के नियम, 55 के अन्तर्गत किसी मतदान केन्द्र पर उपयोग में लायी गयी कोई मतपेटी या मतदान मशीन पीठासीन अधिकारी की अभिरक्षा से विधि विरूद्धतया निकाल ली जाती है या घटनावश या साशय विनष्ट हो जाती है, या खे जाती है या ऐसी सीमा तक नुकसान पहुँचाया जाता है या गड़बड़ कर दी जाती है कि उस मतदान केन्द्र पर मतदान का परिणाम अभिनिश्चित नहीं किया जा सकता, या किसी मतदान मशीन में मत रिकार्ड करने या मतगणना करने के दौरान कोई यांत्रिक विफलता पैदा हो जाती है, या किसी मतदान केन्द्र पर प्रक्रिया संबंधी ऐसी कोई गलती या अनियमितता की जाती है, जिससे यह सम्भाव्य है कि मतदान दूषित हो जाये, या किसी मतदान केन्द्र पर बूथ का बलात् ग्रहण ऐसी रीति से किया गया है जिससे ऐसे मतदान केन्द्र पर मतगणना का परिणाम अभिनिश्चित नहीं किया जा सकता हो तो भी रिटर्निंग अधिकारी को उस मामले में अपनी रिपोर्ट आयोग को तुरन्त भेजनी होगी। नियम 62 के उप नियम (4) के अनुसार रिटर्निंग अधिकारी को मतगणना के दौरान यदि यह समाधान हो जाता है कि किसी मतपेटी के साथ वास्तव में गड़बड़ी की गई है तो भी वह नियम 55 में बतायी गयी प्रक्रिया के अनुसार रिपोर्ट आयोग को भेजेगा। उक्त नियमों के नियम 70 के प्रावधानों के अनुसार भी मतगणना के दौरान मतपत्रों को नष्ट होने या खो जाने, या बिगाड़ दिये जाने की स्थिति में भी रिटर्निंग अधिकारी को अपनी रिपोर्ट तत्काल राज्य निर्वाचन आयोग को भेजनी होगी।

उपरोक्त नियमों के नियम 53, 55, 62 एवं 70 के अन्तर्गत रिपोर्ट भेजे जाने पर रिटर्निंग अधिकारी द्वारा ऐसे निर्वाचन में मतगणना का कार्य रोक दिया जायेगा, चूँकि नगरपालिका चुनावों में वार्ड का छोटा निर्वाचन क्षेत्र होता है जिसमें एक मतदान केन्द्र पर भी यदि पुनः मतदान हो तो उसके परिणाम का असर संबंधित वार्ड के परिणाम पर पड़ने की संभावना अधिक रहती है। इसके अतिरिक्त मतपेटियों के माध्यम से कराये गये मतदान से संबंधित मतगणना के लिए एक वार्ड के समस्त मतदान केन्द्रों के मतपत्रों को मिलाये जाने की प्रक्रिया भी तभी सही रूप से सम्पन्न हो सकती है जबकि पुनर्मतदान के बाद तत्संबंधित मतदान केन्द्र पर उपयोग में लायी गयी मतपेटियों क मतपत्रों को भी मिलाने की प्रक्रिया में शामिल किया जाये।

अतः उपरोक्त स्थिति पर राज्य निर्वाचन आयोग ने विचार किया है और यह निर्णय लिया है कि उपरोक्त नियमों के नियम 53, 55 और 62 एवं 70 के प्रावधानों के अन्तर्गत भेजी गयी रिपोर्ट के मामलों में रिटर्निंग अधिकारी तत्संबंधित वार्ड की मतगणना का शेष कार्य रोक देगा और उस वार्ड की शेष मतगणना का कार्य तभी किया जायेगा जबकि राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा ऐसी स्वीकृति दे दी जावे अथवा राज्य निर्वाचन आयोग के आदेशों के अनुसार स्थगित मतदान को पूरा किये जाने, या पुनर्मतदान सम्पन्न कराये जाने को स्थिति में राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा शेष मतदान की अनुमति दी गई हो।

ऐसे प्रत्येक मामले से संबंधित वस्तुस्थिति के तथ्यों के बारे में सम्पूर्ण रिपोर्ट रिटर्निंग अधिकारी को आयोग को बिना विलम्ब के तुरन्त भिजवानी होगी और ऐसी रिपोर्टस् प्राप्त होने पर आयोग द्वारा यथासंभव शघ्रता से

निर्णय करके आवश्यक निर्देश दिये जावेंगे। रिटर्निंग अधिकारी द्वारा भेजी जाने वाली रिपोर्ट के द्वारा यदि उपरोक्त नियमों में उपबन्धित मामला होने का समाधान नहीं हो पाता है तो आयोग द्वारा निर्णय लेना बाधित होगा और समाधान हेतु अपेक्षित सूचना प्राप्त करनी होगी।

रिटर्निंग अधिकारी को संबंधित नगरपालिका के समस्त मतदान केन्द्रों के बारे में रिपोर्ट आवश्यकतानुसार एक साथ भेजनी है, खण्डों में नहीं भेजनी है।

आयोग द्वारा उपरोक्त नियमों के अधीन रिपोर्ट भिजवाने हेतु मॉडल फार्म तैयार कर दिये गये हैं, जो कि संलग्न कर भिजवाये जा रहे हैं। कृपया इनकी जानकारी समस्त रिटर्निंग अधिकारियों एवं निर्वाचन कार्य से संबंधित अन्य अधिकारियों को मार्गदर्शन हेतु करावें।

अतः उपरोक्तानुसार पालना सुनिश्चित की जावे।

संलग्न :— यथा उपरोक्त।

—ह0—
उप सचिव
राज्य निर्वाचन आयोग
राजस्थान, जयपुर

MODEL FORM FOR REPORT U/R 53 OF R.M. (E) RULES, 1994
FAX/WIRELESS MESSAGE/NICNET

TO,
CHIEF ELECTORAL OFFICER & SECRETARY,
STATE ELECTION COMMISSION, RAJASTHAN, JAIPUR

REPEATED :
TO,
DISTRICT MUNICIPAL ELECTION OFFICER
COLLECTOR) ______________________,
FROM :
RETURNING OFFICER,
FOR (_________ MUNICIPAL BOARD/COUNCIL/CORPORATION
(_________________________)
_________________________.

NO. DATED :

REFERENCE GENERAL ELECTION, 1999 TO MUNICIPAL BOARD/COUNCIL/ CORPORATION .... (.) REPORTS HAVE BEEN RECEIVED AND VERIFIED THAT POLL TAKEN ON .... (DATE). AT FOLLOWING POLLING STATION(S) WAS ADJOURNED UNDER RULE 53 (1) OF THE RAJASTHAN MUNICIPALITIES (ELECTION) RULES, 1994 BECAUSE OF CIRCUMSTANCES INDICATED AGAINST EACH(.)

S.NO.	WARD NO.	NO. & NAME OF POLLING STATION	CIRCUMSTANCES UNDER WHICH POLL ADJOURNED
1	2	3	4
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			

COMMISSIONS DIRECTIONS SOLICITED UNDER RULE 53 (2) OF THE SAID RULES(.) IT IS RECOMMENDED THAT ADJOURNED POLL MAY BE HELD ON .... BETWEEN .... TO .... HOURS AT THE ABOVE POLLING STATIONS(S) AT THE SMAE LOCATION(S)(.)

NOTE TO BE TRANSMITTED

PLACE :
DATE:

RETURNING OFFICER FOR
MUNICIPAL BOARD/COUNCIL/CORPORATION
(___________________________)
____

Copy by post in confirmation, forwarded to the :-
1. Secretary & Chief Electoral Officer, State Election Commission, Rajasthan, Jaipur.
2. District Municipal Election Officer (Collector),
District ____________________________.

Returning Officer for
____
Municipal Board/Council/Corporation
(___________________)

MODEL FORM FOR REPORT U/R 55 OF R.M. (E) RULES, 1994
FAX/WIRELESS MESSAGE/NICNET

TO,
CHIEF ELECTORAL OFFICER & SECRETARY,
STATE ELECTION COMMISSION, RAJASTHAN, JAIPUR
REPEATED :

TO,

DISTRICT MUNICIPAL ELECTION OFFICER
COLLECTOR) ______________________,

FROM :

RETURNING OFFICER,
FOR (_________ MUNICIPAL BOARD/COUNCIL/CORPORATION
(_________________________)
_________________________.

NO. DATED :

REFERENCE GENERAL ELECTION, 1999 TO MUNICIPAL BOARD/COUNCIL/ CORPORATION .... (.) REPORTS HAVE BEEN RECEIVED AND VERIFIED THAT BALLOT BOX OR VOTING MACHINE USED IS UNLAWFULLY TAKEN OUT OF THE CUSTODY OF THE PRESIDING OFFICER OR IS ACCEDENTALLY DESTROYED OR LOST OR DAMAGED OR TEMPERED WITH TO SUCH AN EXTENT THAT THE RESULT OF THE POLL CANNOT BE ASCERTAINED OR VOTING MACHINE DEVELOPS A MECHANICAL FAILURE DURING THE COURSE OF RECORDING OR COUNTING OF VOTES OR SUCH ERROR OR IRREGULARITY IN PROCEDURE AS IS LIKELY TO VITAIATE THE POLL IS COMMITTED OR BOOTH CAPTHRING HAS TAKEN PLACE IN SUCH A MANNER THAT THE RESULT OF COUNTING AT THAT POLLING STATION CANNOT BE ASCERTAINED AT FOLLOWING POLLING STATION(S) FOR REASONS INDICATED AGAINST EACH POLLING STATION :-

S.NO.	WARD NO.	NO. & NAME OF POLLING STATION	REASONS
1	2	3	4
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			

THE COUNTING OF BALLOT PAPERS IN THE WARD(S) HAS BEEN STOPPED AND THE MATTER IS REPORTED UNDER SUB-RULE (1) OF RULE 55 OF RAJASTHAN MUNICIPALITIES (ELECTION) RULES, 1994(.) FURTHER DIRECTIONS OF COMMISSION IN TERMS OF SUB-RULE (2) OF SAID RULE 55 ARE SOLICITED(.)

NOTE TO BE TRANSMITTED

PLACE :
DATE:

RETURNING OFFICER FOR
MUNICIPAL BOARD/COUNCIL/CORPORATION
(___________________________)
____

Copy by post in confirmation, forwarded to the :-

1. Secretary & Chief Electoral Officer, State Election Commission, Rajasthan, Jaipur.
2. District Municipal Election Officer (Collector),
   District ___________________________.

Returning Officer for
____
Municipal Board/Council/Corporation
(__________________)

MODEL FORM FOR REPORT U/R 62 OF R.M. (E) RULES, 1994
FAX/WIRELESS MESSAGE/NICNET

TO,
SECRETARY & CHIEF ELECTORAL OFFICER,
STATE ELECTION COMMISSION, RAJASTHAN, JAIPUR
REPEATED :
TO,
DISTRICT MUNICIPAL ELECTION OFFICER
COLLECTOR) ______________________,
FROM :
RETURNING OFFICER,
FOR (_________ MUNICIPAL BOARD/COUNCIL/CORPORATION
(________________________)
_________________________.

NO. DATED :

REFERENCE GENERAL ELECTION, 1999 TO MUNICIPAL BOARD/COUNCIL/ CORPORATION(.) AT THE TIME OF INITIAL COUNTING ON .... (DATED) I AM SATISFIED THAT THE BALLOT BOXE(es) USED AT THE FOLLOWING POLLING STATION(S) WERE FOUND IN FACT TEMPERED WITH IN THE CIRCUMSTANCES INDICATED AGAINST EACH POLLING STATION :-

S.NO.	WARD NO.	NO. & NAME OF POLLING STATION	CIRCUMSTANCES UNDER WHICH IT WAS SUSPECTED THAT THE BALLOT BOX(es) HAS/HAVE BEEN TEMPERED
1	2	3	4
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			

THE COUNTING OF BALLOT PAPERS IN THE WARD(S) HAS BEEN STOPPED AND THE MATTER IS REPORTED UNDER SUB-RULE 55 (1) READ WITH SUB-RULE (4) OF RULE 62 OF RAJASTHAN MUNICIPALITIES (ELECTION) RULES, 1994(.) FURTHER DIRECTIONS OF COMMISSION IN TERMS OF SUB-RULE (2) OF SAID RULE 55 ARE SOLICITED(.)

NOTE TO BE TRANSMITTED

PLACE :
DATE:

RETURNING OFFICER FOR
MUNICIPAL BOARD/COUNCIL/CORPORATION
(__________________________)
____

Copy by post in confirmation, forwarded to the :-
1. Secretary & Chief Electoral Officer, State Election Commission, Rajasthan, Jaipur.
2. District Municipal Election Officer (Collector),
   District ___________________________.

Returning Officer for
____
Municipal Board/Council/Corporation
(__________________)

MODEL FORM FOR REPORT U/R 70 OF R.M. (E) RULES, 1994
FAX/WIRELESS MESSAGE/NICNET

TO,
SECRETARY & CHIEF ELECTORAL OFFICER,
STATE ELECTION COMMISSION, RAJASTHAN, JAIPUR
REPEATED :
TO,
DISTRICT MUNICIPAL ELECTION OFFICER
COLLECTOR) ______________________,
FROM :
RETURNING OFFICER,
FOR (_________ MUNICIPAL BOARD/COUNCIL/CORPORATION
(_________________________)
_________________________.

NO. DATED :

REFERENCE GENERAL ELECTION, 1999 TO MUNICIPAL BOARD/COUNCIL/ CORPORATION(.) AT THE TIME OF COUNTING ON .... (DATE) THE BALLOT PAPERS AT THE FOLLOWING POLLING STATION(S) UNLAWFULLY TAKEN OUT/DESTROYED/LOST/ DAMAGED TEMPERED WITH IN THE CIRCUMSTANCES INDICATED AGAINST EACH POLLING STATION TO SUCH AN EXTENT THAT THE RESULT OF POLL OF THAT/THESE POLLING STATION(S) CANNOT BE ASCERTAINED :-

S.NO.	WARD NO.	NO. & NAME OF POLLING STATION	CIRCUMSTANCES IN WHICH BALLOT PAPERS UNLAWFULLY TAKEN OUT OR DESTROYED OR LOST OR DAMAGED OR TEMPERED WITH
1	2	3	4
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			

THE COUNTING OF BALLOT PAPERS IN THE WARD(S) HAS BEEN STOPPED AND THE MATTER IS REPORTED UNDER SUB-RULE (1) OF RULE 70 OF RAJASTHAN MUNICIPALITIES (ELECTION) RULES, 1994(.) FURTHER DIRECTIONS OF COMMISSION IN TERMS OF SUB-RULE(2) OF SAID RULE 70 ARE SOLICITED(.)

NOTE TO BE TRANSMITTED

PLACE :
DATE:

RETURNING OFFICER FOR
MUNICIPAL BOARD/COUNCIL/CORPORATION
(___________________________)
____

Copy by post in confirmation, forwarded to the :-
1. Secretary & Chief Electoral Officer, State Election Commission, Rajasthan, Jaipur.
2. District Municipal Election Officer (Collector),
   District ____________________________.

Returning Officer for
____
Municipal Board/Council/Corporation
(___________________)

(68)

राज्य निर्वाचन आयोग

क्रमांकः एफ. 4(1)(11)नपा / रानिआ / 94 / 362 जयपुर, दिनांकः 27.10.94

आदेश

सां.आ. क्रमांकः 7 / 94 – राजस्थान नगरपालिका (निर्वाचन) नियम, 1994 के नियम 58 के उप नियम (1) में यह प्रावधान है कि कोई अभ्यर्थी या उसका निर्वाचन अभिकर्ता, ऐसे साधारण या विशेष निर्देशों के अध्यधीन रहते हुये, जो निर्वाचन आयोग समय–समय पर इस निमित्त जारी करें, मतपत्रों की गणना के समय अपनी ओर से उपस्थित रहने के लिये गणन अभिकर्ता नियुक्त कर सकेगा।

अतः उक्त नियमों के नियम 58 के उप नियम (1) के प्रावधानों के अन्तर्गत राज्य निर्वाचन आयोग निर्देश देता है कि निर्वाचन लडने वाले अभ्यर्थियों से मतों की गणश्ना के लिये निर्धारित तारीख से कम से कम 2 दिन पहले गणन गणना अभिकर्ताओं की सूची मय उनके फोटो रिटर्निग अधिकारी के द्वारा प्राप्त की जायेगी। फोटो सहित ऐसी सूची देने पर, निर्वाचन लडने वाले अभ्यर्थियों के गणन अभिकर्ताओं के फोटो पहचान पत्र गणन अभिकर्ता के लिये बनाये गये बैजेज पर फोटो चिपकायी जाकर तैयार किये जायेंगे तथा एक फोटो प्ररूप–19 पर चिपकायी जायेगी। गणन अभिकर्ताओं के रूप में नियुक्त व्यक्तियों की फोटोएं संबंधित व्यक्ति जो कि गणन अभिकर्ता के रूप में अपनी सहमति देता है, के द्वारा हस्ताक्षरित होगी और अभ्यर्थी अथवा उसके निर्वाचन अभिकर्ता के द्वारा प्रमाणित की जायेगी। मतों की गणना के दिन केवल फोटो पहचान पत्र वाले गणन अभिकर्ताओं को ही गणना हॉल के अन्दर जाने की अनुमति दी जायेगी।

–ह0–
(बी0बी0 महान्ति)
मुख्य निर्वाचक अधिकारी एवं सचिव,
राज्य निर्वाचन आयोग,राज0,जयपुर।

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(द्वितीय तल, विकास खण्ड, सचिवालय, जयपुर–302005)
email- secraj@rajasthan.gov.in & secrajasthan@gmail.com, FAX 0141-2227280, 2227072

क्रमांक एफ. 1(4)(1)नपा/रानिआ/14/ 3803–04 दिनांकः 08.09.2014

1. समस्त जिला नगरपालिका निर्वाचन अधिकारी,
   (कलक्टर) राजस्थान।
2. समस्त रिटर्निंग अधिकारी
   मार्फत जिला निर्वाचन अधिकारी।

विषयः– नगरपालिका निर्वाचनों में इलेक्ट्रोनिक वोटिंग मशीनों से मतदान पर मतगणना प्रक्रिया के संबंध में दिशा–निर्देश।

महोदय,

नगरपालिका निर्वाचनों में मतदान इलेक्ट्रोनिक वोटिंग मशीनों से होने पर रिटर्निंग अधिकारियों के लिए मतगणना हेतु विस्तृत दिशा–निर्देश पत्र के साथ संलग्न कर प्रेषित किए जा रहें हैं।

भवदीय,
–ह0–
(सत्यप्रकाश बसवाला)
मुख्य निर्वाचन अधिकारी एवं सचिव,
राज्य निर्वाचन आयोग,
राजस्थान, जयपुर।

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

नगरपालिका निर्वाचनों जहॉ वोटिंग मशीनें प्रयुक्त की जाती है, में मतो की गणना की प्रक्रिया– रिटर्निंग अधिकारियों के लिये दिशा–निर्देश

1. सामान्यः–

1. मतगणना निर्वाचन प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण चरण है। इसलिए आपको मतगणना का कार्य अत्यधिक सर्तकता से करना है।

2. वोटिग मशीन से मतदान होने पर मतदान केन्द्रवार ही मतगणना होती है। मतगणना दोष–रहित हो और निर्वाचन के परिणाम के बारे में अभ्यर्थी या उसके अभिकर्ता के मन में कोई भ्रम नहीं रहे, इसके लिये प्रक्रिया की पूर्ण जानकारी हो और व्यवस्था सही रखी जाये।

2. कानूनी प्रावधानः–

1. ऐसे निर्वाचनों में जहॉ मतदान मशीने प्रयुक्त की जाती है, मतगणना सम्बन्धी कानूनी प्रावधान राजस्थान नगरपालिका (निर्वाचन) नियम, 1994 के अध्याय 3 के नियम 55, 57 से 61 एवं 65 से 73 तक में तथा अध्याय 3–क के नियम 46–क, 62–क, 63–क, 63–ख, एवं 64–क में बताये गये है। इसके अतिरिक्त राज्य निर्वाचन आयोग ने डाक मतपत्रों की गणना के लिये आदेश क्रमांक एफ 4(1)(5) नपा/रानिआ/94/262 दिनांक 1.10.94 तथा आदेश संख्या 3157 दिनांक 09.11.99 (सांविधिक आदेश संख्या 35/99) एवं आदेश क्रमांक 3727 दिनांक 03.09.14 (सांविधिक आदेश संख्या 93/14) भी जारी किये है।

2. मतगणना के समय और स्थान, गणन अभिकर्ता की नियुक्ति तथा ऐसी नियुक्तियों का प्रतिसंहरण, गणना के लिये नियत स्थान में प्रवेश मतदान की गोपनीयता को बनाये रखने, लगातार गणना, नये मतदान के पश्चात गणना के पुनरारम्भ, मतों की पुनर्गणना, निर्वाचन के परिणाम की घोषणा और निर्वाचित अभ्यर्थी को निर्वाचन के प्रमाण–पत्र जारी करने संबंधित प्रावधान (नियम 57 से 61, 65 से 73) उसी प्रकार लागू है जैसे वे ऐसे निर्वाचनों की मतगणना के सम्बन्ध में लागू होते है जिनमें मतपत्रों तथा मतपेटियों की पद्धति अपनायी जाती है। डाक–मतपत्रों की गणना से संबंधित नियम 46–क एवं 64–क के उपबंध तथा आयोग के आदेश दिनांक 1.10.94, 9.11.99 एवं 03.09.2014 में वर्णित एवं शपथ दिलाने वाले प्रावधान लागू होते है। नियम 62–क, 63–क तथा 63–ख गणना के पूर्व मतदान मशीनों की संवीक्षा और निरीक्षण, मतदान मशीनों में रिकार्ड किये गये मतों की वास्तविक गणना करने और गणना के पश्चात् मशीनों को सील करने के लिए उपबंध करते है।

3. मतगणना की तारीख, स्थान और समयः–

1. आयोग के द्वारा घोषित मतगणना कार्यक्रम को ध्यान में रखते हुए, मतगणना की तारीख और समय रिटर्निंग अधिकारी को नियम 57 के अन्तर्गत नियत करनी है।

2. मतों की गणना नगरपालिका मुख्यालय पर ही की जायेगी, जिसके लिए जिला नगरपालिका निर्वाचन अधिकारी के दिशा निर्देश पर रिटर्निंग अधिकारी को स्थान निर्धारित करना है।

3. मतों की गणना, एक ही भवन में की जाये। नगर निगमों के मामलें में जहॉ मतदान केन्द्रों की संख्या ज्यादा है, वहां जिला निर्वाचन अधिकारी दो भवनों का भी चयन कर सकते है। एक वार्ड की गणना एक कक्ष में एक साथ की जाये। यदि हॉल बडा है तो उसे एक से अधिक कक्षों में अस्थाई पार्टीसन से विभाजित कर एक से अधिक वार्डों की मतगणना भी की जा सकती है लेकिन प्रत्येक कक्ष का प्रभारी पृथक सहायक रिटर्निंग अधिकारी हो। जिन नगरपालिकाओं में वार्ड छोटे–छोटे है उनमें प्रायः एक या दो मतदान केन्द्र ही होंगे और वार्डो की संख्या भी कम है वहां भी सदस्य चुनाव की मतगणना के लिये एक पृथक कक्ष और जिसमें वार्डो को क्रमानुसार एक के बाद एक मतगणना हेतु लिया जायेगा।

4. गणना की तारीख, समय और स्थान के संबंध में आपको प्रत्येक अभ्यर्थी या उसके निर्वाचन अभिकर्ता को लिखित में सूचना देनी होगी। यह सूचना प्रत्येक अभ्यर्थी या उसके निर्वाचन अभिकर्ता को मतदान की तारीख से कम से कम एक सप्ताह पूर्व दी जानी चाहिये। यदि किसी अपरिहार्य कारण से इस प्रकार नियत तथा अभ्यर्थियों को सूचित की गयी तारीख या समय या स्थान में परिवर्तन होता है तो आपको ऐसे परिवर्तन की सूचना पुनः प्रत्येक अभ्यर्थी या उसके निर्वाचन अभिकर्ता को लिखित में देनी चाहिए।

5. यह आवश्यक है कि मतगणना हॉल पर्याप्त बडे हों जिसमें आपके लिए, कार्मिको, अभ्यर्थियों और उनके निर्वाचन अभिकर्ताओं के लिए पर्याप्त स्थान हो। वहां पर प्रकाश की समुचित व्यवस्था होनी चाहिए। मतों की गणना अस्थायी ढाचें में नहीं की जानी चाहिए। मतगणना भवन के परिसर में सुरक्षा की दोहरी व पर्याप्त व्यवस्था होनी चाहिए। परिसर में भीड–भाड भी न हो।

4. गणना करने हेतु टेबलों की संख्या और उनकी व्यवस्थाः–

1. सदस्य चुनाव की मतगणना को दृष्टिगत रखते हुये पहले से ही यह निश्चय कर लें कि आप प्रत्येक गणना स्थान पर कितनी गणना मेजें रखना चाहते है, क्योंकि इसी बात पर निर्भर करेगा कि आपको कितने गणना पर्यवेक्षकों और कितने गणना सहायकों की नियुक्ति करनी होगी और प्रत्येक अभ्यर्थी कितने गणन अभिकर्ता नियुक्त करने का हकदार होगा। वार्डों की संख्या और वार्ड में मतदान केन्द्रों की संख्या से यह अवधारित किया जायेगा कि गणना करने हेतु मेजों की संख्या कितनी होगी, जिन पर मतों की गणना एक ही समय पर की जा सके।

2. बडे वार्डों में जहां एक कक्ष में एक से अधिक टेबिल लगायी जायें वहां टेबिलों को क्रम संख्यांकित किया जाये। टेबिलों के मध्य गणन पर्यवेक्षकों, गणन सहायकों, अभ्यर्थियों/ऐजेन्टो को बैठने के लिए पर्याप्त स्थान छोडा जाना चाहिए।

3. वार्ड सदस्यों की मतगणना वाले एक कक्ष में एक से अधिक वार्डों की गणना की जा सकेगी लेकिन एक वार्ड की मतगणना पूरी होने के बाद ही अन्य वार्ड की गणना का कार्य लिया जायेगा। जिस समय जिस वार्ड की मतगणना हो रही हो, उस दौरान संबंधित वार्ड के अभ्यर्थियों/एजेण्टों को ही मतगणना कक्ष में रहने दिया जाये, और जिन वार्डों को मतगणना में लिया जाना शेष है, उनके अभ्यर्थियों/एजेण्टों को मतगणना केन्द्र के भवन में ही एक नियत कक्ष में इन्तजार करने हेतु कहा जाये।

5. गणन पर्यवेक्षक/गणन सहायक एवं रिटर्निंग अधिकारी के सहायकः–

1. नियम 59 के अनुसार रिटर्निंग अधिकारी जिला निर्वाचन अधिकारी से अनुमोदन प्राप्त कर गणन पर्यवेक्षक व गणन सहायक नियुक्त करेगा। एक टेबिल पर एक गणन–पर्यवेक्षक और एक गणन सहायक नियुक्त करने है।

2. गणन पर्यवेक्षक राजपत्रित या समकक्ष अधिकारियों को रखें जो राज्य सरकार के विभिन्न विभागों या राज्य सरकार के अधीनस्थ निगमों, मण्डलों, संस्थानों के भी हो सकते है। गणन सहायक हालांकि राजपत्रित स्तर के न हो, लेकिन द्वितीय श्रेणी के कर्मचारी हो। किसी राजनैतिक दल या अभ्यर्थी से जुडे हुये व्यक्ति गणन पर्यवेक्षक या गणन सहायक नियुक्त न हो। गणन पर्यवेक्षक व गणन सहायक निष्पक्ष व कर्तव्यनिष्ठ कर्मचारी/अधिकारी होने चाहिए। गणन पर्यवेक्षकों व सहायकों (रिजर्व स्टाफ सहित) को भली–भॉति प्रशिक्षण दिया जाना भी आवश्यक है।

3. गणन पर्यवेक्षकों एवं गणन सहायको के अतिरिक्त रिटर्निंग अधिकारी मशीनों व अन्य कागजात को सील करने, के लिये भी सहायकों की नियुक्ति जिला निर्वाचन अधिकारी के अनुमोदन से करेगा।

6. गणन अभिकर्ताओं की संख्या व उनकी नियुक्तिः–

1. नियम 58 के अनुसार अभ्यर्थी या उसका निर्वाचन अभिकर्ता मतगणना के समय उसकी ओर से उपस्थित रहने के लिये गणन अभिकर्ता नियुक्त कर सकता है। गणन अभिकर्ताओं की संख्या गणना के लिये लगायी गयी मेजों, जिसमें रिटर्निंग अधिकारी की मेज भी शामिल है, की संख्या से अधिक नही होगी। एक अभ्यर्थी या उसका निर्वाचन अभिकर्ता वार्ड सदस्य चुनाव में प्ररूप–9 में दो प्रतियों में गणन अभिकर्ता की नियुक्ति कर सकता है जिसकी एक प्रति रिटर्निंग अधिकारी को प्रस्तुत की जायेगी और दूसरी प्रति मत गणना प्रारम्भ होने से कम से कम एक घण्टा पहले रिटर्निंग अधिकारी के समक्ष गणन अभिकर्ता के द्वारा प्रस्तुत की जायेगी। एक अभ्यर्थी प्ररूप–19 में एक पत्र पर एक से अधिक अभिकर्ताओं की नियुक्ति भी कर सकता है। अभ्यर्थी अथवा उसके निर्वाचन अभिकर्ता जिन व्यक्तियों को गणन अभिकर्ता के रूप में नियुक्त करें तो ऐसे व्यक्तियों के हस्ताक्षर ऐसी नियुक्ति की सहमति के रूप में होने आवश्यक है। यदि किसी व्यक्ति के हस्ताक्षर गणन अभिकर्ता की सहमति के रूप में नहीं हो तो उसकी नियुक्ति मान्य नहीं होगी।

2. मतगणना के प्रारम्भ होने के कम से कम एक घण्टा पूर्व गणन अभिकर्ता को प्ररूप–19 की घोषणा पढकर उस पर हस्ताक्षर करेगा तथा हस्ताक्षरित करने के पश्चात रिटर्निंग अधिकारी को प्रस्तुत करेगा अन्यथा मतगणना केन्द्र में प्रवेश नहीं दिया जायेगा। अभ्यर्थी या उसका निर्वाचन अभिकर्ता गणन अभिकर्ता की नियुक्ति का प्रतिसंहरण वार्ड सदस्य के मामले में प्ररूप–20 के द्वारा रिटर्निंग अधिकारी को पेश किया जा सकता है और किसी गणन–अभिकर्ता को प्रतिसंहरण किये जाने के पश्चात अभ्यर्थी या उसका निर्वाचन अभिकर्ता उसकी एवज में अन्य गणन अभिकर्ता नियुक्त कर सकता है।

3. मतगणना हाल में अधिक भीड–भाड नहीं हो। गणन अभिकर्ताओं, संबंधित अभ्यर्थियों एवं निर्वाचन अभिकर्ताओं को यह स्पष्ठ रूप से बता दिया जाये कि गणना कार्य के बीच में गणना कक्ष से जाने नहीं दिया जायेगा और एक बार जाने के पश्चात पुनः नहीं आने दिया जायेगा।

4. गणन अभिकर्ताओं को फोटो युक्त बैज के द्वारा ही प्रवेश दिया जाये। अभ्यर्थी या उसका निर्वाचन अभिकर्ता जिन व्यक्तियों को गणन अभिकर्ताओं के रूप में नियुक्त करें तो प्ररूप–19 में गणन अभिकर्ता का नियुक्ति पत्र रिटर्निंग अधिकारी के समक्ष मतगणना के दिन से कम से कम दो दिन पूर्व प्रस्तुत होना चाहिये तथा ऐसे नियुक्ति पत्रों के साथ में प्रत्येक गणन अभिकर्ता की दो फोटो पासपोर्ट साईज की रिटर्निंग अधिकारियों के समक्ष प्रस्तुत की जायेगी। उक्त दो फोटो में से एक एक फोटो प्ररूप–19 में नियुक्ति पत्र की एक प्रति, जो कि रिटर्निंग अधिकारी को तत्समय प्रस्तुत की जायेगी पर चिपकाकर प्रस्तुत की जायेगी और ऐसी फोटो पर गणन अभिकर्ता के रूप में नियुक्त किये गये व्यक्ति के हस्ताक्षर भी होगें तथा अभ्यर्थी अथवा उसके निर्वाचन अभिकर्ता के द्वारा ऐसे फोटों को प्रमाणित भी किया जायेगा। दूसरी फोटो पर भी गणन अभिकर्ता के हस्ताक्षर होगें तथा उसे भी अभ्यर्थी या निर्वाचन अभिकर्ता के द्वारा प्रमाणित किया जायेगा। बैज पर गणन अभिकर्ता का नाम, अभ्यर्थी का नाम, वार्ड संख्या, कक्ष नम्बर, तथा आवंटित की गई टेबिल संख्या अंकित की जायेगी और रिटर्निंग अधिकारी के हस्ताक्षर होगें। गणन अभिकर्ताओं को दिये जाने वाले समस्त बैजों का इन्द्राज वार्ड चुनाव के लिये संधारित रजिस्टर में भी किया जायेगा। बैजों को क्रम संख्यांक भी दिये जायेंगे। बैजों पर रिटर्निंग अधिकारी की स्टाम्प सील भी लगाई जायेगी। मतगणना के दिन, मतगणना केन्द्र के भवन में बिना बैज के गणन अभिकर्ताओं को प्रवेश नहीं दिया जायेगा।

5. अभ्यर्थी एवं उसके निर्वाचन अभिकर्ताओं को भी फोटो युक्त बैज दिये जायेंगे।

6. गणन अभिकर्ताओं के लिये की गई उपरोक्त व्यवस्था के बारे में संबंधित राजनीतिक दलों एवं अभ्यर्थियों को पर्याप्त समय पूर्व, रिटर्निंग अधिकारी द्वारा सूचित किया जायेगा। अभ्यर्थियों या उनके निर्वाचन अभिकर्ताओं को भी रिटर्निंग अधिकारी उपरोक्त व्यवस्था के सम्बन्ध में नियम–57 के अन्तर्गत दी जाने वाली सूचना के साथ ही अवगत करायें।

7. जिला स्तर पर राजनीतिक दलों को उपरोक्त व्यवस्था के बारे में जिला निर्वाचन अधिकारी भी सूचित करेंगे।

8. गणन अभिकर्ता गणना कक्ष में आवंटित की गई टेबिल पर ही बैठ सकेगा अन्य कही नहीं। मात्र अभ्यर्थी व उसके निर्वाचन अभिकर्ता को किसी भी टेबिल पर जाने का अधिकार है।

9. वार्डों के मतगणना कक्ष में जिस वार्ड या जिन वार्डो की मतगणना हो रही है, इनसे संबंधित अभ्यर्थियों व अभिकर्ताओं को ही गणना हाल में तत्समय रहने दें शेष को किसी अन्य कक्ष में इन्तजार करने हेतु उनके बैठने की व्यवस्था भी की जाये।

7. गणना मेजों पर अपेक्षित लेखन सामग्रीः–

प्रत्येक मतगणना मेज पर निम्नलिखित लेखन सामग्री की व्यवस्था करें:–

1. एक नीली स्याही का बाल–पाइंट पेन,
2. सीलों को तोडकर खोलने के लिए चाकू या ब्लेड
3. प्ररूप 14 ग के भाग 1 में रिकार्ड किये गये मतो का लेखा, (इस प्ररूप के भाग 2 में गणना पर्यवेक्षक द्वारा गणना का परिणाम लिखा जायेगा)
4. कागज की दो शीट।

8. गणना कक्ष में अनुशासनः–

किसी भी व्यक्ति को गणना कक्ष में बीडी–सिगरेट नहीं पीने दी जायेगी। नियम 60 के उप नियम–(2) के अनुसार कोई भी ऐसा व्यक्ति जो मतगणना के दौरान रिटर्निंग अधिकारी के विधि सम्मत् निर्देशों का पालन नहीं करता है या अवचार करता है तो उसे मतगणना कक्ष से बाहर निकाल दिया जायेगा जिसके लिये मतगणनाकक्ष के बाहर मौजूद पुलिस अधिकारी की मदद ली जा सकती है। रिटर्निंग अधिकारी को यह आश्वस्त होना है कि मतगणना के दौरान सुव्यवस्थित और अनुशासनात्मक तरीके से मतगणना का कार्य सम्पन्न हो।

9. मतों की गोपनीयता बनाये रखनाः–

नियम 61 के प्रावधानों के अनुसार मतगणना के दौरान प्रत्येक अधिकारी, लिपिक, अभिकर्ता या ऐसा व्यक्ति जो मतगणना या उनके अभिलेखन से संबंधित कोई करता है उसे मतों की गोपनीयता बनायी रखनी होगी। धारा 128 लोक–प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 जो नगरपालिका चुनावों में भी लागू है, के प्रावधानों के बारे में मतगणना प्रारम्भ करने से पूर्व मतगणना कक्ष में सभी उपस्थिति व्यक्तियों को समझा दिया जाना चाहिये।

10. मतगणना स्थल में प्रवेशः–

1. नियम 60 के उप नियम–(1) के अनुसार रिटर्निंग अधिकारी केवल मात्र निम्न 4 प्रकार के व्यक्तियों को ही मतगणना स्थल में आने की अनुमति देगाः–

   (क) गणन पर्यवेक्षक और गणन सहायक

   (ख) राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति

   (ग) निर्वाचन के संबंध में ड्यूटी पर तैनात लोक–सेवक

   (घ) अभ्यर्थी, उनके निर्वाचन अभिकर्ता और प्रति गणन मेज पर एक से अनाधिक गणन अभिकर्ता।

2. मतगणना केन्द्र पर ड्यूटी पर तैनात पुलिस कर्मचारी व अधिकारी को, कानून व्यवस्था से संबंधित या अन्य ऐसे ही किसी उद्देश्य के लिये, रिटर्निंग अधिकारी गणना कक्ष में बुला सकता है। सामान्य स्थिति में पुलिस कर्मचारी व अधिकारियों को गणना कक्ष में नहीं आने देना चाहिये, क्योंकि किसी अभ्यर्थी अथवा राजनीतिक दल द्वारा ऐसी शिकायत की जा सकती है कि गणना–कक्ष में अनावश्यक रूप से पुलिस का दिखावा किया गया है।

3. सरकार का कोई भी मंत्री किसी अभ्यर्थी का निर्वाचन अभिकर्ता या मतदान अभिकर्ता या गणन अभिकर्ता के रूप में नियुक्त नहीं हो सकता। अतः मतगणना केन्द्र पर किसी मंत्री को, यदि वह अभ्यर्थी नहीं है तो, प्रवेश नहीं दिया जा सकता।

5. गणना–कक्ष में व्यक्तियों की आवाजाही सुचारू–रूप से रखी जाये ताकि भीड–भाड नहीं हो और किसी प्रकार की अव्यवस्था नहीं हो।

11. डाक द्वारा प्राप्त मतों की गणनाः–

1. डाक मतपत्रों की गणना सर्वप्रथम की जानी है। वार्ड सदस्यों के चुनाव में डाकमतपत्रों की गिनती का कार्य अधिक नहीं होगा। अतः जिस कक्ष में वार्ड की मतगणना की जावे, उसी में डाक मतपत्रों को गणना में पहले लिया जावे लेकिन यह ध्यान रखे कि मशीनों की मतगणना पूरी होने के कम से कम 2 या 3 राउण्ड पूर्व ही डाकमतपत्रों की गणना का कार्य पूर्ण हो जाये।

2. मतगणना प्रारम्भ होने के लिये नियत समय के पश्चात प्राप्त डाकमतपत्र का कोई लिफाफा नहीं खोला जाना चाहिए। उन्हें बिना खोले ही अस्वीकार कर देना चाहिए और अलग से लिफाफे में रखकर सील कर देना चाहिए तथा उस पर समुचित विवरण भी लिख देना चाहिए। समयावधि पश्चात प्राप्त ऐसे अस्वीकार किये गये डाक मतपत्रों को परिणाम पत्र प्ररूप–22 में दर्ज नहीं होंगे।

3. डाक मतपत्र दो प्रकार के होगेः–

   (क) निवारक निरोध में नजरबंद व्यक्तियों से प्राप्त डाक मतपत्रः–राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 की धारा 25 (पुराने अधिनियम की धारा 27(5)) के परंतुक के अनुसार निवारक निरोध में नजरबंद व्यक्तियों द्वारा उनके मताधिकार के उपयोग करने के प्रावधान है, जिसके अनुसरण में राज्य निर्वाचन आयोग ने अपने आदेश संख्या एफ 4(1)(5)नपा/ रानिआ/94/262/दिनांक 1.10.94 से ऐसे व्यक्तियों के लिये डाक मतपत्र जारी करने व उनकी गणना करने की प्रक्रिया निर्धारित की है। इस आदेश में निवारक निरोध में नजरबंद व्यक्तियों से प्राप्त डाक मतपत्रों की गणना, मतगणना कार्य के अन्त में करने हेतु निर्देश है, किन्तु अब इन निर्देशों को संशोधित माना जाकर इन मतपत्रों की गणना मशीनों में रिकार्ड किये गये मतों की गणना से पूर्व ही की जाये।

   (ख) निर्वाचन–ड्यूटी स्टाफ से प्राप्त डाक मतपत्रः–राजस्थान नगरपालिका (निर्वाचन) नियम, 1994 के नियम 46–क के उपनियम (4) में निर्वाचन ड्यूटी पर नियुक्त स्टाफ को डाक मतपत्र जारी करने का प्रावधान है। उक्त नियम 46–क के उपनियम (7) तथा नियम 64–क के उपनियम (1) के उपबंधों के अनुसरण में राज्य निर्वाचन आयोग ने ऐसे डाक मतपत्रों की गणना करने की रीति और उनको प्रतिक्षेपित करने के संबंध में अपने सांविधिक आदेश सं. 35/99 दि. 9.11.99 तथा 93/14 दि. 03.09.2014 से निर्देश जारी किये है।

4. निवारक निरोध में नजरबंद व्यक्तियों से संबंधित डाक मतों के लिये निर्वाचक द्वारा घोषणा, लिफाफा–क, लिफाफा–ख तथा निर्वाचकों के अनुदेश के प्ररूप आयोग के उपरवर्णित आदेश दि. 1.10.94 में विहित किये गये है जबकि निर्वाचन ड्यूटी स्टाफ से संबंधित मतपत्रों के लिये उपरोक्त घोषणा, लिफाफा–क, लिफाफा–ख, तथा अनुदेशों के प्ररूप राजस्थान नगरपालिका (निर्वाचन) नियम, 1994 में क्रमशः प्ररूप–16–क, 16–ख, 16–ग तथा 16–घ के रूप में विहित किये गये है। उक्त दोनों प्रकार के डाक मतपत्रों के प्ररूप, मत देने की प्रक्रिया व मत गणना संबंधी प्रावधान लगभग समान है।

5. ऐसे डाक मतपत्र लिफाफा–ख (बडा लिफाफा) में प्राप्त होंगे। लिफाफा–ख में लिफाफा–क (छोटा लिफाफा) तथा निर्वाचक का घोषणा पत्र होगा।

6. वार्ड सदस्य चुनाव के लिफाफों पर सफेद रंग की स्लिप है, अतः इन्हे गिनती में लेने हेतु यथाशीघ्र संबंधित रिटर्निंग अधिकारी/सहायक रिटर्निंग अधिकारी को मतगणना प्रारंभ होने के नियत समय तक दे दिया जाये। जो डाक मतपत्र प्राप्त हो उनका विवरण इस हेतु संधारित रजिस्टर में भी रखा जाये।

7. जो लिफाफे (लिफाफा–ख) समय पर प्राप्त हुए हों, उन्हें एक–एक करके खोलना चाहिए। जैसे ही प्रत्येक लिफाफा खोला जाए आपको निर्वाचक द्वारा की गई घोषणा और छोटे लिफाफे (लिफाफा–क) को बाहर निकाल लेना चाहिए और उस घोषणा की संवीक्षा करनी

चाहिए। यदि उस लिफाफे में निर्वाचक द्वारा की गई घोषणा प्राप्त नहीं होती है या उस घोषणा को सम्यक रूप से हस्ताक्षरित और अनुप्रमाणित नहीं किया गया है, या उसे किसी ऐसे अधिकारी द्वारा अनुप्रमाणित किया गया है जो वैसा करने के लिए सक्षम नहीं है या वह अन्यथा सारवान रूप से त्रुटिपूर्ण है या यदि घोषणा में यथा प्रविष्ठ मतपत्र की क्रम संख्या छोटे लिफाफे (लिफाफे–क) की क्रम संख्या से भिन्न है तो डाक मतपत्र वाले उस छोटे लिफाफे (लिफाफे–क) को नहीं खोलना चाहिए बल्कि उसमें अन्तर्विष्ट मतपत्र अस्वीकार कर दिया जाना चाहिए। इस प्रकार अस्वीकार किये गये प्रत्येक लिफाफे पर समुचित पृष्ठांकन किया जाना चाहिए और घोषणा तथा लिफाफे को पुनः बडे लिफाफे में रख देना चाहिए। ऐसे सभी लिफाफों (लिफाफा–ख) को एक अलग पैकेट में एक साथ रखकर उस पैकेट को मुहर बन्द कर देना चाहिए और सरलता से उसकी पहचान करने के लिए उस पर पूरा विवरण जैसे नगरपालिका का नाम, वार्ड संख्या, गणना की दिनांक और उसमें रखी गयी वस्तुओं का संक्षिप्त विवरण पृष्ठांकित कर दिया जाना चाहिए। निर्वाचकों द्वारा की गयी उन घोषणाओं को, जो नियमानुकूल पायी गयी हो, एक अलग पैकेट में रखा जाना चाहिए। इसके पश्चात उस पैकेटों को भी मुहरबन्द कर देना चाहिए और उस पर नगरपालिका का नाम, वार्ड संख्या, गणना की तारीख और उसमें रखी गई वस्तुओं का संक्षिप्त विवरण पृष्ठांकित कर दिया जाना चाहिए। यह कार्य मतपत्रों के लिफाफों (लिफाफा–क) को खोलने के पूर्व किया जाना चाहिए।

8. डाक मतपत्र तभी अस्वीकृत किया जाना चाहिएः–

   (i.) यदि उस पर ऐसा कोई चिन्ह (मत को अभिलिखित करने के लिए चिन्ह से भिन्न) या लेख हो जिससे उस निर्वाचक की पहचान हो सके, या

   (ii.) यदि उस पर कोई मत अभिलिखित न हो, या

   (iii.) यदि उस में एक से अधिक अभ्यर्थियों अथवा किसी अभ्यर्थी एवं नोटा (उपरोक्त में से कोई नहीं) के पक्ष में मत दिया गया हो, या

   (iv.) यदि वह नकली मतपत्र हो, या

   (v.) यदि वह इस प्रकार क्षतिग्रस्त या विकृत हो कि असली मतपत्र के रूप में उसकी पहचान न की जा सके, या

   (vi.) यदि उसे उस लिफाफे में रखकर वापस न किया गया हो जिसे आपने निर्वाचक को मतपत्र के साथ भेजा था, या

   (vii.) यदि मत को उपदर्शित करने वाला चिन्ह मतपत्र पर ऐसी रीति से लगा हो कि इस बात का संदेह हो कि मत किस अभ्यर्थी अथवा नोटा (उपरोक्त में से कोई नहीं) को दिया गया है।

9. ऐसा कोई विशिष्ट चिन्ह आवश्यक नहीं है जो मतदाता द्वारा डाक मतपत्र पर अपना मत अभिलिखित करने के लिए लगाया जाये। कोई भी चिन्ह विधिमान्य माना जा सकता है। किसी भी अभ्यर्थी के लिए नियत स्थान पर लगाया गया कोई चिन्ह संबंधित अभ्यर्थी या नोटा (उपरोक्त में से कोई नहीं) के विकल्प के पक्ष में विधिमान्य मत समझा जाना चाहिए। मत अभिलिखित करने के लिए बालपैन या स्याही से X या ✓ का से अंकन भी पर्याप्त होगा।

10. इसके पश्चात विधिमान्य मतों की गणना की जानी चाहिए और प्रत्येक अभ्यर्थी को दिये गये मतों को उसके पक्ष में तथा नोटा (उपरोक्त में से कोई नहीं) के विकल्प को दिये गये मतो को इनके पक्ष में गिना जाकर डाक मतपत्रों के रूप में प्राप्त कुल मतों की गणना की जानी चाहिए और अभ्यर्थियों की जानकारी के लिए उन्हें सुनाया जाना चाहिये। मशीनों में रिकार्ड किये गये अभ्यर्थी वार तथा नोटा (उपरोक्त में से कोई नहीं) के विकल्प के मतों में डाक मतपत्रों के रूप में अभ्यर्थीवार तथा नोटा (उपरोक्त में से कोई नहीं) के विकल्प के वैद्य मतों को जोड कर गणना के परिणाम को प्ररूप 21 में दिये गये परिणाम पत्र में उपयुक्त स्थान पर प्रविष्ट किया जाना चाहिए।

11. तत्पश्चात सभी विधिमान्य मतपत्रों और सभी अस्वीकृत मतपत्रों के पृथक–पृथक बण्डल एक साथ पैकेट में रख दिया जाना चाहिए और उस पैकेट को रिटर्निंग अधिकारी/सहायक

रिटर्निंग अधिकारी की मुहर से और ऐसे अभ्यर्थियों, उनके निर्वाचन अभिकर्ताओं या गणन अभिकर्ताओं की मुहरों से, जो उस पर लगाना चाहे, मुहरबन्द कर देना चाहिए तथा पहचान के लिए सभी विवरण जैसे नगरपालिका का नाम, वार्ड संख्या या अध्यक्ष चुनाव, जैसी भी स्थिति हो, गणना की तारीख और उसमें रखी गई वस्तुओं का संक्षिप्त वर्णन अभिलिखित कर दिया जाना चाहिए।

मतदान मशीनों में रिकार्ड किये गये मतों की गणना

12. नियंत्रण यूनिटों की संवीक्षा और निरीक्षणः–

1. वार्ड सदस्यों की मतगणना में जहां एक वार्ड में अधिक मतदान केन्द्र है वहां गणना–टेबिल पर नियंत्रण यूनिटों का वितरण मतदान केन्द्रों के क्रमानुसार किया जाना चाहिए, अर्थात मतदान केन्द्र संख्या एक में प्रयुक्त नियंत्रण यूनिट को गणना टेबल संख्या 1 को दी जानी चाहिए, मतदान केन्द्र संख्या 2 की गणना टेबल संख्या 2 को दी जानी चाहिए, और इसी प्रकार आगे भी दी जानी चाहिए। ऐसे वितरण का लेखा रिटर्निंग अधिकारी/सहायक रिटर्निंग अधिकारी अपने पास भी रखे और इसका चार्ट मतगणना कक्षों के बोर्ड पर भी रखे।
2. गणना के समय, उस मतदान केन्द्र, जिस पर नियंत्रण यूनिट प्रयुक्त की गयी है, के मतदान परिणाम को सुनिश्चित करने के लिए मतदान मशीन की केवल नियंत्रण यूनिट ही अपेक्षित है, बैलेट यूनिट अपेक्षित नहीं है। फिर भी, मतदान केन्द्रों से प्राप्त बैलेट यूनिटें संग्रहण केन्द्र पर वार्डवार और मतदान केन्द्रवार नियंत्रण यूनिटों के साथ रखी जानी चाहिए, बैलेट यूनिट को गणना हाल में केवल तब ही ले जाया जाना चाहिए जब किसी भी अभ्यर्थी या उसके अभिकर्ता की मांग पर या अन्यथा किसी भी विशेष मामले में इसका निरीक्षण आवश्यक हो जाये, **किन्तु अपग्रेडेड पोस्ट 2006 MK-V वाली आयोग के स्वामित्व की EVM के संबंध में स्थिति अलग प्रकार की होगी। यहां नियन्त्रण यूनिट के परिणाम को सुनिश्चित करने के लिए नियन्त्रण यूनिट के साथ बैलेट यूनिट को जोड़ा जाना आवश्यक है इसलिए मतगणना हॉल में इन EVM के मामलों में नियन्त्रण यूनिट के साथ–साथ बैलेट यूनिट भी अपेक्षित रहेंगी।**
3. किसी मतदान केन्द्र पर प्रयुक्त की गयी नियंत्रण यूनिट के साथ प्ररूप 14–ग में अभिलिखित उस मतदान केन्द्र से संबंधित मतों का सुसंगत लेखा भी गणना–टेबल पर दिया जाना चाहिए।

13. नियंत्रण यूनिटों के कैरिंग बक्सों का खोला जानाः–

1. पीठासीन अधिकारियों द्वारा, नियंत्रण यूनिटें मतदान केन्द्रों से उनके कैरिंग बक्सो में सम्यक रूप से रखी हुई और सीलबंद रूप से प्राप्त हुई होंगी।
2. प्रत्येक कैरिंग बक्सा ज्योंही गणना टेबल पर लाया जाये उस पर मतदान केन्द्र में पीठासीन अधिकार के द्वारा लगायी गयी सील की जांच की जाये। यदि किसी कैरिंग बक्से की सील किसी मामले में अविकल (intact) न भी पायी जाये तो भी उसमें रखी गयी नियंत्रण यूनिट में कोई भी गडबड होने की संभावना नहीं है, यदि उस यूनिट पर लगी हुई सील और विशेषतः उस पर लगी स्ट्रिप सील व पिंक सील अविकल (intact) हो।
3. कैरिंग बक्सों की सीले हटा दीजिए। नियंत्रण यूनिट को बाहर निकाल लें और उसे गणना टेबल के पास उपस्थित अभ्यर्थियों या उनके अभिकर्ताओं द्वारा उस पर लगी स्ट्रीप सील, स्पेशल टैग व पिंक पेपर सीलों के निरीक्षण और जांच के लिए गणना टेबल पर रख दें। **बिन्दु संख्या 12(2) में वर्णित अपग्रेडेड पोस्ट 2006 MK-V की EVM के संबंध में बैलेट यूनिट के लिए भी यही प्रक्रिया रहेगी।**

14. नियंत्रण यूनिट पर लगी सीलों और पहचान चिन्हों की जांचः–

प्रत्येक नियंत्रण यूनिट की क्रम संख्या की जांच कर लें और अपना इस बारे में समाधान कर ले कि यह वही नियंत्रण यूनिट है जो आपके द्वारा पीठासीन अधिकारी को उस मतदान केन्द्र पर उपयोग के लिए दी गयी थी तथा नियंत्रण यूनिट के कण्डीडेट सैट सैक्शन की सील वही है जो आपके द्वारा उस मतदान केन्द्र को मशीन दिये जाने के पूर्व लगायी गयी हो। पीठासीन अधिकारी द्वारा भी मतदान केन्द्र पर स्ट्रिप सील लगायी गई है और स्पेशल टैग पर सील लगायी

गयी है। यदि इन सीलों में से कोई सील क्षतिग्रस्त हो तब भी नियंत्रण यूनिट में कोई भी गडबड होने की संभावना नही है, बशर्ते परिणाम अनुभाग के भीतरी कवर पर लगायी गई पिंक पेपर सील अविकल हो।

15. **नियंत्रण यूनिटों पर सीलों का निरीक्षणः–**

किसी भी कन्ट्रोल यूनिट में रिकार्ड किये गये मतों की गणना किये जाने से पूर्व, गणना टेबल के पास उपस्थित अभ्यर्थियों या उनके निर्वाचन अभिकर्ताओं या उनके गणन अभिकर्ताओं को ऐसी पेपर सीलें और अन्य ऐसी महत्वपूर्ण सीलें, जो कैरिंग बक्सों और नियंत्रण यूनिट पर लगायी गयी हो, का निरीक्षण करने दिया जायेगा और उन्हें स्वयं का समाधान करने दिया जायेगा कि सीले अविकल (intact) है। आप स्वयं का भी समाधान करेंगे कि किसी भी मतदान मशीन के साथ छेडछाड नहीं की गयी है। यदि आपका समाधान हो जाता है कि किसी मतदान मशीन में वास्तव में कोई गडबड की गयी है, तो आप उस मतदान मशीन में रिकार्ड किये गये मतों की गणना नहीं करेंगे और पैरा 22 के अधीन अधिकथित प्रक्रिया का, जो भी उस मतदान केन्द्र के संबंध में लागू होती हो, जहां कि वह मशीन प्रयुक्त की गई थी, अनुसरण करेंगे।

16. **पेपर सील के क्रम संख्यांक का मिलानः–**

1. परिणाम अनुभाग के बाहरी कवर को खोलने पर आपको पीठासीन अधिकारी की सील से सीलबंद किया हुआ भीतरी कवर दिखायी देगा। उक्त सील की भी जांच कर लें। यदि मुहर क्षतिग्रस्त भी हो तो भी, नियंत्रण यूनिट में कोई भी गडबड होने की संभावना नहीं है बशर्ते कि पिंक पेपर सील अविकल हो और उससे छेडछाड नहीं की गई हो। परिणाम अनुभाग के भीतरी कवर में दो पेपर सील होगी। पेपर सील पर क्रम संख्यांक का उस क्रम संख्या से मिलान कर लिया जाना चाहिए जो पीठासीन अधिकारी द्वारा प्ररूप 14 ग के भाग I में मद सं. 9 पर तैयार किये गये पेपर सील लेखा में दी गयी हो। गणना टेबल के पास उपस्थित अभ्यर्थी/अभ्यार्थियों को या उनके अभिकर्ताओं को भी पेपर सील के ऐसे क्रम संख्यांक का मिलान करने दें।

2. यदि नियंत्रण यूनिट में प्रयुक्त पेपर सील के क्रम संख्यांक का पेपर–सील लेखे में पीठासीन अधिकारी द्वारा यथा दर्शित क्रम संख्यांक से मिलान नहीं होता है तो, फिर यह हो सकता है कि पेपर सील लेखे में कोई भूल हो या प्रथम दृष्टया यह इस सन्देह कारण होगा कि मतदान मशीन से छेडछाड की गयी है। इस प्रश्न का विनिश्चय पीठासीन अधिकारी द्वारा लौटायी गयी अप्रयुक्त पेपर सीलों के क्रम संख्याकों की और मतदान केन्द्रों में अभ्यर्थियों या उनके अभिकर्ताओं द्वारा की गयी शिकायतों और अन्य सुसंगत परिस्थितियों की जांच करके करें। यदि आप इसे लिपिकीय भूल का मामला पाये, तो उस अंसगति को नजर अन्दाज कर दें।

17. **गडबडी पाये जाने पर नियंत्रण यूनिटों को अलग रखा जानाः–**

यदि आपका समाधान हो जाये कि मतदान मशीन में गडबड की गयी है, या मतदान मशीन वह नहीं है जो मतदान केन्द्र पर उपयोग के लिए दी गयी थी, तो मशीन को अलग रख दिया जाये और उसमें रिकार्ड किये गये मतों की गणना नहीं की जाये। आपको ऐसे मामले की रिपोर्ट आयोग को करनी चाहिए। समूची गणना को स्थगित करना आवश्यक नहीं है।

18. **परिणाम सुनिश्चित करनाः–**

1. मतों की गणना के लिए, निम्नलिखित प्रक्रिया का अनुसरण किया जाना चाहिए :–

(i.) पीछे के कम्पार्टमेन्ट में लगे हुए पावर स्विच को दबाकर ऑन स्थिति में लाये और नियंत्रण यूनिट को ऑन करें। नियंत्रण यूनिट के प्रदर्शन अनुभाग में ऑन बत्ती तब हरी चमकने लगेगी।

(ii.) परिणाम–अनुभाग के भीतरी कवर के उपरी छिद्र के नीचे लगे परिणाम बटन के उपर पेपर–सील को निकाल दे।

(iii.) परिणाम–1 बटन को दबा दे।

(iv.) परिणाम–1 बटन को इस प्रकार दबाये जाने से, मतदान केन्द्र पर प्रत्येक अभ्यर्थी तथा नोटा (उपरोक्त में से कोई नहीं) के विकल्प के पक्ष में रिकार्ड किये गये मतों की कुल संख्या नियंत्रण यूनिट के पैनल में एक–एक कर स्वतः ही प्रदर्शित हो जायेगी।

(v.) उपर्युक्त परिणाम को प्ररूप 14–ग मतगणना का परिणाम के भाग II में यथादर्शित अभ्यर्थीवार नोट कर लें तथा नोटा (उपरोक्त में से कोई नहीं) के विकल्प को प्राप्त मतों को इसके लिए निर्धारित कॉलम में अंकित कर लें।

2. यदि आवश्यक हो, अभ्यर्थियों और/उनके अभिकर्ताओं को उपर्युक्त परिणाम नोट करने देने के लिए परिणाम– I बटन को फिर से दबायें।

3. परिणाम के नोट कर लिये जाने के पश्चात् परिणाम–अनुभाग के कवर को बन्द कर दें और नियंत्रण यूनिट का ''स्विच ऑफ'' कर दें।

4. अपग्रेडेड पोस्ट 2006 MK-V की EVM के संबंध में नियन्त्रण यूनिट में परिणाम निर्धारित करने के लिए उससे संबंधित बैलेट यूनिट को नियन्त्रण यूनिट से जोड़ना होगा। शेष प्रक्रिया यथावत रहेगी।

19. प्ररूप 14–ग या प्ररूप 14–गग, भाग II- (गणना का परिणाम) का पूरा किया जाना :–

1. ज्योंही प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त मत नियंत्रण यूनिट के प्रदर्शन पैनलों पर दिखाये जायें, वैसे ही गणना पर्यवेक्षक को ऐसे मतों की संख्या को प्रत्येक अभ्यर्थीवार पृथक से तथा नोटा (उपरोक्त में से कोई नहीं) के लिए अलग से प्ररूप 14–ग के भाग II गणना का परिणाम में अभिलिखित कर लेना चाहिए उसे उक्त प्ररूप 14–ग के भाग II में यह भी नोट कर लेना चाहिए कि क्या उस भाग में यथादर्शित मतों की कुल संख्या उस प्ररूप के भाग I की मद 5 के समाने दर्शायी गयी मतों की कुल संख्या से मिलती है या इन दोनों योगों के बीच कोई फर्क नजर आया है। उस प्ररूप को सभी प्रकार से पूर्ण कर लेने के पश्चात गणना पर्यवेक्षकों को इस पर हस्ताक्षर करने चाहिए। उस गणना–टेबल के पास उपस्थित अभ्यर्थियों या उनके अभिकर्ताओं के भी हस्ताक्षर उस पर करवाने चाहिए।

2. गणना पर्यवेक्षक द्वारा प्रारूप 14–ग के भाग II को सम्यक् रूप से भरे जाने और हस्ताक्षर किये जाने और उस पर अभ्यर्थियों या उनके अभिकर्ताओं के हस्ताक्षर करा लिये जाने के पश्चात्, उसे उस प्ररूप को रिटर्निंग अधिकारी/सहायक रिटर्निंग अधिकारी को सौंप देना चाहिए। रिटर्निंग अधिकारी/सहायक रिटर्निंग अधिकारी स्वयं का यह समाधान कर लेने के पश्चात कि प्ररूप समुचित ढंग से भरा और सभी प्रकार से पूर्ण किया गया है स्वयं भी हस्ताक्षर करेगा। ऐसे हस्ताक्षरित किये हुये उक्त प्ररूप को अन्तिम परिणाम पत्र (प्ररूप–21) तैयार कर रहे अधिकारी को सौंप देना चाहिए।

अंतिम परिणाम पत्र की तैयारी :–

1. अंतिम परिणाम पत्र (प्ररूप–21) की पूर्ति मशीनों में रिकार्ड किये गये मतों की गणना तथा डाक मतपत्रों की गणना के पश्चात की जायेगी। प्रत्येक अभ्यर्थी को मशीनों में रिकार्ड किये गये अभ्यर्थीवार मतों (नोटा को मिले मतों सहित) व डाक मतपत्रों में पाये गये अभ्यर्थीवार (नोटा को मिले मतों सहित) विधिमान्य मतों को जोडकर प्ररूप–21 की पूर्ति की जायेगी।

2. यदि राज्य निर्वाचन आयोग आयोग ने किसी भी मतदान केन्द्र में किसी नये मतदान का निर्देश दिया है तो परिणाम पत्र में नये मतदान के सम्बन्ध में ही गणना के परिणाम को सम्मिलित किया जाना चाहिए। कुल योग तब तक नहीं लगाया जाना चाहिए जब तक कि परिणाम पत्र में ऐसे नये मतदान के सम्बन्ध में गणना का परिणाम सम्मिलित नहीं कर लिया गया हो।

3. कुल योग भी सही सही लगाया जाना चाहिए क्योंकि किसी भी तरह का गलत योग मतदान के परिणाम को और परिणाम की घोषणा को, जो कि इस प्ररूप के आधार पर की जानी है, तात्विक रूप से प्रभावित करेगा। उस प्ररूप के किसी भी फर्क को आयोग द्वारा गंभीरता से लिया जायेगा और कठोर अनुशासनिक कार्यवाही का कारण बनेगा।

21. पुनर्गणनाः—

1. सामान्यतया मतदान मशीन द्वारा रिकार्ड किया गया प्रत्येक मत एक विधि मान्य मत है और उसकी विधिमान्यता के विषय में या अन्यथा कोई विवाद नहीं उठेगा। अधिक से अधिक यह हो सकता है कि कुछ अभ्यर्थी या उनके अभिकर्ता किसी विशेष मतदान केन्द्र पर उस समय मतदान के परिणाम को सम्यक् रूप में लिख नहीं पाये हो जब नियंत्रण यूनिट में वह सूचना दिखायी गयी थी। यदि पुर्नसत्यापन की आवश्यकता उत्पन्न हो, तो ऐसा परिणाम—बटन को दबाकर किया जा सकेगा, जिस पर उस मतदान केन्द्र के मतदान का परिणाम नियंत्रण यूनिट के उस प्रदर्शन पैनलों पर पुनः दिखायी देगा।

2. मतदान मशीनों के उपयोग से पुनर्गणना की आवश्यकता के पूर्णतया निवारण हो जाने पर भी नियम 67 के अन्तर्विष्ट पुनर्गणना से संबंधित उपबंध अब भी लागू होते है। तद्नुसार जब गणना पूरी हो जाये और प्ररूप 21 में अंतिम परिणाम—पत्र तैयार कर लिया जाये, तब आपको अन्तिम परिणाम पत्र में यथा प्रविष्ट प्रत्येक अभ्यर्थी तथा नोटा (उपरोक्त से कोई नहीं) के विकल्प द्वारा प्राप्त मतों की कुल संख्या घोषित कर देनी चाहिए। तब आपको कार्यवाही एक या दो मिनट के लिए रोक देनी चाहिए। यदि इस कालावधि के दौरान कोई भी अभ्यर्थी, या उसकी अनुपस्थिति में उसका निर्वाचन अभिकर्ता या कोई गणन अभिकर्ता पुनर्गणना की मांग करता है तो आपको यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि उनको पुनर्गणना के लिए लिखित आवेदन देने में कितना समय लगेगा। यदि आपके विचार में मांगा गया समय उचित है और आप उसकी अनुमति देवें और इसे घोषित भी करें।

3. यदि पुनर्गणना के लिए नियम 67 में कोई आवेदन पत्र दिया जाता है तो आपको उसमें बताये गये आधारों पर विचार करना चाहिए और उस मामले में अपना निर्णय देना चाहिए। आपका निर्णय अन्तिम होगा, किन्तु आपको प्रत्येक मामले में अपने निर्णय के कारणों को संक्षेप में अभिलिखित कर देना चाहिए।

4. यदि आप किसी मामले में पुनर्गणना के लिए किसी आवेदन पत्र को पूर्णतः या अशतः स्वीकार करते है तो आपको अपने निर्णय के अनुसार मतदान मशीन में रिकार्ड किये गये मतों की गणना पुनः करा लेनी चाहिए। डाक मतपत्रों की भी, यदि आप ऐसा निर्णय लें, गणना पुनः शुरू की जायेगी, पुनर्गणना के पश्चात् आपको परिणाम पत्र को आवश्यकतानुसार संशोधित कर लेना चाहिए। आपके द्वारा इस प्रकार किये गये संशोधनों, यदि कोई हो, की घोषणा करें। प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त मतों की कुल संख्या तथा नोटा (उपरोक्त से कोई नहीं) के विकल्प को प्राप्त मत की घोषणा करने के बाद परिणाम पत्र को पूरा कर लें और उस पर हस्ताक्षर कर दें। यहां यह उल्लेखनीय है कि नोटा (उपरोक्त में से कोई नहीं) के विकल्प को प्राप्त मतों से परिणाम प्रभावित नहीं होगा अपितु सबसे अधिक मत प्राप्त करने वाला अभ्यर्थी ही निर्वाचित घोषित किया जायेगा।

5. नियम 67 के अधीन किसी अभ्यर्थी द्वारा मतों की मांग करने के अधिकार का यह अर्थ नहीं है कि किसी अभ्यर्थी के कहने मात्र से ही पुनर्गणना की मांग स्वीकार की जा सकती है। पुनर्गणना की मांग करने वाले पक्ष को यह सिद्ध करना आवश्यक होगा, जिससे प्रथम दृष्टया यह प्रतीत हो कि मतपत्रों की विवरणी ठीक नहीं है और न्याय के हित में पुनर्गणना आवश्यक है।

6. आपके द्वारा परिणाम पत्र को पूराकर दिये जाने और उस पर हस्ताक्षर करदिये जाने के बाद किसी भी अभ्यर्थी को पुनर्गणना की मांग करने का अधिकार नहीं है। परिणाम पत्र को पूरा कर लेने और उस पर अपने हस्ताक्षर कर देने के बाद मतों की पुनर्गणना की किसी भी मांग को आप अस्वीकार कर दें।

22. गणना का स्थगनः—

1. यदि आपको किसी अपरिहार्य कारण से गणनाको उसके पूर्ण होने से पूर्व ही निलंबित या स्थगित करना पडे तो सभी मतदान मशीनों और निर्वाचन से संबंधित सभी अन्य कागज पत्रों को सील बंद कर दें। प्रत्येक अभ्यर्थी या उसके अभिकर्ता यदि प्रत्येक मतदान मशीन और

पैकेट आदि, जिनमें निर्वाचन के कागज पत्र रखे हुए हो, पर अपनी सील लगाना चाहे तो आप उसे ऐसा करने की अनुमति दे।

2. सभी सील बंद मतदान मशीनों और पैकेट आदि एक पृथक कमरे में रखे जायें और कमरे को आपकी सील और अभ्यर्थियों की सील से सीलबंद और सुरक्षित कर लें। विकल्प के तौर पर ऐसे कमरों पर आपके तालों के साथ–साथ अभ्यर्थी भी अपने ताले लगा सकते है।

23. गणना के पूर्ण होने के पूर्व मतदान मशीन के विनष्ट हो जाने, उसको हानि पहुंचाये जाने आदि की दशा में अनुसरण की जानी वाली प्रकियाः–

नियम 55 के अन्तर्गत आयोग सभी महत्वपूर्ण परिस्थितियों को ध्यान में रखकर मतों की गणना रोक दिये जाने का निर्देश देने और यदि आवश्यक हो तो नवीन मतदान कराये जाने का आदेश देने के लिए सक्षम है। यदि मतों की गणना के पूर्ण होने के पूर्व रिटर्निंग अधिकारी द्वारा यह रिपोर्ट की जाये कि किसी मतदान केन्द्र पर प्रयुक्त की गयी मतदान मशीनः–

(i.) उसकी पीठासीन अधिकारी की अभिरक्षा में से विधि विरूद्ध निकाली ली गयी है, या

(ii.) घटनावश या साशय विनष्ट हो गयी है या कर दी गयी है या खो गयी है या खो दी गयी है,या

(iii.) उसको उस सीमा तक नुकसान पहुंचाया गया है या उसमें गडबड कर दी गयी है कि उस मतदान केन्द्र के मतदान के परिणाम को अभिनिश्चित नहीं किया जा सकता। या,

(iv.) वोटिंग मशीन में मतदान या मतगणना के दौरान तकनीकी खराबी आ गयी हो, या

(v.) मतदान केन्द्र पर मतदान प्रक्रिया दूषित हो गयी हो, या

(vi.) बूथ कैप्चरिंग के कारण मतदान केन्द्र का परिणाम विनिश्चित नहीं किया जा सकता हो,

तो आपको ऐसे सभी तथ्यों की रिपोर्ट आयोग को तुरन्त करनी चाहिए और उस मतदान केन्द्र के मतों की गणना के सम्बन्ध में आयोग के निर्देशों की प्रतीक्षा करनी चाहिए।

24. पुनः मतदान के पश्चात गणनाः–

यदि किसी मतदान केन्द्र पर मतदान दुबारा करवाया गया है तो उस मतदान में रिकार्ड किये गये मतों की गणना के लिए तारीख, समय और स्थान नियत करना चाहिए और इसकी लिखित सूचना प्रत्येक अभ्यर्थी या उसके निर्वाचन अभिकर्ता को देनी चाहिए। आपको इस गणना में भी उपर बतायी गयी विस्तृत कार्यविधि का ही, जहां तक कि वह लागू हो, पालन करना चाहिए।

25. परिणामों की घोषणाः–

जब मतों की गणना पूरी हो गई हो तब रिटर्निंग अधिकारी वार्ड के परिणामों की प्ररूप–22 में विवरण तैयार करेगा और यदि राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अन्यथा निर्देशित नहीं किया गया है तो परिणाम घोषित किये जायेगें। उस अभ्यर्थी को जिसे अधिकतम संख्या में विधिमान्य मत प्राप्त हुये है, उसे निर्वाचित घोषित किया जायेगा। यदि मतों की गणना के पश्चात किन्ही अभ्यर्थियों के बीच में मतों की समानता पायी जाय और केवल एक मत को जोडने से ही अभ्यर्थियों में से किसी को भी निर्वाचित घोषित किये जाने का हक मिलता है। रिटर्निंग अधिकारी ऐसे अभ्यर्थियों या उनके निर्वाचन अभिकर्ताओं की उपस्थिति में तत्काल लाटरी निकाले जाने का कार्यवाही करेगा तथा इसका विवरण बनाया जावेगा जिस पर उपस्थित अभ्यर्थियों या उनके निर्वाचन गणन अभिकर्ताओं के हस्ताक्षर भी यदि वे करें तो कराये जायेंगे। कार्यवाही विवरण को अन्य कागजात के साथ पृथक लिफाफे में रख कर सुरक्षित अभिरक्षा में रखा जायेगा। अंतिम परिणाम–पत्र (प्ररूप–21) एवं परिणाम की घोषणा (प्ररूप–22) में ऐसे अभ्यर्थियों जिनके पक्ष में लॉट निकला है, के सामने डाले गये मतों के आगे यथानुकूल प्रविष्टि अंकित कर दी जायेगी।

26. निर्वाचक का प्रमाण–पत्र

रिटर्निंग अधिकारी द्वारा निर्वाचित घोषित किये गये अभ्यर्थी को प्ररूप–23 में निर्वाचन का प्रमाण–पत्र भी दिया जायेगा। निर्वाचित घोषित किये गये अभ्यर्थी को निर्वाचन का प्रमाण–पत्र देने पर ऐसे अभ्यर्थी से प्राप्ति रसीद भी प्राप्त की जावे और उसके विधिवत हस्ताक्षर भी लिए जावे। ऐसी प्राप्ति रसीद

तुरन्त राज्य निर्वाचन आयोग को भेजी जावे। राज्य निर्वाचन आयोग को, परिणाम घोषित करने पर निम्न कागजात भेजे जावें :–

27. निर्वाचक के परिणाम के बाद विवरण प्रेषित करनाः–

1. अंतिम परिणाम–पत्र (प्ररूप–21)
2. परिणाम की घोषणा (प्ररूप–22)
3. निर्वाचन के प्रमाण–पत्र की प्राप्ति रसीद रिटर्निंग अधिकारी द्वारा प्रमाणित की हुई।

उपरोक्त कागजात पर रिटर्निंग अधिकारी के स्पष्ट हस्ताक्षर होने चाहिए, तारीख एवं स्थान अंकित होना चाहिए एवं रिटर्निंग अधिकारी की मोहर भी लगी हुई होनी चाहिए।

28. गणना के पश्चात मतदान मशीनों को पुनः सीलबंद करनाः–

1. किसी नियंत्रण यूनिट में अभिलिखित मतदान के अभ्यर्थीवार परिणाम अभिनिश्चत कर लिये जाने और प्ररूप 14–ग के भाग II ''गणना का परिणाम'' में और प्ररूप 21 में अंतिम परिणाम–पत्र में प्रविष्ट कर दिये जाने के पश्चात, नियंत्रण यूनिट को नियम 63–ख के अधीन रिटर्निंग अधिकारी की सील से और ऐसे अभ्यर्थियों या उनके निर्वाचन अभिकर्ताओं, जो उस पर अपनी सील लगाना चाहें, की सीलों से पुनः सीलबंद किया जाना चाहिए। तथापि, पुनः सीलबंद ऐसी रीति से किया जाना चाहिए कि नियंत्रण यूनिट में रिकार्ड किये गये मतदान का परिणाम मिट नहीं जाये और यूनिट ऐसे परिणाम की स्मृति को बनाये रख सके।

2. नियंत्रण यूनिट को पूर्वोक्त रूप में पुनः सील बंद निम्नलिखित रीति से किया जाना चाहिएः–

(i) सील को हटाकर नियंत्रण यूनिट के कैंडिडेट सैट सेक्शन की बैटरी को हटा दें। बैटरी को हटाये जाने के बाद में कैंडिडेट सेक्शन का कवर पुनः सीलबंद किया जाना चाहिए।
<u>कृपया ध्यान दीजियेः–</u>बैटरी का हटाया जाना आवश्यक है जिससे कि यह समय बीतने के साथ–साथ फूल नहीं जाये और मशीन को क्षति नहीं पहुचें। तथापि, बैटरी को हटाये जाने से नियंत्रण यूनिट में रिकार्ड किये गये मतदान का परिणाम मिटता नहीं है, क्योंकि नियंत्रण यूनिट अपनी स्मृति को बनाये रखेगी चाहे बैटरी हटा दी जाये।

(ii) परिणाम–सेक्शन के बाहरी कवर को बन्द कर दें और इसे पुनः सील कर दें।

(iii) इस प्रकार पुनः सीलबंद की गयी नियंत्रण यूनिट को उसके कैरिंग बक्से में रखें।

(iv) कैरिंग बक्से को पुनः सीलबंद कर दे।

(v) कैरिंग बक्से के हेंडल पर एड्रेस टेग को दृढतापूर्वक लगा दें, जिसमें निम्नलिखित विवरण दिया गया होः–
   (क) नगरपालिका का नाम
   (ख) वार्ड संख्या
   (ग) उस मतदान केन्द्र का विवरण जहां नियंत्रण यूनिट प्रयुक्त की गयी है।
   (घ) नियंत्रण यूनिट की क्रम संख्या,
   (ड) मतदान की तारीख,
   (च) गणना की तारीख।

(vi) आप अपनी सील के साथ–साथ अभ्यर्थियों या उनके अभिकर्ताओं को, यदि वे ऐसा चाहे, उनकी सीलें लगाने की अनुमति दें।

3. इस प्रकार पुनः सीलबंद की गई नियंत्रण यूनिटों को सुरक्षित भण्डारण के लिए विशेष रूप से तैयार किये गये बडे बक्सों में रखा जाना चाहिए।

4. अपग्रेडेड पोस्ट 2006 MK-V EVM's के मतदान यूनिटों के अतिरिक्त अन्य मतदान यूनिटों को साधारणतया, गणना के समय खोले जाने की आवश्यकता नहीं होगी। यदि किसी मतदान यूनिट को निरीक्षण या गणना के समय सत्यापन के लिए इसके कैरिंग बक्से से बाहर

निकाला जाता है तो इसे ऐसे निरीक्षण या सत्यापन के पश्चात इसके कैरिंग बक्से में वापस रख कर सीलबंद कर दिया जाना चाहिए।

5. सुरक्षित भण्डारण के लिए मतदान यूनिटों को भी विशेष रूप से तेयार किये गये बडे बक्सों में रखा जाना चाहिए। इस प्रकार निर्वाचन में प्रयुक्त सभी नियंत्रण यूनिटें ओर मतदान यूनिटें भंडारण स्थल पर ले जाये जाने के लिए तैयार की जावे।

29. सुरक्षित अभिरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अन्य निर्वाचन कागज पत्रों को सील बंद करनाः—

1. मतदान मशीनों के अतिरिक्त कई अन्य महत्वपूर्ण निर्वाचन संबंधी कागज पत्र है जिनका सीलबंद किया जाना और सुरक्षित किया जाना तथा भंडारण किया जाना अपेक्षित है। नियम 74—क के अधीन उसमें विनिर्दिष्ट निर्वाचन संबंधी कागजपत्रों के पैकेट किसी सक्षम न्यायालय के आदेश के बिना किसी व्यक्ति या प्राधिकारी द्वारा न तो खोले जायेंगे और न उनकी अन्र्तवस्तु का निरीक्षण किया जायेगा और न ही वे वस्तुए उसके समक्ष पेश की जायेगी। इस प्रकार इन कागज पत्रों की सुरक्षित अभिरक्षा के लिए विशेष सावधानी बरतनी पडेगी। जहां मतदान मशीने प्रयुक्त की गयी है, वहां ये कागजपत्र निम्नलिखित हैः—
   - (i) प्ररूप 14—क में मतदाता रजिस्टरों के पैकेट,
   - (ii) अप्रयुक्त डाक मतपत्रों के उनसे संलग्न प्रतिपर्णों के साथ पैकेट,
   - (iii) प्रयुक्त डाक मतपत्रों के, चाहे वे विधिमान्य हो या प्रतिक्षेपित, पैकेट (उन पैकेटों को सम्मिलित करते हुए जिनमें विलम्ब से प्राप्त डाक मतपत्र वाले लिफाफे भी है),
   - (iv) प्रयुक्त डाक मतपत्रों के प्रतिपर्णों के पैकेट,
   - (v) प्रयुक्त और अप्रयुक्त निविदत्त मतपत्रों के पैकेट,
   - (vi) अप्रयुक्त (अधिशेष) मतपत्रों (मतदान यूनिटों पर प्रदर्शित करने के लिए और निविदत्त मतपत्रों के रूप में प्रयोग करने के लिए मुद्रित) के पैकेट,
   - (vii) निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रतियों के पैकेट, और
   - (viii) निर्वाचकों द्वारा की गई घोषणाओं और उनके हस्ताक्षरों के अनुप्रमाणन के पैकेट।

2. उपर्युक्त मद (iii) और (viii) पर बताये गये कागज पत्रों के पैकेट गणना के समय ही बना लिए जायेगें ऐसे पैकेट आपके द्वारा मतों की गणना की समाप्ति के तुरन्त पश्चात आपकी सील से सीलबन्द कर दिये जायेंगे। यह सील उन सीलों के, यदि कोई हो, अतिरिक्त होगी जो इन पैकेटों पर किन्ही अभ्यर्थियों, उनके निर्वाचन अभिकर्ताओं या गणन अभिकर्ताओं, जो उन पर अपनी सील लगाना चाहें, द्वारा लगायी जायेगी। आपको वहां उपस्थित अभ्यर्थियों और उनके अभिकर्ताओं को बता देना चाहिए कि इन पैकेटों पर वे अपनी सील अवश्य लगायें और ऐसा करना उनके अपने ही हित में है ताकि किसी पैकेट में कोई गडबडी न की जा सके।
3. ऊपर पैरा 1 की मद संख्या (i), (v) और (vii) में बताये गये कागजपत्रों के सभी पैकेट मतदान केन्दों के पीठासीन अधिकारियों से सम्यक रूप से सीलबन्द पैकेटों में प्राप्त किये जायेंगे। चूंकि मतगणना के समय इन पैकेटों की किसी प्रयोजन के लिए आवश्यकता नहीं होती है अतः इनमें से प्रत्येक को निर्वाचन कागजपत्र प्राप्त करने के स्थान पर प्राप्त करने के तुरन्त बाद सीलबंद कर दिया जाना चाहियें और लोहे के संदूक में रख दिया जाना चाहिये।
4. इन पैकेटों को वस्तुतः सीलबंद करने के कार्य के पर्यवेक्षण के लिए आपको एक उत्तरदायी प्रभारी अधिकारी लगाना चाहिए अन्यथा, निर्वाचन के महत्त्वपूर्ण कागजपत्रों के इधर—उधर हो जाने की संभावना है, जिसका परिणाम यह होगा कि यदि और जब कोई सक्षम न्यायालय इन कागजपत्रों को पेश करने का आदेश देगा तब जटिलतायें और गडबडी पैदा हो जायेगी।
5. लोहे के प्रत्येक संदूक में दो ताले लगाये जाये और प्रत्येक ताला सीलबंद कर दिया जाये।

30. कार्यवाहियों का लेखबद्ध किया जानाः—

1. मतों की गणना के पश्चात गणना स्थल पर ही मतदान मशीनों और निर्वाचन के कागजपत्रों को सीलबंद कर दिये जाने के पश्चात आपको निम्नलिखित का उल्लेख करते हुए कार्यवाही लेखबद्ध करनी चाहिए—

   (i.) गणना हॉल में उपस्थित अभ्यर्थियों/अभिकर्ताओं का पूर्ण विवरण,

(ii.) यह तथ्य कि उनसे मतदान मशीनों और निर्वाचन के पैकेटों पर, यदि वे ऐसा चाहे, अपनी सीलें लगाने को, कहा गया था, और

(iii.) उन व्यक्तियों का विवरण, जिन्होंने मतदान मशीनों और पैकेटों पर अपनी सीलें लगायी थी और उन व्यक्तियों का विवरण, जिन्होंने ऐसा करने से इन्कार कर दिया था।

3. तब आपको कार्यवाहियों पर हस्ताक्षर करने चाहिए और उस पर ऐसे अभ्यर्थियों/अभिकर्ताओं के जो उपस्थित हों और हस्ताक्षर करना चाहें, हस्ताक्षर करवाने चाहिये। कार्यवाहियों को एक लिफाफे में, रखा जाना चाहिए और सीलबंद किया जाना चाहिये। सीलबंद लिफाफे को निर्वाचन के कागजपत्रों के पैकेटों के साथ रखा जाना चाहिए।

31. निर्वाचन अधिकारी द्वारा निर्वाचन अभिलेखों की सुरक्षित अभिरक्षाः—

1. निर्वाचन के परिणाम की घोषणा कर दिये जाने के पश्चात तुरन्त उसी दिन समस्त मतदान मशीनों और उपर्युक्त उल्लिखित पैकेटों को अन्तर्विष्ट करने वाले सील बंद संदूक को सरकारी कोषागार/उपकोषागार में दो तालों के अन्दर सुरक्षित अभिरक्षा में रखा जायेगा। प्रत्येक संदूक के ताले की चाबी कोषागार अधिकारी को या कोषागार संहिता के अधीन प्राधिकृत कोषागार/उपकोषागार के किसी अन्य अधिकारी के सुपुर्द कर दी जानी चाहिए और प्रत्येक संदूक के दूसरे ताले की चाबी स्वयं निर्वाचन अधिकारी द्वारा या इस प्रयोजन के लिए नामनिर्दिष्ट किसी वरिष्ठ अधिकारी द्वारा अपने पास रखी जानी चाहिए।

2. मतों की गणना आरंभ होने से पूर्व जिस कमरें में ये संदूक रखे जाते हैं, उस कमरे के बाहर तैनात सशस्त्र पुलिस रक्षक दल को गणना की समाप्ति हो जाने के पश्चात ही हटा नहीं दिया जाना चाहिए जब तक कि मतदान मशीनों और निर्वाचन अभिलेख कोषागार/उपकोषागार को भेज नहीं दिये जाते। जहां तक संभव हो, उसी रक्षक दल को इन कागज पत्रों के परिवहन के दौरान भी उसकी सुरक्षा के लिए तैनात किया जाना चाहिए। इस तथ्य का उस रक्षक दल द्वारा रखी जाने वाली लॉग बुक में उल्लेख कर दिया जाना चाहिए।

   नोटः— यह भी ध्यान रहे कि मतगणना कार्य उसी दिन पूर्ण किया जाना है क्योंकि अगले दिन महापौर/सभापति/अध्यक्ष का भी चुनाव करवाया जाना है।

(70)

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(द्वितीय तल, विकास खण्ड, सचिवालय, जयपुर–302005)
email- secraj@rajasthan.gov.in & secrajasthan@gmail.com, Ph./FAX 0141-2227280, 2227072

क्रमांकः प.1(2)(1)नपा–पंचा / सां.आ. / रानिआ / 14 / 3305 दिनांक : 19.08.2014

आदेश

सां. आ. 88 / 2014. राज्य सरकार के स्वायत्त शासन विभाग की अधिसूचना संख्या एफ 8(जी.ए)( ) Rules / DLB / 14 दिनांक 11 जुलाई 2014 के द्वारा राजस्थान नगरपालिका (निर्वाचन) (संशोधन) नियम, 2014 जारी कर राजस्थान नगरपालिका (निर्वाचन) नियम, 1994 के नियम 45 ए को विलोपित कर दिया गया है। इन्हीं संशोधनों के अन्तर्गत उम्मीवारों के नाम के अन्त में ''नोटा'' (उपरोक्त में से कोई नहीं) का विकल्प उपलब्ध कराने हेतु फॉर्म 14 ग के द्वितीय भाग को भी संशोधित किया गया है। राजस्थान नगरपालिका (निर्वाचन) नियम, 1994 के नियम 45 ए के विलोपन के कारण फॉर्म 14 ग के प्रथम भाग में बिन्दु संख्या 3 को भी विलोपित किया जाना था, परन्तु राज्य सरकार द्वारा फॉर्म 14 ग के प्रथम भाग में बिन्दु संख्या 3 का विलोपन नहीं किया जाने के कारण राजस्थान नगरपालिका (निर्वाचन) (संशोधन) नियम, 2014 के नियम 97 में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए राज्य निर्वाचन आयोाग यह निर्देश प्रदान करता है कि, फॉर्म 14 ग के प्रथम भाग में बिन्दु संख्या 3 के सम्मुख शून्य (Nil) अंकित माना जाए।

आज्ञा से,
–ह0–
(सत्य प्रकाश बसवाला)
मुख्य निर्वाचन
अधिकारी एवं सचिव

राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग

क्रमांकः एफ.4.(1)(2)न.पा. एवं पं. / रानिआ / 94 / 1063 जयपुर,दिनांकः 13.12.94

आदेश

सं.आ.11 / 94–यतः राजस्थान नगरपालिका (निर्वाचन) नियम, 1994 के नियम 22 के उप–नियम (2) में उपबन्धित है कि निक्षेप प्रतिदेय होगा सिवाय इसके कि वह किसी ऐसे अभ्यर्थी के मामले में समपहत हो जायेगा जो निर्वाचन में डाले गये कुल विधिमान्य मतों का कम से कम षाठांश प्राप्त करने में असफल रहता है;

यतः उपरोक्त नियम के प्रावधान के अनुसार कुल विधिमान्य मतों के षष्ठांश मतों की संख्या से कम मत प्राप्त करने यदि कोई अभ्यर्थी निर्वाचित होता है तो उसका निक्षेप भी समपहृत हो जाता है, जो कि नैतिक एवम् व्यवहारिक दृष्टि से उचित नहीं है;

यतः उपरोक्त नियमों के प्रावधानों के अनुसार सम्पन्न होने वाले चुनाव के समान ही चुनावों के लिये लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 158 की उप–धारा (4) में उप–बंधित है कि यदि ऐसे निर्वाचन में, जिसमें मतदान हुआ है, अभ्यर्थी निर्वाचित नहीं होता और उसे प्राप्त विधिमान्य मतों की संख्या सब अभ्यर्थियों को प्राप्त विधिमान्य मतों की कुल संख्या के छठे भाग से, या निर्वाचन में एक से अधिक सदस्यों के निर्वाचन की दशा में उस संख्या के छठे भाग से, जो ऐसे पडे हुए विधिमान्य मतों की कुल संख्या को, निर्वाचित किए जाने वाले सदस्यों की संख्या से, भाग देने पर आए, अधिक नहीं है, तो निक्षेप समपहृत हो जाएगा। इसी प्रकार के प्रावधान निरसित राजस्थान नगरपालिका निर्वाचन आदेश,1960 के क्लाज 10(3) में थे;

अतः उपरोक्त कठिनाई के निराकरण हेतु राजस्थान नगरपालिका (निर्वाचन) नियम, 1994 के नियम 97 द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य निर्वाचन आयोग इन नियमों के नियम 22 के उप–नियम (2) के प्रावधानों के रहते हुए एतदद्वारा निदेश देता है कि कोई अभ्यर्थी, जिसके द्वारा या जिसकी ओर से उप–धारा (1) में निर्दिष्ट निक्षेप कराया गया है यदि निर्वाचित हो जाय भले ही वह डाले गये कुल विधिमान्य मतों का कम से कम षष्ठांश प्राप्त करने में असफल रहा हो, रिटर्निंग अधिकारी द्वारा परिणाम घोषित कर देने के पश्चात अभ्यर्थी को या उस व्यक्ति को जिसने उसकी ओर से निक्षेप कराया है, जैसे भी स्थिति हो, लौटा दिया जोयगा।

ह.

(बी.बी.महान्ति)
मुख्य निर्वाचन अधिकारी एवं सचिव,
राज्य निर्वाचन आयोग, राज. जयपुर।

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान, जयपुर

(द्वितीय तल, विकास खण्ड, सचिवालय, जयपुर–302005)

क्रमांक एफ.7(1)(8)पंचा/रानिआ/2004/6242 जयपुर दिनांकः 12.8.05

समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी,
(नगरपालिका) (कलेक्टर) (बाडमेर एवं भरतपुर को छोड़कर)।

विषयः नगरपालिकाओं के लिए आम चुनाव–2005–अभ्यर्थी द्वारा नामनिर्देशन पत्रों के साथ प्रस्तुत घोषणा पत्र/शपथ पत्र के संबंध में– प्रतिलिपि जारी करना ।

प्रसंगः राज्य निर्वाचन आयोग की अधिसूचना क्रमांक एफ.7(6)(3)पंचायत निर्वाचन/सचिवालय/2003/374 दिनांक 07.02.2004

महोदय,

राज्य निर्वाचन आयोग ने अपनी प्रासंगिक अधिसूचना के द्वारा अन्य बातों के साथ यह भी निर्देश दिये थे अभ्यार्थियों के द्वारा अपने नाम निर्देशन पत्रों के साथ–साथ प्रस्तुत आयोग की अधिसूचना दिनांक 07.02.2004 के द्वारा विहित उपाबन्ध–I, या यथास्थिति, उपाबन्ध–II की प्रति सर्वसाधारण की सूचनार्थ रिटर्निंग अधिकारी द्वारा नोटिस बोर्ड पर लगाई जावेगी और उनकी प्रतियाँ अन्य समस्त अभ्यर्थियों के मांग किये जाने पर और प्रिण्ट/इलेक्ट्रोनिक मीड़िया के प्रतिनिधियों को उपलब्ध करवाकर प्रसारित की जावेगी।

आयोग के आदेश क्रमांक एफ4(2)(1)/पंचा/नेपा/रानिआ/94/3148 दिनांक 6.11.99 के द्वारा निर्वाचन कागजात की प्रमाणित प्रतिलिपि की फीस की दर वही निर्धारित की गई है जो दर राजस्व न्यायालय नियमावली के तहत निर्धारित है ।

कुछ वर्गों द्वारा यह मांग की गई है कि सामान्यतः अभ्यर्थियों के नामनिर्देशन पत्रों के साथ साथ उनके संलग्नक अन्य दस्तावेजों की प्रतिलिपि की भी आवश्यकता रहती है अतः नामनिर्देशन पत्रों के साथ संलग्नक पत्रादि की प्रमाणित प्रतिलिपि के लिये एक मुश्त फीस का निर्धारण किया जाये ताकि आम जन को सुविधा रहे।

अतः उपरोक्त निर्देशों की निरन्तरता में राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निम्नांकित निर्देश जारी किये जाते हैं :–

(1) नामनिर्देशन पत्रों एवं उनके संलग्नक दस्तावेजों जैसे संतान संबंधी घोषणा पत्र, दोषसिद्धि संबंधी घोषणा पत्र, आयोग की अधिसूचना दिनांक 07.02.2004 द्वारा विहित उपाबन्ध– I/उपाबन्ध–II एवं अन्य कागजात जो अभ्यर्थी/आपत्तिकर्ता के द्वारा अभ्यर्थी की पात्रता के संबंध में प्रस्तुत किये गये हों, का एक सैट मानते हुये उसकी प्रमाणित प्रतिलिपि जारी करने हेतु राज्य निर्वाचन आयोग एक मुश्त प्रतिलिपि फीस रूपये 10/– प्रति सैट निर्धारित की जाती है।

(2) यदि नगरपालिका सदस्य के निर्वाचन के किसी अभ्यर्थी के नामनिर्देशन पत्र के सैट की प्रतिलिपि किसी व्यक्ति द्वारा चाही जाती है तो रिटर्निंग अधिकारी द्वारा और उक्त रिकॉर्ड के जमा होने के पश्चात् जिला नगरपालिका निर्वाचन अधिकारी के द्वारा अधिकृत अधिकारी द्वारा जारी की जायेगी।

(3) अभ्यर्थी के घोषणा पत्रों/स्वघोषणा की एक प्रति रिटर्निंग अधिकारी द्वारा अपने कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर सर्वसाधारण की सूचनार्थ लगाई जावे। रिटर्निंग अधिकारी द्वारा नामनिर्देशन पत्रों/घोषणा पत्रों/उपाबन्ध–I की मूल प्रति के लिफाफे को सील नहीं कराया जाना है। उक्त लिफाफा जिला निर्वाचन अधिकारी के रिकॉर्ड में जमा होने के उपरान्त नामनिर्देशन पत्र एवं उसके संलग्नकों की प्रमाणित प्रति यदि कोई व्यक्ति चाहता है तो 10/–रूपये प्रति सैट की दर पर प्रमाणित प्रति जारी की जायेगी।

यहाँ यह भी स्पष्ट किया जाता है कि केवल नामनिर्देशन पत्रों के सैट के संबंध में ही उपरोक्तानुसार एक मुश्त फीस निर्धारित की गई है शेष अन्य निर्वाचन कागजात जिनकी प्रमाणित प्रतिलिपि जारी किया जाना प्रतिबन्धित नहीं हैं, के लिए निर्धारित फीस राज्य निर्वाचन आयोग के आदेश दिनांक 06.11.99 के अनुरूप ही रहेगी।

कृपया उपरोक्त निर्देशों से सभी संबंधित रिटर्निंग अधिकारियों एवं निर्वाचन से जुड़े अन्य अधिकारियों को अवगत कराया जावे।

सचिव,
राज्य निर्वाचन आयोग

राज्य निर्वाचन आयोग

क्रमांकः एफ. 1(1)(2)नपा/रानिआ/94/683 जयपुर, दिनांकः 17.11.94

प्रेषक,

मुख्य निर्वाचक अधिकारी एवं सचिव,
राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान, जयपुर।

प्रेषिति,

समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी (नगरपालिका)
(कलेक्टर) ।

प्रसंगः– संदर्भ में नगरपालिका निर्वाचन में निर्वाचित हुये सदस्यों की शपथ।

---0---

नगरपालिका आधिनियम की धारा 61 में यह प्रावधान है कि नगरपालिका का कोई भी निर्वाचित सदस्य अपने कर्त्तव्यारूढ होने के पूर्व कलेक्टर या इस प्रयोजनार्थ उसके नाम निर्देशिती के समक्ष शपथ लेगा या प्रतिज्ञान करेगा और उस पर हस्ताक्षर करेगा। शपथ का प्रारूप राजस्थान नगरपालिका (निर्वाचन) नियम, 1994 के नियम 69 में विहित किया हुआ है। इस संबंध में यह स्पष्ट किया जाता है कि जो भी सदस्य निर्वाचित होते हैं वे सभापति/उप सभापति /अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/मेयर/उप मेयर के चुनाव हेतु वोट देने व चुनाव लडने के पात्र तभी माने जायेंगे जब कि वह नियम 69 में विहित प्ररूप में शपथ अथवा प्रतिज्ञान लेंगे और विहित प्ररूप पर हस्ताक्षर भी करेंगें।

अतः उचित यही होगा कि नगरपालिका के संबंधित रिटर्निंग अधिकारी एवं सहायक रिटर्निंग अधिकारी को शपथ या प्रतिज्ञान लेने हेतु कलेक्टर द्वारा अधिकृत कर दिया जाय तथा निर्वाचित होने के तुरन्त पश्चात संबंधित को शपथ दिलाने हेतु उन्हें निर्देशित कर दिया जावे।

आज्ञा से,

ह.
(आर.के.पारीक)
उप सचिव,
राज्य निर्वाचन आयोग,
राजस्थान, जयपुर।

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(द्वितीय तल, विकास खण्ड, सचिवालय, जयपुर–302005)
email- secraj@rajasthan.gov.in & secrajasthan@gmail.com, FAX 0141-2227280, 2227072

क्रमांक एफ. 1(4)(1)नपा/रानिआ/14/3715 दिनांकः 02.09.2014

आदेश

राजस्थान नगरपालिका (निर्वाचन) नियम, 1994 के नियम 72 में सदस्य पद पर निर्वाचित होने वाले व्यक्तियों के नाम रिटर्निंग अधिकारी द्वारा राजपत्र में प्रकाशित कराए जाने के प्रावधान दिए गए हैं। इस संबंध में राज्य निर्वाचन आयोग निर्देशित करता है कि, रिटर्निंग अधिकारियों द्वारा परिणामों की घोषणा के पश्चात् परिणामों को असाधारण राजपत्र के भाग 6(क) में प्रकाशन के लिए संलग्न प्रारूप में अधिसूचना (जिसमें रिटर्निंग अधिकारी के हस्ताक्षर के अतिरिक्त नाम, पदनाम एवं हस्ताक्षर के नीचे मोहर अंकित होनी चाहिए) जारी करने हेतु सदस्य पद पर निर्वाचित होने वाले व्यक्तियों की सूची तैयार की जाएगी। रिटर्निंग अधिकारियों द्वारा संलग्न प्रारूप में सूचना चार प्रतियों में तैयार की जाएगी, जिनमें से एक प्रति अधीक्षक, राजकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर को (सॉफ्ट कॉपी सहित), दो प्रतियां राज्य निर्वाचन आयोग को परिणामों की घोषणा के तीन दिवस के भीतर प्रेषित की जाएंगी।

स्वायत्त शासन विभाग, राज., जयपुर द्वारा अधिसूचना संख्या एफ 8(जी.ए)( ) Rules/DLB/14 दिनांक 11 जुलाई, 2014 के द्वारा राजस्थान नगरपालिका (निर्वाचन) नियम, 1994 में संशोधन कर राजस्थान नगरपालिका (निर्वाचन) (संशोधन) नियम, 2014 द्वारा द्वारा अध्याय IV को प्रतिस्थापित कर अध्यक्षीय/उपाध्यक्षीय पदों की निर्वाचन प्रक्रिया विहित की गई है। इन संशोधनों के अनुसार नियम 88 एवं 90 से 94 में अध्यक्षीय/उपाध्यक्षीय पद हेतु परिणामों को तैयार करने एवं उनका राजपत्र में प्रकाशन करने की प्रक्रिया विहित की गई हैं। इस क्रम में राज्य निर्वाचन आयोग यह निर्देश प्रदान करता है कि, रिटर्निंग अधिकारी द्वारा अध्यक्षीय/उपाध्यक्षीय पद पर निर्वाचित व्यक्तियों की अधिसूचना (जिसमें रिटर्निंग अधिकारी के हस्ताक्षर के अतिरिक्त नाम, पदनाम एवं हस्ताक्षर के नीचे मोहर अंकित होनी चाहिए) तैयार कर एक प्रति आयोग को राजपत्र में प्रकाशित करने हेतु परिणामों की घोषणा के तीन दिवस के भीतर भिजवाई जाएंगी।

संलग्न : अधिसूचना का प्रारूप।

आज्ञा से,
–ह0–
(सत्यप्रकाश बसवाला)
मुख्य निर्वाचन अधिकारी एवं सचिव,
राज्य निर्वाचन आयोग,
राजस्थान, जयपुर।

कार्यालय नगरपालिका ....

क्रमांक : दिनांक :

अधिसूचना

राजस्थान नगरपालिका (निर्वाचन) नियम, 1994 के नियम 72 के अनुसरण में नगरपालिका/परिषद/निगम.. का मैं, ...रिटर्निंग अधिकारी, अधिसूचित करता हूँ कि माह .... में सम्पन्न हुये उप निर्वाचन में नगरपालिका मण्डल/परिषद/निगम .... के लिये निम्नानुसार सारणी में उल्लिखित सदस्य निर्वाचित घोषित हुये हैः—

सारणी

वार्ड संख्या	आया सामान्य है, या अ.जा.,अ.ज.जा./पिछडे वर्गो या महिलाओं के लिए आरक्षित है	निर्वाचित सदस्य का नाम
1	2	3

स्थानः—
दिनांकः—

हस्ताक्षर व नाम
निर्वाचन अधिकारी
(पद नाम सहित)
नगरपालिका ....
जिला ....

क्रमांक : दिनांक :

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :—

1. सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान, जयपुर को दो प्रतियों में।
2. अधीक्षक, राजकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर को भेजकर निवेदन है कि इस अधिसूचना को राजस्थान राजपत्र भाग 6(क) विशेषांक में प्रकाशित करावे।

हस्ताक्षर व नाम
निर्वाचन अधिकारी
(पद नाम सहित)
नगरपालिका ....
जिला ....

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

क्रमांकःप.4(2)(1)पं./नपा/रानिआ/94/3157 पुर, दिनांकः 9.11.99

आदेश

सां. आ. 35/99 राजस्थान नगरपालिका (निर्वाचन) नियम, 1994 के नियम 64–क के उप नियम (1) के उपबन्धों के अनुसार राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा इस निमित दिए गए साधारण या विनिर्दिष्ट निर्देशों के अधीन रहते हुए नियम 64 के उपबन्ध नियम 46–क के उप नियम (4) में निर्दिष्ट डाक मतपत्रों को प्रतिक्षेपित के संबंध में लागू होंगे। अतः राज्य निर्वाचन आयोग उक्त नियम के उपबन्धों के अनुसरण में निम्नांकित निर्देश जारी करता है :–

1. रिटर्निंग अधिकारी सर्वप्रथम डाक मतपत्रों के विषय में अधोलिखित उपबन्धित रीति से कार्यवाही करेगा।

2. मतगणना प्रारम्भ करने के निमित्त नियम समय के अवसान के पश्चात् रिटर्निंग अधिकारी द्वारा प्राप्त . प्ररूप 16–ग में किसी लिफाफे को खोला नहीं जायेगा और ऐसे किसी लिफाफे में अन्तर्विष्ट किसी मत की गणना नहीं की जायेगी।

3. उपरोक्त मद संख्या 2 में वर्णित लिफाफे से भिन्न लिफाफे को एक–एक करके खोला जायेगा और जैसे ही हर एक लिफाफे को खोला जाए, रिटर्निंग अधिकारी प्रथमतः उसमें अन्तर्विष्ट प्ररूप 16–क में की गई घोषणा की संवीक्षा करेगा।

4. यदि उक्त घोषणा नहीं पायी जाती है या उसे सम्यक रूप से हस्ताक्षरित और अनुप्रमाणित नहीं किया गया है अन्यथा सारतः त्रृटिपूर्ण है या यदि उसमें यथा प्रविष्ट मतपत्र का क्रम संख्यांक प्ररूप 16–ख के लिफाफे पर पृष्ठांकित क्रय संख्यांक से भिन्न है तो उस लिफाफे को खोला नहीं जायेगा और उस पर समुचित पृष्ठांकन करने के पश्चात् रिटर्निंग अधिकारी उसमें अन्तर्विष्ट मतपत्र को प्रतिपेक्षित (नामंजूर) कर देगा।

5. ऐसे पृष्ठांकित प्ररूप 16–ख में हर एक लिफाफे और उसके साथ प्राप्त प्ररूप 16–क में घोषणा को पुनः प्ररूप 16–ग के लिफाफे में रखा जाएगा और प्ररूप 16–ग में ऐसे सभी लिफाफे एक पृथक पैकेट में रखे जायेंगे जिन्हें मुद्राबन्द किया जायेगा और जिस पर नगरपालिका नाम, वार्ड संख्या, गणना की तारीख औश्र उसकी अन्तर्वस्तुओं का संक्षिप्त वर्णन अभिलिखित किया जायेगा।

6. रिटर्निंग अधिकारी तत्पश्चात् प्ररूप 16–क में की गयी उन सभी घोषणाओं को, जो उसने सही पायी हैं, पृथक पैकेट में रखेगा जिसे प्ररूप 16–ख के किसी लिफाफे को खोलने के पहले मुद्राबन्द किया जायेगा और जिस पर उपरोक्त मद संख्या–5 में निर्दिष्ट विशिष्टियां अभिलिखित की जाएगी।

7. प्ररूप 16–ख में उन लिफाफों को, जिनके मामले में उपरोक्त मद संख्या–6 के अन्तर्गत कार्यवाही की गई है तब एक–एक करके खोला जाएगा और रिटर्निंग अधिकारी हर एक मतपत्र की संवीक्षा करेगा और उस पर अभिलिखित मत की विधिमान्यता का विनिश्चय करेगा।

8. उपरोक्त मद संख्या–7 के अन्तर्गत संवीक्षा में डाक मतपत्र को प्रतिपेक्षित कर दिया जाएगा–

   (क) यदि उस पर कोई चिन्ह (मत को अभिलिखित करने के लिए चिन्ह से भिन्न) या लेख है जिससे निर्वाचक की पहचान हो; या
   (ख) यदि उस पर कोई गत अभिलिखित नहीं है; या
   (ग) यदि उस पर मत एक से अधिक अभ्यर्थियों के पक्ष में दिए गए हैं;
   (घ) यदि वह बनावटी मतपत्र है; या

(ङ) यदि वह ऐसे रूप में क्षत या विकृत है कि असली मतपत्र के रूप में उसकी अनन्यता स्थापित नहीं की जा सकती है; या

(च) यदि उसे उस लिफाफे में रखकर नहीं लौटाया गया है जो रिटर्निंग अधिकारी द्वारा निर्वाचक को उसके साथ भेजा गया था।

(छ) यदि मत को उपदर्शित करने वाला चिन्ह मतपत्र पर ऐसी रीति से लगा है कि वह बात सन्देहपूर्ण हो जाती है कि मत किस अभ्यर्थी को दिया गया है।

9. कोई डाक मतपत्र इस कारण नामंजूर नहीं किया जायेगा कि उस पर अभिलिखित करने वाला चिन्ह निर्धारित उपकरण से अन्यथा लगाया गया है। किसी भी अभ्यर्थी के लिये मतपत्र में निर्दिष्ट स्थान में, जिसे मतदाता अपना मत अभिलिखित करना चाहता है, बालपैन या स्याही से ''x'' या ''√'' का अंकन पर्याप्त होगा।

10. डाक मतपत्र पर अभिलिखित मत को केवल इस आधार पर कि मत को उपदर्शित करने वाला चिन्ह अस्पष्ट है या एक से अधिक बार लगाया गया है, प्रतिपेक्षित नहीं किया जाएगा यदि यह आशय कि मत किसी विशिष्ट अभ्यर्थी के लिए है, मतपत्र चिन्हित किए जाने के ढंग से स्पष्ट रूप से प्रतीत होता है।

11. रिटर्निंग अधिकारी उन सभी विधिमान्य मतों की, जो डाक मतपत्र द्वारा हर एक अभ्यर्थी के पक्ष में दिए गए हैं, गणना करेगा। उनके जोड़ को प्ररूप 21 में परिणाम पत्र में अभिलिखित करेगा और उसे सुनायेगा।

12. तदुपरांत सभी विधिमान्य मतपत्रों और सभी प्रतिपेक्षित मतपत्रों के पृथक–पृथक बंडल बनाए जाएंगे और उन्हें एक साथ एक पैकेट में रखा जाएगा जिसे रिटर्निंग ऑफिसर की और ऐसे अभ्यर्थियों, उनके निर्वाचन अभिकर्त्ताओं या गणन अभिकर्तात्ताओं की, जो इस पर अपनी मुद्राएं लगाना चाहें, मुद्राओं से मुद्रांकित किया जाएगा। ऐसे मुद्राबंद पैकेटों पर नगरपालिका का नाम, वार्ड संख्या, गणना की तारीख और उनकी अन्तर्वस्तुओं का संक्षिप्त वर्णन अभिलिखित किया जाएगा।

आज्ञा से,

(आर.के. पारीक)
उप सचिव
राज्य निर्वाचन आयोग,
राजस्थान, जयपुर

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(द्वितीय तल, विकास खण्ड, सचिवालय, जयपुर–302005)
email- secraj@rajasthan.gov.in & secrajasthan@gmail.com, Ph./FAX 0141-2227280, 2227072

क्रमांकः प.1(2)(1)नपा–पंचा / सां.आ. / रानिआ / 14 / 3727 दिनांक : 03.09.2014

आदेश

सां.आ. संख्या – 93 / 14. राजस्थान नगरपालिका (निर्वाचन) नियम, 1994 के नियम 64–क के उप नियम (1) के उपबन्धों के अनुसार राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा इस निमित दिए गए साधारण या विनिर्दिष्ट निर्देशों के अधीन रहते हुए नियम 64 के उपबन्ध नियम 46–क के उप नियम (4) में निर्दिष्ट डाक मतपत्रों को प्रतिक्षेपित के संबंध में लागू हैं। इस क्रम में राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा आदेश क्रमांक 3157 दिनांक 09.11.1999 (सां. आ. सं. 35 / 99) के द्वारा डाक मतपत्रों को प्रतिक्षेपित करने के संबंध में निर्देश जारी किए हुए हैं।

स्वायत्त शासन विभाग, राज., जयपुर की अधिसूचना संख्या एफ 8(जी.ए)( )Rules / DLB / 14 दिनांक 11 जुलाई, 2014 के द्वारा राजस्थान नगरपालिका (निर्वाचन) नियम, 1994 के नियम 34 में संशोधन कर मतपत्र में मतदाताओं को ''नोटा'' (उपरोक्त में से कोई नहीं) का विकल्प उपलब्ध कराया गया है। आयोग द्वारा नियम 34(1) के अन्तर्गत आदेश क्रमांक 3142 दिनांक 05.08.2014 (सां. आ. सं. 86 / 14) के द्वारा मतपत्र एवं उससे सम्बद्ध प्रतिपर्ण का प्रारूप विहित किया हुआ है। इसके अतिरिक्त नियम 46–क के उपनियम (4) के द्वितीय परन्तुक के अनुसार आदेश क्रमांक 3507 दिनांक 25.08.2014 (सां. आ. सं. 89 / 14) के द्वारा साधारण मतपत्र व उसके संलग्न प्रतिपर्ण के प्रारूप को ही डाक मतपत्र एवं प्रतिपर्ण का प्रारूप के रूप में विहित माना गया है, सिवाय इसके कि, मतपत्र एवं उसके प्रतिपर्ण के पृष्ठ भाग पर शब्द **''डाक मतपत्र'' मुद्रांकित होगा।**

अतः राजस्थान नगरपालिका (निर्वाचन) नियम, 1994 के नियम 34 में हुए संशोधन के प्रभावशील होने से अब मतदाताओं को डाक मतपत्र में भी ''नोटा'' (उपरोक्त में से कोई नहीं) का विकल्प उपलब्ध होगा। नियम 64 के उपबंधों के अन्तर्गत डाक मतपत्रों को प्रतिक्षेपित करने हेतु राज्य सरकार द्वारा नियमों में संशोधन नहीं किए जाने के कारण नियम 97 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य निर्वाचन आयोग डाक मतपत्रों को प्रतिक्षेपित करने हेतु आयोग के उक्त आदेश क्रमांक 3157 दि. 09.11.99 (सां. आ. सं. 35 / 99) में निम्नलिखित आंशिक संशोधन करता है :–

1. आदेश के बिन्दु संख्या 8(ग) ''यदि उस पर मतएक से अधिक अभ्यर्थियों के पक्ष में दिए गए हैं;'' को ''यदि उस पर मत एक से अधिक अभ्यर्थियों एवं किसी एक अभ्यर्थी तथा 'नोटा' (उपरोक्त में से कोई नहीं) के पक्ष में दिए गए हैं;'' से प्रतिस्थापित किया जाता है।
2. आदेश के बिन्दु संख्या 9 ''कोई डाक मतपत्र इस कारण नामंजूर नहीं किया जाएगा कि, उस पर अभिलिखित करने वाला चिन्ह निर्धारित उपकरण से अन्यथा लगाया गया है। किसी भी अभ्यर्थी के लिए मतपत्र में निर्दिष्ट स्थान में, जिसे मतदाता अपना मत अभिलिखित करना चाहता है, **बालपैन या स्याही से ''X'' या ''√'' का अंकन पर्याप्त होगा**'' को ''कोई डाक मतपत्र इस कारण नामंजूर नहीं किया जाएगा कि, उस पर अभिलिखित करने वाला चिन्ह निर्धारित उपकरण से अन्यथा लगाया गया है। किसी भी अभ्यर्थी अथवा 'नोटा' (उपरोक्त में से कोई नहीं) के लिए मतपत्र में निर्दिष्ट स्थान में, जिसे मतदाता अपना मत अभिलिखित करना चाहता है, **बालपैन या स्याही से ''X'' या ''√'' का अंकन पर्याप्त होगा**'' से प्रतिस्थापित किया जाता है।
3. आदेश के बिन्दु संख्या 10 ''डाक मतपत्र पर अभिलिखित मत को केवल इस आधार पर कि मत को उपदर्शित करने वाला चिन्ह अस्पष्ट है या एक से अधिक बार लगाया गया है, प्रतिक्षेपित नहीं किया जाएगा यदि यह आशय कि, मत किसी विशिष्ट अभ्यर्थी के लिए है, मतपत्र चिन्हित किए जाने के ढंग से स्पष्ट रूप से प्रतीत होता है'' को ''डाक मतपत्र पर अभिलिखित मत को केवल इस आधार पर कि मत को उपदर्शित करने वाला चिन्ह अस्पष्ट है या एक से अधिक बार लगाया गया है, प्रतिक्षेपित नहीं किया जाएगा यदि यह आशय कि मत

किसी विशिष्ट अभ्यर्थी अथवा 'नोटा' (उपरोक्त में से कोई नहीं) के लिए है, मतपत्र चिन्हित किए जाने के ढंग से स्पष्ट रूप से प्रतीत होता है'' से प्रतिस्थापित किया जाता है।

4. आदेश के बिन्दु संख्या 11 ''रिटर्निंग अधिकारी उन सभी विधिमान्य मतों की, जो डाक मतपत्र द्वारा हर एक अभ्यर्थी के पक्ष में दिए गए हैं, गणना करेगा। उनके जोड़ को प्ररूप 21 में परिणाम पत्र में अभिलिखित करेगा और उसे सुनाएगा'' को ''रिटर्निंग अधिकारी उन सभी विधिमान्य मतों की, जो डाक मतपत्र द्वारा हर एक अभ्यर्थी अथवा 'नोटा' (उपरोक्त में से कोई नहीं) के पक्ष में दिए गए हैं, गणना करेगा। उनके जोड़ को प्ररूप 21 में परिणाम पत्र में अभिलिखित करेगा और उसे सुनाएगा'' से प्रतिस्थापित किया जाता है।

आज्ञा से,

—ह0—
(सत्यप्रकाश बसवाला)
मुख्य निर्वाचन अधिकारी एवं सचिव,
राज्य निर्वाचन आयोग,
राजस्थान, जयपुर।

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(द्वितीय तल, विकास खण्ड, सचिवालय, जयपुर–302005)
email- secraj@rajasthan.gov.in & secrajasthan@gmail.com, FAX 0141-2227280, 2227072

क्रमांक एफ. 1(4)(1)नपा/रानिआ/14/ 4612 दिनांकः 11.10.2014

समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी (नगरपालिका),
(कलक्टर), राजस्थान।

विषयः– नगरपालिका निर्वाचन – अध्यक्षीय/उपाध्यक्षीय पदों के निर्वाचन हेतु दिशा–निर्देश।

महोदय,

स्वायत्त शासन विभाग ने अधिसूचना दिनांक 11.07.2014 द्वारा अध्यक्षीय पद हेतु निर्वाचन प्रकिया अप्रत्यक्ष रीति से कराए जाने हेतु राजस्थान नगरपालिका (निर्वाचन) (संशोधन) नियम, 2014 जारी किए हैं। संशोधित नियमों की प्रति आयोग के पत्रांक 2981/25.07.2014 के द्वारा प्रेषित की जा चुकी है। नियमों के द्वारा अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के पद पर निर्वाचन हेतु उपयोग में आने वाली अनुसूचियों में संशोधन किया है। उक्त संशोधित नियमों के हिन्दी रूपान्तरण में अनुसूची–4 एवं अनुसूची–8 तो उपलब्ध हैं किन्तु अनुसूची–1 से 3 एवं 5 से 7 राजस्थान नगरपालिका (निर्वाचन) नियम, 1994 में अंग्रेजी भाषा में ही उपलब्ध हैं। अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के निर्वाचन हेतु अनुसूचियों के हिन्दी रूपान्तरण की आवश्यकता होगी। अनुसूची–1 से 8 का हिन्दी रूपान्तरण संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है।

अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के पदों के निर्वाचन के लिए नियम 86(4) के अन्तर्गत यह बताया गया हैं कि, मतपत्र का प्रारूप अनुसूची–4 के अनुसार होगा, परन्तु इस हेतु कोई प्ररूप विहित नहीं किया गया है। आयोग ने अपने पत्रांक 3707 दिनांक 02.09.2014 के द्वारा इन निर्वाचनों हेतु मतपत्र का प्ररूप विहित किया है। आपकी सुविधा के लिए अनुसूची–4 के अन्तर्गत निर्धारित फॉर्म में नमूने का मतपत्र पत्र के साथ संलग्न किया जा रहा है। **मतपत्र फॉर्म में 'मत चिन्ह' वाले कॉलम में चुनाव चिन्ह अंकित नहीं किया जाएगा, बल्कि मत देने वाले सदस्यों द्वारा मत अभिलिखित करने वाला चिन्ह यानि ऐरोक्रॉस मार्क लगाया जाएगा।**

अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के पदों के निर्वाचन के लिए निर्वाचन अधिकारी द्वारा वार्डो से निर्वाचित सदस्यों की सूची एवं निर्वाचित सदस्यों की बैठक हेतु नोटिस की आवश्यकता होगी। निर्वाचित सदस्यों की सूची एवं नोटिस हेतु नियमों में कोई फॉर्म निर्धारित नहीं किया हुआ है। अतः आयोग द्वारा अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के पदों के निर्वाचन हेतु निर्वाचित सदस्यों की सूची एवं निर्वाचित सदस्यों की बैठक हेतु नोटिस के लिए मॉडल फॉर्म तैयार किए गए हैं। फॉर्म माडल परिशिष्ट–1 एवं 2 पर संलग्न हैं। सभी संबंधित अधिकारियों को उक्तानुसार अवगत करावें।

संलग्न : 1. अनुसूची 1 से 8
2. मतपत्र का प्रारूप
3. सदस्यों की सूची एवं बैठक नोटिस हेतु फॉर्म

भवदीय,
–ह0–
(सत्य प्रकाश बसवाला)
मुख्य निर्वाचन
अधिकारी एवं सचिव

अनुसूची–1
{नियम–81 (1)}

.... *नगरपालिका बोर्ड/नगर परिषद्/नगर निगम के *अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/सभापति/उपसभापति/मेयर/उपमेयर के पद के लिये निर्वाचन का नाम निर्देशन प्ररूप

1. अभ्यर्थी का पूरा नाम ....
2. पिता या पति का नाम ....
3. आयु ....
4. लिंग ....
5. जाति ....
6. पता ....
7. प्रस्थापक का पूरा नाम और पता ....
   ...

स्थान ....
तारीख ....

प्रस्थापक के हस्ताक्षर

अभ्यर्थी की घोषणा

मै, उपर्युक्त नामित अभ्यर्थी, इस नाम निर्देशन के लिए मेरी सहमति देता हूँ और इसके द्वारा घोषणा करता हूँ कि मुझमें राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 में प्रगणित कोई भी निरर्हताएं नहीं हैं और यह कि मैं उक्त अधिनियम के उपबंधो के अधीन उक्त स्थान के लिए अभ्यर्थी होने के लिए अर्हित हूँ।

मैं यह भी घोषणा करता हूँ कि मुझे इस निर्वाचन में .... (दल का नाम) द्वारा खड़ा किया गया है।

स्थान ....
तारीख ....

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

रिटर्निंग अधिकारी द्वारा पृष्ठांकन

क्र.सं.

यह नाम निर्देशन पत्र मुझे .... (नाम) ....

द्वारा .... (तारीख व समय) पर प्रस्तुत किया गया।

स्थान ....
तारीख ....

रिटर्निंग अधिकारी के हस्ताक्षर

रिटर्निंग अधिकारी का आदेश

स्वीकृत/अस्वीकृत
अस्वीकृत किये जाने के कारण ....

स्थान ....
दिनांक ....

रिटर्निंग अधिकारी के हस्ताक्षर

अभिस्वीकृति

.... नगर पालिका बोर्ड/नगर परिषद्/नगर निगम के .... के रूप में निर्वाचन के लिये श्री .... का नाम निर्देशन पत्र, जो मुझे, आज दिनांक .... को .... (समय) बजे श्री .... द्वारा पेश किया गया, प्राप्त हुआ।

स्थान ....
दिनांक ....

रिटर्निंग अधिकारी के हस्ताक्षर

---

*यदि अनुपयुक्त हो तो काट दीजिए।

अनुसूची–2
(नियम–81 (5))

....* नगरपालिका बोर्ड/नगर परिषद्/नगर निगम के ....के रूप में निर्वाचन के लिए नाम निर्देशन हेतु प्रस्थापित अभ्यर्थियों की सूची

क्र.सं.	अभ्यर्थी का नाम और विवरण	अभ्यर्थी का पता	अभ्युक्तियां
1			
2			
3			
4			
5			
6			

स्थान ....
तारीख..

रिटर्निंग अधिकारी के हस्ताक्षर

*यदि अनुपयुक्त हो तो काट दीजीए।

अनुसूची–3
(नियम–83)

....* नगरपालिका बोर्ड/नगर परिषद्/नगर निगम के ....
के रूप निर्वाचन के लिए विधिमान्यतः नाम निर्देशित अभ्यर्थियों की सूची

क्र.सं.	अभ्यर्थी का नाम और विवरण	अभ्यर्थी का पता	अभ्युक्तियां
1			
2			
3			
4			
5			
6			

स्थान ....
तारीख..

रिटर्निंग अधिकारी के हस्ताक्षर

* यदि अनुपयुक्त हो तो काट दीजीए।

अनुसूची–3क
(नियम–84 (1))

वापसी का नोटिस

....* नगरपालिका बोर्ड / नगर परिषद् / नगर निगम के अध्यक्ष / उपाध्यक्ष / सभापति / उप सभापति / मेयर / उप मेयर का निर्वाचन

प्रेषित,

रिटर्निंग अधिकारी
नगरपालिका ....

मै,...उपर्युक्त निर्वाचन के लिए नामनिर्दिष्ट अभ्यर्थी नोटिस देता हूँ कि मैं अपनी अभ्यर्थिता वापस लेता हूँ।

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

यह नोटिस मुझे अभ्यर्थी श्री .... के द्वारा व्यक्तिगत रूप दिनांक ....को .... बजे मेरे कार्यालय में परिदत्त किया गया।

रिटर्निंग अधिकारी

---

* यदि अनुपयुक्त हो तो काट दीजिए।

अनुसूची–3ख
(नियम–84(3)देखिए)

निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची

...................................* नगरपालिका बोर्ड / नगर परिषद् / नगर निगम के * अध्यक्ष / उपाध्यक्ष / सभापति / उप सभापति / मेयर / उप मेयर के पद के लिए निर्वाचन

क्र.सं.	अभ्यर्थी का नाम	अभ्यर्थी का पता
1		
2		
3		
4		
5		

स्थान ....

तारीख...

रिटर्निंग अधिकारी के हस्ताक्षर

* यदि अनुपयुक्त हो तो काट दीजीए।

अनुसूची–4
(नियम–86(3) देखिए)

मतपत्र

....* नगरपालिका बोर्ड/नगर परिषद/नगर निगम के * अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/ सभापति/उपसभापति/मेयर/उप मेयर के पद के निर्वाचन के लिए

रिटर्निंग अधिकारी के हस्ताक्षर एवं मुहर

क. सं.	अभ्यर्थी का नाम	मत चिन्ह
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		
.... एवं इत्यादि		
	नोटा (उपरोक्त में से कोई नहीं)	

रिटर्निंग अधिकारी के हस्ताक्षर

स्थान ....

तारीख ....

* यदि अनुपयुक्त हो तो काट दीजिए।

अनुसूची–5
(नियम 85 देखिए)
(जब स्थान निर्विरोध हो तब निर्वाचन में उपयोग के लिए)

....*नगरपालिका बोर्ड/नगरपरिषद/नगर निगम के *अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/सभापति/उप सभापति/मेयर/उप मेयर के पद के परिणाम की घोषणा

नियम 85 के उप नियम (1) में अन्तर्विष्ट उपबंध के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूॅ कि :–

नाम ....

पता ....

....*नगरपालिका बोर्ड/नगरपरिषद/नगर निगम के *अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/सभापति/उप सभापति/मेयर/उप मेयर के पद को भरने के लिए सम्यक् रूप से निर्विरोध निर्वाचित हुआ है।

स्थान ....

तारीख ....

रिटर्निंग अधिकारी

---

*यदि अनुपयुक्त हो तो काट दीजिए।

अनुसूची–6
(नियम 87 देखिए)
(जब स्थान सविरोध हो तब निर्वाचन में उपयोग के लिए)

....*नगरपालिका बोर्ड/नगरपरिषद/नगर निगम के *अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/सभापति/उप सभापति/मेयर/उप मेयर के पद के परिणाम की घोषणा

नियम 87 के उप नियम (6) में अन्तर्विष्ट उपबंधो के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूॅ कि :–

नाम ....

पता ....

....*नगरपालिका बोर्ड/नगरपरिषद/नगर निगम के *अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/सभापति/उप सभापति/मेयर/उप मेयर के पद को भरने के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित हुआ है।

स्थान ....

तारीख ....

रिटर्निंग अधिकारी

---

*यदि अनुपयुक्त हो तो काट दीजिए।

अनुसूची–7
(नियम 95 देखिए)
(किसी आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन में उपयोगार्थ)

....*नगरपालिका बोर्ड/नगरपरिषद/नगर निगम के *अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/सभापति/उप सभापति/मेयर/उप मेयर के पद के परिणाम की घोषणा

नियम 95 में अन्तर्विष्ट उपबंधो के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूॅं कि :–

श्री .... के *पदत्याग/की मृत्यु/के हटाए जाने/के विरूद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित होने/का निर्वाचन शून्य कर दिए जाने के कारण *अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/ सभापति/उप सभापति/मेयर/उप मेयर के पद की रिक्ति को भरने के लिए

नाम .... पता ....

....

सम्यक रूप से निर्वाचित हुए हैं।

रिटर्निंग अधिकारी

---

*यदि अनुपयुक्त हो तो काट दीजिए।

अनुसूची–8
(नियम–88 देखिए)

....*नगरपालिका बोर्ड / नगर परिषद / नगर निगम के *अध्यक्ष / उपाध्यक्ष / सभापति / उपसभापति / मेयर / उप मेयर के लिए निर्वाचन / उपनिर्वाचन की कार्यवाही

1.	निर्वाचन की तारीख	....
2.	निर्वाचन का स्थान	....
3.	मतदान का समय	....
4.	रिटर्निंग अधिकारी का नाम	....
5.	पद धारित करने वाले कुल सदस्य	....
6.	बैठक में उपस्थित कुल सदस्य	....
7.	बैठक में उपस्थित सदस्यों के नाम (सूची संलग्न)	....
8.	नियुक्त किए गए मतदान अधिकारियों की कुल संख्या	....
9.	गणना	
	(क) गणना के लिए प्रारंभ समय	....
	(ख) परिणाम की घोषणा के लिए समय	....
10.	परिणाम	

क. सं.	अभ्यर्थियों के नाम	डाले गए मत	निर्वाचित घोषित किए गए * अध्यक्ष / उपाध्यक्ष / सभापति / उपसभापति / मेयर / उप मेयर का नाम
1.			
2.			
3.			
....	एवं इत्यादि		
	नोटा (उपरोक्त में से कोई नहीं)		

डाले गए कुल विधिमान्य मत ....
डाले गए कुल अविधिमान्य मत ....
डाले गए कुल मत ....

रिटर्निंग अधिकारी

सदस्यों के हस्ताक्षर

1.
2.
3.
4.
5.
6.

* यदि अनुपयुक्त हो तो काट दीजिए।

अनुसूची–4

(नियम–86 (3) देखिए)

मत–पत्र

....* नगरपालिका बोर्ड / नगर परिषद / नगर निगम के * अध्यक्ष / उपाध्यक्ष / सभापति / उप–सभापति / मेयर / उप मेयर के पद के लिये निर्वाचन

रिटर्निंग अधिकारी के
हस्ताक्षर एवं मुद्रा

क्र.सं.	अभ्यर्थी का नाम	मत चिन्ह

1.

2.

3.

4.

5.

.... एवं इत्यादि

उपरोक्त में से कोई नहीं (NOTA)

---

* यदि अनुपयुक्त हो तो काट दीजिये।

परिशिष्ट–1

मॉडल फॉर्म

नगरपालिका चुनाव, 20........

*अध्यक्ष / उपाध्यक्ष / सभापति / उप सभापति / मेयर / उप मेयर का निर्वाचन

....*नगरपालिका बोर्ड / नगर परिषद / नगर निगम के निर्वाचित सदस्यों की सूची

क्र. सं.	निर्वाचित सदस्य का नाम	वार्ड संख्या जहां से निर्वाचित हुआ	विशेष विवरण सदस्य आया, अ.जा., अ.ज.जा., अ.पि.व., या सामान्य वर्ग का है तथा महिला है या पुरूष

* यदि अनुपयुक्त हो तो काट दीजिए।

परिशिष्ट–2

मॉडल फॉर्म
नगरपालिका चुनाव, 20........

बैठक नोटिस

....*नगरपालिका बोर्ड / नगर परिषद / नगर निगम के *अध्यक्ष / उपाध्यक्ष / सभापति / उप सभापति / मेयर / उप मेयर का निर्वाचन

अध्यक्षीय पद यदि आरक्षित हैं तो उसकी श्रेणी ....

राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 की धारा 43 एवं राजस्थान नगरपालिका (निर्वाचन) नियम, 1994 के नियम 80 के अन्तर्गत *अध्यक्ष / उपाध्यक्ष / सभापति / उप सभापति / मेयर / उप मेयर के निर्वाचन के लिए मैं, ... (केवल विभागीय पद) निर्वाचन अधिकारी एतद्द्वारा सूचित करता हूँ कि :–

1. उक्त पद के चुनाव के लिए निर्वाचित सदस्यों की बैठक नगरपालिका बोर्ड / नगर परिषद / नगर निगम के कार्यालय में दिनांक .... की पूर्वान्ह 10.00 बजे होगी।
2. नाम निर्देशन पत्र उम्मीदवार या उसके प्रस्तावक द्वारा निर्वाचन अधिकारी को उक्त नगरपालिका बोर्ड / नगर परिषद / नगर निगम के कार्यालय में दिनांक .... को पूर्वान्ह 10.00 बजे से 11.00 बजे के बीच परिदत्त किए जा सकेंगे।
3. नाम निर्देशन पत्र उक्त स्थान से प्राप्त किए जा सकेंगे।
4. नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा निर्वाचन अधिकारी द्वारा उक्त स्थान पर उक्त दिनांक को 11.30 बजे पूर्वान्ह की जावेगी।
5. उम्मीदवारी वापस लेने की सूचना उम्मीदवार द्वारा व्यक्तिगत रूप से रिटर्निंग अधिकारी को उक्त स्थान पर व उक्त दिनांक को अपरान्ह 2.00 बजे से पूर्व परिदत्त की जा सकेगी।
6. निर्वाचन लडे जाने की दशा में मतदान उक्त दिनांक को उक्त स्थान पर मध्यान्ह 2.30 बजे से मध्यान्ह 5.00 बजे के मध्य होगा तथा
7. मतदान समाप्ति के तुरन्त पश्चात् उक्त स्थान पर मतगणना होगी।

स्थान ....

तारीख ....

रिटर्निंग अधिकारी के हस्ताक्षर एवं मुहर

---

* यदि अनुपयुक्त हो तो काट दीजिए।

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(द्वितीय तल, विकास खण्ड, सचिवालय, जयपुर–302005)
email- secraj@rajasthan.gov.in & secrajasthan@gmail.com, Ph./FAX 0141-2227280, 2227072

क्रमांकः प.1(2)(1)नपा–पंचा/सां.आ./रानिआ/14/3585 दिनांक : 28.08.2014

आदेश

सां.आ. संख्या – 91/14 राज्य सरकार के स्वायत्त शासन विभाग, राज., जयपुर की अधिसूचना संख्या एफ 8(जी.ए)( ) Rules/DLB/14 दिनांक 11 जुलाई 2014 के द्वारा राजस्थान नगरपालिका (निर्वाचन) नियम, 1994 में संशोधन कर राजस्थान नगरपालिका (निर्वाचन) (संशोधन) नियम, 2014 जारी किए गए हैं। राजस्थान नगरपालिका (निर्वाचन) (संशोधन) नियम, 2014 के द्वारा अध्याय IV को प्रतिस्थापित करते हुए अध्यक्षीय पदों का निर्वाचन प्रत्यक्ष रीति के स्थान पर अप्रत्यक्ष रीति से कराने हेतु प्रावधान लागू किए गए हैं।

अतः पूर्व में अध्यक्षीय पदों का निर्वाचन प्रत्यक्ष रीति से होने पर आयोग द्वारा इन निर्वाचनों हेतु तत्समय जारी किए गए निम्नांकित आदेशों को तुरन्त प्रभाव से प्रत्याहरित किया जाता हैः–

1. आदेश क्रमांक प.4(2)(1)पंचु/नपा/94/4032 दिनांक 23.10.2010 (सां. आ. सं. 50/2009)
2. आदेश क्रमांक प.4(2)(1)नपा/रानिआ/03/4053 दिनांक 24.10.2009 (सां. आ. सं. 51/2009)
3. आदेश क्रमांक प.4(1)(7)पंचु/नपा/09/4082 दिनांक 24.10.2009
4. आदेश क्रमांक प.4(1)(2)नपा/रानिआ/07/4089 दिनांक 24.10.2009
5. आदेश क्रमांक प.4(1)(2)पंचु/नपा/09/5330 दिनांक 17.11.2009

आज्ञा से,

–ह0–
(सत्यप्रकाश बसवाला)
मुख्य निर्वाचन अधिकारी एवं सचिव,
राज्य निर्वाचन आयोग,
राजस्थान, जयपुर

(79)

STATE ELECTION COMMISSION

NO. F 4(1) (6) M/SEC/94/513 JAIPUR DATED: 07.11.94

ORDER

Subject :- **The Rate of sale price of list of polling stations & printed forms.**

Sale prices of the following for the purpose of Municipal or Panchayat Election, as the case may be is hereby prescribed as under :-

(i)	Rate of list of polling station of Municipality per page irrespective of any number of entries.	Rs 2.00
(ii)	Rate of list of polling stations per both pages (Printed on both sides irrespective of any number of entries.	Rs 4.00
(iii)	Rate of printed forms for Municipal Election appended to the Raj. Municipal (Election) Rules 1994.	Rs 1.00
(iv)	Rate of printed forms for Panchayat Election appended to the Raj. Panchayat Raj. (Election)Rules, 1994.	Rs 1.00 per form

The above rates are inclusive of paper cost.

The receipt of sale proceeds may please be credited to the concerned Municipal/Panchayat head.

This issues with the concurrance of the Finance Department(Exp.-I) vide their I.D. No. 2857/94 Dated 28.10.94.

By Order

sd/-
(R.K.Pareek)
Deputy Secretary,
State Election Commission
Rajasthan Jaipur.

(80)

राज्य निर्वाचन आयोग

जयपुर, दिनांकः 8.5.96

आदेश

सां.आ. 20/95/1442 – राजस्थान नगरपालिका (निर्वाचन) नियम, 1994 के नियम 75 के अधीन राज्य निर्वाचन आयोग निर्वाचन संबंधी कागज–पत्रों के निपटाने के संबंध में निर्देश देता है कि आयोग द्वारा या किसी सक्षम न्यायालय द्वारा दिये गये किसी प्रतिकूल निर्देश के अधीन रहते हुये और नीचे पैरा–4 में समाविष्ट अनुदेशों के अधीन रहते हुये निर्वाचन संबंधी कागज–पत्रों को नीचे बताते हुये ढंग से निपटाया जा सकेगा :–

(1) **नियम 75 (क) के अधीन निर्देश :**

(क) मतदान की समाप्ति के पश्चात् पीठीसन अधिकारियों द्वारा लौटाये गये और नियम 75 के खण्ड (क) में निर्दिष्ट प्रतिपर्ण सहित अप्रयुक्त मतपत्रों के पैकिटों को जो दो तालों (Double lock) वाले स्टील ट्रकों में 6 माह की अवधि तक रखे हुये हैं, निर्वाचन की समाप्ति के पश्चात् कोषागार में रखा जायेगा और तत्पश्चात् नष्ट कर दिया जायेगा।

(ख) रिटर्निंग अधिकारी के पास मतदान केन्द्रों पर उपयोग करने के लिये पीठासीन अधिकारियों को जारी करने के बाद बचे हुये अवितरित मतपत्रों का प्रतिपर्ण सहित स्टॉक, मतदान के तुरन्त बाद जिला निर्वाचन अधिकारी को वापिस कर दिया जायेगा और जिला नगरपालिक निर्वाचन अधिकारी इस प्रकार के मतपत्रों को 6 माह तक रखेगा तत्पश्चात् उसके पर्यवेक्षण के अधीन ऊपर विनिर्दिष्ट रीति से उन्हें नष्ट किया जा सकेगा।

2. **नियम 75 (ख) के अधीन निर्देश :**

(क) नियम 74 में निर्दिष्ट प्रयुक्त मतपत्रों चाहे वे गिने हुये हों, रद्द हों, विधि मान्य हो या निविदत्त हो, के मोहरबन्द पैकिटों को (उन पैकिटों को छोडकर जिनमें प्रयुक्त मतपत्रों के प्रतिपर्ण रखे हैं), और निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रतियों के पैकिटों को जिन्हें मोहरबन्द स्टील के ट्रकों में रखकर दो तालों में बन्द करके कोषागार में रखा गया है, निर्वाचन की समाप्ति के पश्चात् एक वर्ष की अवधि तक रखा जावे और फिर नष्ट कर दिया जावे।

(ख) नियम 74 तथा नियम 75 के खण्ड (ख) में निर्दिष्ट प्रयुक्त मतपत्रों के प्रतिपर्णों वाले पैकिटों को निर्वाचन की समाप्ति के पश्चात् एक वर्ष की अवधि तक रखा जायेगा और उसके बाद सिवाय उन मामलों के जिनके संबंध में निर्वाचन याचिकायें या निर्वाचन अपीलें, या प्रतिरूपण के लिये अभियोजन विचाराधीन हो, सभी मामलों में उन्हें नष्ट कर दिया जायेगा।

(3) **नियम 75 (ग) के अधीन निर्देश :**

(क) अनुग्लक में विनिर्दिष्ट कागज–पत्रों को परिणाम की घोषणा होने की दिनांक से 6 माह बीत जाने पर नष्ट कर दिया जायेगा,

(ख) आक्षेपित मतों की सूचि (प्ररूप–13) और आक्षेप फीस की वसूली के लिये उपयोग में ली गई रसीद, बुक, निवारक निरोध में रोके गये मतदाताओं को डाक मतपत्रों के प्रेषण रजिस्टर और नाम निर्देशन पत्रों के प्ररूपों को परिणाम की घोषणा होने की दिनांक से 5 वर्ष व्यतीत होने से पूर्व, या उनकी लेखा परीक्षा होने और यदि लेखा परीक्षा की आपत्तियों का यदि कोई हो, निराकरण हो जाने तक, जो भी पहले हो नष्ट नहीं किया जाना चाहिये,

(ग) किसी व्यक्ति को पीठासीन अधिकारी या मतदान अधिकारी नियुक्त किये जाने का प्रत्येक आदेश उस निर्वाचन की समाप्ति से जिससे नियुक्ति सम्बन्धित हो, तीन वर्ष बीतने के पहले नष्ट नहीं किया जाना चाहिये,

(घ) अन्तिम परिणाम–पत्र (प्ररूप–21) और निर्वाचन के परिणाम की घोाषणा (प्ररूप–22) को निर्वाचन के स्थाई अभिलेख के रूप में रखा जाना चाहिये,

(ड.) निक्षेपों से संबंधित रजिस्टरों को राजस्व रजिस्टरों को नष्ट किये जाने की रीति के अनुसार ही नष्ट किया जाये, किन्तु किसी भी दशा में इन रजिस्टरों यको दस (10) वर्ष से पहले नष्ट नहीं किया जायेगा।

(4) याचिका के अनिर्णित रहने तक कागज–पत्रों को रोके रखना :

जहां कहीं कोई निर्वाचन याचिका सक्षम न्यायालय द्वारा विचारण के लिये लम्बित पडी है, या निर्वाचन संबंधी कोई अन्य मामला न्यायालय द्वारा न्याय निर्णयन के लिये लम्बित पडा हो, तो उनसे संबंधित कागजात, जैसा कि उपरोक्त पैरा (1), (2) तथा (3) में बताया गया है, ऐसी याचिका या मामलों के अंतिम निपटान की तारीख से 3 महीनों तक नष्ट नहीं किया जावे।

(5) निर्वाचन संबंधी कागज–पत्रों के निस्तारण की रीति :

निर्बन्धित या गोपनीय कागज–पत्रों सहित सभी निर्वाचन कागजातों जैसे प्रयुक्त मतपत्र और उनके प्रतिपर्ण, निर्वाचक नामावलियों की प्रतियों आदि के छोटे–छोटे टुकडे कर दिये जावे और उसके पश्चात् उसकी लुग्दी बना दी जावे जिसे कागज आदि दुबारा बनाने के प्रयोग किये जा सकें। निर्बन्धित श्रेणी के कागजातों के मामलों में इस तरह के टुकडे राजपत्रित अधिकारियों की उपस्थिति में किये जावें तथा संबंधित अधिकारी द्वारा एक प्रमाण–पत्र भी रिकार्ड किया जावे।

संलग्नः एक

आज्ञा से,
ह.
(आर.के.पारीक)
उप सचिव,
राज्य निर्वाचन आयोग,
राजस्थान, जयपुर।

अनुलग्नक

परिणाम की घोषणा के 6 माह पश्चात् नष्ट कर दिये जान वाले कागज–पत्रों की सूची

क्र.सं.	कागज–पत्रों का विवरण	
1.	निर्वाचन का लोक नोटिस।	प्ररूप–2
2.	नियम–15 के अधीन विधिमान्यतः अभ्यर्थियों की सूची।	प्ररूप–4
3.	अभ्यर्थिता वापस लेने की सूचना।	प्ररूप–5
4.	निर्वाचन लड़ने वाले उम्मीदवारों की सूची।	प्ररूप–6
5.	निर्वाचन अभिकर्ता की नियुक्ति।	प्ररूप–7
6.	निर्वाचन अभिकर्ता की नियुक्ति का प्रतिसंहरण।	प्ररूप–8
7.	मतदान अभिकर्ता की नियुक्ति।	प्ररूप–9
8.	मतदान अभिकर्ता की नियुक्ति का प्रतिसंहरण।	प्ररूप–10
9.	अंधे और शिथिलांग निर्वाचकों की सूची।	प्ररूप–12
10.	निविदत्त मतों की सूची।	प्ररूप–14
11.	किसी मतदान केन्द्र पर प्रयुक्त निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति से भिन्न प्रतियां।	नियम–30(3)
12.	मतदान प्रक्रिया का उल्लंघन किये जाने पर रद्ध किये गये मतपत्रों एवं खराब हुये और लौटाये गये मतपत्रों के पैकिट।	नियम–37(6) और 45(2)
13.	पीठासीन अधिकारी द्वारा रखी गई टिप्पणियाँ और अभिलेख, मतदान अभिकर्ताओं द्वारा की गई घोषणायें और कोई अन्य कागज जिन्हें रिटर्निंग अधिकारी ने माहरबन्द पैकिट में रखने का निर्देश दिया हो।	
14.	निवारक निरोध के अधीन रखे गये व्यक्तियों के नामों की सूची।	
15.	निवारक निरोध के अधीन रखे गये व्यक्तियों से डाक–मतपत्र द्वारा मतदान करने की अनुमति के लिये रिटर्निंग अधिकारी द्वारा प्राप्त किये गये आवेदन पत्र।	
16.	निर्वाचन ड्यूटी प्रमाण–पत्र के लिए आवेदन एवं निर्वाचक ड्यूटी प्रमाण–पत्र।	प्ररूप–15 प्ररूप–16
17.	गणन अभिकर्ता की नियुक्ति एवं कार्यालय प्रतियाँ ।	प्ररूप–19
18.	गणन अभिकर्ता की नियुक्ति का प्रतिसंहरण।	प्ररूप–20
19.	मतों की पुनर्गणना के लिए आवेदन पत्र।	नियम–67
20.	प्रतिपर्ण सहित अप्रयुक्त मतपत्र	
21.	मतों की गणना के समय, स्थान एवं दिनांक आदि की सूचना।	
22.	रिटर्निंग अधिकारी और उम्मीदवारों व निर्वाचन या गणन अभिकर्ताओं के बीच पत्र व्यवहार।	
23.	प्रतीकों के आवंटन हेतु आवेदन पत्र।	
24.	क्षतिग्रस्त पत्र मुद्रायें और अप्रयुक्त मुद्रायें जो पीठासीन अधिकारियों से वापस प्राप्त हुयी है।	
25.	पीठासीन अधिकारी से प्राप्त सामान्य रिर्पोट, डायरियां व ज्ञापन, नोट बुकें आदि।	
26.	नियम 30 के उप नियम (1) के खण्ड (क) और (ख) के अधीन नोटिस।	
27.	ऐसे पैकिट जिनमें मतदान और मतों की गणना के दौरान उम्मीदवारों और अभिकर्ताओं द्वारा आक्षेप रखे हैं।	
28.	मतों की गणना के पश्चात्, रिटर्निंग अधिकारी द्वारा तैयार की गई कार्यवाहियों के मोहर बन्द पैकिट।	
29.	मतों की गणना के लिये चैक मीमों के माहर बन्द पैकिट।	
30.	मतपत्र लेखा।	प्ररूप–17
31.	निर्वाचन ड्यूटी स्टॉफ मतपत्र लेखा।	प्ररूप–18
32.	प्रयुक्त पेपर सील का अभिलेख।	
33.	प्रचार सामग्री जैसे दीवार पर लगाने के पोस्टर, हैण्ड–बिल और निर्वाचन के समय उममीदवारों द्वारा जारी किये गये खुले बयान।	
34.	निर्वाचक द्वारा की गई घोषणाओं और उनके हस्ताक्षरों के अनुप्रमाणन पैकिट।	नियम–38(1)

(81)

RAJASTHAN STATE ELECTION COMMISSION

NO.F.4(2)(1)/P&M/SEC/94/2332 JAIPUR, DATED: 24.8.1995

O R D E R

In supersession of its earlier order No. F.4(2)(1)P&M/ SEC/94/2294 dated: 23.8.95 the State Election Commission hereby authorises all Divisional Commissioners for general supervision on conduct of municipal elections within their respective jurisdiction. The Divisional Commissioner and the officer/official put for their assistance shall be treated on election duty and will be entitled to enter into polling stations and counting centres.

By Order,

Sd/-
(S.S. TRIPATHI)
Chief Electoral Officer & Secretary
State Election Commission, Raj.

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

क्रमांकः एफ.4(2)(1)पंचु व नपा/94/566 जयपुर, दिनांक 21.5.99

आदेश

सा.सां.आ– 23/99 चूंकि राजस्थान नगरपालिका (निर्वाचन) नियम, 1994 के नियम 5 के उप नियम (9) के खण्ड (1) के उपबंधों के अनुसार प्रत्येक उत्तरवर्ती साधारण निर्वाचन में अनुसूचित जातियां/अनुसूचित जन जातियों के लिए विशिष्ठ क्रम संख्याक वाले वार्ड की सूचियां, जहां अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जातियों के लिए आरक्षित स्थानों का आवंटन पूर्ववर्ती निर्वाचन में समाप्त हो गया था वहां, विशिष्ठ क्रम संख्याकं की अनुगामी विशिष्ठ क्रम संख्यांक से क्रमवार प्रवर्तन में रहेगी, और

चूंकि उक्त नियमों के नियम 5 के उप नियम (4) एवं (7) के अनुसार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जातियों के लिए आरक्षित स्थानों में से अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों की महिलाओं के लिए एक तिहाई स्थान आरक्षित होगे, और

चूंकि उक्त नियमों के नियम 5 के उप नियम (13) के अनुसार प्रथम साधारण निर्वाचन में महिलाओं के आरक्षित किए गये वार्डो को उत्तरवर्ती निर्वाचनों में चक्र के पूरा होने तक ऐसे आरक्षण के लिए लाट निकालते समय अपवर्जित कर दिया जायेगा, और

चूंकि कुछ परिस्थितियों में उत्तरवर्ती निर्वाचनों में अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के लिये विशेष क्रम संख्यांक के क्रमवार अनुगामी वार्डो का आवंटन किया जाता है तो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए ऐसे वार्ड आवंटित हो सकते है जो गत निर्वाचनों में भी महिलाओं के लिये आरक्षित थे और यदि गत निर्वाचनों में महिलाओं के लिए आरक्षित वार्डो को उत्तरवर्ती निर्वाचन में अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए आवंटित वार्डो की सूची में से अपवर्जित कर वांछित संख्या में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिये वार्डो का आवंटन लाट द्वारा किया जाता है तो अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिये विशेष क्रम संख्यांक से क्रमवार वार्डो का आवंटन संभव नहीं रह पाता। इस प्रकार उक्त नियम 5 के उप नियम (9) तथा (13) की एक साथ क्रियान्विति में कठिनाई उत्पन्न हो सकती है,

अतः उक्त नियम 5 के उप नियम (9) व (13) के उपबंधों की साथ–साथ क्रियान्विति में किन्ही विशेष परिस्थितियों में कठिनाईयों के निवारण के लिये दिशा–निर्देश जारी करने के लिये राज्य निर्वाचन आयोग उक्त नियमों के नियम 97 के उपबंधों के अनुसरण में निदेशक स्थानीय निकाय विभाग राजस्थान को निर्दिष्ट करता है।

आज्ञा से,
ह.
सचिव,
राज्य निर्वाचन आयोग,
राजस्थान, जयपुर।

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

क्रमांक : प.4(2)(1)पं. / नपा / रानिआ / 94 / 3148 जयपुर, दिनांक : 6.11.99

आदेश

सां.आ. 28 / 99 राजस्थान नगरपालिका (निर्वाचन) नियम, 1994 के नियम 74 में सेशोधन किए गए हैं जिसके अनुसार अब नियम 74 में यह प्रावधान है कि रिटर्निंग अधिकारी की अभिरक्षा में रहते हुए मतपत्र चाहे गिने हुए, नामंजूर, रद्द किए हुए या निविदित्त हों, और उनके प्रतिपर्णों के प्ररूप 14–क में मतदाता रजिस्टर के और मतदाता सूची की चिन्हित प्रति के पैकिटों तथा निर्वाचकों द्वारा की गयी घोषणाओं एवं उनके हस्ताक्षरों के अनुप्रमाणन के पैकिटों के अलावा निर्वाचन से संबंधित समस्त अन्य दस्तावेज ऐसी शर्तों के और ऐसी फीस के संदाय के, जो राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा विनिश्चित की जाये, अध्यधीन जनता के निरीक्षण के लिये खुले रहेंगे और कोई भी व्यक्ति ऐसी शर्तों की अनुपालना करने पर और ऐसी फीस का संदाय करने पर उसकी या उसके किसी भाग की प्रति या प्रतियां प्राप्त करने का हकदार होगा।

अतः उक्त नियम 74 के अनुसरण में राज्य निर्वाचन आयोग के पत्र क्रमांक : एफ. 1(2)(2)नपा / रानिआ / 94 / 346 दिनांक 25.10.94 को जारी अपने सांविधिक आदेश संख्या–6 / 94 का अधिक्रमण करते हुए निम्न प्रकार आदेश करता है :–

(1) निरीक्षण :–

(क) उक्त दस्तावेजों के निरीक्षण हेतु प्रत्येक आवेदन पत्र लिखित रूप में दिये जायेंगे और उसमें उस अभिलेख का जिसका निरीक्षण अपेक्षित है, संबंधित विवरण दिया जाना चाहिये।

(ख) दस्तावेजों को निरीक्षण करने की किसी भी व्यक्ति को इसके लिये उसी दर पर शुल्क का भुगतान करने पर अनुमति दी जायेगी जो दर दस्तावेजों के निरीक्षण के लिये राजस्व न्यायालय नियमावली के प्रावधानों के तहत राजस्व अधिकारी द्वारा वसूल की जाती है।

(2) प्रमाणित प्रतिलिपि :–उक्त दस्तावेजों में से किसी दस्तावेज की प्रमाणित प्रतिलिपि उसके लिये आवेदन करने वाले किसी व्यक्ति को उसी दर पर शुल्क का भुगतान करने पर दी जायेगी जो दर राज्य में राजस्व न्यायालय नियमावली के प्रावधानों के तहत किसी आदेश की प्रतिलिपि के लिये राजस्व अधिकारी द्वारा वसूल की जाती है।

(3) आवेदन पत्र में निरीक्षण के लिये या दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियां दिये जाने के लिये आवेदक का अधिकार सिद्ध किया जाना चाहिये और इस प्रयोजन के लिये यह स्पष्ट रूप से बताया जाना चाहिये कि आवेदक का ऐसे दस्तावेज या दस्तावेजों में प्रत्यक्ष और सुनिश्चित हित है और ऐसा हित किस प्रकार का है।

(4) जब दस्तावेज का निरीक्षण करना या प्रमाणित प्रतियां लेना सरकारी प्रयोजन के लिये अपेक्षित हो तो कोई फीस नहीं ली जायेगी।

(5) जब निर्वाचन अभिलेखों का निरीक्षण हितबद्ध व्यक्तियों द्वारा निर्वाचन समाप्त होने के तुरन्त बाद किया जा रहा हो तब कर्मचारियों द्वारा प्रभावकारी पर्यवेक्षण रखना आवश्यक है। अभिलेखों में किसी कागज के हटाये जाने से बचने के लिये बड़ी संख्या में लोगों को एक साथ निरीक्षण करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिये।

(6) प्ररूप–21 अंतिम परिणाम पत्र एवं प्ररूप–22 या यथास्थिति, प्ररूप–22–क में परिणाम की घोषणा की प्रतिलिपियां यदि मांगी जाये तो उसी दर पर शुल्क का भुगतान करने पर दी जायेगी, जो उपरोक्त अभिलेखों की प्रमाणित प्रतिलिपियों की आपूर्ति के लिये लिया जाता है।

आज्ञा से,
–ह0–
(आर.के. पारीक)
उप सचिव,

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

क्रमांक : प. 4 (2) (1) पं./नपा/रानिआ/94/3150 जयपुर दिनांक : 6.11.99

आदेश

सां.आ. 30/99 राजस्थान नगरपालिका (निर्वाचन) नियम, 1994 के नियम, 75-क के उपबन्धों के अनुसरण में राज्य निर्वाचन आयोग निर्वाचन संबंधी कागज पत्रों के व्ययन के संबंध में यह निर्देश जारी करता है कि आयोग द्वारा या किसी सक्षम न्यायालय द्वारा दिए गए किसी प्रतिकूल निर्देश के अधीन रहते हुये और अधोलिखित पैरा-4 में समाविष्ट अनुदेशों के अधीन रहते हुये निर्वाचन संबंधी कागज पत्रों को निम्नलिखित रीति से निपटाया जा सकेगा :—

(1) नियम 75 क (क) के अधीन निर्देश :—

(क) मतदान की समाप्ति के पश्चात् पीठासीन अधिकारियों द्वारा लौटाये गये और नियम 75-क के खण्ड (क) में निर्दिष्ट प्रतिपर्ण सहित अप्रयुक्त निविदत्त मतपत्रों के पैकिटों को जो दो तालों (Double Lock) वाले स्टील ट्रंकों में 6 मास की कालावधि के लिए रिटर्निंग अधिकारी के पास प्रतिधृत (Retain) रखे हुए हैं, निर्वाचन की समाप्ति के पश्चात् कोषागार में रखा जायेगा और तत्पश्चात् नष्ट कर दिया जायेगा।

(ख) रिटर्निंग अधिकारी के पास डाक मतपत्रों को जारी करने के पश्चात् बचे हुए अवितरित प्रतिपर्ण सहित डाक मतपत्रों का स्टॉक तथा मतदान केन्द्रों पर उपयोग करने के लिए पीठासीन अधिकारियों को जारी करने के बाद बचे हुए प्रतिपर्ण सहित अवितरित निविदत्त मतपत्रों का स्टॉक, मतदान के तुरन्त बाद जिला नगरपालिका निर्वाचन अधिकारी को वापिस कर दिया जायेगा और जिला नगरपालिका निर्वाचन अधिकारी इस प्रकार के मतपत्रों के पैकिटों को 6 मास तक रखेगा तत्पश्चात् उसके पर्यवेक्षण के अधीन ऊपर विनिर्दिष्ट रीति से उन्हें नष्ट किया जा सकेगा।

(2) नियम 75 क (ख) के अधीन निर्देश :—

(क) मतों की गणना के पश्चात् नियम 74-क के उप नियम (2) के अधीन रिटर्निंग अधिकारी की अभिरक्षा में रखी गई मतदान मशीन की यूनिटें ऐसी कालावधि के लिए जो राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 1959 की धारा 36 की उपधारा (1) में किसी निर्वाचन याचिका को प्रस्तुत करने के लिए बतायी गयी है, के अवसान तक अर्थात निर्वाचन के परिणामों की घोषणा की तारीख से 30 दिन तक अभिकल्पित रूप से अधिकृत (Retain) रखी जायेगी; तत्पश्चात् मतदान मशीनों की मुद्रा हटाकर और इन्हें खोलकर नियंत्रण यूनिट में अंतर्विष्ट सूचना हटा दी जायेगी तथा मतदान यूनिट में प्रदर्शित मतपत्र को हटा दिया जायेगा।

(ख) मतदान मशीनों के संबंध में उक्त पैरा (क) में वर्णित कार्यवाही के पश्चात् इन्हें रिटर्निंग अधिकारी द्वारा जिला निर्वाचन अधिकारी को वापस कर दिया जायेगा।

इस प्रकार मतदान मशीन की दोनों ही प्रकार की यूनिटें (नियंत्रण यूनिट व मतदान यूनिट) रिटर्निंग अधिकारी की सुरक्षित अभिरक्षा में राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 1959 की धारा 36 की उप धारा (1) में किसी निर्वाचन याचिका को प्रस्तुत करने के लिये बतायी गयी कालावधि के अवसान तक अभिकल्पित रूप से सुरक्षित रखी जायेगी।

(3) नियम 75 क (घ) के अधीन निर्देश :—

(क) अनुलंग्नक में निर्दिष्ट कागज पत्रों को परिणाम की घोषणा होने की तारीख से 6 मास व्यतीत हो जाने पर नष्ट कर दिया जायेगा।

(ख) आक्षेपित मतों की सूची (प्ररूप-13) और आक्षेप फीस की वसूली के लिए उपयोग में ली गई रसीद बुक, मतदाताओं को डाक मतपत्रों के प्रेषण रजिस्टर और नाम निर्देशन पत्रों के प्ररूपों को परिणाम की घोषणा होने की दिनांक से पांच वर्ष व्यतीत होने से पूर्व नष्ट नहीं किया जाना चाहिये।

(ग) किसी व्यक्ति को पीठासीन अधिकारी या मतदान अधिकारी नियुक्त किये जाने का प्रत्येक आदेश उस निर्वाचन की समाप्ति से जिससे नियुक्ति संबंधित हो, तीन वर्ष बीतने के पहले नष्ट नहीं किया जाना चाहिये।

(घ) अंतिम प्रमाण-पत्र और निर्वाचन की घोषणा प्ररूप-22 या यथास्थिति प्ररूप 22-क को निर्वाचन के स्थायी अभिलेख के रूप में रखा जाना चाहिए।

(ङ) निक्षेपों से संबंधित रजिस्टरों को राजस्व रजिस्टरों को नष्ट किए जाने की रीति के अनुसार ही नष्ट किया जायें, किन्तु किसी भी दशा में इन रजिस्टरों को 10 वर्ष से पहले नष्ट नहीं किया जायेगा।

(4) याचिका के अनिर्णित रहने तक कागज-पत्रों को रोके रखना :—

(क) जहां कहीं कोई निर्वाचन याचिका सक्षम न्यायालय द्वारा विचारण के लिए लम्बित पड़ी है, या निर्वाचन संबंधी कोई अन्य मामला न्यायालय द्वारा न्याय निर्णयन के लिए लम्बित पड़ा हो, तो उनसे संबंधित कागजात जैसा कि उपरोक्त पैरा (1) तथा (3) में बताये गये हैं, ऐसी याचिका या मामलों के अंतिम निपटान की तारीख से 3 महीनों तक नष्ट नहीं किये जायेंगे।

(ख) जहां कहीं कोई निर्वाचन याचिका सक्षम न्यायालय द्वारा विचारण के लिए लम्बित पड़ी है तो ऐसी याचिका के अंतिम निपटान की तारीख 3 महीनों तक उनसे संबंधित नियंत्रण यूनिटें (यूनिटों) को न तो खोला जायेगा और न ही उनमें अन्तर्विष्ट सूचना को हटाया जायेगा।

5. निर्वाचन संबंधी कागज पत्रों के निस्तारण की रीति :—

मतदान मशीनों की नियंत्रण यूनिटों व मतदान यूनिटों के सिवाय सभी निर्बन्धित या गोपनीय निर्वाचन कागजातों जैसे प्रयुक्त मतपत्र और उनके प्रतिपर्ण, प्रयुक्त डाक मतपत्र और उनके प्रतिपर्ण, निर्वाचकों द्वारा की गई घोषणायें व उनके अनुप्रमाणन और निर्वाचक नामावलियों की चिन्हित प्रतियों के छोटे-छोटे टुकड़े कर दिये जाएं और उसके पश्चात् उसकी लुग्दी बना दी जाए जिसे कागज आदि दुबारा बनने के प्रयोग किए जा सकें। निर्बन्धित श्रेणी के कागजातों के मामलों में इस तरह के टुकड़े राजपत्रित अधिकारियों की उपस्थिति में किये जावें तथा संबंधित अधिकारी द्वारा एक प्रमाण-पत्र भी रिकार्ड किया जावे।

संलग्न : एक

आज्ञा से,

(आर.के. पारीक)
उप सचिव,
राज्य निर्वाचन आयोग,
राजस्थान, जयपुर

क्रमांक : प. 4 (2) (1) पं./नपा/रानिआ/94/3150 जयपुर दिनांक : 6.11.99

प्रतिलिपि :—

1. समस्त संभागीय आयुक्त, राजस्थान।
2. समस्त जिला नगरपालिका निर्वाचन अधिकारी, राजस्थान।
3. समस्त रिटर्निंग अधिकारी (नगरपालिका) राजस्थान।
4. समस्त उपखण्ड अधिकारी, राजस्थान।

उप सचिव,
राज्य निर्वाचन आयोग,
राजस्थान, जयपुर

अनुलग्नक

परिणाम की घोषणा के 6 माह पश्चात् नष्ट कर दिये जान वाले कागज–पत्रों की सूची

क्र.सं.	कागज–पत्रों का विवरण	
1.	निर्वाचन का लोक नोटिस।	प्ररूप–2
2.	नियम–15 के अधीन विधिमान्यतः अभ्यर्थियों की सूची।	प्ररूप–4
3.	अभ्यर्थिता वापस लेने की सूचना।	प्ररूप–5
4.	निर्वाचन लड़ने वाले उम्मीदवारों की सूची।	प्ररूप–6
5.	निर्वाचन अभिकर्ता की नियुक्ति।	प्ररूप–7
6.	निर्वाचन अभिकर्ता की नियुक्ति का प्रतिसंहरण।	प्ररूप–8
7.	मतदान अभिकर्ता की नियुक्ति।	प्ररूप–9
8.	मतदान अभिकर्ता की नियुक्ति का प्रतिसंहरण।	प्ररूप–10
9.	अंधे और शिथिलांग निर्वाचकों की सूची।	प्ररूप–12
10.	निविदत्त मतों की सूची।	प्ररूप–14
11.	किसी मतदान केन्द्र पर प्रयुक्त निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति से भिन्न प्रतियां।	नियम–30(3)
12.	मतदान प्रक्रिया का उल्लंघन किये जाने पर रद्ध किये गये मतपत्रों एवं खराब हुये और लौटाये गये मतपत्रों के पैकिट	नियम–37(6) और 45(2)
13.	पीठासीन अधिकारी द्वारा रखी गई टिप्पणियाँ और अभिलेख, मतदान अभिकर्ताओं द्वारा की गई घोषणायें और कोई अन्य कागज जिन्हें रिटर्निंग अधिकारी ने माहरबन्द पैकिट में रखने का निर्देश दिया हो।	
14.	निवारक निरोध के अधीन रखे गये व्यक्तियों के नामों की सूची।	
15.	निवारक निरोध के अधीन रखे गये व्यक्तियों से डाक–मतपत्र द्वारा मतदान करने की अनुमति के लिये रिटर्निंग अधिकारी द्वारा प्राप्त किये गये आवेदन पत्र।	
16.	निर्वाचन ड्यूटी प्रमाण–पत्र के लिए आवेदन एवं निर्वाचक ड्यूटी प्रमाण–पत्र।	प्ररूप–15 प्ररूप–16
17.	गणन अभिकर्ता की नियुक्ति एवं कार्यालय प्रतियाँ ।	प्ररूप–19
18.	गणन अभिकर्ता की नियुक्ति का प्रतिसंहरण।	प्ररूप–20
19.	मतों की पुनर्गणना के लिए आवेदन पत्र।	नियम–67
20.	प्रतिपर्ण सहित अप्रयुक्त मतपत्र	
21.	मतों की गणना के समय, स्थान एवं दिनांक आदि की सूचना।	
22.	रिटर्निंग अधिकारी और उम्मीदवारों व निर्वाचन या गणन अभिकर्ताओं के बीच पत्र व्यवहार।	
23.	प्रतीकों के आवंटन हेतु आवेदन पत्र।	
24.	क्षतिग्रस्त पत्र मुद्रायें और अप्रयुक्त मुद्रायें जो पीठासीन अधिकारियों से वापस प्राप्त हुयी है।	
25.	पीठासीन अधिकारी से प्राप्त सामान्य रिर्पोट, डायरियां व ज्ञापन, नोट बुकें आदि।	
26.	नियम 30 के उप नियम (1) के खण्ड (क) और (ख) के अधीन नोटिस।	
27.	ऐसे पैकिट जिनमें मतदान और मतों की गणना के दौरान उम्मीदवारों और अभिकर्ताओं द्वारा आक्षेप रखे हैं।	
28.	मतों की गणना के पश्चात्, रिटर्निंग अधिकारी द्वारा तैयार की गई कार्यवाहियों के मोहर बन्द पैकिट।	
29.	मतों की गणना के लिये चैक मीमों के माहर बन्द पैकिट।	
30.	मतपत्र लेखा।	प्ररूप–17
31.	निर्वाचन ड्यूटी स्टॉफ मतपत्र लेखा।	प्ररूप–18
32.	प्रयुक्त पेपर सील का अभिलेख।	
33.	प्रचार सामग्री जैसे दीवार पर लगाने के पोस्टर, हैण्ड–बिल और निर्वाचन के समय उममीदवारों द्वारा जारी किये गये खुले बयान।	
34.	निर्वाचक द्वारा की गई घोषणाओं और उनके हस्ताक्षरों के अनुप्रमाणन पैकिट।	नियम–38(1)

(85)

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

क्रमांक : प.4(2)(1)पं./नपा/रानिआ/94/3153 जयपुर, दिनांक : 9.11.99

आदेश

सां.आ. 31/99 राजस्थान नगरपालिका (निर्वाचन) नियम, 1994 के नियम 73 के परन्तुक में उपबन्धित प्रावधानों के अनुसार किसी निर्वाचन में परिणाम की घोषणा के पश्चात् प्रयुक्त सभी मतदान मशीनें रिटर्निंग अधिकारी द्वारा सुरक्षित अभिरक्षा में ऐसी रीति से रखी जायेगी जैसा राज्य निर्वाचन आयोग निर्देशित करे ;

अतः उक्त नियम 73 के परन्तुक के उपबंधों के अनुसरण में राज्य निर्वाचन आयोग निम्नांकित निर्देश जारी करता है :–

(1) निर्वाचन के परिणाम की घोषणा कर दिये जाने के तुरन्त पश्चात् नियम 63–ख के अन्तर्गत बतायी गयी रीति से नियंत्रण यूनिटों के सीलबन्द किये गये या मतगणना के दौरान खोलकर पुनः सीलबन्द किये गये मतदान यूनिटों के वहन बक्सों को रिटर्निंग अधिकारी इनके प्रयोजनार्थ बड़े बक्सों/सन्दूकों में रखेगा; तत्पश्चात् उसी दिन राजकीय कोषागार या उपकोषागार में दो तालों के अन्दर सुरक्षित रखेगा।

(2) प्रत्येक बड़े बक्सों या सन्दूक के एक ताले की चाबी कोषाधिकारी या उपकोषाधिकारी, जैसी भी स्थिति हो, या कोषागार नियमावली के अधीन प्राधिकृत कोषागार या उपकोषागार के किसी अन्य अधिकारी का सुपुर्द की जायेगी। प्रत्येक बड़े बक्से या सन्दूक के दूसरे ताले की चाबी स्वयं रिटर्निंग अधिकारी या इस प्रयोजन के लिये निर्दिष्ट किसी अन्य अधिकारी को सुपुर्द की जायेगी।

आज्ञा से,

(आर.के. पारीक)
उप सचिव,
राज्य निर्वाचन आयोग,
राजस्थान, जयपुर

(86)

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

क्रमांकः एफ.4(2)(1)पं/नपा/रानिआ/94/3154 जयपुर, दिनांक : 9.11.99

आदेश

सां.आ. 32/99 राजस्थान नगरपालिका (निर्वाचन) नियम, 1994 के नियम 74–क के उपबन्धों के अनुसार रिटर्निंग अधिकारी की अभिरक्षा में रहते हुए अप्रयुक्त डाक मतपत्रों के और उनसे संलग्न प्रतिपर्णों के पैकिट, प्रयुक्त डाक मतपत्रों के चाहे वे विधि मान्य हो, प्रतिपेक्षित या रद्ध किए गए हों और उनके प्रतिपर्णों के पैकिट, प्रयुक्त व अप्रयुक्त निविदत मतपत्रों के पैकिट, निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रतियों के पैकिट, प्ररूप 14–क में मतदाता रजिस्टर वाले पैकिट, निर्वाचकों द्वारा की गई घोषणाओं और उनके हस्ताक्षरों के अनुप्रमाणन के पैकिट तथा नियंत्रण यूनिटों के अलावा निर्वाचन से संबंधित सभी अन्य कागज पत्र ऐसी शर्तों के और ऐसी फीस के संदाय के अध्यधीन रहते हुऐ जैसे राज्य निर्वाचन आयोग निर्दिष्ट करे, लोक निरीक्षण के लिए उपलब्ध रहेंगे और उनकी प्रतियां आवेदन करने पर दी जायेगी।

अतः उक्त नियम 74–क के अनुसरण में राज्य निर्वाचन आयोग निम्न प्रकार निर्दिष्ट करता है :–

1. निरीक्षण :–
   (क) उक्त दस्तावेजों के निरीक्षण हेतु प्रत्येक आवेदन पत्र लिखित रूप में दिये जायेंगे और उसमें अभिलेख का जिसका निरीक्षण अपकक्षित है, संबंधित विवरण दिया जाना चाहिये।
   (ख) दस्तावेजों के निरीक्षण करने हेतु किसी भी व्यक्ति को इसके लिये आवेदन करने पर और निरीक्षण के लिये उसी दर पर शुल्क भुगतान करने पर अनुमति दी जायेगी जो दर दस्तावेजों के निरीक्षण के लिये राजस्व न्यायालय नियमावली के प्रावधानों के तहत राजस्व अधिकारी द्वारा वसूल की जाती है।
2. उक्त दस्तावेजों में से किसी दस्तावेज की प्रमाणित प्रतिलिपि उसके लिये आवेदन करने वाले किसी व्यक्ति को उसी दर पर शुल्क का भुगतान करने पर दी जायेगी जो दर राज्य में राजस्व न्यायालय नियमावली के प्रावधानों के तहत किसी आदेश की प्रतिलिपि के लिये राजस्व अधिकारी द्वारा वसूल की जाती है।
3. आवेदन–पत्र में निरीक्षण के लिये या दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियां दिये जाने के लिये आपेदक का अधिकार सिद्ध किया जाना चाहिये और इस प्रयोजन के लिये यह स्पष्ट रूप से बताया जाना चाहिये कि आवेदक का ऐसे दस्तावेज या दस्तावेजों में प्रत्यक्ष और सुनिश्चित् हित है और ऐसा हित किस प्रकार का है।
4. जब दस्तावेज का निरीक्षण करना या प्रमाणित प्रतियां लेना सरकारी प्रयोजन के लिये अपेक्षित हो तो कोई फीस नहीं ली जायेगी।
5. जब निर्वाचन अभिलेखों का निरीक्षण हितबद्ध व्यक्तियों द्वारा निर्वाचन समाप्त होने के तुरन्त बाद किया जा रहा है तब कर्मचारियों द्वारा प्रभावकारी पर्यवेक्षण रखना आवश्यक है। अभिलेखों में किसी कागज के हटाये जाने से बचने के लिये बड़ी संख्या में लोगों को एक साथ निरीक्षण करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।
6. प्ररूप–21 अंतिम परिणाम पत्र एवं प्ररूप–22 या यथास्थिति प्ररूप 22–क में परिणाम की घोषणा प्रतिलिपियां यदि मांगी जायें तो उसी दर पर शुल्क का भुगतान करने पर दी जायेगी, जो उपरोक्त अभिलेखों की प्रमाणित प्रतिलिपियों की आपूर्ति के लिये लिया जाता है।

आज्ञा से,

(आर.के. पारीक)
उप सचिव

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

विकास खण्ड, सचिवालय, जयपुर

एफ. 7(6)(5)पंचायत निर्वाचन/सचिवालय/2003/374 दिनांक : 7 फरवरी, 2004

आदेश

1. यतः, अन्य बातों के साथ–साथ राज्य की पंचायतों के समस्त निर्वाचनों और नगरपालिकाओं के समस्त निर्वाचनों का अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 ट और अनुच्छेद 243 य क के द्वारा राज्य निर्वाचन आयोग में निहित है ;
2. और यतः, भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय ने 2002 की सिविल अपील सं. 7178 संघ बनाम एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफोर्मस् और अन्य में अपने आदेश दि. 2 मई, 2002 द्वारा भारत निर्वाचन आयोग को, संसद या राज्य विधानसभा का निर्वाचक लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी से उसके नामनिर्देशन पत्र के आवश्यक भाग के रूप में शपथित शपथ–पत्र के माध्यम से कतिपय सूचना मांगने के लिए निदिष्ट किया है ;
3. और यतः, भारत के निर्वाचन आयोग ने माननीय उच्चतम न्यायालय के ऊपर निर्दिष्ट निर्णय/आदेश दि. 2 मई, 2002 के अनुसरण में और भारत के संविधान के अनुच्छेद 324 द्वारा उसे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 28 जून, 2002 को आवश्यक आदेश जारी किये ;
4. और यतः, भारत के राष्ट्रपति ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 को और संशोधित करने के लिए लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) अध्यादेश, 2002 (2002 का सं. 4) दिनांक 24 अगस्त 2002 को प्रख्यापित किया ;
5. और यतः, भारत सरकार ने ऊपर उल्लिखित अध्यादेश को प्रभावी करने के लिए निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 को भी संशोधित कर दिया ;
6. और यतः , अधिसूचना दि. 28 दिसम्बर, 2002 द्वारा, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 को लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) अधिनियम, 2002 द्वारा संशोधित किया गया जिससे उपर्युक्त अध्यादेश दि. 24 अगस्त, 2002 प्रतिस्थापित किया गया ;
7. और यतः, राष्ट्रपति के अध्यादेश दि. 24 अगस्त, 2002 की सांविधानिक विधिमान्यता को आक्षेपित करते हुए तीन पृथक–पृथक रिट याचिकाएं दाखिल की गयीं ;
8. और यतः, माननीय उच्चतम न्यायालय ने 2002 की रिट याचिका सं. 490, 509 और 515 में अपना आदेश/निर्णय दिनांक 31 मार्च, 2003 को पारित किया ;
9. और यतः, माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय दिनांक 13 मार्च, 2003 के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग ने पुनरीक्षित आदेश सं. 3/ईआर/2003/जेएस–II दिनांक 27 मार्च, 2003 जारी किया, जिसका सार निम्नानुसार है :–
   (i) राज्य सभा, लोक सभा या किसी राज्य की विधानसभा के किसी निर्वाचन के लिए अपना नामनिर्देशन पत्र भरते समय प्रत्येक अभ्यर्थी, माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा विनिर्दिष्ट मामलों के संबंध में विस्तृत और पूर्ण जानकारी शपथ–पत्र में देगा जिसका प्ररूप आदेश के साथ उपाबद्ध है।
   (ii) प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा उक्त शपथपत्र, किसी प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट या किसी नोटेरी पब्लिक या किसी शपथ आयुक्त के समक्ष सम्यक् रूप से शपथित होगा।
   (iii) किसी अभ्यर्थी द्वारा शपथ–पत्र का न दिया जाना माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश का अतिक्रमण समझा जायेगा और संबंधित अभ्यर्थी का नामनिर्देशन रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा नामनिर्देशनों की संवीक्षा के समय शपथ–पत्र न दिये जाने का कारण अस्वीकार किये जाने योग्य होगा।
   (iv) प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा पूर्वोक्त शपथ–पत्र में इस प्रकार दी गयी जानकारी संबंधित रिटर्निंग आफिसर द्वारा शपथपत्र की प्रति अपने कार्यालय के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करके और उसकी प्रतियां अन्य समस्त अभ्यर्थियों को तथा प्रिन्ट और इलैक्ट्रोनिक मीडिया के प्रतिनिधियों को निःशुल्क और उदारता से उपलब्ध करवाकर प्रसारित की जायेगी।
   (v) यदि कोई विरोधी अभ्यर्थी सम्यक् रूप से शपथित शपथपत्र के माध्यम से प्रतिकूल जानकारी देता है तो विरोधी अभ्यर्थी का ऐसा शपथपत्र भी ऊपर निर्दिष्ट रीति से संबंधित अभ्यर्थी के शपथपत्र के साथ प्रसारित किया जायेगा।
   (vi) यह भी स्पष्ट किया गया था कि इसके (भारत निर्वाचन आयोग के) पूर्वतर आदेश दिनांक 28 जून, 2002 के पैरा 14(4) में अन्तर्विष्ट पूर्वतर निदेश, जहां तक संक्षिप्त जांच के माध्यम से आस्तियों और दायित्वों के सत्यापन और गलत जानकारी देने या सारवान् जानकारी छिपाने के आधार पर नामनिर्देशन पत्र नामंजूर किये जाने की बात है,सर्वोच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 13 मार्च, 2003 के अनुसरण में, प्रवर्तनीय नहीं है।
10. और यतः, माननीय उच्चतम न्यायालय के पूर्वोक्त दो निर्णय संसद और राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों के संबंध में मतदाताओं को सूचना का अधिकार सुनिश्चित करने के संदर्भ में दिये गये थे उनकी यह भावना ऐसे स्थानीय निकायों के निर्वाचनों में अपने मताधिकार का प्रयोग करने वाले मतदाताओं पर समान रूप से लागू होती है जिन्हें भी सांविधानिक प्रस्थिति प्रदत्त की गयी है। ग्राम पंचायत से लेकर लोक सभा तक के निर्वाचन पदों के समस्त स्तरों पर लोकतांत्रिक प्रक्रिया समान होनी चाहिए। राज्य निर्वाचन आयोग और भारत निर्वाचन आयोग के मध्य शक्तियों की समानता इस तथ्य से देखी जा सकी है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 ट और अनुच्छेद 243 य क वस्तुतः भारत के संविधान के अनुच्छेद 324 के समान हैं। इस दृष्टि से राज्य निर्वाचन आयोग राजस्थान ने यह विनिश्चित किया कि भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशों को

स्थानीय निकायों के निर्वाचनों में भी लागू किया जाना चाहिए।

11. और यतः , इस विषय को ध्यान में रखते हुए 30 जून, 2003 को इस आयोग द्वारा राज्य सरकार को संबोधित पत्रों में यह सुझाव दिया गया था कि भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय के पूर्वोक्त निर्णयों/आदेशों को प्रभावी बनाने के लिए राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 और राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 1959 को समुचित रूप से संशोधित करने के लिए विचार करे।

12. और यतः भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय के उक्त निर्णयों/आदेशों को प्रभावी बनाने के लिए संबंधित विधियों में कोई भी संशोधन नहीं किया गया है।

13. अतः अब राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान, भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 य क और राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 17 और राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 1959 की धारा 12 क के साथ पठित अनुच्छेद 243 ट के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इसके द्वारा निम्नलिखित निदेश देता है :–

(i) किसी ग्राम पंचायत के पंच या सरपंच के पद का या, किसी नगर पालिका (नगर परिषद एवं नगर निगम को छोडकर) के सदस्य के पद का निर्वाचन लड़ने वाला प्रत्येक अभ्यर्थी इस आदेश के उपाबंध–I में स्वघोषणा प्ररूप में विनिर्दिष्ट समस्त विषयों के संबंध में, किसी भी अन्य जानकारी जिसका दिया जाना उससे पहले से अपेक्षित है, के अतिरिक्त, विस्तृत और पूर्ण जानकारी नामनिर्देशन–पत्र के साथ देगा।

(ii) किसी पंचायत समिति के सदस्य या किसी जिला परिषद् के सदस्य के पद का या किसी नगर परिषद् के सदस्य या किसी नगर निगम के सदस्य के पद का निर्वाचन लड़ने वाला प्रत्येक अभ्यर्थी इस आदेश के उपाबंध–II में दिये गये प्ररूप में किसी नोटरी पब्लिक या किसी शपथ आयुक्त या किसी प्रथम श्रेणी वर्ग मजिस्ट्रेट के समक्ष सम्यक् रूप से शपथित शपथपत्र में विनिर्दिष्ट समस्त विषयों के संबंध में किसी भी अन्य जानकारी, जिसका दिया जाना उससे पहले से अपेक्षित है, के अतिरिक्त, विस्तृत और पूर्ण जानकारी अपने नामनिर्देशन–पत्रों के साथ देगा।

(iii) किसी भी अभ्यर्थी द्वारा स्वघोषणा या, यथास्थिति, शपथपत्र का न दिया जाना इस आदेश का अतिक्रमण माना जायेगा और संबंधित अभ्यर्थी का नामनिर्देशन रिटर्निंग आफिसर द्वारा संबंधित अभ्यर्थी के नामनिर्देशन की संवीक्षा करते समय नामंजूर करने योग्य होगा।

(iv) प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा पूर्वोक्त स्वघोषणा या, यथास्थिति, शपथपत्र में इस प्रकार दी गयी जानकारी संबंधित रिटर्निंग आफिसर द्वारा स्वघोषणा/शपथपत्र की प्रति अपने कार्यालय के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करके और उसकी प्रतियां अन्य समस्त अभ्यर्थियों के मांग किये जाने पर और प्रिण्ट और इलेक्ट्रोनिक मीडिया के प्रतिनिधियों को उपलब्ध करवाकर भी प्रसारित की जायेगी।

(v) यदि कोई विरोधी अभ्यर्थी ऊपर पैरा (i) में उल्लिखित पदों के निर्वाचनों के मामले में स्वघोषणा के माध्यम से और ऊपर पैरा (ii) में उल्लिखित सदस्यों के निर्वाचनों के मामले में शपथपत्र के माध्यम से, प्रतिकूल सूचना देता है तो संबंधित अभ्यर्थी के स्वघोषणा/शपथपत्र के साथ विरोधी अभ्यर्थी के ऐसे स्वघोषणा/शपथपत्र का भी ऊपर निर्दिष्ट रीति से प्रसार किया जायेगा ; और

(vi) रिटर्निंग आफिसर संक्षिप्त जाँच के माध्यम से या अन्यथा स्वघोषणा/शपथपत्र में दी गयी जानकारी की शुद्धता का या अन्यथा सत्यापन नहीं करेगा और नामनिर्देशन पत्र को इस आधार पर अस्वीकार नहीं करेगा कि उसकी राय में दी गयी सूचना गलत है।

14. समस्त रिटर्निंग आफिसर यह सुनिश्चित करेंगे कि आयोग द्वारा इसमें विहित किये गये स्वघोषणा/शपथपत्र की प्रतियां अभ्यर्थियों को नामनिर्देशन पत्र के भाग के रूप में नामनिर्देशन पत्रों के प्ररूपों के साथ प्रदत्त की जायेंगी।

15. यह आदेश समस्त नगर निगमों, नगर परिषदों, नगर पालिकाओं तथा समस्त पंचायती राज संस्थाओं के समस्त निर्वाचनों पर लागू होता है जिनके लिए अधिसूचना 20 फरवरी, 2004 को या उसके पश्चात् जारी की जाती है

आज्ञा से,

(विपिन चन्द्र शर्मा)
सचिव
राज्य निर्वाचन आयोग

'राजस्थान राजपत्र विशेषांक भाग 6(क) दिनांक 9 फरवरी, 2004

<u>उपाबन्ध – I</u>

<u>स्वघोषणा</u>

नगरपालिका .... के (वार्ड सं. ....) के सदस्य/ग्राम पंचायत .... के सरपंच या (वार्ड सं. ....) के पंच के पद के निर्वाचन के लिए रिटर्निंग ऑफिसर के समक्ष अभ्यर्थी द्वारा नामनिर्देशन पत्र के साथ की जाने वाली स्वघोषणा।

मैं .... पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री ....आयु .... वर्ष, निवासी ....उपर्युक्त निर्वाचन में अभ्यर्थी, इसके द्वारा सत्यनिष्ठा से निम्नलिखित कथन करता हूँ :–

1. मेरे विरूद्ध निम्नलिखित मामला (मामले) लम्बित है/हैं जिसमें/जिनमें न्यायालय द्वारा संज्ञान लिया गया हैः–
   - (प) अधिनियम की धारा और अपराध का विवरण जिसके लिए संज्ञान लिया गया :
   - (पप) वह न्यायालय जिसने संज्ञान लिया :
   - (पपप) वाद सं. :
   - (पअ) संज्ञान लेने वाले न्यायालय के आदेश की तारीख :
   - (अ) संज्ञान लेने के उपर्युक्त आदेश के विरूद्ध फाइल की गयी अपील (अपीलें)/पुनरीक्षण इत्यादि, यदि कोई हो, के आवेदन (आवेदनों) के ब्यौरे :
2. कि मेरे/मेरे पति या पत्नी/मेरे ‘आश्रितों के स्वामित्व में निम्नलिखित स्थावर संपत्तियां हैं, अर्थात्ः–

क. <u>भूमियां</u> :

(i) कृषि भूमियों के, उसके स्वामी के नाम, उसकी अवस्थिति, विस्तार, मूल्य और अभ्यर्थी से संबंध सहित, ब्यौरे दें।

**

(ii) नगरीय भूमियों के, उसके स्वामी के नाम, उसकी अवस्थिति, विस्तार, मूल्य और अभ्यर्थी का स्वामी से संबंध सहित, ब्यौरे दें।

**

ख. <u>भवन</u> :

(i) भवनों के, उनकी अवस्थिति, प्लिन्थ क्षेत्र, मूल्य, स्वामी के नाम और अभ्यर्थी से संबंध सहित, ब्यौरे दें।

**

3. मेरे/मेरे पति या पत्नी/'आश्रितों के स्वामित्व में निम्नलिखित जंगम संपत्तियां हैं, अर्थात्:–

(i) स्वर्ण, आभूषण और बहुमूल्य रत्नों के, उनके स्वामी के नाम, उनके मूल्य और अभ्यर्थी से संबंध सहित, ब्यौरे दें।

**

(ii) बैंक में अतिशेष/सावधि जमा और शेयरों के, जमाकर्ता या क्रेता के ब्यौरों सहित, उनके मूल्य, अभ्यर्थी से संबंध सहित, ब्यौरे दें।

**

4. मैं/मेरे पति या पत्नी/मेरे 'आश्रित लोक, वित्तीय संस्थाओं के निम्नलिखित शोध्यों और सरकारी शोध्यों का संदाय करने का/के दायी हूँ/हैं, ब्यौरे दें।

**

5. मेरी शैक्षणिक योग्यताएं निम्नलिखित हैं :–

(विद्यालय और विश्वविद्यालय शिक्षा का ब्यौरा दें)

**

मै .... इसके द्वारा घोषणा करता हूँ कि इस स्वघोषणा की अर्न्तवस्तु मेरी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार सही है और कोई भी बात छुपायी नहीं गई है और इस घोषणा का कोई भी भाग मिथ्या नहीं है।

घोषणाकर्ता

* 'आश्रित' से अभ्यर्थी की आय पर पूर्णतया आश्रित व्यक्ति अभिप्रेत है।

** जहां कहीं भी दिया गया स्थान पर्याप्त नहीं हो, अतिरिक्त कागजों का प्रयोग किया जा सकेगा।

<u>उपाबन्ध – II</u>

<u>शपथपत्र</u>

पंचायत समिति/जिला परिषद .... के सदस्य या नगर परिषद/ नगर निगम .... के (वार्ड सं. ....) के सदस्य के पद के निर्वाचन के लिए रिटर्निंग ऑफिसर के समक्ष अभ्यर्थी द्वारा नामनिर्देशन पत्र के साथ दिया जाने वाला शपथ–पत्र।

मैं .... पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री ....आयु .... वर्ष,, निवासी .... उपर्युक्त निर्वाचन में अभ्यर्थी, इसके द्वारा सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ और शपथ पूर्वक निम्नलिखित कथन करता हूँ :–

1. मेरे विरूद्ध निम्नलिखित मामला (मामले) लम्बित है/हैं जिसमें/जिनमें न्यायालय द्वारा संज्ञान लिया गया है :–
   - (i) अधिनियम की धारा और अपराध का विवरण जिसके लिए संज्ञान लिया गया :
   - (ii) वह न्यायालय जिसने संज्ञान लिया :
   - (iii) वाद सं. :
   - (iv) संज्ञान लेने वाले न्यायालय के आदेश की तारीख :
   - (v) संज्ञान लेने के उपर्युक्त आदेश के विरूद्ध फाइल की गयी अपील (अपीलें)/पुनरीक्षण इत्यादि, यदि कोई हों, के आवेदन (आवेदनों) के ब्यौरे :
2. कि मेरे/मेरे पति या पत्नी/मेरे ' आश्रितों के स्वामित्व में निम्नलिखित स्थावर संपत्तियां हैं, अर्थात्:–

क. <u>भूमियां</u> :

(i) कृषि भूमियों के, उसके स्वामी के नाम, उसकी अवस्थिति, विस्तार, मूल्य और अभ्यर्थी से संबंध सहित, ब्यौरे दें।

(ii) नगरीय भूमियों के, उसके स्वामी के नाम, उसकी अवस्थिति, विस्तार, मूल्य और अभ्यर्थी का स्वामी से संबंध सहित, ब्यौरे दें।

ख. <u>भवन</u> :

(i) भवनों के, उनकी अवस्थिति, प्लिन्थ क्षेत्र, मूल्य, स्वामी के नाम और अभ्यर्थी से संबंध सहित, ब्यौरे दें।

3. मेरे/मेरे पति या पत्नी/'आश्रितों के स्वामित्व में निम्नलिखित जंगम संपत्तियां हैं, अर्थात्:–

(i) स्वर्ण, आभूषण और बहुमूल्य रत्नों के, उनके स्वामी के नाम, उनके मूल्य और अभ्यर्थी से संबंध सहित, ब्यौरे दें।

(ii) बैंक में अतिशेष/सावधि जमा और शेयरों के, जमाकर्ता या क्रेता के ब्यौरों सहित, उनके मूल्य, अभ्यर्थी से संबंध सहित, ब्यौरे दें।

4. मैं/मेरे पति या पत्नी/मेरे 'आश्रित लोक, वित्तीय संस्थाओं के निम्नलिखित शोध्यों और सरकारी शोध्यों का संदाय करने का/के दायी हूँ/हैं, ब्यौरे दें।

5. मेरी शैक्षणिक योग्यताएं निम्नलिखित हैं :–

(विद्यालय और विश्वविद्यालय शिक्षा का ब्यौरा दें)

मै .... इसके द्वारा घोषित और सत्यापित करता हूँ कि इस शपथ–पत्र की अर्न्तवस्तु मेरी वैयक्तिक जानकारी के अनुसार सत्य है और कोई बात छुपायी नहीं गई है और इस शपथ–पत्र का कोई भी भाग मिथ्या नहीं है।

अभिसाक्षी

आज तारीख .... माह .... वर्ष .... को .... में मेरे समक्ष शपथ ली और हस्ताक्षर किये।

* 'आश्रित' से अभ्यर्थी की आय पर पूर्णतया आश्रित व्यक्ति अभिप्रेत है।

....

*राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी आदेश क्रमांक एफ.7(6)(5)पंचायत निर्वाचन/रानिआ/2003/374 दिनांक 7.2.2004 के उपाबन्ध – I व II के पैरा 4 में संशोधन

4. मैं/मेरे पति या पत्नी/मेरे *आश्रित लोक, वित्तीय संस्थाओं के निम्नलिखित शोध्यों और सरकारी शोध्यों का संदाय करने का/के दायी हूँ/है, ब्यौरे दें।

**	

नोट :– सरकारी शोध्यों/देयताओं से तात्पर्य सरकार के वे विभाग जो सार्वजनिक पदों पर कार्य करने वालों को आवास की सुविधा, पेयजल की सुविधा, बिजली की सुविधा, दूरसंचार की सुविधा, परिवहन की सुविधा (जिसमें हवाई जहाज एवं हैलीकोप्टर सम्मिलित है) तथा अन्य ऐसी सुविधायें जो उस पद के साथ जुडी हुई हों, का यदि कोई बकाया चल रहा हो तो उसका पूर्ण विवरण सहित सूचना संलग्न करें।

आदेश से,

(जयन्तीलाल मोदी)
सचिव
राज्य निर्वाचन आयोग,
राजस्थान, जयपुर

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(द्वितीय तल, विकास खण्ड, सचिवालय, जयपुर–302005)
email- secraj@rajasthan.gov.in & secrajasthan@gmail.com, FAX 0141-2227280, 2227072

क्रमांक : प.4(1)(7)नपा/रानिआ/09/975 दिनांकः 20.03.2014

आदेश

माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा सिविल रिट पिटिशन संख्या 121/2008 (Resurgence India Vs Election Commission of India and other) में निर्णय दिनांक 13.09.2013 में विधान सभा/लोक सभा चुनाव के संदर्भ में यह निर्देश प्रदान किए गए हैं कि ''चुनाव लडने वाले अभ्यर्थियों द्वारा अपने नाम निर्देशन पत्र के साथ संलग्न किए जाने वाले शपथ पत्र में कोई भी कॉलम रिक्त (Blank) नहीं छोडा जाए। यदि किसी विषय पर कोई सूचना उपलब्ध नहीं हैं तो कॉलम में 'NIL', 'Not Applicable', 'Not Known' जैसा भी आवश्यक हो, लिखा जाए। यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा शपथ पत्र में कोई भी कॉलम रिक्त (Blank) छोड दिया जाता हैं एवं रिटर्निंग अधिकारी के स्मरण कराने के पश्चात् भी अभ्यर्थी द्वारा कमी की पूर्ति नहीं की जाती हैं तो रिटर्निंग अधिकारी को यह अधिकार होगा कि वह नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा के समय ऐसे नाम निर्देशन पत्रों को अस्वीकार कर दें।''

माननीय उच्चतम न्यायालय के उक्त निर्णय की भावना स्थानीय निकाय एवं पंचायतीराज संस्थाओं के चुनाव लडने वाले अभ्यर्थियों पर भी लागू होती हैं। अतः राज्य निर्वाचन आयोग अपने आदेश क्रमांक प. 7(6)(5)पंचायत निर्वाचन/सचिवालय/2003/374 दिनांक 07.02.2004 के बिन्दु संख्या 13 में उप बिन्दु संख्या (iii-A) पर यह अन्तःस्थापित करता हैं कि **''किसी भी अभ्यर्थी द्वारा स्वघोषणा या, यथास्थिति, शपथ पत्र में किसी कॉलम को रिक्त छोडने पर रिटर्निंग अधिकारी के स्मरण के पश्चात् भी कमी की पूर्ति नहीं करने पर नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा के समय संबंधित अभ्यर्थी का नाम निर्देशन पत्र रिटर्निंग अधिकारी द्वारा अस्वीकार करने योग्य होगा।''**

आज्ञा से,
–ह0–
(अशोक कुमार जैन)
सचिव
राज्य निर्वाचन आयोग,
राजस्थान, जयपुर

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(द्वितीय तल, विकास खण्ड, सचिवालय, जयपुर–302005)

क्रमांक–एफ4(2)(1)/नपा/रानिआ/03/7127 दिनांकः–04.01.2010

आदेश

विषयः– मुद्रित फार्मों के विक्रय की दरों के संबंध में।
सन्दर्भः–आयोग का आदेश कमांक एफ 4(1)(1)नपा/रानिआ/94/513 दिनांक 7.11.94

आयोग के सन्दर्भित आदेश के द्वारा राजस्थान नगरपालिका (निर्वाचन) नियम, 1994 एवं राजस्थान पंचायतीराज (निर्वाचन) नियम, 1994 के संलग्न प्ररूपों के मुद्रित प्रपत्रों की विक्रय **दरें एक रूपया प्रति प्रपत्र वसूल करने के आदेश जारी किये गये थे।**

निर्वाचनों के सुचारू संचालन के लिए राज्य निर्वाचन आयोग उचित मानता है कि चुनाव लडने वाले अभ्यर्थियों को संबंधित प्रपत्र निःशुल्क उपलब्ध होने चाहिये।

अतः राजस्थान नगरपालिका (निर्वाचन) नियम, 1994 एवं राजस्थान पंचायती राज (निर्वाचन) नियम, 1994 में विहीत किये गये ऐसे सभी प्रपत्र जो कि अभ्यर्थियों के उपयोग के है, उन्हे इच्छुक व्यक्तियों कों निःशुल्क वितरित किये जाने के आदेश जारी किये जाते है और इस स्थिति में संदर्भित आदेश एफ 4(1)(1)नपा/रानिआ/94/513 दिनांक 7.11.94 के खण्ड (iii) व (iv) को तत्काल प्रभाव से विलोपित समझा जावे। इन प्रपत्रों की छायाप्रति भी स्वीकार्य होंगी।

कृपया मतदान दलों को प्रशिक्षण के दौरान यह जानकारी अवश्य दी जाये। साथ ही मार्गदर्शिका, अन्य निर्देशों, पुस्तकों तथा लिफाफों/प्रपत्रों में इस आशय का संशोधन माना जाये जिसके लिए भी रिटर्निंग अधिकारियों सहित सभी संबंधित अधिकारियों/कर्मचारियों को अवगत करावे।

(आर.के. जैन)
सचिव,
राज्य निर्वाचन आयोग,
राजस्थान, जयपुर

(90)

राज्य निर्वाचन आयोग राजस्थान

(द्वितिय तल विकास खण्ड सचिवालय जयपुर –302005)
Website: rajsec.rajasthan.gov.in/ Email: secraj@rajasthan.gov.in, secrajasthan@gmail.com

क्रमांक– प.1(32)रानिआ / लेखा / बजट / 2014–15 / 3451 दिनांकः 22.08.2014

आदेश

नगरनिकाय आम चुनाव 2014 में इलेक्ट्रोनिक्स वोटिंग मशीन की प्रथम स्तरीय जांच एवं तैयारी हेतु इलेक्ट्रोनिक्स वोटिंग मशीन कन्ट्रोल एवं बैलेट यूनिट के लिए राशि रू. 15 / – (अक्षरे राशि रू. पन्द्रह) प्रति यूनिट (प्रति कन्ट्रोल यूनिट जांच हेतु राशि रू. 7.50 / – एवं प्रति बैलेट यूनिट जांच हेतु राशि रू. 7.50 / –) पारिश्रमिक के रूप में भुगतान करने की स्वीकृति एतदद्वारा प्रदान की जाती है। उक्त राशि का व्यय नगर निगम / नगर परिषद / नगरपालिका चुनाव की संबंधित बजट मद 2217–80–191–09–00–28 / 2217–80–192–09–00–28 विविध व्यय में उपलब्ध बजट से किया जा सकेगा।

उक्त स्वीकृति वित्त (व्यय–5) विभाग की आई.डी. संख्या 331400518 दिनांक 14.8.2014 के अनुसरण में जारी की गई है।

–ह0–
(सत्यप्रकाश बसवाला)
मुख्य निर्वाचन अधिकारी एवं सचिव
राज्य निर्वाचन आयोग,
राजस्थान, जयपुर।

STATE ELECTION COMMISSION, RAJASTHAN

(2^{nd} Floor, Vikas Khand, Secretariat, Jaipur – 302005)
Website: www.secraj.nic.in email: secraj@rajasthan.gov.in

No.F.1(21)SEC/Acctt/2014/3261 Dated: 12-08-2014

Order

Sub:- **Honorarium/Remuneration to officers/officials for preparation and revision of Municipal/Panchayat Electoral Rolls-2014-2015.**

The State Election Commission has sanctioned the rates of Honorarium/ Remuneration to be paid to the following categories of officers/officials connected with the preparation and revision (Intensive Nature) of Municipal / Panchayat Electoral Rolls-2014-2015 as per details shown against each:

S.No.	Categoy of Officer/Officials	Rates
1.	Enumerators (Part Time)	@ 90 paisa per entry
2.	Designated Officers	Rs. 35/- per working day (max. 2days)
3.	Electoral Registration Officers	Rs. 600 (lumpsum)
4.	Assistant Electoral Registration officers (each ERO will be allotted more than one constituency)	Rs. 500 (lumpsum)
5.	Staff (Election staff only)	Rs. 300 each (lumpsum)
6.	Class IV (Election staff only)	Rs. 200 each (lumpsum)
7.	District Election Officers	Rs. 1000 (lumpsum)
8.	Dy. District Election Officers	Rs. 800 (lumpsum)

Note:- **Expenditure on Ball Pen, Refills & Carbons by enumerators will be borne by themselves.**

The expenditure on this account will be debited to the concerned Municipal/Panchayat Election budget head.

The sanction bears the concurrence of Finance (Exp. V) Department vide their I.D. No. 331400253 dated 25.4.2014.

-sd-
(Satya Prakash Baswala)
Chief Electoral Officer &Secretary
State Election Commission,
Rajasthan, Jaipur

STATE ELECTION COMMISSION, RAJASTHAN

(2nd Floor, Vikas Khand, Secretariat, Jaipur – 302005)
Website: www.rajsec.rajasthan.gov.in, email: secraj@rajasthan.gov.in/secrajasthan@gmail.com

No.F1(23)(2)SEC/Acctts/2014/2655 Dated: 24-06-2014

ORDER

Sub. :- Procedure for settlement of hire and detention charges of the motor vehicles requisitioned for Municipal/Panchayat Election and Supply arrangements of P.O.L. for vehicles.

In order to ensure prompt settlement of the hire and detention charges of motor vehicles requisitioned for the conduct of elections and to simplify the procedure for arrangements of P.O.L. for the motor vehicles in each district, the State Election Commission is issuing the following instructions in super session of all previous instructions issued in this regard :-

PART – I

RATES OF HIRE AND DETENTION CHARGES OF PRIVATE VEHICLES/RSRTC BUSES

1. Hire and detention charges in respect of vehicles belonging to private owners/RSRTC buses will be paid at the following rates :

S.No.	Type of Vehicle	For Panchayat/Municipal Election	
		Petrol/Diesal	Rate per day (Amount in Rs.)
1	2	3	4
1.	Contract Carriage Buses	**3 Km per liter**	**2275/-**
2.	Stage Carriage Buses (including RSRTC Buses)	**3 Km per liter**	**1675/-**
3.	Stage Carriage Mini Buses	**3 Km per liter**	**1000/-**
4.	Taxi (Indica, Jeep, Ambassador, etc.)	**Actual dip measurement system**	**800/-**
5.	Auto Ricshaw	**25 Km per liter**	**250/-**
6.	Contract Carriage Mini Buses (New)	**6 Km per liter**	**1300/-**
7.	Taxi (Dezire, ETIOS, Indigo etc.)	**10 Km per liter**	**1000/-**
8.	Taxi Innova	**10 Km per liter**	**1200/-**
9.	Maxi cab (Bolero, Commandor & others)	**10 Km per liter**	**1000/-**
10.	Tata Magic/Mahindra Maximo	**16 Km per liter**	**500/-**
11.	Tractor with Trolly	**Actual dip measurement system**	**350/-**
12.	Full Body/Half Body Truck	**3 Km per liter**	**900/-**
13.	Mobil Oil at the rate of one liter be allowed for every 250 kilometer or part thereof for the Buses Full Body/Half Body Truck and Tractor with Trolly in Category 1, 2, 3, 6, 11 & 12. Similarly one liter mobile oil be allowed every 800 kilometer for car/ taxi at category 4, 7, 8, 9 & 10		
14.	In case of sending requisite vehicles to other District Rs. 150/- will be paid as night haultage charges to vehicle Driver/Khalasi		

2. In respect of vehicles which go out of order during election duty payment will be deducted as under:-

S.No.	Deduction Rates in Rs. (Per hour)	S.No.	Deduction Rates in Rs. (Per hour)
1	2	1	2
1.	80/-	8.	28/-
2.	60/-	9.	28/-
3.	32/-	10.	20/-
4.	20/-	11.	14/-
5.	10/-	12.	32/-
6.	40/-		
7.	28/-		

Deductions should not exceed per day rate of Hire & Detention Charges.

PART – II

PAYMENT OF HIRE AND DETENTION CHARGES OF THE PRIVATE VEHICLES

1. District Election Officers will make payment of hire and detention charges of the private vehicles in cash on the day the vehicles are released from election duty. Sufficient amount required for making payment of such hire charges will be drawn in advance through the A.C. Bills.

2. Record of each vehicle requisitioned for election duty shall be maintained in the vehicle register in form 'A'.

3. A separate **log-sheet-cum-hire bill** will be given to the officer-in-charges of the vehicles after completion of Part-I by the District Election Officer (in form 'B' of vehicle Log-sheet-cum-hire charges) while allotting the vehicle for polling duty.

4. The Officer-in-charge of the vehicle (Presiding Officer or any other officer) will make respective entries in Part-II of the log sheet during the period the vehicle remains under his charge. At the time of handing over of the vehicle to the District Election Officer at the close of the Election Duty the officer-in-charge will hand over the log-sheet completing all the respective entries and duly attesting the same.

5. The District Election Officer will complete Part-III of the log-sheet in respect of the amount of hire charges payable to the vehicle and the deductions in respect of the P.O.L. balance calculated in the manner as mentioned in para 10 of Part-II.

6. The vehicles requisitioned, not used but kept in reserve will be paid hiring charges at the rates mentioned in para I of Part-I.

7. The Hire and Detention charges of the vehicles used by the polling parties should not ordinarily be paid by for more than Three days for Municipal Election and 6 days for Panchayat Election. Requisition order to the Vehicle Owners may be served well in advance asking them to report for duty on a particular date as per requirement for the movement of Polling Parties and should be released soon after the arrival of the Parties from Polling Duty. In such cases, where the District Election Officer considers necessary, may, however, allow to use the Vehicle for Four Days for Municipal Election and seven days for Panchayat Election. No Vehicle for more than Four/Seven Days should be used by the District Election Officer without prior approval of the **Secretary, State Election Commission, Rajasthan, Jaipur**. The vehicles detained by a DEO and asked to report to another district for Polling Duty, may however be used for four/seven days.

8. As far as possible Govt. vehicles should be provided to Zonal Magistrate/Sector Magistrate/Area Magistrate. In case Govt. vehicles are not available private vehicles may be provided for maximum limit of as per State Election Commission guideline.

9. The vehicles requisitioned for transportation of ballot boxes, Electronic Voting Machines, polling articles, furniture and other articles in connection with election should be paid for actual days these remain on election duty irrespective of dates.

10. Calculation of P.O.L. remaining in balance at the close of the elections will not be required. P.O.L. balance at the end will be calculated on the basis of total P.O.L. supplied to the vehicles and total consumption calculated as para 1 of Part-I.

11. All payments to be made within a month. No claim will be entertain after a month.

12. Cost of excess supply will be recovered from the hiring charges bills. In case of the vehicle whose milometer is in order total run will be determined on the basis of the first and last milometer reading. In case of vehicles whose milometers are not in working order, run will be calculated on the basis of the distance of destination covered by them. At the time of surrender of vehicles by the Officer-in-charges, the District Election Officer (Collector) will ensure that the log-sheet are complete in all respect. Net amount payable to the vehicle owner after deductions, will be checked and pass order will be recorded by the Officer authorised by the District Election Officer (Collector). The log-sheet so passed will then become bill of the vehicle. Payment will be made in cash on the basis of this bill from the cash counter to the owner of vehicle. In case owner is not present, payment will be made to the driver or any other person on the basis of authority of the owner of vehicle. If authority is not given then payment will be made to driver after obtaining following undertaking.

    "Received payment Rs.. of the hire charges of the vehicle No................... on behalf of the owner, I declare that I am authorized to receive hire charges of the vehicle on behalf of the owner. In case of any dispute regarding payment of the hire charges, I shall indemnify the State Government to that extent.

Signature ....
Name ....
Address ....
....
License No. ....
....

PART – III
GENERAL – IMPORTANT DIRECTION

1. The Hire charges in respect of the vehicles of the central and its Autonomous statutory bodies and public sector undertaking under the control of the Central Government will not be paid by the State Election Commission as per direction of Government of India vide their No. G27031(6)87-B&A dated 17.12.87 (Ministry of Law & Justice). However, Petrol, Diesel and Mobil-Oil will be supplied to such vehicles at the cost of the State Government and expenditure of minor repair will also be borne by the State Government of such vehicles during the period of requisitioning T.A. & D.A. of Drivers will be paid out of election budget. These directions will also be applicable for vehicles of State Government & its Autonomous Corporations (except RSRTC buses), Local Bodies etc.

2. These rates of hire charges shown from Part-I to Part-II are exclusive of P.O.L. but inclusive of pay and allowances of drivers etc. T.A. & D.A. of the drivers accompanying these vehicle will be paid by the respective vehicle owners.

3. No hiring charges in respect of vehicles of District pool and other Government vehicles used in connection with Panchayat & Municipal Election will be paid. However, their P.O.L. expenses for the election period and also the expenditure on account of minor repairs to the extent of Rs. 2500/- (Rupees Two Thousand Five Hundred only) per vehicle of District pool and Rs. 1000/- (Rupees One Thousand only) per vehicles for other Government vehicle shall be debitable to concerning election head of account.

4. The District Election Officers (Collectors) shall draw sufficient funds on A..C. Bills for making payment of the hiring charges.

5. The expenditure on this account will be debitable to concerning head of panchayat/municipal election.

6. D.C. Bills will be rendered by the District Election Officers to the Accountant General, Rajasthan, Jaipur within one month after making complete entries in the vehicle register so that the complete record is available of hire charges paid by the district offices.

7. For the vehicles of RSRTC requisitioned for poll Duty, hire charges will be paid at the rates mentioned in part 1 as applicable.

8. Payment of Hire Charges and POL of the Vehicles requisitioned for the Police Department

    1. **For Panchayat Election:-** The Payment of the hire charges and POL of the vehicles requisitioned for the Police Department for maintenance of law and order duty will be made by respective District Election Officers (Collectors) at the rates mentioned above.

    2. **For Municipal Election-** Hire Charges and POL Charges will be paid by the Police Department.

The rates of hire charges are as per concurrence the Finance Department (Exp.-V) vide their I.D. No. **331400286** dated **20.05.2014** .

(Ashok Kumar Jain)
Chief Electoral Officer & Secretary
State Election Commission,
Rajasthan, Jaipur

STATE ELECTION COMMISSION, RAJASTHAN

(2nd Floor, Vikas Khand, Secreratiat, Jaipur - 302005)
(Email- secraj@rajasthan.gov.in, Website - rajsec.rajasthan.gov.in)

No. F.1(20)(2)SEC/Acctt/O.R./2014-15/3747 Date: 03-09-2014

OFFICE ORDER

The State Election Commission has sanctioned the rates for making outright payments and incurring expenditure up to the extent noted against each item subject to the Budget provision in each case as under:-

S.No.	Nature of Sanction	Extent of power	For Panchayat & Municipal Election (Rs.)
1.	Sanction for making outright payment of **Rs. 105/- (Rupees One Hundred Five only)** for per polling station to Presiding Officer/Patwari or any other officer to whom D.E.O. (Collector) may think fit for hiring or otherwise charges for the election articles for which no account will be required to be rendered. The simple utilisation certificate of the concerned Presiding Officer/Patwari or any other officer will be sufficient.	**Lighting Arrangments at Polling Booth**	83.00
		Buckets & Lotas	15.00
		Locks	7.00
		Total Rs.	**105.00**
Note:-	**Since some of the items could be available with the District Election Stores, it is necessary to break-up the amount for issuing the articles or the amount in full or part, as the case may be.**		
2.	Sanction for making outright payment of- (1) **Rs. 10/- (Rupees Ten only)** to each polling officer (excluding class IV servant). (2) **Rs. 17/- (Rupees Seventeen only)** on account for the cost of Refill, match box, Blade and Ball Pen, one for Presiding Officer and other for the use of Voters for signatures etc. (3) **Rs.17/- (Rupees Seventeen only)** for R.O. (Panchayat) on account for checking of nomination of Panch & Sarpanch, to make the list of candidates	**Each Polling Officer (excluding Class IV servants)**	10.00
		Each Presiding Officer	17.00
		Each R.O. (Panchayat)	17.00
		Total Rs.	**44.00**
3.	Sanction for making outright payment @ **22/- (Rupees Twenty Two Only)** per Polling Station to, Presiding Officer/Patwari or any other officer to whom DEO (Collector) may think fit for hiring or otherwise, charges of Bamboos for which no account will be required to be rendered. The simple utilization certificate of the concerned Presiding Officer/Patwari will be sufficient.	**Each Polling Station**	**22.00**
4.	Sanction for incurring expenditure for (1) Providing Water to the Polling Parties and (2) Providing essential first aid medicines.	**Providing water to the Polling Parties.**	45.00
		Providing essential First Aid Medicines	33.00
		Total Rs.	**78.00**
5.	Sanction for making outright payment of **Rs. 45/- (Rupees Fourty Five Only)** to be given to each Prisiding Officer per Polling Station to meet unforeseen expenses for which	**Presiding Officer per Polling Station**	**45.00**

	no account will be rendered.		
6.	Sanction for incurring expenses @ **Rs.600/- (Rupees Six Hundred Only)** for erecting each temporary Polling Structure, if necessary.	**For erecting each temporary Polling structure.**	**600.00**
7.	Sanction for incurring exp. @ **Rs.300/- (Rupees Three Hundred Only)** for setup of voter assistance booth in the building having more than 2 Polling Booths.	**For Voter assistance booth at Polling Station**	**300.00**
8.	Providing drinking water to voters during poll, sanction for making outright payment **per polling station building** (i.e. where one or more polling booth situated) to any officer whom DEO may think fit for arrangements. The simple utilization certificate of the concerned officer will be sufficient.	**Providing water to electors at polling stations (per polling building)**	**500.00**
9.	Sanction for incurring expenses for providing temporary ramps where polling booths are notified & permanent ramps could not be provided as per direction of Election Commission of India & decision of Hon'ble Supreme Court. The smiple utilization certificate of the concerned officer will be sufficient.	**For Temporary ramps per building (Under conditions)**	**Rs. 1000.00 maximum**
10.	Sanction for incurring expenses for providing temporary arrangements for shade in the polling stations where there is no arrangement of shade.	**For polling station where there is no arrangement of shade.**	**Rs. 500.00 Max. per polling station**
11.	Refreshment for the officials (Employed & deployed) who are detained in odd hours. In State Election Commission (Head Quarter) Raj. Jaipur	**For Lunch/ refreshment**	**Upto Rs. 40.00 per officer/official.**
12.	Refreshment to trainers appointed to impart training to Polling Personnels, Counting Personnels, Sector Officers, Magistrates.	**For refreshment**	**Upto Rs. 40.00 per trainer**
13.	Refreshment/lunch/dinner for the officers/officials appointed by District Election Officer for postal ballot paper facility centre at polling party training centres at district level in IInd & IIIrd training.	**For lunch /refreshment**	**Upto Rs. 150/- per officer/officials**
14.	Refreshment/lunch/dinner for the officials who are detained in odd hours at polling material distribution and collection centers on the day of departure & arrival of polling parties.	**For lunch/ refreshment**	**Upto Rs. 150/- per officer/official**
15.	Sanction for incurring expenditure on account of hire charges of tents, furniture, electricity articles etc. required for election purposes on hire.	**Office of the Chief Electoral Officer & Secretary, State Election Commission, Rajasthan, Jaipur and concerning District Election Officers (Collectors) should take necessary action as per Rajasthan Transparency in Public Procurement Rule, 2013 subject to the condition that the hire charges should not exceed the actual cost of the goods and the ceiling directed by the State Election Commissioner**.	
16.	Refreshment for the officer/officials who are engaged in First Level Checking (FLC) EVMs & preparation of EVMs.	**Upto Rs. 40.00 per officer/official.**	

17. Purchase Committees at State Level and District Level are hereby constituted subject to the following conditions:-

Purchase will be made as per the procedure laid down in Rajasthan Transparency in Public Procurement Rules, 2013, if time is short by issuing short term tender notice, Rule 43(10). If short term tender could not be invited by lack of time, purchase may be made under rule 17 (the reasons of which shall be recorded in the writing) through the committee constituted rule 3 as under :-

<u>HEAD OFFICE PURCHASECOMMITTEE</u>

Dy Secretary, State Election Commission
Chief Accounts Officer, State Election Commission

Asstt. Secretary, State Election Commission

<u>DISTRICT LEVEL PURCHASE COMMITTEE</u>

Dy. District Election Officer
Treasury Officer of the District
An Officer nominated by the District Election Officer (Collector)

The Committees constituted as above (Item No.17) shall start functioning from the date of Public Notice of General Election and shall cease to function after declaration of Result of Election.

The expenditure is debitable to concerning Municipal Board/Council/Corporation/Panchayat Election Head.

This bears concurrence of the Finance (Exp.-V) Department vide their I.D. No. 331400367 dated 10.06.2014.

(Satya Prakash Baswala)
Chief Electoral Officer & Secretary,
State Election Commission, Rajasthan

(94)

STATE ELECTION COMMISSION, RAJASTHAN

(2nd Floor, Vikas Khand, Secreratiat, Jaipur - 302005)
(Email- secraj@rajasthan.gov.in, Website - rajsec.rajasthan.gov.in)

No. F.1(27)SEC/Acctt/2014-15/3697 Date: 02-09-2014

From:

Chief Electoral Officer & Secretary,
State Election Commission, Rajasthan.

To:

All District Election Officers,
(Collectors) (Municipal/Panchayat)

Subject:- **Regarding payment of Honorarium to officers deputed for imparting training to staff deployed for conducting Municipal/Panchayat General Elections, 2014-2015.**

On the subject cited above **the payment of Honorarium to Officers deputed for imparting training to staff deployed for conducting Municipal/Panchayat General Election, 2014-15 will be made @ Rs.200/- (Rupees Two Hundred Only) per session per Training subject to maximum of Rs. 1,000/- (Rupees One Thousand only) per Trainer during Municipal/Panchayat General Elections, 2014-15**.

The expenditure on this account will be debited to the concerned Municipal/Panchayat Budget Head.

This bears concurrence of the Finance (Exp.-V) Department vide their I.D. No. 331400540 dated 27.08.2014.

(Satya Prakash Baswala)
Chief Electoral Officer & Secretary,
State Election Commission, Rajasthan

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(द्वितीय तल, विकास खण्ड, सचिवालय, जयपुर–302005)
email- secraj@rajasthan.gov.in & secrajasthan@gmail.com, FAX 0141-2227280, 2227072

क्रमांकः प 1(29)(2)रानिआ/लेखा/बजट/2014–15/4214 दिनांकः24.09.14

प्रेषक– मुख्य निर्वाचन अधिकारी एवं सचिव,
राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान जयपुर।

प्रेषिति– जिला निर्वाचन अधिकारी (नगर पालिका),
(कलक्टर),
अजमेर, अलवर, बीकानेर, भरतपुर, बारां, बांसवाड़ा, बाड़मेर, चित्तौड़, चूरू, जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, जालौर, झुन्झुनूं, हनुमानगढ़, कोटा, नागौर, पाली, राजसमन्द, सीकर, श्रीगंगानगर, सिरोही, टोंक एवं उदयपुर।

विषयः–नगर निकाय आम चुनाव 2014 की वीडियो ग्राफी व टैण्ट/बैरीकेडिंग की व्यय सीमा निर्धारण बाबत्।

सन्दर्भः–आयोग का पत्रांक 4321 दिनांक 28.10.2009, पत्रांक 3747 दिनांक 03.09.2014 एवं पत्रांक 3759 दिनांक 05.09.2014

महोदय,

नगर निकाय आम चुनाव के दौरान् आदर्श आचार संहिता की पालना सुनिश्चित करने एवं राज्य में स्वतंत्र व निष्पक्ष निर्वाचन हेतु वीडियो ग्राफी कराये जाने के सम्बन्ध में विस्तृत दिशा निर्देश आयोग के पत्रांक– प 4(4)नपा/रानिआ/04/4321 दिनांक 28.10.2009 में प्रदान किये हुए हैं। आगामी नगर निकाय आम चुनाव 2014 के लिये की जाने वाली वीडियो ग्राफी तथा टैण्ट/बैरीकेडिंग, विद्युत व्यय एवं माइक व्यवस्था पर होने वाले अत्यधिक व्यय को दृष्टिगत रखते हुए निम्नांकित मदों/सामग्री की व्यय सीमा निर्धारित की जाती है :–

(अ) वीडियों ग्राफी (नामांकन की तिथि से मतगणना तक)

क्र.सं.	अधिकारी का नाम	वीडियों ग्राफर की सं.
1	चुनाव पर्यवेक्षक (चुनाव क्षैत्र में नियुक्ति के दौरान्)	एक
2	जिला निर्वाचन अधिकारी (कलक्टर)	एक
3	रिटर्निंग ऑफीसर	एक
4	कन्ट्रोल रूम (यदि आवश्यकता हो)	
	नगर निगम चुनाव	तीन
	नगर परिषद	दो
	नगर पालिका	एक

(ब) टैण्ट बैरीकेडिंग, विद्युत व माइक व्यवस्था

क्र.सं.	निकाय का नाम	निर्धारित व्यय सीमा
1	नगर निगम, जयपुर	चौदह लाख
2	नगर निगम, जोधपुर/कोटा	सात लाख
3	नगर निगम, बीकानेर	पाँच लाख
4	नगर निगम, भरतपुर/उदयपुर	तीन लाख
5	नगर परिषद अलवर	दो लाख
6	अन्य नगर परिषद	सत्तर हजार
7	नगर पालिका	पैतीस हजार

वीडियो ग्राफी के संबंध में यह भी निर्देशित किया जाता है कि, आदर्श आचार संहिता की पालना के बिन्दुओं को दृष्टिगत रखते हुए नामांकन की तिथि से मतदान दिवस, मतगणना दिवस तथा अध्यक्ष/उपाध्यक्ष के चुनाव दिवस पर महत्वपूर्ण घटनाओं की वीडियो ग्राफी की जा सकेगी। **मतदान दिवस पर जिला निर्वाचन अधिकारी संवेदनशील/अति संवेदनशील बूथो की वीडियो ग्राफी के लिए स्व–विवेक से अतिरिक्त संसाधनों का उपयोग कर सकेगे।**

आयोग द्वारा निर्धारित सीलिंग की पूर्ण पालना सुनिश्चित की जावे। विशेष परिस्थिति में अतिरिक्त संसाधनों की आवश्यकता प्रतीत होने पर आयोग की पूर्व अनुमति आवश्यक रूप से प्राप्त की जावे।

ह0
(सत्य प्रकाश बसवाला)
मुख्य निर्वाचन अधिकारी एवं सचिव,
राज्य निर्वाचन आयोग,
राजस्थान, जयपुर

STATE ELECTION COMMISSION, RAJASTHAN

(2nd Floor, Vikas Khand, Secretariat, Jaipur – 302005)

No.F1(22)(3)SEC/Accounts/2014-15/4460 Dated : 02-10-2014

ORDER

In Super session of the office order No. 8026 dated 18-1-2010, 5222 dated 15.11.2010 and 1625 dated 22.6.2012. In order to simplify the Procedure of payment of T.A. claims of the staff engaged **in the course of Elections of Municipalities & Panchayats including the Police, Home Guard and Forest Guard personnel (Except Law & Order)** deputed in election duty during the Election days, the State Election Commission has prescribed the Flat rates of T.A. and lay down the following procedure:-

1. The terms which are not given special meaning in these rules shall have the meaning assigned to them in Rajasthan Travelling Allowance Rules, 1971 as amended from time to time.

2. **T.A. Claims** of all employees will be drawn and disbursed by the District Election Officer of the district in which a person is engaged for election duty. The expenditure will be debited to the concerned election (Municipal/Panchayat) budget head.

3. **Daily Allowance:-** To the staff engaged in polling/counting duty including reserve parties will be paid for attending training classes, collecting polling material, journey undertaken for attending duty on the Polling/Counting Days at the following rates:-

S.No.	Name of Post	Daily Allowance per day or part thereof
1.	**Sector Officer/Area/Zonal Magistrate**	**Rs. 255/- Per Day**
2.	**Returning Officer (Panchayat)**	**Rs. 225/- Per Day**
3.	**Presiding Officer**	**Rs. 225/- Per Day**
4.	**Polling Officer**	**Rs. 195/- Per Day**
5.	**Asstt. Polling Officer (Class-IV)**	**Rs. 105/- Per Day**
6.	**Counting Supervisor**	**Rs. 225/- Per Day**
7.	**Counting Assistant**	**Rs. 195/- Per Day**
8.	**Police Personnel (attach with Polling Party/Zonal Magistrate)**	**Rs. 165/- Per Day**
9.	**Other Staff (As per Class-IV)**	**Rs. 105/- Per Day**

Note:- (i) The above rates are fixed as per the post hold in election duty. Hotel Charges will not be admissible to such employees for Polling/Counting Duty.

(ii) All employees, who attends the training classes, are entitled for DA.

(iii) The above rates will be admissible to the Polling/Counting personnel from the reporting time fixed by the District Election Officer or any officer authorized by him.

(iv) During **Municipal/Panchayat** Election Mahila Anganbari Karyakarta deployed by the District Election Officer (Collector)/ Returning Officer on Polling Station for the help

of Polling Party on Poll Day will be covered under Class IV category i.e. **DA @ 105/- per day or part** thereof and light refreshment/Packed lunch will be admissible to them as Polling Parties.

4. Travelling Allowance:-

The TA will be admissible to Rajasthan Government Employees as under:-

(a) Government servants whose place of posting is within a radios of 15 kilometers of a reporting center will not be entitled to incidental charges and mileage allowances. For this purpose, the limits of a center in case of town or city extents upto the Municipal Limits of the town or city.

(b) An employee engaged on polling/counting duty beyond a radios of 15 kms. from his headquarters will be paid TA except halting allowance as on tour in accordance with the provisions contained in Rajasthan T.A. Rules 1971.

(c) Government servants whose headquarters are not connected by rail or bus and they are required to cover the distance by cycle, or on foot or any other conveyance for more than 15 kms. will get @ Rs. 1/- per kilometer Journey undertaken.

5. Payment after duly verified by the Officer-in-Charge. Payment of TA and DA will be made by the District Election Officer concerned out of election budget after scrutinizing the TA bills. The District Election Officer will maintain a separate register (same as per polling staff) in respect of the Police Personnel deputed for election duty in the district. He will make necessary entries in the register as soon as TA bills are received duly verified by Officer-in-Charge. **TA & DA will not be admissible to the Police Personnel deployed for the Law & Order.**

6. **Payment of TA & DA to the staff engaged on election duty other than the members of polling/counting parties:-** TA claims of such persons will be drawn and disbursed by the District Election Officer on the normal TA bill forms according to Rajasthan TA Rules.

7. **Light refreshment to the polling parties:-** A cash payment or packed lunch @ **Rs.150/- (One hundred fifty only)** per head per poll day shall be made to the polling parties including police personnel deployed on election work on Poll Day including Home Guards/Forest Guards/Gram Rakshak Dal/ NCC (Senior) Cadets/Ex army/C.P.F./BLO/Polling Booth Assistant etc. deployed on Election Work. It may however be clarified that the payment would be made to the staff deployed for the actual poll day only. **The payment of light refreshment is not admissible to such police personnel deployed on law & order duty. The expenditure will be made by the district election officer concerned out of election budget. The returning Officer shall maintain proper account of expenditure incurred in respect of light refreshment provided to polling staff.**

8. **Light refreshment to the Counting Staff:-** The counting staff including Police Personnel, engaged on counting duty will be provided cash or packed lunch or light refreshment @ **Rs.150/- (One Hundred Fifty only)** per head at all counting centers (Municipal, Panchayat Samiti and Zila Parishad Election). It may however be, clarified that the facility of Packed Lunch/Light Refreshment would be provided to the staff actually deployed in counting centers on counting day**. The payment of light refreshment is not admissible to such police personnel deployed for Law & Order at counting center.** The Returning Officer will maintain proper account of expenditure incurred in respect of light refreshment provided to counting staff.

9. Procedure for preparation of TA bills of the members of polling parties, scrutiny and payment of their claims:-

(i) On the last day of training schedule each polling personnel will submit a T.A. bill in single copy in a form (Appended) to these instructions to an officer authorized by the concerned Collector after completing entries of part I and II. The Authorized officer will verify the attendance shown in the T.A. from regarding attendance for training.

(ii) District Election Officer will cause to make entries in Part III, total number of days admissible for payment as per Rule 3 for poll duty. A copy of the T.A. bills and other claims will be

retained in the office by District Election Officer for audit and a statement of the T.A. bills and other claims may be prepared in duplicate and one copy of this statement will be sent to the A.G. Rajasthan, Jaipur with the D.C. bill and another may be kept in record with the District Election Officer.

(iii) District Election Officer will cause to conduct scrutiny of T.A. and other claims including the fare for return journey to head quarters after release from election duty. at the rates charged for the incoming journey.

(iv) The District Election Officer will calculate total amount of T.A. and other claims admissible to a poling party on the basis of above statement. The amount equal to the amount so calculated will be given to the concerned presiding officer as an advance at the time of issue of polling material or thereafter before the last day of poll.

(v) The presiding officer will render an account of T.A. and other claims advance with the receipted copies of T.A. and other claim bills at the time of depositing the polling material and before he is relieved from Election Duty.

(vi) The District Election Officer shall draw sufficient amount on A.C. bill to meet the requirement for payment of T.A. and other claims to the polling staff by the way of an advance to presiding officer and render consolidated account in the form of D.C. bill to the Accountant General of Rajasthan within the prescribed period. The presiding officer will make payment of the T.A. and other claims to each member in the party immediately on arrival to District Headquarters at the time of relieving from election duty including his own T.A. and obtain proper receipt of each member on the concerned T.A. bill.

10. These Instructions will also apply to the Police Personnel, (except Law & Order) Home Guards, Forest Guards, SPO(s) etc. attached with poling party/Sector Officer/Zonal Magistrate/Area Magistrate on Election Duty during the polling days. Their TA Claims will be paid by the District Election Officer concerned out of the Election Budget.

11. **Maintenance of T.A. and other claims Register by the District Election Officer.-** The District Election Officer will maintain a register in the form appended in respect of the polling parties including Police Personnel deputed for the Election Duty in the District. He will make necessary entries in this register with the fixed days of halts of polling duty as soon as the T.A. bills are received in the Election Office from the members of the polling party on the last day of training, duly verified by the officer-in-charge, the same should be posted in the register.

12. **The above instructions will apply to all categories of polling personnel, i.e. employees of State Government, Central Government, Local and Autonomous Bodies, Corporations, Government or Semi Government under takings and Non-Government Institutions, Universities etc.**

This bears the concurrence of Finance Department (Expenditure-V) vide their I.D. No. 331400273 dated 01-07-2014 (Rates of DA) and 331400367 dated 10.06.2014 (Rates of Refreshment).

(Satya Prakash Baswala)
Chief Electoral Officer & Secretary
State Election Commission,
Rajasthan, Jaipur

PART – I

T.A. BILL FOR MEMBERS OF POLLING PARTY
(General Details)

Name, Designation and Department ....

Basic Pay .... Polling Party No. ....

Position in polling party :-

R.O Panchayat /Presiding Officer / Polling Officer / Class IV ....

Headquarter ....

Distance from District Headquarter .... Kilometers ....

PART – II

T.A. UPTO THE STAGE OF REPORTING FOR POLL DUTY TO BE COMPLETED BY CLAIMANT

Departure			Arrival			Mode of travel	Halt			Purpose of Journey
Place	Date	Time	Place	Date	Time		Days	D.A.	Far e	
1.										
2.										
3.										
4.										
5.										
6.										
7.										
8.										
9.										
10.										
11.										
12.										
13.										
14.						Total				

Verified

Officer-in-Charge

Signature of Claimant

PART – III

(T.A. for poll duty halting allowance and return journey to be completed by Election Officer)

Halt days of poll duty halting allowance Rs. ....

Return journey fare (at coming journey rate) Rs. ....

Add amount of Part II (a) halting allowance Rs. ....
(b) fare

Total T.A. Claims Rs. ....

Add Amount for light refreshment **……………………………….**

Total ------------------------------------

Amount in words ....

Checked	Authorized for payment
Signature of Accountant/ Jr. Accountant	Signature of Officer-in-charge Accounts

DISBURSEMENT

Certified that the claimant has remained in camp for full poll duty

payment attested. received payment

Signature (Name of the Presiding Officer)

Party No. .... Signature of the Claimant

---

Note:- Deduction will be made by Presiding Officer for any absence from poll duty and a note be recorded on this sheet.

T.A. BILL REGISTER OF POLLING STAFF

S.No.	Name of Official	Designation and Department	Place of Posting	Polling Party No.
1	2	3	4	5

R.O (Panchayat)/ Presiding/ Polling Officer/Class IV	Training attended on the date	Fare up to report for poll duty	Training Duty Halt days	Poll duty halt days
6	7	8	9	10

Halting allowance Total	Return Journey fare	Total amount (Col. 8, 11 & 12)	Remarks	Signature of Officer In charge
11	12	13	14	15

OTHER CLAIM REGISTER OF POLLING STAFF

S.No.	Total No. of Polling Parties	Total No. of Polling Staff Deployed		
		R.O. (Panchayat)/ Presiding Officer	Polling Officer	Class IV
1	2	3	4	5

Total	Total of Refreshment	Total Amount Incurred	signature of D.E.O	Remarks
6	7	8	9	10

Note :- The above entries must be attested by the officer-in-charge Election.